सप्तम माला खंड 1 अंक 1

गुरूवार, 17 सितम्बर 1981

26 भाद्र 1903 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय-सूची

अंक 24, गुरुवार, 17 सितम्बर, 1981/26 भाद्र, 1903 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर<br>*तारांकित प्रश्न संख्या : 480, 481, 481 क, 482 और 483 | 1—18 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर<br>तारांकित प्रश्न संख्या : 479, 484 से 500<br>अतारांकित प्रश्न संख्या : 4601 से 4800 | 19—193 |
| मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव | 193—195, 201—368 |
| श्री समर मुखर्जी | 201 |
| श्री ए० के० सेन | 213 |
| श्री जार्ज फर्नान्डीस | 226 |
| श्री एच० के० एल० भगत | 239 |
| श्री राम जेठमलानी | 246 |
| श्री जगन्नाथ कौशल | 262 |
| प्रो० मधु दण्डवते | 266 |
| श्री विक्रम महाजन | 270 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | 274 |
| श्री मोहन लाल सुखाड़िया | 280 |
| श्री सी० टी० दण्डपाणि | 283 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | 287 |
| श्री जयपाल सिंह कश्यप | 302 |
| श्रीमती मोहसिना किदवई | 305 |


*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् 309

प्रो० के० के० तिवारी 313

श्री जगजीवन राम 325

श्री एस० एम० कृष्ण 330

श्री चित्त बसु 333

श्रीमती इन्दिरा गांधी 334

सभा पटल पर रखे गये पत्र 195—199

राज्य सभा से संदेश 200—201, 369—370

विधेयकों पर अनुमति

तेल उद्योग (विकास) (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित 201

सदस्यों की गिरफ्तारी 368

(सर्वश्री राम विलास पासवान और छोटे सिंह यादव

दर्शक दीर्घा में कुछ व्यक्तियों द्वारा सभा का अवमान किए जाने के बारे में प्रस्ताव 368—369

श्री पी० वेंकट सुब्बैया 368

असम राज्य बिजली बोर्ड के लिए अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए अनुमोदन के बारे से सांविधिक संकल्प 370—371

असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव—चर्चा समाप्त नहीं हुई 371—372

श्री वेंकट सुब्बैया 371

# लोक सभा

गुरुवार, 17 सितम्बर, 1981/26 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### फ्रांस के विदेश के साथ हुई वार्ता

*480. श्री अमर राय प्रधान
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और फ्रांस के विदेश मंत्री दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्याओं, ईराक-इरान संघर्ष और अफगानिस्तान की समस्या को सुलझाने हेतु हाल ही में नई दिल्ली में मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)**: (क) फ्रांस के विदेश कार्य मंत्री ने मेरे निमंत्रण पर 23 और 24 अगस्त, 1981 को भारत की यात्रा की थी। हमने सामान्य विषयों पर विचार-विमर्श किया था, जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अफगानिस्तान की स्थिति, ईरान-इराक संघर्ष, दक्षिण-पूर्व एशिया की घटनायें और उत्तर-दक्षिण वार्ता जैसे महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसले भी शामिल थे।

(ख) इस प्रकार की बैठकें दो सरकारों के बीच परामर्श की निरन्तर प्रक्रिया का ही एक अंग होती हैं। मैंने आपसी हित के महत्त्वपूर्ण मामलों पर भारत सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

किया। हम दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना जरूरी है और इस बात की भी जरूरत है कि विश्व आर्थिक-व्यवस्था को प्रभावकारी ढंग से पुनर्गठित किया जाए। हम दोनों में इस बात पर भी सहमति हुई कि हम एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए रहेंगे।

**श्री अमर राय प्रधान** : यह एक विदित तथ्य है कि फ्रांस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी के शामिल होने के बाद दोनों आन्तरिक और बाह्य मामलों में फ्रांस सरकार के दृष्टिकोण में कुल प्रमुख परिवर्तन हुए हैं।

अतः मैं विदेश मन्त्री से जानना चाहता हूं :

(क) क्या फ्रांस की नई सरकार के और रीगन प्रशासन में से उत्तर-दक्षिण वार्ता के बारे में मतभेद थे और फ्रांस की सरकार ईमानदारी से यह महसूस करती है कि सोवियत गुट के साथ नाटों संघर्ष को दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं फैलाया जाना चाहिए।

(ख) क्या फ्रांस के विदेश मन्त्री ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान काबुल को भावी बाहरी धमकी के मामले पर अत्यन्त उत्सुकता दिखाई थी ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : फ्रांस के विदेश मन्त्री ने अपनी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था जो विश्व व्यापी वार्ता और दक्षिण-पूर्व वार्ता के लिये आवश्यकता पर हमारी स्वयं की विचारधारा के बहुत अनुरूप है। क्या किसी अन्य की तुलना में इसमें व्यापक अन्तर है जिसके लिये हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कहा था कि यह उनकी सरकार का रुख है। हम इन विचारों के भिन्न-भिन्न सूक्ष्म भेद केवल तभी जानेंगे जब हम कानकुन में सीमित शिखर सम्मेलन में जायेंगे और बैठक करेंगे। हमें इस बीच कोई निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि फ्रांस के विदेश मन्त्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि उनकी सरकार उत्तर-दक्षिण वार्ता के बहुत अधिक पक्ष में है और उनकी तीसरे विश्व, विकासशील देशों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्यन्त सहानुभूति है।

**श्री अमर राय प्रधान** : मेरे प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है। काबुल को बाहरी धमकी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह एक प्रश्न नहीं है। हमने अफगानिस्तान के मामले पर चर्चा की थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आने वाला कोई विदेश मन्त्री अफगानिस्तान मामले को चर्चा की परिधि से नहीं छोड़ेगा और न ही हम छोड़ेंगे। ऐसा हुआ है कि इस चर्चा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) के प्रस्तावों पर हमारे विचारों की अभिव्यक्ति भी शामिल थी। मैंने उन्हें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की थी॥ उन्होंने कहा था कि इसके लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और इन प्रयासों से निकलने वाले परिणाम देखने पड़ेंगे। इस प्रकार हमने एक-दूसरे को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया था।

**श्री अमर राय प्रधान** : आपने आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार भी देखा होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने अमरीका को अफगानिस्तान और भारत की सीमा में सैनिक अड्डों की पेशकश की है। दूसरी ओर उनके विदेश मन्त्री को मिलने के बाद फ्रांस के विदेश मन्त्री ने 23 अगस्त, 1981 को दिल्ली में अपने प्रेस सम्मेलन में कहा जो मैं उद्धृत करता हूं :

"हम दो देशों की सरकारों ने प्रत्येक सम्भावना वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापार आदान-प्रदान का विकास और सेना के मामले पर विचार करने का निर्णय किया था।"

इस सन्दर्भ में मैं माननीय विदेश मन्त्री से यह जानना चाहता हूं :

(क) क्या अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के खतरे का मुकाबला करने के लिये मिराज-2000 लड़ाकू विमान और सशस्त्र लाइट हेलीकाप्टरों की प्रस्तावित खरीद को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इस बारे में एक उच्च स्तरीय भारतीय रक्षा दल ने फ्रांस की यात्रा की थी ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विश्व की विशेषकर खाड़ी के अरब देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : महोदय, आप मानेंगे कि यह प्रश्न रक्षा मन्त्री से किया जाना चाहिये और मैं आपको इन सबका ब्यौरा बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ब्यौरे को नहीं दे सकता हूं जो मेरे पास नहीं हैं।

**श्री अमर राय प्रधान** : मैं संक्षिप्त उत्तर चाहता हूं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह रक्षा विभाग के पास जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : आप दूसरा प्रश्न करें। श्री चन्द्रशेखर मूर्ति।

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : हमारे देश में श्री चेसन की हाल की यात्रा से अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर फ्रांस के नये समाजवादी शासन के विचारों को जानने का उच्च-स्तर पर अवसर मिला था और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या फ्रांस की सरकार अफगानिस्तान, ईरान-ईराक संघर्ष और दक्षिण पूर्व एशिया की घटनाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर हमारे विचारों की पुष्टि करेगा।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : जैसा मैंने कहा है हमने इन सभी विषयों पर चर्चा की थी। ऐसा हुआ है कि उनके और हमारे बीच समझौते के क्षेत्र हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हमारे विचार समान हैं। स्थिति यही है।

**श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर** : अध्यक्ष महोदय जैसा पहले बताया गया है जब फ्रांस के विदेश

मन्त्री और हमारे विदेश मन्त्री के बीच वार्ता हुई थी तो विभिन्न मसलों आर्थिक, वैज्ञानिक आदि पर चर्चा हुई थी। आप जानते हैं कि अमरीका से तारापुर विद्युत संयंत्र को ईंधन की सप्लाई की समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तारापुर को ईंधन और परमाणु विद्युत संयंत्रों की घटना पर भी विदेश मन्त्री के साथ चर्चा की गई थी। यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम रहा है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं विशेष रूप से कहने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या ऐसे किसी मामले पर चर्चा हुई थी क्योंकि मेरे अन्य सहयोगी मन्त्रियों के साथ भी चर्चा हुई थी। इसका क्या परिणाम रहा है वह हमने जो चर्चा की थी उसका यह थोड़ा-सा सामान्य विवरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इस प्रश्न को परमाणु ऊर्जा विभाग---प्रधान मन्त्री---को निदेशित किया जाए है तो अधिक विशेष उत्तर उपलब्ध होगा।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने फ्रांस के विदेश मन्त्री के साथ चर्चा की थी तो उत्तर और दक्षिण के बीच वार्ता पर भी चर्चा हुई थी।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह चर्चा का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय था। और यह महत्वपूर्ण था कि हमने शुरू की जा रही उत्तर-दक्षिण वार्ता की वांछनीयता पर हमने एक दूसरे को सहमत पाया था।

**श्री नारायण चौबे** : समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान, जो एफ-16 विमान प्राप्त कर रहा है और इन सभी सामग्री को प्राप्त करने के लिये अमरीका को सैनिक अड्डे देने जा रहा है, ने भारत को पेशकश की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आक्रमण नहीं होगा। यह कहां तक सच है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत को ऐसे किसी प्रस्ताव की पेशकश की है और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और पाकिस्तान द्वारा ऐसी पेशकश करने के क्या कारण हैं ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मेरे विचार से यह प्रश्न फ्रांस के विदेश मन्त्री की यात्रा के बारे में है।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : मैं माननीय विदेश मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वार्ता के बाद यह उनकी धारणा है कि फ्रांस में नये शासन द्वारा कम से कम विश्व शांति के मुख्य प्रश्नों तनाव को कम करने और विवाद तथा निरस्त्रीकरण के मामले पर भी कुछ ठोस कार्यवाही किये जाने की संभावना है ? क्या इन मुख्य मसलों पर भारत और फ्रांस के बीच मिलकर कार्य करने की संभावना है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह मुझे बिलकुल स्पष्ट था कि कुछ मामलों पर भारत और फ्रांस समान रूप से सोचते हैं और मिलकर काम करने की भारी संभावना है। उदाहरणार्थ विकासशील देशों के मामले पर, उत्तर-दक्षिण वार्ता के मामले पर और दक्षिण अफ्रीका के मामले

पर इन सभी मामलों पर हमारे विचार बहुत मिलते-जुलते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में हमारे मिलकर काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक निरस्त्रीकरण और तनाव शैथिल्य का मामला और यूरोप में उनकी स्वयं की स्थिति का सम्बन्ध है, फ्रांस की अपनी स्वयं की राष्ट्रीय स्थिति नहीं है। स्वभावत: वे शिविर में अन्यों की स्थिति से किस सीमा तक दूरी पर रह सकते हैं, यह देखा जाना है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपनी स्थिति बना ली है। भावी घटनाओं के बारे में हमें अन्दाजा लगाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री नीरेन घोष** : हम जानते हैं कि मास्को और वाशिंगटन के यूरोप में प्रक्षेपणास्त्रों को प्रयुक्त करने के बारे में अत्यधिक मतभेद हैं। क्या आपकी वार्ता के दौरान इस पर चर्चा की गई थी और उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैंने इस मामले पर अभी निवेदन किया है कि सामान्य चर्चा के बाद और फ्रांस की स्थिति के मूल्यांकन के बाद मेरी धारणा थी कि फ्रांस ने अपनी राष्ट्रीय स्थिति विकसित कर ली है अथवा बना ली है और अन्य यूरोपीय देशों के साथ एक यूरोपीय स्थिति बनेगी। ये स्थितियां किस प्रकार पश्चिम की सामान्य स्थिति में सामंजस्य उत्पन्न करेगी यह देखा जाना है लेकिन यह स्थिति है जो हम पाते हैं।

## शिक्षा में एकरूपता

*481. **श्री राम स्वरूप राम**<br>**श्री सत्यगोपाल मिश्र** } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी पब्लिक स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाकर, शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाकर सारे देश में एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करके और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करके भारत के प्रत्येक नागरिक के लिये शिक्षा की एक समान पद्धति लागू करने का है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (ग) विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

सरकार का शिक्षा को एक केन्द्रीय विषय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, शिक्षा एक समवर्ती विषय है, फिर भी शिक्षा, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा अभी तक मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है।

स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-विवरण राज्य सरकारों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कालेज स्तर पर ये सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस विषय पर विशेषज्ञ सलाह पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-विवरण को विकेन्द्रित करने के पक्ष में हैं।

सरकार का प्रयास शिक्षा का एक समान ढांचा अर्थात् 10+2+3 विकसित करने और आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करने का रहा है ताकि एक समान ढांचे के अन्तर्गत समतुल्य स्तरों को बनाया रखा जा सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का सम्मेलन (मा० शि० बो० स०), केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के० शि० स० बो०), शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन, कुलपतियों का सम्मेलन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ० भा० तक० शि० प०) आदि जैसे मंचों में पारस्परिक परामर्शों के लिए प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग भी इस लक्ष्य के लिए किया जाता है।

संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के सम्बन्ध में समान अवसर उन सभी को उपलब्ध हैं जो पात्रता की उपयुक्त शर्तों को पूरा करते हैं।

शैक्षिक अवसर को समान बनाना सरकार की एक घोषित नीति है। इस लक्ष्य के लिए सरकार का यह प्रयास रहा है कि यथा सम्भव स्कूल खोले जाएं। जिससे कि शिक्षा के अवसर सभी को सर्व सुलभ कराए जा सकें।

जहां तक "पब्लिक" स्कूलों, जो, वास्तव में, प्राइवेट स्कूल हैं, का सम्बन्ध हैं, कुछ संवैधानिक सुरक्षाओं के कारण इन पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है।

**श्री राम स्वरूप राम :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी की ओर से जवाब आया है उसको मैंने बहुत गम्भीरता से देखा है, एक-एक शब्द को पढ़ा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है फिर भी हम इसको केन्द्र के अधीन नहीं ला सकते हैं। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी तक अपनी शिक्षा को प्रयोगवाद में ले जा रहे हैं···

**अध्यक्ष महोदय :** अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं कि सवाल पूछिए।

**श्री राम स्वरूप राम :** सरकार कभी तो टेन प्लस टू प्लस 3 की ओर ले जाती है और कभी टेन प्लस वन प्लस टू की ओर ले जाती है। देश के लिए शिक्षा का बहुत महत्त्व होता है और इस पर देश का भविष्य निर्भर है। अभी उसका प्रयोगवाद चल रहा है और अभी हम एक नीति तय नहीं कर पा रहे हैं कि सारे देश में किस तरह की शिक्षा चले, किस तरह के पाठ्यक्रम सेकेन्डरी स्कूलों के लिए, प्राइमरी स्कूलों के लिए और यूनिवर्सिटयों के लिए हों। बिहार में एक तरह की शिक्षा प्रणाली चली है और यू० पी० में दूसरी तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है। इसलिए एक तरह का समान स्तर डेवलप नहीं हो रहा है सारे देश में और कारण जो राष्ट्रीय एकता है, उसमें कहीं न कहीं और कुछ न कुछ विखंडता नजर आ रही है और एकमात्र शिक्षा इसके लिए दोषी है। इस सन्दर्भ में इसकी अहमियत को समझते हुए, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में एक ही स्तर की शिक्षा चलाना चाहती है और उसको आर्डीनेट करने

के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी जो यह सुनिश्चित करें कि सारे देश में एक ही पाठ्यक्रम हो और एक ही स्तर की पढ़ाई सभी वर्गों में हो।

**श्रीमती शीला कौल** : स्कूल शिक्षा प्राथमिक रूप से राज्यों का कार्य है। प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के पाठ्य विवरण बनाता है। हालांकि हमने 10+2+3 के बारे में समान ढांचा बनाया है जैसा कि मानवीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है और हमने ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये किया है कि ठोस प्रारम्भिक शिक्षा के लिये एक आधार हो। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने विभिन्न राज्यों के साथ परामर्श करके कक्षा एक से पाँच तक एक न्यूनतम अधिगम सातत्यक तैयार किया है। यह गणित और सामान्य पर्यावरण संबंधी स्थितियों के बारे में है और बच्चों की विविध समस्याओं आवश्यकताओं के अनुकूल भिन्न-भिन्न स्थानीय विशेष पाठ्यचर्या उपलब्ध कराना है। हमने यह किया है। लेकिन यह कहना है कि हमें पूरे देश में शिक्षा की समान पद्धति रखनी चाहिये, देश की सामान्य दृष्टि में ठीक बात नहीं होगी जहां कई प्रकार के भिन्न-भिन्न लोग हैं। उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों की वे वेश-भूषा और खान-पान और अन्य सभी बातें पंजाब के लोगों से बहुत भिन्न हैं। अतः-ऐसी विभिन्नता मौजूद है। यदि हम भिन्न-भिन्न राज्यों को लें तो उनकी अपनी स्वयं पहचान है जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं, जैसा मैंने उल्लेख किया है, जिन्हें हमें उपलब्ध कराना है। हमने शिक्षा का एक ऐसा ढांचा दिया है जिनमें कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्चे सीख सकते हैं और समान रूप से पढ़ सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : दरअसल में आपके नाम से ही उन्होंने कुछ लिया है, ऐसा लगता है। आगे भी राम, पीछे भी राम, कौन सा स्वरूप है राम का। इसी तरीके से इन्होंने एजूकेशन को कानकरेन्ट सबजेक्ट बना कर किया है।

**श्री राम स्वरूप राम** : मानवीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि शैक्षणिक अवसर को समान बनना सरकार की एक घोषित नीति है। हमारी शिक्षा का स्तर एक हो, समान अवसर सभी को मिले चाहे वह सामान्य जनता हो और चाहे वह विशिष्ट जनता हो लेकिन दोषपूर्ण शिक्षा की वजह से हमारे यहां दो तरह की, दोहरी शिक्षा प्रणाली चलने की वजह से एक ही समय में दो स्टैन्डर्ड के लोग पैदा हो गये। आप जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए वही गुरुजो की पाठशाला है, वहीं चटाई पर बैठ कर वे पढ़ते हैं और उन्हें कोई पाठ्यक्रम नहीं मिलता पढ़ने के लिए और न रोशनी मिल पाती है। कितना गरीब यह मुल्क है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप छोटा सवाल कीजिए।

**श्री राम स्वरूप राम** : इस सभी के सन्दर्भ में ही यह भूमिका है। इसको अगर नहीं कहा जाएगा तो कैसे समझा जाएगा।

हुजूर आप भी गांव में रहते हैं। जब तक हमारा लक्ष्य समान स्तर की शिक्षा सभी को देने का नहीं होगा तो कैसे लोग आगे आयेंगे। आज हमारी शिक्षा दो केटेगरी में बंट गई है। इसमें

से एक केटेगरी का वर्ग काफी डेवलप कर गया है। उसमें बिजनेसमेन हैं, उच्च श्रेणी के पदों पर काम करने वाले हैं। यह सब हमारी दोहरी शिक्षा नीति की वजह से हो रहा है। उच्च पदों पर काम करने वालों का भी स्वार्थ डवलप कर गया है। इस सबके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली दोषी है। जब हमारी नीति समान स्तर की शिक्षा देने की है तो क्या सरकार दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके सभी गांवों के स्कूलों को एक स्टैण्डर्ड पर लाएगी ? यदि नहीं तो क्या सरकार सभी पब्लिक स्कूलों को बन्द करेगी जिससे कि शिक्षा का समान स्तर हो सके ?

क्या सरकार इस बात की अहमियत को समझते हुए सभी स्कूलों को एक ही स्टैण्डर्ड पर लाना चाहती है और पब्लिक स्कूलों को बंद करने का विचार रखती है ? चूंकि एक दूसरे प्रश्न के जवाब में यह कहा गया था कि विचार नहीं है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा को एक स्टैण्डर्ड पर लाने के लिए क्या सरकार देश के सभी शिक्षा संस्थानों—लोअर स्कूल लेकर यूनीवर्सिटीज तक--को एक स्तर पर लाने के लिए कोई क्रमबद्ध योजना बनाने का विचार रखती है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप सारे सवाल का वजन खोते जा रहे हैं :

**श्री राम स्वरूप राम** : अध्यक्ष महोदय, यह बताना जरूरी है।

**श्रीमती शीला कौल** : इन स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के नाम से अभिव्यक्त करने से एक भ्रान्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि जो पब्लिक स्कूल समझे जाते हैं, वे गैर सरकारी स्कूल हैं। वे या तो किन्हीं सोसायटियों द्वारा अथवा एसोशिएसनों द्वारा चलाए जाते हैं और वे सरकारी स्कूल नहीं हैं। अतः यह कहना कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर दिया जाए।

**श्री दौलत राम सारण** : केन्द्रीय सरकार उन्हें अनुदान देती है। यहां गलत कह रही हैं।

**श्रीमती शीला कौल** : अगर मुझको जवाब देने का मौका मिल जाए तो आपकी तृप्ति हो जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : आप तृप्ति कीजिए।

**श्रीमती शीला कौल** : अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो कैसे मालूम होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदया को जवाब देने दीजिए।

**श्रीमती शीला कौल** : हमारे यहां जो पब्लिक स्कूल हैं वे प्राइवेट लोग खुद चलाते हैं। माना कि इनको सरकार कुछ मदद देती है लेकिन पब्लिक स्कूलों में वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए 25 फीसदी जगहें होती हैं और इन सेक्शंस के जो बच्चे होशियार होते हैं उनको इनमें पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। (व्यवधान)

**श्री राम स्वरूप राम** : अध्यक्ष महोदय, हमारा जवाब नहीं मिला।

**अध्यक्ष महोदय :** वे एक बात पूछना चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा करने हेतु आप क्या कदम उठायेंगी ? यह जो ड्युल एजूकेशन है—जिसके पास पैसा है वह तो पब्लिक स्कूल में, माडल स्कूल में, कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ता है और जिसके पास पैसा नहीं है, मेरे जैसे आदमी के पास, वह बोरी दबाकर पढ़ने जाता है; यह जो स्कूलों में डिफ्रेंस है जिसकी वजह से इन्टरव्यू और कम्पीटिशन में बोरी लेकर पढ़ने वाला मुकाबला नहीं कर सकता ।

उस विषय में आप क्या करना चाहते हैं, यह जवाब दीजिए ।

**श्रीमती शीला कौल :** मान्यवर मैंने अभी कहा है कि जो काबिल बच्चे होते हैं, इनके लिये एक इम्तहान है, जो स्टेट लेवल पर होता है ।''' (**व्यवधान**)

**श्री सत्यगोपाल मिश्र :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की भाषा और भाव वह नहीं है, जो मैं पूछना चाहता था । इसके विपरीत इसमें बिल्कुल उल्टी बात पूछी गई है । मैं इसे यहां स्पष्ट करता हूं । हम चाहते हैं कि शिक्षा को राज्य-सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए । शिक्षा संवर्ती-विषय भी नहीं है । शिक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है । हर आदमी इसे मानता है । मुझे यह बात यहां अवश्य बता देनी चाहिए कि इस प्रश्न की सीमा इतनी व्यापक है कि इस पर पूर्ण रूप से विचार करने की जरूरत है । राष्ट्रीय, भावात्मक और बौद्धिक एकता के लिए यह आवश्यक है कि पूरे देश के लिए एक व्यापक शिक्षा की नीति का निर्माण किया जाना चाहिए ।

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार के अनुसार, ऐसी कौन-सी भाषा अथवा भाषाएं होनी चाहिए, जो प्राथमिक स्कूलों, अर्थात् पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई जाएं ? गैर सरकारी स्कूल लोगों में भेद-भाव पैदा कर रहे हैं । अत: केन्द्रीय सरकार का इन गैर-सरकारी स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वैज्ञानिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रस्ताव है ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप कितने प्रश्न पूछ रहे हैं ?

**श्री सत्यगोपाल मिश्र :** अनेक प्रश्न हैं । सरकार द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है । संविधान में इसकी गारन्टी दी गई थी और इस लक्ष्य को वर्ष 1960 तक प्राप्त करना था ।

**अध्यक्ष महोदय :** ओ राम यह तो सूची है, यह प्रश्न नहीं है ?

**श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या सरकार हमारे देश में बच्चों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय बजट को 10 प्रतिशत भाग खर्च करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय :** ये प्रश्न अनुपूरक किस्म के प्रश्न हैं । अनुपूरक प्रश्न छोटे, तीक्ष्ण और लक्ष्य भेदने वाले होते हैं ।

**श्रीमती शीला कौल :** महोदय 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। केवल गैर-सरकारी स्कूल ही फीस लेते हैं। लेकिन सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में फीस नहीं ली जाती। और महोदय, उन्होंने तो मेरे से अनेक प्रश्न पूछे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप सभी प्रश्न इस प्रकार नहीं पूछ सकते।

**श्री सत्यगोपाल मिश्र :** भाषा महोदय। महोदय, प्राथमिक स्कूलों से सम्बन्धित भाषा-नीति क्या है ? महोदय, यहां वे एक बात कह रहे हैं और गांव में ये दूसरी बात कहते हैं।

**श्रीमती शीला कौल :** यह क्षेत्रीय भाषा है। बच्चे को मात्र भाषा पढ़ाई जाती है।

**सत्यगोपाल मिश्र :** केवल मातृ भाषा या कुछ और भी ?

**श्रीमती शीला कौल :** प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा के जरिये शिक्षा दी जाती है।

**श्री विलास मुत्तेमवार :** पिछले दिनों कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नैनीताल के एक पब्लिक स्कूल में एक छात्र ने जब हिन्दी बोल दी थी तो उसकी वजह से उसके टीचर ने उसका अपमान किया था, उसको मारा था और क्या यह सही नहीं है कि इस सार्वजनिक अपमान के कारण उस लड़के ने आत्म हत्या कर ली थी ? उस किशोर की आत्म हत्या का यह जो सवाल है। उसकी तरफ शिक्षा मन्त्रालय का ध्यान गया है ? क्या उसको इसकी जानकारी है और अगर है तो उस दिशा में सरकार ने क्या किया है ? अंग्रेज तो यहां से चले गए हैं लेकिन आज भी जो लोग अपनी क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनके साथ ऐसा बरताव किए जाए तो क्या एक गम्भीर मामला नहीं हो जाता है और क्या इसको तरफ शिक्षा मंत्रालय का ध्यान आ गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न से सम्बन्धित विषय नहीं है। यह अप्रासंगिक है। हमने 377 के अधीन इसकी ओर पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अब, श्री जगदीश टाईटलर।

**श्री जगदीश टाईटलर :** अभी जब मेरे मित्र रामस्वरूप जी पब्लिक स्कूलों को बन्द करने के बारे में बोल रहे थे, तो आपने देखा होगा कि सरकारी पक्ष और विपक्ष, दोनों ही तरफ से इसके लिए आज सहमति थी। मुझे, स्कूल चलाने वाले एक व्यक्ति के रूप में इस पर आश्चर्य है। जो लोग यहां बैठे है, उनमें से 70 प्रतिशत से भी अधिक लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने सम्भवतः कम अनुमान लगाया है। यह संख्या 90% तक हो सकती है।

**श्री जगदीश टाईटलर :** यहां ऐसे सदस्य हैं, जो अपनी अथवा अपनी पार्टी की पृथक विचारधारा के बावजूद अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पब्लिक

स्कूल रहने चाहिए अथवा नहीं रहने चाहिए। यह निर्णय लेना सरकार का काम है। हम सरकार का निर्णय स्वीकार करेंगे। लेकिन पब्लिक स्कूल क्या राष्ट्रीय धारा को वास्तव में नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्या ये राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को वास्तव में नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस सम्बन्ध में मेरा सीधा प्रश्न यह है। (व्यवधान) ऐसा मत कहिए; आप ही ऐसे लोग हैं, जो अपने बच्चों के दाखिले के लिए मेरे पास पत्र भेजते हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया शांत रहे।

**श्री जगदीश टाइटलर :** मेरा सुस्पष्ट प्रश्न यह है : बच्चों की शिक्षा के लिए जो विभिन्न किस्म के स्कूल इस समय चल रहे हैं, उनमें क्या-क्या गुण और दोष पाए गये है? क्या इस प्रकार के स्कूलों को समाप्त करने से शिक्षा और शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में वेहतरी के लिये शिक्षा-विदों में स्वस्थ और स्पष्ट प्रतियोगी भावना भी समाप्त नहीं हो जाएगी? सरकार पब्लिक स्कूलों की प्रतिस्पर्द्धा में अपने स्कूलों का स्तर उठाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

**श्रीमती शीला कौल :** कुछ केन्द्रीय स्कूल खोलने के द्वारा हमने इसकी दिशा दिखा दी है। और मेरा विश्वास है कि जनता में उनका स्वागत हुआ है, क्योंकि और केन्द्रीय स्कूल खोलने की जबर्दस्त मांग है। यह बात यह दर्शाती है कि केन्द्रीय स्कूल खोलने के द्वारा दर्शाई गयी दिशा का जनता में स्वागत हुआ है।

**श्री रामावतार शास्त्री :** क्या यह सच है कि देश के कई शिक्षक संघों ने मांग की है कि भारत के सभी स्कूलों के लिए एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए? अगर की है तो एक ही पाठ्यक्रम बनाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है और उसका क्या नतीजा निकला है?

**श्रीमती शीला कौल :** अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। यह कहा गया था कि कामन शिक्षा प्रणाली बननी चाहिए और उसके उत्तर में मैंने इसका जिक्र किया था। कनसलटेटिव कमेटी जो पार्लिमेंट की है उसमें भी यह सवाल उठा था। तब भी यह कहा गया था कि एकरूपता नहीं होनी चाहिये। मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं वे नहीं चाहते कि इस तरह की बराबरी हो। वे चाहते हैं कि उनकी अपनी जो लोकल बातें हैं, लोकल ज्योगराफी है, लोकल उनका रहन-सहन है, उनका तरीका है, उस सबकी उनके बच्चों की जानकारी हो बनिसबत इसके कि दूर दो हजार मील पर क्या हो रहा है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है।

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** मंत्री महोदया ने बताया कि शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। पर मैं पूछना चाहती हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय तो है ही और विभिन्नता में एकता ही हमारा उद्देश्य है, जैसा राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में कहा है कि कम से कम यूनीवर्सिटी ऐजूकेशन केन्द्रीय विषय होना ही चाहिये, इसलिये मैं पूछना चाहती हूं कि आज जो विभिन्नता और ग्रुपिज्म यूनीवर्सिटी ऐजूकेशन में हो रही है क्या

उसे दूर करने के लिये मंत्री महोदया यह विचार रखती हैं कि कम से कम वाइस-चांसलर, जैसा कि राधाकृष्णन आयोग ने भी कहा है, आपकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधिकार में हो तथा अन्य जो प्रोफेसर और रीडर्स हैं उनकी नियुक्ति यू०जी०सी० के माध्यम से हो क्या इस प्रकार का आप विचार रखती हैं ?

**श्रीमती शीला कौल :** जो अभी जिक्र हुआ है हमारी कनकरेंट लिस्ट ऐजूकेशन की है और कौआर्डिनेशन ऐनश्योर करने के लिये तथा स्टैंडर्ड बनाये रखने के लिये हम उसमें दखल देना चाहते हैं। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जो हमारी नेशनल इम्पोर्टेन्स की चीज है नेशनल इंटेग्रेशन उसको प्रोमोट कर सकें, इस काम को अपने नीचे ले सकें जिससे कनकरेंसी आफ ऐजूकेशन को हम पूरा कर सकें। इसके अलावा हम किसी तरह का इंटरफीयरेंस नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको बढ़ायें इसलिये कनकरेंसी में लिया है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जो एक स्टेट का विषय है शिक्षा का उसमें किसी प्रकार का दखल दें।

**श्री चतुर्भुज :** अध्यक्ष महोदय, शिक्षा महत्व का विषय है और इस पर दो मिनट में कोई विचार नहीं हो सकता। आज जाति से लेकर धर्म, सम्प्रदायों के स्कूल देश में चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकते हैं, अनुशासन बना कर रख सकते हैं और 90 प्रतिशत गांवों में रहने वाले लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से एकरूपता ग्रहण कर सकते हैं। यही कारण है कि हम कहीं के नहीं रहते। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहे हैं जिसके अन्दर राष्ट्रीयता और राष्ट्र हमारा जिन्दा रहे ताकि विद्यार्थियों में एकता हो। ऐसा कोई प्रयास है ?

**श्रीमती शीला कौल :** मैंने अभी कहा है कि टाइप आफ ऐजूकेशन जो है वह विभिन्नता को देखते हुए एक सी नहीं हो सकती।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाज के जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मुदालियर समिति, राधाकृष्णन समिति जैसी समितियों तथा कोठारी आयोग ने कुछ उत्कृष्ट सिफारिशें की थीं, उन सब सिफारिशों के बावजूद शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। आपको शासन में आए काफी समय बीत चुका है। क्या आप शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाने और राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के बारे में कोई कार्यवाही करने वाले हैं, ताकि शिक्षा के सम्बन्ध में कोई मानक नीति तैयार हो सके ?

**श्रीमती शीला कौल ;** मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहती हूं कि विभिन्न समितियों की उन सभी सिफारिशों को, जिनका अभी उन्होंने जिक्र किया है, हमने सभा पटल पर रख दिया है।

## मानसिक दुर्बलता की रोकथाम

* 481-क. श्री० के० लकप्पा
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर के वैज्ञानिकों के एक दल ने मानसिक दुर्बलता के अनेक रूपों को पहचानने और उनकी रोकथाम करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्स्टीट्यूट के प्रमुख वैज्ञानिकों के अनुसार अब नवजात बच्चों की मानसिक दुर्बलता का पता लगाया जा सकेगा और प्रभावी चिकित्सा हो सकेगी; और

(घ) सारे देश में अस्पतालों में इस नई उपलब्धि के अनुसार कब तक काम होने लगेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह सिद्ध हो चुका है कि जब इसकी आरम्भ में पहचान हो जाती है तो जन्मजात उपापचयी कमियों के कारण होने वाली मानसिक दुर्बलता का उपचार उपयुक्त आहार चिकित्सा से किया जा सकता है। इस संस्थान में विकसित स्क्रीनिंग कार्यक्रम में नवजात शिशु के शरीर से खून की एक बूंद ली जाती है और उसकी क्रोमेटोग्रोफी द्वारा ऐमिनो अम्ल के लिए विश्लेषण किया जाता है। एमिनो अम्ल विशेष रूप से फेनिलीन की बहुतायता जनन विकार की द्योतक होती है। परीक्षण सरल, अपेक्षाकृत कम खर्चीला और इसमें आधुनिक उपकरणों के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं होती है।

(घ) इस स्क्रीनिंग कार्यक्रम को देश भर में अस्पतालों में थोड़े ही समय में यदि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाये और नमूनों को एकत्रित करने के लिए तथा संदिग्ध मामलों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सुविधाएं जुटायी जायें। संस्थान लगभग एक वर्ष में आवश्यक प्रशिक्षण देने की स्थिति में हो जायेगा।

**श्री के० लकप्पा** : चार वर्ष पहले भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शिशुओं में विभिन्न प्रकार की मानसिक खराबियों का पता लगाने में भारी सफलता अर्जित की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विज्ञानिक अनुसन्धान के निष्कर्षों और सुझावों को विभिन्न अस्पतालों में भी शुरू किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर यह था कि इसमें उचित

कम समय लगेगा। अनुसन्धान के ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि लाखों शिशु विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों के शिकार हो चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश के विभिन्न संस्थानों और विभिन्न अस्पतालों में इन अनुसन्धानों और निष्कर्षों को कैसे कार्यान्वित किया जायेगा।

**श्रीमती शीला कौल :** आनुवंशिक खराबी और मानसिक विकार में सम्बद्धता के बारे में बहुत पहले ही जाना जा चुका था और अनेक देश नवजात शिशुओं की नियमित स्क्रिनिंग करते हैं। लेकिन भारत में यह पहली बार हुआ है कि बंगलौर में स्क्रिनिंग-कार्यक्रम शुरू किया गया है और जांच की गई हैं। इस प्रकार की निदान प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का, जहां तक भारत का सम्बन्ध है, शीघ्र पता लगाना एक भारी सफलता है। और हमें इस बात पर अत्यधिक गर्व है कि बंगलौर के इस संस्थान के हमारे युवा विज्ञानिकों ने हमारे देश के लिए कुछ करने में सफलता अर्जित की है। इसे व्यवहार्य रूप में तब ही अपनाया जा सकता है, जब स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें हमारी मदद करे, क्योंकि प्रणाली की खोज तो हम कर चुके हैं लेकिन इसे अस्पतालों के माध्यम से ही कार्यान्वित किया जाना है।

**श्री के० लकप्पा :** विज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न अस्पतालों और चलते-फिरते चिकित्सालयों में भी इस प्रणाली को प्रयोग में लाने पर कोई भारी धनराशि खर्च नहीं होगी। इस तंथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि माननीय मंत्री जी कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं—मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप उस तरफ देख रहे हैं—मैं यह जानना चाहता हूं.....

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

**श्री के० लकप्पा :** मुझे मालूम हैं कि आपके कान खुले हुए हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है "उचित कम समय में।" देश में इस मामले के बारे में भारी चिन्ता की दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से कब बातचीत करेंगी, जिसके लिए कोई अधिक धनराशि खर्च नहीं होगी ?

**श्रीमती शीला कौल :** इन नए निष्कर्षों से हमें अत्याधिक प्रसन्नता हुई है और हम शीघ्र ही स्वास्थ्य मंत्री जी से इस विषय में बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यहां मौजूद हैं और उन्होंने हर बात सुन ली है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस विषय में किसी भी अन्य व्यक्ति से उन्हें ज्यादा जल्दी होगी।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर :** मन्त्री महोदय ने बताया है कि मानसिक दुर्बलता का पता लगाने और उसको रोकने के लिए टेस्ट किया जाता है, वह सरल है, उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होता है और कोई सोफस्टिकेटिड एक्विपमेंट भी प्रयोग में नहीं आता है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह इस योजना को रीजनेवली शार्ट टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगी। मैं पूछना चाहता

हूं कि क्या यह सम्भव हो सकेगा कि 1981-82 में मानसिक दुर्बलता को रोकने के लिए सारे देश में सभी अस्पतालों में कार्यक्रम चलाया जाए।

**श्रीमती शीला कौल :** मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। मैंने तो यही कहा है कि हमारे मिनिस्टर आफ हैल्थ यहां बैठे हैं और उनको भी यह सुनने का मौका मिला है कि इस सम्बन्ध में कितना बड़ा काम हुआ है। मैं समझती हूं कि यह काम बहुत जल्दी किया जायेगा।

**श्री जगपाल सिंह :** बंगलौर में मानसिक दुर्बलता का जो ऐनेलेसिस या विश्लेषण किया गया है, क्या उससे यह पता चला है कि पौष्टिक आहार की कमी भी मानसिक दुर्बलता का एक कारण है ? आज भी हमारे देश में ऐसी करोड़ों माताएं हैं—पौष्टिक आहार मिलने की बात तो छोड़िए जो छोटे बच्चे के खाना मांगने पर उसको पीटती हैं कि वह खाना क्यों मांगता है। यदि पौष्टिक आहार की कमी भी मानसिक दुर्बलता का एक कारण बताया गया है, तो क्या मन्त्री महोदय ने, जिनके पास समाज कल्याण मन्त्रालय भी है, करोड़ों बच्चों को पौष्टिक आहार देने की किसी योजना पर विचार किया है; यदि हां, तो उस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

**श्रीमती शीला कौल :** मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ा सुन्दर सवाल पूछा है। मैं भी एक महिला हूं और मैं समझती हूं कि यह एक बहुत अच्छा सवाल है। यह बात सही है कि मैलन्यूट्रीशन से मेन्टल रिटार्डेशन होता है। बच्चा पैदा होने से पहले अगर मां को न्यूट्रीशन सही नहीं मिलता है—उसको सही मात्रा में प्रोटीन्ज नहीं मिलते हैं, तो बच्चे के ब्रेन की फार्मेशन में फर्क जरूर पड़ता है। सरकार इस कोशिश में है कि गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से भोजन दिया जाए। छोटे बच्चों के लिए दूध का इन्तजाम है, लेकिन यह उन्हीं पर मुनहसिर है कि वे आएं और उसको लें।

**श्रीमती कृष्णा साही :** क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों द्वारा एन्टे-नेटल और प्री-नेटल क्लिनिक चलाए जाते हैं ? क्या मैं मन्त्री महोदय से यह अपेक्षा करूं कि वह स्वास्थ्य मन्त्री से समन्वय करके एन्टे-नेटल और प्री-नेटल क्लिनिक्स में इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए कोई कारगर कदम उठायेंगी, ताकि नवजात शिशुओं को मेन्टली रिटार्डिड होने से रोका जा सके ?

**श्रीमती शीला कौल :** मान्यवर, यह जो मेरी बहन ने प्रश्न पूछा है यह इस सवाल से नहीं उठता है क्योंकि हम तो जेनेटिक डिसआर्डर की बात कर रहे हैं।

## महिला यात्रियों की सहायता की सहायता के लिए महिला पुलिस

*482. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मद्रास रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है कि वे महिला यात्रियों के गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने के लिए टैक्सियों आदि का प्रबन्ध करने में, आगे की यात्रा के लिए गाड़ियां पकड़ने में तथा रात भर ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था करने में सहायता करें; और

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या है जहां महिला यात्रियों के लिये इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है अथवा करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) जी हां, मद्रास सेण्ट्रल स्टेशन पर एक महिला हैड कांस्टेबुल और 3 महिला पुलिस कांस्टेबुलों को तैनात किया गया है।

मद्रास—एपम्बूर स्टेशन पर भी इतनी ही संख्या में महिला हैड कांस्टेबुल और महिला पुलिस कांस्टेबुल तैनात किये गये हैं।

बूथों पर तैनात ये महिला कर्मचारी, इन स्टेशनों पर समय कुसमय उतरने वाली महिला यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने में उनके लिए आटो रिक्शाओं और टैक्सियों आदि का प्रबन्ध करके उनका मार्ग-दर्शन करती हैं।

(ख) जिन अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महिला पुलिस की तैनाती की गयी है, उनके नाम इस प्रकार हैं—मध्य रेलवे पर दादर, विक्टोरिया टर्मिनस, पुणे, कल्याण, भुसावल, नागपुर, दक्षिण मध्य रेलवे पर हुबली, औरंगाबाद, पूर्णा, जालना, अकोला, पूर्व रेलवे पर पटना। ये महिला सम्बन्धित राज्यों के उप-महानिरीक्षक पुलिस (रेलवे) द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार कार्य करती है।

दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर महिला पुलिस तैनात करने के एक प्रस्ताव का विचार किया जा रहा है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल मद्रास तक सम्बन्धित नहीं है। पुलिस तो सारे देश में फैली हुई है और महिलाएं सारे देश में यात्रा करती है। मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास के अलावा और किन स्थानों पर पुलिस के अन्तर्गत महिला पुलिस की व्यवस्था है ?

**अध्यक्ष महोदय** : स्टेटमेंट में दिया हुआ है।

**श्री मल्लिकार्जुन :** इस समय यह व्यवस्था केवल मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर ही नहीं है बल्कि अन्य स्टेशनों पर भी है जैसे विक्टोरिया टर्मिनस, दादर, पुणे, कल्याण, मुसावल, नागपुर, दक्षिण मध्य रेलवे पर हुबली, औरंगाबाद, पुर्णा, जालना, अकोला और पूर्व रेलवे पर पटना में भी यह व्यवस्था है। महिला यात्रियों की रक्षा के लिए महिला हैड कांस्टेबल और कांस्टेबलों की इस तरह से पोटिंग की गई है और वह डी. आई. जी. आर. पी. एफ. के अन्तर्गत रहती हैं। उनका काम महिला यात्रियों को अपनी जगह पर पहुंचने में सहायता देने का है।

**श्रीमती कृष्णा साही :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि वह वैचलर हैं लेकिन महिलाओं का इतना ध्यान रखते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** तभी तो वैचलर रहे हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, यह बात समझ में नहीं आई, इस जवाब में केवल महाराष्ट्र के स्टेशनों का ही उल्लेख हुआ है, क्या महाराष्ट्र के अलावा जो रेलवे स्टेशन हैं उनमें महिला पुलिस की आवश्यकता नहीं है ? आप नाम देखिए, दादर, विक्टोरिया टर्मिनस, पुणे, मुसावल, नागपुर इत्यादि दिए हैं। अगर यह अन्तुले साहब का असर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** महाराष्ट्र के अलावा भी बताया गया है।

**श्री के० मायातेवर :** तमिलनाडु राज्य में चुनी गई और नियुक्त हुई महिला रेलवे पुलिस की प्रतिशतता क्या है ? क्या यह सच नहीं कि पुलिस के रूप में महिलाओं को नियुक्त करना असुरक्षित है, क्योंकि उनके लिए बन्दोबस्त करना अपेक्षित है ?

**श्री मल्लिकार्जुन :** इस समय यह सूचना मेरे पास विद्यमान नहीं है।

## वाणिज्य पद्धति संस्थान और महारानी बाग पालिटेक्नीक इंस्टीट्यूट, दिल्ली द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफी डिप्लोमा पाठ्यक्रम न चलाया जाना

*483 : **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "वाणिज्य पद्धति संस्थान" और महारानी बाग पोलीटैक्नीक इन्स्टीट्यूट, दिल्ली द्वारा केवल अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर हिन्दी स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम न चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टेनोग्राफी डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा जिससे कि केन्द्र सरकार की नीति सफल हो सके ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** :(क) और (ख) किसी भी संस्थान में आशुलिपि में ऐसे किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं है। "वाणिज्य पद्धति संस्थान (इंस्टीट्यूट अ.फ कामर्शियल प्रैक्टिस") में हिन्दी अंग्रेजी आशुलिपि में एक वर्ष की अवधि वाले एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। महिला पालीटैक्निक, महारानी बाग और साथ ही वाणिज्य पद्धति संस्थान में भी अंग्रेजी आशुलिपि को सचिवालय पद्धति के दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषयों में से एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया।

(ग) आशुलिपि एक दक्षता-उन्मुख कार्यकलाप है और एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस कार्यकलाप में पर्याप्त दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रशिक्षण की अवधि 2/3 वर्ष की डिप्लोमा पाठ्यक्रम के स्तर तक बढ़ाने की न तो आवश्यकता है और न ही उसका औचित्य है।

**श्री हीरालाल आर० परमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीस वर्षों से हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी को 50 परसेन्ट से ज्यादा की बात कही है। मैं सारे देश की बात न कहकर मात्र भारत की राजधानी, दिल्ली में जो दो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें कितने बच्चे अंग्रेजी में और कितने बच्चे हिन्दी में पढ़ रहे हैं—यह जानकारी मैं माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं।

**श्रीमती शीला कौल** : आई. टी. आई. इंस्टीट्यूट्स, जिनमें स्टेनोग्राफरी पढ़ाई जाती है उसके आंकड़े मैं दे रही हूं। मालवीय नगर में 96, तिलक नगर, अरब की सराय में 55 जेलरोड़ पर 86 हैं। शाहदरा में 38 हैं अंग्रेजी में और 40 हैं हिन्दी में। सब्जी मण्डी में 86 अंग्रेजी में हैं। कर्जन रोड़ पर 80 हैं और हिन्दी में 43 हैं। नरेला में 38 हैं अंग्रेजी में और हिन्दी में कोई दाखिल ही नहीं हुआ। पूसा में 95 हैं अंग्रेजी में और 52 हैं हिन्दी में।

**श्री हीरालाल आर० परमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने संसत्सदस्यों की एक हिन्दी भाषा कमेटी बनाई है जिसने विदेशों का दौरा किया है। इस हिन्दी भाषा कमेटी की जो प्रोसीडिंग्ज चलती हैं वह अंग्रेजी में चलती हैं, क्या यह बात सही है, यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

**श्रीमती शीला कौल** : इसके बारे में मुझे पता नहीं है।

———

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को देयधन राशि

* 479 श्री दलवीर सिंह
श्री बी० आर० नहाटा } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को 31 मार्च, 1980 तक विद्युत प्रभार के रूप में कितनी राशि देय थी और भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से चालू वर्ष में कितनी बिजली खरीदी है; और

(ख) भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय)**: (क) चार क्षेत्रीय रेलें, अर्थात् मध्य, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे स्टेशनों, बस्तियों, कारखानों और बिजली कर्षण के लिए बिजली मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से लेती हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने उनको रेल प्रणाली के लिए 31-3-80 तक जो बिजली ऊर्जा सप्लाई की है, उसके लिए इन रेलों को उसे कोई रकम देना बाकी नहीं है। चालू वर्ष के दौरान 1-4-81 से 31-7-81 तक रेलों द्वारा खपत की गयी कुल बिजली 933 लाख यूनिट है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### वेगनों और यात्री डिब्बों का निर्माण

* 484 श्री ए० ए० रहीम
डा० बसन्त कुमार पण्डित } : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 में कितने वेगनों और यात्री डिब्बों का निर्माण हुआ;

(ख) देश में रेल वेगनों और यात्री डिब्बों की माँग पूरी होने में कितनी कमी है; और

(ग) क्या वेगनों और यात्री डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के और कारखाने लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

#### विवरण

(क) 1980-81 की अवधि में देश में निर्मित माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) माल | — | 12,064.5 (चौपहियों के हिसाब से) |
| (2) सवारी डिब्बे | — | 922 (वाहन यूनिट) |

(ख) पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्धारित माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की प्राप्ति से माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की मांग का पता चलता है। चालू छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 की अवधि के दौरान चौपहियों के हिसाब से 1,00,000 माल डिब्बे और 6,000 से अधिक सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ी के डिब्बों सहित) प्राप्त करने की व्यवस्था है। वर्षानुवर्ष खरीद की योजना वार्षिक योजना में आवंटित धन राशि के आधार पर बनायी जाती है।

आशा है कि फेरों में सुधार के साथ-साथ 1,00,000 माल डिब्बों की प्राप्ति से रेलें माल डिब्बों की मांग को पूर्णतया पूरा करने योग्य हो जायेंगी।

छठी योजना अवधि में बिजली गाड़ियों के डिब्बों सहित 6,000 से अधिक सवारी डिब्बों की प्रस्तावित खरीद से यात्री यातायात में होने वाली वृद्धि को पूरी तरह नहीं सम्हाला जा सकेगा।

(ग) देश में माल डिब्बों के निर्माण की वार्षिक संस्थापित क्षमता के हिसाब से लगभग 28,000 माल डिब्बे है और देश की यह क्षमता मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगी। फल-स्वरूप फिलहाल देश में कोई और माल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नये सवारी डिब्बों का निर्माण करके सवारी यातायात की मांगें पूरी करने के वास्ते नये सवारी डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है।

**कोयले के माल डिब्बों का बिना बारी के आबंटन**

* 485 **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्राइवेट ठेकेदारों को कोयला ढोने के लिए बिना बारी के माल डिब्बों का आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अप्रैल से जुलाई, 1981 की अवधि में बिना बारी के कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** (क) और (ख) जहां उद्योग/उपभोक्ताओं ने कठिनाई व्यक्त की है वहां कुछ मामलों में 'बिना बारी के आधार पर' राज्य सरकार/प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार ही कुछ मामलों में तदर्थ सहायता की व्यवस्था की गई है।

निजी ठेकेदारों को सीधे कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) अप्रैल-जुलाई के महीनों के दौरान विभिन्न रेलों पर कोयले के लदान के लिए इस प्रकार आवंटन किये गये माल डिब्बों की संख्या लगभग 7,000 है।

**दिल्ली और गुजरात को नियन्त्रित कागज की सप्लाई**

*486. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा गुजरात की गत तीन वर्षों में नियंत्रित कागज की आवश्यकता कितनी-कितनी थी तथा उन्हें वास्तव में कितना नियन्त्रित कागज दिया गया :

(ख) क्या उन्हें उनकी आवश्यकता से कम ऐसा कागज दिया गया और यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ;

(ग) यदि हां, तो उनकी सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) 1981 और 1982 के दौरान अनुमानित आवश्यकता तथा सप्लाई के कितना-कितना होने की सम्भावना है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली और गुजरात द्वारा अधिसूचित नियन्त्रित कागज की कुल आवश्यकता तथा आबंटन इस प्रकार है :—

| | दिल्ली (टनों में) | | गुजरात (टनों में) | |
|---|---|---|---|---|
| | आवश्यकता (टनों में) | आबंटन (टनों में) | आवश्यकता (टनों में) | आबंटन (टनों में) |
| 1978-79 | 12658 | 8243 | 16058 | 11470 |
| 1979-80 | 10029 | 6232 | 17610 | 10587 |
| 1980-81 | 8682 | 5011 | 15120 | 8570 |

(ग) रियायती कागज की बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्धता के कारण किसी भी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है। जब भी कागज की उपलब्धता सुधरती है, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किये जाते हैं।

(घ) विभिन्न सम्बन्धित बातों पर आधारित होने के कारण आवश्यकता तथा आपूर्ति का पहले से ही अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

**विकलांग तथा नेत्रहीन लोगों को बेरोजगारी भत्ता**

* 487. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक दृष्टि से विकलांग तथा नेत्रहीन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के सुधारने में जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उन्हें कुछ छात्र वृत्तियां देने अथवा उनके भावी जीवन को सुधारने के लिए कुछ अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

(क) विकलांग व्यक्तियों, जिनमें दृष्टिहीन व्यक्ति शामिल हैं, को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विधि निर्माण के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित किए गए कार्यदल को भेज दिया गया है । कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । यह प्रस्ताव राज्य सरकारों को भी विचारार्थ भेज दिया गया है ।

(ख), (ग) और (घ)-14 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इसलिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । नेत्रहीन बधिर और अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत विकलांग छात्रों को नवीं कक्षा से आगे की शिक्षा के लिए तथा व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । वर्ष 1981-82 के लिए इस योजना हेतु 69 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1980-81 के दौरान लगभग 10,000 छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियां/वजीफे देने के लिए राज्यों को 61.08 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी । आठवीं कक्षा तक अध्ययन करने हेतु विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार

गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, गोआ दमन और दीव, तथा पांडचेरी की अपनी योजनाएं हैं। केन्द्रीय सरकार ने अन्य सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे कक्षा 8 तक अध्ययन के लिए विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए योजनाएं बनाएं।

**भारतीय दूतावासों द्वारा व्यय में मितव्ययिता**

*488. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा प्रतिवर्ष कितना खर्चा किया जाता है; और

(ख) खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों पर वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान कुल मिलाकर 36·65 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

(ख) विदेशों में खर्च को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें मोटे तौर पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है :

(1) विदेशों में रोजमर्रा के ऐसे काम को समाप्त करने अथवा उसे कम करने के उद्देश्य से जो मुख्यालय में भी उतनी ही अच्छी तरह किया जा सकता हो, कार्मिकों और उनकी सेवा-शर्तों से सम्बद्ध वित्तीय और प्रशासनिक नियमों और विनियमों की निरन्तर समीक्षा और उनमें संशोधन ;

(2) इस प्रकार बड़े मिशनों में जो अमला कम होगा उसे खाड़ी के क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थित ऐसे मिशनों में भेजना जहाँ काम का बोझ अधिक हो और इस तरह इन मिशनों को मुख्यालय से कार्मिक भेजने का खर्च बचाना ;

(3) जहां भी संभव होता है हम विदेशों में कार्यालय और आवासीय सम्पत्ति खरीद रहे हैं अथवा निर्माण कर रहे हैं ताकि किराया खर्च में काफी कमी की जा सके। इस नीति का दीर्घावधि प्रभाव यह होगा कि एक तो इससे सम्पत्ति की पूरी लागत वसूल हो जायेगा और इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पास अपनी बहुमूल्य स्थायी सम्पत्ति हो जायेगी;

(4) होटल के बिलों के बारे में नियमित प्रशासनिक मानदंड स्थिर कर दिये गये हैं, मिशन प्रमुख सहित सभी अधिकारियों के घरों से टेलीफोन कालों की एक अधिकतम संख्या

निश्चित की गई है, तार परिवहन और लेखन-सामग्री के खर्च को कम किया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम यह भी उठाया गया है कि विदेशों में दो तैनातियों के बीच दिल्ली में ठहरने के न्यूनतम अवधि निश्चित कर दी गई है जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा भत्ते के रूप में काफी बचत होगी जो अन्यथा विदेश में पक्ष-स्थापित कार्मिक को देना होता है।

*489. श्री रशीद मसूद
श्री राम विलास पासवान } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुम्बो माल गाड़ियों प्रत्येक वेगन में 2 टन अतिरिक्त लदान होता है और डीजल और विद्युत चालित इंजन तकनीकी रूप से निर्धारित मात्रा से अधिक भार खींचते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न रेलवे जोनों में पिछले एक वर्ष में खराब होने वाले इंजनों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जम्बो मालगाड़ियों में लगने वाले बी० सी० एक्स और सी० आर० टी० माल डिब्बों में वहन क्षमता से अधिक पांच मीटरिक टन अतिरिक्त भार के लदान की अनुमति देने के कोई अनुदेश नहीं है। वर्तमान अनुदेशों में बड़ी लाइन के सभी बंद माल डिब्बों की तरह इन माल डिब्बों में वहन क्षमता से केवल दो मीटरिक टन अधिक लदान करने की अनुमति दी गई है। गाड़ी भारों का निर्धारण विभिन्न खंडों पर अलग-अलग इंजनों की कर्षण क्षमता द्वारा किया जाता है और सभी गाड़ियों के लिए उनका अनुपालन किया जाता है जिनमें 'जम्बो' गाड़ियां भी शामिल हैं। 'जम्बो' नाम केवल कर्मचारियों की पहचान के लिए एक मार्का है कि इस गाड़ी में विशेष किस्म के माल डिब्बे लगे हुए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**मथुरा और नई दिल्ली के बीच रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना**

*490. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि मथुरा और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ियां विलम्ब से चल रही हैं;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे की गाड़ियों के लिए उत्तर रेलवे कर्मचारियों के बीच मन-मुटाव है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं। वैसे, कभी-कभी कुछ गाड़ियां देरी से चलती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मथुरा-नयी दिल्ली खंड पर चलने वाली गाड़ियों का समय-पालन पिछले कुछ महीनों से काफी संतोषजनक (75% से 100%) था।

मथुरा-नयी दिल्ली खंड पर गाड़ियों के चालन पर सभी स्तरों पर निगाह रखी जा रही है। परिहार्य रुकोनियों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों केचालन में सुधार लाने के लिए निवारक उपाय किये जा रहे हैं।

**बिरला ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा चलाई जा रही संस्थायें**

*491. **श्री रणजीत सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा उच्च शिक्षा और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी की कौन-कौन सी संस्थायें चलाई जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ;

(ग) क्या बिरला संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उम्मीदवार की योग्यता के आधार का कोई मानदंड निर्धारित किया गया है ;

(घ) क्या सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है कि बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, रांची में प्रवेश उम्मीदवारों की "मेरिट" पर आधारित नहीं होते; और

(ङ) क्या उपर्युक्त संस्थाओं के उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए वही मान्यता मिलती है जो मान्यता सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को प्राप्त है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) बिरला ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा पिलानी स्थित बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान चलाया जा रहा है, जिसमें इंजीनियरी, विज्ञान, विज्ञान मानविकी और प्रबन्ध के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। इस ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे अन्य संस्थान, जिनमें इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, निम्नलिखित है :

(1) बिरला प्रौद्योगिकी वस्त्र संस्थान, मेसरा (रांची), और

(2) प्रौद्योगिकी वस्त्र संस्थान, भिवानी (हरियाणा)

बिरला ग्रुप द्वारा चलाई जा रही कालेज स्तर की जिन संस्थाओं में कला और विज्ञान के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, तत्सम्बन्धी सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

(ख) सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त तीन संस्थाओं को अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाने के लिए कोई अनुरक्षण अनुदान नहीं दिया जाता। सरकार मेसरा (रांची) और भिवानी स्थित संस्थाओं को अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिलानी स्थित संस्थान को अनुमोदित योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार विकास अनुदान देता है।

(ग) मेसरा (रांची) और भिवानी स्थित संस्थानों में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिले, इन संस्थानों द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किये जाते हैं। पिलानी स्थित संस्थान 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिला करता है।

रांची और भिवानी स्थित संस्थानों में कुछ स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा कुछ प्रबन्धक के मनोनीत छात्रों के लिए आरक्षित होते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर पिलानी स्थित संस्थान विशेष ध्यान दिया जाता है।

(घ) बिहार के विश्वविद्यालय (सेवा) अध्यापक संघ फेडरेशन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखे एक पत्र में यह आरोप लगाया है कि न्यूनतम अपेक्षित अर्हताओं तथा प्रवेश परीक्षा में बैठे बिना छात्रों को दाखिल किया गया है और संस्थान में दाखिले योग्यता की अपेक्षा अन्य असंगत बातों पर आधारित होते हैं।

(ङ) जी, हां।

## राष्ट्रीय रेलवे खान-पान परामर्शदात्री परिषद्

*492. **श्री एम० अरुणाचलम्** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रेलवे खानपान परामर्शदात्री परिषद् की राज्यवार और रेलवे-जोनवार रचना क्या है; और

(ख) अन्य राज्यों को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) राष्ट्रीय रेलवे खान-पान परामर्श परिषद् की रचना इस प्रकार है :—

**नाम** :

1. पं० रघुनन्दन तिवारी, रेल निवासी नई दिल्ली।
2. श्री रमेश जयदका, जनपथ, नई दिल्ली।
3. डा० एस. पी. पांडेय, जौनपुर उ०प्र०।
4. श्री नरेन्द्र पति त्रिपाठी, गोरदारीबाग, पटना।
5. श्री विद्यानन्द शुक्ला, पश्चिम चम्पारन विहार।
6. श्री विद्यानन्द पांडेय, जमशेदपुर, विहार।
7. श्री रवि कृष्ण दत्ता, गाजीपुर, उ०प्र०।
8. श्री जवाहर प्रसाद सिंह, सोनपूर, सारन विहार।
9. श्री हमीदशाह बेंगलूरु।
10. श्री पृथिपाल सिंह, मेरठ कैन्ट, उ० प्र०।
11. श्री जगदीश्वर रेड्डी हिमायत नगर, हैदराबाद।
12. श्री रघुनाथ पांडेय, विधायक बिहार।
13. श्री चिन्तामणि उपाध्याय, पटना।
14. श्री एस० प्रकाश, पुसल बस्ती, हैदराबाद।
15. श्री शम्भूनाथ झा राजेन्द्र नगर, पटना।
16. श्री रवीन्द्रमणि त्रिपाठी, खुखुण्डु, देवरिया उ० प्र०।
17. डा० हरभजनसिंह, फिरोजपुर, पंजाब।
18. श्री चन्दन बागची, पटना कैन्ट, बिहार।
19. डा० अदानन खान सिवान, बिहार।

(ख) राज्यों अथवा रेलवे जोनों के आधार पर सदस्य नहीं लिये गये हैं।

**कम दूरी की रेलगाड़ियां चलाने पर वित्तीय हानि**

*493. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम दूरी वाली रेलगाड़ियां चलाने पर सरकार को वित्तीय हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए सरकार का विचार कम दूरी वाली रेलगाड़ियों के किराये में वृद्धि करने का है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) वर्तमान लेखा प्रणाली में, भिन्न-भिन्न गाड़ियों की आमदनी और खर्च के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। इसलिए भिन्न-भिन्न गाड़ियों के लाभ या हानि के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, नमूना अध्ययन करने पर पता चला है कि कम दूरी की गाड़ियों के संचालन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निवेश की लागत में वृद्धि और संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए रेल किरायों में संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है।

**अस्पताल चलाने के लिए मद्रास में एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाना**

*494. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पताल चलाने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति से मद्रास में एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपक्रम को किन्हीं वित्तीय संस्थानों ने ऋण दिये हैं अथवा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) मद्रास में एक अस्पताल एवं होटल काम्लेक्स स्थापित करने के लिए मै० अपोलो हास्पिटल्स एन्टरप्राइज लिमिटेड, मद्रास नाम की एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई गई है। अस्पताल खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(ख) और (ग) मद्रास में नये अस्पताल काम्लेक्स के लिए 2.5 करोड़ रुपये की ईक्विटी जुटाने के लिए सरकार इस कम्पनी के प्रस्ताव से, सिद्धान्त रूप से, सहमत हो गई है।

**पनामा में पंजीकृत मालावाही पोत 'प्रिमरोज'**

* 495. **श्री मनोरंजन भक्त**
**श्री बागुन सुम्बरुई** } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पनामा में पंजीकृत 'प्रिमरोज' नामक मालवाही पोत कुछ समय पूर्व अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सेन्टीनल द्वीप के निकट भू-ग्रस्त हो गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बारे में ब्यौरे क्या हैं कि पोत अपने मार्ग पर भू-ग्रस्त हुआ था अथवा अपने मार्ग से भिन्न मार्ग पर; और

(ग) क्या यह सच है कि पोत ने भारत सरकार को सूचना दिए बिना सिंगापुर की एक कंपनी वहां से निकालने की व्यवस्था करने को कहा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

"प्रिमरोज" नाम पनामी जहाज बंगला देश में चलना पत्तन से आस्ट्रेलिया फ्रीमेंटन के लिए 31-7-1981 को 7.00 बजे (जी०एम०टी०) रवाना हुआ था। जब यह जहाज चलना पत्तन से रवाना हुआ उस समय मौसम बहुत खराब था और आकाश में नक्षत्र व तारे इत्यादि दिखाई नहीं देने के कारण इस जहाज की कोई कक्षा निर्धारित करना कठिन था। 2-8-1981 को मौसम और अधिक खराब हो गया था और पानी लगातार बरस रहा था। रडार की सहायता से भी स्थल का कोई पता नहीं चल रहा था। यह जहाज सारा दिन कहीं खड़ा नहीं किया जा सका। 17.40 बजे (जी०एम०टी) जहाज का सम्पर्क एक अपरिचित स्थल से हुआ जो बाद में ज्ञात हुआ कि यह द्वीप है। यह जहाज इस द्वीप के निकट एक चट्टान से जा लगा जो द्वीप के चारों ओर थीं। जहाज की कक्षा के बारे में यह पता चला कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नार्थ सेंटीनल द्वीप पर भूग्रस्त हो गया है।

स्मिथ इंटरनेशनल लाइन ईस्ट एशियाई नामक सैलवेज कंपनी ने 'प्रिमरोज के मालिकों के साथ लायड सैल्वेज करार किया है जिसके तहत उन्हें इस जहाज को सैलवेज करने का एकाधिकार दिया गया है। चूंकि "प्रिमरोज" भारतीय समुद्री सीमा में क्षतिग्रस्त हुआ है इसलिए सैलवेज कम्पनी मालिकों ने अपने एजेण्टों को यह सलाह दी कि वे जहाज को सैलवेज करने से पहले इसके

लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर लें। यह जहाज पूरी तरह परित्यक्त है और इस क्षति-ग्रस्त जहाज को हार्बर मास्टर, पोर्ट ब्लेयर ने अपने अधीन ले लिया है।

**समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

*496. **श्री भोगेन्द्र झा**
**श्री हरिनाथ मिश्र** } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य के सम्बन्ध में जिसका उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा इस वर्ष के शुरू में किया गया था, अब तक वास्तव में क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या दरभंगा-जयनगर रेल लाईन को बदलने के बारे में सर्वेक्षण कार्य 30 जून, 1981 से पहले पूरा किया जा चुका था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल लाईन को बदलने के लिये वास्तव में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) समस्तीपुर दरभंगा लाइन के आमान परिवर्तन 1981-82 के दौरान 50 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। 19-4-81 को इस कार्य का उद्घाटन किया गया था। खास-खास कर्मचारियों को क्षेत्र कार्य के लिए तैनात कर दिया गया है और मिट्टी डालने के कार्य, सीमेंट के गोदाम और स्टोर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) दरभंगा-सकरी-जयनगर खंड की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में (68 कि०मी०) बदलने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य 30-6-1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है। आशा है कि सितम्बर, 1982 तक रिपोर्ट को संकलित करके प्रस्तुत कर दिया जायेगा। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इस मामले की जांच की जाएगी और यदि अर्थक्षम पाया गया तो इस परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा बशर्ते कि योजना आयोग इसे अपनी स्वीकृत दे दे और धन राशि आवंटित कर दे।

**बंगला देश द्वारा नव मूर द्वीप में अनाधिकृत प्रवेश**

*497. **श्री हरीचन्द्र सिंह रावत**
**श्री बालकृष्ण वासनिक** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश अधिकारियों द्वारा नव मूर द्वीप में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के प्रयासों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : कुछ समय पहले न्यू मूर द्वीप के क्षेत्र में बंगलादेश की नौसैनिक गतिविधियों में कुछ तेजी आयी थी। जैसाकि मैंने 20 अगस्त, 1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या-774 के उत्तर में सदन को सूचित किया था, इस मामले पर दोनों सरकारें राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमें आशा है कि इस मामले को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा हल कर लेंगे जैसा कि बंगलादेश के विदेश मंत्री तथा मेरे बीच अगस्त, 1980 में सहमति हुई थी 11-13 सितम्बर, 1981 तक नई दिल्ली में समाप्त हुई बातचीत में जिसकी पुष्टि की गई थी। बंगलादेश के विदेश मंत्री की यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त प्रैस वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सभी उपलब्ध आंकड़ों की जांच के लिए विदेश सचिवों के स्तर पर शीघ्र बातचीत की जाए और इस समस्या के शीघ्र और शांतिपूर्ण हल के लिए आवश्यक कदम उठाने के विचार से विदेश मंत्रियों को रिपोर्ट पेश की जाए।

## राजधानी में हैजे के कारण हुई मौतें

*498. **श्री जनार्दन पुजारी**
**श्री लक्ष्मण मलिक** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हैजे के कारण जयप्रकाश नारायण अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में अनेकों बच्चों और व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मौतों की सूचना मिली है; और

(ग) इस महामारी के फैलने के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) 12 से 19 अगस्त, 1981 के बीच हैजा और अन्य अन्दरूनी संक्रमणों से नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में नौ बच्चे मरे जो अपक्व अवस्था के पैदा हुए थे। इसके अतिरिक्त आंत्रशोथ—हैजा के कारण संक्रामक रोग अस्पताल, किंग्सवे कैम्प में भर्ती किए गये 416 रोगियों में से सितम्बर, 1981 में पांच की मृत्यु हो गई।

(ग) 1981 में हैजा की कोई महामारी नहीं हुई और 31-8-1981 तक इस रोग से पीड़ित होने और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या से कम है। ऐसे संक्रमण के फैलने पर काबू पाने के लिए विशेष रूप से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में तात्कालिक उपाय किये गए हैं।

## शिक्षा को विकास के साथ जोड़ना

*499. **श्री राजेश पायलट** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा को विकास और रोजगार के साथ जोड़ने के लिए उदाहरणार्थ कालेजों और विश्वविद्यालयों में वनस्पति विज्ञान को वन संरक्षण, मरुस्थल को कृषि योग्य बनाने और फसलों और चारे से सम्बन्धित विकास योजनाओं के साथ जोड़ने के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो शुरू की गई पाठ्यपुस्तकों, शोध प्रबन्धों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए एक योजना प्रारम्भ की थी ताकि उन्हें क्षेत्रीय व्यावहारिक कार्य के अनुकूल बनाया जा सके जिनका स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ सीधा सम्बन्ध हो और जो प्रासंगिक हों।

(ख) और (ग) पुनर्गठित पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार, क्षेत्रीय परियोजना कार्य का निर्धारण प्रत्येक संस्था द्वारा किया जाता है जो इस बात पर निर्भर है कि उस क्षेत्र में ऐसे कार्य के लिये कितनी गुंजाइश है और उसके आसपास किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

**दिल्ली में आरक्षण सुविधायें**

*500. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आरक्षण की सुविधायें अपर्याप्त हैं जिसके फलस्वरूप लम्बी लाइनें लगी रहती है और काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण दिल्ली, विशेषकर आर० के० पुरम में टेलीफोन सुविधा के साथ एक और आरक्षण कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सभी रेल गाड़ियों में मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए कुछ सीटों के आवंटन पर विचार किया जा रहा है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए दिल्ली क्षेत्र में वर्तमान आरक्षण सुविधाएं पर्याप्त हैं। इन सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा यातायात के आधार पर अतिरिक्त बुकिंग/आरक्षण काउंटरों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, भीड़भाड़ वाली अवधि जैसे गर्मियों की छुट्टियों, पूजा की छुट्टियों, मेलों के दौरान प्रतीक्षा समय तथा काउंटरों पर पंक्तियां कम करने के लिए हमेशा पहले से ही अतिरिक्त काउंटरों पर पंक्तियां कम करने के लिए हमेशा पहले से ही अतिरिक्त काउंटर खोले जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

**दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति का घेराव**

4601. **आचार्य भगवान देव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का दिनांक 22 जुलाई, 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय में घेराव किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां।

(ख) 60-70 (साठ-सत्तर) छात्रों का एक दल, जिसका नेतृत्व जनता विद्यार्थी मोर्चा से सम्बन्धित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी कर रहे थे, नारे लगाता हुआ पहले कालेज संकायाध्यक्ष के कमरे में और बाद में कुलपति के कमरे में जबरदस्ती घुस गया। ऐसा करने में दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर की क्षति हुई। उनकी मुख्य मांगे थी : उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, पूर्वी परिसर का निर्माण और कालेजों में स्थानों की संख्या में वृद्धि और ये मांगे पहले से ही विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन थीं। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

**डीजल सप्लाई के बारे में ज्ञापन**

4602. **श्री बी० बी० देसाई**
**श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पथ परिवहन उपक्रम की ऐसोसिएशन ने यात्रियों के परिवहन के लिए विभेदीय मूल्य फार्मूला के आधार पर मूल्य पर डीजल की सप्लाई की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विकल्प में राज्य परिवहन उपक्रमों के चैयरमैनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन राज्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह मांग की है कि जैसा डीजल पर लिए गए अतिरिक्त शुल्क राज्य परिवहन उपक्रमों को वापस दिया जाए, जैसा कि ब्रिटेन में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो अपने ज्ञापन में उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) परिचालन के बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए सहायता दिए जाने सम्बन्धी मुख्य सुझाव नीचे दिए गये हैं :—

1. पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन और बिक्री कर में उपयुक्त रियायत दी जाए या विकल्प के रूप में इस तरह की खरीद के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिया जाए ।

2. यात्री गाड़ियों के लिए डीजल आयल डिफरेंशियल प्राइसिंग फार्मूले पर आधारित कम कीमत पर दिया जाए, या विकल्प के रूप में डीजल आयल पर उत्पादन शुल्क राज्य परिवहन उपक्रमों को वापस किया जाए ।

इन सुझावों पर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

**अल्प अवधि चिकित्सा पाठ्यक्रम, कोल्हापुर, के छात्रों से अभ्यावेदन**

4603. **श्री आर० के० महालगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के अल्पावधि चिकित्सा पाठ्यक्रम के छात्रों से दिनांक 6 मई, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां ।

(ख) इस अभ्यावेदन में यह आग्रह किया गया है कि महाराष्ट्र के पांच केन्द्रों में जिस अल्पावधि चिकित्सा पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है उसे समाप्त न किया जाए । इसके विपरीत इसकी अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर साढ़े चार वर्ष की जानी चाहिए जिससे इसके स्तर में सुधार हो सके ।

इस अभ्यावेदन को महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दिया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**इंजीनियरी विभाग में दर्जा बढ़ाया जाना (अपग्रेडेशन)**

4604. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० ओ० ई० रेलवे ने पत्र सं० ई० 1023/इंजी०/लाइन/6 दिनांक 21 नवम्बर, 1979 और ई०/टी० पी० सी०/70 स्केल पाईंट—चार दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के द्वारा पूर्वी रेलवे के सभी मण्डल प्राधिकारियों को निदेश दिये हैं कि वे वाटर फिल्टर प्लाण्ट सहित इंजीनियरी विभाग में अपग्रेडेशन लागू करें;

(ख) यदि हां, तो यथा निदेश, धनबाद डिवीजन, पूर्वी रेलवे में अपग्रेडेशन लागू न करने के कारण क्या हैं; और

(ग) अपग्रेडेशन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने और रेलवे बोर्ड के आदेश को लागू करने में इतना अधिक विलम्ब करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां :

(ख) और (ग) यह मामला विचाराधीन है।

**नारखेड में रेलवे का कार्यकरण**

4605. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और मंडल प्रबंधक, नागपुर को रेलवे के कार्यकरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी नारखेड की ओर से दिनांक 18 मार्च, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अखिल भारतीय डाक लेखा, डाक सेवाएं, नागपुर के सचिव से अभ्यावेदन**

4606. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली को नागपुर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के कार्यकरण के बारे में अखिल भारतीय डाक लेखा, डाक सेवाएं नागपुर शाखा एम० एस० के सचिव से 30 अक्तूबर, 1980 का एक लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है, यदि सम्बन्धित अधिकारियों ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो उसमें देरी के क्या कारण हैं और अभ्यावेदन में दिए गए सुझावों के बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह अभ्यावेदन पत्रों द्वारा दवाइयों की सप्लाई न करने, सप्लायरों और अस्पताल के बिलों का देर से भुगतान करने और प्रतिपूर्ति दावों के काफी समय लग जाने के बारे में था । इन शिकायतों की सावधानापूर्वक जांच की गई है । यद्यपि अभ्यावेदन में उल्लिखित अधिकांश बातें सही नहीं पाई गई हैं, तथापि जहां कहीं आवश्यक था, उपयुक्त उपाय कर दिये गये हैं ।

**महाराष्ट्र में पोलिटेक्निक संस्थानों का खोला जाना**

4607. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड, चन्द्रपुर और फरवनी जैसे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के लिए नए पोलिटेक्निक खोलने का कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को भेजे हैं और ये प्रस्ताव कब भेजे गए थे;

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, 1977-78 में और 1981-82 को अब तक की अवधि में तकनीकी संस्थान खोलने के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं ।

(ग) प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं और परिषद् ने उन प्रस्तावों को कब अनुमोदित किया था;

(घ) यदि हां, तो उसके निर्णय के ब्यौरे क्या हैं; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी हां, बीड़ तथा फरवनी में नए पोलिटेक्निकों की स्थापना के लिए 1976 में तथा चन्द्रपुर में एक नए पौलिटेक्निक की स्थापना के लिए 1977 में प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। बीड़ में नए पोलिटेक्निक की स्थापना के लिए संशोधित प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की नवीनतम मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी क्षेत्रीय समिति को हाल ही में 1981 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। चन्द्रपुर तथा फरवनी में नए पोलिटेक्निकों की स्थापना के लिए संशोधित प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

(ख) दस प्रस्ताव।

(ग) से (ङ) सभी प्रस्तावों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य-1977-78 से 1981-82 के दौरान प्राप्त किए गए प्रस्ताव

| क्रम सं० | प्रस्ताव | प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें | वर्तमान स्थिति | कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1977 | | | |
| | नासिक में एक नया पालिटेक्निक स्थापित फरने का प्रस्ताव । | **प्रथम चरण में प्रारम्भ करने वाले पाठ्यक्रम**<br>1. सिविल इंजीनियर (जल प्रबन्ध के लिए वैकल्प)<br>2. सिविल इंजी० (निर्माण इंजी० के लिए वैकल्प)<br>3. उत्पादन इंजीनियर<br>4. विद्युत इंजीनियर<br><br>**द्वितीय चरण**<br>1. संयत्र इंजीनियर<br>2. इन्सट्रमैंटेशन | प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किया गया है । पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा नवीनतम रूपरेखाओं के अनुसार परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट की जांच की जा रही है । | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | **1980**<br>भवाना न्यास, बम्बई द्वारा चेम्बूर, बम्बई में एक नया पोलिटेक्निक शुरु करने का प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. स्ट्रक्चरल फेब्रीकेशन एण्ड इरेक्शन इंजी०<br>2. सरफेस कोटिंग प्राद्योगिकी<br>3. रसायन इंजीनियर | प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा नवीनतम रूपरेखाओं के अनुसार परियोजना की ब्यौरे-वार रिपोर्ट की जांच की जा रही है। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् |
| 3. | तोलान प्रतिष्ठान, बम्बई के तत्वावधान के अन्तर्गत थाना जिले में एक नया पोलिटेक्निक शुरू करने का प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. निर्माण प्रोद्यो०<br>2. संयत्र तथा यंत्र का रख-रखाव<br>3. पेट्रो-रसायन प्रोद्यो० | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति से प्रस्ताव पर नवीनतम रूपरेखाओं के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् |
| 4. | **1981**<br>वीड़ में एक नए पालिटेक्निक की स्थापना के लिए प्रस्ताव | मंत्रालय में अभी संशोधित प्रस्ताव के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। | प्रस्ताव पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के विचाराधीन है। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मराठवाड़ा क्षेत्र में नए कालेज की स्थापना के लिए | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. चीनी प्रौद्योगिकी<br>2. वस्त्र प्रौद्योगिकी<br>3. इलैक्ट्रोनिकी<br>4. विजली प्रणाली इंजी-नियरी/संयत्र इंजी०<br>5. जल प्रवन्ध<br>6. इंसट्रूमैंटेशन | नान्देड में विद्युती तथा इंस्ट्रूमेटेशन डिग्री पाठ्यक्रमों से शुरू होने वाले कालेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव सिद्धांत: रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा नवीनतम रूपरेखाओं के अनुसार परियोजना की ब्यौरे-वार रिपोर्ट की जांच की जा रही है। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् |
| 6. | प्रवानगर, लोनी जिला अहमद नगर में एक पालिटेक्निक शुरू करने के लिए प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. सिविल इंजीनियरिंग<br>2. फार्मेसी<br>3. औद्योगिक इलैक्ट्रानिकस<br>4. फेब्रीक्रेशन इंजीनियर<br>5. चीनी प्रौद्योगिकी<br>6. कागज प्रौद्योगिकी<br>7. रसायन इंजीनियर | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नवीनतम रूपरेखाओं के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | कोंकन में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव | — | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और उसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है। | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् |
| 8. | रायगढ़ जिले में पालिटेक्निक शुरू करने के लिए प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. फेब्रीकेशन प्रौद्योगिकी<br>2. रसायन इंजीनियरिंग<br>3. प्लास्टिक इंजीनियरिंग<br>4. निर्माण इंजीनियरिंग<br>5. बिजली इंजीनियरिंग<br>6. फार्मेसी | राज्य सरकार द्वारा परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के पश्चात् |
| 9. | मराठवाड़ा में एक नया पालिटेक्निक शुरू करने के लिए प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. बिजली इंजीनियरिंग<br>2. बिजली इंजीनियरिंग<br>3. सिविल इंजीनियरिंग<br>4. फार्मेसी | परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अभी तैयार की जानी है। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही उसे प्रस्तुत किया जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की शिफारिशें उपलब्ध हो जाने के पश्चात् |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | वानिश में एक नया पालिटेक्निक शुरु करने के लिए प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. सिविल इंजीनियरिंग<br>2. विद्युत इंजीनियरिंग<br>3. उत्पादन इंजीनियरिंग<br>4. संयत्र इंजीनियरिंग<br>5. इन्सट्रूमैंटेशन | परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अभी तैयार की जानी है। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही उसे प्रस्तुत किया जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के पश्चात् |
| 11. | कोंकन में एक नए इंजी० कालेंज की स्थापना के लिए प्रस्ताव | **प्रस्तावित पाठ्यक्रम**<br>1. रसायन इंजीनियरग<br>2. रसायन प्रौद्योगिकीग<br>3. निर्माण इंजीनियरिंग प्रवन्ध<br>4. संयत्र इंजीनियरिंग<br>5. बिजली प्रणाली<br>6. इन्सट्रूमैंटेशन | परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी है। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही उसे प्रस्तुत किया जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा उसकी जांच की जाएगी। | पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के पश्चात् |

**गली नम्बर 3, पश्चिमी सागरपुर की सड़क का निर्माण**

4608. **श्री छांगुर राम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गली नंबर 3, पश्चिमी सागरपुर(नई दिल्ली) की सड़क (सागरपुर पश्चिम और सागरपुर पूर्व को मिलने वाली सड़क)के निर्माण के लिए हाल ही में कुछ धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

**बुक स्टाल का आवंटन**

4609. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने 24 जुलाई, 1981 के अपने पत्र संख्या 23 एसी/179/ए एच 14 ए में मैसर्स एम० एस० पंकज एण्ड कम्पनी को बुक स्टाल का ठेका दिया गया है और 30 जुलाई 1981 को पांच वर्ष की अवधि के लिए एक करार किया गया है;

(ख) क्या एक मात्र मध्यस्थ श्री विजय कुमार ने रेलवे के पक्ष में यह फैसला दिया कि दिल्ली जंक्शन पर पी० एफ० नं 14 ए एक नया पी० एफ० है;

(ग) क्या रेलवे के साथ किये गये वर्तमान करार के अनुसार ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी केवल यात्री प्लेटफार्म पर बुक स्टाल का कारोबार करने के लिये अधिकृत है; और

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान करार के अनुसार ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी और एम० गुलाब सिंह एण्ड संस नये बनाये गये खाली प्लेटफार्मों (प्रतीक्षालयों और परिचालन क्षेत्रों सर्कुलेटिंग एरियास) पर बुक स्टाल का कारोबार चलाने के लिये पूर्णतया अधिकृत नहीं है।

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग के उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) 1.1. 1976 को और उसके बाद निर्मित यात्री प्लेटफार्मों पर मैसर्स ए. एच. व्हीलर एंड कंपनी और मैसर्स गुलाब सिंह एंड संस का कोई अधिकार नहीं है। 1.1.76 से पहले बने यात्री प्लेटफार्मों पर ऐसे स्टेशनों पर जहां उनके ठेके हैं और ऐसे प्रांगणों,

प्रतीक्षालयों आदि में जहां के बुक स्टाल/ट्राली आदि के ठेके उनके पास पहले से हैं, इन फर्मों का बिक्री का एक मात्र अधिकार चला आ रहा है।

**लोक सभा की बैठक में उत्तर दिए जाने के लिए अरब देशों में रह रहे मुसलमानों से अभ्यावेदन**

4610. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों में रह रहे भारतीय मुसलमानों ने मई, 1981 के महीने में प्रधान मन्त्री को, उनकी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान कोई अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी, हां। 23 मई 1981 को प्रधान मन्त्री की दुबई यात्रा के समय अरब भारतीय मुस्लिम एसोसिएशन ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था।

(ख) इस ज्ञापन की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :

(1) भारत से बाहर अर्जित आय पर आय कर की छूट।

(2) विदेशों से प्राप्त विदेशी-मुद्रा से अर्जित परिसम्पति पर उपहार-कर और पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट।

(3) सीमा-शुल्क की नीची दर और भारतीय विमान-पतनों पर माल निकासी की शीघ्रतापूर्वक अनुमति दिया जाना।

(4) भारत में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनिवासी भारतीयों के लिए अलग यूनिट ट्रस्ट की स्थापना। इन यूनिटी पर प्राप्त लाभ और पूंजीगत लाभ को आयकर से छूट दिया जाना।

(5) इंजीनियरी और चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाने वाले केन्द्रीय और राज्य सरकार के कालेजों में आरक्षण।

(6) उत्प्रवासन सम्बन्धी कानूनों/नियमों की समीक्षा ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके।

(7) विदेशों में रहते हुए मताधिकार के प्रयोग का अधिकार।

(8) हज यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधायें।

(9) भारत की यात्रा पर जाने वाले अरब पर्यटकों को अधिक सुविधा-सत्कार, और

(10) विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के हितों की देखभाल के लिए अलग मन्त्रालय की स्थापना ।

इस ज्ञापन में की गई मांगों का चूंकि भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मन्त्रालयों से सम्बन्ध है इसलिए इन्हें उनके विचारार्थ भेजा गया ।

इस ज्ञापन में जो जटिल प्रश्न उठाए गए हैं, उन पर विचार किया जा रहा है ।

**छोटा नागपुर (बिहार) में तकनीकी स्कूल/संस्थानों का खोला जाना**

4611. **श्री एन० ई० हीरो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में छोटानागपुर में विस्थापितों और प्रभावी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने और तदुपरान्त उन्हें आर्थिक रूप से बचाने के लिये औद्योगिक एवं खनन परियोजनायें शुरू करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) बिहार में छोटा नागपुर में केवल विस्थापित जनजातीय लोगों के लिए तकनीकी स्कूल/संस्थान खोलने का सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है । तथापि, आदित्यपुर (जमशेदपुर) में नया पालिटेक्निक स्थापित करने का एक प्रस्ताव सक्रिय रूप से मंत्रालय के विचाराधीन है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए है ।

इसके अलावा, युवा तथा हजारी बाग स्थित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए खन्न व्यवसायों में पाठ्यक्रम चला रहे हैं ।

**डोंड शेड में रिक्त पद**

4612. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मन्त्री ढोंड शेड में रिक्त स्थानों के बारे में 16 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोंड शेड (केन्द्रीय रेलवे, पुणे-सोलोर लाइन) में अभी भी खाली पड़े पदों के लिये आवश्यक अर्हतायें क्या हैं; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उच्च शिक्षा के माध्यम के बारे में नीति**

4613. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च शिक्षा के माध्यम के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति में कुछ परिवर्तन आया है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के सभी इच्छुक विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी अर्हता परीक्षा लागू करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्पष्टीकरण का ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने की व्यवस्था है। सरकार इस नीति द्वारा ही मार्गनिर्देशन प्राप्त करती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सिरामपुर स्टेशन के निकट फ्लाई ओवर**

4614. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० टी० रोड पर सिरामपुर रेलवे स्टेशन के निकट फ्लाई ओवर के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सिरामपुर स्टेशन के निकट वर्तमान समपार की बजाय ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक चरण में है। सड़क के अस्थाई मार्ग-परिवर्तन के अभिकल्प और संरेखण के ब्यौरे के बारे में पूर्व रेलवे तथा राज्य लोक निर्माण विभाग के बीच बातचीत चल रही है।

**बड़ौदा के स्टाफ कालिज में स्टाफ को प्रशिक्षण**

4615. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी-II पदों के लिये चयन करने के लिये तैयार करने वाले उम्मीदवारों को बड़ौदा के स्टाफ कालिज में अग्रिम प्रशिक्षण देने की प्रथा है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी रेलवे में कितने उम्मीदवारों को वड़ौदा के स्टाफ कालिज में सहायक कार्मिक अधिकारियों के पदों के लिये चयन के लिये अग्रिम प्रशिक्षण दिया गया और कितने उम्मीदवारों को नहीं दिया गया; और

(ग) पश्चिमी रेलवे में नियमित रूप से चुने गये कितने सहायक कार्मिक अधिकारी वड़ौदा में प्रशिक्षण के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इन पदों के लिये कितने बिना चुने व्यक्तियों को इसके लिये प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सहायक कार्मिक अधिकारियों के रूप में नियमित रूप से चुने गये तथा जो अभी भी अप्रशिक्षित हैं, उनकी संख्या 10 है । प्रशिक्षित, लेकिन जिन्हें सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में बाद में, नहीं चुना गया था, उनकी संख्या 2 है ।

## हाल्ट स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया जाना

4616. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन के पास कतिपय वर्तमान हाल्ट स्टेशनों तथा कांगड़ा घाटी रेलवे के अन्य स्टेशनों का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण स्टेशन अथवा श्रेणी-ख स्टेशन करने तथा 1981-82 में त्रिपाल और राजप्रवीण प्रोलोनपुर कृषि विश्वविद्यालय में नये हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसकी निर्धारित तिथि क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) उत्तर रेलवे प्रशासन को त्रिपाल तथा राजपुर हाल्ट स्टेशन खोलने, बरियाल हिमाचल, मेघराजपुरा, चामुण्डा मार्ग तथा लुन्सू हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में बदलने तथा नन्दपुर भटौली स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर क्रासिंग स्टेशन करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। त्रिपाल तथा राजपुर में हाल्ट स्टेशन खोलने, बरियाल हिमाचल तथा मेघराजपुरा को फ्लैग स्टेशन में बदलने और नन्दपुर भटौली स्टेशन का दर्जा बढ़ाने के प्रस्तावों की जांच की गयी थी परन्तु उन्हें औचत्यपूर्ण नहीं पाया गया । चामुण्डा मार्ग तथा लुन्सू हाल्टों को फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच उत्तर रेलवे द्वारा की जा रही है ।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को उपकरणों के लिये मूल अनुदान**

4617. **श्री ए० सी० दास :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न-विभिन्न विश्वविद्यालयों को उपकरण के लिये मूल अनुदान के रूप में कुछ कितनी राशि स्वीकृत की गई ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पिछड़े राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित उपकरणों को सप्लाई के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल):** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 77 विश्वविद्यालयों को मूल अनुदान के रूप में, 296.50 लाख रुपयों आवंटन किया है। ये अनुदान छठी योजना के दौरान उपकरणों सहित, समस्त आवश्यकताओं का मूल्यांकन होने तक, विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों द्वारा तत्काल अपेक्षित उपकरणों की खरीद के लिए हैं।

(ख) जी नहीं। तथापि अपने संसाधनों की सीमा को देखते हुए आयोग ने उन विश्वविद्यालयों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना स्वीकार कर लिया है जिन्हें अभी विकास का चरम स्तर प्राप्त करना है।

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों को जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता है, उनका निर्धारण और खरीद स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा की जाएगी। किसी भी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा इस प्रकार के उपकरणों को प्राप्त करने और इन्हें विश्वविद्यालयों में वितरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की मिली-जुली अन्तर-विभागीय वरीयता**

4618. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की मिली-जुली अन्तर-विभागीय वरीयता सूची को अधिकारियों से गोपनीय रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस गोपनीयता के क्या कारण हैं और मन्त्रालय का किस तारीख तक

उस सूची को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करने का विचार है ताकि जिन अधिकारियों को न्याय मिलता है वे निराश न हों ?

**रेल मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) स्तर-1 सहित विभिन्न ग्रेडों में श्रेणी-1 के अधिकारियों की विभाग-वार वरिष्ठता सूची अधिसूचित करते समय, समय-समय पर महाप्रबन्धकों, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों आदि के ऊंचे ग्रेड वाले पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन से, विभिन्न रेल सेवाओं वरिष्ठ स्तर-1 के विभागाध्यक्षों की मिली-जुली सूची प्रशासनिक हित की दृष्टि से आरम्भ से ही कभी भी अधिसूचित नहीं की गयी। वर्तमान नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**इटारसी और विदारिया के बीच 17 अगस्त 1981 को हावड़ा मेल में मारे गये तथा छुरा घोंपे गये व्यक्तियों की संख्या**

4619. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी और विदारिया रेलवे स्टेशनों के बीच डाकुओं द्वारा 17 अगस्त, 1981 को हावड़ा मेल में दो व्यक्तियों को मार दिया गया था और कुछ अन्य को छुरा घोंपा गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां। 16-8-1981 को लगभग 21.00 बजे जैसे ही 3 अप हवाड़ा-बम्बई मेल पिपरिया स्टेशन से चली, एक अज्ञात व्यक्ति गाड़ी के 3 टियर कोच में घुस गया और उसने एक महिला यात्री की, जो अपने पुत्र के साथ जबलपुर से इटारसी जाने वाले डिब्बे में यात्रा कर रही थी, सोने की जंजीर खींचने का प्रयास किया। महिला के पुत्र ने बीच में पड़ने की कोशिश की लेकिन अपराधी ने उसे छुरा घोंप दिया। दो अन्य यात्रियों को भी उसने छुरा घोंप दिया था जिन्होंने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद अपराधी चलती गाड़ी में से कूद गया। जिन दो यात्रियों ने बीच-बचाव किया था उनमें से एक की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी जबकि महिला यात्री के पुत्र की मृत्यु अस्पताल में जाने के बाद हुई। जिस दूसरे व्यक्ति को अपराधी ने छुरा घोंपा था उसकी हालत में अस्पताल में सुधार हो रहा है।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस, इटारसी ने 17-8-81 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के अधीन मामला सं० 825/81 दर्ज कर लिया है। राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच गये और उन्होंने जल्दी से घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया तथा जांच-पड़ताल प्रारम्भ कर दी जो अभी जारी है।

**रेल सेवा आयोग के चेयरमैन**

4620. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मन्त्री रेल सेवा आयोगों के चेयरमैनों के स्थानांतरण के बारे में दिनांक 7 मई 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतारांकित प्रश्न संख्या 7123 दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के उत्तर के अनुबन्ध में निर्देशित रेल सेवा आयोगों के उन चेयरमैनों के नाम क्या हैं जिनकी राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई थी; और

(ख) क्या राज्य सरकारों से नाम निर्देशन करने को कहा जाता है अथवा ऐसी नियुक्तियों के लिये वे स्वयं नाम भेजते हैं और बाद की स्थिति में यह राज्य सरकार को किस प्रकार पता चलता है कि रेल सेवा आयोग के चेयरमैन का पद खाली हुआ है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) श्री पी० के० पटनायक, अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, कलकत्ता और श्री बी० एन० सेकिया अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, गुवाहाटी के नाम क्रमशः उड़ीसा और असम राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित किये गये थे।

(ख) रेल सेवा आयोग में अध्यक्षों की रिक्तियां अधिसूचित नहीं की जाती और गैर-सरकारी व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये जाते। बहरहाल, जब किसी, आयोग विशेष में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है। रेल सेवा आयोग का काम कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है। इस प्रकार राज्य सरकारें समय-समय पर स्थिति से भिन्न रहती हैं।

**अफगानिस्तान की समस्या का राजनीतिक समाधान**

4621. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने रूसी सेना की वापसी की समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने हेतु पाकिस्तान और ईरान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव या उनके प्रतिनिधि की त्रिपक्षीय बातचीत के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है और उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अफगानिस्तान की सरकार के आग्रह के अनुसार अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अन्तर्राष्ट्रीय गारन्टी के चौखटे के भीतर भारत ने अफगानिस्तान की समस्या का राजनीतिक हल शीघ्र निकालने के लिए अपने सद्प्रभाव का उपयोग किया है।

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित देशों की निश्चित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

(ग) सरकार बातचीत द्वारा अफगानिस्तान मसले के किसी राजनैतिक समझौते की जरूरत पर शुरू से ही जोर देती रही है और उसने सम्बन्धित देशों के बीच सीधी वार्ता का आग्रह किया है। अफगानिस्तान के मसले पर गुट-निरपेक्ष देशों के बीच मतैक्य कायम करने में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और फरवरी, 1981 में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन की घोषणा में यह मतैक्य परिलक्षित होता है जिसमें वे सम्भव तत्व भी निहित हैं, जो राजनैतिक समाधान बन सकते हैं।

**सांख्यकीय अन्वेषकों की पदोन्नति और उनको पदमुक्त न किये जाने के कारण**

4622. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० जी० एच० एस० के कुछ सांख्यकीय अन्वेषकों की उड़ीसा विहार और कर्नाटक में स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने के लिये 700-1300 रुपये के वेतनमान में बनाये गये सांख्यिकी विदों (स्टैटिस्टी विमान) के नये पदों पर हाल ही में पदोन्नति की गई है ;

(ख) क्या इन नये पदोन्नत व्यक्तियों को अभी तक कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है तथा इसके कारण कार्य पर असर पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक पदभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा उन्हें नियुक्ति के स्थानों पर कब तक पहुंचने के लिए निदेश दिया जायेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां। पटना, भुवनेश्वर तथा बंगलौर स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों में खोले जाने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय के स्वास्थ्य सूचना क्षेत्रीय यूनिटों के लिए 700-1300 रुपये के वेतन मान में सांख्यिकी विदों के तीन पद बना दिए गये हैं। इन पदों के भर्ती नियमों को अन्तिक रूप दिए जाने तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तीन अन्वेषकों (सांख्यिकी) को इन पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

(ख) और (ग) चुने इन उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश 31 अगस्त, 1981 को जारी कर दिए गये थे जिनमें उन्हें अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल रिपोर्ट करने की हिदायतें दे दी गई थीं यद्यपि उनमें से एक उम्मीदवार ने वैयक्तिक कारणों से बाहर जाने से इन्कार कर दिया है तो दूसरे ने पद का कार्यभार सम्भालने से पूर्व अग्रिमों आदि के लिए आवेदन किया है

और तीसरे ने अभी तक यह नहीं बताया कि वह इस पद का कार्यभार ग्रहण करेगा अथवा नहीं।

**गोहाटी रेलवे स्टेशन के निकट दुर्घटना**

4623. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी रेलवे स्टेशन के निकट सामानान्तर लाइन पर 7 अप तिनसुखिया मेल के 2 डिब्बों के पाटरी से उतर जाने और नारेंगी पांडु पैसेंजर गाड़ी से टकरा जाने के कारण 2 जवानों सहित 5 व्यक्ति मर गये थे और 30 व्यक्ति जख्मी हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे और रेलवे को कुल कितनी हानि हुई और दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों को क्या मुआवजा दिया गया था ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य त्रिभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** :(क) संभवतः हवाला 20-8-81 को गुवाहाटी स्टेशन पर 7 अप तिनसुकिया मेल और 6 पी जी एन शटल की टक्कर से हुई। इस दुर्घटना में 4 सैनिक कर्मियों सहित 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 10 को गंभीर चोटें आयीं और 5 को साधारण चोटें आयी थीं।

(ख) और (ग) रेल संरक्षा के आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गयी है। रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान लगभग 3,31,000 रुपये हैं। भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 82क के अन्तर्गत अभी तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है। इसका भुगतान तदर्थ दावा आयुक्त के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा। इस दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों को 10,750 रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दिये गये हैं।

**जलारपट्टई स्टेशन पर 19 अगस्त 1981 को आईलैण्ड एक्सप्रेस गाड़ी का एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाना**

4624. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईलैण्ड एक्सप्रेस गाड़ी 19 अगस्त 1981 को जलारपट्टई स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी और उसके परिणामस्वरूप इसके इंजन को आग लग गई और अनेक व्यक्ति जख्मी हो गए; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं और उसके लिये कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)**: (क) जी हां। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 3 व्यक्तियों को गम्भीर तथा 12 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, बेंगलुरु जिन्होंने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी। वहरहाल, उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

**लिबियाई मिशन को पूर्ण राजनयिक दर्जा**

4625. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित लिबियाई मिशन को दिल्ली स्थित अन्य मिशनों के बराबर पूर्ण राजनीतिक दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त हैं;

(ख) क्या लिबियाई मिशन के अधिकारियों को वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो दिल्ली स्थित अन्य मिशनों को प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें जो अन्तर है उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार दर्जे, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों में इस प्रकार के अन्तर को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजनयिक सम्बन्धों पर वियना अभिसमय (1961) के अनुच्छेद 29-37 (1) के अनुसार लिबियाई ब्यूरो के पांच वरिष्ठ सदस्यों (ब्यूरो की 'समिति' के रूप में नामोद्दिष्ट) को राजयनयिक कर्मचारी वर्ग के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी जा रही हैं; मिशन के अन्य सदस्यों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ माना जाता है और उनके विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 37(2)-37(4) द्वारा शासित होती हैं। कार्यात्मक अपेक्षाओं के आधार पर यह अन्तर किया गया है जो सार्वभौम रूप से स्वीकार्य है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कलकत्ता भूमिगत रेलवे में प्राप्त प्रगति**

4626. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेल लाईन के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसे कब तक पूरा किया जायेगा और यातायात के लिये खोला जायेगा;

(ग) क्या अन्य नगरों में भी भूमिगत रेल लाईन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं और काम कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) निर्माण कार्य की समग्र वास्तविक प्रगति 29 प्रतिशत है ।

| | |
|---|---|
| (ख) चरण 1—एस्प्लेनेड से टालीगंज | मार्च 1985 तक, बशर्ते कि धन उपलब्ध होता रहे । |
| चरण 2—दमदम से एस्प्लेनेड | मार्च 1987 तक बशर्ते कि धन उपलब्ध होता रहे । |

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**रेलवे में चोरी तथा उठाईगीरी**

4627. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों की अधिक संख्या होने के कारण रेलवे में चोरी तथा उठाईगीरी की अधिक घटनाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुरक्षा, रोकथाम तथा देखभाल के सारे काम एक ही एजेंसी को सौंपने का है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी नहीं !

**प्लेटफार्मों का अस्वस्थकर स्थिति**

4628. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लेटफार्मों और रेलवे जंक्शनों पर अस्वस्थकर और गन्दी स्थिति अच्छा प्रभाव नहीं डालती है;

(ख) क्या सरकार का जन स्वास्थ्य और सफाई का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिये कोई उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं, और

(घ) इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई राशि का जोनवार ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर तथा प्लेटफार्मों पर सफाई का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए

हर प्रयास किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गयी है। स्टेशनों पर सफाई और स्वास्थ्य का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

(1) सभी महत्त्वपूर्ण जंक्शनों/स्टेशनों पर पर्याप्त सफाई कर्मचारियों सहित सफाई निरीक्षकों को तैनात किया गया है।

(2) स्टेशन के पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा इन कर्मचारियों के कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

(3) मंडल मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाता है।

(4) सफाई का उच्च स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों के कर्मचारियों को ट्राफी तथा अन्य पुरस्कार दिये जाते हैं।

(5) सुविधाजनक ढंग से रेलपथ की सफाई तथा धुलाई करने के लिए महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशनों, टर्मिनल स्टेशनों आदि पर लाइनों पर धोये जा सकने वाले एप्रेनों की व्यवस्था की गई है।

(6) यात्रियों को अस्वास्थ्यकर आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित करके स्टेशनों पर स्वच्छ वातावरण बनाये रखने के लिए यात्रियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(7) इस आशय के नोटिस लगाये जाते हैं जिनमें यात्रियों से यह अनुरोध किया जाता है कि जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो तो डिब्बों में शौचालयों का इस्तेमाल न करें।

(8) स्टेशनों पर ठीक से सफाई तथा सफाई का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सफाई अभियान चलाये जाते हैं।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**झालावाड़ को रेल लाइन से जोड़ा जाना**

4629. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में झालावाड़ को रेल लाइन से जोड़ने के लिए मंत्रालय को बहुत से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रामगंज मंडी से भोपाल बरास्ता झालावाड़ तक रेल लाईन बिछाने के बारे में उचित कार्यवाही करने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध मे क्या निर्णय किया है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) झालावाड़ को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। धन-राशि की सीमित उपलब्धता के कारण इस प्रस्ताव को शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है।

**भयंदर रेलवे स्टेशन**

4630. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्री महोदय तथा रेलवे के अन्य प्राधिकारियों को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय सेक्शन के भयंदर रेलवे स्टेशन को बढ़ाने, उसमें परिवर्तन करने तथा उसमें सुधार करने के सुझावों के सम्बन्ध में भयंदर (जिला ठाणे) से दिनांक 5 फरवरी, 1981 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में दिये गये सुझाव क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) श्री चित्रे तथा अन्य व्यक्तियों से दिनांक 10-2-1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) मांगों में स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था, अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था और बोरिवली-विरार खंड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाना शामिल हैं।

(ग) प्रतीक्षालय के विस्तार कार्य के अतिरिक्त पश्चिम की ओर एक अतिरिक्त बुकिंग खिड़की की व्यवस्था करने का काम प्रगति पर है।

वर्तमान ऊपरी पैदल पुल को पूर्व की ओर बढ़ाने और परिचलन क्षेत्र की व्यवस्था करने के काम की स्वीकृति दी जा चुकी है।

1-4-81 से बोरिवली-विरार खंड पर एक अतिरिक्त अप और एक अतिरिक्त डाउन गाड़ी की व्यवस्था कर दी गयी है।

अन्य निर्माण कार्यों के बारे में उचित समय पर आवश्यकता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

**मुरादाबाद मण्डल के क्लर्कों को स्थायी किया जाना**

4631. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री मुरादाबाद मण्डल के क्लर्कों को स्थायी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20 अगस्त, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 621 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आर० एम० मुरादाद के कार्यालय में 260-400 रुपये के वेतनमानों के क्लर्कों की दुवारा वरीयता सूचियां तैयार करने का कार्य निर्धारित तिथि के भीतर पूरा हो गया है।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) तो उनको स्थायी करने के आदेश जारी करने में और कितना समय लगेगा क्योंकि इसमें पहले ही पर्याप्त विलम्ब हो गया है; और

(घ) क्या वह विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत करेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वरिष्ठता सूची मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा तैयार करके सर्वसम्बन्धित को पारिपत्रित की जायेगी और यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो उसका निपटारा करने के बाद ही वरिष्ठता सूची के अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर की खराब हालत**

4632. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के झालरा-पाटन स्थित प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर (सात सहेली मन्दिर) की स्थिति उचित रख-रखाव न होने के कारण काफी खराब है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस ऐतिहासिक मन्दिर के रख-रखाव को सुरक्षित करने का प्रस्ताव है जिससे कि लोगों में इसे आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरा-पाटन स्थित सूर्य मन्दिर (सात सहेली मन्दिर) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है। अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके परिक्षण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**पूर्वी रेलवे के अन्दल सैंथिया संभाग पर कोयले की तस्करी**

4633. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान पूर्वी रेलवे के अन्दल सैंथिया संभाग पर कोयले की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) इस आतंक को रोकने अथवा कम करने के लिए और क्या निर्यात उपाय किए गए हैं, और यदि कोई परिणाम निकले हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी छापों की तारीखें तस्करों को नियमित रूप से मिल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार तारीखों के उनको पता लगाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं लेकिन यह सही है कि आस-पास के क्षेत्रों नटखट लड़के और स्त्रियां अक्सर अन्दल-सैंथिया खंड पर सवारी गाड़ियों में थैलों (बोरियों) में कोयला लेकर चलते हैं, जो पास की कोयला खानों से प्राप्त करते हैं।

(ख) यात्री गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा और बिना बुक किये गये कोयले के परिवहन को समाप्त करने के लिए रे. सु. ब., रा. पु. और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा बारम्बार छापे मारे जा रहे हैं। अन्दल-सैंथिया खंड पर जनवरी से अगस्त, 1981 तक मारे गये 67 छापों के परिणाम स्वरूप 22,256 रु० मूल्य का बिना बुक किया गया कोयला बरामद किया जा सका और 168 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता**

4634. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को अब तक कितनी सहायता दी गई है।

(ख) इस वर्ष इस सहायता से कितने विकलांग लोगों को लाभ पहुंचा और यह सहायता किस रूप में उपलब्ध कराई गई; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे विकलांग लोगों की जिला-वार संख्या क्या है जिन्हें सहायता प्रदान की गई है।

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (ग) एक विवरण जिसमें वांछित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

**विवरण**

(क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई राज्य-वार सहायता नहीं दी गई है। इसलिए ऐसी सहायता से लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सामान्य, कार्यक्रमों, विशेषतया स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषाहार, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, रोजगार, जल प्रदाय इत्यादि के क्षेत्र में कार्यक्रमों, के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों का कल्याण भी आता है। इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किये जा रहे विशिष्ट कार्यक्रम/योजनाएं भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) नेत्रहीन, बधिर, और विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत समस्त भारत में लगभग 1,000 छात्रों को 61·08 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई थीं। उत्तर प्रदेश में 1980-81 के दौरान 1055 छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में 8 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई थी।

(2) विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न कामों पर लगाने के लिए इस देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए 21 विशेष रोजगार कार्यालय चल रहे हैं। इनमें से तीन चालू वर्ष में स्थापित किए गए हैं। इन विशेष रोजगार कार्यालयों ने स्थापित होने से 31 दिसम्बर 1980 तक 22499 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में लगाया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में ऐसा विशेष रोजगार कार्यालय है, जिसने 821 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया है।

(3) इस देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए 12 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है जिससे 4152 विकलांग व्यक्तियों का मूल्यांकन किया है तथा दिसम्बर, 1980 तक 471 पुनर्वास किया है वर्ष 1981 के साथ संलग्न 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। इन 11 केन्द्रों में से 3 केन्द्र उत्तर प्रदेश में मोहललाल गंज, गोसाई गंज और अकबरपुर में स्थित है।

(4) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान समस्त देश में 114 स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षा प्रशिक्षण और पुनर्वास के कार्यक्रमों को चलाने के लिए 1.12 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी।

वर्ष 1980-81 के दौरान उत्तर प्रदेश में 16 ऐसे संगठनों को 12.50 लाख रुपए की सहायता मिली । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अगस्त, 1981 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों को 6.36 लाख रुपए की धनराशि दी गई जब कि पूरे भारत में 37.73 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई थीं ।

(5) समेकित शिक्षा की योजना 1 अप्रैल, 1981 से संशोधित की गई है । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए संशोधित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है जब कि पुरानी योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत सहायता दी जाती थी । अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापकों के वेतन, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर खर्च, परिवहन खर्च, पुस्तकों और लेखन सामग्री पर खर्च, मूल्यांकन खर्च, तथा आरंभिक उपकरणों पर खर्च के लिए सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारें केन्द्र से सहायता पाने की पात्र हैं ।

(6) वर्ष 1980-81 के दौरान शुरू की गई विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने के लिए सहायता देने की नई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 40.74 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मान्यता प्राप्त केन्द्र कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर को 18 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी ।

(7) 4 राष्ट्रीय संस्थानों, दृष्टिबाधितों, अस्थि विकलांगों, श्रवण बाधितों तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए एक-एक संस्थान की प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के लिये योजना है । दो राष्ट्रीय संस्थान इस समय चल रहे हैं, जिनमें से राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान नामक एक संस्थान उत्तर प्रदेश में देहरादून में स्थित है ।

(8) कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यन्त्रों और उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश में स्थित है ।

(9) ब्याज की विभिन्नता दर की योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर 1500 रुपए की राशि पूंजी ऋण के रूप में तथा 5,000 रुपए की राशि आवधिक ऋण के रूप में दी जाती है । देश के किसी भी भाग से विकलांग व्यक्ति इन ऋणों को पाने के पात्र हैं ।

(10) डीजल/पैट्रोल रियायती मूल्य पर दिया जाता है तथा उत्तर प्रदेश समेत देश के विकलांग व्यक्ति इस रियायत को पाने के पात्र हैं।

(11) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों के 15 प्रतिशत पैट्रोल पम्प आउटलेट/गैस एजेंसियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। विकलांग व्यक्तियों को एजेंसियों सुनिश्चित करने के लिए एक रोस्टर भी निर्धारित किया गया है। देश के किसी भी भाग से विकलांग व्यक्ति पैट्रोल पम्प आउटलेटों/गैस एजेंसियों के नियतन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनको सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

(12) समस्त भारत में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 मई, 1981 तक विकलांग व्यक्तियों को 297 टेलीफोन बूथें दी जा चुकी थी। इनमें से 8 सार्वजनिक टेलीफोन बूथें उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को नियत की गई थीं। 13 मार्च, 1982 तक उत्तर प्रदेश में 79 सार्वजनिक टेलीफोन बूथे खोलने का लक्ष्य है जबकि अखिल भारतीय लक्ष्य 887 सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का है।

(13) उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारियों, विकलांग व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं तथा उत्कृष्ट रोजगार अधिकारी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देना है। समस्त भारत से विकलांग कर्मचारी/विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता/विशेष रोजगार कार्यालयों में लगे रोजगार अधिकारी इन पुरस्कारों को पाने हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र हैं।

**उत्तरी रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल**

4635. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के रेल कर्मचारी 2 अगस्त, 1978 से 15 अगस्त, 1978 तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल पर बैठे थे;

(ख) क्या नई दिल्ली के पार्सल विभाग में कार्य कर रहे कुछ अधिकारियों विशेषकर सचिव को पिछले 10 वर्षों से सतर्कता जांच का सामना करना पड़ रहा है और इन अधिकांश मामलों की पुष्टि नहीं हो पायी है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग द्वारा एक शिकायत पर नई दिल्ली के केला साइडिंग पर भारी दावे करने के बारे में कुछ लोगों की जांच की गई थी;

(घ) क्या एम० टी० पनयल कमर्शिल एस 18/125 के अनुसार सतर्कता रिपोर्ट असत्य पाई गई थी;

(ङ) क्या सरकार का सतर्कता आसूचना विभाग द्वारा इन संतप्त ट्रेड यूनियन कर्मचारियों को और परेशान किए जाने को बचाने का प्रस्ताव है तथा उन सतर्कता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, जिन्होंने तत्कालीन यातायात सदस्य को झूठी रिपोर्ट भेजी थी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हाँ।

(ख) स्रोत से सूचना और शिकायतें प्राप्त होने पर, सतर्कता शाखा द्वारा छानबीन की गयी और मंत्री, यू० आर० एम० यू०, दिल्ली शाखा, को अन्तर्ग्रस्त पाया गया। छानबीन के दौरान उनकी ओर से कुछ अनियमितताएँ पायीं गयीं, जिनके लिए उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जब ऐसी शिकायतों को, जिनमें आरोप लगाये गये हों और सतर्कता सम्बन्धी पहलू से जिन पर कार्रवाई अपेक्षित हो, सत्यापन के बाद प्रामाणिक पाया जाता है और आरोप विशिष्ट प्रकार के होते हैं, तब उन आरोपों की जाँच करने के लिए छानबीन की जाती है। अनुशासनिक कार्रवाई तभी की जाती है जब कोई आरोप सिद्ध हो जाये। छानबीन के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा किसी को परेशान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, आसूचना पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का भी प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## विकलांगों को सुविधायें

4636. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विकलांगों को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधायें प्रदान की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या मानदन्ड अपनाया है;

(ग) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के सेवकों या बच्चों को यह सुविधा प्रदान करती है; और

(घ) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने विकलांग लोगों या बच्चों ने रेलवे द्वारा दी गई इस सुविधा से लाभ उठाया ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री श्री (मल्लिकार्जुन)** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद**

4637. **श्री चन्द्र पाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद और इसके अध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) 1981 से पूर्व प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल की गयी थी और बहुत से आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। '981 के दौरान प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

**मिराज-बंगलौर रेल लाईन**

4638. **श्री एच० एन० नन्जे गोंड**
**श्री के० लकप्पा**
**श्री डी० एम० पुत्ते गौड़** } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिराज-बंगलौर रेल लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के सम्बन्ध में तकनीकी सर्वेक्षण करने का हाल ही में आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कब तक स्वीकृति मिल जायेगी; और

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति देने में कौन-सी रुकावटें सामने आ रही हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां, सर्वेक्षण प्रगति में है।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिपोर्ट की जांच कर लिए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी बशर्ते कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृति मिल जाये।

**स्टेज कैरिज परमिट**

4639. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री स्टेज कैरिज परमिटों के बारे में 27 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में बताए गए स्टेज कैरिज के सिवाय अन्य कोई ऐसा स्टेज कैरिज नहीं था जिसके परिमिट की अवधि समाप्त हो चुकी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में निजी स्वामित्व वाला स्टेन्डर्ड साईज की ऐसी सभी कैरिजों की सूची दी जाएगी जिनके परमिटों की अवधि समाप्त हो चुकी है, तथा इन परमिटों का पिछली बार नवीकरण कब कराया गया था; और

(ग) यदि कोई जाली लेनदेन/सौदे हुए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राजमन्त्री (श्री बूटासिंह)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि लोकसभा के 27.8.1981 के लिखित प्रश्न सं० 1652 के उत्तर में उल्लिखित स्टेज कैरिज परमिट केवल एक ही ऐसा था जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी और नियमित परमिट नवीकृत नहीं किया गया था। अस्थाई परमिट भी जारी नहीं किया गया था। दिल्ली में चलने वाली स्टैंडर्ड साईज की प्राईवेट सवारी गाडियों के पास या तो नियमित परमिट है या अस्थाई परमिट/इन गाड़ियों का ब्यौरा और साथ में नियमित परमिटों की पिछली नवीकरण की तारीखें नियमित परमिटों की समाप्ति अवधि की तारीखें और वे तारीखें विवरण में दी गई हैं। जब इनमें से कुछ गाड़ियां अस्थायी परमिटों पर चल रही हैं।

(ग) स्टेज कैरिजेस का केवल एक परमिट ही 30.4.81 से समाप्त किया गया है और मैसर्स महरम नगर हरिजन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि०, दिल्ली के पास था। परमिट 27.5.81 को रद्द कर दिया गया था और यह इस दिल्ली परिवहन निगम को दे दिया गया। सोसाइटी के विरुद्ध यह शिकायत थी कि उसके पास राज्य परिवहन अधिकरण के नाम से जाली परिमिट है और एक्सप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस कम्पनी के साथ किया बेनामी लेनदेन का मामला भी है। मामला रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के विरुद्ध दिल्ली को आपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 55 के अधीन कार्रवाई की जा रही है। कोआपरेटिव सोसायटी ने बताया कि सोसायटी की वित्तीय स्थिति असन्तोषप्रद है और सोसायटी को बन्द किया जा रहा है।

**विवरण**

| क्रम सं० | परमिट सं० | नियमित आधार पर जिस तारीख का स्वीकृत किया | स्थायी परमिट की अवधि समाप्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | वि०—6/3 | 21-2-1980 | 20-2-1983 |
| 2. | वि०—8 | 8-4-'977 | 7-4-1980* |
| 3. | वि०—6/2 | 21-2-1980 | 20-2-1983 |
| 4. | वि०—26 | 24-8-1977 | 23-8-1980* |
| 5. | वि०—1 | 17-12-1979 | 16-12-1982 |
| 6. | वि०—29 | 21-11-1976 | 20-11-1979* |
| 7. | सी०—4 | 8-2-1981 | 7-2-1984 |
| 8. | एम —1 | 3-9-1980 | 2-9-1983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | वि०—15 | 8-3-1978 | 7-3-1981* |
| 10. | एल.—2 और एल 3 | 17-7-1975 | 16-7-1978* |
| 11. | वि०—33 | 7-9-1979 | 6-9-1982 |
| 12. | ई—1 टू-ई—3 | 8-2-1978 | 7-2-1981* |
| 13. | वि०—2, 3 | 17-12-1979 | 16-12-1982 |
| 14. | वि०—4 | 17-10-1979 | 16-10-1982 |
| 15. | वि०—23 | 4-2-1978 | 3-2-1981* |
| 16. | वि०—7/1 | 27-2-1980 | 26-2-1983 |
| 17. | सी—5 | 11-4-1975 | 10-4-1978* |
| 18. | वि०—10ए | 21-1-1979 | 20-1-1982* |
| 19. | वि०—14 | 7-1-1978 | 6-1-1981* |
| 20. | वि०4ए | 3-1-1977 | 2-1-1980* |
| 21. | एन—1ए | 1-4-1978 | 31-3-1981* |
| 22. | जेड—1 | 15-12-1979 | 14-12-1982 |
| 23. | जेड—2 | 15-12-1976 | 14-12-1979* |
| 24. | वि०—30 | 3-1-1979 | 31-12-1982 |
| 25. | वि०—9 | 15-12-1977 | 15-12-1980* |
| 26. | वाई—4 | 15-12-1977 | 14-12-1980* |
| 27. | एक्स—1 और एक्स—2 | 1-10-1978 | 30-9-1981 |
| 28. | एम—19 | 14-9-1977 | 13-9-1980* |
| 29. | वि०—6/4 | 19-11-1980 | 18-11-1983 |
| 30. | वि०—6/5 | 3-4-1978 | 2-4-1981* |
| 31. | वि०—13 | 2-1-1978 | 1-1-1981* |
| 32. | एल—4 | 5-10-1978 | 4-10-1981* |
| 33. | वाई—3 | 16-12-1979 | 15-12-1982 |
| 34. | वाई—2 | 16-12-1979 | 15-12-1982 |
| 35. | वाई—1 | 13-12-1979 | 12-12-1982 |
| 36. | वि०—5 | 16-2-1977 | 15-2-1980* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | वि०—16 | 2-4-1978 | 1-4-1981* |
| 38. | वाई—5 | 6-2-1978 | 5-2-1981* |
| 39. | सी—5 | 7-2-1981 | 6-2-1984 |
| 40. | वि०—6/1 | 21-2-1980 | 20-2-1983 |
| 41. | वि०—10 | 15-12-1980 | 14-12-1983 |
| 42. | सी—1 | 6-2-1978 | 5-2-1981* |
| 43. | वि०—24 | 6-10-1978 | 5-10-1981 |
| 44. | एल—1 | 5-4-1978 | 4-4-1981* |
| 45. | वि०—32 | 29-8-1976 | 28-8-1979* |
| 46. | यू—1ए और यू—2ए | 21-10-1975 | 20-10-1978* |
| 47. | वि०—31 | 1-1-1979 | 31-12-1982 |
| 48. | एफ—1 और एफ—2 | 8-2-1978 | 7-2-1981* |
| 49. | डब्ल्यू—3 | 29-1-1981 | 28-1-1984 |
| 50. | डब्ल्यू—2 | 16-5-1979 | 15-5-1982 |
| 51. | एन—टून ए—8 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 52. | एन—9 टू एन—14 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 53. | एन—15 | 6-7-1977 | 5-7-1980* |
| 54. | एच—1 एच—6 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 55. | आई—1 टू-आई—8 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 56. | आई—9 टू-आई—15 | 1-4-1978 | 31-3-1981* |
| 57. | डी—1 टू-डी—3 | 7-2-1978 | 6-2-1981* |
| 58. | डी एच—1 | 26-3-1980 | 25-3-1983 |
| 59. | डी एच—2 | 4-4-1980 | 3-4-1983 |
| 60. | आई···स्टेज/बी | 1-1-1977 | 31-12-1980* |
| 61. | जी—1 और जी—2 | 27-2-1981 | 26-2-1984 |
| 62. | बी—1 टू-बी—12 | 1-2-1981 | 31-1-1984 |
| 63. | टी—1 | 21-6-1978 | 20-6-1981 |
| 64. | टी—2 | 14-6-1978 | 13-6-1981* |
| 65. | आर—1 टू-आर—9 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 66. | ए—1 | 4-6-1975 | 3-6-1978* |
| 67. | अलवर—1 | 16-12-1979 | 15-12-1982 |
| 68. | अलवर—2 | 16-12-1979 | 15-12-1982 |
| 69. | एस—2 | 9-4-1979 | 8-4-1982 |
| 70. | एस—1 | 1-5-1978 | 30-4-1981* |
| 71. | एन—16 | 6-7-1980 | 5-7-1983 |
| 72. | जी—5 और जी—6 | 1-5-1978 | 30-4-1981* |
| 73. | वि०—22 | 17-8-1978 | 16-8-1981* |
| 74. | वि०—7 | 20-3-1980 | 19-3-1983 |
| 75. | वि०—13ए | 14-1-1978 | 13-1-1981* |
| 76. | वि०—20 | 1-11-1980 | 30-10-1983 |
| 77. | वि०—20-ए | 6-4-1980 | 5-4-1983 |
| 78. | जी—3 और जी—4 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 79. | ओ—14 | 23-11-1977 | 22-11-1980* |
| 80. | ओ—1 टू ओ—12 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 81. | ओ—13 | 6-11-1980 | 5-11-1983 |
| 82. | जे—1 टू जे—10 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 83. | जे—11 टू जे—17 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 84. | के—15 टू के—18 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 85. | के—1 टू के—10 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 86. | के—11 | 1-4-1978 | 31-3-1981* |
| 87. | के—12 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 88. | के—13 और के—14 | 1-4-1981 | 31-3-1984 |
| 89. | एस सी—1/60/72 | 2-2-1981 | 1-2-1984 |
| 90. | एस सी आई/59/72 | 3-2-1981 | 2-2-1984 |
| 91. | आर—1 और आर—2 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 92. | वी—1 और वी—2 | 2-7-1978 | 1-7-1981* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 93. | क्यू—1 | 1-5-1981 | 30-4-1984 |
| 94. | वि०—22 | 17-8-1978 | 16-1-1981* |
| 95. | डी के—1ए | 10-11-1973 | 9-11-1976 (अब रद्द हो गये हैं।) |
| 96. | वि०—25 | 23-11-1973 | 22-11-1976 कोई स्थायी परमिट नहीं दिया गया। |
| 97. | वि०—7 | 20-3-1980 | 19-3-1983 |
| | | कुल : 199 परमिट | |

नोट :—स्तम्भ 4 में उल्लिखित तारीख स्थायी परमिट की अवधि समाप्त होने की तारीख है। इन मामलों में, जहां स्थायी परमिटों की अवधि, सिवा क्रम संख्या 96 के एक परमिट के राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा स्थायी नवीकरण किए जाने तक, मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 62 के अधीन स्थायी तौर पर बढ़ाई जा रही है। क्रम संख्या 96 के इस परमिट के स्थायी या अस्थायी नवीकरण पर राज्य परिवहन अधिकरण विचार कर रहा है। ऐसे मामले, जो अस्थायी परमिटों के है, तारांकित किए गये है।

**स्पोर्टस मेडिसन**

4640. **श्री ए० नीलालोहिथादसनन नाडार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों को उनके अभ्यास अथवा प्रतिस्पर्धा के दौरान पहुंची मामूली चोटों के कारण ही उन्हें अपने युवा अवस्था में सेवा निवृत्त होना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दो ओलम्पिकों के स्वीश बाबू और कु० पोटी उषा तथा राष्ट्रीय रिकार्ड कायम करने वाली झनमाछी सभी केरल के हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में अभी तक कोई ऐसा डाक्टर नहीं है, जो स्पोर्ट मेडीसन का विशेषज्ञ हो ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख जायेगी।

## उर्दू अकादमी, दिल्ली की स्थापना

4641. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के लिए एक उर्दू अकादमी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य तथा पदाधिकारी कौन-कौन हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि उर्दू के सभी वर्गों तथा समूहों के लेखकों को इसमें सम्मिलित किया जाए;

(घ) क्या यह सच है कि गुलाम खानी तवन, डा० मोहम्मद हुसैन, डा० गमर रियाज और जोगेन्द्र पाल जैसे श्रेष्ठ उर्दू लेखकों और शायरों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे प्रगति स्कूल के थे; और

(ङ) क्या सरकार इसे प्रतिनिधि संगठन बनाने के लिए उर्दू लेखकों और उर्दू प्रेमियों के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए अकादमी का पुनर्गठन करेगी ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी हां ।

(ख) अकादमी के सदस्य/पदाधिकारी है :

1. श्री एस० एस० खुराना, दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा प्रशासक—अध्यक्ष
2. श्री कालेश्वर राय, शिक्षा निदेशक (स्थानान्तरित) सदस्य
3. श्री एच० के० एल० भगत, संसद सदस्य—सदस्य
4. श्री मलिक राय—सदस्य
5. श्री कंवर मोहेन्दर सिंह देवी—सदस्य
6. श्री अनवर अली—सदस्य
7. डा० खालिक अंजुम—सदस्य
8. श्री सागर निजामी—सदस्य
9. डा० गोपी चन्द नारंग—सदस्य
10. डा०ख्वाजा अहमद फरूकी—सदस्य
11. श्री खनत फरोश—सदस्य
12. बेगम मुमताज मिर्जा—सदस्य

श्री एस० एच० नक्वी सहायक शिक्षा निदेशक को स्वयं अपने कार्यों के अतिरिक्त अकादमी के सचिव के कार्य की देखभाल करने को कहा गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) अकादमी चूंकि अभी हाल ही में गठित की गयी है अतः उसके पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता । लेकिन अकादमी की सदस्यता, जब कभी भी आवश्यक समझी जाए वर्तमान 13 से 20 तक बढ़ाई जा सकती है ।

**केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी संघ को मान्यता**

4642. **श्री ईरा अनवारसु** : क्या शिक्षा और समाज कयाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के तीन भिन्न-भिन्न संघ हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कब से काम कर रहे हैं;

(ग) इनमें कर्मचारियों के किस संघ को अभी तक संगठन द्वारा विभागीय रूप से मान्यता दी गई हैं और कब से;

(घ) अन्य संघों को मान्यता न देने के कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार उन संघों को मान्यता देने पर विचार कर रही है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के चार एसोसिएशन हैं । इन एसोसिएशनों के नाम और जिस वर्ष उनकी स्थापना की गई है, नीचे दिए गए हैं—

| एसोसिएशन का नाम | वर्ष जब स्थापना की गई |
|---|---|
| 1. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन | |
| 2. (अखिल भारतीय) केन्द्रीय विद्यालय गैर शिक्षण स्टाफ एसोसिएशन | |
| 3. केन्द्रीय विद्यालय प्रिंसिपल्स फोरम | |
| 4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ एसोसिएशन | |

(ग) से (ङ) इन चारों एसोसिएशनों में से किसी भी एसोसिएशनों को 'विधितः' मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशनों की मान्यता) नियम 1959 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद प्रभावी हो गए हैं । तथापि एसोसिएशनों को संगठन के प्राधिकारियों के साथ कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने का यथोचित अवसर दिया जाता है ।

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की खाली भूमि पर अनधिकृत कब्जा**

4643. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन. डी. एस. ई. पार्ट दो और गौतम नगर से लगने वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की खाली भूमि पर बहुत से व्यक्तियों के अनधिकृत कर लिया है और उनमें से कुछेक ने तो सरकारी भूमि पर पक्के मकान भी बना लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को वहां से हटाने और भविष्य में अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों से सरकारी भूमि को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हां। कुछ अनधिकृत झुग्गियां, आदि विशेषकर मस्जिद मोठ और गौतम नगर क्षेत्र में पड़ गई हैं। परन्तु संस्थान को यह जानकारी नहीं है कि वहां पर कोई पक्के मकान भी बने हुए हैं।

(ख) पुलिस की सहायता से संस्थान के प्राधिकारियों ने अधिकांश झुग्गियां हटवा दी हैं। संस्थान ने दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त से अनुरोध किया है कि वे अनधिकृत कब्जा करने वालों की झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। संस्थान ने प्रत्येक पारी में एक-एक सुरक्षा गार्ड तैनात करने का निर्णय भी किया है ताकि इस भूमि पर आगे कोई कब्जा न हो।

**सर्वाधिक व्यस्तता के समय के दौरान लक्ष्मी बाई नगर और आई० एन० ए० कालोनी से डी० टी० सी० बस मार्ग संख्या 50 की कुछ और बसें चलाना**

4644. **श्री राम किंकर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के 'एक्स, वाई', 'एक्सवाई' वाई-जैड', 'जैड' और अन्य पास के ब्लाकों में रहने वाले अनेक दैनिक यात्रियों को विभिन्न स्थानों को जाने वाली बसें पकड़ने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को डेढ़ से दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लक्ष्मी बाई नगर के निवासियों की परेशानियां दूर करने के लिए सर्वाधिक व्यस्तता के समय ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग पर स्थित लक्ष्मी बाई नगर से और महरौली मार्ग पर स्थित आई० एन० ए० कालोनी से मार्ग संख्या 50 की कुछ और बसें भी चलायी जाएंगी। (जो मूलतः सरोजिनी नगर बाजार से चलती हैं);

(ग) क्या यह भी सच है कि इन ब्लाकों के निवासी कल्याण संगठन ने कुछ समय पूर्व दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को उस बात का अभ्यावेदन दिया था कि सरोजिनी नगर के उक्त ब्लाकों के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ बसें नजदीकी स्थानों से चलाई जाए और सरोजिनी नगर के 'बी' एवेन्यू होकर जाने वाली मार्ग संख्या 560 तथा 52 की कुछ बसों के मार्ग में परिवर्तन किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी बसें कब तक चलाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह)** : (क) सरोजिनी नगर में पुलिस स्टेशन के पास जो बस स्टाप बनाया गया है, वह एक्स, वाई, एक्स वाई, वाई जैड और जैड ब्लाकों के नजदीक है और इन ब्लाकों के निवासियों को यहां से बस लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि उन्हें इस तरह का कोई आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

**दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान दिया जाना**

4645. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री 20 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहायता प्राप्त सीनियर सेकेंड्री स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्हें गत चार माह के दौरान वर्ष 1978-79 के लिये वार्षिक समायोजन अनुदान दिये गये हैं;

(ख) शेष स्कूलों को अनुदान देने के लिये क्या प्रयास करने का विचार है;

(ग) क्या अधिकांश स्कूलों को धन की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के अनुदान नहीं दिये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिकांश सहायता प्राप्त स्कूल अनुदान न मिलने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) पैंतालीस ।

(ख) सहायता प्राप्त स्कूलों से उनके खातों में असंगतियों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है । इन स्पष्टीकरणों के प्राप्त होने के बाद अनुदान जारी किए जाएंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

**अलाभप्रद ब्रांच लाइनें**

4646. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यातायात जांच समिति ने अलाभप्रद ब्रांच लाइनों के बारे में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और ब्रांच लाइनों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित विशेषज्ञ दल के लिए समिति ने किन विचारार्थ विषयों का सुझाव दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि रेल अभिसमय समिति और राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अलाभप्रद ब्रांच लाइनों को बन्द करने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो इन समितियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ब्रांच लाइनों को बन्द किए जाने के बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** (क) रेल दर सूची जांच समिति ने, जिसे भारतीय रेलों पर यात्री किराये, माल भाड़े तथा अन्य अनुषंगिक विषयों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ अलाभप्रद शाखा लाइनों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं ।

(ख) विवरण-1 संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विवरण-2 संलग्न है ।

(ङ) राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है ।

**विवरण-1**

अलाभप्रद शाखा लाइनों के सम्बन्ध में रेल दर सूची जांच समिति की अन्तिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिश संख्या 8.28 से 8.33.

8.28 दार्जिलिंग-न्यूजलपाईगुड़ी और नीलगिरि रेलवे खंडों पर किये गए विशेष यात्री यातायात सर्वेक्षण के आधार पर रेल दर सूची जांच समिति का विचार है कि इन रेलों पर पर्यटक यातायात इतना नहीं होता कि रेलवे इन खंडों के संचालन की भारी लागत को वहन करती रहे ।

8.29 यह आशा करना व्यर्थ है कि रेलें अपनी ओर से या राज्य सरकारों की सहमति से इस तरह की सभी लाइनों को बन्द कर देंगी या सामान्य राजकोष से इसके लिये अतिरिक्त वित्तीय राहत प्राप्त कर लेंगी । यह भी महसूस किया जाता है कि इस तरह की लाइनों को बन्द करने से जो शुद्ध बचत होगी वह गिनी गयी लेखा हानियों की तुलना में बहुत कम होगी । ऐसी प्रत्येक शाखा लाइन की विशेषज्ञ दलों द्वारा विस्तृत जांच करवाना उपयुक्त रहेगा जिनमें हानि बहुत अधिक होती है । इन दलों में रेलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि रखे जा सकते हैं ।

8.30 जहां किन्हीं विशिष्ट लाइनों के संचालन से वास्तविक परिचालन हानि काफी अधिक होती है और जहां परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं या उपलब्ध किये जा सकते हैं, वहाँ केन्द्र और राज्य दोनों की सरकारों को उन लाइनों को बन्द करने के बारे में विचार करना चाहिए । यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उन लाइनों को बन्द करने के लिए राजी नहीं कर सकती तो उनकी हानि को केन्द्रीय राजकोष से वहन किया जाना चाहिए और उन राशियों को उनके सभी फलितार्थों सहित सम्बन्धित राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता का अंग माना जाना चाहिए ।

8·31 अलाभप्रद लाइनों के बन्द होने से जिन क्षेत्रों के प्रभावित होने की सम्भावना है, उनमें अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने या अन्य किस्म के विकास कार्यों के लिए रेलों को चाहिए कि वे अपने हित में सम्बन्धित प्राधिकरणों को वास्तविक वार्षिक हानि के दस गुना के बराबर राशि अनुदान के रूप में प्रदान करें ।

8·32 जो लाइनें किन्हीं कारणों से बन्द नहीं की जा सकती है, उनकी सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न समितियों द्वारा किये गये वैकल्पिक सुझावों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये लेकिन ऐसा करने से पहले हमारे ऊपर दिये गये सुझाव के अनुसार इनकी विशेषज्ञ दलों द्वारा जांच करवा ली जानी चाहिए ताकि हानि को कम से कम रखा जा सके ।

8.33 समिति की राय है कि मामूली हानि वाली अनेक लाइनों के कारण रेलवे के वित्त पर पड़ने वाला कुल बोझ इतना कम है कि उन लाइनों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करने में अपने साथ और शक्ति को व्यर्थ गंवाना होगा ।

अलाभप्रद शाखा लाइनों के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित विशेषज्ञ दल के लिए रेलदर सूची जांच समिति द्वारा सुझाये गये विचारार्थ विषय ।

चूंकि यह आशा करना व्यर्थ है कि रेल इन सब लाइनों की अपनी सामर्थ्य पर या राज्य सरकारों की स्वीकृति से बन्द करने में समर्थ होगी, या सामान्य राजकोष से और अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी, इस समस्या पर व्यावहारिक रूप में एक दूसरे ढंग से ही विचार करना होगा । इस सम्बन्ध में यह समझने की आवश्यकता है कि जो हानियां दिखायी जाती हैं वो वास्तव में लेखीय हानियां हैं । यदि इन सब शाखा लाइनों को तत्काल ही बन्द कर दिया जाए,

तब भी शुद्ध बचत 21 करोड़ रुपये अर्थात् जिस सीमा तक लेखीय नुकसान आंका गया है नहीं होगा, बल्कि बहुत कम होगी फिर भी, केवल उन लाइनों पर जिन से वास्तव में बड़ी हानियां होती है पहले विचार करने की आवश्यकता है। यह उचित होगा यदि ऐसी प्रत्येक शाखा का विशद् अध्ययन (जांच) विशेषज्ञों दलों द्वारा जिनमें रेलों के व सम्बन्धित राज्य सरकार (सरकारों) के प्रतिनिधि हों किया जाए। ये विशेषज्ञ ऐसी प्रत्येक लाइन का कार्य अध्ययन करें और समीचीन तथा विशद लागत विश्लेषण के बाद, वास्तविक परिचालन हानि निकालें और लाइन को बन्द करने पर रेल को होने वाली वास्तविक बचत का भी पता करें। यदि ये राशियां सारपूर्ण न पाई जाएं, तो रेलें इन लाइनों को चलाता रहे, व विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये हुए उपायों से परिचालन में सुधार लाकर इन हानियों को कम करने का प्रयत्न करें। चूंकि अलग-अलग गेज व यातायात धाराओं व वस्तुओं के बीच दुतरफा अनपूर्ति का तत्व पहले से ही विद्यमान है, अतः रेलों के लिए कुछ शाखा लाइनों पर सीमांत हानियों को बर्दाश्त करना शायद अधिक कठिन नहीं होगा।

किन्तु उन मामलों में जहां वास्तविक हानियां सारपूर्ण पाई जायें और परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो सकें तो सम्बन्धित लाइनों के संभावित समापन पर केन्द्र व राज्य सरकार दोनों द्वारा विचार किया जाए। यदि किसी विशेष कारण से राज्य सरकार ऐसी लाइन को चालू रखना चाहती हैं तो इसे परिचालन हानि बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि रेलों से, जिसका अर्थ अन्ततः अन्य रेल प्रयोक्ता है, यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इन सेवाओं को अनिश्चित काल तक हानि पन प्रदान करती रहें। यदि केन्द्र सरकार समापन के लिए राज्य सरकार को राजी न कर सके तो ये हानियां सामान्य राजकोष से भरी जाएं तो वे इन राशियों को सम्बन्धित राज्य सरकार को केन्द्र से मिलने वाली सहायता का ही, सभी आशयों सहित, एक भाग समझा जाए।

इसी प्रकार जहां केन्द्र सरकार युद्ध, विकास या अन्य कारण से ऐसी लाइनों को चालू रखना चाहे, तो इसे स्वीकार करना चाहिए, जैसा ऊपर सुझाया गया है, कि संयुक्त दल द्वारा की हुई हानि की राशि केन्द्रीय सामान्य राजकोष से भरी जाएं। इन राशियों का समय-समय पर पुनः परिकलन किया जाए।

अनार्थिक लाइनों की वित्तीय कार्य जांच में राज्य व केन्द्र सरकारों के प्रतिनिधियों का साहचर्य प्राप्त करने से रेलों के दृष्टिकोण की वैधता अधिक अच्छी तरह सुस्थापित हो सकेंगी और इस प्रकार सम्बन्धित पक्षों द्वारा मूल्यांकित की जा सकेंगी। जब स्वतन्त्र जांच के बाद यह सुस्थापित हो जाएं कि ये लाइनें वास्तव में बहुत अधिक घाटे पर चल रही हैं, तब यह सम्भव है कि राज्य/केन्द्रीय राजकोष ऐसी स्थिति के स्थायित्व पर जिस में रेलों को इतनी अधिक मात्रा की हानि लगातार उठानी पड़ रही हो, आग्रह न करें।

हां, यह अवश्य है कि जहां कहीं किसी अत्यन्त अलाभकर लाइनों को बन्द करने में महत्वपूर्ण राजनीतिक दुविधा हो तो केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ऐसे समापन के पक्ष में जन-जागृति हेतु विशेष प्रयत्न किए जायें और रेलें अपने ही हित में इस प्रक्रिया को तेज करने में पहले

सुझाये गये ढंग से प्रोत्साहन प्रदान करें। यदि रेलें (वार्षिक हानि के पूंजीकरण द्वारा) एक सारपूर्ण राशि जैसे मानो अलाभकर लाइन पर होने वाली वार्षिक हानि का दश गुना उस क्षेत्र में अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं या अन्य किसी प्रकार के विकास पर खर्च करने को तैयार हों, तो स्थानीय नेतृत्व को उस अलाभकर लाइन के समापन पर राजी करना अधिक कठिन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार रेलों को भी, भविष्य में, इस लाइन पर होने वाली हानि की एक सीमा निश्चित हो जायेगी, अतः उनको इस प्रकार की कार्य दिशा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

दूसरी तरफ जहां कहीं किसी भी कारण से—जिसमें पर्याप्त वैकल्पिक परिवहन की कठिनाई शामिल है—यह तय किया जाता है कि किसी लाइन को चाहे वे कितनी ही अलाभकर हों कुछ समय पर होने वाली नुकसान कम से कम हो सके। लेकिन यह विद्यमान सेवाओं में कटौती करके या पूंजी के भावी विनियोग को टाल करके नहीं किया जाना चाहिये। यह हो सकता है कि अतिरिक्त पूंजी विनियोग से, जैसे रेलपथ का मजबूतीकरण करके, कर्षण विधि में सुधार करके या लाइन पर नये इंजन तथा अच्छे डिब्बे लगाकर, संकेत तथा दूर संचार सुविधाओं में सुधार करके था इसी प्रकार के अन्य तरीकों से उस लाइन की आर्थिकता अच्छी हो सके, चाहे फिर भी कुछ शुद्ध हानि रहे। यदि अधिक दक्ष सेवाओं से यह सुनिश्चित हो सके कि अतिरिक्त राजस्व, सेवाओं पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा कर लेगा, तो हानियां निश्चित रूप से कम होंगी। यह सब विकल्प हमारे द्वारा ऊपर सुझाये गये दल द्वारा जांच जायें और यह दल इन सब मामलों पर अपनी निश्चित सिफारिशें दें। हम यह भी मान कर चलते हैं कि यह दल आवश्यक यातायात के परिवहन की वैकल्पिक विधियों की (जैसे रोपवेज या पाइप लाइन) सम्भावनाओं की जांच करेंगे और इस बात की भी जांच करेंगे कि आया विशेष वस्तुओं या विशेष परिवहन के लिये विशेष दरें रखने से उन यातायात सुविधाओं का, जिनकी आवश्यक रूप से जारी रखना पड़ेगा, अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा या नहीं।

**विवरण-2**

**रेल अभिसमय समिति, 1977 की सिफारिशें**

| सिफारिश संख्या | पैरा सं० | |
|---|---|---|
| 38 | 4.42 | समिति आगे यह नोट करती है कि प्रशासनिक सुधार आयोग भी कुल मिलाकर इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था जब उन्होंने यह महसूस किया था कि रेलवे बोर्ड को उन अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने के बारे में विचार करना चाहिए जहां पर वैकल्पिक परिवहन के सस्ते साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और जहां पर इन अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने से जनहित पर दुष्प्रभाव न पड़े जिसमें क्षेत्र की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि शामिल है। चालू |

| सिफारिश संख्या | पैरा संख्या | |
|---|---|---|
| | | रखने की रेलवे बोर्ड द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां तक व्यावहारिक हो रेलवे के वित्त को वाणिज्यिक दृष्टि से अनुमेय तथा संभावित लाभप्रद लाइनों के चालन के उपयोग में लाया जाये और जहां-कहीं जनहित में अलाभप्रद लाइनों को चालू रखने से जो हानि होगी उसकी प्रतिपूर्ति सार्वजनिक राजस्व राज्य अथवा केन्द्र द्वारा की जाये । |
| 38 | 4.83 | समिति यह अनुभव करती है कि अलाभप्रद शाखा लाइनों के परिचालन को बनाये रखने के समूचे प्रश्न की, स्थिति की वास्तविकताओं के सन्दर्भ में तथा यह दृष्टिगत रखते हुए कि रेलवे वित्त का राज्य के बेहतर हित में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार मौजूदा वैकल्पिक परिवहन के सस्ते साधन अलाभप्रद गाड़ी सेवाओं का स्थान ले सकते हैं, विवेचनात्मक तथा यथार्थ समीक्षा करने की जरूरत है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि रेलों को उन शाखा लाइनों का पता लगाना चाहिए जो सीमान्तक रूप से अलाभप्रद हैं और जिन्हें कम से कम निवेश करके अर्थ-सक्षम बनाया जा सकता है तथा इन लाइनों के वित्तीय परिणामों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों, व्यवसायों तथा उद्योगों के साथ निकट समन्वय बनाये रखकर संगठित उपाय किये जाने चाहिए । |
| 40 | 4.84 | जहां तक अन्य शाखा लाइनों का सम्बन्ध है, समिति यह नोट करती है कि राज्य सरकारें उन लाइनों को भी बन्द करने के पक्ष में नहीं हैं जिनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । समिति का मत है कि निकट भविष्य में इन लाइनों के अर्थक्षम होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए यदि इन लाइनों को आवर्ती घाटे के बावजूद अनिश्चित काल तक चालू रखना है, तो एकमात्र विकल्प यह है कि जो प्राधिकरण इन लाइनों को चालू रखना चाहते हैं उन्हें अपरिहार्य हानि को वहन करने के लिए रेलों के साथ भागीदार होना चाहिए । |

| सिफारिश संख्या | पैरा संख्या | |
|---|---|---|
| 40 | 4.86 | समिति यह भी उल्लेख करना चाहेगी कि 31 मार्च, 1964 को रेलों की ब्याज देय पूंजी का जो एक प्रतिशत यात्री किराया कर के बदले राज्य सरकारों को देय है, उसमें से राज्य सरकारों को हर वर्ष 16.25 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है जबकि शेष राशि रेलों के हिस्से के रूप में राज्यों को अंशदान के रूप में संरक्षा कार्यों के लिए दी जाती है। 1969-70 से 1973-74 तक के पांच वर्षों में कुल 90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। केवल मात्र यही उचित तथा न्याय संगत होगा कि जो राज्य सरकारें अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द करने के पक्ष में नहीं है, उन्हें घाटे को पूरा करने के लिए आगे जाना चाहिए। |

**राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का मत**

भारतीय रेल प्रणाली पर तीनों आमान की ऐसी 126 शाखा लाइनें हैं जिन्हें विभिन्न-उच्च-स्तरीय समितियों ने अलाभप्रद माना है और आम मत इन लाइनों को बन्द करने के पक्ष में रहा है बशर्ते कि सड़क परिवहन द्वारा क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती हों। बड़े तथा मीटर आमान की थोड़ी-थोड़ी लम्बाई वाली उन लाइनों को अपवाद-स्वरूप माना जा सकता है जिन्हें मौजूदा रूप से अथवा आमान परिवहन के बाद उपयुक्त स्थलों से जोड़कर भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता हो। इन अपवादों को छोड़कर शेष अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द कर दिया चाहिए क्योंकि ये रेलों के अर्थक्षम होने में बाधक हैं।

**पांडिचेरी के जिपमेर अस्पताल का विकलांग विभाग**

4647. **श्री आर० मुथुकुमारन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी के जिपमेर अस्पताल में पिछले 10 वर्षों से एक सामान्य (जनरल) सर्जन विकलांग विभाग का प्रभारी अधिकारी है :

(ख) यदि हां, तो एक विकलांग चिकित्सक को विभाग का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जिपमेर अस्पताल में भर्ती होने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य सरकारी अस्पतालों की भांति जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के अस्पताल में भी रोग के स्वरूप के आधार पर जिस रोगी को अस्पाल में भर्ती करने की जरूरत होती है, उसे भर्ती किया जाता है।

**तकनीकि अनुभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का अन्य अनुभागों को स्थानांतरण**

4648. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एक निश्चित समय के बाद बारी-बारी से बदलना जनहित में समझा जाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षा-वृत्ति अनुभाग और अन्य महत्वपूर्ण अनुभागों में और "हाउस कीपिंग" प्रभागों में कुछ कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तकनीकी अनुभागों में स्थानाँतरित करने का विचार है ताकि तकनीकी अनुभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को उपर्युक्त प्रभाग के महत्वपूर्ण अनुभागों में काम करने का अवसर मिले और यदि हां, तो कब।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) हमेशा नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जिन्होंने किसी अनुभाग/प्रभाग विशेष में पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली होती है, समय-समय पर मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ही में अथवा मन्त्रालय से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मन्त्रालय में स्थानांतरित करने की बात पर विचार किया जाता है। लेकिन अंतिम निर्णय सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धी सुविधाओं को देखते हुए ही लिया जाता है।

**दिल्ली परिवहन निगम के विशेष रूट संख्या 40 में परिवर्तन**

4649. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम के विशेष रूट संख्या 40 पर बस सुजानसिंह पार्क से रीगल जाती थी जिसे हाल ही में एक उच्च अधिकारी

की सुविधा के लिए रवीन्द्र नगर से चलाया जाने लगा है जबकि इस स्टाप से एक या दो से अधिक यात्री इस बस में नहीं चढ़ते हैं और इस प्रकार पंडारा पार्क, काका नगर आदि के यात्रियों को असुविधा हो रही है; और

(ख) क्या यथापूर्व व्यवस्था पुनः करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) रूट नंबर चालीस की जो बस पूर्वाह्न 9·40 बजे सुजानसिंह पार्क से चलती है उसे भारती नगर तक निवासियों की सुविधा के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बस से यात्रा करने वाले यात्रियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसे 8-9-1981 से पुनः सुजानसिंह पार्क से रीगल तक चलाया जा रहा है।

**दिल्ली में अध्यापकों के चयन के लिए साक्षात्कार के अंक**

4650. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के पद पर चयन के लिए पहले अर्हता के लिए 65 अंक, अनुभव के लिए 10 अंक, साक्षात्कार के लिए 20 और विशेष योग्यताओं के लिए 5 अंक निर्धारित कर रखे थे;

(ख) क्या अब यह मूल्यांकन प्रणाली बदल कर अर्हता के 75 अंक, साक्षात्कार के लिए 20 और अनुभव के लिए 5 अंक कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) पिछली अंक प्रणाली में विशेष योग्यता के लिए 5 अंक किस-किस श्रेणी के अभ्यार्थियों को दिए जाते थे;

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन ने विशेष श्रेणी के अभ्यार्थियों को अंक देने की प्रणाली समाप्त कर दी है और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों को 5 अंक देने की प्रणाली पुनः लागू की है;

(च) यदि हां, तो अंक देने की नयी प्रणाली में जो 5 अंक देने की व्यवस्था की गई है, यह 5 अंक साक्षात्कार में से कम करके दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : जी, हां।

(ख) जी हां। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवारों तथा जिन्होंने ग्रामीण स्कूल में उच्चतर माध्यमिक/मैट्रिक तक अध्ययन किया हो, को अब पांच अंक दिए जाते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अर्हता अंक 65 से बढ़कर 75 कर दिए गए हैं और अनुभव अंक 10 से कम करके 5 कर दिए गए हैं ताकि सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के मामले में अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों के स्थान पर शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को अधिक महत्व दिया जा सके।

(घ) विशेष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती अंक देने की योजना में 5 अंक उन उम्मीदवारों को दिए जाते थे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्ययन किया हो अथवा तदर्थ आधार पर कार्य किया हो अथवा जो 50 वर्ष से अधिक आयु के अध्यापकों के आश्रित, तलाक-शुदा महिलाओं, सैनिक कार्मिकों के आश्रित राजनैतिक पीड़ित तथा शारीरिक रूप से विकलांग आदि हों।

(ङ) जी हां। यद्यपि पी. जी. टी. (स्नातकोत्तर अध्यापकों) के अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती के लिए इन वर्गों को 5 अंक देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, अर्हताओं, साक्षात्कार तथा अनुभव के लिए दिए गए अंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके द्वारा उठाई गई असुविधाओं की क्षतिपूर्ति के लिए संशोधित योजना में उनके लिए 5 रियायती अंकों की व्यवस्था की गई है।

(च) जी, नहीं। साक्षात्कार के लिए अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है।

(छ) उपरोक्त (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानान्तरण**

4651. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81, वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों के विभिन्न श्रेणियों के कितने शिक्षकों (श्रेणी वार) का एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण किया गया।

(ख) इस वर्ष इस श्रेणियों के कितने शिक्षकों का स्थानान्तरण 1981-82 शिक्षा सत्र के दौरान अभी तक किया गया है; और

(ग) इस सत्र के दौरान कितने और शिक्षकों का स्थानान्तरण किए जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** (क) से (ग) अपेक्षित सूचना अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है। चूंकि इस आवश्यक सूचना को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ग्यारह क्षेत्रीय कार्यालयों तथा देशभर में फैले लगभग 360 केन्द्रीय विद्यालयों से एकत्र करना होगा; अतः यह महसूस किया जाता है कि इस सूचना के संलग्न में जो प्रयत्न करने होंगे और इसका जो परिणाम निकलेगा वह आनुपातिक नहीं होगा।

**लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतें**

4652. **केशव राव पार्धी**
**श्री श्रीखा भाई**
**श्री हीरा लाल आर० परमार**) क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को गत तीन वर्षों के दौरान अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उनके अपने अगले अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस तरह की शिकायतें कितनी और किस तरह की हैं तथा साथ ही शिकायत कर्त्ताओं के क्या नाम हैं;

(ग) इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उनकी इस तरह की गलती के लिये उन्हें दंडित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ङ) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतें तो अवश्य होंगी। लेकिन इस अस्पताल में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। वैसे, जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करायी जाती है। ताकि यदि गलती करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे दण्ड दिया जा सके।

**मेरठ-बिजनौर लाइन**

4653. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मेरठ और बिजनौर के बीच बरास्ता हस्तिनापुर एक रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है और इस पर कितना खर्च होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि यह आर्थिक रूप से सक्षम है और उसे क्षेत्र की जनसंख्या द्वारा इसकी भारी मांग की जा रही है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण इस रेल सम्पर्क का निर्माण अभी सम्भव नहीं है।

**दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान घटिया दवाइयों की खरीद**

4654. **श्री तारिक अनवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में फरवरी और मार्च माह के दौरान तथा पिछले 10 महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा कितने मूल्य की दवाइयों की खरीद की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपयुक्त दो महीनों के दौरान खरीदी गई दवाइयां घटिया किस्म की थीं और कुछ दवाइयों में फफूंद लगी हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या दोषपूर्ण औषधियों को संबंधित फर्मों को लौटा दिया गया था; और

(घ) किस अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई थी और कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए थे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 1980-81 में फरवरी तथा मार्च के दौरान 43.53 लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां खरीदी थीं। निगम ने इस अवधि से पहले 10 महीनों के दौरान 153.77 लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां खरीदी थीं।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अनुसार कोई भी दवाई घटिया किस्म की या फफूंद लगी हुई नहीं थी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के शिक्षक की योग्यताएं**

4655. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के अध्यापक वर्ग के लिये हिन्दी की कौन-सी मूल योग्यताएं निर्धारित की गई हैं ।

(ख) क्या उपर्युक्त योग्यताओं में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या संस्थान के कुछ शिक्षकों की हिन्दी की योग्यता निर्धारित स्तर से कम है और यदि हां, तो उनके मामले में संगत शर्तों को हटाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या हिन्दी की अपर्याप्त योग्यता वाले कुछ शिक्षक उन कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं जिनका स्तर शिक्षकों के शैक्षिक स्तर से ऊँचा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या उन शिक्षकों को अपनी योग्यताएं बढ़ाने के निदेश दिये गये हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में विभिन्न अध्यापन पदों के लिए 1980 से लागू बुनियादी हिन्दी अर्हताएं इस प्रकार हैं :

| | |
|---|---|
| प्रोफेसर | उनके लिए स्नातक स्तर तक हिन्दी जिनके पास शिक्षा अथवा भाषा विज्ञान में एम० ए० की डिग्री है । |
| रीडर | उनके लिए स्नातक स्तर तक हिन्दी जिनके पास शिक्षण, भाषा विज्ञान एम० ए० डिग्री है । |
| लेक्चरर | उनके लिए कम से कम स्नातक स्तर तक हिन्दी जिनके पास शिक्षा, भाषा-विज्ञान/प्रयुक्त भाषा विज्ञान में एम० ए० डिग्री है । |

(ख) और (ग) उन पदों/परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार, जिन पर नियुक्ति की जानी थी, शासी परिषद के अनुमोदन से 1980 से पहले की बुनियादी हिन्दी अर्हताओं में परिवर्तन किये गये हैं । पहले केवल लेक्चरर के पद के लिए हिन्दी अर्हताओं में छूट दी गई थी, क्योंकि चयन समिति का यह विचार था कि सम्बन्धित लेक्चरर अन्य प्रकार से अर्हता प्राप्त हैं और लेक्चरर के पद के कार्य करने के लिए उनके पास हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है । इस छूट को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**अनुसूचित जातियों के ड्राइवरों को मेटाडोर वाहन दिया जाना**

4656. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भ में 800 रुपये का भुगतान करने पर अनुसूचित जातियों के ड्राइवरों को मेटाडोर-वाहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितने मेटाडोर वाहन सड़कों पर चल रहे हैं और उक्त योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके बाद कुछ और मेटाडोर वाहनों का आवंटन करने के लिए कोई पेनल तैयार किया गया है;

(घ) प्राधिकारियों ने मेटाडोर वाहनों की मंजूरी देने के लिए क्या मापदंड अपनाया है; और

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन के परिवहन प्रभाग के अन्तर्गत निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों के बेरोजगार ड्राइवरों के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह)** : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष 1980-81 में, स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान के अंतर्गत मेटाडोर गाड़ियां खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार करके क्रियान्वित की गई थी। थी जैसा दिल्ली प्रशासन ने जिस योजना को क्रियान्वित किया उसमें 800/- रुपये जमा कराने की शर्त नहीं कि प्रश्न में उल्लिखित है । इस योजना में मेटाडोर गाड़ियों की खरीद के लिए अनूसूचित जाति के 28 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था जिसमें गाड़ी की लागत का 15% दिल्ली प्रशासन को, 80% भारतीय स्टेट बैंक को वहन करना था। शेष 5% खर्च उम्मीदवार को स्वयं वहन करना था। सभी इच्छुक व्यक्तियों से 26 फरवरी से 7 मार्च 1981 आवेदन मांगे गये थे। केवल वही व्यक्ति वित्तीय सहायता दिए जाने के पात्र थे जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते थे :—

(1) उसे दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

(2) उसके पास जिलाधीश दिल्ली द्वारा जारी किया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(3) उसके पास ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए जो एल एम वी/एम एम वी श्रेणी की गाड़ियां चलाने के लिए वैध हो।

(4) उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) उसके परिवार की नियमित आय 4000/- रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन समिति ने सभी पात्र अधिकारियों का साक्षात्कार किया और सहायता देने के लिए 28 उम्मीदवारों को चुना। 9-9-9181 के अनुसार, 21 गाड़ियां चलनी शुरू हो चुकी हैं और शेष शीघ्र ही चलाई जाने की संभावना है।

प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष में 130 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वीकृत नमूने की 100 थ्री व्हीलर आटो-रिक्शा और 10 मेटाडोर गाड़ियां खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

**दिल्ली में देशी घी में मिलावट**

4657. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में व्यापारी देशी घी में बड़े पैमाने पर आयातित बटर आयल की मिलावट कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो महीनों के दौरान उपर्युक्त मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उक्त अवधि में कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, नहीं। मिलावट के ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भद्रा-सादुलपुर मीटर गेज लाइन**

4658. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मीटर गेज लाइनों को बदलने की मांग के बारे में दिनांक 3 जून, 1981 के 'प्रताप केसरी' में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भद्रा-सादुलपुर (उत्तर रेलवे) मीटर गेज लाइन जो बहुत पुरानी हो गयी है को बदलने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस लाइन पर दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना रहता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस लाइन को कब तक बदलने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) रेलों की नीति है कि रेल पथ की हालत के आधार पर रेलपथ को बदल दिया जाय। प्राप्त होने वाले यातायात की मात्रा को देखते हुए इस खंड में तत्काल पूरे रेलपथ का नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, सुरक्षा के लिए जो मानक निर्धारित हैं, उन मानकों तक रेलपथ के अनुसरण के लिए जो आकस्मिक नवीकरण करने आवश्यक होते हैं, वे किये जा रहे हैं।

**राज्यों में पुनर्वास अनुसन्धान केन्द्र**

4659. **श्री रामसिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सवाई मान सिंह मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल, जयपुर के विकलांग विभाग के अध्यक्ष और पुनर्वास अनुसन्धान केन्द्र के निदेशक डा० पी० सी० सेठी को 1981 के "रिमन मेन है से अवार्ड फोर कम्युनिटी लीडर शिप" पुरस्कार हेतु चुना गया है;

(ख) क्या यह सच है कि डा० सेठी ने अपनी शल्य चिकित्सा प्रतिभा द्वारा कृत्रिम टांगों का निर्माण किया है जिसे "जयपुर फुट" के नाम से पुकारा जाता है ;

(ग) क्या यह कहना सच है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल, जयपुर पुनर्वास अनुसन्धान केन्द्र से संबद्ध इस कार्यशाला में तैयार किये गये तथा निर्मित कृत्रिम अंगों से विकलांग लोग सामान्य जीवन बिता रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव प्रत्येक राज्य में पुनर्वास केन्द्र तथा डा० पी० सी० सेठी द्वारा विकसित की गई पद्धति पर आधारित कार्यशाला उपलब्ध करने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**श्री एरिक गन्सल्वेज द्वारा की गई कथित टिप्पणी**

4660. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया के एक समाचार-पत्र 'न्यूस्ट्रेट्स टाइम्स' ने मई के

आसपास यह समाचार छापा है कि विदेश मन्त्रालय के सचिव, श्री एरिक गन्सल्वेज ने क्षुब्ध करने वाली और अविवेक पूर्ण टिप्पणी की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री गन्सल्वेज को यह कहते बताया गया है कि जिन्होंने हेंग सामरिन और व्यतनामियों की "बुरे लड़कों" के रूप में आलोचना की है वे उन्हें सीधे रूस की बांहों में धकेल रहे हैं; उनका आगे कहना है कि "अब—हर कोई यह कहता है कि रूस को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर रखना होगा, और आप इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं; और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़े बेवकूफ पीकिंग के वे मूर्ख हैं जो रूस वालों को अपनी दक्षिणी सीमाओं में ला रहे हैं, एक प्रकार की जबरदस्ती; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) से (ग) न्यू स्ट्रेट टाइम्स के सम्पादक ने अप्रैल में श्री एरिक गन्सल्वेज के साथ हुए अपनी मुलाकात के दौरान उक्त पत्र के राजनयिक संवाददाता को पक्षसार देने के लिए अनौपचारिक रूप से अनुरोध किया था। श्री गन्सल्वेज ने उस समाचार पत्र के राजनयिक संवाददाता को भोज के समय अपने पक्षसार से अवगत कराया। यह पक्षसार अनौपचारिक रूप से आपसी बातचीत के रूप में था जिसका उद्देश्य महज पृष्ठभूमि की जानकारी देना था। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि समाचार पत्र के संवाददाता ने उसे बातचीत की रिपोर्ट के रूप में इस प्रकार प्रकाशित किया जैसे कि वह उनके साथ इन्टरव्यू की शब्दशः रिपोर्ट हो।

दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति पर और उस क्षेत्र में तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति और प्रतिद्वन्द्विवता के सवाल पर भारत सरकार की नीति सुविदित है।

**श्री बी० आर० सिंह रेलवे अस्पताल, कलकत्ता**

4661. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी० आर० सिंह रेलवे अस्पताल, कलकत्ता में 13 अप्रैल, 1981, को हुई घटनाओं के पश्चात पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री ने उनसे यह अनुरोध किया है कि रेलवे प्रशासन को यह अनुदेश दिया जाय कि वह आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध कदम उठाने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सहयोग करें, चाहे इन घटनाओं से सम्बद्ध लोगों का किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रहा हो ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने पूर्व रेलवे के एक कर्मचारी की आरोपित अवांछनीय गतिविधियों का कुछ घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है और रेलवे ने प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की है तथा करेगी, फिर भी कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

**पालमपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा संसद पर हमला और उनके साथ दुर्व्यहार**

4662. **श्री आर० पी० गाय वाड** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्य डा० महिपाल मेहता जिनके पास राज्य सभा के एक नवनिर्वाचित सदस्य श्री किशोर मेहता और एक विधायक थे, पर 21 जुलाई, 1981 के आसपास पालमपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा उस समय हमला किया गया जबकि वे एक दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी के लिये अपने आरक्षण के बारे में पूछताछ करने गये;

(ख) क्या यात्रियों के अनुसार, डा० मेहता को टिकट कलेक्टर कार्यालय में बैठे कर्मचारियों द्वारा उनकी दायी आंख के नीचे कथित रूप से घूंसा मारा और उनके दूसरे साथियों को भी पीटा गया था;

(ग) क्या यह सच हैं कि उत्तेजित व्यक्ति इस दुर्घटना के बाद भाग कर कहीं छिप गया था;

(घ) क्या यह सच है कि पालमपुर रेलवे स्टेशन के पूरे स्टाफ ने क्षमा याचना की थी, और

(ङ) यदि हां, तो रेल प्रशासन के हित में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिलार्जुन)** : (क) से (ग) 19-7-81 को डा० महीपत मेहता, संसद सदस्य, तीन अन्य व्यक्तियों के साथ, अपने आरक्षण तथा गाड़ियों के चालन के बारे में पूछताछ करने के लिए टिकट कलक्टर कार्यालय, पालमपुर आये। उनके उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर तथा उनकी व्यंग्यपूर्ण बातें सुनने पर डा० मेहता को क्रोध आ गया और उन्होंने एक टिकट कलेक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसने बदले में उनके मुंह पर प्रहार किया।

(घ) से (ङ) इस घटना में अन्तर्गस्त दोनों टिकट कलेक्टरों ने डा० मेहता से क्षमा याचना की। रेल प्रशासन ने भी उन्हें एक पत्र लिखकर इस दुखद घटना के प्रति खेद प्रकट किया तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आश्वशासन दिया था। प्रत्युत्तर में डा० मेहता ने लिखा कि कर्मचारियों द्वारा क्षमा-याचना किये जाने के फलस्वरूप मेरी ओर से यह मामला समाप्त समझा जाये। इसके बावजूद जिस टिकट कलेक्टर ने डा० मेहता पर प्रहार किया था, उसे निलम्बित कर दिया गया है। इस घटना में अन्तर्गस्त दोनों टिकट कलेक्टरों के विरुद्ध कड़ा दंड देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

**अमरीका द्वारा चीन को हथियारों की बिक्री**

4663. **श्री माधव राव सिंधिया**
**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
**श्री आर० आर० भोले**
**श्री राम विलास पासवान**
**श्री छोटे सिंह यादव**
**श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1981 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी प्रशासन ने चीन को अत्याधुनिक एफ-16 विमान और शृंखला के उन्नत प्रौद्योगिकी से बेचने टैंक बने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान "अंडर सैक्ट्री आफ स्टेट" श्री एलैक्जेन्डर हेग की हाल की ही पीकिंग यात्रा की ओर भी दिलाया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्टें देखी हैं कि अमरीकी प्रशासन ने बड़ी संख्या में अत्युन्नत एफ—16 इंजन और उन्नत प्रौद्योगिकी टैंक चीन को बेचने का फैसला किया है। लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिनसे इन रिपोर्टों की पुष्टि हो सके।

(ख) सरकार को विदेश मन्त्री श्री अलैक्जेन्डर हेग की हाल ही की चीन यात्रा की जानकारी है जिसके दौरान, बताया जाता है कि अमरीका अलग-अलग हरेक मामले के आधार पर चीन को हथियार सप्लाई करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा, अब चीन को 'मित्र' देश का दर्जा मिल गया है जो घातक हथियारों की खरीद के आवेदन कर सकता है।

(ग) सरकार उन सभी घटनाओं की निरन्तर समीक्षा करती रहती है जिनका संबंध भारत की सुरक्षा से है।

**ट्रेड यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए कामगारों को परेशान करना**

4664. **श्री रामजी भाई मावाणि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कुछ ट्रेड यूनियन नेताओं ने जुलाई, अगस्त, 1981 में बम्बई में पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) क्या इसमें प्रशासन को दिये जाने के लिये दो ज्ञापन शामिल है, जिसमें एक 10 सूत्री मांग-पत्र रेलमन्त्री को भेजने के लिये और दूसरा निर्णय करने में विलम्ब तथा समय पर नियमित रूप से पी० एन० एस० अनौपचारिक तथा अन्य बैठकें न करने और कामगारों को उनकी श्रमिक संघ गतिविधियों के लिये परेशान करने के कारण पश्चिम रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों के विगड़ने का सम्बन्ध था;

(ग) यदि हां, तो दोनों ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) रेल मंत्री के नाम ज्ञापन में मुख्य मुद्दा अखिल भारतीय रेलवे मेन्स फैडरेशन के 10 सूत्री मांगपत्र से सम्बन्धित है ।

महाप्रबन्धक पश्चिम रेलवे के नाम ज्ञापन में स्थायी वार्ता तंत्र के काम करने का ढंग असंतोषजनक होना, पदोन्नतियां और कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदि जैसे स्थानीय मुद्दे शामिल हैं ।

(घ) रेलमन्त्री के नाम अपने ज्ञापन में पश्चिम रेलवे द्वारा उल्लिखित 10 सूत्री मांग पत्र परं अखिल भारतीय रेलवे मेन्स फेडरेशन, जिससे पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन सम्बद्ध है, द्वारा 22-8-81 को रेल मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था और उन्हें स्थिति से भली-भांति अवगत कराया गया था। जहां तक स्थानीय मुद्दों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा, औचित्य होने पर कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है ।

## स्कूलों में जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा

4665. **श्री के० प्रधानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता के प्रति और अधिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रमों में जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) जनसंख्या की बढ़ती हुई दर की समस्याओं को हल करने तथा युवा पीढ़ी के बीच देश की

जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं की पर्याप्त जानकारी पैदा करने की शिक्षा की समता को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल, 1980 से एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था।

**अधिकारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा**

4666. **श्री मूल चन्द डागा : श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 1981 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'टिकट लैस ट्रेवल बाई आफीशियल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रंगे हाथों पकड़े गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) दण्ड के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग के उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध एक विशेष अभियान के दौरान 25 मई, 1981 को आबकारी विभाग के एक अधीक्षक (प्रेस में मिली रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नहीं), एक पुलिस निरीक्षक (सतर्कता) और एक अगर मुन्सिफ को 8 डाउन तूफान एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। उन्हे वरिष्ठ न्यायिक रेलवे मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन पर मुकदमा दायर किया। उन्होंने रेलवे की बकाया राशि का भुगतान कर दिया था। आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाने के लिए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों को इन मामलों की रिपोर्ट की जा रही है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**त्रिपुरा राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित स्थान**

4667. **श्री जगपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नायडू मैडिकल कालेज, आगरा में 1977-78 में त्रिपुरा के विद्यार्थियों के लिए दो स्थान आरक्षित थे।

(ख) क्या उक्त सत्र में प्रिंसिपल ने इन दो आरक्षित स्थानों के लिए त्रिपुरा के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया यद्यपि इन विद्यार्थियों ने 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये थे और क्या इनके स्थान पर दो अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया गया जबकि इनमें से एक ने 50 प्रतिशत से भी कम अंक प्राप्त किए थे और;

(ग) क्या एक सम्बन्धित अधिकारी ने 10 मार्च, 1981 को कालेज के प्रिंसिपल से लिखित रूप में यह अनुरोध किया था कि इन विद्यार्थियों के प्रवेश रद्द कर दें और यदि हां, तो सरकार ने

उनके प्रवेश रद्द करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और यदि सरकार उनके प्रवेश रद्द करना नहीं चाहती तो उनके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजत लास्कर)** : (क) 1977-78 के शैक्षिक वर्ष में त्रिपुरा सरकार को वहां के छात्रों के लिये एस० एन० मैडिकल कालेज, आगरा में एम० बी० बी० एस० की दो सीटें दी गई थीं।

(ख) त्रिपुरा सरकार द्वारा नामित दोनों उम्मीदवार सामान्य-वर्गों के थे और उन उम्मीदवारों ने अर्हक परीक्षा में क्रमशः 56.61 प्रतिशत और 60.92 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे। एक न्यायालय व्यादेश के कारण उन्हें उस कालेज में प्रवेश दिया गया। उक्त कारण से जो सीटें रिक्त हुई थी, उन पर प्रवेश देने के लिये दो अन्य उम्मीदवारों को इस शर्त पर प्रवेश दिया गया कि वे प्रवेश की अपेक्षाओं को पूरा करते हों और प्रवेश से पहले उनके प्रमाण-पत्रों की जांच पड़ताल हो जाए। बाद में उन दोनों उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया, क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार के लिये आरक्षित इन सीटों पर नामांकन के पात्र नहीं पाये गये। इन दोनों छात्रों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर कर दीं और न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन-आदेश के कारण वे कालेज में पढ़ते रहे। न्यायालय ने हाल ही में उनके प्रवेश को रद्द करने संबंधी पहले आदेशों को मंसूख कर दिया है।

(ग) चूंकि, उच्च न्यायालय ने उनके प्रवेश को रद्द करने के पिछले आदेशों को मंसूख कर दिया है, इसलिए कालेज के प्रधानाचार्य को उन उम्मीदवारों को प्रवेश रद्द करने के आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**नशाबन्दी कार्यक्रम का असफल होना**

4668. **श्री बृद्धि चन्द जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के अधिकांश भागों में नशाबन्दी कार्यक्रम असफल हो गया और, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : मद्यनिषेध कार्यक्रम की सफलता या असफलता का निर्धारण करने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। शराब पीने जैसी सामाजिक बुराई को दूर करना लम्बा और दुष्कर कार्य है। लोगों को इस बुराई से हटाने के लिए लगातार शैक्षिक प्रचार प्रयत्न करने होंगे। ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**राउरकेला इंजीनियरिंग कालेज, उड़ीसा में खान इंजीनियरी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना**

4669. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राउरकेला इंजीनियरिंग कालेज, उड़ीसा में खान इंजीनियरी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के बारे में सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) जी, हां, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला में खनन इंजीनियरी में एक डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये उड़ीसा सरकार से प्राप्त अनुरोध को खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड को भेज दिया गया था और बोर्ड ने 25 फरवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में राउरकेला कालेज में 25 विद्यार्थियों के दाखिले के साथ खनन इंजीनियरी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी थी। तदनुसार कालेज को सूचित कर दिया गया था।

(ग) वस्तुतः, शिक्षा सत्र 1979-80 से राउरकेला कालेज में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है; तथापि, पाठ्यक्रम को उचित ढंग से चलाने के लिये शैक्षिक सुविधाओं का पता लगाने के लिए तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक निरीक्षण समिति नियुक्त की गई है। समिति द्वारा कालेज का शीघ्र ही दौरा किये जाने की सम्भावना है।

**अनौपचारिक शिक्षा के विकास के लिये राज्य सरकारों को सहायता**

4670. **श्री एन० डेनिस** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों का अनौपचारिक शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर केन्द्र सरकार निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही करती है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) एक राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति का गठन किया गया है और उसकी सिफारिशों पर नौ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य बल की स्थापना करने के लिए कहा गया है।

विवरण

प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक अंश-कालिक शिक्षा सम्बन्धी एक केन्द्रीय प्रयोजित क्षेत्र योजना 1979-80 की अन्तिम तिमाही में लागू की गई थी। 1979-80 और 1980-81 के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

| राज्य | वर्ष | |
|---|---|---|
| | 1979-80 | 1980-81 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 37,84,190 | 8,73,500 |
| 2. असम | 4,12,500 | कुछ नहीं |
| 3. बिहार | 43,47,383 | कुछ नहीं |
| 4. जम्मू और काश्मीर | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 5. मध्य प्रदेश | 31,75,100 | 8,66,800 |
| 6. उड़ीसा | 13,25,000 | कुछ नहीं |
| 7. राजस्थान | 11,01,600 | 4,54,400 |
| 8. उत्तर प्रदेश | 36,61,600 | 39,43,700 |
| 9. पश्चिमी बंगाल | 21,68,600 | कुछ नहीं |
| कुल : | 199,75,973 | 61,38,400 |

रेलवे सेवा आयोग मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष

4671. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या रेल मंत्री रेलवे आयोग मुजफ्फरपुर के बारे में 18-12-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष के खिलाफ लगाये गये आरोप सिद्ध हो चुके हैं और सरकार का विचार उक्त अधिकारी को कितना दण्ड देने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त भ्रष्ट अधिकारी को कोई दण्ड दिया है; और

(ग) उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या आरोप थे ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध 13 आरोप थे। इनमें से कोई भी

आरोप किसी प्रकार की रिश्वत लेने से सम्बन्धित नहीं था।

पूर्ण जांच-पड़ताल के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि 7 आरोपों के सम्बन्ध में कोई मामला नहीं था।

शेष 6 आरोप अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं जिनमें प्रशासनिक चूकें पायी गयी हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इन प्रशासनिक चूकों के सम्बन्ध में मामूली दण्ड के लिए कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है तथा उनका परामर्श स्वीकार कर लिया गया है। अनियमितताएं, वर्ग ग तथा घ के कर्मचारियों को मनमाने ढंग से नौकरी से हटाने, वर्ग घ के कर्मचारियों का दुरुपयोग करने तथा मुजफ्फरपुर में मकान तथा बंगले पर कब्जे के लिए किराये का भुगतान न किए जाने से सम्बन्धित हैं।

**देश में विश्वविद्यालय डिग्री कालेज और अनुसंधान संस्थान**

4672. **श्री शिबु सोरन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज और अनुसंधान संस्थान चला रहे हैं;

(ख) पिछले वर्ष इन संस्थाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) साक्षरता की प्रतिशतता में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं हो रही; और

(घ) भारत में निरक्षरता दूर करने में कितना समय लगेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) वर्ष 1976-77 के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों पर, विश्वविद्यालयों, डिग्री कालेजों (केवल सामान्य शिक्षा के लिए), अनुसंधान संस्थाओं की राज्यवार संख्या और इन संस्थाओं पर किया गया व्यय दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1951 से 1981 तक की अवधि के दौरान साक्षरता की प्रतिशतता 16.67 से बढ़कर 36.17 हो गई है। साक्षरता की प्रतिशतता में वांछित वृद्धि न होने के मुख्य कारण हैं—प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए वित्त की अपर्याप्तता, स्कूल शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की बहुत ऊंची प्रतिशतता, विभिन्न आर्थिक कारणों से स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों का दाखिला न होना कुल जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। छठी योजना में निरक्षता को दूर करने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है। तथापि, योजना दस्तावेजों में यह उल्लेख किया गया है कि सन् 1990 तक 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तथापि, यह तभी

होगा, जब प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध होंगी ।

विवरण-1

वर्ष 1976-77 में देश में विश्वविद्यालयों, डिग्री कालेजों और अनुसंधान संस्थाओं की राज्यवार संख्या

| राज्य/संघीय क्षेत्र | विश्वविद्यालय | कालेज (सामान्य शिक्षा और डिग्री) और उससे ऊपर | अनुसंधान संस्थाएं |
|---|---|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | 9 | 235 | — |
| 2. असम | 3 | 118 | — |
| 3. बिहार | 9 | 226 | 5 |
| 4. गुजरात | 8 | 202 | 12 |
| 5. हरियाणा | 3 | 99 | — |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 1 | 25 | 1 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 2 | 23 | — |
| 8. कर्नाटक | 5 | 237 | 2 |
| 9. केरल | 4 | 104 | — |
| 10. मध्य प्रदेश | 10 | 235 | — |
| 11. महाराष्ट्र | 11 | 390 | 17 |
| 12. मणिपुर | — | 16 | — |
| 13. मेघालय | 1 | 13 | — |
| 14. नागालैंड | — | 7 | — |
| 15. उड़ीसा | 4 | 83 | — |
| 16. पंजाब | 3 | 158 | — |
| 17. राजस्थान | 4 | 102 | — |
| 18. सिक्किम | — | 1 | — |
| 19. तमिलनाडु | 5 | 183 | 1 |
| 20. त्रिपुरा | — | 6 | — |

| राज्य/संघीय क्षेत्र | विश्वविद्यालय* | कालेज (सामान्य शिक्षा और डिग्री) और उससे ऊपर | अनुसंधान संस्थाएं |
|---|---|---|---|
| 21. उत्तर प्रदेश | 20 | 351 | 2 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 8 | 241 | 5 |
| 23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | — | 1 | — |
| 24. अरुणाचल | — | 1 | — |
| 25. चंडीगढ़ | 1 | 9 | — |
| 26. दादर और नागर हवेली | — | — | — |
| 27. दिल्ली | 4 | 52 | 2 |
| 28. गोवा, दमन और दीव | — | 9 | — |
| 29. लक्षद्वीप | — | — | — |
| 30. मिजोरम | — | 4 | — |
| 31. पांडिचेरी : | — | 8 | — |
| भारत : | 115 | 3,139 | 47 |

* विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं।

विवरण-2

**वर्ष 1976-1977 के लिए संस्थाओं पर किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण**

| राज्य/संघीय क्षेत्र | विश्वविद्यालय | अनुसंधान संस्थाएं | कालेज (सामान्य शिक्षा और डिग्री) और उससे ऊपर |
|---|---|---|---|
| | रु० | रु० | रु० |
| 1. आंध्र प्रदेश | 8,35,13,512 | ... | 19,69,91,449 |
| 2. असम | 4,31,25,831 | ... | 5,34,50,902 |
| 3. बिहार | 17,38,64,212 | 17,04,541 | 14,21,63,344 |
| 4. गुजरात | 6,76,83,411 | 2,98,68,811 | 11,38,63,955 |
| 5. हरियाणा | 4,20,99,440 | ... | 5,47,03,207 |

| राज्य/संघीय क्षेत्र | विश्वविद्यालय* | अनुसंधान संस्थाएं | कालेज (सामान्य शिक्षा और डिग्री) और उससे ऊपर |
|---|---|---|---|
| 6. हिमाचल प्रदेश | 1,31,81,233 | ... | 1,21,04,189 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 1,42,07,413 | ... | 1,48,76,695 |
| 8. कर्नाटक | 9,02,82,328 | 35,67,063 | 11,65,06,482 |
| 9. केरल | 8,72,55,482 | ... | 13,45,08,072 |
| 10. मध्य प्रदेश | 8,00,30,445 | ... | 8,89,41,945 |
| 11. महाराष्ट्र | 6,48,60,163 | 1,39,52,126 | 27,17,88,225 |
| 12. मणिपुर | ... | ... | 1,31,97,660 |
| 13. मेघालय | 1,12,41,020 | ... | 1,01,80,168 |
| 14. नागालैंड | ... | ... | 36,64,114 |
| 15. उड़ीसा | 2,99,73,371 | ... | 6,97,05,448 |
| 16. पंजाब | 5,41,82,880 | ... | 9,01,40,750 |
| 17. राजस्थान | 7,34,62,016 | ... | 7,71,17,776 |
| 18. सिक्किम | ... | ... | 8,67,000 |
| 19. तमिलनाडु | 6,15,58,668 | 5,35,163 | 20,67,17,064 |
| 20. त्रिपुरा | 60,736 | ... | 70,36,565 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 31,15,17,814 | 73,10,622 | 24,18,07,284 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 11,35,30,716 | 1,64,48,310 | 13,48,76,334 |
| 23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | ... | ... | 17,14,208 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | ... | ... | 21,,33,401 |
| 25. चंडीगढ़ | 4,65,62,359 | ... | ... |
| 26. दादर और नागर हवेली | ... | ... | 1,26,21,862 |
| 27. दिल्ली | 15,45,15,761 | 3,48,18,285 | 10,78,37,915 |
| 28. गोआ, दमन और दीप | 14,15,523 | ... | 63,12,767 |
| 29. लक्षद्वीप | ... | ... | ... |
| 30. मिजोरम | ... | ... | 26,25,545 |
| 31. पांडिचेरी | ... | ... | 82,53,197 |
| भारत : | 1,61,84,24,334 | 10,82,05,001 | 2,19,68,03,525 |

* विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं भी सामिल हैं।

**केन्द्रीय स्कूल, गंगटोक**

4673. **श्री पी० एम० सुब्बा :** क्या शिक्षा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, केन्द्रीय स्कूल, गंगटोक में प्रधानाचार्य द्वारा किये गये दाखिलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्कूल में पर्याप्त स्थान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन छात्रों को उपयुक्त स्थान देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) शैक्षिक सत्र, 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय विद्यालय, गंगटोक में विभिन्न कक्षाओं में दाखिल हुए छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| कक्षा—1 | — | 70 |
| कक्षा—2 | — | 16 |
| कक्षा—3 | — | 13 |
| कक्षा—4 | — | 12 |
| कक्षा—5 | — | 15 |
| कक्षा—6 | — | 18 |
| कक्षा—7 | — | 5 |
| कक्षा—8 | — | 8 |
| कक्षा—9 | — | 6 |
| कक्षा—10 | — | 1 |
| कक्षा—11 | — | 9 |

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशी पर्यटकों के लिए पैलेस आन व्हीत्स**

4674. **श्री सुभाष यादव**
**श्री जगदीश टाईटलर** } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विदेशी पर्यटकों के लिए 'पैलेस आन व्हीत्स' योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्व विवरण क्या है; और

(ग) यह रेलगाड़ी कब से चलने लगेगी ?

**रेल मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) जी हां, भूतपूर्व राजाओं की शाही सैलूनों, जो आजकल वाणिज्यिक उपयोग में नहीं हैं, वाली "पैलेस आन व्हीत्स" विशेष गाड़ी, दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली के निश्चित सर्किट पर चलेगी। यह परियोजना राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से चलायी जा रही है, जिसके द्वारा गृह-व्यवस्था की सभी सेवाओं, मार्ग में खानपान सुविधाओं और पर्यटक स्थलों पर दृश्यावलोकन के लिए सड़क वाहन प्रबन्धों की व्यवस्था की जायेगी। इस विशेष गाड़ी को प्रयोग के आधार पर नवम्बर, 1981 से चलाये जाने की आशा है।

**व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं का गठन**

4675. **श्रीमती संयोगिता राणे**
**श्री आर० पी० गायकवाड़** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनी व्यापारी और उद्योगपति देश में अस्पताल और चिकित्सा सेवायें स्थापित करने की इच्छा रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो रियायती दरों पर ऋण और रियायती कीमतों पर भूमि आदि के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा दें :

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** :

(क) और (ख) यह सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख की जायेगी।

**प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का दाखिला और स्कूल छोड़ने वालों का प्रतिशत**

4676. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, प्राथमिकता विद्यालयों में अनुमानत: कितने दाखिले हुए :

(ख) क्या पिछले तीन-वर्षों में प्राथमिकता स्कूलों में प्रवेश के एक या दो वर्ष बाद भारी प्रतिशत में बच्चे विद्यालय छोड़ गए;

(ग) यदि हां, तो उनका प्रतिशत क्या है; और

(घ) प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ाई छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की संख्या घटाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) राज्यों से एकत्र की गई अन्तिम सूचना के अनुसार दाखिलों की संख्या निम्नलिखित है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1976-77 | — | 690.61 लाख |
| 1977-78 | — | 673.61 लाख |
| 1978-79 | — | 686.02 लाख |

(ख) और (ग) स्कूल छोड़ने वालों की प्रतिशतता निम्नलिखित है :

| वर्ष | कक्षा-1 के अन्त में | कक्षा-11 के अन्त में |
|---|---|---|
| 1976-77 | 28.9 | 43.3 |
| 1977-78 | 30.7 | 44.6 |
| 1978-79 | 25.6 | 44.0 |

(घ) विवरण संलग्न है।

**विवरण**

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के संदर्भ से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष रूप से स्कूल छोड़े जाने वालों की दरों को कम करने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई थी :—

(1) सम्पूर्ण आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कम दूरी पर प्राथमिक और मिडिल स्कूलों का खोलना।

(2) एक शिक्षक वाले स्कूलों को दो शिक्षक वाले स्कूलों में बदलना।

(3) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार।

(4) बड़े पैमाने पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति और शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के सहायक के रूप में व्यवस्था।

(5) शैक्षिक योग्यता का स्तर बढ़ाने और सेवा-कालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक योग्यता में सुधार।

(6) लड़कियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों तथा झुग्गी झोंपड़ी वाले जैसे लक्षित वर्ग की ओर विशेष ध्यान देना।

(7) छात्रों के लिए विशेषकर लड़कियों के लिए मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें और लेखन सामग्री, मुफ्त वर्दी, उपस्थिति छात्रवृत्ति तथा मध्यान्ह भोजन जैसे प्रोत्साहनों की पर्याप्त व्यवस्था।

(8) पाठ्यचर्या के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से शिक्षा की कोटि में सुधार ताकि उसे विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन स्थितियों और पर्यावरण के अनुरूप बनाया जा सके।

(9) बिना ग्रेड की स्कूल पद्धति लागू करना और गतिरोध समाप्त करना जिससे प्रत्येक बच्चा कक्षा आठ उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक वर्ष एक कक्षा उत्तीर्ण कर ले और वह अगली उच्च कक्षा में चला जाए किन्तु इसके लिए आवधिक मूल्यांकन तथा अविरत रूप से मूल्यांकन द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

(10) प्रारम्भिक स्तर पर किसी भी कक्षा में बहुत बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था।

(11) बड़े पैमाने पर अंश-कालिक अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था।

(12) अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों तथा प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों/खंडों को विशेष केन्द्रीय सहायता देकर ठोस प्रयास करना।

(13) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के वास्ते अध्यापन तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय कागज सहायता देना।

(14) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का निरीक्षण।

(15) पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाना और ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण।

(16) बच्चों की विशेषकर लड़कियों की, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता को दूर करने के लिए पैतृक शिक्षा और सभी स्कूलों में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों में स्कूल समितियों का गठन।

(17) शिक्षक प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन-संचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग।

(18) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य बल गठित करना।

**दिल्ली में कला शिक्षकों के वेतनमान**

4677. **श्री बी० डी० सिंह**
**श्री रामावतार शास्त्री** } : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कनिष्ठ कला शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन 1978 में किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वेतनमानों में संशोधन के कारण वरिष्ठ शिक्षकों को वेतन निर्धारण में नुकसान उठाना पड़ा था;

(ग) इन असंगतियों को दूर करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा मंत्रालय को जो सिफारिशें की गयी हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन सिफारिशों पर मंत्राल की प्रतिक्रिया क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां। 27-7-1978 से ग्रेड तीन के ड्राइंग अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाकर ग्रेड-II के ड्राइंग अध्यापकों के स्तर के कर दिये गये थे।

(ख) से (घ) 27-7-1978 से ग्रेड तीन के ड्राइंग अध्यापकों के पद की ग्रेड II में स्तरोन्नत करने से दो कठिनाइयां सामने आई। एक पारस्परिक वरीयता निर्धारित करना। एक कठिनाई को, सारे भूतपूर्व ग्रेड-तीन के अध्यापकों को 27-7-78 से सबसे जूनियर ग्रेड II के ड्राइंग अध्यापक से जूनियर रखकर हल कर दिया गया है। वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने वेतन निर्धारण से सम्बन्धित मूल नियमावली में छूट देने की सिफारिश की है, और इसकी जांच की जा रही है।

**विभिन्न नगरों में सम्बन्ध कालेजों द्वारा शाखाओं का खोला जाना**

4678. **श्री कुंवर राम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध कालेजों को विभिन्न नगरों में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की सभी शाखाओं को बन्द करने के लिए निर्देश जारी करेगी ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी कालेज की उसी नगर अथवा कहीं और स्थित शाखाओं

को मान्यता नहीं देता है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि यदि किसी वर्तमान कालेज को दो अथवा अधिक इकाइयों में बांटना हो तो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रयोजनों के लिए मूल संस्था सहित, सभी इकाइयों को नया कालेज समझा जाएगा। नए कालेजों को मान्यता तभी दी जाएगी जब वे विश्वविद्यालय अनुदान अयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों और धारा 21 (क) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**सरकुलर यात्रा टिकट**

4679. **श्री जयनारायण रोट** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य वाणिज्य अधीक्षक दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापल्ली ने दिल्ली जंकशन से दिल्ली जंकशन तक के लिए सरकूलर यात्रा टिकट नम्बर 5094-95 जारी किए गए दिनांक 15 अक्तूबर, 1918 के टिकट नम्बर 132219 और 133300 से सम्बन्धित यात्रा टिकट निरीक्षक के द्वारा लिए गए अतिरिक्त किराये को पूरी धनराशि को अपने दिनांक 23 मई, 1980 के पत्र द्वारा वापिस करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों को उक्त धनराशि, वापिस कर दी गई है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और कितनी धनराशि वापिसी की जानी है ;

(ग) क्या सम्बन्धित यात्रियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मुख्य वाणिज्य अधीक्षक को इससे पहले की वह रिफण्ड की धनराशि का वास्तविक रूप से भुगतान करे, मूल रूप में अतिरिक्त यात्री टिकटों को वापिस कर दे :

(घ) यदि हां, तो यह कैसे सम्भव है जबकि इन टिकटों को उस रेलवे स्टेशन के, जहां यात्रा समाप्त होती है, निकासी द्वार पर चल टिकट कलेक्टर द्वारा वापिस लिया जाता है ; और

(ङ) इस अव्यावहारिक शर्त को समाप्त करने और यात्रियों को रिफण्ड की धनराशि दिलाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) अभी तक धन वापसी नहीं की गयी है क्योंकि पार्टी ने न तो मूल आधिक्य किराया टिकटें प्रस्तुत की हैं और न ही इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि इस टिकट को गन्तव्य स्टेशन पर जमा करा दिया गया है। केवल 107 रुपए 90 पैसे की धन वापिसी की जानी है।

(ग) और (घ) या तो मूल आधिक्य किराया टिकट दिया जाना होता है अथवा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है कि यह टिकट गन्तव्य स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के पास जमा करा दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**स्टीमर सेवा महेन्द्रघाट पर प्रकाश की व्यवस्था न होना**

4680. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जून, 1981 को महेन्द्रघाट से पलेजाघाट 8.50 बजे की स्टीमर सेवा के प्रस्थान के समय महेन्द्रघाट पटना में घोर अन्धकार था :

(ख) क्या स्टीमर में और पलेजाघाट पहुंचने पर पलेजाघाट में भी फिर घोर अन्धकार था ;

(ग) (एक) उस स्टीमर का नाम क्या है, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ और विभिन्न श्रमिकों के यात्रियों के यात्रा करने के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध हैं (दो) स्टीमर की क्षमता क्या है और इसमें कितने यात्री ढोये जाते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि जब नरकटियागंज के लिए मिलान गाड़ी सोनपुर पहुंची तो वहां पर फिर घोर अन्धेरा था; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ङ) जी हां, स्थानीय सप्लाई प्राधिकरण से बिजली सप्लाई नहीं की गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) सैंट मृगाल स्टीमर का निर्माण मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता द्वारा 1957 में किया गया था। इसके पैसेंजर फ्लैट का निर्माण मैसर्स इंजीनियरिंग मोटर वर्क्स, हावड़ा द्वारा। 1958 में किया गया था। पैसेंजर फ्लैट में पहले दर्जे के 50 यात्रियों के बैठने के लिए सोफा सैटों, दूसरे दर्जे के 500 यात्रियों के बैठने के लिए लकड़ी के बैंचों तथा 1200 यात्रियों के खड़े होने की व्यवस्था आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था है। पहले तथा दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था है। स्टीमर की कुल क्षमता 1750 यात्रियों की है। इस ट्रिप में पहले दर्जे के पांच यात्रियों सहित 1000 यात्रियों को बुक किया गया था।

(घ) जी नहीं।

**तीर्थयात्रियों को लद्दाख से होकर कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने की अनुमति**

4681. **श्री पी० नामग्याल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलास तीर्थ यात्रियों का 15 व्यक्तियों का प्रथम दल 8 सितम्बर 1981 को उत्तर प्रदेश से होकर, समुद्रतल से 17,000 फुट की ऊंचाई वाले लिपुला दर्रे से होता हुआ भारत से तिब्बत जाएगा, और उसके बाद दो और दल जाएंगे;

(ख) क्या यह सच है कि लद्दाख से होकर कैलाश और मानसरोवर पहुंचना अधिक आसान है क्योंकि इस रास्ते में कोई दर्रा और दुर्गम चढ़ाईयां नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार चीन सरकार से यह अनुरोध करेगी कि ऐसे तीर्थ यात्रियों को लद्दाख से होकर भी जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि उधर से सड़कें कम खतरनाक हैं, ऊंचाई कम है और किसी दर्रे से नहीं गुजरना पड़ता है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी हां। 18 तीर्थ यात्रियों का पहला दल 9 सितम्बर, 1981 को लिपुलेख दर्रा के रास्ते कैलाश और मानसरोवर के लिए रवाना हो गया है। इसके बाद दो और दलों के जाने का कार्यक्रम है।

(ख) कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए हालांकि लद्दाख से भी रास्ता है लेकिन उस रास्ते से इसकी दूरी काफी अधिक है। लिपुलेख दर्रे वाला रास्ता तीर्थ यात्रा का पुराना रास्ता है और यह दर्रा कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए सबसे निकट पड़ता है।

(ग) अगले वर्ष और उसके बाद तीर्थयात्रा के लिए विशिष्ट प्रबन्धों के बारे में चीन सरकार से उपयुक्त समय पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

**जंगीपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज**

4682. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे के जंगीपुर स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाने का है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) : जंगीपुर रेलवे स्टेशन के अप और डाउन प्लेटफार्म को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य पहले से ही प्रगति में है और इसको दिसम्बर 1981 तक समाप्त कर लिये जाने की आशा है।

**गैर राजपत्रित नियुक्तियां और पदोन्नति नियम**

4683. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० डी० एस० ओ० महानिदेशक गैर राजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों को हर रोज बदल देते हैं;

(ख) क्या आर० डी० एस० ओ० के० महानिदेशक आर० डी० एस० ओ० के० समस्त कर्मचारियों में से चयन कर रहे हैं जबकि एस० आर० ए० (एम०) के पद रिसर्च मेकनिकल विंग में जी० आर० ए० में से भरे जाने होते हैं;

(ग) क्या किसी कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में याचिका दायर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जबकि यह मामला निर्णयाधीन है तो जल्दी से चयन किए जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) कुछ कनिष्ठ अनुसंधान सहायकों तथा अनुसंधान अभिकल्प एवम् मानक संगठन कर्मचारी संघ, जो एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, ने एकान्तर श्रेणी-3 के तकनीकी पदों को, जिनमें वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिकी) का पद भी शामिल है, गैर-प्रवरण पदों के रूप में घोषित करने के लिए लखनऊ बेंच, लखनऊ के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिकारी के पास एक रिट याचिका दायर की है। 27-2-1980 और 18-8-1989 को पास किये गये अन्तरिम आदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया गया कि प्रवरण आयोजित कर लिये जायें और यह कि परिणाम घोषित कर दिये जायें लेकिन पदोन्नति/नियुक्ति आदेशों में यह स्पष्ट कर देना जरूरी होगा कि ये आदेश रिट याचिका के अन्तिम परिणाम पर निर्भर करेंगे।

**लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार**

4684. **श्री रेणु पद दास** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय भाषाओं में मूल मानक पुस्तकों के लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की मंत्रालय की 1973 की योजना के अधीन प्रस्तुत की गई पुस्तक के बारे में परिणामों की घोषणा करने में असफलता का पता है;

(ख) इस असफलता के क्या कारण है; और

(ग) उम्मीदवारों की उत्सुकता और चिर प्रतीक्षा कब समाप्त होगी और पुरस्कारों की घोषणा कब की जायेगी ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जिन लेखकों की कृतियां योजना के अधीन पुरस्कार के लिए पात्र घोषित की गई हैं उन्हें सूचित किया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**बम्बई में मध्य तथा पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में सीटें घेरना तथा कब्जा करना**

4685. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य रेलवे के बम्बई वी० टी० दादर स्टेशन पर ही तथा बम्बई में पश्चिम रेलवे के बम्बई सैण्ट्रल स्टेशन पर कुछ असामाजिक तत्व सीट घेर लेते हैं तथा सीटों पर कब्जा कर लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वास्तविक यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा सीटें प्राप्त करने के लिए इन लोगों को पैसा देना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो इन असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रेल प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) बम्बई में समाज विरोधी तत्वों द्वारा सीट घेर लेने तथा ऐसा करके वास्तविक यात्रियों को परेशान करने के कुछ मामले नजर में आये हैं।

(ग) और (घ) समाज विरोधी तत्वों को सामाजिक अनारक्षित सीटें घेरने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) रेकों के प्लेटफार्मों पर खड़ा करने में पहले भेद्य गाड़ियों के रेकों के साथ अनुरक्षा के लिए यार्ड से प्लेटफार्म तक रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को तैनात किया जाता है।

(2) रेकों को प्लेटफार्म पर खड़ा करने के समय अचानक जांच की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस तथा टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा की गयी अचानक जांच के परिणामस्वरूप पिछले 6 महीनों के दौरान 634 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये थे।

(3) भेदय गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों के प्रवेश को नियमित करने की नयी पद्धति शुरू की गयी है जिसके अनुसार यात्रियों को लाइन में खड़ा होना

होता है और उन्हें, उनके टिकटों की जांच करने के बाद, एक-एक करके बारी से अनारक्षित सवारी डिब्बों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। इससे अनधिकृत व्यक्तियों को सीटें घेरने से हतोत्साहित करने में काफी मदद मिली है।

**ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में दिये जाने वाले खाने का घटिया स्तर**

4686. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि ब्लैक अप 25 एक्सप्रेस में पिछले कुछ दिनों से बहुत घटिया स्तर का खाना दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 15 अगस्त, 1981 से गाड़ी में दिये जाने वाले खाने का सामान्य स्तर गिर गया है क्योंकि उस दिन से मूल भोजनयान हटा ली गई है और एक ऐसे पुराने कोच को किचन-कम-डाइनिंग कार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोई स्टोव फिट नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि रेलगाड़ी के किचन कार में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने यह शिकायत की है कि कभी-कभी गाड़ी के यात्री लोग खाने से असन्तुष्ट होकर उनसे बुरा व्यवहार करते हैं और जब तक कि किचन कार में खाना बनाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक अच्छा खाना देना सम्भव नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो किचन में समुचित रूप से खाना बनाने की व्यवस्था करके खाने के स्तर में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ङ) चूंकि नियमित भोजन यान अतिरिक्त ओवर हाल के लिए भेजा गया था और दूसरे यान में यांत्रिक खराबी आ गयी थी, इसलिए केवल 15-8-81 और 18-8-81 को ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में कोई भोजन यान नहीं लगाया गया था। नियमित भोजन यान के अभाव में 19-8-1981 को से नियमित रूप से एक एवजी भोजन यान चलाया जा रहा है। 21-8-1981 को गाड़ी के चालन के दौरान इस भोजन यान की ढलवां लोहे की भट्टियों की जालियां क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, इसलिए ढोई जाने योग्य दो भट्टियों की व्यवस्था की गयी है। इस सेवा को सन्तोषप्रद बनाये रखा जा रहा है। इस भोजन यान को शीघ्र ही बदल दिया जायेगा।

**भागलपुर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउण्टर पर पकड़ा गया प्रयुक्त टिकटों का थैला**

4687. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस ने कुछ सप्ताह पूर्व भागलपुर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउण्टर पर एक थैला पकड़ा जिसमें 65,000 रु० मूल्य के प्रयुक्त टिकट थे :

(ख) क्या सरकार को भागलपुर रेलवे स्टेशन और पूर्वी रेलवे के साहिबगंज तथा मन्दिर हिल स्टेशनों पर प्रयुक्त टिकटों को पुनः बेचे जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ग) क्या इन शिकायतों का सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष से है ;

(घ) इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं। 27-7-1981 को मुख्य बुकिंग लिपिक, भागलपुर ने देखा कि भागलपुर रेलवे स्टेशन के काउण्टर नं० 3 के टिकट ट्यूब से लगभग 65,000 रुपये के मूल्य की नयी टिकटें गायब थीं। थीं। उसने राजकीय रेलवे पुलिस, भागलपुर के पर यह शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने भागलपुर के सहायक बुकिंग क्लर्क श्री वी० पी० सिंह के विरुद्ध धारा 409/468 के अन्तर्गत दिनांक 28-7-1981 को एक मामला सं० 00/33 पंजीकृत किया। उस क्लर्क को निलम्बित कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**पश्चिम रेलवे में आरक्षण कोटा**

4688. **श्री फतेह भान सिंह चौहान**
**श्री बी० आर० नाहटा** } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में विभिन्न वर्गों के यात्रियों के लिए कोटा नियत करने के लिए क्या नियम तथा सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं :

(ख) क्या आरक्षण कोटा नियत करने के लिए इन नियमों एवम् सिद्धान्तों का पालन किया जाता है अथवा नहीं और क्या पश्चिम रेलवे में नियत किया गया आरक्षण कोटा, नियमों तथा सिद्धान्तों के अनुसार है ;

(ग) क्या मीनाक्षी एक्सप्रेस में पहले मन्दसौर स्टेशन के लिए कुछ सीटें (शायिका और बैठने की) आरक्षित की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो कोटे को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) आरक्षित स्थान का कोटा गाड़ियों में उपलब्ध स्थान, गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन तथा मार्गवर्ती स्टेशनों पर, जहां यातायात नियमित तथा अत्यधिक होता है, आरक्षण की मांगों को ध्यान में रख कर आबंटित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सप्ताह में दो बार चलने वाली 69 अप अजमेर—काचेगुडा एक्सप्रेस में मन्दसौर स्टेशन को दूसरे दर्जे की दो सायिकाओं तथा दो सीटों का कोटा आवंटित किया गया था परन्तु कम उपयोग के कारण पश्चिम रेलवे द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। मामले की पुनरीक्षा की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि 1-11-81 से छः महीने की अवधि के लिए परीक्षण के तौर पर यह कोटा फिर से आवंटित कर दिया जाये।

**नई दिल्ली स्टेशन पर पुरुष कर्मचारियों द्वारा महिला कर्मचारियों को तंग किया जाना**

4689. **श्रीमती सुशीला गोपालन**
**श्री के० ए० राजन**
**श्री राजेश कुमार सिंह** } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला रेल कर्मचारियों से कोई शिकायत मिली है कि उन्हें उनके अधिकारियों और पुरुष कर्मचारियों द्वारा निरन्तर परेशान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नही गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनका विचार महिला कर्मचारियों को निरन्तर परेशान किये जाने के बारे में जो अभी भी जारी है कोई जांच कराने का है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (मल्लिकार्जुन)** : (क) 12-6-81 को 'स्टेट्समैन' में छपे लेख में पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा महिलाओं आरक्षण लिपिक को डराने, परेशान करने तथा उसके साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। लेख में लगाये गये आरोपों की रेलवे के आसूचना विभाग द्वारा जांच की गयी थी जिससे पता चला कि इस प्रकार का प्रचार उत्तर रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के दो दलों के प्रतिवन्द्विता के कारण किया गया था। नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन की महिला कर्मचारी को डराने, परेशान करने आदि का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) नयी दिल्ली स्टेशन पर वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिये नयी दिल्ली आरक्षण कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किये गये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बड़गछिया-चम्पाडांगा लाईन**

4690. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़गछिया और चम्पाडांगा तथा बड़गाछिया और आम्टा के बीच (मार्टिन रेलवे के स्थान पर) ब्राडगेज लाईन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) बड़गाछिया से चम्पाडांगा तक शाखा लाईन के साथ, संतरागाछी और बड़गाछिया के रास्ते हवड़ा से आमता तक बड़े आमान की एक विद्युतीकृत लाइन का निर्माण (कुल लम्बाई 73.53 कि० मी०) एक अनुमोदित कार्य है। संतरागाछी से बड़गाछिया तक खंड पर कार्य आज कल प्रगति में है और जुलाई 1981 तक इसकी पहले चरण की संचयी प्रगति लगभग 65% है। इस खंड पर काम पूरा करने का लक्ष्य 1982-83 में रखा गया है बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहे। शेष खंड पर कार्य उसके बाद शुरू किया जायेगा।

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और पी० जी० आई० चन्डीगढ़ के कार्यकरण की जांच के लिए नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट**

4691. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या समिति की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त होगई है; और

(ग) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जाँच करने के लिए सरकार ने एक शक्ति सम्पन्न समिति का गठन किया है।

**ट्रेनों में लूटमार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त रेलवे कर्मचारी**

4692. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री 15 जून, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'राम राज्य—इन दिल्ली डायरी' शीर्षक समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लूटमार के मामलों में रेल कर्मचारी सक्रिय रूप से अन्तर्ग्रस्त हैं और यदि नहीं तो यह कैसे होता है कि गाड़ियां रुकती हैं और फिर चलती हैं, उसके बाद फिर रुकती हैं ताकि डकैती हो सकें; और

(ख) रेलगाड़ियों में ड्यूटी पर तैनातपुलिस कर्मी क्या करते हैं, क्या वे महज मूक दर्शक रहते हैं और लोगों की सुरक्षा क्या सरकार के हितों की ओर ध्यान दिए बिना अपनी ड्यूटी का समय पूरा करते हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) होशंगाबाद भोपाल खण्ड पर गाड़ियों में 'लूटमार' में रेल कर्मचारियों के शामिल होने का कोई भी मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है, जैसा कि खबर में आरोप लगाया गया है। बहरहाल, यह वास्तविकता है कि इटारसी-भोपाल खन्ड में लकड़ी काटने वालों ने उपद्रव मचा रखा है। लकड़ी काटने वाले घाट खण्ड में वृन्दी और बरखेड़ा स्टेशनों के बीच, जहां गाड़ियां परिचालनिक कारणों से रुकती हैं, डिब्बों के बम्फरों पर लकड़ी के लट्ठे लाद देते हैं। ये लोग खतरे की जन्जीर खींचकर गाड़ियों को अपने मन चाहे स्थानों पर ठहराकर उन लठ्ठों को उतार लेते है। कानून और व्यवस्था से सम्बद्ध होने के कारण, रेल प्राधिकारियों ने वन विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है। इस उपद्रव की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान 5 छापे मारे हैं और लगभग 21,000 रुपए मूल्य की लकड़ी बरामद की है। इसके अलावा, जुलाई में इटारसी भोपाल खण्ड पर चलाये गये एक विशेष अभियान में, डिब्बों के बफरों पर यात्रा करते पाये गये 347 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये। स्थिति और अधिक सुधार करने के लिए, लकड़ी काटने वालों और उस क्षेत्र में कार्यरत कुख्यात अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

(ख) यात्रियों के प्रति 'लूटमार और लूटपाट के सम्बन्ध में, जब भी गाड़ियों में चल रहे, मार्ग रक्षी पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति उदासीन होने की बात ध्यान में आती है तब समुचित प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**बीरभुम रेल यात्री एसोसिएशन का शान्तिपूर्ण आन्दोलन**

4693. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके मन्त्रालय की जानकारी में लाई गई है कि वीरभुम रेल यात्री एसोसिएशन ने हाल ही में अपनी काफी समय से पूरी न की गई मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में शांतिपूर्ण आन्दोलन (रेल रोको आन्दोलन) शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की मरम्मत**

4694. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त मरम्मत सुविधाओं की कमी के रुग्ण कारण सूची में डिब्बों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कुल कितने माल डिब्बे और सवारी डिब्बे वर्ष वार रुग्ण और बिना मरम्मत रहे; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) उन सवारी और माल डिब्बों का प्रतिशत क्रमशः 13.5 और 5 प्रतिशत के आस-पास रहा है जो पिछले तीन वर्ष के दौरान मरम्मत के लिए निष्क्रिय रहे। गत तीन वर्ष के दौरान ऐसे सवारी डिब्बों की कुल संख्या में कमी-बेशी होती रही है; 1-4-1981 तक इस संख्या में मामूली वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद इसमें कमी होनी शुरू हो गई। माल डिब्बों की कुल संख्या में वृद्धि हुई। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | 1-4-1980 | 1-4-1981 | 1-7-1981 |
|---|---|---|---|
| सवारी डिब्बे | 3753 | 3984 | 3695 |
| माल डिब्बे | 21686 | 26377 | 29005 |

प्रतिबन्धित मरम्मत क्षमता ने इस वृद्धि में मुख्य योगदान दिया है। धनाभाव और अर्थोपाय की कठिन स्थिति के कारण, विगत में रेले पर्याप्त क्षमता जुटा पाने में असफल रही है। बहरहाल, रेलें इस समय जगाधरी, न्यू बोंगाई गांव, झांसी और कोटा स्थित वर्तमान कारखानों का विस्तार कर रही हैं और रायनापाडु, भुवनेश्वर, तिरुपति तथा भोपाल में नये कारखाने स्थापित कर रही हैं। परिवहन शेडों तथा डिपुओं में भी क्षमता बढ़ायी जा रही है।

**पाली घाट के पास चम्बल नदी पर पुल**

4695. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना जिले के शिवपुर तहसील में पालीघाट के निकट (शिवपुर-सवाई माधोपुर रोड पर) चम्बल नदी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलकर एक पुल बनाए जाने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्वीकृति दी गई है और क्या उसके लिए खाका और प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितना परिव्यय रखा गया है और इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह)** : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पुल के निर्माण के लिए 293.89 लाख रुपये की स्वीकृत लागत की तुलना में 280 लाख रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है (147.50 लाख रुपये राजस्थान सरकार को और 132.50 लाख रुपये मध्य प्रदेश सरकार को) । 280 लाख रुपये से अधिक की धनराशि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें अपने साधनों से पूरी कर रही हैं । केन्द्रीय सरकार ने इस पुल का विस्तृत अनुमान भी स्वीकृत कर दिया है । राजस्थान सरकार वास्तविक निर्माण कार्य कर रही है । उनके अनुसार, इस पुल का निर्माण निगम के जरिए करवाया जाना है । मिट्टी की जांच का काम हो रहा है और श्रम कार्यों के लिए निविदाएं मांगी गई हैं ।

**कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा निरन्तर आन्दोलन**

4696. **श्री चित्त बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश भर में कनिष्ठ डाक्टरों के निरन्तर आन्दोलन का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने एक चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति का गठन किया है जिसे रेजीडेंसी योजना के साथ-साथ हाउसमैनसिप की समीक्षा भी करनी है तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के समान पैटर्न के बारे में सिफारिशें करनी हैं ।

**कुडूरहसन रेल लाइन**

4697. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा**
**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को कुडूर-चिकमगलूर-हसन के बीच रेल लाइनें शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) कुडूर-चिकमगलूर–मुडिगेरा/वेलूर-सकलेसपुर-हसन रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सकलेसपुर और हसन पहले से ही मीटर आमान की लाइन से जुड़े हुए हैं। संसाधन की तंगी के कारण बकाया सुझायी गयी लाइन के निर्माण को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**जन्तर-मन्तर पर नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के बहुमंजिली भवनों का प्रभाव**

4698. **श्री भीखूराम जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका की शहर के बीच में बनाई गई अत्यन्त बहुमंजिली इमारतें जन्तर-मन्तर पर अपनी छाया डाल रही है जिससे वहां ज्योतिपीय गणना करना असम्भव हो गया है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रधान मंत्री से शहर के केन्द्र में और आगे भवनों का निर्माण रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस अनुपम और महत्त्व इमारत को छाया पड़ने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) नई दिल्ली नगरपालिका की बहुमंजिली इमारतों की छाया जन्तर-मन्तर स्मारक पर जून और जुलाई महीनों में 5 बजे (सायं काल) के उपरान्त पड़ती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इन इमारतों की छाया इन संरक्षित स्मारकों पर जून और जुलाई महीनों के दौरान 5 बजे (सायं काल) के बाद पड़ती है। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली नगर कला

आयोग से निवेदन किया है कि इन स्मारकों के उत्तर-पूर्व, तथा दक्षिण-पूर्व के स्थलों पर ऐसी ऊंची-ऊंची इमारतों को बनाने की अनुमति न दें, जो इन पर छाया डाल सकें।

**स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली**

4699. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पंजीकृत और मान्यता प्राप्त संस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल संगठन के प्रशासन पर सरकार का कितना नियन्त्रण है;

(ग) क्या यह सच है कि इस स्कूल का प्रशासन प्रवेश के लिए पाँच हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपए तक प्रति छात्र चन्दे की वसूली करता है;

(घ) क्या बस सेवा सुविधा के इच्छुक सभी छात्रों को यह सुविधा प्रदान की जाती है;

(ङ) यदि नहीं, तो स्कूल बस सेवा की सुविधा के बारे में स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी को ही क्यों उत्तरदायी बताया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनेक छात्र बस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस स्कूल के ऐसे प्रबन्ध के बारे में जांच कराने का है जिससे व्यवस्था ठीक हो जाये और छात्रों को बस सेवा सुविधा के न मिलने की परेशानी न उठानी पड़े ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्प्रिंगडेल स्कूल एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, जिसे सहायता नहीं दी जाती। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन इस स्कूल पर दिल्ली प्रशासन का नियन्त्रण है। उक्त अधिनियम तथा नियमों में स्कूलों के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्कूल छात्रों से प्रति छात्र शुल्क वसूल नहीं कर रहा है।

(घ) से (च) यद्यपि स्कूल की मान्यता देते समय बस सेवा सुविधा की व्यवस्था की कोई शर्त नहीं थी फिर भी यह पता लगा है कि स्प्रिंगडेल स्कूल उन छात्रों को जो ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे स्थानों में रहते हैं जो स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नियत किए गए रास्तों में आते हैं, उन्हें बस सेवा की सुविधा प्रदान करता है। यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि इस सुविधा की व्यवस्था का कार्य किसी ऐसे कर्मचारी को सौंपे जिसे वह सुविधाजनक समझें। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए कोई जांच नहीं की गई है।

**मियां भाई न्यायाधिकरण**

4700. **श्री रामेश्वर नीखरा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने कर्मचारियों के काम के घंटे की जांच करने के लिये 'मिया भाई न्यायाधिकरण' की नियुक्ति की थी :

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं :

(ग) क्या उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कार्यान्वित कर दी गई हैं : और

(घ) यदि हां, तो विभागवार तथा वर्गवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) आदेश सामान्य किस्म के हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न विभाग और कई कोटियां आती हैं।

**विवरण**

रेल कर्मचारियों के कार्य घंटों के सम्बन्ध में मिया भाई द्वारा की गयी सिफारिशों का विषय।

1. काम के घंटे वे होंगे जिनके दौरान एक कर्मचारी अपने नियोक्ता के कहने पर उसके पास कार्य करता है।

2. सामान्यतया निरन्तर और अनिवार्यत: सविरामी कर्मचारियों के नियोजन के दैनिक तथा साप्ताहिक घंटे एक दिन में 8 घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे होने चाहिए।

3. अनिवार्यत: सविरामी कर्मचारियों के नियोजन के दैनिक तथा साप्ताहिक घंटों को उतने घंटों तक बढ़ाया जा सकता है जो आवश्यक हो। लेकिन यह अधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर होने चाहिए।

4. प्रारम्भिक और अथवा पूरक कार्य के लिए अपेक्षित समय, जिसमें कार्य भार सम्हालने और सौंपने में लगा समय शामिल है, निर्धारित किया जाना और इसे रोस्टर में शामिल किया जाना चाहिए।

5. (1) रनिंग कर्मचारियों (2) परिचालन कर्मचारियों (3) पारी में काम करने वाले कर्मचारियों (4) उन कर्मचारियों, जिनका कार्य उपर्युक्त तीन कोटियों में शामिल कर्मचारियों के कार्य से सम्बद्ध हो, के सम्बन्ध में औसत निकाली जानी चाहिए।

6. रोस्टर के घंटों से अधिक परन्तु विधिक सीमाओं के भीतर किये गये समयोपरि के लिये सामान्य दर के डेढ़ गुने के हिसाब से समयोपरि दिया जाना चाहिए और विधिक सीमाओं से बाहर किये गये समयोपरि के लिए सामान्य दर के दुगुने के हिसाब से समयोपरि दिया जाना चाहिए।

7. ड्यूटी पर फालतू यात्रा में लगे समय को भी, निम्नलिखित को छोड़कर, ड्यूटी का अंश माना जाना चाहिए (1) जब कर्मीयान सुविधा की व्यवस्था कर दी गयी हो और (2) जब कर्मचारी किसी दिन 8 कि०मी० से अधिक यात्रा न करता हो।

8. 'ग' श्रेणी के फाटक वालों, सैलून परिचरों, विश्रामगृहों और जलाशयों आदि के रखवालों और बंगले के चपरासियों की कोटि का पुनर्वर्गीकरण करके उन्हें अनिवार्यतः सविरामी कर्मचारियों की कोटि में रखा जाना चाहिए।

## दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों के किराये में वृद्धि

4701. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में दिल्ली परिवहन की बसों के किराये में कितनी बार वृद्धि की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली में बसों के किराए में पिछले पांच वर्षों में केवल एक बार वृद्धि की है।

## रेलवे में डीजल की खपत

4702. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा में बचत करने की दृष्टि से रेलवे द्वारा डीजल की खपत में कटौती करने के लिये कोई उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं;

(ख) डीजल के स्थान पर कोयले का प्रयोग कर हर वर्ष कितने डीजल की बचत की जा सकती है;

(ग) क्या रेल इंजनों की आवश्यकता के लिये काफी मात्रा में कोयला उपलब्ध है; और

(घ) डीजल की कमी की दृष्टि से कोयला-चालित इंजिनों का निर्माण और प्रयोग कम करने का औचित्य क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) रेलों पर हाई स्पीड डीजल तेल की खपत में बचत को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। मण्डल तथा मुख्यालय दोनों स्तरों पर इसकी खपत पर निगरानी रखी जाती है। हाई स्पीड डीजल तेल की खपत पर नियन्त्रण रखने के लिए डीजल इंजनों के अनुरक्षण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ख) से (घ) चूंकि स्टीम इंजन कर्षण का एक अकुशल साधन है, इसलिए यातायात की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकताओं को उससे पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टीम रेल इंजनों का निर्माण 1971 से बन्द कर दिया गया है। रेलें स्टीम इंजनों का विस्तार नहीं कर सकती। गाड़ियों का डीजलीकरण और विद्युतीकरण करना कुशल कर्षण का एकमात्र वैकल्पिक साधन है। देश में स्टीम कोयले की उपलब्धता इतनी पर्याप्त नहीं है कि रेलों और उद्योगों की सम्मिलित आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

## परिवार कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने और निरूत्साहित करने के बारे में चीनी पद्धति

4703. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रोत्साहन देने और निरूत्साहित करने के बारे में चीनी पद्धति का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से किसको भारत में अपनाया जा सकता है; और

(ग) जनसंख्या की बहुत अधिक वृद्धि को रोकने के लिये कार्यक्रमों में कौन से अतिरिक्त प्रोत्साहनों को सम्मिलित किया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) चीन में जनसंख्या नियन्त्रित कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये अपनाये गये तरीकों से सम्बन्धित प्रकाशनों और रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी का अध्ययन कर लिया गया है। तथापि, अत्यधिक भिन्न किस्म की सामाजिक स्थिति और भारत सरकार की पद्धति को ध्यान में रखते हुए चीन का उदाहरण इस देश में लागू नहीं किया जा सकता। जहां तक भारत में जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहनों का सम्बन्ध है, समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक होता है इनमें अतिरिक्त प्रोत्साहन/संशोधन शामिल कर दिये जाते हैं।

**मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजपथों की घोषणा**

4704. **श्री अरविंद नेताम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61, 1960-71 और 1979-80 में राष्ट्रीय राजपथों की राज्यवार किलो मीटर लम्बाई कितनी-कितनी थी; और

(ख) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की राष्ट्रीय राजपथों को घोषित करने के सम्बन्ध में क्या मांगें थीं और छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिए कितने राष्ट्रीय राजपथों की घोषणा की गई है और राज्य सरकारों की प्रार्थनाएं स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बूटासिंह) :** (क) विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) विवरण-2 संलग्न है । इस विवरण में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए सभी राज्यों से जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, प्राप्त प्रस्ताव और इसमें से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या दिखाई गई है ।

संसाधनों के उपलब्ध होने और अन्य प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए 1980-85 योजना के अधीन सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई हैं । ये सभी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हैं । इसके अतिरिक्त भोपाल से जयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का विस्तार किया गया । धन के अभाव के कारण और अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों पर विचार करते हुए सरकार फिलहाल किसी और सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है ।

**विवरण**

1960-61, 1970-71 और 1979-80 में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार किलो मीटर लम्बाई सम्बन्धी विवरण

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | 1960-61 में लम्बाई | 1970-71 में लम्बाई | 1979-80 में लम्बाई | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2299 | 2299 | 2299 | |
| 2. | असम | 1011 | 1190 | 1468 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 1867 | 1867 | 2117 | |
| 4. | चण्डीगढ़ | — | — | 24 | |
| 5. | दिल्ली | 72 | 72 | 72 | |
| 6. | गोआ | — | — | 229 | |
| 7. | गुजरात | 1082 | 1082 | 1398 | |
| 8. | हरियाणा | 681 | 681 | 681 | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 398 | 398 | 630 | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 541 | 541 | 648 | |
| 11. | कर्नाटक | 1306 | 1306 | 1996 | |
| 12. | केरल | 416 | 416 | 784 | |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2670 | 2670 | 2670 | |
| 14. | महाराष्ट्र | 2379 | 2379 | 2861 | |
| 15. | मणीपुर | 211 | 211 | 211 | |
| 16. | मेघालय | 161 | 161 | 345 | |
| 17. | नागालैण्ड | 110 | 110 | 113 | |
| 18. | उड़ीसा | 1363 | 1363 | 1649 | |
| 19. | पंजाब | 496 | 496 | 913 | |
| 20. | राजस्थान | 1251 | 1251 | [2157 | |
| 21. | सिक्किम | 62 | 62 | 62 | |
| 22. | तमिलनाडु | 1698 | 1698 | [1749 | |
| 23. | त्रिपुरा | — | — | 200 | |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2328 | 2328 | 2328 | |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1367 | 1419 | 1419 | |
| | कुल : | 23769 | 24000 | 29023 | |

विवरण-2

छठी योजना (1980-85) में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की और राज्यों से (जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या सम्बन्धी विवरण

| क्रम संख्या | राज्य | छठी योजना में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | छठी योजना में भारत सरकार द्वारा अब तक संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8 | — |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 |
| 3. | असम | 2 | 2 |
| 4. | बिहार | 6 | — |
| 5. | गुजरात | 4 | — |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2 | — |
| 7. | कर्नाटक | 11 | — |
| 8. | मध्य प्रदेश | 23 | 1 |
| 9. | महाराष्ट्र | 13 | — |
| 10. | मणीपुर | 1 | 1 |
| 11. | मेघालय | 1 | 1 |
| 12. | मिजोरम | 1 | 1 |
| 13. | उड़ीसा | 1 | — |
| 14. | पांडिचेरी | 1 | — |
| 15. | पंजाब | 2 | — |
| 16. | राजस्थान | 1 | 1* |
| 17. | तमिलनाडू | 2 | — |
| 18. | त्रिपुरा | 1 | — |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 13 | — |
| | कुल : | 94 | 7 |

*राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का बियौरा से जयपुर तक बिस्तार एक प्रस्ताव माना गया है।

**केरल में राष्ट्रीय राजपथों के लिए सीमेंट की सप्लाई**

4705. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट की सप्लाई में कमी के कारण केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर होने वाले कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या केरल सरकार ने राजपथों के लिए सीमेंट की सप्लाई का प्रस्ताव भेजा है, और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र द्वारा कितना आवंटन किया गया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) सीमेंट की कमी से केरल सहित सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी कार्य कुछ हद तक रुके रहे हैं।

(ख) जी, हां

(ग) 1981 के चालू वर्ष में केन्द्र द्वारा किया गया नियतन और प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| तिमाही | केरल से प्राप्त प्रस्ताव | केन्द्र द्वारा किया गया नियतन |
|---|---|---|
| | मी० टन | मी० टन |
| पहली तिमाही, 1981 (जनवरी-मार्च, 1981) | 3,008 | 1,400 |
| दूसरी तिमाही, 1981 (अप्रैल-जून, 1981) | 3,985 | 3500 |
| तीसरी तिमाही, 1981) (जुलाई-सितम्बर, 1981) | 4,025 | 3,190 |

**रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में भेड़ और बकरियों को लाने की अनुमति न दिये जाने के कारण**

4706. **श्री समीनुद्दीन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालतु कुत्तों को उनके मालिकों के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बों में लाने की अनुमति है;

(ख) क्या कुत्तों के सम्बन्ध में अनुमति है और भेड़ और बकरियों के लिए अनुमति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्किार्जुन)** : (क) वातानुकूल तथा पहले दर्जे के यात्रियों को सह-यात्रियों की सहमति से अपने डिब्बे में ही कुत्ते ले जाने की अनुमति है।

(ख) जी हां।

(ग) भेड़ें तथा बकरियों को असुविधा पहुंचा सकती हैं, इसलिए उनको यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं है।

**पाकिस्तान में भारतीयों के ठहरने की अवधि को बढ़ाने की अनुमति न दिया जाना**

4707. **श्री विजय कुमार यादव**
**श्री बी० वी० देसाई** } क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अगस्त, 81 के टाइम्स आफ इंडिया में 'इंडियनस वोंट, अलाउड टू एक्सटेंड स्टे इन पाकिस्तान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

**राज्यवार आंख दुखने की बीमारी से पीड़ित लोग**

4708. **श्री रामगोपाल रेड्डी**
**श्री एन० के० रोजवलकर**
**श्री मनी राम बागड़ी**
**श्री चिन्ता मणि जेना**
**श्री रामजी भाई मवाड़ी**
**श्री मोहम्मद असरा अहमद**
**श्री राजेश कुमार सिंह**
**श्री राम लाल राही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जुन 1981 से फैली हुई आंख दुखने की बीमारी से राहत के आसार नजर नहीं आते हैं; और

(ख) देश में राज्य-वार इस बीमारी से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) वाइरल कंजेक्टीवाटिस की महामारी अब घटती जा रही है और जितने रोगियों की सूचना मिल रही है वह पहले से बहुत कम है।

(ख) आवश्यक सूचना सम्बन्धित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है।

**दिल्ली विश्वविद्यालयों में विधि, रसायन आदि में मूल्यांकन पद्धति**

4709. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि, रसायन और मानव विज्ञान आदि के छात्रों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की है कि संशोधित मूल्यांकन पद्धति भेदभावपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी शिकायतों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार रसायन शास्त्र और मानव शास्त्र विभागों के छात्रों ने विश्वविद्यालय की, वर्ष 1980-81 से मूल्यांकन का अंकपद्धति फिर से लागू करने के फल-स्वरूप संख्यात्मक अंकों के साथ ग्रेड प्वाएंट औसत की समकक्षता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समकक्षता बालिकाओं के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया है।

विधि के छात्रों द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) अभ्यावेदनों पर विश्वविद्यालय को अकादमी परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है।

**शिक्षा परामर्शदात्री फर्म**

4710. क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपर्युक्त बुनियादी सुविधायें जुटाने की दृष्टि से सरकार एक शिक्षा परामर्शदायी फर्म स्थापित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस फर्म के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी हां ।

(ख) शैक्षिक परामर्शी कम्पनी, विकास शील देशों की सरकारी तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसी अनेक एजेंसियों, विश्वबैंक/एशियाई विकास बैंक जैसे वित्तीय व्यवस्था करने वाले संगठनों, यूनेस्की और 'एसकेप' जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और भारत सरकार को उसके अपने तकनीकी सहायता/आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के सन्दर्भ में शैक्षिक परामर्शी सेवा प्रदान करेगी । इस सन्दर्भ में शिक्षा अन्तर्गत सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का सारा क्षेत्र शामिल होगा ।

(ग) इस फर्म को दिल्ली में "एजुकेशनल' कन्सलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड" के नाम से 17 जून, 1981 की पंजीकृत तथा नियमित किया गया था । विभिन्न अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आगे की कार्यवाई की जा रही है और उसके पश्चात् फर्म कार्य करना शुरू कर देगी ।

## भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता

4711. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या विदेश मन्त्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि 1 जनवरी 1981 के दौरान भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों और आर्थिक सहयोग के बारे में बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो सम्पन्न किए गए करारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन करारों को कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) और (ख) अप्रैल, 1981 में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान, पांच समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे;

(1) कुछ उद्योगों में और व्यापार में सहयोग;

(2) अन्तरिक्ष-क्रिया-कलापों में सहयोग;

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग;

(4) भारतीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र का विकास;

(5) भारतीय कोयला उद्योग के विकास में सहयोग;

थाल उर्वरक परियोजना और 1981 के लिए स्थानीय लागत अनुदानों से संबंधित दो आर्थिक सहयोग समझौतों पर भी पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। दुहरे कराधान-परिहार सम्बन्धी अभिसमय पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक क्रिया-कलापों में और सहायता मिलेगी।

(ग) भारत और यूनाइटेड किंगडम की संसदों द्वारा आवश्यक अनुमोदन के बाद, दुहरे कराधान-परिहार सम्बन्धी अभिसमय लागू होगा।

उर्वरकों सम्बन्धी थाल समझौता और 1981 के लिए स्थानीय लागत अनुदानों पर हुआ समझौता कार्यान्वित किया जा रहा है। विशिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों में भारत-ब्रिटिश सहयोग को आसान बनाना ही इन समझौता-ज्ञापनों का मूल उद्देश्य है। सम्बन्धित ब्रिटिश और भारतीय अधिकारी इनके अनुसार कार्य करेंगे।

**संसद्-सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का निपटान**

4712. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में संसद सदस्यों द्वारा पूरे देश में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें की गईं;

(ख) कितनी शिकायतों को निपटा दिया गया है और कितनी अभी विचाराधीन हैं; और

(ग) इन शिकायतों को निपटाने में इस प्रकार की देरी के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) : सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**एशियाई खेलों के फुटबाल मंच**

4713. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्वार्टर फाइनल स्तर तक के एशियाई खेलों के फुटबाल मैचों का आयोजन दिल्ली से बाहर करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्वार्टर फाइनल तक के फुटबाल मैचों के लिये कलकत्ता का खेल-स्थल के रूप से चयन किया जायेगा ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) : मामला एशियाई खेल 1982 की विशेष आयोजन समिति के विचाराधीन है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा के व्याख्याताओं की नियुक्ति**

4714. **श्री सज्जन कुमार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिये विज्ञापन दिया था और तद्नुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था;

(ख) क्या फ्रांसीसी भाषा के व्याख्याताओं के कई पद रिक्त पड़े हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला वहां कोई नहीं है;

(ग) क्या कई विद्यार्थियों ने अन्य केन्द्रों पर अपना प्रवेश रद्द करा लिया था क्योंकि इस विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम अब सांध्यकालीन में आरम्भ किया जा रहा था; और

(घ) क्या सरकार फ्रांसीसी भाषा के व्याख्याता की नियुक्ति करना चाहती है ताकि विद्यार्थियों को नुकसान न हो ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । अध्यापकों के तीन पदों में से केवल एक पद रिक्त है तथा इसके शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है ।

(ग) विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) जी, नहीं । शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने का कार्य विश्वविद्यालय का है।

**गोंडा-गोरखपुर लूप लाइन**

4715. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में गोंडा से गोरखपुर तक की लूप लाइन भी मीटर गेज लाइन है और क्या इसे बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक गोंडा, गोरखपुर लूप लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) : बलरामपुर आदि के रास्ते गोंडा से गोरखपुर तक लूप लाइन एक मीटर आमान लाइन है । इस लाइन को मीटर आमान से बड़े आमान में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**हैदराबाद केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में कार्यालय फर्नीचर खरीदने के बारे में लेखापरीक्षा आपत्ति**

4716. **श्री शांतु भाई पटेल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्था को हैदराबाद केन्द्र में कार्यालय फर्नीचर खरीदने के सम्बन्ध में गम्भीर लेखापरीक्षा आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के हैदराबाद केन्द्र से सम्बन्धित वर्ष 1979-80 के लिए दो लेखा आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। ये आपत्तियां सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना 1,260/- रुपये की कुर्सियां खरीदने और दो मेजें खरीदने के लिए प्रस्तुत की गई राशि से 310/- रुपये अधिक की अदायगी से संबन्धित थीं।

**नये औषधि आवेदन पत्र और जारी की गई नयी औषधियां**

4717. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान नई औषधियों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितनों को मंजूरी दी गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार कितनी नई औषधियां बनाई गई हैं; और

(ग) आवेदकों की संख्या तथा प्रत्येक आवेदन के लिए वर्षवार मंजूर की गई औषधियों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) औषध नियंत्रक (भारत) को नई औषधियों के जितने आवेदन पत्र मिले हैं तथा उन्होंने जितनों का अनुमोदन किया है, उनकी संख्या इस प्रकार हैं :

| वर्ष | नई औषधियों के बारे में प्राप्त आवेदनों की संख्या | अनुमोदित नई औषधियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1977-78 | 49 | 11 |
| 1978-79 | 43 | 19 |
| 1979-80 | 39 | 14 |
| 1980-81 | 24 | 13 |

(ख) और (ग) इन भागों की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

**दिल्ली प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की आंगनबाड़ी योजना का कार्यान्वयन**

4718. **श्री कल्पनाथ सोनकर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की आंगन बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और इस योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) दिल्ली में यह योजना किन स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) क्या इस योजना को दिल्ली में उन स्थानों पर भी आरम्भ करने का विचार है जिन को छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो कब तक ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, रोग-प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जाँच, निर्देशक सेवाएं पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि सेवाएं प्रदान करना, आंगनबाड़ी को केन्द्र बिन्दु मानकर कार्यान्वित किया जा रहा है। यूनीसेफ सहायता, परामर्श, प्रशिक्षण पूर्ति, यंत्र, प्रबोधन और मूल्यांकन तक सीमित है ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी परियोजना का पूर्ण कार्यभारी होता है । उसे ग्रामीण, शहरी और उन जन जातीय क्षेत्रों की परियोजनाओं में क्रमशः पांच-चार और तीन मुख्य सेविकाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है । इन सेवाओं का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण/स्थानीय स्तर पर आंगन-बाड़ी केन्द्र हैं । देहली प्रशासन द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाओं के पदों पर नियुक्ति, 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा (पदोन्नति का आधार न होने पर 50% सीधी भर्ती द्वारा) की जाती है । आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता 18 से 44 वर्ष की अवैतनिक महिला कार्यकर्त्ता हैं। परियोजना क्षेत्र की निवासी जरूरतमन्द महिला/लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) दिल्ली की निम्नलिखित गन्दी बस्तियों में कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है :—

| समेकित बाल विकास परियोजना | | सम्मिलित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. जामा मस्जिद | : | जामा मस्जिद, मटिया महल, तुर्कमान गेट और अजमेरी गेट । |
| 2. मंगोलपुरी | : | मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी पुनर्वास कालोनियां । |
| 3. नन्द नगरी | : | नन्दनगरी, गोकलपुरी, जाफराबाद, ब्रह्मपुरी, मौजपुर घोंडा, और इसके साथ का क्षेत्र । |
| 4. त्रिलोकपुरी | : | त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी, खिचड़ीपुर और कल्याण-पुरी, पुनर्वास कोलोनियां । |
| 5. जहांगीरपुरी | : | जहांगीरपुरी, मजलिस पार्क, आजाद पुर और वजीरपुरी जे० जे० कोलोनी । |
| 6. सीमापुरी | : | सीमापुरी (पुरानी और नयी) सीलमपुर फेज— 1, 2, 3, और 4, पुराना सीलमपुर, धर्मपुरा, उस्मान पुर, नया गांव, गौतमपुरा, अजीत नगर, और रघुवीर पुरा की शहरी बस्तियां । |

इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित दिल्ली प्रशासन द्वारा स्व-धनराशि द्वारा निम्नलिखित दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

| समेकित बाल विकास परियोजना | | सम्मिलित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. खानपुर | : | खानपुर, दक्षिणपुरी, जे० जे० कोलोनी मदनगीर गांव, और टिगरी जे० जे० कोलोनी, उसके साथ का क्षेत्र । |
| 2. शकरपुर | : | शकरपुर, मादीपुर, ख्याला, छाखान्दी, रघुवीर नगर जे० जे० कोलोनी, तिलक नगर की हरिजन कोलोनी । |

(घ) 1981-82 के दौरान, दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों पर दो और नई परियोजनाएं चलाकर, कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है :—

| समेकित बाल विकास सेवा परियोजना | | सम्मिलित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. आनन्द पर्वत, | : | आनन्द पर्वत, बापा नगर, रैगरपुरा, सन्त नगर, टंक रोड, चंद्रशेखर नगर और पदम नगर । |

| समेकित बाल विकास परियोजना | | सम्मिलित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 2. इन्द्रपुरी, | : | इन्द्रपुरी, जे० जे० कोलोनी, प्रेम नगर, बलजीत नगर जे० जे० कोलोनी, पानदेव नगर, बलजीत नगर। |

छठी पंचवर्षीय योजना के बचे हुए वर्षों में कुछ और परियोजनाएं शुरू करने का विचार है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रबन्ध अध्ययन के व्याख्याता के पदों पर नियुक्तियां**

4719. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1981 में हुए साक्षात्कार के परिणामस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रबन्ध अध्ययन के व्याख्याता के कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं और अब तक इन पदों पर कोई भी नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी में कुछ सदस्यों ने उक्त चुनाव समिति की कुछ सिफारिशों पर यह आरोप लगाया है कि अपात्र व्यक्तियों को चुन लिया गया है और पात्र व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उपकुलपति को कुछ प्राध्यापकों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसमें किस प्रकार की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है; और

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद इन आरोपों की जांच करने और शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और क्या संबन्धित प्राध्यापकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 'विजिटर' को कोई अभ्यावेदन दिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय में प्राध्यापकों के 8 पदों में से जिनके लिए जुलाई, 1981 में साक्षात्कार किए गए थे, अब तक 2 पद भरे गए हैं। अन्य 3 पदों के लिए चुने हुए उम्मीदवारों को प्रस्ताव भेजें दिए गए हैं जिनमें से दो ने समयावधि बढ़ाने के लिए कहा है, जबकि तीसरे उम्मीदवारों से अभी उत्तर प्राप्त होना है।

प्रबन्ध अध्ययन में क्रमशः 'आपरेशनल रिसर्च' और 'कोस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटिंग' में प्राध्यापकों के 2 पदों के लिए चयन समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय लिया कि पदों को पुनः विज्ञापित किया जाए। प्रबन्ध अध्ययन में 'मार्केटिंग रिसर्च' में प्राध्यापकों के 8 पदों के सम्बन्ध में चयन समिति की सिफारिश कार्यकारी परिषद के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) : प्रबन्ध अध्ययन में 'मार्केटिंग' 'रिसर्च' में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्यों ने आपत्ति की और इस सम्बन्ध में कुलपति को भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए। यह भी आरोप था कि कई पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। तथापि, विश्वविद्यालय ने बताया कि सभी पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों का स्पष्टीकरण होने तक इस पद के लिए चयन समिति की सिफारिश कार्यकारी परिषद के विचाराधीन है। विजिटर को सम्बोधित कोई अभ्यावेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

**पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मन्दिर की मरम्मत**

4720. **श्री रास बिहारी बहेरा**
**श्री के० प्रधानी**
**श्री चिन्तामणि जेना** } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मन्दिर, जो एक अत्यन्त प्राचीन स्मारक है, की भारी मरम्मत और उसके नवीकरण किये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो मरम्मत तथा नवीकरण कार्य के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है और सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** (क) जी हां।

(ख) इस मन्दिर के पुरातत्वीय परिरक्षण तथा रख-रखाव हेतु वर्ष 1979-80 के लिए 99,883 रुपये, वर्ष 1980-81 के लिए 1,86,176 रुपये और वर्ष 1981-82 के लिए 1,99,182 रुपये की धन राशि आवंटित की गई है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में इस मन्दिर के पलस्तर को उतारने, इसकी अनावृत्त क्षतिग्रस्त चिनाई को सुदृढ़ करने, और पत्थरों के रासायनिक उपचार के कार्य प्रगति पर हैं।

**खड़गपुर से आसनसोल तक रेल लाइन का विद्युतीकरण करना**

4721. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत खड़गपुर से आसनसोल तक और खड़गपुर से शारग्राम तक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा और हावड़ा और शारग्राम के बीच दो बार सवेरे और दो बार शाम को गाड़ियां चलायी जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) खड़गपुर शारग्राम खंड पहले से ही विद्युतीकृत है । खड़गपुर-आसनशोल मार्ग के खड़गपुर-आर्द्रा भाग के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, शेष भाग विद्युतीकृत हो चुका है । खड़गपुर-हवड़ा उपनगरीय गाड़ी सेवाओं को जोड़ने के लिए सुबह के समय दो जोड़ी और शाम के समय दो जोड़ी परम्परागत यात्री गाड़ियां उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**दलाईलामा का तिब्बत वापस आना**

4722. **श्री गुलाम मुहम्मद खान** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दलाईलामा तिब्बत वापस आने का विचार कर रहे हैं;

(ख) क्या बौद्ध नेता ने उनकी वापसी की संभावित तिथि की ओर संकेत किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दलाईलामा ने हाल ही के अपने प्रेस सम्मेलनों में तिब्बत लौटने की अपनी सम्भावना का उल्लेख किया है । लेकिन उन्होंने अपने लौटने के लिए समय विशेष का संकेत नहीं किया बल्कि सामान्य रूप में सिर्फ इतना ही कहा है कि वह 5 से 10 वर्ष में लौट सकते हैं । अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता ।

**आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था**

4723. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए विभिन्न राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्राथमिक स्कूल स्तर पर उनकी भाषा में शिक्षा देने का प्रस्ताव कुछ राज्यों में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस मामले में रुचि ली है; और

(घ) आदिवासियों को उनकी भाषा में शिक्षा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** (क) अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी कार्य दल, योजना द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ऐसी रूपरेखाएं राज्यों संघीय क्षेत्रों को भेज दी गई हैं।

(ख) और (ग) : ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) दो उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। प्रथमत: केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, जनजातीय भाषाओं के विकास और प्रोत्साहन कार्य में लगा हुआ है जिससे कि स्कूल शिक्षा में अनेक प्रयोगों में मदद मिल सके। संस्थान में जनजातीय भाषा भाषी बच्चों के लिए एक द्वि-भाषी शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा जतजातीय भाषा में दी जाती है और धीरे-धीरे उसे क्षेत्रीय अथवा राज्य भाषा के माध्यम के रूप में बदला जाता है। अभी तक चालीस जन-जातियों और सीमावर्ती भाषाओं, ध्वन्यात्मक रीडरों, व्याकरण, स्कूल प्राइमरों, शब्द-कोषों इत्यादि के विकास और प्रकाशन के सम्बन्ध में कार्य किया गया है। दूसरे, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने अनुसूचित जातियों के लिए पाठ्यचर्या के विकास के सम्बन्ध में एक समिति गठित की है। परिषद् ने एक केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के द्वि-भाषी अन्तरण माडल के आधार पर उड़ीसा के साओरा जनजाति के लिए एक संशोधित पाठ्यचर्या भी तैयार की है।

## पत्तनों की नौभार ढुलाई की क्षमता का विस्तार

4724. **श्री मोहन लाला पटेल**
**श्री डी० पी० जदेजा** } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में कुछ पत्तनों की नौभार ढुलाई की क्षमता को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से पत्तन हैं और उनके विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा और इस पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में पत्तन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए बड़ी-बड़ी स्कीमों के बारे में जो सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(करोड़ रुपये)

| पत्तन का नाम स्कीम का ब्यौरा | अनुमानित लागत | पूरे होने की अनुमानित तारीख |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **अप्रैल 1980 से पहले स्वीकृत स्कीमें** | | |
| **बम्बई** | | |
| बुचर द्वीप पर चौथा तेलघाट | 24.48 | अक्टूबर, 983 |
| **न्यू मंगलौर** | | |
| कुद्रेमुख कच्चा लोहा पत्तन सुविधाएं | 38.53 | 15-8-1980 से कच्चा लोहा वर्थ चालू है । |
| **विशाखापत्तनम** | | |
| तीसरे वैगन टिपलर की स्थापना | 7.02 | मार्च, 1982 |
| **परादीप** | | |
| कच्चा लोहा रखने उठाने वाले संयन्त्र में सुधार | 8.08 | फरवरी,1982 |
| सामान्य माल की दूसरी वर्थ का निर्माण | 7.26 | मार्च, 1982 |
| **कलकत्ता (हल्दिया)** | | |
| (हल्दिया में) उर्वरक रखने उठाने के लिए संयन्त्र | 4.24 | अक्टूबर, 1981 |
| **अप्रैल 1980 के बारे स्वीकृत स्कीमें** | | |
| **कांडला** | | |
| छठा सामान्य माल घाट | 17.49 | जुलाई, 1983 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| नया तेल घाट | 6.02 | दिसम्बर, 1982 |
| **बम्बई** | | |
| कंटेनर रखने उठाने माल संयन्त्र | 7.60 | 3 ट्रांसटैनर के आपात के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। एक गन्त्रीक्रेन प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। |
| **कोचीन** | | |
| विकास की समेकित योजना जिसमें तेल और उर्वरक बर्थों का बनाया जाना शामिल है। | 35.86 | जुलाई, 1983 |
| **न्यू मंगलौर** | | |
| एक और सामान्य माल घाट का निर्माण | 7.28 | दिसम्बर, 1983 |
| **मद्रास** | | |
| कंटेनर टर्मिनल | 22.60 | 1985 के अन्त तक |
| जवाहर डाक्स का विस्तार | 11.67 | मार्च, 1985 तक |
| **विशाखापत्तनम** | | |
| सामान्य व खुले माल की बर्थ का निर्माण | 8.50 | मई, 1984 |
| **टूटीकोरिन** | | |
| दो और बर्थों का निर्माण | 13.33 | मई, 1985 तक |
| **परादीप** | | |
| तीसरे सामान्य माल घाट का निर्माण | 7.12 | जुलाई, 1984 |
| कंटेनर रखने उठाने का उपकरण | 4.22 | दो ट्रांसटनरों के आयात के लिए आर्डर दिये गये हैं। एक गन्त्री क्रेन प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। |

**दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत निजी बसें**

4725. **श्री चित्त महाटा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत निजी बसें चल रही हैं और ये बसें कब से चल रही हैं;

(ख) "आपरेशन कांट्रेक्ट" कब समाप्त होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार "आपरेशन कांट्रेक्ट" को और आगे बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (घ) दिल्ली परिवहन निगम के पास 4-9-81 को 492 प्राइवेट बसें थी। दिल्ली परिवहन निगम 1964 से प्रायवेट बसें रखता आया है। इन बसों को एक वर्ष के लिए ठेके पर लिया जाता है। चूंकि दिल्ली परिवहन निगम केवल अपनी बसों से यातायात की निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रायवेट बसों को ठेके पर लेने की रीति को चालू रखा गया है।

**छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान सम्बन्धी व्यापक योजना**

4726. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान सम्बन्धी कोई व्यापक योजना बनाई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में "महिलाएं और विकास" के सम्बन्ध में एक अध्याय शामिल किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रोजगार और प्रशिक्षण, विधि निर्माण तथा समाज कल्याण क्षेत्रों में कार्यपद्धतियां, प्राथमिकताएं और कार्यक्रम विस्तृत रूप से दिए गए हैं। विशिष्ट कार्यक्रम और योजनाएं शुरू किए गए हैं तथा अन्य बनाए जा रहे हैं, जिनसे महिलाओं की काम करने की परिस्थितियों में सुधार होगा, भौतिक और सामाजिक साधनों पर उनकी पहुंच और नियन्त्रण बढ़ेगा तथा कानूनी, सामाजिक और अन्य बाधाएं समाप्त होंगी। इस से महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग करने के योग्य हो सकेंगी तथा उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे।

पहले से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. समेकित बाल विकास सेवा खंडों में वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता ।

2. श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों के लिए दिवस देख-भाल केन्द्रों के साथ श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों की केन्द्रीय योजना ।

3. संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता ।

4. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम ।

5. संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

6. जन सहयोग में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण ।

7. श्रमजीवी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु केन्द्र, जिसे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ।

8. स्वयंसेवी कल्याण संगठनों के माध्यम से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का सहायक अनुदान कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :—

(1) कठिनाइयों में फंसी महिलाओं के लिए अल्प-वास गृह ।

(2) परिवार परामर्श जिसमें विवाह-पूर्व और विवाह परामर्श सेवाएं शामिल हैं ।

(3) पिछड़े सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में मातृत्व केन्द्र ।

(4) कलाओं और शिल्पों में प्रशिक्षण तथा अन्य शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं लगाने वाली संस्थाएं ।

(5) गृह सहायता सेवाएं ।

(6) परिवार कल्याण सेवाएं ।

(7) मनोरंजन सेवाएं तथा महिलाओं के लिए पुस्तकालय ।

(9) दाइयों का प्रशिक्षण ।

**नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिल्ली छावनी के साथ गाड़ी से जोड़ा जाना**

4727. **श्री त्रेपन सिंह नेगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को 'परिक्रमा' गाड़ी का मार्ग बदल करके अथवा एक अन्य गाड़ी चला कर दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन से जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर रेलवे में लोको कर्मचारियों की प्रत्यावर्तन**

4728. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के तत्कालीन प्रबन्धक, मण्डलीय कार्मिक अधिकारी और सहायक कार्मिक अधिकारी ने सहायक लोको फोरमैनों को प्रत्यावर्तित कर उन्हें ड्राइवर बना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल 1981 को स्थगन आदेश जारी किये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्थगन आदेश के बावजूद उनका प्रत्यावर्तन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(च) उच्च न्यायालय के आदेशों को अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** (क) और (ख) तदर्थ आधार पर काम कर रहे निम्नलिखित पांच सहायक लोको फोरमैनों, जो लिखित परीक्षा में असफल हो गये थे, को प्रवरित कर्मचारियों द्वारा बदल दिया गया था :—

1. श्री एन० जार्ज
2. श्री० वी० एम० लाल
3. श्री तिलक धारी राम
4. श्री प्रभु दयाल
5. श्री मोहम्मद युसफ

(ग) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश तब दिया गया था, जब वे वास्तव में पदावनत हो गए थे ।

(घ), (ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

**बीकानेर और सूरतगढ़ जंकशनों के बीच ऐसे स्टेशन जहां बिजली नहीं है**

4729. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बीकानेर और सूरतगढ़ जंकशनों के बीच स्थित ऐसे स्टेशनों के क्या नाम हैं जिनके निकटवर्ती क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध है परन्तु रेलवे स्टेशनों पर अभी तक बिजली नहीं दी गई है;

(ख) इन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन रेलवे स्टेशनों को कब तक बिजली उपलब्ध कराने का है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** (क) मलकीसर, महाजन, अरजनसर और धीरेरा ।

(ख) इन स्टेशनों पर पहले बिजली नहीं लगायी जा सकी क्योंकि बिजली निकट उपलब्ध नहीं थी ।

(ग) मलकीसर, महाजन और अरजनसर स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम 1981-82के निर्माण कार्यक्रम में अनुमोदित किया गया है । इन स्टेशनों पर अगस्त 1982 तक बिजली लगा दिये जाने की आशा है, बशर्ते कि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सर्विस कनेक्शन उपलब्ध हो जाये । धीरेरा स्टेशन पर बिजली लगाने के काम को 1982-83 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ।

**मान्यता प्राप्त मजदूर संघ**

4730. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त मजदूर संघों को अनिश्चित काल के लिये मान्यता दी गई है, यदि हां, तो इसके आधार क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय रेल कर्मचारियों के मजदूर संघ क्षेत्रीय या अखिल भारतीय सदस्यता के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं या इस सम्बन्ध में कोई और मानदण्ड अपनाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) मजदूर संघों के सदस्य बनने के लिये हकदार कुल रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है और मान्यता प्राप्त केन्द्रीय मजदूर फेडरेशनों के कुल सदस्यों की संख्या क्या है; और

(घ) पश्चिम रेलवे की उन चार मजदूर संघों में प्रत्येक में कुल सदस्यता कितनी है जो केन्द्रीय मजदूर फेडरेशन से सम्बन्ध हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) श्रेणी तीन और श्रेणी चार के सभी कर्मचारी जिनकी कुल संख्या क्रमश: 704,053 और 326,702 है, सम्बन्धित रेल प्रशासनों पर काम कर रही अपनी पसन्द की श्रमिक यूनियन के सदस्य बनने के हकदार हैं । आल इण्डिया रेलवेमैंस फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन दो मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय रेलवे श्रमिक फैडरेशन हैं । आल इण्डिया रेलवेमैंस फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियनों की कुल सदस्य संख्या क्रमश: 677,230 तथा 610,313 है ।

(घ) पश्चिम रेलवे पर दो मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियनें हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| यूनियन का नाम | केन्द्रीय श्रमिक फैडरेशन जिससे सम्बद्ध है | सदस्यता |
|---|---|---|
| 1. वैस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन | आल इण्डिया रेलवेमैंस फैडरेशन | 106,110 |
| 2. वैस्टर्न रेलवे मजदूर संघ | नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन | 83,010 |

**विवरण**

मोटे तौर पर नीचे कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्तें दी गयी हैं जिनकी अधीनता में क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक किसी यूनियन को मान्यता प्रदान कर सकते हैं :

(1) इसमें विशेष श्रेणी के कर्मचारी (अर्थात् अराजपत्रित) शामिल होने चाहिए और इसका गठन किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय अथवा किसी दल या ऐसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के वर्ग से न हुआ हो ।

(2) उस श्रेणी के सभी रेल कर्मचारी सदस्यता के पात्र होने चाहिए ।

(3) भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन उसे पंजीकृत होना चाहिए ।

(4) उसकी सदस्य संख्या सम्बन्धित रेलवे नियोजित कुल अराजपत्रित कर्मचारियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(5) यह किसी खण्ड विशेष पर नहीं होनी चाहिए। एक कोटि अथवा कर्मचारियों की सीमित कोटि से गठित यूनियनों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

(6) रेल प्रशासन की राय में विनाश की किसी कार्रवाई में इसके ग्रस्त होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

2. प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर उन दो यूनियनों को मान्यता दी गयी है जिन्होंने उपर्युक्त शर्तों को पूरा किया है। मान्यता उस समय तक जारी रही है जब तक उपर्युक्त शर्तें पूरी की जाती हैं। इन शर्तों का पूरा किया जाना बन्द होने पर प्रशासन को मान्यता रद्द करने का अधिकार है। अतएव, अनिश्चित काल के लिए मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

**प्राप्त किए गए चलते-फिरते चिकित्सा वाहनों का बेकार पड़े रहना**

4731. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**
**श्री लक्ष्मण मलिक** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 1979 में प्राप्त किये गये चलते-फिरते चिकित्सा वाहन बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वाहनों की संख्या क्या है; और

(ग) उन्हें प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**उड़ीसा में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों 'डिस्पेंसरियों' चिकित्सा केन्द्र का कार्य विस्तार**

4732. **श्री हरिहर सोरन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों/डिस्पेंसरियों/चिकित्सा केन्द्रों के कार्य-विस्तार का काम ब्रिटिश सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है;

(ख) उन जिलों में कुल कितने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा अस्पतालों का विस्तार किया गया है;

(ग) उक्त ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) ब्रिटिश सरकार की आंशिक सहायता से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुविधाओं के विस्तार के लिए उड़ीसा के पांच जिलों अर्थात् कटक, गंजम, कालाहांडी, फुलबनी और पुरी को लिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने उड़ीसा के पांच चुनिंदा जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि करने के लिये एक योजना बनाई है जिस पर अनुमानतः कुल 29.54 करोड़ रुपये का परियोजना व्यय आएगा। इसमें से ब्रिटिश सरकार से 18.27 करोड़ रुपये की सहायता 5 वर्षों में मिल जाने की सम्भावना है। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग पांच वर्षों में इन जिलों में सुविधाओं और कर्मचारियों की संख्या में विस्तार करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की मिली-जुली सेवाओं को उस स्तर तक पहुंचाना है जिस तक आगे चलकर ये सेवाएं सारे देश में सुलभ कराई जा सकें। इस परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करने और संस्थागत तथा प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार करने पर, जिनमें अतिरिक्त उप-केन्द्रों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना, उप-प्रभागीय/तालुक अस्पतालों आदि का सुधार करना भी शामिल है, विशेष बल दिया गया है। इन सुविधाओं के विस्तार का कार्य चल रहा है।

**हैदराबाद और मंगलौर के बीच 131/132 जे० जे० एक्सप्रेस में शयनयान**

4733. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री को हैदराबाद निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें हैदराबाद और मंगलौर के बीच 131/132 जे० जे० एक्सप्रेस में एक 11 शयनयान जोड़ने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की गई है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) हैदराबाद और मंगलूर के बीच थ्रू डिब्बा लगाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यातायात सम्बन्धी औचित्य के अभाव तथा सम्बद्ध गाड़ियों में स्थान की कमी के कारण इस प्रकार का सवारी डिब्बे लगाना वांछनीय नहीं है।

**कन्नानोर-कोचीन के एक्सप्रेस का त्रिवेन्द्रम तक विस्तार**

4734. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कन्नानोर कोचीन डे एक्सप्रेस को मंगलपुरम से त्रिवेंद्रम तक विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां। कुछ मौजूदा सवारी गाड़ियों के स्थान पर 49/50 कोच्चिन-कन्नौर एक्सप्रेस को एक ओर तिरुवन्तपुरम तक और दूसरी ओर मंगलूर तक बढ़ाने के प्रस्ताव की जांच की गयी है, लेकिन अपेक्षित संसाधनों की कमी के कारण उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

**विश्रामपुर-बारावाड़ी लाइन**

4735. **श्री दलवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-80 के बीच विश्रामपुर से बारावाड़ी तक प्रस्तावित रेलवे लाइन का जो सर्वेक्षण किया गया था, उसका क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या प्रस्तावित लाइन को छठी योजना में बनाये जाने के लिये लिया जायेगा; और

(ग) प्रस्तावित लाइन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) अम्बिकापुर के रास्ते बरवाडीह से विश्रामपुर तक एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, तकनीकी व्यावहारिकता, वित्तीय अर्थ सक्षमता और धन की उपलब्धता को देखते हुए परियोजना के बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार हो जाने पर ही इस नयी लाइन की अनुमानित लागत का पता लग पायेगा।

**ओल्ड रोहतक रोड पर उपरि-पुल**

4736. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओल्ड रोहतक रोड पर (किशन गंज और आजाद मार्किट के बीच) जो उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है, उपरि-पुल का निर्माण करने की योजना स्थगित दी कर गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उपरोक्त चौराहे पर भारी यातायात की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने यदि कोई वैकल्पिक योजना बनाई है, तो वह क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर "नहीं" है तो योजना कब तक निष्पादित की जायगी ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) : इस फ्लाई ओवर के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक अन्तरिम नक्शा तैयार किया है और उन्होंने इस बारे में रेलवे, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया है। इस नक्शे को अभी तय नहीं किया गया है जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकर ने सूचित किया है। इसके विकल्प के रूप में कोई नक्शा नहीं प्रस्तावित किया गया है।

**प्राइवेट कला और विज्ञान कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान**

4737. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्राइवेट कला और विज्ञान कालेजों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है और शेष राशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) छठी योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव कालेजों को विकास सहायता के रूप में 70.00 करोड़ रुपये देने का है। गैर सरकारी कालेजों के लिए ऐसा कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) कालेजों को सहायता देने के लिए संशोधित मार्गदर्शीरूपरेखाओं को अन्तिम रूप देकर 28 जुलाई, 1981 को उन्हें विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिया गया था। कालेजों को इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर अपने प्रस्ताव तैयार करने हैं और उन्हें सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के माध्यम से विचारार्थ आयोग को प्रस्तुत करना है। 1981-82 और छठी योजना के उत्तरवर्ती वर्षों में दिए जाने वाले अनुदानों की मात्रा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों और वार्षिक बजट सम्बन्धी प्रावधान की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

**विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा**

4738. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) (ख) सभी वर्गों के विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है तथा इस प्रकार की रियायत के वित्तीय तात्पर्य होंगे और ऐसे निर्णय को कार्यान्वित करने में अनेक व्यावहारिक समस्याएं आएंगी। फिर भी कुछ वर्गों में विकलांग व्यक्तियों को यात्रा रियायत उपलब्ध है। दृष्टिहीन और अस्थि विकलांग व्यक्तियों को रेल किराए में 75% रियायत दी जाती है। इण्डियन एयर-लाइन्स कार्पोरेशन भी देश के भीतर की अपनी सभी फ्लाइट्स में दृष्टिहीनों को किराए में 50% रियायत देती है। कुछ राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश कुछ वर्गों के विकलांग व्यक्तियों को रियायती किराए पर सुविधा प्रदान करती हैं।

**गत दो वर्षों के दौरान नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन**

4739. **श्री राम अवध**
**श्री जी० वाई० कृष्णन** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जिलेवार कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई; और

(ख) नसबन्दी करवाने के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया गया और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही इनसे सूचना मिल जाएगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**कलकत्ता में औसत निर्माताओं द्वारा हैजे की अपरीक्षित वैक्सीन की सप्लाई के बारे में बायो-मेडिकल वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा दिया गया ज्ञापन**

4740. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कालेरा एण्ड एनिरिक डिजीजेज के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने ज्ञापन में उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया है जो बहुर्राष्ट्रीय भेषजीय कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधि के कथित प्रयोग से तथा कुछ वर्षों पहले अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों का भारी उल्लंघन करते हुए पूर्वी कलकत्ता में स्लम निवासियों पर अपरोक्षित और अमानकीकृत हैजे के वैक्सीन के कथित प्रयोग से सम्बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो वह क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिकों की एसोसिएशन ने अपने 5 जून, 1981 के ज्ञापन में निम्नलिखित आरोप लगाये हैं :—

(क) भारत के औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम के विशेष उपबन्धों का जान-बूझकर उल्लंघन करना।

(ख) "हेलसिंकी घोषणा" में मानविक प्रयोगों के लिये निर्धारित की गई "बायोमेडिकल-एथिक्स", का जानबूझकर उल्लंघन करना।

(ग) जिन कर्तव्यनिष्ठ वैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों का विरोध किया उनके विरुद्ध निम्नलिखित प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करके उन्हें सताया जाना :—

(1) वरिष्ठतम वैज्ञानिक को पदच्युत किया जा चुका है।

(2) पांच वरिष्ठ वैज्ञानिकों को अपनी अनुसन्धान-वृत्ति छोड़ देने और संस्थान से चले जाने के लिये मजबूर किया गया है।

(ग) दो नियन्त्रित क्षेत्रीय परीक्षणों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति के निष्कर्षों से यह सिद्ध हो गया है कि संस्थान ने उक्त परीक्षण आवश्यक देखभाल और सावधानी से किये हैं।

**नैतिक शिक्षा के लिए स्कूल के घन्टे**

4741. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने नैतिक शिक्षा के लिए कुछ स्कूल घन्टों का आवंटन किया है और पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) : निम्नलिखित दस राज्यों तथा एक संघीय श्रेत्र ने स्कूल पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा के लिए औपचारिक व्यवस्था की है :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पांडिचेरी ।

इन राज्यों में एक से लेकर तीन पीरियड प्रति सप्ताह तक नैतिक शिक्षा के लिए निर्धारित हैं । उन्होंने नैतिक शिक्षा के पाठ्यविवरण भी तैयार किए हैं ।

(ग) सरकार का यह विचार है कि छात्रों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास पाठ्यचर्या तथा पाठ्येत्तर कार्यकलापों के जरिए किया जाना चाहिए ।

**जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट**

4742 **श्री जेनुल बशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित रिपोर्ट के मुद्दे क्या हैं; और

(ख) दोषी अधिकारी के विरुद्ध विश्वविद्यालय ने क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् की 29 मार्च 1981 को हुई बैठक यह में आरोप लगाया गया था कि एक भूतपूर्व छात्र, जिसे कार्यकारी कुलपति ने निष्कासित घोषित कर दिया था, विश्वविद्यालय के एक सुरक्षा अधिकारी के पास प्रायः आता जाता रहता है, परन्तु अधिकारी ने इस मामले की विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सूचना नहीं दी । विश्वविद्यालय ने इस आरोप की जांच करने के लिए एक समिति गठित की परन्तु किसी प्रमाण के अभाव में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस आरोप को सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है ।

(ख) समिति के निष्कर्षों को देखते हुए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करनेका प्रश्न नहीं उठता ।

**हावड़ा स्टेशन की छत का टपकना**

4743. **श्री नीरेन घोष** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हावड़ा स्टेशन की छत कई जगहों से टपकती है;

(ख) क्या सरकार से पास इस सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन दरारों को भरने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां; कुछेक स्थानों पर, मुख्यतः प्रांगन में और प्लेटफार्मों पर छत टपकती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) टपकने वाले स्थानों की समय-समय पर देखभाल की जाती है।

**प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई**

4744. **श्री एफ० एच मोहसिन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) सभी क्षेत्रों के प्रति न्याय करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर समान अनुपात में मीलों में लम्बाई उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह)** : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) सड़कों को किसी क्षेत्र या रीजन के आधार पर नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है। इसलिए किसी रीजन में उसके क्षेत्र की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई रखने का प्रश्न नहीं होता। और फिर किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए निर्धारित मापदंडों को वह सड़क कहां तक पूरा करती है, अखिल भारत आधार पर परस्पर प्राथमिकता और धन उपलब्ध होना आदि। इसलिए प्रत्येक प्रस्ताव की इसी आधार पर गुणावगुणों को देखते हुए जांच की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलनात्मक लम्बाई रखने का प्रश्न नहीं होता।

**विवरण**

**मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई किलोमीटर में**

| क्रम सं० | राज्य का नाम | लम्बाई किलोमीटरों में |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2299 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 330 |
| 3. | आसाम | 2278 |

| क्रम सं० | राज्य का नाम | लम्बाई किलोमीटरों में |
|---|---|---|
| 4. | बिहार | 2117 |
| 5. | चंडीगढ़ | 24 |
| 6. | दिल्ली | 72 |
| 7. | गोवा | 229 |
| 8. | गुजरात | 1398 |
| 9. | हरयाणा | 681 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 630 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 648 |
| 12. | कर्नाटक | 1996 |
| 13. | केरल | 784 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 2736 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2861 |
| 16. | मनीपुर | 431 |
| 17. | मेघालय | 472 |
| 18. | मिजोरम | 240 |
| 19. | नागालैंड | 113 |
| 20. | उड़ीसा | 1649 |
| 21. | पंजाब | 913 |
| 22. | राजस्थान | 2557 |
| 23. | सिक्किम | 62 |
| 24. | तमिलनाडु | 1749 |
| 25. | त्रिपुरा | 200 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 2328 |
| 27. | पश्चिमी बंगाल | 1561 |
| | कुल योग | 31358 |

**भारतीय जहाज बनाने की क्षमता**

4745. **श्री जेवियर अरावल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष कितने जहाज बनते हैं;

(ख) जहाज में बनाने और खरीदने पर कितना धन खर्च होता है;

(ग) क्या भारतीय शिपयार्ड अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है और उनमें श्रमिक अशान्ति है;

(घ) क्या कोचीन शिपयार्ड के पास 1989 तक आर्डर है, और

(ङ) क्या कोचीन शिपयार्ड के काम के विस्तार की कोई योजना है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय शिपयार्डों में लगभग 0.7 मिलियन जी० आर० टी० के जहाजों के बनाए जाने की सम्भावना है। प्रति वर्ष जहाजों के निर्माण की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जिन जहाजों के आर्डर दिए गए हैं वे किस आकार के हैं और उनकी किस्म कौन सी है तथा शिपयार्ड का उत्पादन कितना है।

(ख) छठी योजना में जिन अतिरिक्त जहाजों के भारत में ही या विदेशों से खरीदे जाने का प्रस्ताव किया गया है उनकी कुल लागत अनुमानत: 1904 करोड़ रु० है।

(ग) कुछ शिपयार्डों ने अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं किया है और वहां श्रमिकों द्वारा किसी तरह की विशेष गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) इस समय जो आर्डर मिले हुए हैं वे यार्ड के लिए 1985-86 तक के लिए काफी हैं।

(ङ) जब मौजूदा स्वीकृत परियोजना पूरी हो जाए तब शिपयार्ड के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

**जमुना पार रेलवे हाल्ट**

4746. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने जमुना पार शटल रेल गाड़ियों के लिए रेलवे हाल्ट की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि शकरपुर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, पटपड़ गंज और मण्डावली घनी आबादी वाली बस्तियों की उपेक्षा कर के रेलवे कर्मचारी कालोनी में रेलवे हाल्ट बनाने की सहमति दी गई है, हालांकि यह कालोनी उपरोक्त कालोनियों से कई किलोमीटर दूर है;

(ग) लाखों सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मण्डावली पावर हाउस पर एक हाल्ट मंजूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) यमुना-पार क्षेत्र में तिलक ब्रिज तथा साहिबाबाद स्टेशनों के बीच मण्डावली, पटपड़गंज, शकरपुर और दिल्ली-गाजीपुर समपार पर हाल्ट खोलने के प्रस्तावों की जांच की गयी थी, परन्तु उन्हें परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया था। आनन्द विहार में एक हाल्ट स्टेशन खोले जाने का प्रस्ताव परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया था और इसे खोला जा चुका है।

**केरल और हावड़ा के बीच रेलगाड़ी आरम्भ करना**

4747. **श्री ई० बालानंदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग 400,000 मलयाली लोगों को जो कलकत्ते में और इसके आसपास रहते हैं, इस समय केरल से आने तथा वहां जाने में बड़ी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हावड़ा में केरल तक कोई सीधी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है :

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) हावड़ा से केरल तक थ्रू गाड़ी चलाना फिलहाल चल-स्टाक तथा मार्गवर्ती परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं है।

फिर भी हावड़ा और तिरुवन्तपुरम/मंगलूर के बीच के थ्रू यातायात की निकासी निम्नलिखित दो थ्रू गाड़ी सेवाओं से की जाती है :

(क) 3 अप हावड़ा-मद्रास मेल/19 डाउन मद्रास-तिरुवन्तपुरम मेल और 20 अप तिरुवन्तपुरम-मद्रास मेल/4 डाउन मद्रास-हावड़ा मेल द्वारा हावड़ा तथा तिरुवन्तपुरम के बीच दूसरे दर्जे का एक शयनयान; और

(ख) 3 अप हावड़ा-मद्रास मेल/27 डाउन मद्रास-मंगलूर वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और 28 अप मंगलूर-मद्रास एक्सप्रेस/4 डाउन मद्रास-हावड़ा मेल द्वारा हावड़ा तथा मंगलूर के बीच दूसरे दर्जे का एक शयनयान ।

**संत्रागाछी रेलवे स्टेशन में पक्की सड़क**

4748. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संत्रागाछी रेलवे स्टेशन, हावड़ा पर पक्की सड़क के निर्माण और पूरा होने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब, जिससे दैनिक यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) सन्तरागाछी की उत्तरी दिशा से डाउन प्लेटफार्म तक एक मीटर योग्य पहुंच-मार्ग के लिए मांग की गयी है । यह काम वर्तमान मानसून के बाद शुरू किया जायेगा । इस बीच इस सड़क की 500 फुट लम्बाई में मूरम बिछायी जा रही है ताकि पैदल चलने वाले पहले से उपलब्ध पहुंच-मार्ग का लाभ उठा सकें ।

**तिरुपति में रेल डिब्बों की मरम्मत का कारखाना**

4749. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति में रेल डिब्बों की मरम्मत का कारखाना स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) 1980-81 तक 52 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं । इस काम के लिए 1981-82 में 1.15 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

**एशिया-82 के निर्माण पर व्यय**

4750. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उसके आसपास एशिया-82 के लिए स्टेडियमों के निर्माण पर 31 जुलाई, 1981 तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) इन खेलों और अन्य प्रबन्धों पर जिनमें स्टेडियमों आदि का निर्माण भी शामिल है, कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या सरकार यह खेल निर्धारित समय पर आयोजित कर सकेगी ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) शिक्षा मन्त्रालय द्वारा एशियाड, 1982 के लिए स्टेडियमों के निर्माण पर 31 जुलाई 1981 तक कुल 13.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) शिक्षा मन्त्रालय के बजट में से वहन किए जाने वाले इन खेलों के वास्ते कुल खर्च का अनुमान इस समय 54·83 करोड़ रुपये हैं।

(ग) इन खेलों का आयोजन भारतीय ओलाम्पिक एसोसिएशन की ओर से विशेष आयोजन समिति द्वारा समयानुसार किया जाएगा।

**मद्रास पत्तन पर माल निकासी और आगे भेजने का काम करने वाले कर्मचारियों का गोदी श्रम बोर्ड में विलय**

4751. **श्री डी० ए० कलानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास पत्तन न्यास के माल निकासी और आगे भेजने का काम करने वाले कर्मचारियों का गोदी श्रम बोर्ड में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(घ) क्या मद्रास पत्तन न्यास द्वारा बम्बई-पंचाट को कार्यान्वित किया जाएगा ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) मद्रास पत्तन पर क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेण्टों द्वारा नियुक्त क्लियरिंग और फारवर्डिंग कर्मचारियों को मद्रास डाक लेवर बोर्ड के अधीन लाने के लिए इन्हें नियमितकरण करने की एक स्कीम पर अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग के बारे में सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए विचार हो रहा है।

(घ) माननीय सदस्य ने जिस अधिनिर्णय का उल्लेख किया है वह केवल बम्बई डाक्स के क्लियरिंग और फारवर्डिंग कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में है। खैर, मद्रास पत्तन पर क्लियरिंग और फारवर्डिंग कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने का प्रश्न अधिनिर्णय के अधीन है।

**न्यू जलपाईगुडी और कलकत्ता के बीच फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन**

4752. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जलपाई गुडी से कलकत्ता तक दार्जिलिंग मेल के अतिरिक्त एक फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की कमी तथा चामाग्राम और न्यू जलपाईगुडी के बीच बड़ी लाइन खण्ड पर फालतू लाइन क्षमता की कमी, न्यू जलपाई गुडी तथा सियालदह/हावड़ा दोनों स्थानों पर अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं तथा बड़ी लाइन के कोचिंग स्टाक की कमी के कारण न्यू जलपाईगुडी तथा कलकत्ता के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

**ब्रिटिश शब्दकोष**

4753. **श्री तारिक अनवर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन में प्रकाशित उन शब्दकोषों की ओर दिलाया गया है जिसमें काश्मीर को एक पृथक राष्ट्रादेश दिखाया गया है तथा काश्मीरी वहां की भाषा बताई गई है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे शब्दकोष दिल्ली के बाजारों में खुले रूप से बिक रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव)** : (क) और (ख) ऐसा कोई शब्दकोष अभी तक सरकार के देखने में नहीं आया है।

(ग) तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के ऐसे मामलों पर सरकार बराबर निगाह रखती है और जब कभी ऐसा कोई मामला हमारी जानकारी में आता है, तो हम उसे तत्काल

संशोधन के लिए सम्बद्ध सरकार के साथ उठाते हैं। हमने ब्रिटेन स्थित अपने हाई कमीशन से कहा है कि वह एक बार फिर यह देखे कि क्या ऐसे कोई शब्दकोष प्रकाशित हुए हैं और अगर हुए हों तो उनकी ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान समुचित कार्यवाही के लिए आकर्षित करे।

**विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा बल तैयार करना**

4754. **श्री वी० बी० देसाई :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अपना स्वयं का सुरक्षा बल तैयार करने के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्णय से दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को भी अपना स्वयं का सुरक्षा बल तैयार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जो कि एक खतरनाक प्रवृत्ति होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) और (ख) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपना पृथक सुरक्षा दल बनाने का कोई निर्णय नहीं किया है। अतः अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपना-अपना सुरक्षा दल रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रश्न नहीं उठता।

**गोदामों का निर्माण**

4755. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने जलपोतों के "टर्न राउन्ड" समय में सुधार करने के लिए उर्वरकों के लिये 15,000 टन की भंडारण क्षमता वाले दो गोदाम विशाखापत्तनम में निर्मित करने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये गोदाम कब से काम में आएंगे; और

(ग) क्या इस तरह के गोदाम दूसरे बन्दरगाहों पर भी बनाए जाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) और (ख) मन्त्रालय ने विशाखापत्तनम पत्तन में आयात और निर्यात के माल को रखने उठाने के लिए (जिसमें उर्वरक भी हो सकता है) मई 1981 में दो माल गोदाम बनाने की स्वीकृति दी थी। इनमें से प्रत्येक माल गोदाम की क्षमता 15,000 टन है। इनके बन जाने से यहां जहाज जल्दी आ-जा सकेंगे। इन माल गोदामों के निर्माण पर अनुमानतः 2-12 करोड़ रुपये लागत आएगी। आशा है कि ये दो वर्ष में बन कर तैयार हो जायेंगी।

(ग) कृषि विभाग ने नीचे लिखे पत्तनों पर माल गोदाम बना रखे हैं :—

| | |
|---|---|
| (1) विशाखापत्तनम | 10,000 टन |
| (2) मद्रास | 26,000 टन |
| (3) बम्बई | 6,000 टन |
| (4) टूटीकोरिन | 5,000 टन |

छठी पंचवर्षीय योजना में बोरियो में बन्द उर्वरक को रखने उठाने के लिए 15,000 टन की क्षमता का एक माल गोदाम कांडला में बनाने का प्रस्ताव है ।

**ग्राम विकास परियोजनाओं में कार्यरत विदेशी नागरिक**

4756. : **श्री के० प्रधानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान भारत में, राज्यवार, ग्राम विकास परियोजनाओं में लगे विदेशी नागरिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन ग्रामीण परियोजनाओं को स्वीकृत देने का मापदण्ड क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जिन 24 राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अब तक सूचना भेजी है, उसके अनुसार 1980 में 54 विदेशी राष्ट्रीय ग्राम विकास परियोजनाओं में कार्यरत थे जिनकी संख्या निम्नलिखित राज्यों में इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| उड़ीसा | 6 |
| उत्तर प्रदेश | 8 |
| पांडिचेरी | 3 |
| मध्य प्रदेश | 12 |
| हिमाचल प्रदेश | 11 |
| कर्नाटक | 1 |
| आन्ध्र प्रदेश | 13 |

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकार करने का मानदंड, अन्य बातों के अलावा कमजोर और निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए स्कूल, पोषण केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना आदि रहा है ।

**महिलाओं के समान अधिकारों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि**

4757. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का अनुसमर्थन किया गया है जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता तथा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के सिद्धान्त अन्तर्विष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सन्धि के अनुसार राष्ट्र रोजगार, पारिवारिक लाभ, बैंक ऋण और विवाह के मामले में महिलाओं को भी वही अधिकार देने के लिए बाध्य हैं जो पुरुषों को प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिद्धान्तों पर अमल करने के लिए कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसम्बर, 1979 को संकल्प संख्या 34/180 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के सम्बन्ध में सन्धि को स्वीकार किया था।

(ख) 29 मई, 1981 को 84 देश ऐसे थे जिन्होंने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 16 ने इस सन्धि का अनुसमर्थन किया था कि एक ने इस को स्वीकार कर लिया था। जिन देशों ने इस सन्धि का अनुसमर्थन किया है उनके नाम हैं; बारबाडोस, बाइलोरशिया, चीन, क्यूबा, डोमिनीका, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गुयाना, हंगरी, मैक्सिको, नोरवे, पोलैंड, पुर्तगाल, उगांडा स्वीडन, युकराइन तथा एशिया। केप वेर्डे ही एक ऐसा देश है जिसने इसे स्वीकार किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने रोजगार, पारिवारिक लाभों, बैंक के ऋणों तथा विवाह में समान अधिकारों के मामले में पुरुषों और स्त्रियों के अधिकारों की समानता के इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये उपाय किए हैं। भारत के संविधान में रोजगार अवसरों के सम्बन्ध में पुरुषों और स्त्रियों को समानता की गारंटी दी गई है। संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का उपबन्ध किया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 द्वारा इस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है, जिसमें नियोक्ताओं के लिए यह लाजमी किया गया है कि वे एक से कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन दें।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में मातृत्व लाभ के लिए उपबन्ध किया गया है। इन अधिनियमों में यह भी उपबन्ध किया गया है कि एक

महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से बर्खास्त किया या हटाया नहीं जाएगा। केन्द्रीय सरकार के सिविल महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश लेने की हकदार हैं। इसके अतिरिक्त विवाह गर्भाधान अथवा बच्चे की पैदाइश के कारण किसी महिला कर्मचारी को सरकारी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में पति और पत्नी दोनों ही के लिए वैवाहिक स्थिति की समानता का उपबन्ध किया गया है तथा इसमें एक विवाह के सिद्धान्त को भी शामिल किया गया हैं।

जहां तक बैंक ऋणों का सम्बन्ध है बैंक लिंग के आधार पर अपने ग्राहकों में कोई भेद-भाव शामिल नहीं करते हैं।

**धनबाद मन्डल की स्थानीय समस्याएं**

4758. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय का ध्यान पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल के रेल कर्मचारियों से सम्बन्धित कतिपय मामलों सहित विभिन्न स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में धनबाद से प्रकाशित होने वाले दिनांक 6 जून, 1981 के साप्ताहिक समाचार पत्र 'हीरावाल' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** (क) : जी हां।

(ख) जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

**मराठवाड़ा टाटा विकास परिषद् के पदाधिकारियों से ज्ञापन**

4759. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मराठवाड़ा टाटा विकास परिषद्, औरंगावाद (महाराष्ट्र) के पदाधिकारियों ने अप्रैल 1981 में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें की गई प्रत्येक मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पाकिस्तान द्वारा चीनी सहायता के साथ झेलम पर पुल**

4760. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इंडिया" दिनांक 27 अप्रैल, 1981 में "पाक ब्रिज ओवर झेलम विद चाईनीज हैल्प" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों के प्रवेश की सम्भावना है;

(ग) क्या चीन सरकार के साथ मित्रता के लिये भी दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने के सम्बन्ध में हुई बातचीत के दौरान उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो चीन सरकार की प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव** : (क) जी हां। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे इस खबर की पुष्टि की जा सके कि जेहलम नदी के ऊपर पुल का निर्माण चीन की सहायता से किया जा रहा है।

(ख) ऐसे पुल से दोमल और तिथवाल के बीच एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर (क) की दृष्टि से इनका प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश में बाजीराव की समाधि की जर्जर स्थिति**

4761. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खाड़खेड़ी में महान मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ बाजीराव की समाधि की स्थिति अत्यधिक जर्जर हो गई है;

(ख) क्या गुजरात में नवगांव बांध के निर्माण के पश्चात् यह समाधि नर्मदा नदी की डूब में आ जायेगी;

(ग) क्या उस अवस्था में समाधि के पूर्ववत निर्माण के लिये कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित करने के लिए सरकार की कोई आपात् योजना है; और

(घ) समाधि की प्रस्तावित पुनः निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा और कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) रवाड़-खेड़ी गांव, नवगांव बांध की अधिकतम प्रस्तावित सतह की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ बताया गया है। सम्भवतया रवाड़-खेड़ी गांव प्रस्तावित बांध के निर्माण के कारण जलमग्न नहीं होगा। तथापि परियोजना प्राधिकरण उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा, जिसमें यह गांव बसा हुआ है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**गाड़ी परीक्षक**

4762. **श्री सूरज भान** : क्या **रेल** मन्त्री गाड़ी परीक्षकों के बारे में 2 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त मामला दिल्ली डिवीजन के दो गाड़ी परीक्षकों के बीच केवल उनकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में है;

(ख) क्या प्रशासन द्वारा वरिष्ठता सूची जारी करने को रोकने के लिये किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता सूची का मामला न्याय निर्णयाधीन किस प्रकार है;

(घ) क्या उक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से 1968 में अथवा इसके बाद नियुक्त किये गये गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि नहीं, तो 1968 में और उसके बाद दिल्ली डिवीजन में नियुक्त किये गये गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी न किये जाने का क्या कारण है;

(च) क्या 13 वर्ष की सेवा के बाद भी वरिष्ठता सूची जारी न किये जाने से पात्र व्यक्तियों को पदोन्नति से वंचित किये जाने की संभावना है ; और

(छ) इस स्थिति से बचने के लिये प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** (क) बिल्कुल इस प्रकार नहीं, क्योंकि रिट याचिका में भी वरिष्ठता निर्धारण के आधार को ही चुनौती दी गयी है।

(ख) और (ग) यद्यपि किसी वरिष्ठता सूची के बारे में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है, तथापि यह मामला 1978 की रिट याचिका सं० 891 में न्यायाधीन है।

(घ) से (छ) मामला विचाराधीन है।

**अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच अन्तर-द्वीपीय यात्री सेवा**

4763. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र शासित अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में चल रही अपर्याप्त और अनियमित अन्तर-द्वीपीय यात्री सेवा, के बारे में जानकारी है; यदि हां, तो सरकार की इसे सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विदेशों से पुराने यात्री जहाज खरीदने सम्बन्धी सुझाव के बारे में जानकारी है और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर-द्वीपीय यात्री सेवाएं चलाई जा रही हैं। परन्तु, अंडमान और निकोबार द्वीपों में यात्री और माल यातायात दोनों ही की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने दो यात्री-एवं-माल जहाज खरीदने की 30-8-80 को स्वीकृति दी है। मेजेगन डाक लि० द्वाराजो एक सरकारी उपक्रम है, पहला जहाज अप्रैल, 1982 तक और दूसरा जहाज नवम्बर, 1982 तक सुपुर्द किए जाने की सम्भावना है।

(ख) अन्तर्द्वीपीय सेना के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अभी हाल में एक पुराना जहाज खरीदने का प्रस्ताव किया था। उन्हें भाग (क) में उल्लिखित दो जहाजों के शीघ्र ही मिलने की बात को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त जहाज की आवश्यकता पर पुनः गौर करने के लिए कहा गया है।

**सहायक स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति**

4764. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर ने उत्तर-पूर्व रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर नियुक्ति के लिए 30 सितम्बर, 1980 को 121 व्यक्तियों का चयन औपचारिक तथा विधिवत रूप से किया था;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने अपने पदों का कार्यभार सम्भाल लिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1981 में इसी पद के लिए चयन किये गए और बाद वाले बैच के व्यक्ति पहले ही नियुक्ति कर लिए गए है तथा प्रशिक्षण पा रहे हैं; यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं;

(घ) क्या और बाद वाले बैच से पहले 1980 के बैच के लोगों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं। रिक्तियों का अंकलन कर लेने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जायेंगे।

(ग) 1981 में जो उम्मीदवार चुने गये थे उनके पूर्वोत्तर में नहीं, बल्कि पूर्व रेलवे में, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियुक्ति करने की सिफारिश की गयी थी। कोई भेदभाव करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे रिक्त स्थानों का अंकलन कर रहा है और रिक्त स्थानों की उपलब्धता के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किये जायेंगे।

**रेल फाटकों के बारे में अभ्यावेदन**

4765. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डल रेल मैनेजर, नागपुर को भंडारा (महाराष्ट्र) से रेल फाटकों के बारे में दिनांक 25 मार्च, 1981 का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) 25-3-81की आमगांव और गुदमा स्टेशनों के बीच नहर पारण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन द्वारा श्री एम० बी० शिवांकर, विधायक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। यह काम मई, 1981 में पूरा किया जा चुका है।

**करद रेलवे स्टेशन के लिए शयनागार वर्थ आरक्षण कोटा**

4766. **श्री एन० के० शेजवलकर**
**श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण केन्द्रीय रेलवे हुबली—सिकन्दराबाद के प्रमुख वाणिज्यिक अधीक्षक/रेलवे मंडल प्रबन्धक को 304 अप महालक्ष्मी एक्सप्रैस तथा 83 अप महाराष्ट्र एक्सप्रैस में करद

रेलवे स्टेशन के लिये तीन-टायर शयनागर में आरक्षण के अधिक कोटे के आवंटन के सम्बन्ध में जिला सितारा (महाराष्ट्र) में करद के व्यापारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही क्या हैं; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके कारण क्या हैं;

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) करद स्टेशन को 15-7-1981 से 83 अप महाराष्ट्र एक्सप्रैस में दूसरे दर्जे की 10 शायिकाओं का और 15-8-1981 से 304 अप महालक्ष्मी एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 4 शायिकाओं की बजाय 6 शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है।

**चौपान लोको स्टाफ की शिकायतें**

4767. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय का ध्यान धनबाद आधारित दिनांक 21 अप्रैल, 1981 के "हीरावल" में "चौपान में लोको मैकेनिकल मजदूर का संग्राम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो लोको स्टाफ चौपान की क्या शिकायतें हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**गैंगमनों और खलासियों को जीवन बीमा का लाभ**

4768. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि इंजीनियरी विभाग में निर्धन गैंगमैनों तथा खलासियों, जिन्होंने रेलवे के अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, को जीवन बीमा के लाभ से वंचित रखा गया है;

(ख) पूर्वी रेलवे के आई० ओ० डब्ल्यू० पतरातू के खलासियों, जिन्होंने अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, के वेतन से किश्तों की कटौती से बन्द करने का क्या कारण है तथा इसे बन्द करने के लिए कानूनी तौर पर प्राधिकारी कौन है; और

(ग) इस भेदभाव को समाप्त करने तथा इन निर्धन रेलवे कर्मचारियों को, जिन्होंने नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में वर्षों तक सेवा करने के बाद अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया हैं, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) रेल कर्मचारी बीमा योजना तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों और इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के आधार पर 1-7-1977 से लागू की गयी थी। बीमा योजना के लाभ को अस्थायी हैसियत पा लेने वाले नैमित्तिक श्रमिकों सहित नैतित्तिक श्रमिकों पर भी लागू करने के प्रश्न की वित्त मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श करके जांच की गयी थी जिन्होंने इस योजना के लाभ, इस समूह के कर्मचारियों पर लागू करना व्यावहारिक नहीं समझा है।

## जाली मैट्रिकप्रत्र

4769. **श्री ए के राय** : क्या रेल मंत्री सहायक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति के बारे में 7 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के धनवाद और अन्य डिविजनों में जुलाई, 1981 तक पकड़े गए जाली मैट्रिक प्रमाणपत्र के मामलों का ब्यौरा क्या है, और ऐसे गंभीर अपराधों तथा घोर कदाचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या मैट्रिक स्तर अथवा 8वीं कक्षा स्तर की योग्या वाले स्विचमैन और लीवरमैन को दानापुर, आसानसोल, हावड़ा और सियालदह डिविजनों में सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नति की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) रेल कर्मचारियों के मैट्रिक के प्रमाणपत्रों की जालसाजी तथा घोर कदाचार के ऐसे गम्भीर अपराधों को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को ऐसे जालसाजों के गिरोह का पता लगाने तथा जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियां करने के मामलों को न सौंपने के क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जैसाकि 7-5-1981 को अतारांकित प्रश्न सं० 10085 के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, विहार सेकेण्डरी स्कूल बोर्ड, पटना द्वारा जारी किये गये 12 प्रमाणपत्र उपर्युक्त बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा जाली घोषित कर दिये गये हैं। सभी 12 मामलों धनवाद मण्डल से सम्बन्धित थे और पूर्व रेलवे के किसी अन्य मंडल पर कोई भी ऐसा मामला नहीं पकड़ा गया है। 12 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशाननिक कार्रवाई की गयी है।

(ख) सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में पदोन्नति के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन है। दानापुर, आसनसोल, हावड़ा और सियालदह मण्डलों पर अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के बिना किसी स्विचमैन या लीवरमैन को सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में पदोन्नति किये जाने का कोई मामला नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसाकि 7-5-1981 को अतारांकित प्रश्न सं० 10085 के पैरा (ग) के उत्तर में कहा गया है (प्रतिलिपि संलग्न), पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने 18-11-1980 को पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पटना के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया गया था कि वे इस मामले को अपने हाथ में ले लें। परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि इस पर विभागीय कार्रवाई की जाये।

**स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम पर प्रति व्यक्ति खर्च**

4770. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया और इसके अब तक क्या परिणाम रहे;

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आवंटित राशि की तुलना में पिछले एक वर्ष में प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया;

(ग) स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम पर प्रति व्यक्ति कम खर्च करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम पर प्रति व्यक्ति व्यय का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) संसाधनों की समग्र राष्ट्रीय मजबूरी के बावजूद जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिकतम जितना सम्भव है उतना आवंटन किया जा रहा है।

**रास्ते में रुके बिना चलने वाली माल गाड़ियों की जांच**

4771. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक छोर से दूसरे छोर तक चालन को सुनिश्चित करने के लिए बिना रुके

चलने वाली माल गाड़ियों की बीच के स्थानों पर जांच को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले गाड़ियों के चलने की दक्षता में कोई सुधार हुआ है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां। वी० ओ० एक्स, वी० सी० एक्स० और सी० आर० टी० आदि आधुनिक डिजाइन के माल-डिब्बों वाली गाड़ियों का अब शीर्ष-से-शीर्ष चालन किया जा रहा है। इन माल-डिब्बों में सेंटर बफर कपलर, रोलर बियरिंग धुरा बाक्स, सालिड व्हील, परिष्कृत निलम्बन गियर, स्लैक एडजस्टर, खाली लोड बाक्स, आदि बेहतर किस्म के उपकरण लगे होते हैं इन सुधारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से, बी० ओ० एक्स०, बी० सी० एक्स० और सी० आर० टी० माल डिब्बों वाले रेक बनाये गये और मार्ग में किसी मध्यवर्ती जांच के बिना शीर्ष-से-शीर्ष चालन के लिये निर्धारित रखे गये। प्रारम्भिक स्टेशनों पर इन गाड़ियों की गहन जांच की जाती है। ऐसे स्टेशनों से प्रारम्भ होने वाली गाड़ियों को जहां गहन जांच के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध न हों, अगले निकटवर्ती गाड़ी जांच स्टेशन पर, जहां वैक्यूम एग्जास्टर सहित अपेक्षित सुविधायें सुलभ हों, ठहराया जाता है और उनकी गहन जांच और मरम्मत की जाती है। लेकिन गर्म-ठंडे बाक्सों का समय पर पता लगाने के लिए धुरा बाक्यों की परख उन स्थलों पर की जाती है जहां इंजन और कर्षण बदलता है।

(ख) शीर्ष-से-शीर्ष चालन के परिणामस्वरूप परिचालनिक कुशलता में निम्नलिखित सुधार हुए हैं :—

(1) मालगाड़ियों का बेहतर चालन।

(2) अधिक लदान।

(3) माल-डिब्बों और इंजनों का बेहतर उपयोग।

(4) अवरोधों का उन्मूलन और थ्रू-पुट में वृद्धि।

परिचालन में संस्था पर शीर्ष-से-शीर्ष चालन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, शीर्ष-से-शीर्ष चालन के कार्य-निष्पादन पर नजर रखी जा रही है। कालातीत आवधिक ओवरहाल/रनिंग ओवरहाल वाले माल डिब्बों के रोलर बियरिंग धुरा बाक्सों की यार्डों में विशेष जांच की जाती है ताकि ये बाक्स गर्म न होने पायें प्राप्त अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपाय यथासमय किये जायेंगे।

**बोक्स किस्म के नए वैगन**

4772. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान, डिजाइन और मानक संगठन, लखनऊ ने बोक्स किस्म के नये वैगन का डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे चलाने के क्या लाभ हैं और सिगनल व्यवस्था में कोई परिवर्तन किए बिना इसके लिए कितनी गति को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) क्या ये बोक्स किस्म के नए वैगन मशीनों तथा मनुष्यों द्वारा माल चढ़ाने और उतारने के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) नये किस्म के वी ओ एक्स माल-डिब्बों के संभावित परिचालनिक लाभ इस प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान लूप लाइन क्षमता के भीतर गाड़ियों के पश्च भार में वृद्धि।

(2) चालन के दौरान बढ़ी हुई विश्वसनीयता।

(3) अनुरक्षण लागत में कमी।

(4) इससे भारतीय रेलें भारी माल-गाड़ियों के युग में प्रवेश कर सकेंगी, जिसे, रेल प्रणालियों की वहन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपेक्षित अन्य अवसंरचना हेतु निवेश में कमी लाने के वास्ते विश्व की प्रमुख प्रणालियों ने बहुत पहले अपना लिया था।

रेल पथ की विभिन्न कोटियों पर वी ओ एक्स एन माल-माल डिब्बों की गति संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए दौलन परीक्षण किये जा रहे हैं। जिस अधिकतम रफ्तार पर इन्हें चलने की अनुमति दी जा सकती है, उसके बारे में अभी विनिश्चय किया जाना है।

(ग) वी ओ एक्स एन मालडिब्बों का अभिकल्प मुख्यत: यूनिट गाड़ी परिचालन के लिए तैयार किया गया है जिसमें माल लादने-उतारने का काम सामान्यत: यन्त्रों द्वारा किया जायेगा। बहरहाल, मानव द्वारा लदान करने के सम्बन्ध में वी ओ एक्स एन माल-डिब्बा न्यूनाधिक वर्तमान वी ओ एक्स माल-डिब्बे के समान ही है। मानव द्वारा माल उतारने के लिए माल-डिब्बे के दोनों तरफ दरवाजों की भी व्यवस्था की गयी है।

**राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से तेज किया जाना**

4773. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वयंसेवी एजेंसियों की सहायता से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को, जिसे जनता सरकार के दौरान तेज किया गया था वर्तमान शासन में गहरा धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को तेज किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) 2 अक्टूबर, 1978 से शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यापक आलोचना हुई। अतः सरकार ने इस कार्यक्रम को सभी पहलुओं से समीक्षा करने और इसके कार्यान्वयन में संशोधन सुझाने के लिए डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने तक चल रही परियोजनाओं के विस्तार और प्रसार के लिए अथवा नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता न देने का निर्णय किया गया। तथापि मार्च, 1980 से पहले संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को किश्तें जारी करने की शर्तें पूरी करने पर अनुदान दे दिए गए हैं।

## दुर्गापूजा की भीड़ के लिए विशेष रेलगाड़ियां

4774. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूजा की छुट्टियों पर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल विभाग ने कलकत्ता से उत्तर दक्षिण और पश्चिम की ओर होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए अपने आपको तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारी भीड़ से निपटने के लिए कलकत्ता को और कलकत्ता से कितनी हालीडे स्पेशल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) हावड़ा तथा अन्य महानगरों के रेलवे स्टेशनों पर पूजा की छुट्टियों की भीड़-भाड़ के दौरान जाली आरक्षण रोकने तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा अधिक पैसा लेकर टिकट बेचे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता से विभिन्न स्टेशनों तक और वहां कलकत्ता के लिए 64 जोड़ी, धनबाद और मुगलसराय के बीच 13 जोड़ी और हटिया/रांची और पटना के बीच एक जोड़ी विशेष गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) असमाजिक तत्वों द्वारा आरक्षण और अधिक मूल्य पर टिकटों की बिक्री की रोकथाम के लिए रेलों और राज्य सरकार द्वारा निरन्तर संयुक्त जांच की जा रही है। मांग पर्चियों के आधार पर आरक्षण की सदाशयता सुनिश्चित करने के लिए, संदेह उत्पन्न होने पर, घर-घर जांच करके आकस्मिक जांच की जाती है। विभिन्न साधनों के माध्यम से इस बात का विस्तृत

प्रचार करने के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि पर्याप्त यात्री यातायात प्राप्त होने के मामले में, अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर और मौजूदा यात्री वाहक गाड़ियों के डिब्बा भार में वृद्धि करके यात्री जनता केलिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जायेगी। अनधिकृत स्रोतों से टिकट खरीदने के विरुद्ध जनता को सावधान किया गया है।

**कलकत्ता उपनगरीय गाडी**

4775. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दमदम और प्रिंसप घाट के बीच उपनगरीय यात्री गाड़ियां चलाए जाने की गुंजाइश का अध्ययन करने के बाद तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम आर० आई० टी० आई० एस० को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर० आई० टी० ई० एस० ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो उसे यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या मेट्रो रेलवे परियोजना की लागत में सर्वव्यापी मुद्रा स्फीति के कारण अत्याधिक वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो वर्तमान अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां। मार्च, 1982 के अन्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की प्रत्याशा है।

(ग) शुरू में कलकत्ता के लिए 1972 में 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमदम से टालीगंज (16.43 कि० मी०) भूमिगत रेलवे निर्माण की परियोजना मंजूर की गयी थी। सभी प्रकार की सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि और श्रमिकों की मंजूरी में वृद्धि होने तथा बाद में प्राप्त अनुभव के परिणाम स्वरूप कार्य में अपेक्षित परिवर्तनों के कारण 1980 के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना पर 550 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है।

(घ) परियोजना को निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा रहा है :—

**चरण I**

| | | |
|---|---|---|
| एस्प्लेनेड से टालीगंज तक | — | मार्च, 1980 तक, बशर्ते कि अपेक्षित संसाधन उपलब्ध होते रहें। |

चरण 2

दमदम से एस्प्लेनेड तक — मार्च, 1987 तक, बशर्ते कि अपेक्षित संशोधन उपलब्ध होते रहें।

इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परियोजना जल्दी पूरी हो जाये और विभिन्न कठिनाइयां दूर की जा सकें, मैट्रो रेलवे तथा स्तर तक रेलवे बोर्ड पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां कार्य की प्रगति में कमी पायी जाती है उसे दूर करने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त निवारक उपाय किये जाते हैं :

(एक) सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रही है, यथा

(1) राज्य सरकार

(2) योजना आयोग

(3) बी० एच० ई० एल०, एन० सी० ई० एफ०

(दो) ठेकेदारों के कार्य निष्पादन की लगातार समीक्षा दी जाती है।

**रेल सेवा वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील नियम**

4776. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील नियमों अथवा उत्तर रेलवे के किसी कार्यकारी आदेश के अधीन कोई ऐसी समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर किसी तीसरी श्रेणी के रेलवे कर्मचारी द्वारा निम्नलिलित मामलों में की गई अपील निपटाई जानी चाहिए;

(एक) गोपनीय रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध महाप्रबन्धक को अपील;

(दो) डी० पी० ओ०/सीनियर डी० पी० ओ० द्वारा दिए दण्ड के विरुद्ध अतिरिक्त डिवीजनल रेलवे मैनेजर/रेलवे मैनेजर को अपील;

(ख) यदि हां, तो वह सीमा क्या है और यदि नहीं तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी अपीलों को निपटाने में उत्तर रेलवे आमतौर पर कितना समय लेती है; और

(घ) क्या इस समय ऐसी अपीलों के निपटाने में काफी समय लगता है और विलम्ब से मिला न्याय न मिलने के बराबर है और यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों को गोपनीय रिपोर्टों में की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अथवा किसी अनुशासनिक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड के विरुद्ध रेल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी अपीलों के निपटारे के लिए रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 में, जो कि सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियम, 1966 के समरूप है, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। क्षेत्रीय रेलों को जारी किये गये सामान्य अनुदेशों के अनुसार रेल कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध की गयी अपीलों के निपटारे के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। क्षेत्रीय रेलों को सामान्य अनुदेश जारी किये गये हैं कि रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां 202 दिन की अवधि के भीतर ही पूरी कर ली जायें।

(ग) और (घ) रेल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को यथासंभव कम से कम समय के भीतर निपटाने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा सभी उपाय किये गये हैं। असाधारण मामलों में अपीलों के निपटान में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।

**इन्स्टीट्यूशन आफ इंजिनियर्स (इण्डिया) कलकत्ता**

4777. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोशिएट मेम्बरशिप आफ इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (ए० एम० आई० ई०) जो बी० ई० डिग्री के समकक्ष मानी जाती है, की डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया), कलकत्ता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय जैसी संस्था का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह इस सम्बन्ध में जारी की गयी संगत अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, वि० अ० आ० की सलाह पर, यह अधिसूचित कर सकती है कि उच्च शिक्षा की

अमुक संस्था एक विश्वविद्यालय समझी जाएगी। इंजीनियर्स संस्था मुख्यतः एक व्यावसायिक निकाय है और इसके द्वारा आयोजित सदस्यता परीक्षा को केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त है।

**इलाहाबाद मंडल रेलगाड़ी परीक्षक**

4778. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की परीक्षा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल के रेलगाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता अन्य अनेक रेलगाड़ी परीक्षकों से ऊपर गलत निर्धारित की गयी थी;

(ख) क्या यूनियन के अधिकारियों के साथ हुई एक अनौपचारिक बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए इन व्यक्तियों की वरिष्ठता का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया था जिससे इन्हें अनुचित लाभ न दिया जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों की वरिष्ठता का इस बीच पुनरीक्षण कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यह पुनरीक्षण कब तक किया जायेगा; और

(च) क्या यह पुनरीक्षण करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है; और

(छ) पुनरीक्षण करने से बचने के लिये प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) इलाहाबाद मण्डल के गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की चुनौती दी गयी है और यह मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) से (छ) मामले की जांच रही है।

**लखनऊ में गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता**

4779. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधे भर्ती किये गये लोगों की वरिष्ठता, उन्हें गाड़ी परीक्षक के पद पर लगाये जाने से पूर्व दिये जाने वाली प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त "मेरिट" के आधार पर निर्धारित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1958 प्रशिक्षण के बाद लखनऊ डिवीजन में नियुक्त किये गये कुछ गाड़ी परीक्षकों की उचित वरिष्ठता अन्य डिवीजनों में उनके बैच के लोगों

की तुलना में अभी तक नहीं दी गई है, यद्यपि "मेरिट" में उनकी अच्छी स्थिति थी;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(घ) वरिष्ठता को ठीक करने के लिये उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है और कब तक ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**मराठी शब्दकोष के प्रकाशन के लिए सहायता**

4780. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री मराठी शब्दकोश के प्रकाशन के लिये सहायता के बारे में 23 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मामले पर कार्यवाही पूरी कर ली गई है और यह मामला अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो अनुदान समिति की रिपोर्ट क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले पर आगे कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण क्या हैं और उसे कब तक पूरी किये जाने की संभावना है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुदान समिति ने सिद्धान्त रूप से परियोजना को अनुमोदित कर दिया है और कार्य की उपयोगिता तथा महत्व को स्वीकार किया है । तथापि, परियोजना के वित्तीय दायित्व इतने अधिक हैं कि इस पर योजना के अन्तर्गत विचार नहीं किया जा सकता; इसलिए यह सुझाव दिया गया कि परियोजना को साहित्य अकादमी को सौंप दिया जाए क्योंकि उन्होंने अन्य भाषाओं में इसी प्रकार के शब्दकोश पहले ही प्रकाशित किए हैं । तदनुसार, परियोजना को 26-6-81 को साहित्य अकादमी के पास विचारार्थ भेज दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पी एण्ड टी कालोनी, पटना में केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना**

4781. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी एण्ड टी कालोनी पटना में माध्यमिक (मिडिल) स्तर तक एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का अतीत में कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या डाक तार विभाग इसके लिये कोई उपयुक्त भवन और अन्य बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिये तैयार था; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पटना में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलना**

4782. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना के शहरी क्षेत्र और दीनापुर छावनी क्षेत्र में कुल कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) उन कर्मचारियों के बच्चों की संख्या कितनी है जो सीटे कम होने के कारण इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं पा सके;

(ग) इन विद्यालयों में पढ़ रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की संख्या की तुलना में इनमें उपलब्ध कुल सीटों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या उनमें से बहुत से बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो पटना में और अधिक विद्यालय खोलने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूल) का उद्देश्य मुख्यतः उन कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है जिनका कार्य की अत्यावश्यकता के अनुसार देश के एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में स्थानान्तरण सहित बार-बार स्थानान्नरण होता है। पटना शहरी क्षेत्र और दीनापुर छावनी में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सही संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय, सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**स्मारकों के अनुरक्षण के लिए कर्नाटक को धनराशि का आवंटन**

4783. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्राचीन स्मारकों के अनुरक्षण के लिये कुछ योजनाएं आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान इस योजना के लिये कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ग) कर्नाटक में अब तक कौन-कौन से मुख्य अनुरक्षण निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) केन्द्र संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण एवं रख-रखाव के कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनिवार्य कार्य-कलाप और उसकी अनवरत प्रक्रियायें हैं।

(ख) कर्नाटक में संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण एवं रख-रखाव हेतु 1980-81 वर्ष के लिए 24,18,000 रुपये तथा 1981-82 वर्ष के लिए 22,56,000 रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) आरम्भ किए गये मुख्य परिरक्षण कार्य इस प्रकार है :— स्मारकों के ढांचों को संगठित करके संरचनात्मक मरम्मत कार्य, छतों के ऊपरी भाग का जलरोधन कार्य, चिनाई कार्य को भराई करके मजबूत करना आदि, इमारत की सामग्री का रासायनिक उपचार और स्मारकों पर यथावश्यक परिरक्षी का प्रयोग और महत्वपूर्ण स्मारकों के चारों ओर के क्षेत्रों का भू-दृश्य निर्माण द्वारा विकास करना। जिन स्मारकों पर विकास कार्य कराया गया है वे इस प्रकार है:— श्रवणबेल गोला, हम्पी, सोमनाथपुर, बंगलौर, लक्कुण्डी, बदामी, बेलूर, हलेबिड तथा अन्य अनेक स्मारक।

**कर्नाटक को नियंत्रित कागज की सप्लाई**

4784. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य की नियंत्रित कागज की कितनी सप्लाई की गई और उसं राज्य की कुल वास्तविक जरूरत कितनी थी ; और

(ख) राज्य की समूची जरूरत को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कुल आवश्यकता तथा कर्नाटक को

नियंत्रितकागज का किया गया आवंटन इस प्रकार है:—

| वर्ष | आवश्यकता टनों में | आवंटन |
|---|---|---|
| 1976-77 | 4900 | 4500 |
| 1977-78 | 10750 | 6010 |
| 1978-79 | 10275 | 6335 |
| 1979-80 | 20278 | 9576 |
| 1981-81 | 19598 | 10445 |

(ख) रियायती कागज की बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्धता के कारण किसी भी राज्य की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है। जब भी कागज की उपलब्धता में सुधार होगा, तो राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे।

**कर्नाटक में बिना चौकीदार वाले फाटक**

4785. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में ऐसे कितने गेट और रेलवे फाटक हैं जिन पर चौकीदार तैनात नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे फाटकों पर रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिये इन चौकीदार रहित फाटकों की देखभाल हेतु कुछ लोगों को तैनात करने पर विचार कर रही है; और

(ग) वर्ष 1981-80 में इन चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनका ब्योरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) 31-3-81 को कर्नाटक राज्य में बिना चौकीदार वाले 1162 फाटक समपार थे।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने के लिए, यातायात का घनत्व, दृश्यता, दुर्घटना की सभाव्यताओं आदि जैसे विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क और रेल यातायात में आवधिक गणना करती हैं। इन पुनरीक्षाओं के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से प्रतिवर्ष कुछ समपारों पर चौकीदार तैनात कर दिये जाते हैं और समुचित रूप से प्रशिक्षित, स्वास्थ्य की दृष्टि से जांच किये गये नियमित कर्मचारियों को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बिना चौकीदार वाले फाटकों की देखभाल के लिए नियमित रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को नियोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 1980-81 के दौरान कर्नाटक राज्य में बिना चौकीदार वाले समपार पर केवल एक दुर्घटना हुई थी। 17-12-80 को मैसूर मंडल के मैसूर-चाम राजनगर शाखा लाइन खण्ड पर नंजनगुड टाउन और कडकोला स्टेशनों के एक बिना चौकीदार वाले समपार पर यात्री गाड़ी नं० 1109 ने एक लारी को टक्कर मार दी थी। इसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और दस व्यक्तियों को चोटें आयी थीं।

**विकलांग लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना**

4786. **श्री डी० पी० जदेजा**
**श्री मूल चन्द डागा** } : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) क्या सभी विभागों को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश भेज दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और पिछले छः महीनों के दौरान कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार में दृष्टिहीन, बधिर और विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रेणी "ग" और "घ" में 3% पद आरक्षित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में शासकीय आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को 4 नवम्बर, 1977 को जारी कर दिए गए थे।

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे यथा समय सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

**मंत्रालय के अधीन चल रही सरकारी क्षेत्र की इकाईयों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण**

4787. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन काम कर रही सरकारी क्षेत्र की इकाईयों पर मंत्रालय के नियंत्रण और परवेक्षण के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये इकाईयां मन्त्रालय को मासिक या त्रैमासिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भेजती है;

(ग) आगामी वर्ष के लिये इनका बजट तैयार करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और क्या कुछ मामलों में घाटे के बजट तैयार किये जाते हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उन मामलों में मन्त्रालय क्या कार्यवाही करता है जिनमें वास्तविक परिणाम बजट में की गई व्यवस्था से भिन्न होते हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) इस मन्त्रालय के अधीन सरकार क्षेत्र की दो यूनिटें हैं, नामतः मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स, लिमिटेड त्रिवेन्द्रम और इण्डियन मैडिसन फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत। जहां तक इण्डियन मैडिसन फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत का सम्बन्ध है, न तो उसने अब तक उत्पादन कार्य शुरू किया है और न वेतन पर कोई कर्मचारी ही नियुक्त किये हैं। परियोजना की लागत में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का सम्बन्ध है, यह मन्त्रालय इतना ही निरीक्षण और नियन्त्रण करता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सुचारू ढंग से काम करने के लिए सरकार जो सामान्य हिदायतें/गाइडलाइन्स जारी करती है वहां पर सरकारी नीतियों के अनुसार उनका पालन हो। यह मन्त्रालय इस कम्पनी के कार्य-संचालन की भी समय-समय पर समीक्षा करता है।

(ख) जी हां, हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से।

(ग) यह उपक्रम प्रतिवर्ष होने वाले अनुमानित व्यवसाय के आधार पर वार्षिक बजट अनुमान तैयार करता है और उन्हें निदेशक मण्डल द्वारा मंजूर करवाता है। बजट अनुमानों को तैयार करने में मंत्रालय का कोई नियन्त्रण नहीं होता।

(घ) निदेशक मण्डल ऐसे सभी मामलों की जांच करता है और अगर आवश्यक हो तो सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के बजट अनुमानों को संशोधित करता है।

**विभिन्न देशों को नए चिकित्सकों की संख्या**

4788. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान पास होने वाले मेडिकल चिकित्सकों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें उच्च शिक्षा तथा नौकरी के लिये विदेश जाने वाले चिकित्सकों की संख्या देशवार कितनी है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता देकर कितने डाक्टरों को विदेशों में भेजा गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** (क) भारतीय चिकित्सा परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1979-80 के दौरान 13,429 चिकित्सा-स्नातक उत्तीर्ण हुए।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस मन्त्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अधीन विदेशों में उच्चतर अध्ययन करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाती हो।

**विदेशों में तैयार की गई दवाइयों का भारतीय अस्पतालों में प्रयोग**

4789. **श्री के० मालन्ना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि विदेशों में तैयार की गई प्रायोगिक दवाओं का कभी-कभी भारतीय अस्पतालों और चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानों में भोले मनुष्यों पर परीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मनुष्यों पर इन परीक्षणों को नियंत्रित करने तथा उन्हें विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ग) क्या सरकार इन मामलों में विश्व स्वास्थ्य संस्थान से परामर्श करेगी और इस प्रयोजन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) और (ख) देश में औषधियों के आयात, निर्माण, बिक्री तथा वितरण का कार्य औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन विनियमित किया जाता है। इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विदेश में तैयार की गई किसी भी प्रयोगिक औषधि को मनुष्यों पर परीक्षण करने के लिये औषधि नियंत्रक (भारत) की पूर्व अनुमति लिए बिना आयात किया जा सकता। ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक निर्यात करने वाला व्यक्ति इस बात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता कि उस प्रायोगिक औषधि का प्रयोग विदेशों में पशुओं और मनुष्यों पर हो चुका है और वह मानव उपयोग के लिए विरापद पाई गई है।

(ग) जी नहीं, भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने मनुष्यों पर प्रायोगिक औषधियों के परीक्षणों को नियन्त्रित और विनियन्त्रित करने के लिए अपने-अपने राष्ट्रीय विनियम बनाये हुए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन औषधियों का परीक्षण किया जा रहा है वे उपयोग के लिए निरापद हैं।

**सांगली-मिरज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

4790. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने संगली और मिरज (महाराष्ट्र) के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की रेलवे योजना के अनुमानों की जांच पूरी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए अन्तिम अनुमान क्या है;

(ग) क्या रेल प्रशासन ने इस योजना का तत्काल क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(घ) यदि अनुमानों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) 7.77 कि० मी० लम्बी मिरज-सांगली रेल लाइन को बड़ी लाइन के रूप में पुनः खोलने की वर्तमान अनुमानित लागत 137 लाख रुपये है। इसमें आमान परिवर्तन का कोई काम अन्तर्निहित नहीं है। योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के निष्पादन की मंजूरी मिलने के बाद प्राक्कलन की जांच की जायेगी और उसे स्वीकृत किया जायेगा।

**कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन**

4791. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ने क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय, हुबली तथा स्थानीय अधिकारियों की आवश्यकताओं सम्बन्धी कठिनाइयों तथा रेलवे के कार्यकरण तथा गुड्स यार्ड के बारे में पिछले दो वर्षों में कई बार अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभ्यावेदनों में की गयी मांगों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो देरी के क्या कारण हैं और इन पर कब कार्यवाही की जायेगी ?

**रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) जी नहीं। कोल्हापुर इंजीनियरिंग एसोसिएशन सहित चार एसोसिएशन की ओर से कोल्हापुर सिटी पेसेंजर एसोसिएशन से दिनांक 18-6-81 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। कोक के माल डिब्बों को दोबारा तोलने के अनुरोधों को स्वीकार न किये जाने की शिकायतों को छोड़कर गुड्स यार्ड के कार्यकरण के सम्बन्ध में किसी अन्य पद का उल्लेख इस अभ्यावेदन में नहीं किया गया है। प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर परेषण को दोबारा तोलने की अनुमति दी जाती है।

**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के नियन्त्रण के लिए तमिलनाडु का अनुरोध**

4792. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु ने कभी केन्द्रीय सरकार से कभी यह अनुरोध किया है कि उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों की देख-रेख और नियन्त्रण का भार सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का स्वरूप क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों पर नियन्त्रण रेखने व अधीक्षण के लिए अनुमति के वास्ते तमिलनाडु सरकार से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दक्षिणी क्षेत्र के शिक्षा मन्त्रालयों की 19 जून, 1981 को नई दिल्ली में हुई बैठक से यह मामला उठाया गया था। बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि राज्य शिक्षा विभाग आवश्यक समझे तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों में राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा ऐसे स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सम्बद्धन प्रदान करने के लिए इन स्कूलों के निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्रायः शामिल भी किया जाता है।

**टूटीकोरिन बन्दरगाह पर 1979-81 के दौरान रोक लिया गया तथा न उठाया गया आयातित माल**

4793. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूटीकोरिन प्रमुख बन्दरगाह पर वर्ष 1979-81 के दौरान कोई आयातित माल रोक लिया गया था अथवा उठाया नहीं गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे माल का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस सामान की नीलामी की गई थी;

(घ) उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिनके नाम से यह माल आयात किया गया था; और

(ङ) उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने यह माल खरीदा था ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) प्रश्नगत माल निर्यात करने के लिए बम्बई पत्तन से "एम० एम० पी० वैल्थ" जहाज में लाया गया था और यह माल दोहा (कतार) के पत्तन पर उतारा जाना था। परन्तु परिचालनात्मक खराबी के कारण जहाज अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका और उसे 27-10-80 को टूटीकोरिन पत्तन पर ले जाया गया। टूटी-कोरिन पत्तन पर माल उतार लिया गया ताकि उसे दूसरे जहाज में भेजा जा सके या मालिक उसकी डिलिवरी ले लें।

(ख) जो माल पत्तन से उठाया नहीं गया उसकी कीमत लगभग 50,000 रु० है।

(ग) इस माल को नीलाम करने का प्रस्ताव था परन्तु वाणिज्य मन्त्रालय के कहने पर प्रस्ताव को रोक लिया गया ताकि मालिक को मौका दिया जाए कि वह माल को पत्तन से उठवाने की व्यवस्था करे।

(घ) जो माल पत्तन से उठाया नहीं गया वह नीचे लिखी पार्टियों का है।

(1) मैसर्स श्रीराम रैफ्रिजरेशन इन्डस्ट्रीज लि० मद्रास।

(2) मैसर्स शैन्डोस मेटल इन्डस्ट्रीज, बम्बई।

(3) मैसर्स मैरिटाईम (इण्डिया) सर्किस, मद्रास।

(ङ) चूंकि माल की बिक्री/नीलामी नहीं की गई है इसलिए किसी खरीदार का प्रश्न नहीं होता।

**रेलवे जोनों का दुबारा नापा जाना**

4794. **श्री० डी०एस०ए० शिवप्रकाशम**
**श्री माधव राव सिंधिया** } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डिवीजनों और जोनों को दोबारा बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या है और उसका कार्य करने का तरीका क्या है ?

**रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) रेल संचालन के विभिन्न पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 'रेलवे सुधार समिति' नाम की एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय रेलों के पुनर्गठन तथा अतिरिक्त रेलवे जोनों/मण्डलों के सृजन की आवश्यकता की भी जांच करेगी ?

(ख) समिति के विचारार्थ विषयों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक कार्य पद्धति का सम्बन्ध है; समिति कार्य विधि के अपने निजी नियम बनायेगी, अनुसन्धान

परियोजनाएं और विभिन्न विशेष पहलुओं पर विशेषज्ञ निकायों द्वारा किये गये अध्ययन प्राप्त करेगी और यथा अपेक्षित कार्यकारी दल बनायेगी ।

**विवरण**

**रेलवे सुधार समिति के विचारार्थ विषय**

1. रेलों में निवेश के लिए संसाधनों का पता लगाने की मौजूदा विधि की जांच करना तथा उनमें सुधार लाने या नयी लाइनों में निवेश के लिए बड़े पैमाने पर अपेक्षित वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके सुझाना, मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाना, उनका ग्रेड ऊंचा करना तथा उनका आधुनिकीकरण करना और अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करना ।

2. रेलवे बोर्ड के शीर्षस्थ अधिकारियों सहित विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध-व्यवस्था के संगठनात्मक ढांचे की जांच करना तथा यथा अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।

3. भारतीय रेलों को एक विभागीय उद्यम जारी रखने या उसे निगम में बदलने के तुलनात्मक लाभों की जांच करना और देश की प्रतिभाओं के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम प्रणाली की सिफारिश करना।

4. ऐसे व्यापक परिवर्तनों की जांच करना तथा सुझाव देना जो भारतीय रेलों के कार्य कलाप को शामिल करने के लिए अधिनियमों में आवश्यक हों ।

5. क्षेत्रीय रेलों के पुनर्गठन की आवश्यकता की जांच करना, विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न प्रबन्ध-व्यवस्था यूनिटों के कार्यभार के मूल्यांकन की स्वीकार्य प्रणाली के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्रों या मण्डलों का सृजन करना।

6. रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कार्यकलापों सहित रेलों में सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्तों और पद्धतियों की जांच करना और भारत के संविधान में सम्बद्ध उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए राजकीय रेलवे पुलिस के सम्बन्ध में लागत की भागीदारी ।

7. सम्हलाई तथा कर्षण परिचालनों, परिचालन तकनीकों, योजना और निगरानी रखने की प्रक्रियाओं तथा गाड़ियों के सुरक्षित और निर्बाध चालन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी साधन सामग्री की जांच करना तथा उनमें सुधारों का सुझाव देना और उनका आधुनिकीकरण करना ।

8. रेलों की कार्य प्रणाली की जांच करना और बेहतर उत्पादकता और वित्तीय व्यवहारिकता प्राप्त करने के लिये सुझाव देना ।

9. रेलवे चिकित्सा सेवा कार्य प्रणाली की जांच करना तथा उसके कार्य में सुधार लाने के लिए सुझाव देना ।

10. ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करना जिन्हें समिति रेलों की कार्य प्रणाली के लिये सुसंगत समझती है ।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक का इलाहाबाद का दौरा और वहां पाई गई अनियमितताएं**

4795. **श्री डी० ए० ए० शिवप्रकाशम् :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नई दिल्ली के निदेशक ने इस वर्ष 1 जनवरी को इलाहाबाद का दौरा किया था; और

(ख) क्या उन्होंने इस योजना के कार्यकरण में अनावश्यक दवाइयों की मांग सम्बन्धी रिकार्ड के अनियमित रख रखाव सहित अनियमितायें पाई थी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

**इजराइल के लिये पार-पत्रों को अमान्य किये जाने के सम्बन्ध में पृष्ठांकन**

4796. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इजराइल के लिये पार पत्रों को अमान्य किये जाने के बारे में मूल्यांकन करने पर विचार करेगी;

(ख) क्या कुछ समय पहले पार पत्रों पर इस प्रकार के पृष्ठांकन किये जाते थे, और यदि हां, तो इस प्रक्रिया को कब बदला गया था; और

(ग) उपर्युक्त (क) में दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और यदि ऐसे कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :** (क) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पासपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में उदारतापूर्वक पृष्ठांकन करने की नीति जुलाई 1977 में लागू की गयी थी । सरकार विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में उचित समय पर विचार करेगी ।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में असन्तोष जनक आपात सेवा**

4797. **श्री ए० एन० हीरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में आपात-सेवा संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच करने के लिए आकस्मिक दौरे किये हैं कि आपात चिकित्सा सहायता की अत्यधिक आवश्यकता के अवसर पर रात को औषधालयों के बन्द दरवाजे जोर से आवाज देने पर भी नहीं खोले जाते हैं और छुट्टी वाले दिन भी यह दरवाजे बन्द रखे जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह पाया है कि अनेक मामलों में ड्यूटी पर तैनात डाक्टर रोगियों की जांच किये बिना उन्हें सम्बन्धित अस्पताल जाने के निदेश दे देते हैं या कुछ अवसरों पर रोगियों को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि ड्यूटी पर तैनात डाक्टर अनुपस्थित पाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सहायक महानिदेशकों/उप-सहायक निदेशकों द्वारा दिन के समय नियमित दौरे किये जाते हैं और रात के समय इस प्रकार के तीस दौरे किये गये। ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रति छात्र व्यय और छात्र अध्यापक अनुपात**

4798. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र पर कितना व्यय आता है;

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्तमान छात्र अध्यापक अनुपात क्या है;

(ग) अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात क्या है;

(घ) अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रत्येक छात्र पर कितना व्यय आता है; और

(ङ) क्या सरकार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में बेहत्तर सन्तुलित ढंग से प्रति छात्र व्यय और क्षात्र अध्यापक अनुपात को सुसंगत करने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों मेंराज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्ष 1979-80 के दौरान प्रति व्यक्ति खर्च 8261.76 रुपये था जबकि छात्र-शिक्षक अनुपात 13 : 1 था ।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात निम्नलिखित था :

| | |
|---|---|
| अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 13 : 1 |
| बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | 10 : 1 |
| दिल्ली विश्वविद्यालय | 18 : 1 |
| हैदराबाद विश्वविद्यालय | 4 : 1 |
| उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय | 7 : 1 |
| विश्व भारती | 4 : 1 |

(घ) अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 1979-80 के दौरान आवर्ती खर्च के आंकड़ों पर आधारित प्रति व्यक्ति खर्च निम्नलिखित है :—

| विश्वविद्यालय | | प्रति व्यक्ति खर्च (रुपयों में) |
|---|---|---|
| अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | ... | 6018.76 |
| बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | ... | 8070.93 |
| दिल्ली विश्वविद्यालय | ... | 5963.01 |
| हैदराबाद विश्वविद्यालय | ... | 22581.91 |
| उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय | ... | 10881.30 |
| विश्व-भारती | ... | 16321.03 |

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रति व्यक्ति खर्च की मात्रा और छात्र-शिक्षक अनुपात मोटे तौर पर विश्वविद्यालय के विकास के स्तर अथवा उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के स्वरूप तथा स्तर पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय के आवासीय और/अथवा सम्बद्ध होने के कारण भी प्रति व्यक्ति खर्च अलग-अलग होता है। अतः विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच प्रति व्यक्ति खर्च की किसी प्रकार की तुलना यथार्थवादी नहीं होगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मुख्यतः स्नातकोत्तर और अनुसन्धान कार्यक्रम चलाता है जो अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से भिन्न होते हैं, जो अवर स्नातक पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। ये पाठ्यक्रम व्याख्यानोन्मुख होते हैं और इनके लिए निकट के व्यक्तिगत सम्पर्क की आवश्यकता नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एम० फिल०/पी० एच० डी० जैसी अनुसन्धान डिग्रियों के मामले में छात्रों का उनके अनुसन्धान कार्य में निकट के व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर एक प्रोफेसर द्वारा मार्गदर्शन करना होता है। इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर क्रेडिट/ग्रेडिंग प्रणाली अपना ली है जिसके अन्तर्गत सत्र के दौरान छात्र के निष्पादन का परंपरागत प्रणाली के अन्तर्गत एक ही अन्तिम परीक्षा के मुकाबले निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। छात्र-शिक्षक अनुपात और प्रति व्यक्ति खर्च के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है।

**आर० के० पुरम में ऐतिहासिक स्मारकों का विकास किया जाना**

4799. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० के० पुरम के सेक्टर 4 और 5 आदि में तथा आर० के० पुरम नई दिल्ली के पास मोहम्मद पुर गांव में कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं और उनकी पर्यावरण की स्थिति काफी खराब है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उनके आस पास के स्थान में सुधार करने तथा उन्हें आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) तथा (ख) आर० के० पुरम के सन्दर्भित क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान राष्ट्रीय स्मारकों के पास-पड़ोस में जो शहरी विकास कार्य किया गया है, उसे पर्यावरण की दृष्टि से यथासंम्भव यथेष्ट सीमा तक रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातत्वीय क्षेत्रों का भू-दृश्य निर्माण कार्य करा रहा है ताकि इन स्मारकों के परिवेश में और अधिक सुधार लाया जा सके।

**नागालैंड में शूटिंग क्लब**

4800. **श्री आनन्द सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नागालैंड में दो शूटिंग क्लब एक मोहो चेक में तथा दूसरा दीनापुर में भारत के राष्ट्रीय राइफल संगठन की मार्फत खोलने की मंजूरी दी गई थी;

(ख) प्रत्येक वर्ष उनकी विभिन्न बोर वाले कितने हथियारों और गोला बारूद सप्लाई की जाती है; और

(ग) क्या ये क्लब अब भी चल रहे हैं और रिकार्ड कायम कर रहे हैं, यदि हां, तो उनके पदाधिकारियों का क्या नाम है और यदि नहीं, तो सभी हथियार कहां गये ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :** (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

**विवरण**

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :

(क) नागालैंड के निम्नलिखित दो राइफल क्लबों को अगस्त, 1979 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से सम्बद्ध किया गया था।

(1) दीमापुर राइफल क्लब

(2) मोकोक्चंग राइफल क्लब

(ख) (1) भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने दीमापुर क्लब को 26-12-1979 को दस ·22 बी० आर० एन० ओ० राइफलें जारी की थीं। चूंकि राष्ट्रीय राइफल संघ के स्टाक रजिस्टर और "केश मेमो" इस समय स्थानीय पुलिस के कब्जे में है, अतः राष्ट्रीय राइफल संघ इसे जारी किए गए गोलाबारूद के ब्यौरे देने की स्थिति में नहीं है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा मोकोक्चंग राइफल क्लब को कोई हथियार अथवा गोला बारूद जारी नहीं किया गया।

(ग) (1) दीमापुर राइफल क्लब ने 1980-81 तक के सम्बद्धता शुल्क का भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को भुगतान कर दिया है और 1981-82 की शुल्क बकाया है। क्लब सम्भवतः चल रहा है।

(2) मोकोक्चंग राइफल क्लब ने केवल 1979-80 के सम्बद्ध शुल्क का भुगतान किया है और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को जनवरी, 1980 के बाद क्लब से कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

(3) इन क्लबों द्वारा अभिलेखों के रख रखाव के बारे में सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(4) भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की जानकारी के अनुसार इन क्लबों के पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :

**दीमापुर राइफल क्लब**

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष : | श्री करीबा आओ विधायक |
| उपाध्यक्ष : | 1. श्री जेड० ओवेद |
| | 2. श्री साबू मेरूनो |
| सचिव : | श्री एच० आर० रतन |
| संयुक्त सचिव : | श्री वंगशी आओ |
| कोषाध्यक्ष : | श्री कृष्ण पाल |

**मोकोक्चंग राइफल क्लब**

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष : | श्री एस० सी० जमीर |
| अवेतनिक सचिव : | श्री के० पी० घई |

## मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे श्री समर मुखर्जी, श्री जार्ज फर्नांडीस श्री अटल विहारी वाजपेयी, प्रो० मधु दंडवते, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, श्री हरिकेश बहादुर, श्री चित्त बसु और श्री त्रिदिब चौधरी से 198 के अन्तर्गत मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। यह प्रस्ताव, जिसमें मामूली सम्पादित किया गया है, निम्न प्रकार है :

"यह सभा मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव पर अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। मैं देखता हूं कि 50 से अधिक सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं। इस पर अनुमति दी जाती है। मैं सरकार से पूछता हूं कि इस प्रस्ताव को किस समय लिया जाये ?

**संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)** : सरकार तैयार है। आप इसे अभी ले सकते हैं।

**श्री चन्द्र शेखर** (बलिया) : महोदय, यह मामला लिये जाने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। प्रधान मन्त्री को सभा में उपस्थित होना।

**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर देंगी। (**व्यवधान**) वह उत्तरदायी है।

**श्री चन्द्र शेखर** : मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूं। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार सभा ने मांग की है कि सभा के नेता को उपस्थित रहना चाहिये। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बेकार की बातों में सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। प्रधान मंत्री यहां है। वह भारत से बाहर नहीं हैं। वह आयेंगी।

**श्री भीष्म नारायण सिंह** : मैं आपसे कहता हूं कि प्रधान मन्त्री आयेंगी, हम इस मामले पर विचार करेंगे। किसी मांग का कोई प्रश्न नहीं है। आप इस प्रस्ताव के लिये समय निर्धारित करें।

**अध्यक्ष महोदय** : इसके ठीक बाद।

**श्री समर मुखर्जी** (हावड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।

**श्री जगदीश टाइटलर** (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय,

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनको बोलने के लिये कहा है। (व्यवधान)

**श्री जगदीश टाइटलर** : एक क्षण। आप इस सभा के प्रधान हैं तथा मुझे विश्वास है कि आपकी अपनी एक अन्तर्भावना है। गत तीन दिनों से ऐसा लगता है कि जमशेदपुर के दंगों के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। मैं बार-बार चर्चा के लिये कह रहा हूं। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिये। (**व्यवधान**) कृपया शांत रहें। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नियमों के बारे में जानने दें। (**व्यवधान**)

कृपया बैठ जाइये।

**एक माननीय सदस्य** : हम आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं.....

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इसका निर्णय यहीं करने की कोशिश कर रहे हैं ? यह करने का आपका मतलब क्या है ? कृपया बैठ जाइये। आपको समझना चाहिये कि कुछ नियम हैं। जब तक इस सभा के पटल पर किसी आयोग का प्रतिवेदन नहीं रखा जाता, हम किसी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते।

**श्री रामावतार शास्त्री**: दुसरे हाउस में डिसकशन हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं, वह रिपोर्ट नहीं है। मैं किसी चर्चा को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं परन्तु इसे किसी अन्य रूप में करना होगा। इस पर चर्चा की जा सकती है परन्तु यह जैसा है उस रूप में नहीं। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

वे इसमें बाधा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये। **(व्यवधान)**

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिल नाडु) तथा विलम्ब के लिये विवरण

**ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेशन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2835/81]**

### विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखे, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के समेकित वार्षिक लेखे और विलम्ब के लिए विवरण, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

[श्रीमती शीला कौल]

(1) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2836/81**]

(2) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी के वर्ष 1979-80 के लेखा-परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2837/81**]

(3) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के समेकित वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के उपर्युक्त (3) और (4) में उल्लिखित वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2838/81**]

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, वर्ष 1979-80 के लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2839/81**]

(8) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(9) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2840/81**]

(10) बालक अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) लक्षद्वीप बालक नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 अगस्त, 1981 के लक्षद्वीप राजपत्र अधिसूचना संख्या में 1/27/72-सामान्य में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दादरा और नगर हवेली बालक (संशोधन) नियम, 1980 *(हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 21 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीएम/एलए/डब्ल्यू/242 (26)/80 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दादरा और नगर हवेली बालक नियम, 1979 **(हिन्दी सस्करण) जो दिनांक 21 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या एडीएम/एलए/डब्ल्यू/242/(39)/79 में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त मद सख्या (10) के (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2841/81]

(12) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) लक्षद्वीप स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) जो दिनांक 20 जुलाई, 1981 के लक्षद्वीप राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/40/79—सामान्य में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दादरा और नगर हवेली (स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 6 जून 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या एडीएम/एलएडब्ल्यू/एसआईटी/193/(दो)/(पांच) 81 प्रकाशित हुए थे।

(तीन) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम 1980 (**हिन्दी सस्करण) जो दिनांक 20 अगस्त, 1980 के अण्डमान और निकोबार राजपत्र में अधिसूचना सख्या 115/1980/21-1-76-80—गृह में प्रकाशित हुए थे।

---

*अधिसूचना का अंग्रेजी सस्करण 23 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

**अधिसूचना का अंग्रेजी सस्करण 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर गया था।

*** अधिसूचना की अंग्रेजी सस्करण 23 दिसम्बर, 1980 को पटल पर रखा गया था।

[श्रीमती शीला कौल]

(13) उपर्युक्त मद सख्या 12 के (एक) में और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2842/81]

(14) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2843/81]

(15) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2844/81]

(17) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2845/81]

**खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 1980**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा सशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 710 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र जो दिनांक 2 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 444 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०2846/81]

**भारतीय तार यंत्र (पहला संशोधन) नियम, 1981**

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव)** : मैं भारतीय तार यन्त्र अधिनियम 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार यन्त्र (पहला सशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 388(ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2847/81]

**पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के लिये विवरण**

**कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिलिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2848/81]

**भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचना और विलम्ब के लिए विवरण**

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अधीन जारी गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रेलवे रेड टैरिफ (सशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 419 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) रेल यात्री (टिकट रद्द करना और किराया वापसी) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 1 अगस्त, के 1981 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० आ० 2123 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2849/81]

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1979/80 के वार्षिक लेखे और विलम्ब के लिये विवरण**

**श्र म मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कर्मचारी भविष्य निधि सगठन के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2850/81]

## राज्य सभा से संदेश

**सचिव** : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) उपबन्धों के अनुसरण में मुझे आय कर (दूसरे संशोधन) विधेयक, 1981 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस ससा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज, 16 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक 1978 पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये नियत किया गया समय राज्य सभा के एक सौ बीसवें सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया जाये।"

**श्री के० मायातेवर** (डिंडीगुल) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। तमिलनाडु में एक गंभीर घटना हुई है.....

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, कृपया बैठ जाइये।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या आपने तय किया है कि कितने घन्टे बहस चलेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पी० सी० सेठी।

---

## तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधेयक

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक को "पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री प्रकाशचन्द्र सेठी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

## मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

**अध्यक्ष महोदय** : श्री समर मुखर्जी।

**श्री समर मुखर्जी** : श्री वाजपेयी समय के आवंटन के बारे में कह रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे।

**श्री समर मुखर्जी** : अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि गत सत्र में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था परन्तु हमारे दल ने उस अविश्वास-प्रस्ताव को इस कारण से नहीं रखा था कि प्रधान मन्त्री बाहर थीं। हम चाहते थे कि वह उपस्थित रहें तथा पूरे वाद-विवाद को सुनें और सरकार की ओर से उसका उत्तर दें। इसलिये लोग यह पूछ सकते हैं कि हम इतने कम समय में फिर यह अविश्वास-प्रस्ताव क्यों लाये हैं।

हम यहां जानते हैं कि इस अविश्वास-प्रस्ताव की नियति क्या है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। परन्तु देश के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं वे इस प्रकार की हैं जिनसे भारत के समस्त लोग उद्वेलित हो रहे हैं तथा उन मामलों पर इस समय जबकि सभा का सत्र हो रहा है, इस सभा में पूरी चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि हम विपदा में हैं परन्तु लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में हम अपना यह कर्त्तव्य समझते हैं कि हम लोगों की भावना को इस सभा में उठायें और चर्चा की मांग करें ताकि कोई समाधान निकल सके। परन्तु दुर्भाग्यवश, हमने देखा है कि विपक्ष को इन मामलों को यहां उठाने और चर्चा करने से किस प्रकार रोका जाता है। और हमारे पास इस अविश्वास-प्रस्ताव के अलावा और कोई रास्ता नहीं था जिससे हम यहां पर पूरी चर्चा कर सकते।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभा में यहां गंभीर चर्चा करने में सहयोग दें। उनका हमसे मतभेद हो सकता है। हम इसे जानते हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न विचारों को यहां मुक्त वातावरण में रखने दिया जाये जहां हम अपना दृष्टिकोण रख सकें। हम निश्चय ही सरकार की आलोचना करेंगे और हो सकता है कि आलोचनाएं कभी-कभी बहुत कटु हों परन्तु लोकतन्त्र का तकाजा है कि हम जो कुछ कहते हैं कम से कम उसे वे सुनें। हम यह अविश्वास-प्रस्ताव लाने की आवश्यकता इसलिए महसूस करते हैं कि पिछले अविश्वास-प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई थी तब से लेकर आज के बीच देश में ऐसी घटनायें हुई हैं जिनसे ऐसी लगता है कि देश और संकट और विलम्ब की ओर बढ़ रहा है। (व्यवधान)

[श्री समर मुखर्जी]

महोदय, आर्थिक क्षेत्र में कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। यह एक मानी हुई बात है। वित्त मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि आज जो प्रणाली विद्यमान है उसमें कीमतों पर काबू नहीं किया जा सकता। यह ईमानदारी से की गई स्वीकारोक्ति है। मैं उद्धरण दे सकता हूं परन्तु इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यह जो प्रणाली है वह कीमतों में कमी लाने और निर्धन वर्गों के लिये सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः यदि ऐसा होता है कि कीमतें लगातार बढ़ती रही तो आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? क्या वह आपका समर्थन करेगी, चूंकि आपकी नेता महान है और उनके पास कुछ करिश्मा है? हमारा कर्त्तव्य क्या होना चाहिए? हम दावा करते हैं कि हम जनता के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः हमें उनके हितों की रक्षा करनी है। यही कारण है कि हमने यह मांग उठानी है कि कीमतों को कम किया जाये कि लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जाये। क्या यह कहना अपराध है? परन्तु केवल मात्र मांग उठाने से परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसी कारण हमें प्रदर्शन अथवा बंद के रूप में संगठित विरोध प्रकट करना होता है। संसदीय लोकतन्त्र में यह संविधान के अन्तर्गत जनता का स्वीकृत मौलिक अधिकार है। जब कीमतें बढ़ रही हैं, तो यह बहुत स्वाभाविक है कि धन के मूल्य में कम शक्ति के तेजी से कम होने के कारण हम श्रमिकों के बीच में हैं। हममें से बहुत श्रमिकों [illegible] मजदूर संगठनों में काम करते हैं। जब सभी रास्ते समाप्त हो जायें तो हम प्रायः किसी न किसी प्रकार का विरोध आयोजित करते हैं। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार पर दबाव डालने के लिये हड़तालें अन्तिम तरीका है। परन्तु अब ऐसी अवस्था आ गई है कि कारखानों अथवा उद्योग विशेष में मजदूरों का अलग-अलग विरोध कोई परिणाम नहीं निकाल सकता। अतः अनुभव से उन्होंने जान लिया है कि देश भर में उनको संगठित होना पड़ेगा और जब तक सरकार की सारी नीति को नहीं बदला जाता तब तक हमारे देश के लाखों लोगों का भविष्य नहीं है क्योंकि कीमतें बढ़ती चली जायेंगी। बढ़ती कमतों का लाभ किसे मिलता है। मुद्रास्फीति का लाभ किसे मिलता है? हर कोई यह बात जानता है। मुद्रास्फीति का अर्थ गरीब की जेब से आय का बड़े व्यापारियों, एकाधिकार पतियों और अमीर वर्गों की जेब में जाना। इसका मतलब है कि जिस अर्थ व्यवस्था का आप अनुसरण कर रहे हैं वह अमीरों को और अमीर बना रही है तथा गरीबों और गरीब बना रही है। आपकी अर्थ-व्यवस्था का यह तर्क है। यह पूंजी वाद का मूल नियम है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। यही कारण है कि सारी अर्थ-व्यवस्था को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान न डालें।

**श्री समर मुखर्जी** : सरकार की नीति उन लोगों को और रियायत देने की है जो अधिक पैसा कमा रहे हैं। मुद्रा-स्फीति, घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा आवश्यक वस्तुओं को जमा करके मार्किट में अप्राकृतिक रूप से कीमतों को बढ़ाकर भारी लाभ कमा रहे हैं।

जो सरकार सारी जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है उसका प्राथमिक उत्तर-दायित्व काले धन वालों अथवा एकाधिकार वालों के प्रति नहीं होना चाहिये बल्कि आम निर्धन आदमी के प्रति होनी चाहिये। और इससे क्या रास्ता है? पहले गारंटी दी जाये ताकि गरीब लोगों को सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। इस गारंटी को देने के लिये यह जरूरी है कि सरकार के पास आवश्यक वास्तुएं वास्तव में उपलब्ध हों और यह सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था कर सके। इसका मतलब यह है कि आप को आवश्यक वस्तुओं के थोक निजी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। नीति में इस परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने बार-बार सभा में यह मांग उठाई है। अनेक वर्षों तक हम यह बात कहते रहे हैं। परन्तु यह क्यों नहीं किया जा रहा। आपको इसका उत्तर देना होगा। यह इस इसलिये नहीं किया जा रहा चूंकि सारे प्रशासन पर निहित स्वार्थों, एकाधिकार पतियों और काले धन वालों का नियन्त्रण है। आप मानते हैं कि एक समानान्तर अर्थव्यवस्था काम कर रही है। समानान्तर अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? वे अब इतने शक्तिशाली हैं कि अधिक उत्पादन होने पर भी सारे उत्पादन को जमा कर सकते हैं। वे सारे भण्डार को अपने गुप्त गोदामों में अपने नियन्त्रण में जमा कर सकते हैं। परन्तु गोदाम गुप्त नहीं कर सकते। 'गुप्त' का अर्थ है कि कानून उन पर लागू नहीं किया जाता, क्योंकि जिनको कानून लागू करना होता है उन्हें खरीद लिया गया है। इसी कारण बनावटी तरीकों से वे कीमतें बढ़ाते हैं। वही लोग—मैं कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता—सरकार की नीतियों और कार्य निष्पादन के बारे में निर्देश देते हैं। इसी कारण सारा देश गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है।

हमारे संविधान में किन निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख है। हर व्यक्ति जानता है कि वे क्या हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में यह कहा कहा गया है कि हमारी राष्ट्रीय नीतियां उन निदेशक सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। ये सिद्धान्त क्या हैं। उनमें एक सिद्धान्त यह है कि गरीब और अमीर के बीच के अन्तर को कम किया जाये। जनता शासन के ढाई वर्षों को छोड़ 34 वर्षों में से शेष वर्षों के कांग्रेस शासन के क्या परिणाम निकले हैं? आप जनता शासन की अवधि को भी उसमें मिला सकते हैं क्योंकि हमने जनता पार्टी पर भी आरोप लगाये थे। हमने जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। हमने उन्हें बताया कि उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रहे थे जिनका कांग्रेस सरकार द्वारा पालन किया जा रहा था। श्री स्टीफन इस बात को जानते हैं उन्होंने मेरे भाषण की सराहना की थी·····

**संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन)** : हां, इस बात के लिये मैं एक मार्क्सवादी का गवाह हूं।

**श्री समर मुखर्जी** : परिणाम संशोधन के निदेशक सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। अमीर अमीर बन रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय आपने भुवनेश्वर में एक भाषण दिया था। आपने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि हमारे देश में अमीर अधिक अमीर हो रहा है और गरीब अधिक गरीब हो रहा है·····

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : राष्ट्रपति जी ने भी यही कहा था।

**श्री समर मुखर्जी** : हां, राष्ट्रपति जी ने भी कहा था। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण में मैंने इसका उल्लेख किया है। क्या आप इस वास्तविकता पर से इन्कार कर सकते हैं कि अमीर अधिक अमीर हो रहा है तथा गरीब अधिक गरीब हो रहा है? सरी नीतियां और राजतन्त्र अमीरों के लिये हैं। यदि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं। यह उस वर्ग नीति का परिणाम है जिसका आप पालन कर रहे हैं। आप पूंजीवाद को मजबूत कर रहे हैं। पूंजीवाद के कुछ मौलिक विधान हैं। कुछ पूंजीपति बड़े बनते हैं और उससे आगे के एकाधिकारपति बन जाते हैं। जब पूंजीपति एकाधिकारपति बनता है तो खरीदने की उसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सभी मन्त्री, संसद सदस्य तथा प्रशासन को खरीदा जा सकता है और जेब में रखा जा सकता है। यह पूंजीवाद का तर्क है। आप इससे बच नहीं सकते। और यदि कोई ईमानदार अधिकारी है अथवा कोई ईमानदार मन्त्री है तो उसके लिये इसमें कोई स्थान नहीं है। यह हमारा अनुभव भी है।

इसके अतिरिक्त हमारी चिंता का कारण बढ़ता हुआ आर्थिक संकट है जो गंभीर राजनैतिक संकट का रूप ले रहा है और देश एक अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज क्या हो रहा है? मैं कुछ उदाहरण दे सकता। आज क्या हो रहा है। इस अन्तुले मामले को ही देखें·····

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। आप एक आम तरीके से ही उसका उल्लेख कर सकते हैं?

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) हमें उसका उल्लेख करना होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको कुछ भी कहने से रोकना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह नियमों के अनुसार नहीं होगा। नियमों के अनुसार चलें·····

**श्री समर मुखर्जी** : अन्तुले मामले का उल्लेख मैं व्यक्तिगत मामले के रूप में नहीं कर रहा। उनके द्वारा उच्च पद पर होने के कारण राजकीय तन्त्र का उपयोग भारी धनराशि पर नियन्त्रण के लिये किस ढंग से किया जा रहा है·····(**व्यवधान**)। इससे आपकी विचारधारा का पता चलता है। यह उच्च राष्ट्रीय नैतिकता की बात है? आप उच्च राष्ट्रीय नैतिकता की बात करते हैं। उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति यदि इस प्रकार के आचरण में लगेंगे और इस सदन में उन्हें संरक्षण दिया जायेगा और बचाया जायेगा और तो यहां तक कहूंगा कि बेशर्मी पूर्ण ढंग से उनको बचाया जायेगा तो हमारी युवा पार्टियों का भविष्य क्या होगा? वे बलिदान, ईमानदारी तथा आदर्शवादिता के उदाहरण इससे सीखेंगे?·····

**एक माननीय सदस्य** : पश्चिम बंगाल सरकार।

**श्री समर मुखर्जी** : यह बोलें। यह ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध सारे देश से, सारे राष्ट्र से है। कांग्रेस (आई०) के अन्य मुख्य मन्त्री भी सूची में हैं। आप भी एक अथवा दो नामों को जानते है। गुन्डु राव तथा बाद में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री·····

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मत करें।

**श्री जनार्दन पुजारी** : वे उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते जो अपने को बचाने के लिये उपस्थित नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा नहीं किया।

**श्री जनार्दन पुजारी** : उन्होंने ऐसा किया है।

**श्री समर मुखर्जी** : मैं किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मेरे मित्र पश्चिम बंगाल सरकार की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं·····सुनें, मैं बता रहा हूं। चूंकि निवृतमान राज्यपाल श्री टी. एन. सिंह ने यह प्रमाणित किया कि यह सबसे ईमानदार सरकार है और उच्च सत्यनिष्ठ वाली सरकार है अतः उस राज्यपाल को हटा दिया गया है।

इसी कारण से स्थिति अव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। आपस में मिले हुए लोग कौन-कौन से हैं—सरकार में, प्रशासन में उच्च पदों पर असीन व्यक्ति और गैर-सामाजिक तत्व, तस्कर और एकाधिकारपति आपस में मिले हुए हैं। वे अब ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो कि दम घोटने वाली है। एक दिन ऐसा आयेगा जब लोग यह समझने लगेंगे कि उनका पूरी तरह से दम घुट रहा है और वे विद्रोह करने को बाध्य हो जाएंगे। आप सारे देश को उस ओर ले जा रहे हैं। लोग विरोध न कर सकें इसके लिये यह काले कानून बनाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो प्रदर्शनों को आयोजित कर रहे हैं? राष्ट्र की सुरक्षा को क्या खतरा है? परंतु फिर भी उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया जायेगा। यहां पर क्या आवश्वासन दिया गया था? यह कहा गया था कि बाहरी आक्रमण के समय ही राष्ट्र पर आने वाले खतरे के समय ही इसका उपयोग किया जायेगा। परंतु अधिनियम बन जाने के तत्काल बाद राजनैतिक लोग विपक्ष वालों लोको कर्मचारियों को तथा मजदूर यूनियनों के नेताओं को इसके अधीन गिरफ्तार किया गया है। इसका क्या कारण है। यह इक्का-दुक्का नहीं है। इसका कारण यह है कि जनता का असन्तोष बढ़ रहा है। दो दिन पहले आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम का पास होना एक चरम सीमा थी। इस विधेयक के उपबन्ध कितने कठोर हैं? मैं उस पर फिर से कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस पर पूरी चर्चा हो चुकी है। आपने पूरे श्रमजीवी वर्ग को तथा देश की सारी जनता को चुनौती दी। किनके लिये? एकाधिकार ग्रहों के कहने पर। क्योंकि अब श्रमजीवी वर्ग और आम लोग बहुत अधिक असन्तुष्ट हैं? आप उनको चुप करना चाहते हैं। वे चुप नहीं रह सकते। यह भी इससे स्पष्ट है। आप अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं। उन्होंने कुछ शर्तें तय की हैं। अतः अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिये आपने अध्यादेश बनाया। उसके लिये कोई जल्दी नहीं थी। यह तथ्यों से सिद्ध हो गया है। हड़तालें कम हो गई हैं परन्तु तालाबन्दियां बढ़ गई हैं, उत्पादन बढ़ गया है। परन्तु फिर भी यह अध्यादेश लागू है। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष आत्म-समर्पण करने की है। उनकी एक शर्त हमारे रुपये का अवमूल्यन है?

[श्री समर मुखर्जी]

इस अवमूल्यन से एक अन्य गंभीर संकट पैदा होगा। हमारे वित्त मन्त्री ने इससे इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि अवमूल्यन का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि 9 अप्रैल से जब बातचीत आरंभ हुई, अप्रकट ढंग से अवमूल्यन आरंभ हो गया है। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। 9 अप्रैल को 100 रुपये 12.780 डालर के बराबर थे।

4 मई को 100 रु० 12.135 डालर के बराबर थे।

9 जून को 100 रु० 11.520 डालर के बराबर थे। (व्यवधान)

**श्री सी० एम० स्टीफन** : यह महानुभाव कौन है ?

**श्री समर मुखर्जी** : यह भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। श्री स्टीफन इसकी जांच कर सकते हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : इसकी जांच कौन करेगा ?

**श्री समर मुखर्जी** : आप जांच करें। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

**श्री जार्ज फर्नांडीज** (राजापुर) : वे भारत सरकार के भूतपूर्व आर्थिक सलाहकार थे।

**श्री समर मुखर्जी** : 8 जुलाई को 100 रु० 11.500 डालर के बराबर थे। 8 सितम्बर को 100 रु० 10.368 डालर के बराबर थे। इस प्रकार आपकी बातचीत आरम्भ होने से लेकर 14 प्रतिशत अवमूल्यन तो हो चुका है।

महोदय, मैं एक अन्य गंभीर मसले का उल्लेख कर रहा हूं। वह हमारे संसदीय लोकतन्त्र को खतरे की बात है। सरकार की कार्यवाहियों से संसद प्रायः अनावश्यक बना दिया है और इसे निरर्थक बना दिया है क्योंकि संसद के सत्र के आरंभ होने के समय अध्यादेश प्रवृत किये जाते हैं। हमारा काम केवल सरकारी कार्यवाहियों का अनुमोदन करना है। इस प्रकार संसद केवल रबड़ की मौहर बनती जा रही है। आप सदन की अनुमति तथा समाज में इसी चर्चा के बिना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। वित्त मन्त्री ने यहां पर एक वक्तव्य दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ दिये जाने वाले जैसे समझौते कई हो जाने के बाद ही उसे संसद के सामने प्रकट किया जा सकता है। (व्यवधान)

महोदय पिछले सत्र के दौरान आपने इसकी बड़ी आलोचना की कि संसद के सत्र के दौरान ऐसा करना उचित नहीं है। हम संसद को सार्वभौम कहते हैं। सार्वभौम कौन है ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समझौता हो जाने पर उस पर रबड़ की मोहर लगवाने के लिये उसे संसद के सामने रखा जायेगा। महोदय, छठी योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है और डेढ़ वर्ष के बाद और बहुत अधिक दबाव के बाद उसे कार्यसूची में रखा गया है। अतः नीतियों का निर्धारण संसद

के भीतर अथवा संसदीय चर्चा के द्वारा नहीं किया जाता है। इस कारण आपको यह
रखनी चाहिए कि हमारे देश में जब पूंजीवाद एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था पर पहुंच
अपने आर्थिक सम्बन्धों में विदेशी पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों से बंधे हुए हैं और अब हमें
का आयात करने को बाध्य किया जा रहा है। ऋण के समझौते की शर्त यह है कि भ
का अवमूल्यन किया जायेगा, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये दी जा रही र
समाप्त की जाएगी और ऋण लेने वाली संस्थाओं को मार्ग-दर्शी निर्देशों का पालन करन
दिन पूर्व श्री मधु दंडवते ने रेल मन्त्री से विश्व बैंक और रेल बोर्ड के बीच हुए समझौ
पूछा। विश्व बैंक ने 18 शर्तें लगाई हैं और यह मांग की है कि रेल किराये तथा भाड़े
जाए। रेल किरायों और रेल भाड़ों को और बढ़ाने की स्थिति में क्या होगा? इनका
की कीमतों पर डाला जाएगा और इसी कारण मैं कहता हूं कि मूल्यों एवं अन्य बात
भविष्य में और अधिक बुरे दिन आ रहे हैं। महोदय, इसके बिजनेस स्टेन्डर्ड ने अन्तर्रा
कोष की शर्तों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अवमूल्यन पर बल दिया है। मैं दे रहा हूं—

> "रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अनेक देशों में निम्न वास्तविक विनि
> निर्यात क्षमता बढ़ाने के उनके प्रयासों में वृद्धि होगी और उससे उनकी सम
> समस्याएं हो सकेंगी।"

अतः वे अवमूल्यन चाहते हैं। यह उनकी शर्त है। वे यह चाहते हैं कि हमार
देश रहे और उनकी मार्किट बनी रहे। हम इन मूल्यों पर उनको कच्चा माल दें
साम्राज्यवाद का एक अन्य रूप है। साम्राज्यवाद का यह नया रूप आ रहा है और
शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं। अतः सरकार आप में तथा मन्त्रि-परिषद में विश्वास
बनाए रख सकते हैं?

**अध्यक्ष महोदय**: मुझे विश्वास है कि आप शेष 10 मिनट में अपनी बात पूरी

**श्री समर मुखर्जी**: यह बहुत गंभीर बातें हैं। हम इन्हें बहुत गंभीर समझते हैं
श्री अन्तुले वर्तमान संसदीय लोकतन्त्र के स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली के प्रबल
वह इसका इतना अधिक समर्थन क्यों करते हैं। क्योंकि लोगों में असन्तोष की वृद्धि हो
यह निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यदि सामान्य लोकतन्त्री प्रक्रिया चालू रहे तो वर्त
दल को चुनावों में गड़बड़ी करने के बाद अथवा हेराफेरी के द्वारा व चुनाव केन्द्रों पर
के बावजूद लोगों द्वारा बहुमत दिये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। (व्यवधान) ऐसी
कि असन्तोष इतना अधिक बढ़ जाएगा कि शासन दल से भारी पैमाने पर दल बदल हो
यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। 1975 में उसी डर के कारण
आन्तरिक आपात स्थिति घोषित की गई थी। यह सबको स्पष्ट था। आपने उस स्थि
के लिए वैसा किया। परन्तु उसका क्या परिणाम निकला? आपको 1977 में उस स्थि
करना पड़ा जब सभी राजनैतिक दल मिल गए। अब यदि राष्ट्रपति प्रणाली होगी तो

[श्री समर मुखर्जी]

के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति सर्वोपरि होगा। राष्ट्रपति द्वारा मन्त्री मण्डल को नामा-निर्देशित किया जाएगा जो लोगों के नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप से बाहर होगा और शासक दल सुरक्षित होगा। अब कार्यपालिका को सर्वोपरि बनाया जा रहा है। इसी कारण न्यायपालिका को नष्ट किया जा रहा है। यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह एक निरन्तर अभियान है हालांकि जनमत इसके पक्ष में नहीं है, अपितु इसके विरुद्ध है। इसी कारण हमारी प्रधान मन्त्री द्वारा इस सदन में इस बात से इंकार किया जा रहा है, खुले रूप से यह कहा जा रहा है कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे कानून मन्त्री ने भी हमें बताया है कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। परन्तु उसके बाद भी श्री अन्तुले ने एक वक्तव्य दिया है कि वे इस बात का प्रचार करते रहेंगे।

प्रशासन और शासक दल के लोगों की समाज-विरोधी तत्वों से साठ-गांठ एक और खतरनाक लक्षण है। मैं कुछ मामलों का उल्लेख कर रहा हूं, कुछ गम्भीर तथ्य अखबारों में छपे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अखबारों में एक यह तथ्य भी छपा है: "मुत्तालिब के भाग निकलने में कांग्रेस (आई) का हाथ" मुत्तालिब जो 1978 तक विश्वास-पात्र आदमी था।

**अध्यक्ष महोदय :** यह तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

**श्री समर मुखर्जी :** मुत्तालिब 1978 तक नगर में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने वालों का विश्वासपात्र नेता रहा।

**अध्यक्ष महोदय :** इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

**श्री समर मुखर्जी :** **

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। श्री मुखर्जी, यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जब तक मुझे तथ्य नहीं प्राप्त हो जाते तब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री समर मुखर्जी :** समाज विरोध की तत्वों और ** के बीच सांठ गांठ।

**अध्यक्ष महोदय :** अनुमति नहीं है। बिना तथ्यों के मैं अनुमति नहीं दे सकता। इसे कार्यवाही प्रथा में शामिल नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)** आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए, यह मेरा काम है। तथ्यों के बिना मैं अनुमति नहीं दे सकता। यह सभा की कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा, कृपया बैठ जाइए, मैं मामले को देखूंगा, यदि नियमों के विरुद्ध कुछ हुआ तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा, यह बहुत साधारण बात है।

**श्री समर मुखर्जी :** गृह मन्त्री ने। सितम्बर को तिहाड़ जेल का दौरा किया था।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुखर्जी कृपया संक्षेप में कहें ।

**श्री समर मुखर्जी :** गृहमन्त्री, श्री जैल सिंह ने बिना सूचना के तिहाड़ जेल का दौरा किया, उन्हें तिहाड़ जेल की अन्दरुनी स्थिति के बारे में गम्भीर शिकायतें मिली थी इसलिए वे वहां बिना सूचित किए गए । अखबारों में ऐसा आया है । यहां तक कि उन्हें शराब पेश की गई । आपने यह पढ़ा होगा । मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं मेरा प्रश्न यह हैं कि यह एक बहुत खतरनाक बात है, प्रशासन और ससाज विरोधी तत्वों के बीच ऐसी साठ-गांठ बहुत खतरनाक बात है । कर्नाटक से श्री एफ० एम० खान के बारे में एक खबर आयी है । यह भी आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है । **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** कुछ भी हो आप ऐसा नहीं कह सकते ।

**श्री समर मुखर्जी :** आप इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दें ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप ऐसा कह क्यों रहे हैं ? आप अपनी सीमा में रहें ।

**श्री समर मुखर्जी :** मैं अपनी सीमा में हूं, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने में रुचि नहीं लेता । मेरी रुचि साठ-गांठ का भण्डा फोड़ करने में है कि किस प्रकार सांठ-गांठ फल-फूल रही है ।

**अध्यक्ष महोदय :** कुछ लोग इस मामले में कुछ कह सकते हैं । पर आप ऐसा न कहें । **(व्यवधान)**

**श्री समर मुखर्जी :** और अब श्री यशपाल कपूर के दामाद·····

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है ।

**श्री समर मुखर्जी :** महोदय यह सार्वजनिक बातें हैं । ये गोपनीय बातें नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं अनुमति नहीं है ।

**श्री समर मुखर्जी :** महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, मैं अनुमति नहीं देता । **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** यह कानून और व्यवस्था का मामला है । कृपया बैठ जाइए, श्री तिवारी मैं नियम जानता हूं । आप मुझे न सिखाएं, मैंने पहले से ही यह सब सीखा है ।

**श्री समर मुखर्जी :** पिछली बार जब इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, मैं भी बोला था और मैंने भूतपूर्व सांसद श्री रोबिन सेन का पत्र पढ़ा था जिसमें लिखा था कि गृह राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना ने कुछ घायलों को देखने के लिए विधान नगर के अस्पताल का दौरा किया।

**अध्यक्ष महोदय :** आप किस बात का उल्लेख कर रहे हैं।

**श्री समर मुखर्जी :** महोदय, वह इस सदन के सदस्य हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं देखूंगा और यदि कोई बात नियम विरुद्ध हुयी तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

**श्री समर मुखर्जी :** अब पश्चिम बंगाल की कांग्रेस (आई) पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय चुने गये हैं (व्यवधान) उन्होंने श्री मकवाना के साथ अस्पताल का दौरा किया। वे यहां उपस्थित हैं, वे मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, विधान नगर अस्पताल में वे कुछ घायलों से मिले। अचानक मैंने एक दिन श्री मकवाना को सम्भवतः रात्रि 8.45 बजे या इसी के आस-पास देखा। वे सी० पी० आई (एम) के सदस्यों को घायलों की चोटों के लिए जिम्मेदार मानकर गालिया देने लगे। मैं उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता था, लोग जब गम्भीर रूप से घायल हुए थे मैंने इसका प्रतिवाद किया था, फिर मैंने श्री ए० के० सेन का अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुना। मैं तार को पढ़ने से पहिले उसकी एक प्रति प्रधान मन्त्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए पहुंचाना चाहता हूं। घायल समाज विरोधी लोग थे जो सी० पी० आई० (एम) के कार्यकर्ताओं पर फेंकने के लिए बम बना रहे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, श्री मकवाना अस्पताल में उनसे मिले हैं और इस सच्चाई से परिचित हैं कि वे समाज विरोधी तत्व हैं लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि वे कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता थे और उन्हें वे पहचान नहीं सके। इसलिए मैंने प्रधान मन्त्री जी को लिखा, उन्होंने मकवाना से पूछताछ करके उत्तर दिया, अब मैं उत्तर पढ़ूंगा।

> "कुछ समय पहिले राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना के विधान नगर चिकित्सालय, दुर्गापुर दौरे का प्रतिवाद करते हुए आपने मुझे लिखा था। श्री मकवाना से मुझे मालूम हुआ है कि वे अस्पताल में सी० पी० आई० (एम) और अन्य वामपंथी कार्यकर्त्ताओं द्वारा घायल किए गए कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं से मिले थे, न कि समाज विरोधी तत्वों से, जैसा कि आपने आरोप लगाया है।"

महोदय, मैंने भूतपूर्व सांसद श्री ए० के० सेन को यह पत्र भेजा था जिसमें मैंने लिखा था कि प्रधान मन्त्री ने इससे इन्कार किया है। इस शिकायत में उन्हें कोई आधार प्रतीत नहीं होता। इसलिए उन्होंने न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी भेजी है जिसमें उन्हें भगोड़ा दिखाया

गया है और वे लोग आसन सोल क्षेत्र के नहीं हैं (व्यवधान) यदि मेरे दोस्त श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय को इसकी एक प्रति की जरूरत हो तो मैं उन्हें दे सकता हूं। वे बोलपुर के हैं। उन्हें वहां गुण्डागर्दी के लिए लाया गया था (व्यवधान) महोदय यह न्यायालय का निर्णय है जिसकी एक प्रति मैं यहां पेश कर सकता हूं। मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जिन लोगों का समर्थन कर रहे हैं वे समाज विरोधी लोग हैं ; वे न्यायालयों की दृष्टि में भगोड़े हैं; हम लोगों पर हमला करने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से जब वे बम बना रहे थे, बम फट गया और वे घायल हो गए। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि इन तत्वों के साथ साठ गांठ के गम्भीर परिणाम होंगे और खतरनाक स्थिति पैदा हो जायेगी।

अब राज्यपालों को हटाने के बारे में...क्या यह कोई अलग बात नहीं है ? (व्यवधान)

हटाना, हटाना, हां राज्यपालों को हटाना सरकारों को गिराने की तैयारी है। यह कोई अलग बात नहीं है। बाम पंथी सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिसका एक उदाहरण श्री टी० एन० सिंह को हटाना है। आप श्री टी० एन० सिंह का वक्तव्य पढ़ें। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को सर्वोत्तम प्रमाणपत्र दिया है यही उनकी गलती है और इसी का उन्हें दण्ड भोगना पड़ा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : आपने उनसे राजस्थान में राज्यपाल बनने का अनुरोध क्यों किया ? (व्यवधान)

इस तरह भेदभाव किया जा रहा है है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का एक उदाहरण है।

श्री अन्तुले ने 9 सितम्बर को बम्बई विधान सभा में एक वक्तव्य में कहा है कि पश्चिम बंगाल को व्यापारिक अलकोहल की सप्लाई इसलिए रोक दी गयी है क्योंकि वे गोयंका की तरफदारी कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो वे एक वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं इसमें अपमानजनक कुछ भी नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : अलकोहल की सप्लाई रोक दी गयी है। मैंने बम्बई विधान सभा में दिये गये भाषण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है—क्योंकि पश्चिम बंगाल गोयंका का समर्थन कर रहा है इसलिए उसे व्यापारिक अल्कोहल नहीं दिया जा सकता, अलकोहल न मिलने के

[श्री समर मुखर्जी]

कारण अनेक फक्ट्रियां बन्द हो गयी है और अनेक बन्द हो रही हैं। पश्चिम बंगाल और केरल के विरुद्ध कैसे भेदभाव किया जा रहा है यह उसका एक उदाहरण है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की औद्योगिक अलकोहल की मांग उत्तर प्रदेश पूरा करता है। केवल इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल को औद्योगिक अलकोहल देने के लिए हम इसका आयात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : हां, हां, श्री मधुलिमये ने यह मुद्दा उठाया है।

महोदय डिफेन्स इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में भर्ती के लिए एक प्रपत्र है। उसमें एक धारा है: आप किस राज्य के निवासी हैं ? क्या आप केरल या पश्चिम बंगाल में एक साल से अधिक रहे हैं ? महोदय, यहां ऐसा माना गया है कि एक आदमी जो पश्चिम बंगाल या केरल में एक साल से अधिक रहा है। वह सी० पी० एम० या वाम पंथियों से सहानुभूति रखता है, इसलिए उसे भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बातें है इन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन लोगों के साथ क्या हो रहा है ? आप उन्हें नियमित क्यों नहीं कर सकते ?

श्री समर मुखर्जी : स्थितियां पूरी तौर से आपात स्थिति की तरफ बढ़ रही हैं। यह आपात काल की स्थितियों का पूर्वाभ्यास है इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसके विरोध में आवाज उठाएँ। हमें मालूम है कि बाहर से लोगों द्वारा संयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाना और अन्दर से हमारी संयुक्त लड़ाई से आपको हराया जा सकता और आपको हम आपात स्थिति लागू करने के मार्ग पर जाने से रोकेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखे, प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गयी है। हमें देखना है कि इस पर कितना समय लगेगा। मेरे विचार से मध्याह्न भोजन काल का समय नहीं होना चाहिए और हमें यह छः घंटे तक जारी रखनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : इसे दस घंटे तक चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप लोग ? आप बैठिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि गैर सरकारी काम तक इस बहस को चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पिछली दफा इस पर बहस हो चुकी है। और कितनी बहस करेंगे ? मुझे यथार्थवादी रहना होगा। मुझे समय निर्धारित करना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं गम्भीरता से ही कर रहा हूं। मुझे उचित कदम उठाना होगा मुझे निर्णय करना है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : 6 घंटे बहस होनी चाहिए क्योंकि जो सवालात हैं, जैसे मंहगाई का सवाल है उस पर चर्चा की गई है, शांति व्यवस्था का जो सवाल है उस पर भी चर्चा की गई है। इस प्रकार से काफी विवाद हो चुका है। अब मेरा सुझाव है कि 6 घंटे का टाइम फिक्स किया जाए, यह काफी पर्याप्त समय होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर 6 घंटे की बहस होगी तो मुझे बोलने के लिए 6 मिनट मिलेंगे। अब अगर यह सदन समझता है और सरकारी पक्ष समझता है कि मैं 6 मिनट में अविश्वास प्रस्ताव के साथ न्याय कर सकता हूं तो मुझे कुछ कहना नहीं है और तब इस विवाद का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अगर आपका दल छोटा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कभी भी छः घण्टों में समाप्त नहीं हुई है। (व्यवधान) इसके लिए शायद छः महीनों की आवश्यकता होगी। इसलिए हम छः घण्टे के समय को स्वीकार नहीं कर सकते। कुकृत्यों की सूची इतनी लम्बी है.....कि.....।

अध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में पहले ही पता लगा चुके हैं। 6 घण्टे और 27 मिनट में भी यह डिबेट हुई है। अब एक बजने में छः मिनट शेष हैं। मध्याह्न भोजन के बिना 7 बजे सायं तक काम कर सकते हैं। मुझे एक सांविधिक संकल्प तथा लघु आसाम राज्य विधान (शक्तियों का हस्तांतरण) विधेयक भी लाना है।

प्रो० मधु दंडवते : आप हम पर निर्णय न लादिए। आप इस बात की ओर देखिए कि आवश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक पर किस ढंग से बहस हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को पहले ही देख चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अन्तुले के...जैसे भी मामले हैं (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है तब आठ घण्टे चर्चा होगी। मैंने समय निर्धारित कर दिया है। अब श्री ए० के० सेन।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : जबकि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं सत्र के अन्त में दुर्भावना पूर्वक पैदा किए गए इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर सकता।

[श्री ए० के० सेन]

पिछले सत्र के अन्त में जो कुछ हुआ यह उसी की पुनरावृत्ति है। जिस ढंग से तथा जिस दुर्भावना पूर्वक इस प्रस्ताव को पेश किया गया है तथा कमजोर आधार पर प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने सोचा था कि उसमें कुछ ज्यादा गम्भीर आरोप लगाए जायेंगे—चाहें वे सिद्ध हो अथवा नहीं—और इस प्रस्ताव को इतने कमजोर आधार पर पेश नहीं किया जायेगा। इसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि रिपोर्टर इसे भावी पीढ़ियों के पढ़ने के लिए नोट करेंगे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आपके व्यवसाविक साथी। आप उनकी मदद कीजिए।

श्री चन्द्र शेखर : यह पूर्ण रूप से हास्यास्पद है कि श्री सेन सोचते है कि उनके भाषण को भावी पीढ़ी द्वारा पढ़ा जाएगा यह बहुत ही बड़ा भ्रम है।

श्री ए० के० सेन : कभी-कभी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं और यह उनकी आदतों का ता परिणाभ है। किंतु मुझे याद है जब मैं यहां अनेक वर्षों तक रहकर बार की ओर लोटा तो मैं कभी कभी कहा करता महोदय और मुझे भी उसी प्रकार से बताया जाता था पर यह संसद नहीं न्यायालय है।

अब हम इस मामले के और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। पिछले सत्र के अन्त में हमने अविश्वास प्रस्ताव के रूप में अपने कार्यकरण पर चर्चा की थी। माननीय प्रधान मंत्री अनुपस्थित थी। हमने देखा कि वह प्रस्ताव कितना व्यर्थ तथा निराधार था और इस पर मत इस लिए नहीं दिये गए थे कि हम बहुमत में थे अपितु इस लिए मत दिए गए थे कि उनमें से कोई भी मुद्दा सही नहीं था।

आज जब मैं अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि समर मुखर्जी जो अच्छे कार्य के लिए शक्तिशाली समर्थन करने में सक्षम है कोई कारण बताने में बुरी तरह से असफल रहे हैं। यह कहा जाता है और यह कहने का प्रयास किया गया है कि कमजोर मुकदमा एक अच्छा वकील पैदा कर देता है और मैं समझता हूं कि यह बात इस समय सिद्ध हो गई है। कौन-कौन से आरोप लगाए गए हैं? मैंने इन आरोपों को एक-एक करके लिख डाला है और मैंने यह देखने के लिए कि क्या इन आरोपों से उन लोगों पर जो विरोधी पक्ष में उनके पीछे बैठे हैं क्या कोई प्रभाव भी पड़ेगा अथवा नहीं कई बार अपनी आंखें दौड़ाई। ऐसे अशक्त समर्थन के लिए समर्थक भी असहाय महसूस करते हैं। कहा जाता है कि मूल्यों में वृदि हुई है। पिछले अवसर पर हमने इस संम्बंध में सुना है। यहां मेरे पास आंकड़े हैं।(व्यवधान)। यदि माननीय सदस्य आंकडों को सुनन के लिए धैर्य नहीं रख सकते तो में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास आंकडे है और मुझे आशा है कि इनसे इंकार नहीं किया जा सकता और ये आंकड़ें इस बात को स्पष्ट करेंगे कि पिछले सरकार के सत्ता में हट जाने के वाद मूल्य वृद्धि को किस प्रकार रोका गया है। (व्यवधान)हमें आंकड़े सुनने चाहिए। (व्यवधान)। 1 जनवरी, 1980

को, जब पिछली सरकार सत्ता में थी, वर्ष 1970-71 के सूचकांक की तुलना में एक वर्ष में 22 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई थी। यह वे सरकारी आंकड़े हैं, जिनके आधार पर ट्रेड यूनियनों ने मंहगाई भत्तों की मांग की थी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक वर्ष में यह वृद्धि 22 प्रति शत की थी। अगले वर्ष यह घटकर लगभग 16 प्रतिशत हो गई; और इस वर्ष अर्थात वर्ष 1981-82 में अवधि तक, थोक मूल्य सूचकांक में 10.3% की वार्षिक वृद्धि दर्शायी गई है तथा चालू वित्त वर्ष के सम्बंध में इसे 10.3%से भी नीचे लाए जाने की सम्भावना है। अब कठिनाई तो यह है कि जब इन आंकड़ों को सदन के समक्ष पेश किया जाता है और ये आंकड़ संतोष प्रदान करने वाले हैं, लोग इन आंकड़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार, 1 जनवरी, 1980 की तुलना में क्या यह गलत कार्य—निष्पादिता है! क्या इससे किसी व्यक्ति पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि यह मूल्य वृद्धि पिछली सरकारों के रिकार्ड की तुलना में प्रतिकूल रही है? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण है जिसके लिए पिछले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है और सभी वृद्धि कल्पना से परे हुई है, इस तथ्य के बावजूद सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कोई अर्थशास्त्री हमें बताये और जहां तक अर्थशास्त्र का सम्बंध है यह वास्तव में प्रारम्भिक जानकारी का एक मामला है।

देश में मुल्य वृद्धि को सम्भावित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को सिद्ध किया जा चुका है, एक दिन मैं स्विस अर्थव्यवस्था जो विश्व की सबसे स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था है, के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख पढ़ रहा था। वे पिछले युद्ध में अन्तर्ग्रस्त नहीं थे, वे कोई युद्ध नहीं लड़ रहे थे और उनके उद्योग काफी स्वस्थ थे तथा उनकी कृषि जिनकी स्वस्थ हो सकती थी काफी स्वस्थ थी, तथा उनके अन्य व्यापार भी पूर्णरुपेण सामान्य थे, किंतु युद्ध के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण उनके यहां मल्यों में काफी वृद्धि हो गई। इस बात को भुला दिया गया है कि यह देश जिसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध काफी फैले हुए हैं, जहां तक आर्थिक तथ्यों का सम्बन्ध है अलग नहीं रखा जा सकता तथा फिर भी जहां तक अलग रखा जाना सम्भव है, वह किया जा रहा है और मैं माननीय वित्त मन्त्री ने इस स्थिति को जिस ढंग से सम्भाला है, तथा कल्पनाशील कदम उठाए हैं, जिन्हें शुरु करने में समर्थ हुए हैं और इस पद को सम्भालने से पूर्व, जो बात उन्होंने पाई थी, उसे रोकने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

अगला मुद्दा इस तरक के बारे में है कि उत्पादन तथा उद्योग को किस प्रकार क्षति हुई है। हमें पुनः आंकड़ों का सहारा लेना होगा। वर्ष 1980 81 में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष 1.7 प्रतिशत के ह्रास की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष 1980-81 से पूर्व 1.4 प्रतिशत की क्षति चल रही थी। इस वर्ष कुल मिलाकर कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में लगभग 11 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा कृषि के क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में

[श्री ए० के० सेन]

ज्यादा उत्पादन हुआ है । मै समझता हूं कि दो वर्षों के ऐसे रिकार्ड पर किसी भी वित मन्त्री को गर्व हो सकता है और मैं अपने मित्र श्री वेंकट रामन का शुक्र गुजार हूं कि वे इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

महोदय, जो कुछ आशा की गई है उसमें कुछ प्रगति होगी और वे इसे प्राप्त करने में असफल नहीं रहे हैं और उन्होंने हमारी महत्वाकांक्षाओं से मुंह नहीं फेरा है और हम उनसे उत्पादन में वृद्धि की पूरी आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष क्षेत्र मे मुद्रा स्फीति को प्रभावी ढंग से रोकने, बाजार से काले धन को समाप्त करने तथा उसे उत्पादन कार्यों में लगाने की आशा करते हैं। अतः जहां तक वित्त का सम्बन्ध है, इस बात का कोई प्रश्न नहीं है कि हमने अब स्वस्थ स्थिति में, अच्छी स्थिति में शुरुआत की है और अर्थ व्यवस्था में पुनः सुधार हुआ है। यह कहा जाता है कि रुपये के लिए डालर-रूप की स्थिति में गिरावट आ रही है। ठीक है, मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे जायें और सम्बन्धित समय के दौरान डालर-पाउण्ड, अनुपात का अध्ययन करें; सम्बद्ध समय के दौरान डालर–फ्रेंक अनुपात का अध्ययन करें ; सम्बद्ध समय के दौरान डालर-मार्क अनुपात का अध्ययन करें। आप पायेंगे कि इसकी प्रवृति एक ही रही है। यह प्रवृति समान ही रही है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डालर का मूल्य बढ़ रहा है क्योंकि पेट्रो-डालरों तक अन्य डालरों के पिछले दो वर्षों में ब्याज की दर 20 प्रतिशत थी। बीस प्रतिशत ! यदि आप आज अमरीका में निवेश करें तो आप 20 प्रतिशत अधिक पायेंगे। यही कारण है कि फ्रेंक का अवमूल्यन हुआ, यही कारण है कि पाउण्ड का मूल्य गिरा, मार्क का मूल्य गिरा और यहां तक कि येन के मूल्य में भी गिरावट आई... ?

**एक माननीय सदस्य** : .. के बारे में क्या हुआ ?

**श्री ए० के० सेन** : मैं नहीं जानता। आप दूसरे लोगों से परामर्श कर सकते हैं। अतः यह एक छिपी हुई तस्वीर है जिससे माननीय सदस्य ने स्वयं उठाया है। क्योंकि उन्हें अन्य मूल्यों की तुलना में डालर की प्रवृति का अध्ययन करना चाहिए था। किंतु इसका क्या महत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि और गिरावट अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग हैं। मुझे याद है पुराने समय में, एक थ्योरी थी जिसे क्रय शक्ति समानता थ्योरी कहा जाता था ; जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्य का अध्ययन करने तथा स्पष्ट करने के लिए तैयार की गई थी । उस सिद्धान्त में कतिपय संशोधन और सुधार किए गए। लेकिन फिर भी विचार करने के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण विद्यमान है कि मुद्रा के मूल्य के लिए ये दो पटल जिम्मेदार हैं — पहला तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की क्रय शक्ति और और दूसरा विदेशों से धन आकर्षित करने की इसकी शक्ति। अत. मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करने के लिए ये दो घटक जिम्मेदार हैं। जहां तक रुपए का सवाल है, इसकी आज पहले से अधिक साख है। हमारा व्यापार संतुलन बेहतर है। हमारे रिजर्व की स्थिति पहले से बेहतर है। डालर की तुलना में जितनी मार्क या पौंड के मूल्य में गिरावट आई है, उसके अनुपात में रुपए के मूल्य में कम गिरावट हुई है। एक साल पहले एक पौंड 2.48 के

डालर के बराबर था। आज इसकी कीमत घटकर 1.72 डालर रह गई है इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ब्रिटेन समाप्त हो गया है, यह बात यह दर्शाती है कि डालर क्षेत्र में धन का प्रवाह अधिक हुआ है।

मुद्रा--स्फीती का जिक्र करते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज पोलैन्ड का आन्दोलन इतना शक्तिशाली क्यों है। उनकी सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था है। उनकी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था नहीं हैं। उनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अच्छा सम्पर्क बना हुआ है, तो भी वहां मुद्रा-स्फीति की दर इतनी अधिक है और आवश्यक वस्तुओं की इतनी भारी कमी है कि वहां एकता आन्दोलन चल रहा है और पोलैंड के श्रमिक सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे देश में वह स्थिति पैदा हो गई है। इस देश में खाद्यान्न की फालतू भंडार है और गत वर्ष हमने खाद्यान्न का निर्यात भी किया था।

एक माननीय सदस्य: अब आप खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : हर देश आयात करता है। यहां तक कि अमरीका भी आयात करता है। रूस भी आयात करता है। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि रूस अमरीका से कई लाख टन गेहूं आयात करेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि रूस की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में इस प्रकार सोचना मात्र एक कल्पना होगी कि इसके चारों ओर चीन की दीवार खड़ी कर दी जाए। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था एक समेकित अर्थ-व्यवस्था है और हम इसके चारों ओर चीन की दीवार जैसी कोई रोक नहीं लगा सकते हैं।

उनके द्वारा उठाया गया अगला विषय भी एक कमजोर मुद्दा है। यह संसदीय लोकतन्त्र के लिए एक तरह का खतरा है? इस प्रकार के तर्क करने के क्या आधार है? पहली बात यह है कि अध्यादेशों को सत्र शुरु होने के अवसर पर जारी किया गया है। मैंने ऐसे सभी अध्यादेशों की सूची मांगी थी, जो पहले सत्र शुरु होने के अवसर पर जारी किए गए थे, यदि कोई जरूरी उपाय करना होता है या कोई आवश्यक बात लागू करने वाली होती है तो इसे लागू किया ही जाता है इसीलिए तो संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के उपबन्ध रखे गये हैं। बात केवल इतनी है कि अध्यादेश को संसद की उस समय शीघ्र ही स्वीकृति मिल जानी चाहिए जब संसद का सत्र शुरु हो। आवश्यक वस्तु अनुरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में एक उदाहरण देखिए—शक्ति का। यदि श्री बाजपेयी कलकत्ता जाएं, तो 24 घन्टे में से 22 घन्टे वे अन्धेरे में ही रहेंगे।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : तब कलकत्ता के लिए एक अध्यादेश जारी करा दीजिए।

श्री ए० के० सेन : श्री समर मुखर्जी की पार्टी से सम्बन्धित उनके अपने आदमियों ने मुझे बताया है— मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वे यहां के सदस्य नहीं हैं - उन्होंने मुझे बताया

[श्री ए० के० सेन]

है, हम क्या कर सकते हैं ? ये श्रमिक कभी काम नहीं करते वे कभी मशीनें साफ नहीं करते। बॉयलरों को जंग लग जाता है और अचानक वे फट जाते हैं। सन्तलडीह में 4-5 बिजलीघरों में से केवल एकया दो बिजली-घर काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसे उपाय करने दिए जाने चाहिए, जिससे कि आवश्यक सेवाओं में अनुशासन हो।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : केन्द्रीय सरकार में आपकी पार्टी शासन में है।

श्री ए० के० सेन : कोई भी पार्टी हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। आवश्यक सेवाएं जारी रहनी चाहिए। आपने उनका अनुरक्षण नहीं किया। आपका विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य बिगड़ा हुआ है। आपके अन्य कार्य भी बिगड़े हुए हैं। पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल बीमार हो गया है। क्यों ? क्योंकि वहां बिजली का संकट है। मैं यह नहीं कहता कि किसी अन्य राज्य में बिजली का संकट नहीं है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। जहां तक आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण का सम्बन्ध है, श्रमिकों में लगातार फैल रही अनुशासनहीनता हमारे समाज के लिए विनाश का कारण बन गई है। अन्यथा यह देश और भी तरक्की कर गया होता। जापान में हड़तालें नहीं होती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : ऐसा आपको किसने बताया है ?

श्री ए० के० सेन : मैं आपको बता रहा हूं। आवश्यक सेवाओं में यहां कोई हड़ताल नहीं होती है। आप इसका पता लगा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसका बहुत पहले ही पता लगा चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इनकी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : आवश्यक सेवाओं में कोई औद्योगिक हड़तालें नहीं होती हैं। यदि देश को उन्नति करनी है तो किसी भी उद्योग के लिए अथवा किसी भी देश के लिए बिजली एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है— औद्योगिक क्षेत्र को बिजली देनी पड़ती है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सभी प्रकार की औद्योगिक-अशान्ति को रोकना चाहिए। अच्छा मैं यह नहीं कहता कि श्रमिकों को अपना उचित हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। हमारे यहां औद्योगिक ट्रिब्युनल तन्त्र हैं। हमारे यहां अन्य भी ऐसे तन्त्र हैं जो श्रमिक के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करते हैं। यदि वे अधिक उत्पादन करते हैं, तो उन्हें अधिक बोनस मिलेगा। यदि वे ज्यादा काम करते हैं तो उन्हें उस उद्योग में और अधिक मजूरी मिलेगी। लेकिन कठिनाई तो यह है कि कुछ लोग यह

सोचते हैं कि श्रमिक काम पर जाकर केवल चाय पीकर लौट आएं। काश ! मेरे पास 'आनन्द बाजार पत्रिका' रिपोर्ट होती। उसमें, एक आदमी जो सन्थालडीह गया था, उसमें कहा है : यह सन्थलडीह का रिकार्ड है। श्रमिकों को सुबह 9 बजे आना होता है। लेकिन वे 10 बजे से पहले नहीं आते। आने के बाद उनका चाय का समय हो जाता है, चाय में आधा घन्टा लग जाता है। चाय के बाद उन्हें यहां-वहां, कहीं भी मटरगश्ती करते देखा जा सकता है। जब समयोपरि भत्ता लेने का समय शुरु हो जाता है, तब जाकर वे काम पर आना शुरु करते हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप हर बात के लिए क्यों खडे हो जाते हैं ? आपमें कुछ बरदाश्त करने की शक्ति भी होनी चाहिए। यह उचित नहीं है, (व्यवधान)

**डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) :** यदि वे इसी प्रकार व्यवधान डालते रहेंगे तो हम उन्हें भी बोलने नहीं देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** बुरी बात का अनुसरण न करें।

**श्री ए० के० सेन :** ऐसा करना पड़ेगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** न्यायालय में आपका काम यहां से बेहतर होता।

**श्री ए० के० सेन :** आपका काम फैक्ट्री में यहां से बेहतर होता।

मैंने इन्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन की पिछली रिपोर्ट देखी थी। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पटसन के उत्पादन में कमी मुख्यतः बिजली की कमी के कारण हुई है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। किसी राज्य में किसी भी पार्टी का शासन हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो अथवा अन्य कोई और राज्य हो। उत्तर प्रदेश में स्थिति निराशाजनक है। यह 30 से 40 प्रतिशत तक है। एक दिन उत्तर प्रदेश के किसी आदमी ने मुझे बताया था कि रेणुकूट में, जहां अल्युमिनियम कम्पनी का अपना बिजली घर है, यह क्षमता का 105 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, जबकि बाकी उत्तर प्रदेश में उत्पादन क्षमता का 30 प्रतिशत हो रहा है। जब मैंने इस सम्बन्ध में बिजली बोर्ड के चेयरमैन से एक अवसर पर बातचीत की तो उसने कहा : मैं क्या कर सकता हूं ? यह असम्भव है। कोई हमारी बात नहीं सुनता है। अतः इस देश को यह अवश्य देखना चाहिए और संसद को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में आवश्यक सेवाओं का उचित प्रकार से अनुरक्षण किया जाता है और जो भी कानून जरूरी हों, उन्हें पारित किया जाएगा। साथ-ही-साथ श्रमिकों को अपना उचित हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए उन्हें उनका उचित बोनस अवश्य मिलना चाहिए।

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या उन्हें मिल रहा है ?

**श्री ए० के० सेन :** उन्हें काफी कुछ मिल रहा है। आप जीवन बीमा निगम में एक क्लर्क

[श्री ए० के० सेन]

के वेतन का पता कर सकते हैं। संसद सदस्य के रूप में आपको जो कुछ मिल रहा है, उससे अधिक वे कमाते हैं। (व्यवधान)

इसलिए आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश का यह विरोध केवल राजनीतिक विरोध है और इस आन्दोलन को अध्यादेश के विरुद्ध छेड़ा गया है, के पीछे कोई अच्छाई नहीं है। इस उपाय की अत्यन्त आवश्यकता थी और यह सही समय पर जारी किया गया है।

जहां तक इस आधार पर संसदीय लोकतन्त्र के खतरे की बात है कि श्री अन्तुले ने राष्ट्रपति प्रणाली के शासन की धमकी दी है, तो यह समझ लेना चाहिए कि यह देश बोलने की और अपनी बात व्यक्त करने की स्वतन्त्रता मे विश्वास रखता है।

एक नागरिक होने के नाते श्री अन्तुले को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। मैंने, श्री अन्तुले के पूर्णतः विरोधी, अपने विचार प्रकट किए हैं, क्योंकि अपने विचार व्यक्त करने की मुझे भी स्वतन्त्रता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता के अधिकार का प्रयोग करने से लोकतन्त्र को कैसे खतरा उत्पन्न हो जाता है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : जो बात श्री अन्तुले कहें, उसका कुछ न कुछ मतलब होता है, आपके मामले में ऐसा नहीं है।

**श्री ए० के० सेन** : मेरी भी बात वजन रखती है। आप वकीलों की पत्रिकाओं में मेरे लेख पढ़ सकते हैं। इसलिए यदि कोई अपने विचारों का प्रयास करता है, तो उसे प्रसार करने का अधिकार है चाहे उसके विचारों से कोई सहमत हो अथवा न हो। लेकिन इससे लोकतन्त्र को कैसे खतरा पैदा हो जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

अगला तर्क यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से देश की अर्थ-व्यवस्था को खतरा पैदा होने वाला है। हम सन् 1952 से या, मैं भूल गया जब से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शुरू हुआ है, तब से इससे ऋण ले रहे हैं। हमने ऋण का पुनर्भुगतान ठीक ठाक समय पर करते रहे हैं। श्री वेंकटरामन आपको बताएंगे कि तीसरी दुनिया के सभी देशों में से भारत का पुनर्भुगतान सदैव एक मिसाल रही है। हमने कभी चूक नहीं की है। लेकिन फिर भी हमने अन्य कई देशों के मुकाबले कम ऋण प्राप्त किए हैं, मुझे याद है कि युद्ध के बाद जर्मनी और जापान ने कितनी-कितनी बड़ी मात्रा मे ऋण लिए थे और अपनी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया था। निस्सन्देह अपनी गुणता और कुशलता से इन दोनों देशों ने अपनी अर्थ-व्यवस्था का ऐसा ठोस आधार बना लिया है कि आज वह अर्थ-व्यवस्था बाकी दुनिया के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई है।

ऋण आवश्यक होते हैं। जब आपके पास पूंजी की कमी होती है तो ऋण से निधि का उत्पादन होता है..।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे विचलित नहीं हो रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : यदि आप सहमत नहीं हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः ऋण किसी भी अर्थ-व्यवस्था का सार है। देश की अर्थ-व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती यदि उसके पहियों में ऋण रूपी तेल न डाला जाए। बैंक इसीलिए हैं, ऋण देने वाली संस्थाएं इसीलिए हैं ताकि पूंजी बनाने के लिए और अधिक पूंजी का उत्पादन किया जा सके। यह उस अर्थ-व्यवस्था का निचोड़ है, जो प्रगति करती है, जो स्थिर नहीं है। इसी प्रकार, जिस राज्य के पास अपने उपयोग के लिए पूंजी नहीं होती, उसे आन्तरिक स्रोत से अथवा बाहर से उधार लेना पड़ता है।

हमारी छठी योजना 96,000 करोड़ रुपये लागत की है।

एक माननीय सदस्य : 97,000 करोड़ रुपये की।

श्री० ए० के० सेन : ठीक है, 96,000 करोड़ रुपये से अधिक की है। इसीलिए हमें देश के अन्दरूनी स्रोतों से और विदेशों से पूंजी प्राप्त करनी है। मैं नहीं समझ पाता कि हम अपनी ड्यूटी निभाने में कैसे असफल हो रहे हैं यदि हम विदेशी मुद्रा को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजनों से विदेशों से कुछ पूंजी प्राप्त करते हैं। ये सभी ऋण किसी न किसी उद्देश्य के लिए हैं। ये किसी न किसी प्रयोजन से बंधे हुए हैं। वे मुक्त ऋण नहीं हैं; उस अर्थ में वे विकास संबंधी कुछ परियोजनाओं अथवा कतिपय आवश्यक समाज सेवा परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण किन्हीं समाज सेवा परियोजनाओं से जुड़े नहीं हैं; वे विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित हैं।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री ए० के० सेन : यदि वे न भी हैं तो कोई बात नहीं। वे सभी किसी न किसी परियोजना से सम्बद्ध हैं; कोई निर्बाध ऋण नहीं लिये जाते हैं। उदाहरण के लिए कुद्रेमुख परियोजना को लीजिए जो कर्नाटक में आरम्भ की गई थी। शाह के शासन में उस समय ईरान सरकार ने एक रक्षित परियोजना के लिये इस शर्त पर ऋण दिया था कि उसके उत्पादों का बहुत बड़ा प्रतिशत ईरान सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जायेगा। अतः समूचा विकास उस ऋण से सम्बद्ध था। यदि आप उसे ईरान से ले सकते हैं तो इसे अन्य देशों से भी ले सकते हैं बशर्ते कि आप इसे सम्मान के साथ लें न कि भीख की तरह लें। मुझे याद है, श्री वेंकट रामन ने उस दिन कहा था कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के साथ व्यवहार कर रहे हैं तथा हम अपना मस्तक ऊंचा किये हुए तथा सम्मान को बिना कलुषित किये ऐसा कर रहे हैं। ठीक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अब तक ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जबकि इस देश ने अपना सम्मान कलुषित करके ऋण लिया

[श्री ए० के० सेन]

हो। इसने ऐसा कभी नहीं किया है। शोयक शाइलॉक से एन्टोनियो द्वारा ऋण लिये जाने जैसी नाटक की घटना मौजूद है।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : हमारा मस्तक तो ऊंचा था पर घुटने झुके हुए थे।

**श्री ए० के० सेन** : मैं जानता हूं कि कुछ घुटने कमजोर थे। परन्तु हमारे घुटने कभी कमजोर नहीं रहे, वे सदैव सुदृढ़ थे। मुझे याद है कि श्री हीरेन मुखर्जी, उनके दल के सदस्य उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का आदर करते थे। वह बहुत बड़े विद्वान है, हम सभी उनको चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरुके निधन के बाद वहां खड़े होकर उन्होंने कहा था, "वह ऐसे व्यक्ति थे जो महान पुरुष की भांति आगे बढ़े और जिनमें कोई कमजोरी नहीं थी। (उनकी एड़ी नाटक के पात्र एचीलीज की एड़ी—जो भी भांति कमजोर नहीं थी)। अर्थात् एचीलीज की एड़ी में कमजोरी थी।

**प्रो० मधु दंडवते** : परन्तु उन्हें पतन देखना पड़ा।

**श्री ए० के० सेन** : जी, नहीं, कोई पतन नहीं था। पतन आपके समय में हुआ। उनके समय में नहीं।

देश ने कभी भी अपने सम्मान के बदले कुछ नहीं लिया है तथा कांग्रेस पार्टी ने कभी इस देश के सम्मान के बदले कुछ नहीं लिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सेन, पतन के बारे में श्री मधु दंडवते से बात मत कीजिए।

**श्री ए० के० सेन** : वह बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं तथा उनका पतन कभी नहीं होता है वह गलतियां कर सकते हैं परन्तु उनका पतन कभी नहीं होता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां वह कभी गिरे नहीं हैं।

**श्री ए० के० सेन०** : अतः मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के बारे में उनके तर्क को वास्तव में बिलकुल नहीं समझ सका। मुझे याद है कि मेरे पास श्री वेंकटरामन का पिछली बार का वक्तव्य है। इस सभा में उन्होंने कहा था कि इस देश का सम्मान कलुषित नहीं होगा। यही बात उन्होंने कही थी और मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह उसके प्रत्येक शब्द का पालन करेंगे और यदि हमारे सम्मान के साथ विश्वासघात होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और यह पक्ष इसका विरोध करेंगे यह पक्ष किसी सौदे के लिये हमारा मान गिरने नहीं देगा।

अगला विचार कानून और व्यवस्था के बारे में था। यह बहुत ही कमजोर तर्क है। उनसे पश्चिम बंगाल से —जहां प्रतिदिन हम मृत्यु का सामना कर रहे हैं ऐसा लगता है कि एपोलो के चारों घोड़े आज पश्चिम बंगाल की धरती पर पथभ्रष्ट होकर इधर उधर फिर रहे हैं। इसलिए कानून और व्यवस्थाओं की समस्याओं पर उनका प्रहार कमजोर प्रहार था क्योंकि वह जानते हैं कि कानून और व्यवस्था कि बहुत कुछ समस्या देश के उसी भाग से उत्पन्न होती है न यहां से। किस देश में कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व कोई व्यक्ति शाम के समय हमले के भय के बिना दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकता था।

श्री अमर राय प्रधान : (कूच बिहार) : यह आज भी है ।

श्री ए० के० सेन : आप कैसे कह सकते हैं ? वह कहते हैं कि यह मरा आज भी है परन्तु वह अपने पूरे जोर से शोर मचाते हुए सड़कों पर घूमते हैं और स्वास्थ हैं किसी ने उन पर हमला नहीं किया । अतः मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि समास्याएं सब जगह हैं । सब जगह बैंक लूटे जाते हैं । मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि इग्लैंड के हाइवे में 18 लाख डालर लूटे गये । आज प्रातः के समाचार पत्र में ही यह समाचार है कि इंग्लैंड में कुछ डाकुओं ने सुरक्षा वाहन को रोका और लगभग 18 लाख डालर लूट कर ले गये । अतः श्रीमती थैचर को त्याग-पत्र दे देना चाहिये, ब्रिटिश होम आफिस को त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यहां ऐसा नहीं होता क्या ?

श्री ए० के० सेन : जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है । आज आप पोलैंड जाइये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर मत दीजिए ।-वे बहुत-से प्रश्न करेंगे ।

श्री ए० के० सेन : हमने सदैव सुन रखा है कि उन समाजवादी देशों में कई भूख मार्च नहीं होगी परन्तु पोलैंड ने इसे झुठला दिया है । उनके देश में प्रतिदिन भूख-मार्च होती है अतः हम देशों पर प्रहार न करें, वे हमारे मित्र हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं परन्तु वे शान्ति और व्यवस्था की समस्या को सरलातापूर्वक मोड़ दे देते हैं । समाजवादी देशों को उन लोगों से निपटने का अपना तरीका है जिन्हें वे नहीं चहाते हैं । जब मैं मास्को गया तो मैंने श्री लेनिन के शव के साथ साथ स्टालिन का शव भी देखना चाहा । मुझे बताया गया है कि कोई नहीं जानता कि वह कहा गया और फिर भी अपने जीवन-काल में उनकी पूजा होती रही । इस देश में भिन्न परम्परा है मैं आपको बताऊंगा कि क्यों । जब राम को 12 वर्ष का बनवास दिया गया...

उपाध्यक्ष महोदय : 14 वर्ष । मैं लक्ष्मण हूं इसलिए मैं यह जानता हूं ।

श्री ए० के० सेन : महोदय त्रुटि के लिये मुझे खेद है । त्रुटि के लिये सभा से क्षमा याचना करता हूं मुझे इसका दोषी नहीं होना चाहिये था ।

भरत को उनकी माता तथा दशरथ कि इच्छा के अनुसार राजा बनाया गया । वह कभी सिहासन पर नहीं बैठे । वह गये और जाकर अपने बड़े भाई कि पादुका ले आए, तथा उसे सिहासन पर रख दिया जब बाल्मीकि से पूछा गया', जिस व्यक्ति को बनबास दे दिया गया है जिसके पास कोई धन कोई शक्ति, कोई संसाधन नहीं है और उसके खड़ाऊं को उसके उत्तराधिकारी

[श्री ए० के० सेन०]

द्वारा सिंहासन पर रख दिया गया है ऐसा कैसे है, इस पर बाल्मीकि ने कहा यह तो राम ही जानता है। दूसरे शब्दों में इस देश का परम्परागत दर्शन अर्थात इसकी विचारधारा ही जानती है क्योंकि हम शक्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम सिद्धातों और उच्च आध्यात्मिक मूल्यों की पूजा करते हैं। इस लिए हम कहते हैं राम जाने। यह तुलसीदास के रामचरित में उद्धृत है उन्होंने यह जवाब दिया।

जब मैंने देखा कि स्टालिन का शव वहां नहीं था तो मैंने यह सचक याद किया कि उसको वहां से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिये था। इसीलिये मैंने कहा कि जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है क्योंकि समाजवादी देश अपने विरोधियों से अलग ढंग से निपटते हैं। जब हम मॉस्को में थे तो श्री सोम नाथ चटर्जी के स्वर्गीय पिता, एक महान वकील और संसद, श्री एन०सी० चटर्जी भी साथ थे। मैं शिष्ट मंडल का नेतृत्व कर रहा था, उन्होंने मेरी उपस्थितिमें श्री खुरचेव से पूछा ऐसा कैसे है, हम इस बारे में बहुत विचलित हैं कि अनेक बुद्धीजीवियों पर मुकद्मा आरंभ होने से पहले ही जब राज्य विरोधी गतिविधियों के लिये आरोप लगाया गया तो उसके ठीक बाद प्रावदा में लेख प्रकाशित हुए कि इन अपराधियों को गोली से उड़ा दिया जाना चाहिये ? हमारे देश में सामाचार पत्र पर अवमान के लिये मुकदमा चलाया जाता क्योंकि मुकदमे को मुकदमे पर बाहर के समाचारों की अभिव्यक्ति से पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता।" श्री खुरचेव बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने एक दो मिनट सोचा फिर उत्तर दिया, "ऐसा स्टालिन के समय में था। हमारे समय में नहीं है।" अत : वहां अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वैसी नहीं है जैसी हमें मिली हुई है वहां व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वैसी नहीं है जैसी हमें है। हमारे न्यायालय हैं, हमारे यहां विपक्ष है, यहां सब कुछ है...

प्रो० मधु दंडवते : आप इसी तरीके से आपात स्थिति के दिनों का भी वर्णन करते हैं।

श्री ए० के० सेन : तब भी न्यायालय ठीक ढंग से कार्य कर रहे थे। जब आप रिहा किये गये थे तो मुझे बहुत गर्व हुआ था। आपात स्थिति में भी कानून पहले की भांति चलता रहा। इंग्लैंड के न्यायालय के एक न्यायाधीश लार्ड स्टकिन ने युद्ध के दौरान कहा धन किसी पर निवारक नजरबन्दी के अधीन मामला चल रहा था और इग्लैंड ने युद्ध के दौरान निवारक नजरबन्दी कानून लागू किया था "कानून युद्ध के समय चुप नहीं रहता है, युद्ध के समय भी इसकी वही भाषा होती है जो शांति के समय होती है।" हमारे देश के कानून की युद्ध और शांति आपात स्थिति या सामान्य स्थिति में एक जैसी भाषा होती है। यह कानून का शासन है। वह भी प्रचलित है। उससे राज्य की सभी कार्यवाहियों की पुष्टि होती है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है। यहां तक कि प्रधान मंत्री पर भी कानून लागू होता है; गृह मंत्री पर भी कानून लागू होता है। जब वह न्यायालय में जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष झुकना पड़ता है। यह हमारे देश का कानून है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद के बारे में क्या कहना है ? यहां अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है ।

श्री ए० के० सेन : हमें इस पर गर्व है ।

प्रो० मधु दंडवते : आपात स्थिति के दौरान संसद की कार्यवाही को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होने दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वे सब बातें भूल जाइये ।

प्रो० मधु दंडवते : रिकार्ड से पता चलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब भी आप इसे याद कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : बिलकुल महोदय, । क्योंकि आप अध्यक्ष पीठ से हस्तक्षेप कर रहे हैं इसलिये मुझे आपको यह बताना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आगे की ओर देखें न कि पीछे की ओर ।

श्री ए० के० सेन : यह हमारा गौरव पूर्ण विशेषाधिकार है कि हम कानून की भूमिका में विश्वास करते हैं जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है । यह देश संवैधानिक ढांचे में विश्वास करता है जिसे वर्षों के संघर्ष के बाद स्थापित किया गया है तथा किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित राष्ट्रपति प्रणाली की कोई भी सरकार उस ढांचे को कभी खतरे में नहीं डालेगी ।

जहां तक राज्यपालों को हटाने का सम्बन्ध है मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है एक बार यह मामला न्यायालय में आया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने शब्दों में परिवर्तन कीजिए । केवल सरकारों को गिराना शब्द हैं ।

श्री ए० के० सेन । केवल सरकारों को गिराना होता है । यह सरकार का परमाधिकार है कि वह इस सभा के प्रति उत्तरदायी है और यह सभा ऐसे बर्ताव के लिए सरकार को उत्तरदायी होने के लिए कहेगी तथा अन्ततोगत्वा यह सभा हमारे लोकतन्त्र की अभिरक्षक है तथा सरकारी बेंचों के सदस्य जो यहाँ बैठते हैं, इस सभा के सेवक मात्र हैं । वे तभी तक सत्ता में हैं जब तक यह सभा चाहे । जिस क्षण यह सभा उनके विरुद्ध हो जाती है, तब ही उन्हें हटना पड़ता है ।

जब इंग्लैंड ने युद्ध आरंभ किया तो कंजर्वेटिव सरकार इतनी अधिक शसक्त थी कि उसे हटाया नहीं जा सकता था नॉर्वे में आकस्मिक परिवर्तन के बाद श्री चैम्बर लेन को हटना पड़ा

[श्री ए० के० सेन]

और समूची संसद को हटना पड़ा। यह अंतिम आक्रमण था जैसा मैंने आरंभ में कहा कि इस बार प्रहार बहुत ही कमजोर है और बहुत ही अशक्त तर्कों पर आधारित है। (व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**अध्यक्ष महोदय :** सीधी बातचीत न कीजिए।

**श्री ए० के० सेन :** माननीय सदस्य अत्याधिक उत्सुक हैं। ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें इस सदन में अनेक बार विचार विमर्श द्वारा सुलझाया जा चुका है।

इस सरकार का रिकार्ड प्रशंसनीय रहा है और जिन कमियों की ओर संकेत किया गया है, वे वस्तुत : कमियां नहीं हैं, बल्कि विरासत में मिली हैं जिन्हें वास्तव में ठीक किया जाना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री जार्ज फर्नान्डीस।

**एक माननीय सदस्य :** रेल दुर्घटनाएं।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना हो। आप अपना इतिहास क्यों भूलते हैं ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव को पेश करते समय प्रस्तावक ने कहा कि उन्हें यह मालूम है कि इस प्रस्ताव का क्या होना है, प्रस्ताव गिर जायेगा, क्योंकि बहुमत उस तरफ है। मगर एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा शुरू में ही, कि इतने विश्वास से इस दल के बारे में अब नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि एक ऐसा दल आज सरकार चला रहा है जिस दल को खुद पर विश्वास है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

चाहे जितने उदाहरण लिये जा सकते हैं। चेन्ना रेड्डी से शुरू करूं, या पहाड़िया से शुरू करूं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** कहीं से शुरू करो, पर अन्त अन्तुले पर करना है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** विश्वास आपको अपने ऊपर कितना है, इसका सबूत चाहिये तो चाहे बिहार चलें या मध्य प्रदेश चलें। जितने भी राज्यों में आज आपकी सरकारें चल रही हैं, क्यों कि ये भूल जाते हैं कि इन तमाम राज्यों से प्रधान मंत्री के पास, जो इनके अधिकार का एकमात्र स्रोत है, और कुछ है ही नहीं, और ये लोग तो स्वीकार कर लेते हैं, जिस अन्तुले की चर्चा है, उन्होंने तो कहा था कि :

"मैं वफादार होने पर गर्व करता हूं"

यहां कल-परसों जब इस सवाल को किसी और संदर्भ में मैंने छेड़ा था मत्री के बाद मंत्री बोले कि हमें इस बात पर गर्व है कि उन्हीं की बदौलत हम यहां पर हैं।

जब ऐसी स्थिति है, तो दल को अपने ऊपर विश्वास होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक राज्य के मुख्य मत्री हैं, जिन्होंने अपनी हैसियत को यहां तक बताया है कि हम तो कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ इन्दिरा गांधी कृपा पोषित नाटक मंडली के मैनेजर हैं। क्या ये लोग भूल गए हैं गुंडूराव को ?

**प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह आथेन्टिक नहीं है। अगर किसी अखबार में कोई बात छपती है, तो उसके आधार पर इस हाउस में कोई बात नहीं कही जा सकती। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : जब आपकी बारी आये, तो आप अपनी बात कह लीजिएगा।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : मैं अपने मित्र, श्री समर मुखर्जी, से कहूंगा कि वह इतने विश्वास से न कहें कि यह सरकार कोई बहुत ज्यादा दिन तक चल सकती है, या उनका बहुमत उनका हर समय बचा सकता है, क्योंकि बहुमत में रहने के बावजूद राज्यों में अपनी सरकारों को हटाने का काम वे लोग बड़े कबिल ढंग से कर रहे हैं।

मैं एक और सरकार की चर्चा करूंगा, जो, जहां तक हम लोग समझ रहे हैं, अपना आखिरी श्वास ले रही है। हमें खुशी है कि प्रधान मंत्री इस बहस का जवाब देंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को ले कर, जिसमें प्रधान मंत्री के नाम को उन्होंने जोड़ा है, देश भर में चर्चा चली रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं, इस सदना में चर्चा चली है और सवाल पूछे गए हैं, लेकिन प्रधान मंत्री ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है।

यह बात मैं सिर्फ इस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं कि सारी सरकार को चलाने की, और देश में कानून ठीक ढंग से चल रहे हैं, उसकी देख-रेख करने की उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि मैं इस प्रश्न को इस लिए भी उठा रहा हू कि श्री अन्तुले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री के प्रति इतनी निष्ठा व्यक्त की है, जितनी इन सब लोगों ने मिल कर भी नहीं की होगी। उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया ? अगर राष्ट्रपति शासन की प्रणाली को लाना है, तो अन्तुले के जरिये बहस छेड़ी गई वह सामने आए। महाराष्ट्र में सरकार में और दलों में जो भी तोड़ फोड़ करनी थी, अन्तुले ने उसमें भी पूरा योगदान दिया। अगर प्रधान मंत्री के पक्ष में अगर और लोगों को उठाना है, अगर उनके पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय माहौल बनाना है तो उसमें भी उन्होंने हर प्रकार से योगदान

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

दिया । वह अरब देशों में गए और खूब प्रचार कर के आए । विलायत में गए । कहा गया कि शिवाजी की तलवार लेने के लिए गए हैं, लेकिन गए थे कुछ और काम से । किसी भी मामले में उस व्यक्ति, ने प्रधान मंत्री के प्रति अविश्वास व्यक्त नहीं किया । जितनी भी श्रद्धा प्रकट की जा सकती है वह उसने प्रकट की ।

पिछले तीन चार सप्ताहों श्री अन्तुले पर चौतरफा हमला हो रहा है । उन्हीं के अपने दल के अपने मंत्रि मंडल के, लोगों द्वारा उनके खिलाफ हल्ला होने लगा है । देश भर में लोगों ने अन्तुले का नाम ले कर कोई भी बात कहनी बाकी नहीं रखी है । तो हम को आश्चर्य होता है कि प्रधान मंत्री ने अपने एक साथी, अपने दल के प्रमुख सदस्य और अपने एक प्रदेश के मुख्य मंत्री के बचाव में एक आवाज भी उठाने का काम नहीं किया । मैं यह सवाल इसलिए नहीं उठा रहा हूं कहीं सरकारी दल के सदस्य इस गलतफहमी में न जाय कि जो जवाब है उस पर कुछ नमक मिर्च लगाने का काम में कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए यह छेड़ रहा हूं कि जिन के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जिन के हाथ में नेतृत्व है अगर वह अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में साधारण निष्ठा भी दिखाने का काम न करे तो इस का क्या अर्थ हो सकता है ? अगर अन्तुले ने गलत काम किया हैं तो ठीक हैं जो उन को सजा देनी है वह दीजिए या और जो सजा देने का काम है वह जनता सजा देने का काम करती रहती है, देश में प्रजातंत्र है तो जनता अपने निर्णय लेने का काम करती है लेकिन जब आप का एक दल एक सरकार चला रहा है, एक व्यक्ति पर इतने बड़े पैमाने पर आप लोग निर्भर है कि खुद आप लोग आपस में चर्चा करते समय बोलते हैं कि आज यदि वह व्यक्ति न रहे तो पता नहीं हमारा क्या हो जायेगा । क्या उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अपने साथी, अपने दल के लोगों और अपने मुख्य मंत्री, खुद ही चुन कर जिन जन लोगों को जिन जिन ग्रहों में बैठाया है अगर उन पर हल्ला होता है तो उस के बारे में निर्णय करें, अगर गलत हो गलत कह कर कह दे और सही हो तो देश के प्रधान मंत्री के नाते जो कार्यवाही उस पर करनी चाहिए वह कार्यवाही करे । हम नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस मसले पर सोचते हैं या नहीं सोचते हैं क्योंकि यह एक दल का मामला नहीं है । एक दल के भीतर और वह भी एक ऐसा दल जिस का इस सदन में दो तिहाई बहुमत है, जिस का देश के करीब तमाम राज्यों में आज अपना शासन है, उस दल के भीतर अगर आज जहां चरित्र का मामला है वहां व्यक्ति के समाप्त होनी जैसी स्थिति निर्माण हो जाती है, वैसी हालत में उस व्यक्ति को बनाए रख कर और तमाम लोगों को समाप्त करने का अगर काम हो जाता है तो उस का असर समूचे देश के चरित्र पर, देश के भविष्य पर क्या पड़ता है, मैं चाहूंगा कि इस दल के लोग इस बात पर कुछ गौर कर के सोचें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कई सवाल इस अन्तुले के मामले से हम लोगों के सामने उठते हैं । नम्बर (1) में उस कानून की ओर आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस सदन का जिस का नाम है :

संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950

इस कानून के सेक्शन तीन को देखें। जिन व्यक्तियों के या जिन संस्थाओं के नाम शेड्यूल में दिए गए हैं उन के बारे में सेक्शन 3 यह कहता है :

'केन्द्रीय सरकार अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी सरकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना'

अमुक अमुक व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल किसी भी संस्था के जरिए नहीं किया जायगा। उस के अंदर शेड्यूल 9 (ए) में है—

महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, छत्रपति शिवाजी महाराज अथवा भारत के प्रधान मंत्री का नाम अथवा चित्र प्रतिनिधित्व। धारा 5 : किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, 500 रुपये तक के जुर्माने का दण्ड दिया जाएगा।

खैर, मुझे इतना फाइन और क्या सजा लोगों को देनी है उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस कानून का अमल करने की जिम्मेदारी इस सरकार के किस विभाग पर है ? और जब पिछले साल के अक्तूबर महीने से प्रधान मन्त्री के नाम का इस्तेमाल होने लगा, इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान ने जन्म लिया तो हम जानना चाहेंगे कि यह विभाग जिसके ऊपर इस कानून पर अमल करने कि जिम्मेदारी हैं, उसकी ओर से क्या कोई कार्यवाही की गई उन लोगों के विरोध में जिन्होंने कि प्रधान मन्त्री के नाम का गलत इस्तेमाल किया और इस कानून को तोड़ना अपना कर्तव्य समझ लिया। ?

इसमें दो संस्थायें आती हैं और दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति तो महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री, श्री अन्तुले है और दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सोसायटी को रजिस्टर करने का काम किया यानी रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज। मैं प्रधान मन्त्री जी से स्पष्ट जानना चाहूंगा क्या यह बात सही नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ने बम्बई में श्री अन्तुले के साथ बैठ कर जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उस दस्तावेज को, इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान संस्था को रजिस्टर करने के लिए, जो रजिस्ट्रार थे उनके हाथों में पहुंचाने का काम हुआ और क्या वह दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास नहीं हैं ? क्या रजिस्ट्रार ने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान को कभी की रजिस्टर नहीं किया। प्रधान मंत्री कि सहमति का वह पत्र जिसके शब्दों को लेकर आज सदन में और सदन के बाहर अन्तुले के बचाव करने का प्रयास हो रहा है, क्या यह बात सही नहीं है कि अन्तुले ने प्रधान मन्त्री से कहा कि तभी आपके नाम से यह संस्था रजिस्टर हो सकती है जबकि इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर हो जायेंगे ? हमको अफसोस है और हम प्रधान मन्त्री जी से यह बात जानना चाहते हैं...(व्यवधान)

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

हमारे पास जितना समय है उसका दो-तिहाई समय इसके पास है, ये हमारी बातों का जवाब दे सकेंगे। मैं सीधे प्रधान मंत्री जी से सवाल पूछता हूं। आपको मालूम है कि एक पत्र श्री अन्तुले ने यहां वित्त मंत्री के पास भेजा और वह पत्र आपके पास भी पहुंचाने का काम किया गया। उस पत्र में श्री अन्तुले ने बहुत मजेदार बात कही है। उस पत्र को मैं पढ़ देना चाहूंगा। यह 5 सितम्बर का पत्र है :

"अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान मैंने आपको बताया था कि प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र प्रतिभा प्रतिष्ठान का उद्घाटन नहीं किया था। दिनांक 11 अक्तूबर, 1980 को जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है कि मैं प्रधान मंत्री से मिलने और महाराष्ट्र प्रतिभा प्रतिष्ठान के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजभवन गया था और उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत किया था। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके मुझे वह लौटा दिया। वहां प्रधान मंत्री के मेरे तथा कुछ फोटोग्राफरों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज मैंने आपको उसका संसदीय वाद-विवाद में प्रयोग करने के लिए सौंप दिया है।"

यह वही दस्तावेज हैं, जिसकी मैंने चर्चा छेड़ी। इस पत्र में कहते हैं कि हम आशीर्वाद मांगने गए थे, मगर आशीर्वाद नहीं था। जो दस्तावेज आपके हाथ में आया, उसमें आशीर्वाद की बात नहीं थी। उसमें तो प्रतिभा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र बरोबर सहभागी होनियास माला अतिश्य आनन्द होत आहे—जिसका अंग्रेजी अनुवाद और कोई मराठी को पार्टनर है तो शायद उसको भी स्वीकार न करे...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : अनुवाद के सम्बन्ध में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि अन्य कोई बात हो, तो आप उसका हवाला दे सकते हैं।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : तकलीफ में होने की बात नहीं है। मैं वही बात कहने वाला था। पता नहीं ये लोग इतने क्यों परेशान हो जाते हैं, हम तो आपके ही पक्ष में बोल रहे हैं। जरा सुन लोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। अध्यक्ष जी, इस अंग्रेजी दस्तावेज की बात आपने कही, जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा था "मैं प्रतिभा प्रतिष्ठान के साथ अपने को सहभागी करके वास्तव में अत्यधिक प्रसन्न हूं।" और वही दस्तावेज पर रजिस्टार से हस्ताक्षर हो गया और उसी के आधार पर इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान करके...(व्यवधान)...

**डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** : माननीय सदस्य गलत बयान कर रहे हैं...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे अस्वीकार करता हूं। कृपया आप बैठ जाइए। मैं जानता हूं कि वे क्या कह रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, वही दस्तावेज यहां पर कई निर्णयों का आधार बना है। उस दस्तावेज में श्री अन्तुले ने दो बातें कही हैं। पहली —श्री अन्तुले ने कहा है कि दस्तावेज में आशीर्वाद की बात है। आशीर्वाद इज ब्लेसिंग्स । यहां पर ब्लेसिंग्स और एसोसिएशन का सवाल रहा है। असोसिएशन और आशीर्वाद के अर्थ आप स्वीकार करते हैं, हमें बड़ी खुशी है। दूसरा—जो कि एक अंतिम महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मुख्य मंत्री कहते हैं कि :

"मेरे अतिरिक्त वहां प्रधान मंत्री तथा कुछ फोटोग्राफरों को छोड़कर कोई अन्य मौजूदा व्यक्ति नहीं था"

दूसरे भारत देश के सारे अखबारों ने इस बात को छापा कि प्रधान मन्त्री ने अपने काम से इंदिर गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान चलाने के लिए मुख्य मन्त्री को इजाजत देने का काम किया है। लेकिन इस बात को आप छोड़िए...(व्यवधान)...सारे देश के अखबार गलत है, आपका रेड़ियो गलत है, आपके प्रचार के साधन गलत हैं और यह आप लोक राज्य जहां मुख्य मन्त्री लिख कर देते हैं और सदन में इस्तेमाल करने के लिए दस्तावेज आपके दफ्तर में आ जाता है उसमें वे कहते हैं कि मैं, प्रधान मन्त्री और तस्वीर खीचने वाले लोगों को छोड़कर और कोई वहां पर मोजूद नही थे और अपने ही लोक राज्य में छाप देते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान बनाने के लिए प्रधान मन्त्री ने इजाजत देते हुए निकले हुए चित्र और लिखा हुआ है।

"प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए है, जिसमें कहा गया है कि वे उससे सहभागी होकर प्रसन्न है।"

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुवाद का हवाला नहीं देना चाहिए। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए छेड़ रहा हूं कि किस तरह से सरकार को, सार्वजनिक संस्थाओं को, उन पर जो भी लोगों का विश्वास होना चाहिए वह नहीं है और अखबारों से विश्वास को मिटा रहे हो आप रेड़ियों से विश्वास को मिटा रहे हो आप सरकार के अखबारों से विश्वास मिटा रहे हो, आपके युद्ध के चित्रों से विश्वास मिटा रहे हो लेकिन उनको छोड़ दीजिए। मैं प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास पत्र आया है कि श्री अन्तुले के मंत्रीमंडल के एक मन्त्री का ? श्रीमती शालिनीताई पाटिल; जिनको कि अभी कुछ दिनों पहले निकाल दिया गया है। क्या उस पत्र में श्रीमती शालिनी पाटिल ने मुख्य मन्त्री पर सीधे सीधे दो ठोस आरोप नहीं लगाए हैं ? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या आपको उसकी कापी भेजी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अखबारों में आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप को जो कापियां चाहिये ये लोग पहुंचाने का काम करते है। इसीलिए मैंने कहा है कि इन को खुद में विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह हकशफा का दावा कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ये लोग पहुंचने का काम करते हैं, जब इन को पहुंचना होता है"'

अध्यक्ष महोदय : अब आप जल्दी खत्म कीजिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं तो अभी खड़ा हुआ हूं ये लोग इतना टाइम ले रहे हैं।

उन्होंने जिन दो मामलों का उल्लेख किया है, वे ये हैं कि मुख्य मन्त्री ने राज्य कृषि निगम से 12.5 लाख रुपये की मांग को बताते हैं। श्रीमती पाटिल के अनुसार उक्त निगम, जो राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि हम भी व्यवस्था के प्रश्न पर उठा सकते हैं। हमें भी इस बात का अधिकार है। मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : वे एक असामान्य मन्त्री हैं।

श्री चन्द्र शेखर : कुछ मान दण्ड होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? वे पत्र से उद्धरण दे रहे हैं। आप उसकी भर्त्सना कर सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह बात नहीं है, महोदय। मैं इसे नियम 351 के उपनियम 5 के अन्तर्गत उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 351। उप नियम 5।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, व्यवस्था के जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं, वे उनमें दो मुद्दे हैं। पहली बात तो यह है कि जिस अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो रहा है, वह भारत सरकार के विरुद्ध है। यह महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के खिलाफ नहीं है। यह मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह प्रधान मन्त्री के विरुद्ध है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस सरकार की किसी भी प्रकार से निन्दा करने का उन्हें अधिकार है, वें कुछ भी कह सकते है. हम उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन किसी भी मुख्य मंत्री

के विरुद्ध आरोप लगाया जाना कतिपय नियमों द्वारा शासित होता है। मैं नियम उद्धृत करता हूं। पहला सम्बद्धता के बारे में है। मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोपों को, यहां अविश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद के प्रयोजन से लगाये जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी बात इस प्रकार है:

भाषण देते समय कोई सदस्य उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के आचरण के बारे में तब तक कुछ नहीं कहेगा, जब तक कि यह वाद-विवाद उचित शर्तों के अनुसार उठाए गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे इसे पूरा करना है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। अब मैं उन्हें बता रहा हूं। मैंने आपकी आपत्ति सुन ली है।

श्री सी० एम० स्टीफन : एक वाक्य और। मैं अपना वक्तव्य पूरा कर दूंगा। उदाहरणार्थ यदि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप है, तो उस पर आपत्ति की जा सकती है। हमारे संविधान में मुख्य मन्त्री एक उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, जिसके आचरण को केवल तब ही चुनौती दी जा सकती है, जब कि सम्बन्धित विधान सभा में इस सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव लाया गया हो। यहां भी मुख्य मन्त्री के आचरण पर वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन उचित प्रस्ताव पेश करने के द्वारा ही। यह उचित संकल्प के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। वे यहां प्रस्ताव पेश कर सकते थे और उस आधार पर मुख्य मन्त्री की आलोचना कर सकते थे।

मूल प्रस्ताव के आधार पर ही वे आलोचना कर सकते हैं अन्यथा वे ऐसा नहीं कर सकते। इस सदन में एक मुख्य मन्त्री की आलोचना नहीं की जा सकती।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं मुख्य मंत्री से नहीं कह रहा हूं, मैं प्रधान मन्त्री से जवाब चाहता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : 376। मैं प्रक्रिया सम्बन्धी मामले पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। मान लें, एक सदस्य इस सदन की तथा देश की जानकारी में यह लाना चाहता है कि प्रधान मंत्री ने मुख्य मन्त्री के किसी अपराध में सहयोग किया है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सम्बन्धित सदस्य को इस सदन में अपने आप को निर्बाध रूप से व्यक्त करने का अधिकार, प्राधिकार

[श्री चन्द्र शेखर]

और विशेषाधिकार होगा अथवा नहीं। मैं इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय जानना चाहता हू।

**अध्यक्ष महोदय :** इधर ध्यान दीजिए। वे पहले से ही अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये।

**श्री चन्द्रशेखर :** मैं आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। इसमें नई कोई बात नहीं है।

प्रधान मन्त्री यहां हैं। वे आपत्तियों का हवाला दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बात तो यह है कि वह व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव द्वारा ही वाद-विवाद हो सकता है। केवल इसी चीज पर मैं रोक लगा रहा हूं और कुछ नहीं।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) :** माननीय सदस्य जार्ज फर्नान्डीस एक रिपोर्ट के बारे में यह बता रहे थे कि किसी व्यक्ति ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री उस कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे थे, जो इस सदन द्वारा पारित किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्य के स्वामित्व वाले निगम का कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक अस्तित्व है और वह धन एकत्र कर रही है (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यह बात वहां मूल प्रस्ताव मे लाई जा सकती है। (व्यवधान)

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) :** वह कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। वह इसके बारे में क्या जानते हैं? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* कार्यवाही वृतान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** अध्यक्ष जी, मेरा जो सवाल है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? (व्यवधान) आप बैठिए। (व्यवधान) बाहर जाकर करिए। (व्यवधान) अरे भई किसी की बात सुनने दिया करो। (व्यवधान)

**श्री रामावतार शास्त्री :** उत्तेजित मत होइये। आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। कृपया बैठिए। देखिए मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी बात सुनिए, देखिए बैठ जाइए। सिट डाउन। (व्यवधान) भद्र पुरुषों की बात सुनो। इससे तो मेरे खयाल से बाहर वाले गरीब आदमी अच्छी बात करते हैं। (व्यवधान) कोई बात सुनने तो दे, आप सुनना ही नहीं चाहते, जो मैं सुनाना चाहता हूं। सिट डाउन। आप उनसे कहीं अधिक शोर मचा रहे हैं। न तो मैं उन्हें माफ करने वाला हूं, न आपको।

मैं सभी सदस्यों से कह रहा हूं कि आप अपना-अपना वैलिड प्वाइंट शान्ति से रख दीजिए और कोई प्वाइंट नियम के हिसाब से नहीं आ सकता तो उसको छोड़ दीजिए। आप जो कहना चाहते हैं कहिए, इतना समय आपने जाया कर दिया। चलिए मिस्टर जार्ज।

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, वे कितने भी व्यवस्था के प्रश्न उठाएं, मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है लेकिन मन्त्री महोदय को भद्दा संकेत नहीं करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी प्रकार के संकेत करने की अनुमति नहीं है। कृपया आप बैठ जाइये और कोई मल्लयुद्ध न करें।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : दोनों संकेत अस्वीकार कर दिए है—मेरा संकेत अस्वीकार कर दिया गया है, उनका सकेत अस्वीकार कर दिया गया है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : चलिए जल्दी कीजिए जार्ज साहब।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : अध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इतनी बड़ी देश की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव है, इतनी बड़ी सरकार है, मजबूत सरकार है, इसको तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है...। (व्यवधान)

लेकिन हम तोड़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, पहले भी तोड़ा था, अब फिर तोड़ेंगे। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कर रहे हैं आप। बैठ जाइए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हां बोलिए जार्ज साहब।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई श्री अन्तुले पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो प्रधानमन्त्री से जवाब चाहूंगा कि क्या उनके पास श्री अन्तुले के मन्त्रीमण्डल की एक मन्त्री शालिनी ताई पाटिल का पत्र है, जिसमें उन्होंने दो ठोस आरोप लगाए हैं, बाकी आरोपों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इन दो आरोपों का मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के उत्तर में जवाब चाहूंगा। पहला आरोप तो मैं पढ़ चुका हूं, जिस पर इतना हंगामा हुआ, उसको मैं दोहराना नहीं

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

चाहता। दूसरा जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि जो सांगली कोआपरेटिव शुगर मिल है...।

**अध्यक्ष महोदय :** आप जनरली कह दीजिए।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** जिसकी ओर से 21 लाख रुपया दिया गया था, उस संस्था ने जब अल्कोहल मांगा तब मुख्य मंत्री ने एक कांग्रेस के सदस्य के माध्यम से उनको कहा कि अल्कोहल एक लाख लीटर तब मिलेगा जब 3 रुपया प्रति लीटर...।

**अध्यक्ष महोदय :** यह सब नहीं चलेगा। सुनी-सुनाई बातों की मैं अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** मैं सुनी-सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं। मैं तो एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या प्रधान मंत्री महोदय को शालिनीताई पाटिल का कोई पत्र प्राप्त हुआ है। इसी पत्र में यह अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा है (1) कि उन्हें सांगली कोपरेटिव शुगर मिल, जो इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान को 21.5 लाख रुपये की धन राशि दे चुकी थी, के लिए तीन लाख लीटर अल्कोहल की आवश्यकता थी। और उस सोसाइटी को इस अल्कोहल की जरूरत थी। उनको यह कहा गया कि आप कांग्रेस के सदस्य से मिलो। उस सदस्य ने उनसे कहा कि 3 रुपए प्रति लिटर के हिसाब से दो तब आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या यह बात पत्र में लिखी है, इसका जवाब हम चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आगे बढ़िए।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** अध्यक्ष महोदय, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं इस संदर्भ में उठाना चाहता हूं वह है फाउंडेशंस के संबंध में। कई फाउंडेशंस की बात चल रही है, जिनमें से एक फाउंडेशन है "सेठिया फाउंडेशन"। कौन है यह सेठिया, कौन है यह सेठिया का राजधानी में कर्ताधर्ता या दलाल? मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि यह जो सेठिया है, जिसके नाम से श्री अंतुले ने एक ट्रस्ट बनाने का काम किया, जिसका बचाव किया गया, असेंबली की बात मैं नहीं कहूंगा...। लेकिन सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया है कि सेठिया एक ऐसे आदमी हैं जिसने विदेश में बहुत पैसा बनाया है और इस देश की भलाई के लिए पैसा देना चाहते हैं। क्या यह सही नहीं है कि यह जो सेठिया है इसने हिन्दुस्तान में 1960 और 1965 के बीच में बड़े पैमाने पर तस्करी की थी और श्री अब्दुल बहाल गलाधारी की जो गिरफ्तारी हुई थी वह तस्करी को लेकर हुई थी? उनको बेल पर छोड़ा गया था और बेल रहते हुए हिन्दुस्तान से वह पाकिस्तान भाग गया था? तीन बन्धु हैं, अब्दुल रहीम गलाधारी, अबदुल वहाब गलाधारी और अब्दुल लतीफ गलाधारी। इस राजधानी में भी दलाल करने वाले लोग इनमें से एक हैं और क्या यह सही नहीं है कि वह व्यक्ति है जिन्होंने इस राजधानी में सन आफ इंडिया एग्जीबीशन लगाने का काम किया, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले मई महीने में जब प्रधान मंत्री अरब देशों के दौरे पर गई थीं तो वहां पर उसी सन आफ इंडिया की एग्जीबीशन को लगाया था और प्रधान मंत्री के

हाथों से उनका उद्घाटअ कराया था ? क्या यह भी सही नहीं है कि इन तीन बंधुओं ने प्रधान मंत्री के साथ तसवीरें खिचवाई थीं और यह सारी चीज कराने में श्री अबदुल रहमान अंतुले का हाथ रहा है ? क्या यह सही नहीं है, इसका उत्तर मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं।

गलाधारी बंधुओं पर हिन्दुस्तान में आने पर जहां रोक थी, उन पर इस रोक को समाप्त करके अभी इसी महीने के पहले सप्ताह में इनमें से एक गलाधारी बन्धु जिनका नाम अबदुल लतीफ है क्या यह सही नहीं है कि वह दिल्ली आए थे पाकिस्तान से होते हुए और दिल्ली में ताज के रूम नम्बर 901 में ठहरे थे, इसी सदन के सदस्यों से मिले थे और इसी सदन के एक सदस्य ने उनके लिए अपने घर में प्रीतिभोज दिया था और अन्त में वह प्रधान मत्री के निवास स्थान पर पहुंचे और प्रधान मंत्री के साथ और प्रधान मंत्री के पुत्र के साथ क्या उनकी मुलाकात नहीं हुई ? इस सब का मै स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे और बीस मिनट दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सारा समय आपको ही नहीं दे सकता। मैं आपको काफी समय दे चुका हू। आपने.....नहीं लिए हैं। व्यवधान के नाम के मैं 10 मिनट ही काट दूंगा। मैं आपको पांच मिनट और देता हूं। उसके बाद मे आपको रोक दूंगा। अब सवा दो बजे है। मैं आपको दो बज कर बीस मिनट तक का समय दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: यहां पर इसी सदन में वित्त मत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था और मुख्य मंत्री का बचाव करते हुए कहा था जब मिमेंट की चर्चा हो रही थी कि 462 में से सिर्फ बारह लोगों से पैसा उन्होंने लिया है। मैं चुनौती देता हूं सरकार को इसके बारे में। मैं सरकार को उन 462 नामों को पेश करने के लिए चुनौती देता हूं, और मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि लगभग वे सभी 462 नाम बेनामी अथवा नामी फर्मों हैं जिनमें से 12 व्यक्तियों ने सरकार को धन दिया था। मैं सरकार को वह सूची पेश करने के लिए चुनौती देता हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या आप इस बात से मना कर सकते हैं कि आपने... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अंतुले साहब को मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि जो ठोस सवाल मैंने रखे हैं, उनका मैं जवाब चाहूंगा। जो कानून तोड़े गए हैं केन्द्रीय सरकार के, देश की सुरक्षा को जो धोखे में डालने का काम हुआ उस सारे कांड में यह सेठिया को लेकर और उसके

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

साथियों को लेकर हमारा सरकार पर आरोप है कि सरकार ने देश की सुरक्षा, कानून और पूरी व्यवस्था को बचाने में अपनी अक्षमता का प्रदर्शन इस अन्तुले के हर कांड में किया है । कई और इस सरकार पर आरोप हैं, हमारे मित्र श्री समर मुखर्जी ने कई बातों को यहां पर रखा है, लेकिन एक आखिरी बात मैं रखना चाहता हूं कि सरकार ने लोगों के सामने वायदे किये थे, किसानों और मजदूरों को किए हुए वायदे, देश के गरीबों को किए हुए वायदे, उनका क्या हुआ? आज कौन से वायदे को सरकार पूरा करने में समर्थ है या कर रही है, यह हम जानना चाहते हैं?

दामों की बात मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, मजदूरों पर होने वाले हमलों, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, खाद के दाम पिछले 12 महीनों में 60 प्रतिशत बढ़ा दिए गए, पंजाब और हरियाणा में बिजली न मिलने के कारण क्या वहां पर किसानों की हालत हो रही है, इसे अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं । देश में आज अकाल की स्थिति है । इस प्रकार आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में सरकार नाकामयाब रही हैं ।

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव)** : हमें न बताए । वे हमें जनता सरकार से विरासत में मिली हैं ।

**प्रो० मधु दंडवते** : वे मंत्री हैं । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे पसंद नहीं करता । (व्यवधान)

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : आपको ऐसे व्यक्ति को सदन से निष्कासित कर देना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उचित व्यवहार करें । यह आपके लिए उचित नहीं है । (व्यवधान) मैं पहले ही उनकी भर्त्सना कर चुका हूं ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कहेंगे और अगर किसी काम को लेना हो तो इस प्रकार के मंत्रियों के वास्ते ही इस सरकार को जाना चाहिए । सदन के नियमों का इनको पता नहीं है । आपके साथ इस प्रकार का अपमान हो, यह उचित नहीं है । आप उनसे माफी मंगवाइये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनकी भर्त्सना कर दी है ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : अपने मन से मैं कह रहा था कि हर क्षेत्र में लोगों के साथ धोखा है उसको मद्दे नजर रखते हुए हमारा सरकार पर आरोप है कि यह सरकार लोगों की किसी भी समस्या को हल करने में समर्थ नहीं है। यही नहीं अभी माननीय अशोक सेन ने अपने भाषण में खुद की और सरकार की तारीफ की, विदेश में जा कर, 5,000 करोड़ रु० की भीख मांग कर ला रहे हैं । कुछ ही महीने पहले वित्त मंत्री ने बहस छेड़ी, हमको शर्म है कि सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, यह सरकार राष्ट्र के साथ धोखा करने वाली सरकार है और इसलिए समय रहते हुए यह सरकार हट जाए, यही बात आपके सामने रख कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज हम लोग इंटरनेशनल सिचुएशन पर बहस करने वाले थे, हमारे विदेश मंत्री ने आज मोशन रखा था कि इंटरनेशनल स्थिति पर बहस हो और छठी पंचवर्षीय योजना पर भी अध्यक्ष जी, बहस होने वाली थी। दोनों बातें बहुत जरूरी थीं, लेकिन विपक्ष का अधिकार है कि वह नो कांफीडेंस मोशन लाये, सो वह ले आये। उस पर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती कि वह क्यों लाये ?

मैं यह कह रहा था कि आज हम इंटरनेशनल सिचुएशन और सिक्सथ फाईव ईअर प्लान पर डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन विपक्ष वाले नो कांफीडेंस मोशन ले आये। यह इनका अधिकार है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

आज श्री नरसिंह राव इंटरनेशनल सिचुएशन पर मोशन ला रहे थे, लेकिन ये लोग नो कांफीडेंस मोशन ले आए, इसके पीछे क्या बात है ? जो कुछ इन्होंने कहा है, मैं उसको लेकर बात करता हूं। श्री समर मुखर्जी हमारे पार्लियामेंट के पुराने मेम्बर हैं, बहुत योग्य है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमारा काम है कि हम हाउस में कोई चीज होती है, तो लायें। हमें सदन में वाद विवाद करने से रोका गया है। और इसीलिए हम लाए हैं और नई चीजें होती है तो हमारी ड्यूटी है कि हाउस के सामने लायें। रीजन उन्होंने यह दी है।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितनी बातें उन्होंने, समर मुखर्जी साहब ने कहीं हैं, उनमें से कोई भी एक नई बात उन्होंने कही, जो पहले हाउस में नहीं लाए हों। उन्होंने प्राइस सिचुएशन के बारे में चर्चा की, और बातें छोड़ दीजिए, उन पर और तरीके से बहस हुई, लेकिन प्राइस सिचुएशन पर इस सदन में विस्तृत रूप से वाद विवाद हो चुका है। कोई नई बात नहीं कही। आई० एम० एफ० वाली बात वह पहले ला चुके थे, फिर वही लाए। जितनी बातें उन्होंने कहीं मैंने सारी उनकी नोट की हैं कोई एक भी नई बात नहीं थी जो अब वह लाए हों या कह सकते हों कि पहले नहीं लाए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रेजीडेंशल फार्म आफ गवर्नमेंट की बात लाए कि अंतुले साहब ने इसको एडवोकेट किया। यह बात भी पहले भी कई बार कही जा चुकी है। मैं तो प्रेजीडेंशल फार्म आफ गवर्नमेंट को एडवोकेट नहीं करता, लेकिन इसकी चर्चा पहले कई बार इधर उधर हुई है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। हालांकि एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कुछ विरोधी दल के सदस्य बात कर रहे थे कि तुम प्रेजीडेंशल फार्म आफ गवर्नमेंट चाहते हो, हमने कहा कि हम तो खिलाफ हैं। हमने कब कहा कि हम हक में हैं ? लेकिन मैंने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों खिलाफ हैं ? उन्होंने कहा कि मुसीबत तो बनी रहेगी क्योंकि अगर प्रेजीडेंट भी हिन्दुस्तान में चुना गया तो सारे हिन्दुस्तान में जिसको अधिक वोट मिलेंगे वही होगा और वह इंदिरा गांधी ही चुनी जायेंगी, उनके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं है। मैं उसको एडवोकेट नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रेजीडेंशल फार्म आफ गवर्नमेंट का भी चर्चा हो चुका है। इसलिए इसमें भी कोई नई बात निकली नहीं।

[श्री एच० के० एल० भगत]

हमारे जार्ज फर्नान्डीस साहब बाहर चले गए हैं, उन्होंने एक नई बात निकाली। उन्होंने कहा कि समर मुखर्जी साहब ने यह कहा है कि इसको तो हम जानते हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जार्ज फर्नान्डीस साहब ज्यादा होशियार हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसलिए लाए हैं कि इनका अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बताइये, हमारा अपने ऊपर विश्वास न रहे और नो कांफीडेंस मोशन लायेंजार्ज फर्नान्डीस।

चेन्ना रेड्डी या पहाड़ियां कोई नई बात है। जितनी बातें उन्होंने कहीं—मध्य प्रदेश में यह हो रहा है, वहां यह हो रहा है, राज्य सरकारों में झगड़ा हो रहा, फलां हो रहा है। अन्तुले का जिक्र किया। तो आज की तारीख में जितनी बातें आनरेबल मेम्बर फर्नान्डीस ने कहीं है, उनमें से कोई एक नई बात है क्या?

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने श्री अन्तुले का चर्चा किया। इस बारे में भी उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। वह किसी तरीके उन बातों को फिर ले आए, जो पहले ही हाउस में उठाई जा चुकी है—वही बातें, वही दलीलें, वही तस्वीर, जिनके बारे में स्पीकर साहब अपनी रूलिंग दे चुके हैं। स्वयं श्री जार्ज फर्नान्डीस कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने कोई कानसेन्ट लेटर नहीं दिया, उनके मैसेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि एम्बलम एक्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब बातें पहले कही जा चुकी हैं।

जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, फिनांस मिनिस्टर ने इस हाउस में और दूसरे हाउस में सारी पोजीशन साफ कर दी है। श्री अन्तुले के मामले में जो भी इस्यूज रेज की गई, स्पीकर साहब बड़े साफ तरीके से उन्हें डिसपोज आफ कर चुके हैं। एक भी नई बात, एक भी नया सुबूत नहीं लाया गया है। प्रधान मंत्री जी ने किसी प्रतिष्ठान या किसी संस्था की अपनी गुड विशिज भेज दीं, अगर इस क्राइटेरियन को लेकर हम कुछ कहने लगें, तो मेरे खयाल में हिन्दुस्तान का शायद कोई भी नेता बच नहीं सकेगा। हम लोग सवेरे शाम किसी न किसी को गुड विशिज भेजते रहते हैं और उसमें कई तरह की बातें होती रहती हैं।

असली बात तो यह है कि हम श्री जार्ज फर्नान्डीस को जानते हैं। उनका काम है देश में गड़बड़ करना, केओस क्रीएट करने की कोशिश करना, एलीगेशन्ज को फैब्रिकेट करना, फाल्स एलीगेशन्ज लगाना, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन सीजन एंड आउट आफ सीजन बोलना, ऐसी झूठी और गलत बातें कहना, जिनके बारे में वह जानते हैं कि वे सबस्टेंशिएट नहीं हो सकतीं। अखबारों में कुछ छपा और उन्होंने गलाधारी ब्रदर्ज की कहानी सुना दी। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छपा और उन्होंने बिना उसको वेरिफाई किए कह दिया कि वह प्राइम मिनिस्टर्ज हाउस में गए, उनके पुत्र से मिले। ये सारी झूठी और बेसलैस बातें हैं, जिनको, मैं दावे से कह सकता हूं, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने खुद भी वेरिफाई नहीं किया होगा। पार्लियामेंट के मेम्बर को यहां पर जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, उसको यह समझ कर बोलना चाहिए कि उसे सैटिसफैक्शन है या नहीं।

प्राइम मिनिस्टर चंद दिनों में विदेश जा रही हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफा जब प्राइम मिनिस्टर बाहर गई हुई थीं तो उनके पीछे ये नान-कान्फिडेंस मोशन ले आए थे। इन्हें बड़ी खुशी हुई थी कि इससे इन्दिरा गांधी को बड़ी परेशानी, बड़ी एमबैरेसमेंट, होगी। प्रधान मंत्री आ गई और इस नान-कन्फिडेंस मोशन पर बहस के दौरान वे सारी बातें कहीं गई थी, जो आज कहीं जा रही हैं—अन्तुले कि बात छोड़ दीजिए, यह तो बाद में क्राप अप हुई। श्री समर मुखर्जी ने कहा कि तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम खत्म होने वाले हो। उसके बाद हमारे देश में प्रैस के अनुसार एक मिनि जनरल इलैक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी ने ओवरव्हेल्मिंगली विन किया।

इनके मन में एक परवर्स सेन्स आफ हैपिनेस आ जाती है कि प्रधानमन्त्री बाहर जाने वाली हैं, कुछ कह दें, कुछ नाटक और तमाशा कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि दिस पालियामेंट हैज विक्रम इरैलिवेंट।

श्री समर मुखर्जी ने कहा कि रुपये का डीवैल्युएशन हो रहा है। यह भी कई नई बात नहीं है। फिनांस मिनिस्टर उसका जवाब दे चुके है। मैं दुख के साथ एक बात कहना चहाता हूं, लेकिन वह मैं अपोजीशन की इज्जत के लिए कह रहा हूं। एक मानी में अपोजीशन का स्टेटस या स्टेचर गवर्नमेंट से कम नहीं होता। पलियामेंटरी सिस्टम में गवर्नमेंट भी एक इम्पार्टेन्ट भाग है और अपोजीशन भी एक इम्पार्टेन्ट भाग है—दोनों इम्पार्टेन्ट भाग है। अगर इसमें से किसी भाग का डीवैल्युएशन होता है, तो वह डेमोक्रेसी का डीवैल्युएशन हो जाता है। और चीजों का डीवैल्यूएशन तो हुआ कि नहीं हुआ; मुझे बहुत दुख सेकहना पड़ता है—मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि देश में विपक्ष का आज पतन हुआ है। और सबसे अधिक दुख पहुंचाने वाली बात यह है कि विपक्ष ऐसे घटिया, सस्ते लटके और तरीके इस्तेमाल करके दिन प्रतिदिन अपनी कीमत घटा रहा है।

यह बात तो साफ है कि वित्तीय स्थिति गम्भीर है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष अच्छे अथवा बुरे किसी भी तरह के प्रस्ताव पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। आज श्री ए० के० सेन ने यह दर्शाने के लिए आंकड़े दिए हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। आज मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इस सदन में इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि विपक्ष अपना महत्व घटा रहा है। मैं उन पर छींटाकशी नहीं कर रहा हूं। रोजाना वे विभाजित होते रहते हैं। हम उन्हें संगठित देखना चाहते हैं, क्योंकि संगठित विपक्ष के साथ निपटना बेहतर है। लेकिन जैसे-जैसे उसके अधिक टुकड़े होते जाते हैं, वे और अधिक कुंठित होते जाते हैं। जब वे शासन में थे, तब भी उन्होंने अपना पतन किया। अब जब वे विपक्ष में हैं, तब भी अपना पतन कर रहे हैं। यह बड़ी दुःखद घटना है कि विपक्ष जिसे एक स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए और जिसे अत्यधिक सन्तुलित ठोस और मजबूत आधारों पर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था; अपने आप को गिरा रहा है इस अविश्वास प्रस्ताव व को लाने के लिए उनके पास क्या ठोस आधार है ? मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि जब अध्यक्ष महोदय ने उनका विशेषाधिकार प्रस्ताव रद्द कर दिया तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया। यह बात है। यदि यशपालकपूर के दामाद का कहीं कोई उल्लेख होता, तो ये उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की इच्छा करते।

[श्री एच० के० एल० भगत]

श्री जार्ज फर्नान्डीस हमें नैतिकता के बारे में बता रहे है। अच्छा, मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीस विश्व में ऐसी कतिपय शक्तियों के अत्याधिक प्रिय व्यक्ति हैं, जो भारत से मैत्रीभाव नहीं रखती हैं। वे जल्दी जल्दी विदेशी की यात्रा करते है, अनेक भ्रमण किए हैं, उन्होने उन शक्तियो से मुलाकाते करते है और अपने सम्पर्क बनाए है। हम अनुभव करते हैं कि वे उन अस्थिरतावादी शक्तियों के हाथों में एक औजार की तरह काम कर रहे है जो वर्तमान सरकार को कमजोर करना चाहती है और हमारे देश को कमजोर करना चाहती है। साइमैन की उपलब्धियों को कौन भूला है ? किसने पटरियों पर से रेलगाड़ीयों को उतारने के उनके उन प्रयासों को भुला दिया है, जिसे उन्होने खुद स्वीकारा है ? यदि किसी और व्यक्ति ने यह कहा होता कि उसने रेलगाड़ियों को पटरियों पर से उतार दिया था, तो उसे अपना अपराध स्वत: स्वीकार करने वाला अपराधी कहा जाता। इन्होंने ही कार रैली पर पत्थर बरसवाए। उन्होने इसे स्वीकार किया है। अब वे अकाल और अनाज की बातें कर रहे है। क्या यह काम उनकन और उनकी पार्टी का नहीं है, जिन्होंने किसानों को अपना अनाज सरकार को न देने के लिए अभियान का अयोजन किया क्योंकि वे वसूली के काम में गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं ?

मैं उनसे एक बात और पूछ रहा हूं। वे सरकार में मंत्री थे। कल मैंने सदन में सोने की नीलामी सम्बन्धी घोटाले का जिक्र किया था। मैं आशा करता हूं कि अब वे अधिक बुद्धिमान हो गए होंगे। सरकार के सामने यह मामला रखा गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद ये सब बातें चली। और श्री जार्ज फर्नान्डीस—मैं दूसरों को उत्तेजित नहीं करना चहता। कल मैंने उनके बारे में कहा था आप कहा थे ? क्या आपने सोने की नीलामी के बारे में कुछ कहा था। हम जानते कि नैतिकता के बारे में आपकी बातें और दावे पूर्णत: आधार हीन हैं और जनता को धोखा देने के लिए गढे गए है आपसे अब कोई भी धोखा नहीं खाएगा। आप रेल कर्मचारियो को, अपने उन साथियों को जो यूनियन में है, नीचा दिखावा देंगे इसलिए हमें नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ।

मैं किसी व्यक्ति पर कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं करता। वर्ष 1979-80 में, आयकर प्राधिकरण की विवरणिका में किसान सम्मेलन ने 6 लाख रुपये के करीब की धन राशि ट्रस्ट में दर्शायी है। जब वे शासन में आए थे तो श्री चरण सिंह ने स्वयं कहा था कि 77 लाख रुपये की धन राशि इकट्टी की गई है। क्या यह राशि इसलिए प्राप्त हों गई थी, क्योंकि वे शासन में थे ? श्री चरण सिंह को 77 लाख रुपये मिल गए, जब वे केन्द्रीय सरकार में मंत्री बने। श्री फर्नान्डीस को इस बात का पता होना चाहिए। और वे हमें नैतिकता सिखा रहे हैं।

मुझे अफसोस है कि श्री बाजपेयी यहां मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे एक तीखा प्रश्न पूछना चाहता हूं। हरेक आदमी को पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गुरुदक्षिणा के रूप में धनराशि

एकत्रित करता है। गुरुदक्षिणा के नाम में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जा चुका है। श्री बाजपेयी श्री एल० के० अडवाणी और उनके अन्य नेताओं के नाम रिकार्ड पर हैं— जब जनता पार्टी के विभिन्न धड़ों में यह विवाद उठा कि क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक सब राजनीतिक पार्टी है अथवा नहीं— वे एक के बाद एक घोषणा करते रहे कि राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ राजनीतिक पार्टी नहीं है। यदि यह राजनीतिक पार्टी नहीं है तो इसे आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर से छूट नहीं मिल सकती। इसी तरह जब वे आयकर विभाग जाते हैं, तो वे कहते हैं, "हम तो एक प्रकार से राजनीतिक दल की तरह हैं।" मुझे मालूम है कि श्री वेंकटरामन यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जाँच करें।

क्या राजनीतिक नैतिकता के पतन की इससे बढ़कर कोई स्पष्ट मिसाल मिल सकेगी ? या तो आप राजनीतिक पार्टी अथवा राजनीतिक संगठन बन जाइए और आय-कर से छूट का दावा कीजिए अथवा आप कहिए, "हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम छूट का दावा नहीं करते।" लेकिन नहीं, आप तो कहना चाहते है "हम राजनीतिक पार्टी नहीं है और फिर भी एक प्रकार के राजनीतिक पार्टी हैं ; हमें आयकर की रियायत कीजिए।" अतः हमें राजनीतिक नैतिकता की सीख मत दीजिए।

मुझे खुशी है कि श्री बाजपेयी अब आ गए हैं। वे मेरा मुद्दा जानते हैं। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसी के साथ-साथ वे आयकर की छूट का दावा करना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विरुद्ध नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री बाजपेयी सरकार की नैतिकता और मानदण्ड की बात करना चाहते हैं, अपनी नहीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने अभी अपना भाषण नहीं दिया है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जानता हूं कि आप देंगे।

मैं राजनैतिक नैतिकता की बात कर रहा हूं। क्या मैं उन्हें वेंचलिंगम आयोग की याद दिलाऊं ? श्री चरणसिंह श्री मोरारजी देसाई को भ्रष्ट कहते हैं और श्री मोरारजी देसाई कहते

[श्री एच० के० एल० भगत]

हैं कि श्री चरणसिंह भ्रष्ट हैं। क्या मैं उन्हें इस बात की याद दिलाऊं जो श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कही है ? ठीक है मैं श्री बाजपेयी को घसीटना नहीं चाहता, क्योंकि वे संसद में मेरी भांति दिल्ली के चुने गए प्रतिनिधि हैं। अतः अब आप हमें नैतिकता की इस बात की और उस बात की शिक्षा देते हैं तो इससे हमें वास्तव में दुःख होता है।

श्री समर मुखर्जी ने कहा है : देखिए हमें सदन में अपनी बात कहने में रोका गया है। यदि आप समय के आवंटन का हिसाब लगाएं उपाध्यक्ष महोदय आप अच्छी तरह से जानते है कि अब प्रत्येक दल से एक सदस्य को अवसर देने की पद्धति चल रही है, यद्यपि सदन में हमारी संख्या दो तिहाई से ज्यादा है। इस परम्परा का पालन किया जा रहा है मैं इसे मन्त्री और विरोधी दलों के बीच षडयन्त्र की संज्ञा नहीं दूंगा, किन्तु किसी प्रकार एक परम्परा तो कायम हुई है कि सदन में जब कभी कोई बहस होती है, या तो यह कहा जाता है कि मन्त्री जी को अधिक समय दिया गया और कभी यह कहा जाता है कि विरोधी नेताओं को अधिक समय दिया गया किन्तु हम हमेंशा पीछे रह जाते हैं। कभी-कभी मैं महसूस करता हूं कि किसी व्यक्ति को अपना प्रचार करने के लिए या तो मन्त्री होना चाहिए अथवा विरोधी दल में होना चाहिए क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी यही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप मन्त्री बनने का प्रयास कीजिए।

**श्री एच० के० एल० भगत** : इसी प्रकार, शून्यकाल के दौरान प्रातः जब हम सभी आपके धैर्य की परीक्षा करते हैं और आप हमारे साथ सहयोग करने का प्रयास करते हैं—आप भरसक प्रयास करते है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम में से कुछ लोग स्थिति पर नियत्रण करना चाहते है किन्तु अब हम सब चिल्लाते हैं, शायद वे ज्यादा शोर करते हैं, क्योंकि वे विरोधी दलो से है आप भी उनकी ओर से बात शुरू कर देते हैं न कि सत्ता रूढ दल की ओर से। अतः इस सदन के लाड़ले बच्चों की भांति उनका पक्ष लिया जाता है। वे सदन का ज्यादा समय लेते हैं, अनेक उपबंधो के अन्तर्गत जो एक संसदीय लोकतन्त्र में विद्यमान होती है; कई मामले उठाते है और मुझे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। किन्तु यहाँ, श्री समर मुखर्जी कहते है कि—"देखिये हमें बात कहने से रोका गया, इसलिए हम यह अविश्वास प्रस्ताव लाए है।" मैं यह कहना चहूंगा कि इससे व्यर्थ बात और हो ही नहीं सकती। मैं समझता हूं कि अन्य लोगों की अपेक्षा विरोधी दलों द्वारा सदन का अधिक समय लिया जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पिता अपने विशुब्ध बच्चे के प्रति सदैव दया रखता है।

**श्री एच० के० एल० भगत** : यदि कोई नई बात घटित हुई है, आज नहीं अपितु पिछले 4-5 वर्ष के दौरान घटित हुई है तो वह बात जमशेद पुर में हुए दंगों सम्बन्धी जांच आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन है। इसका भी उल्लेख किया गया है। मैं इस मामले को उठाना नहीं चाहता। मैं तो यह कह रहा हूं कि मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को गम्भीरता से लेना चाहता हूं।

अब वे कहते हैं—'ठीक है' आप जा रहे हैं, आप समाप्त होते जा रहे हैं और सारा मामला सामने है। जो मैंने बताया उन्होंने पिछले अविश्वास प्रस्ताव के समय यह बात कही थी। हमने पिछले अनेक आम चुनावों को शानदार ढंग से जीता है। महोदय, मैंने **टाइम्स आफ इण्डिया** के सम्पादक श्री गिरि लाल जैन का एक लेख पढ़ा है। उन्होंने हमारी सरकार की आलोचना की है, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं; उन्होंने अनेक परामर्श दिए हैं; श्रीमती गांधी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं; और अन्त में उन्होंने यह बात भी कही "ठीक है, श्रीमती गांधी वर्ष 1985 में पुनः सत्ता में आने के लिए अपने दल का नेतृत्व करने में समर्थ रहेंगी और "वे 1985 में पुनः विजयी होंगी।" श्री गिरी लाल जैन ने अपने नवीनतम लेख में उनकी काफी कड़ी आलोचना की है और उन्हें सुझाव दिए हैं कि उनकी सरकार धीमी गति से चल रही है, इसे तीव्र गति से चलना होगा उसे तेजी अवश्य लानी होगी आदि आदि। किन्तु उन्होंने कहा है—"दुर्भाग्य से यहां कोई विरोधी पक्ष नहीं है।" जैसा कि मैंने बताया, उनकी यह स्थिति है, हम चाहते हैं कि विरोध दल एक हों शक्तिशाली बनें, हम उनसे निपट सकते हैं आदि आदि। अभी मेरे मित्र ने कहा कि कहना आसान है। उन्होंने काफी कड़े शब्द प्रयोग किए थे और अन्ततः श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा, 'मैं यह बात कहना नहीं चाहता, और किसानों, मजदूरों तथा खेतीहरों आदि के साथ क्या कुछ हो रहा है ? जैसा कि मैंने बताया है इसका मूल्य उद्देश्य संमाचार पत्रों में मुख्य शीर्षक माना है— या तो मंत्री की बात को बढा चढाकर छापा जाता है—महोदय, मैं सोने की नीलामी के घोटाले के बारे में कल काफी लम्बे समय तक बोला था, जिसमें मैंने इसे शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले की संज्ञा दी थी जिस पर यहां बैठे मेरे सभी मित्र और मंत्री भी बैठे थे किन्तु समाचारों मे मुझे केवल दो पंक्तियां प्रदान की गई है किन्तु आल इण्डिया रेडियों और दूरदर्शन में मुझे कोई स्थान नहीं दिया था। इसका दोष किसे दिया जाए ? (**व्यवधान**)। मैं तो यह कह रहा हूं कि इस सरकार पर इस कारण भी नाहक ही दोष लगाया जाता है। (**व्यवधान**)। मुझे यह बात पूछने का पूरा अधिकार है। (**व्यवधान**)। मैं यह बात कह रहा हूं। (**व्यवधान**) महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, श्री समर मुखर्जी तथा अन्य लोगों ने कहा है कि देश में अराजकता फैली हुई है। पहली बात है कि क्या वास्तव में अराजकता है ? और पहली बात है। यह सच है कि अराजकता फैलाने के कुछ प्रयास हुए हैं ? चाहें वे आसाम में हुए हों, चाहें वे पंजाब में हुए हों; चाहें वे वसूली रोकने के प्रयास के रूप में हुए हों, चाहें महत्वपूर्ण उद्योगों को अस्त-व्यस्त करने के प्रयास हों अथवा साम्प्रदायिकता जातिवाद को बढ़ाने के प्रयास हों, यहां-वहां गड़बड़ी चल रही है। स्थिति तो यह है कि उनमें से कुछ लोगों ने अराजकता में अपने निहित स्वार्थों का विकास कर लिया है। वे अराजकता की बात करते हैं। बाहर वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं— 'दोनों अब सूखे की स्थिति है। देखते हैं श्रीमती इन्दिरा इससे कहां तक निपटने में समर्थ होंगी।'

[श्री एच० के० एल० भगत]

मेरा कहना है कि कुछ विरोधी सदस्यों ने अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने में अपने स्वार्थों का विकास किया है। हमारे एक मित्र ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह स्थिति पैदा हुई है, वह स्थिति पैदा हुई है, मैं नहीं मानता। माननीय प्रधान मंत्री यह बात बता सकती हैं। (व्यवधान) और अन्त में, मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि देश की वित्तीय स्थिति विकट है, इसमें सुधार के कुछ लक्षण नजर आए हैं, किन्तु प्रत्येक देशभक्त भारतीय ने चाहें वह इस दल में हो अथवा उस दल में अथवा निर्दलयी हो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी कमर कसने के लिए तैयार होना होगा स्थिति का सामना करने के लिए त्याग हेतु तैयार होना होगा, जिससे कि हम इस संकट पर काबू पा सकें। श्रीमती गांधी यहां पर उपस्थित हैं, में परेशानी का अनुभव करता हूं, वे भी परेशानी का अनुभव करती होंगी, किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि वे संकट की इस सबसे कठिन समय में तथा चुनौती के इस समय खड़ी हुई हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव तुच्छ है, निर्थक है और साधारण है। यह केवल तमाशा है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमती गाँधी देश में इस स्थिति का सामना करने तथा देश में उन्नति लाने में समर्थ होंगी। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राम जेठलानी। आपके दल को 13 मिनट का समय दिया गया है। (व्यवधान)। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। वे कुछ अतिरिक्त समय की मांग करेंगे। अतः आप व्यवधान न डालिए।

**श्री राम जेठमलानी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने अत्यन्त प्रिय मित्र जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ लम्बा भाषण दिया है और इस देश के प्रधान मंत्री के प्रस्थान की पूर्व संध्या पर विरोधी दल के सदस्यों के विरूद्ध आरोप लगाया है, अभी सुना है और कहा है कि हम उन्हें परेशान करने के लिए ही एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसे उन्होंने **तमाशे** की संज्ञा दी है···।

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैंने अनेक तर्क दिए हैं।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं समझता हूं कि आरोप इतने घटिया किस्म के हैं कि इन पर गम्भीरता से विचार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु क्योंकि आरोप लगाए गए हैं अतः कम से कम मैं तो एसी किसी धारणा के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री स्वयं अथवा श्री भगत सहित उनके सहयोगी और प्रमुख सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि यदि किसी बुद्धि जीवी अथवा नैतिक धारणा जीवन भर मैंने आनन्द लिया है, तो मैं हूं जिसका मैं जीवनभर आनन्द लेता रहूंगा, और यहां के बाद भी यह आनन्द लेता रहूंगा। मेरा यह पक्का विश्वास रहा है और आगे भी रहेगा कि यदि कोई बेइमान भारतीय हैं तो प्रत्येक भारतीय का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए और उन्हें बेइमान व्यक्ति के कृत्य के लिए उत्तरदाई होना चाहिए··· (व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** : उन्होंने आपका नाम नहीं लिया।

**श्री राम जेठमलानी** : यहां पर अपने मित्रों की अनभिज्ञता पर मुझे आश्चर्य है। वे यह भी नहीं जानते कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं उन्हें अपनी सीटों से उछल जाना चाहिए।

मैं इस सदन में उस पत्र को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसे मैंने अंतुले विवाद के जनता में फैलने से पूर्व प्रधान मंत्री को लिखा था। इस पत्र का मसौदा कम से कम इस बात को तो प्रकट कर ही देना कि क्या मैं इस किस्म का प्रचार करना चाहता था अथवा इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। यह पत्र 25 जुलाई का है। मैं उद्धृत करता हूं :

"माननीय प्रधान मंत्री,

कुछ झिझकते हुए मैंने महाराष्ट्र में आपके मुख्य मंत्री के कुकृत्यों को आपकी जानकारी में लाने का निर्णय किया है। 'इण्डियन एक्सप्रैस' ने इसे अमानवीयता के कृत्य की संज्ञा पूरे औचित्य के साथ दी है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में उन बातों की पुनरावृत्ति हो जाती है जिन्हें पिछले समय से अलग नहीं किया जा सकता। एक रूप से मुझे आपके मुख्य मंत्री चुनने के विकल्प पर प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। जब पानी ही सिर से उतर जाए, तो महाराष्ट्र का एक मतदाता होने के नाते....."

—शब्द "महाराष्ट्र का एक मतदाता होने के नाते को ध्यान से देखिए"—

".....मेरी कार्यवाही न्यायोचित हो सकती है। मैं आपको वह सब कुछ बताना चाहूंगा कि जो कि घटित हुआ है।"

श्री भगत इन शब्दों का अर्थ लेंगे :

"बशर्ते कि आपको आप मुझसे 'कुछ एकांत में मिलने की एलर्जी न हो," वहां पर नहीं यहां प्रचार विद्यमान होता है। "शायद आपको याद होगा कि हमारी पिछली मुलाकात काफी सुखद थी।"

प्रधान मंत्री ने अपने विवेक से निर्णय लिया कि उनके और मेरे बीच बैठक राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षित नहीं थी। मुझे कहा गया था कि मैं उनके निजी सचिव से मिला। मेरे सम्मान तथा दुर्भाग्य को, जिसे वे कैद कर रही थीं तथा जिसे मैं उनसे बचाना चाहता था, के कारण मैंने उनके निजी सचिव से न मिलने का निर्णय किया। मैंने उनके निजी सचिव को लिखा कि मुझे खेद है कि निजी सचिव के प्रति समस्त सम्मान के बावजूद, जिनके विषय में मैंने काफी प्रशंसा सुन रखी है, मैं इस अवसर पर, जबकि मैंने प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट की है, निजी सचिव से नहीं मिलूंगा।

जब मैं देश से बाहर था तो यह विस्फोट स्थिति उत्पन्न हुई। जब सारा मामला पहले ही जनता के सामने आ चुका है और जनता की जानकारी में है, तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ बातें इसमें और शामिल कर दूं, जिन्हें मैं किसी न किसी कारखाना, प्रधान मंत्री को बताना चाहता था, जिन्हें वे भी अच्छी तरह से जानती है और उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया था, अब बताना

[श्री राम जेठमलानी]

अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मेरे मित्र कम से कम एक बात में मेरा आदर करेंगे तथा एक बात का श्रेय मुझे देंगे कि मैंने इस मामले के जनता में आने से पूर्व उनकी नेता से इस मामले पर एकांत में चर्चा करनी चाही थी।

यह सच है कि यह अविश्वास प्रस्ताव वर्तमान भारत सरकार के विरूद्ध है। एक रूप में यह अविश्वास प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के विरूद्ध है। मैं इस तथ्य के प्रति सचेत हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव श्री अंतुले के विरूद्ध नहीं है और मैं इससे भी आगे जाने तथा अपने को और सीमित करने के लिए तैयार हूं। श्रीमती गांधी और उनके दल ने जनवरी 1980 के चुनावों में शानदार बहुमत के साथ विजय प्राप्त की। चुनाव से पूर्व उनके साथ मेरे कुछ भी राजनीतिक मतभेद रहे हों, मेरी दृष्टि में, यद्यपि उन्होंने तथा उनके दल के लोगों ने इस बात से इंकार किया है, उनके पूर्व कुकृत्य कुछ जी रहे हों, चुनाव परिणाम हम पर राजनीतिक तथा नैतिक प्रतिबन्ध लगाते हैं कि हमें पिछली बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं इस बात के लिए तैयार था और इन बातों के लिए अब भी तैयार हूं कि पिछली बातों को पुनः नहीं उखाड़ा जाना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती गाँधी की सरकार द्वारा जनवरी, 1980 के बाद सत्ता सम्भालने के बाद किए गए कुकृत्यों तथा ठोस प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए और राजनीतिक राय के अनुरूप होना चाहिए, चाहें हम इसे कितना भी नापसन्द करें।

कुछ सीमा तक में इससे हटने चाहूंगा क्योंकि जनवरी, 1980 से पूर्व की कुछ घटनायें इस सदन से सम्बद्ध हैं। (व्यवधान)

श्री महाजन, आप एक वकील हैं। कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार व्यवहार किया जाए। (व्यवधान)

**श्री एच० के० एल० भगत** : आप दूसरे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं कुछ पिछली बातों का उल्लेख करूंगा। किन्तु मैं इसका उल्लेख केवल इस बात पर प्रकाश डालने के लिए करूंगा, जिस पर हम आज पूर्वाह्न अथवा इस मध्याह्न चर्चा कर रहे हैं।

वर्तमान सरकार पर मेरे दो आरोप हैं। एक आरोप तो मुख्य रूप प्रधान मंत्री पर है और यह आरोप है कि पूरी जानकारी होते हुए—मैं दावा करता हूं तथा सिद्ध कर दूंगा की तथ्यों की पूरी जानकारी होते हुए भी कि महाराष्ट्र के ठीक मंत्री के चरित्र, पूर्व-वृत्त**तथा कृत्यों की जानकारी होते हुए भी न केवल उन्होंने उनकी नियुक्ति की अपितु उनका बचाव भी किया, उन्होंने उन्हें इस पद चलते रहने दिया, उनके विरूद्ध कही जाने वाली बातों के लिए अपनी आँखें और कान बन्द कर और उस व्यक्ति के दोषों तथा उसके**···विपरीत सभी जोरदार सबूतों की उपेक्षा करती रहीं। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**श्री राम जेठमलानी** : यदि आप निजी रूप में भी ऐसा करते तो आप इन बातों में सफल नहीं होते ।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : मेरे द्वारा क्या हस्तक्षेप के लिए क्षमा कीजिए । श्री अंतुले से जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, इस ढंग से निपटना क्या उचित है ?

**श्री राम जेठमलानी** : अध्यक्ष महोदय इस बारे में पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं । उस समय आप यहां नहीं थे ।

**श्री एच० के० एल० भगत** : आप काफी वरिष्ठ संसद होने का दावा करते हैं ।

**श्री राम जेठमलानी** : महोदय, आप व्यवधान के समय का ध्यान रखिए । आपको मेरे समय में इसे शामिल नहीं करना चाहिए ।

हम 5 जून, 1973 की रात को पुनः वापस लौट रहे हैं । महाराष्ट्र की वह जगह जहां दो महत्वपूर्ण सड़कें आकर मिलती है वडकल नाका पर एक घटना घटी, जहां पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारी निषिद्ध सोने को, जिसे अलीबाग से उस क्षेत्र से होकर ले जाए जाने की सम्भावना थी पकड़ने के लिए स्वयं तैनात थे :

मध्य रात्रि के कुछ देर-बाद—मैं विवादास्पद तथ्यों में, ऐसे किसी तथ्य में जिससे इंकारा किया गया है, नहीं जाता; मैं तो केवल उन्हीं तथ्यों का जिसे श्री अंतुले ने विधान सभा तथा जनता में स्वीकार किया है, प्रयोग करूंगा तथा सौभाग्य द्वारा इसके लिए नियुक्त की गई समिति के समक्ष भी स्वीकार किया है—कि लगभग रात्रि 12.30 बजे एक कार गुजरी थी, जिसे सीम शुल्क अधिकारियों ने रोका, जो सोने की तलाश कर रहे थे···

**श्री जनार्दन पुजारी** (मंगलूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

**श्री जनार्दन पुजारी** : नियम 353 में लिखा है —

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधारोधक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो···"

अब वे आरोप लगा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अध्यक्ष महोदय को कोई सूचना दी है···।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं स्वीकार किए गए तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं ।

**प्रो० मधु दंडवते** : वे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

**श्री जनार्दन पुजारी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय को कोई सूचना प्राप्त हुई है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री जेठमलानी, कृपया कोई आरोप न लगाइए। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। (**व्यवधान**) उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

**प्रो० के० के० तिवारी :** कृपया एक क्षण मेरी बात सुनिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया है। हम इसका ध्यान रखेंगे।

**श्री राम जेठमलानी :** पिछले दस दिनों में सिवाय अंतुले प्रकरण पर चर्चा करने के सिवाय यहां क्या हो गया है···(**व्यवधान**)

**जे० के० के० तिवारी :** महोदय, मुझे एक अनुरोध करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने लिखित रूप में कुछ भी नहीं दिया है···(**व्यवधान**)। इस पर मुझे आपकी अनुमति चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

**आचार्य भगवान देव :** इस तरह से उनका नाम लेकर बोले, की क्या इनको इजाजत दी जा सकती है ? अगर ··(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया है। हम देख लेंगे। श्री जेठमलानी नियमों को जानते हैं। वे बड़े वकील हैं।

**आचार्य भगवान देव :** अगर ये इस तरह से नाम लेकर बोलेंगे तो हम भी इनकी पोल खोलेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है···(**व्यवधान**)

**श्री राम जेठमलानी :** सीमा शुल्क अधिकारी···(**व्यवधान**)।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

**आचार्य भगवान देव :** इनकी गतिविधियां क्या रही हैं, देश के विरुद्ध इन्होंने कैसी-कैसी गद्दारी की है, सारी चीज हम पेश करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया व्यवस्था रखिए।

**श्री राम जेठमलानी :** मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि वे ऐसे लोगों से पार्टी को निकाल दें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया आप अध्यक्ष पीठ को सम्बन्धित करें। (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइये।

**श्री राम जेठमलानी** : आप कृपया व्यवस्था स्थापित करें। सीमा शुल्क अधिकारियों ने प्रत्येक कार की तलाशी लेने का फैसला किया। 12.30 बजे एक कार, जिसकी वे तलाशी लेना चाहते थे···(**व्यवधान**) यद्यपि आप उनसे भी गए बीते हैं, मैं आपके लिए भी प्रस्तुत होऊँगा···**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें उत्तर न दीजिये।

**श्री राम जेठमलानी** : कार को रोका गया और उसमें से महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री बाहर निकले इन दिनों के बैरीस्टर और मिनिस्टर। यह एक मान्य बात है। श्री अन्तुले कहते हैं क्योंकि उन्होंने कार में उन्हें पाया अतः कार की तलाशी नहीं ली गई···।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : यह बहुत पहले हुआ था। क्या वे इन बातों का उल्लेख करने जा रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया नामों का उल्लेख न करें। यदि आप अंतुले का नाम लेते हैं, तो यह एक आरोप बन जाता है। अतः आप नाम का उल्लेख न करें···। (**व्यवधान**)

**श्री राम जेठमलानी** : अविश्वास प्रस्ताव में हम इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि ये क्या सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल की जानकारी में हैं। आप अंतुले के नाम का उल्लेख करने से हमें क्यों रोक रहे हैं ?···

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया नाम का उल्लेख न करें और भाषण भारी रखें···। (**व्यवधान**)

**श्री राम सिंह यादव** (अलवर) : नियम बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि श्री अन्तुले ने महाराष्ट्र विधान सभा में स्वीकार किया है। आप कृपया नियम 354 पढ़ें जो यह बताता है :—

राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मन्त्री द्वारा दिया गया कोई नीति सम्बन्धी निश्चित वक्तव्य न हो :

परन्तु अध्यक्ष, उससे पहले से निवेदन किये जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिए गए किसी भाषण को उद्धृत करने या उस सभा की कार्यवाही का उल्लेख करने को अनुज्ञा दे सकेगा यदि अध्यक्ष यह समझे कि ऐसा करना किसी सदस्य के लिए को विशेषाधिकार के प्रश्न या प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।

मेरा निवेदन यह है कि किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी विधान सभा में अथवा किसी अन्य सदन में कही गई किसी भी बात का यहां पर उल्लेख नहीं किया जा सकता है और उन्होंने श्री अन्तुले के वक्तव्य का उल्लेख किया है। वे यह नहीं कर सकते।

**अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**श्री जनार्दन पुजारी :** यह वही बात है जो **कौल और शकधर** ने अपनी पुस्तक में कही है :

"किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोगात्मक स्वरूप के मानहानि के वक्तव्य अथवा आरोप लगाना संसदीय वाद विवाद और प्रतिष्ठा को नियमों के विरुद्ध है और स्थिति और भी खराब होगी यदि इस प्रकार के आरोप किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाए जाएं जो अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हो सकता । सदन को एक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए—इस सदन को एक मंच नहीं बनाना चाहिए—जहाँ पर किसी व्यक्ति के आचरण और चरित्र की बदनामी की जाए क्योंकि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं । इस सदन में दिए गए वक्तव्य जो सदस्यों का विशेषाधिकार है अपना बचाव नहीं कर सकता है । लोगों की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए, समान्यतः यह आवश्यक है कि सदस्य स्वेच्छा से संयम रखें—उन्हें स्वैच्छिक संयम बरतना चाहिए—अत्यन्त आवश्यकता के मामले में ही जहां जनहित का प्रश्न हो आरोपों का सहारा लिया जाना चाहिए । यद्यपि इस प्रकार के मामलों में यह आवश्यक है कि सम्बन्धित मंत्री को मामले की जांच के लिए और यदि आवश्यक हो तो, सम्बन्धित व्यक्ति की ओर से बचाव पेश करने का उचित अवसर दिया जाये ।"

महोदय, अब उन्हें नियमों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने जो अन्तिम वाक्य कहा है वह स्वैच्छिक संयम है। मेरे विचार से श्री जेठमलानी नियमों को जानते हैं और मुझे आशा है कि वे नियमों का पालन करेंगे ।

**श्री राम जेठमलानी :** प्रथम कार के पीछे एक और कार थी जिसमें मंत्री महोदय का सरकारी सुरक्षा अधिकारी था । सीमा शुल्क अधिकारी उस कार की तलाशी लेना चाहते थे। उनका सुरक्षा कर्मचारी कार से नीचे उतर गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मन्त्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ दूसरा कोई सम्बन्ध है ?

**श्री राम जेठमलानी :** मैं आपको एक मिनट में बताऊगां

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से इसका कोई सम्बन्ध है ?

**श्री राम जेठमलानी :** जी हां ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** तो ठीक है । क्या मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ इसका कोई सम्बन्ध है···

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सीमा शुल्क अधिकारी सम्बन्ध है । मैं आपको सम्बन्ध बताऊंगा ।

**श्री राम जेठमलानी** : उस रात कारों की तलाशी नहीं ली जा सकी। **सुरक्षा कर्मचारी और एक के अनुरोध पर पुलिस द्वारा एक सीमा शुल्क अधिकारी को गिरफ्तार किया गया जिसके परिणाम स्वरूप हड़बड़ाहट में तीसरी कार निकल गई। ये तथ्य स्वीकार किए गए है···

**उपाध्यक्ष महोदय** : मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ इसका क्या सम्बन्ध है ?

**श्री राम जेठमलानी** : मैं उसी पर आ रहा हूं। 1973 में इन तथ्यों को पूरी तरह प्रकाशित किया गया है, इन्हें केवल पूरी तरह प्रकाशित ही नहीं किया गया अपितु इस पर चर्चा भी की गई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कोई नाम लिया गया तो उसे कार्यवाही वृतांन्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

**श्री राम जेठमलानी** : यह जांच की विषय वस्तु है। महोदय, कोई भी व्यक्ति यदि वह इतना ईमानदार है जितना इस लिहाज से वे थे अथवा उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति—इस आश्य से नहीं कि कोई व्यक्ति यदि किसी फौजदारी न्यायालय में पेश होता है—कार से नीचे उतर आता और कहता कि चूंकि आप यह एक ठीक कार्य के लिए··· (व्यवधान)

**श्री भगन भाई बरोट** : सदन में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य, इस प्रकार से उस व्यक्ति के आचार का हवाला देना जारी रखे हुए है, जो अपने बचाव के लिए सदन में उपस्थित नहीं है। यह उचित नहीं है।

**श्री राम जेठमलानी** : यह आप लोगों का आचार है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।

**श्री मगन भाई बरोट** : आप बेशक हमारे बारे में बोले परन्तु उस व्यक्ति के बारे में नहीं जो सदन में नहीं है।

**श्री राम जेठमलानी** : अब, महोदय, 1973 में यह आचार प्रधान मन्त्री सहित कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक सदस्य को अच्छी तरह मालूम था। फिर, महोदय, आपात काल की अवधि आती है। आपातकाल के दौरान, इन महानुभाव ने···

**उपाध्यक्ष महोदय** : अविश्वास प्रस्ताव का आपात काल के साथ क्या सम्बन्ध है ?

**श्री राम जेठमलानी** : कृपा मेरी बात सुने।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मूल विषय पर आएं। 1980 से यह सरकार सत्ता में है। आप इन पुरानी बातों पर क्यों जाते हैं। यह ठीक नही है। श्री जेठमलानी, मुझे आपको पढ़ाना होगा ? यह सरकार 1980 से सत्ता में है। 1980 के पश्चात् मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। पहले से ही एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसलिए, अब, मैं यह भी कहूंगा कि यह अविश्वास प्रस्ताव गत मई से शुरू होता है। कृपया पीछे मत जाएं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांन्त से निकाल दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

कृपया मेरी सहायता करें। मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं। मैं एक बहुत छोटा कर्मचारी हूं। इसलिए, कृपया मेरी सहायता करें।

**श्री राम जेठमलानी** : विगत इतिहास छोड़ दें। अब सुने।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या अविश्वास प्रस्ताव में कोई केन्द्रीय मंत्री फंसा हुआ है अथवा क्या प्रधान मंत्री उसमें फंसी हुई है। (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइए। अविश्वास प्रस्ताव की विषय वस्तु पर आएं।

**श्री राम जेठमलानी** : आप मुझे 1977 से 1988 तक का हवाला देने की अनुमति नहीं देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको यह बता रहा हूं। मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। श्री जेठमलानी को मुझ से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं वर्तमान पर आता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदैव वर्तमान पर आयें। पीछे कभी न देखें। सदैव आगे देखें।

**श्री राम जेठमलानी** : यहां महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री हैं। जनवरी 1980 के चुनावों के पश्चात्—हम उनके जनवरी 1980 से पूर्व के कामों अथवा कुकृत्यों को भूल जाते हैं···

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया विषय पर बात करें।

**श्री राम जेठमलानी** : प्रत्येक व्यक्ति फिएट अथवा एम्बेसेडर कार खरीदता है। यह महानुभाव टोयोटा कार जिसकी कीमत $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये है खरीदते है। जबकि प्रधान मन्त्री भी फिएट अथवा एम्बेसडर कार का इस्तेमाल करती हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के बारे में कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी। विषय पर बात करें। वे आपको उत्तर देने के लिए यहां नहीं है। यह तरीका नहीं है। कृपया उचित विषय पर आयें।

**श्री राम जेठमलानी** : परन्तु महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री···

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाया गया कोई भी आरोप कार्यवाही वृतांत के शामिल न करें। कृपया कार्यवही वृतांत से निकाल दें।

**श्री राम जेठमलानी** : निष्कर्ष निकालने के लिए मैं आधा मिनट चाहता हूं। यदि एक व्यक्ति सार्वजनिक धन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो अनुमान यह है कि वह ईमानदार नहीं हैं; इसका अनुमान यह है कि प्रधान मंत्री जो उन्हें पद पर बनाए रखती है उनकी उस बेइमानी में मौन स्वीकृति हैं और वे इन कुकृत्यों को प्रोत्साहित करने पर कटिबद्ध हैं। तर्क से लिए बात यह है कि आप उसके कुकृत्यों को जानते थे और ये कुकृत्य··· (**व्यवधान**)

**श्री जगदीश टाईटलर :** महोदय, तस्करों का बचाव क्यों करते है ?

**श्री राम जेठमलानी :** महोदय, मैंने पहले भी कहा है, और मैं उसे दोहराना चाहता हूं। मैंने कई तस्करों का बचाव किया है। मैं न्यायालय में उनका बचाव अब की करता हूं। परन्तु आज मेरी प्रेक्टिस दशांश रह गई है क्योंकि मेरे 90 प्रतिशत मुव्वकिल ने उस दल में प्रवेश पर लिया हैं।

महोदय, मैं आपको एक दूसरा रहस्य बताना चाहूंगा। यदि आप उनके घरों में जायें आजकल के सक्रिय तस्करों के घरों में जायें तो आपको उनके घरों में प्रधान मन्त्री का चित्र मिलेगा जिसकी पूजा वे काली अथवा दुर्गा के समान मरते हैं। वे अब उनके लिए देवी बन गई है **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाइये।

**श्री राम जेठमलानी :** प्रधान मन्त्री इन युवकों को चिलाने से क्यों नहीं रोकती हैं ?

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह है कि इस महानुभाव ने अपनी पाचक नली में थोड़ी सी छोटी सी बीमारी, जिसकी जानकारी प्रधान मंत्री और सरकार को थी, के साथ स्वेज नहर को पार किया और अपने आपको लन्दन के एक अस्पताल में दाखिल करवाया। क्या प्रधान मन्त्री यह नहीं जानती कि कोई भी ईमानदार मुख्य मन्त्री अपने आप इतना खर्च वहन नहीं कर सकता। यह कैसे हुआ कि प्रधान मन्त्री अथवा वित्त मन्त्री···**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह उचित नहीं है। कोई भी अपमान जनक अथवा मनाहानिकर बात कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जाएगी। मैं इसका ध्यान रखूंगा।

**श्री राम जेठमलानी :** क्या इस ट्रिप की जानकारी प्रधान मन्त्री अथवा वित्त मंत्री को नहीं थी ? यदि इस ट्रिप की जानकारी उन्हें है तो उन्हें पड़ताल अवश्य करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक प्लेटफार्म भाषण है न कि संसद में दिया जाने वाला।

**श्री राम जेठमलानी :** आप रोकने के लिए उत्सुक क्यों हैं ? आप हर स्तर पर स्ततक्षेप कर रहे हैं क्योंकि वे आप से ऐसा ही चाहते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सरकार यह जानती है कि इस व्यक्ति को लन्दन के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था ? क्या उन्होंने इस बात की जांच की है इलाज के लिए किसने भुगतान किया ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया विषय पर बोलें ?

**श्री राम जेठमलानी :** आपका तात्पर्य क्या हैं ? क्या यह विषय नहीं हैं ? **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया अपनी-अपनी जगह बैठ जायें। मुझे सदन को मार्गदर्शन करना है आपको सदन का मार्गदर्शन नहीं करना है।

**श्री राम जेठमलानी :** विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम जैसी व्यवस्था हमारे यहां लागू है ? **(व्यवधान)**

**श्री राम जेठमलानी** : मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बारे में जांच न करने के लिए अपने वैधानिक और संविधानिक कर्त्तव्य को निभाने में असफल हुई है। यह व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों की आवभगत पर चल रहा है'''(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सभी बातें मन्त्री परिषद के विरुद्ध नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूं। यह मन्त्री परिषद में विरुद्ध नहीं हैं। अन्तुले के बारे में वह बोल रहें है।

**श्री राम जेठमलानी** : जी हां, मैं अन्तुले के सम्बन्ध में बोल रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ दूसरा क्या सम्बन्ध है ? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं।

**श्री राम जेठमलानी** : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक सरल सी बात को क्यों नहीं समझ रहे ?

हमारा आरोप यह है कि मुख्य मंत्री केन्द्रीय नियमों के खिलाफ अपराध कर रहा है और यह सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है; वे आपस में सांठ गांठ किए हुए है; उन्हें उसे पद से हटा देना चाहिए था; परन्तु वे उसे पद पर बनाए हुए हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अस्पताल और वन्य बातों की चर्चा कर रहे है।

**श्री राम जेठमलानी** : लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जनता को मालूम होना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक हैं। आप कृपया अपने अगले प्वाइंट पर आयें।

**श्री राम जेठमलानी** : मैंने 1973-80 के बारे में कहा है; मैंने लन्दन के अस्पताल की बात की है। अब मैं आपको पैरिस के बारे में बताऊंगा। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शान्त रहें। आपको अब अपना वक्तव्य समाप्त करना है।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं आपके लिए समाप्त करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन सभी व्यवधानों के साथ आपने 30 मिनट ले लिए है।

**श्री राम जेठमलानी** : दूसरे ट्रिप में यह व्यक्ति पैरिस में रहता है फ्रेंचे रिर्वेवेरिया के अत्यधिक खर्चीले होटल में। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जो विदेशी मुद्रा के बारे में चिन्तित हैं वे इस सम्बन्ध में जांच करें; किसने पैरिस के होटलों का भुगतान किया ? किसने इन फ्रेंच रिर्वेवेरिया के लिए भुगतान किया। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो भ्रष्टाचार क्या है ? यदि आप भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, तो आप स्वयं भी भ्रष्ट हैं। इसीलिए आप अपने इस **मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**वित्त मत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं उनसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? आपने इस पर एक भी प्रश्न क्यों नहीं किया ? आपने इस बारे में मुझे एक भी पत्र क्यों नहीं लिखा ? अब आप किस तरह यह आरोप लगा सकते हैं ?

**श्री राम जेठमलानी** : यह पत्र मेरे पास है। आपके प्रधान मन्त्री(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे श्री वेंकेटरामन को उत्तर दे रहे है।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं अपनी सरकार के सबसे उच्च व्यक्ति के पास जाना चाहता था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री ही उचित व्यक्ति है जिसके पास आपको जाना चाहिए था।

**श्री आर० वेंकटरामन** : नियमों के अन्तर्गत यदि इस प्रकार का कोई अपराध किया जाता है और इस सम्बन्ध में विरोधी दलों के पास कोई सूचना है तो विरोधी दल ने इस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं किया ? उन्होंने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा ? उन्होंने कोई और कार्यवाही क्यों नहीं की ? वे इस पर आखिरी मिनट की इन्तजार क्यों करते रहे हैं उस खिलौने की तरह जो बाक्स खुलते ही बाहर निकल आता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया आप अपने दूसरे प्वांइट पर आएं। आपको अब अपना वक्तव्य समाप्त करना है।

**श्री राम जेठमलानी** : दो ऐसे मामले है जो स्वयं प्रधानमंत्री को भी मालूम है। ये वित्त मंत्री को भी मालूम है। ये मंत्रिमण्डल के प्रत्येक मंत्री को मालूम है। इसलिए वे दोषी हैं। यह मेरा आरोप नम्बर एक है। (व्यवधान)** (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शांत रहें। शान्ति, शान्ति।

**श्री राम जेठमलानी** : एक भवन निर्माता जिसने भवन का निर्माण किया था वह उसे एक बहुत ऊंचे मूल्य पर इन्डों-स्वेज बैंक को किराये पर देना चाहता था। नियमों के अन्तर्गत उसे सरकार से आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था। श्री अन्तुले ने वह विभाग अपने पास रखा और जब वह व्यक्ति अपने पास आता है तो उससे पूछा जाता है**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप आरोप लगा रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं। किया जायेगा।

आपको यह आरोप महाराष्ट्र विधान सभा में लगाना चाहिए। (व्यवधान)

---

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम बहुत ही स्पष्ट है। में इसे पढ़ता हूं। श्री जेठमलानी महोदय कृपया बैठ जाइये।

मैं अब नियम पढ़ूंगा।

यह बताता है बोलने के समय ध्यान में रखने वाले नियम' श्री जेठमलानी जी कृपया बैठ जाइये।

कोई भी सदस्य यह नहीं कर सकता, यथा उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के आचार की उपेक्षा पूर्ण आलोचना करना जब तक कि वाद-विवाद उचित नियमों के द्वारा एक मूल-प्रस्ताव पर आधारित न हो। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके विरुद्ध अपमानजनक प्रकार की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगा रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : लगाया गया कोई भी आरोप कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

**श्री राम जेठमलानी** : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व कृपया मेरी बात सुन लें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त करें। मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं। अब, आप किस नियम के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

**श्री राम जेठमलानी** : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। किसी दूसरे व्यक्ति ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आप उसे मेरी बात सुने बिना अनुमति दे रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आपके पास मंत्री परिषद के विरुद्ध कोई और मामला हो तो कृपया बोले।

**श्री राम जेठमलानी** : मंत्री परिषद के विरुद्ध मेरा यह आरोप है कि उन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार हो रहा है···

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सभी बातें कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी। कोई भी आरोप अथवा इस प्रकार की कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएगी। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बात करें। ये सभी व्यक्तिगत आरोप हैं। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**)

**श्री राम जेठमलानी** : महोदय, क्या मुख्य मंत्री द्वारा रिश्वत लिया जाना एक व्यक्तिगत आरोप है। मेरे विचार से यह नियमों का गलत प्रकार से बयान किया जाना है। मुझे खेद है कि आप नियमों को तोड़-मरोड़ रहे हैं। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह महाराष्ट्र सरकार का कार्य है। आप उस विधान सभा के सदस्य बने और फिर वहां यह प्रश्न करें। श्री अन्तुले महाराष्ट्र विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। आप कृपया अपने दल के सहयोगियों से कहें कि वे यह मामला वहां उठाएं। वह इस सदन के सदस्य नहीं है।

**श्री राम जेठमलानी** : कोई भी राज्य मंत्री राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है कि वे प्रधान मंत्री के प्रति उत्तरदायी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे वकील हैं, श्री जेठमलानी।

**श्री राम गोपाल रेड्डी** : महोदय, आपने कितना समय दिया है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनके समय में व्यवधान बहुत रहे हैं। मैंने उन्हें 'बोनस समय' दिया है।

**श्री राम जेठमलानी** : आइये अब हम उस मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में बात करें जो सीधे प्रधान मंत्री के नियंत्रण में हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर आप नहीं बोले हैं। आपने स्वयं यह माना है।

**श्री राम जेठमलानी** : बिलकुल नहीं। (व्यवधान) मैं अब विवादास्पद प्रश्न पर नहीं बोलना चाहता कि प्रधानी मंत्री ने एक विशिष्ट न्यास (ट्रस्ट) के साथ अपना नाम जोड़े जाने की अनुमति दी थी अथवा नहीं। मैं उस प्रश्न पर नहीं बोलना चाहता। (व्यवधान) परन्तु प्रधान मंत्री ने वित्त मंत्री के माध्यम से कम से कम एक बात स्वीकार की है। अब तक वे स्वयं इस बारे में नहीं बोली हैं। परन्तु वे अपने मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों और अपने के माध्यम से बोली हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इससे कम उन्होंने न्यास के उद्देश्यों को आशीर्वाद दिया है। मैं यह कहता हूं और मैं आरोप लगाता हूं कि वे इस न्यास के उद्देश्यों को जानती थीं। इस न्यास के उद्देश्यों को···(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया विषय वस्तु के बारे में बोलिए। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री राम जेठमलानी** : यह मेरी अंतिम बात है। महोदय, अब मैं यह आरोप लगाता हूं कि कोई भी व्यक्ति, जो उस ट्रस्ट के दस्तावेज और उस ट्रस्ट में जो उद्देश्य उल्लिखित हैं, उनको पढ़ता है तो वह इसी एक निष्कर्ष और इस देश की राजनीति के संदर्भ में इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यह ट्रस्ट···**प्रयोजनों के लिए बताया गया या और इस देश के प्रधानमंत्री ने उन**पर आशीर्वाद दिया है।

अब, वे ** हैं (व्यवधान) मैं आरोप लगाता हूं कि इस ट्रस्ट, जिसके साथ प्रधान मंत्री ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके स्वयं को सहबद्ध किया है चाहे उस दस्तावेज की विषय-वस्तु कुछ

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री राम जेठमलानी]

कुछ भी हो, का मुख्य प्रयोजन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धनराशि एकत्रित करना है, उसका प्रयोजन इस देश के असुविधाजनक बुद्धिजीवियों को घूस देना और उनको खरीदना है और विपक्ष को समाप्त करना है (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री राम जेठमलानी** : प्रत्येक वाक्य के लिए आप सलाह देते जा रहे हैं।

**डा० कृपासिंधु भोई** : महोदय, उन्होंने ** शब्द का प्रयोग किया। उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिल्लित नहीं किया जाना चाहिए (व्यवधान)

**आचार्य भगवान देव** : ये खाकी निक्कर वाले, इनकी गुरू दक्षिणा का कोई हिसाब-कितना नहीं है। गुरू दक्षिणा का कोई ट्रस्ट नहीं है। कोई रसीद नहीं निकालते हैं··· (व्यवधान)

**श्री राम जेठमलानी** : यदि बुद्धिजीवियों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस ट्रस्ट के धन से पुरस्कृत किया जाना है और जिन्हें श्री अन्तुले जैसी प्रतिमा और नैतिकता वाले व्यक्ति द्वारा चुना जाता है तो बुद्धिजीवियों को पुरस्कृत नहीं किया जायेगा अपितु इस ट्रस्ट द्वारा केवल उन्ही बुद्धिजीवियों को पुरस्कृत किया जायेगा जो अपनी प्रतिभा को राजनीतिक प्रयोजनों के लिए बेचेंगे। अतः यदि प्रधानमंत्री ने इस ट्रस्ट को अपना आशीर्वाद दिया है तो मैं समझता हूं कि यह इस सरकार का दुराचार है और प्रधानमंत्री का दुराचार है (व्यवधान) महोदय, यह तथ्य कि प्रधानमंत्री कम से कम इस समय इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि उन्हें ट्रस्ट से अपना नाम हटा लेना चाहिए, सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि कम से कम जून 1981 में उन्होंने महसूस किया कि यह ** ऐसा ट्रस्ट है जिसके साथ प्रधान मंत्री का नाम जुड़ा नहीं रहना चाहिये। अतः तो प्रधान मंत्री में यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह एक अच्छा ट्रस्ट है और "मैं इस ट्रस्ट में साथ किन्ही भी परिस्थितियों में अपना सम्बन्ध जारी रखूंगी" अथवा उनको सार्वजनिक रूप से मानना चाहिए था कि "मैं आरम्भ में गलती पर थी और अब मैं लोगों के दवाब में आ रही हूं।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री राम जेठमलानी** : अनैतिक प्रयोजन की अनैतिकता इसलिए समाप्त नहीं हो जाती है क्योंकि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा उसमें भाग लिया गया है। इस ट्रस्ट के कार्यकरण से सम्बद्ध कुछ अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री राम जेठमलानी**: महोदय, मैं केवल पांच मिनट लूंगा। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने उनको और पांच मिनट की अनुमति दी है। उन्होंने मुझसे पांच मिनट और मांगे हैं। मैं आपके कथन का पालन करने के लिए नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि कोई बीच में क्यों बोले। कृपया बैठ जाइये।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**श्री राम जेठमलानी :** यहां पर विधि मंत्री उपस्थित हैं और मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) इस ट्रस्ट के संचालन के बारे में तथ्यों, जो मंत्री ध्यान में आये हैं, मैं विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं : क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा 165 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत ये तथ्य अपराध बनते हैं या नहीं ? मैं विधि मंत्री से और पूछना चाहता हूं कि यदि प्रधान मंत्री का कहना ठीक है कि उन्होंने अपने नाम को इस ट्रस्ट के साथ जोड़ने की अनुमति कभी नहीं दी तो ऐसा क्यों है कि मुख्य मंत्री, जिनको पूरे तथ्यों की जानकारी थी और उसे जानते हुए लगातार, उनके उन्होंने (प्रधान मंत्री) इस ट्रस्टै के साथ अपना नाम जोड़ देने से इनकार कर दिया फिर भी, उनके अनुसार उन्होंने लोगों से यह कहा कि उनका नाम उनकी सम्मति से जोड़ा गया था ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री अन्तुले भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दोषी नहीं हैं ! विधि मंत्री को उत्तर देना है कि क्या इस ट्रस्ट की ट्रस्टी भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और 165 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत अपराध करने के षड़यन्त्र के अपराध के दोषी हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दंड दिये जाने वाले धोखा देने के अपराध के दोषी हैं तथा विधि मंत्री ने उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत प्रतिदिन ये अपराध करने से अलग करवाने के लिए सार्वजनिक रूप से नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री को मद्रास उच्च न्यायालय तथा मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी होगी कि रिश्वत लेने वाले द्वारा मात्र इतना कहे जाने पर रिश्वत वैध नहीं बन जाती कि "मैं रिश्वत की राशि को उस धमार्थ ट्रस्ट के लिए काम में लाऊंगा जो मेरी पत्नी चलायेगी।"

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इन प्रश्नों पर अपना ध्यान लगाये : सर्वप्रथम, समूचे देश में जिस दर्प और प्रगल्भता के साथ ये अपराध किये जा रहे हैं, क्या उनसे इस बात का जोरदार ढंग से पता चलता है कि अपराधियों का विश्वास है कि उनको प्रधान मंत्री का पूरा-पूरा संरक्षण और समर्थन प्राप्त है। अन्यथा कोई मुख्य मंत्री अहंकार की इस राशि से ये अपराध कैसे कर सकता है ?

दूसरे, मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री समझती हैं और वह मुझे बतायेंगी कि क्या दिन-दहाड़े की जा रही डकैती, डकैती है या नहीं क्योंकि यह दिन के समय की जा रही है ? चैकों द्वारा किया जाने वाला भुगतान रिश्वत से क्रय नहीं है—इसीलिए यह भुगतान चैकों द्वारा किया जाता है। चैकों का भुगतान का अर्थ भ्रष्टाचार का छोटा नाम है, जिसकी 99 प्रतिशत झूठ छिपा ली जाती है तथा जिसकी जांच की जानी होती है और मैं प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल से पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के इस छिपे रूप का पता लगाने, उसकी करने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे झूठ जनता से छिपाई हुई है और मैं उस झूठ को जनता के सामने लाना चाहता हूं तथा जिसे यह मंत्रिमंडल जनता के समक्ष लाने नहीं देगा।

तीसरे, क्या ट्रस्ट का नाम 11 अक्तूबर, 1980 से पहले निर्णीत किया गया था या नहीं ?

[श्री राम जेठमलानी]

चौथे, क्या प्रधान मंत्री का विश्वास है कि इस ट्रस्ट के गठन के साथ सम्बद्ध बहुत से लोगों ने षड़यन्त्र किया था···

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत ज्यादा पुनरावृत्ति की जा रही है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए :

**श्री राम जेठमलानी** : आपने अभी कहा है कि मैं वकील नहीं रहा हूं और फिर भी आप समझते हैं···ये हजारों व्यक्ति, जिन्होंने 11 अक्तूबर, 1980 से पूर्व निर्णय किया कि इस ट्रस्ट का नाम उनके नाम पर होना चाहिए, उन सभी ने 11 अक्तूबर, 1980 को उनसे यह नाम छिपाने का षड़यन्त्र किया। यदि उनको इतना आवस्त किया गया था तो वह इस व्यक्ति, जिसने समूचे महाराष्ट्र में**लोगों को धोखा दिया है और करोड़ों संयंत्र एकत्र करने में सफल हो गया है, के बारे में कार्यवाही करने के प्रश्न पर इतनी ढील, इतनी उपेक्षा और इतनी अस्थिरता क्यों दिखाई।

मैं आर्थिक दृष्टि से इस सरकार की असफलता के प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं। मेरे प्रतिष्ठित मित्र इस बारे में बोल चुके हैं। मुझे एक बात कहनी है और वह यह है कि मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार की कीमत की वस्तु के मूल्य में अवश्यमेव जोड़ा जाता है और जब तक भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा तब तक इस देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ती रहेगी तथा जब तक आप कुछ ऐसा निर्णय नहीं करते—जैसा अमरीका में रिपब्लिकों ने किया—उन्होंने डेमोक्रेटों के लिए मत दिये—तब तक भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी, कष्ट बढ़ेगा तथा आप जो समझते हैं उससे काफी पहले चले जायेंगे। (व्यवधान)

**श्री जगन्नाथ कौशल** (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुना तथा उन्होंने जो कुछ कहा उस पर विचार किया। परन्तु मैं आरम्भ में ही कहना चाहता हूं कि श्री जेठ मलानी, जो अभी बोल रहे थे, तथा बड़े वरिष्ठ वकील होने के नाते मैं उनका आदर करता हूं, ने आज एक सुप्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ किया है कि जितना ज्यादा कमजोर मामला उतना ही जोरदार तर्क। मुझे यह भी मानना होगा कि उन्होंने जो बहुत-सी बातें कही हैं वे उस मामले से संगत नहीं हैं जिन पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं।

मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वक्ताओं ने जितना समय लिया उसमें से अधिकतर समय आरोप लगाने मात्र से सभा को आश्वस्त करने में लिया गया, तथा मैं विपदा के अपने मित्र, जो मेरी बात सुने बिना आगे बढ़ते रहे, को याद दिला दूं कि आरोप और संदेह चाहे कितने भी गम्भीर क्यों न हो, प्रमाण नहीं बनते हैं। अब हमारी सारी कठिनाई यह है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय सभा में तथ्य रखे जाने तथा कुछ तथ्यों जिनके बारे में दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों ने अपने-अपने निर्णय दिए हैं, के बावजूद विपक्ष के सदस्य इस सभा में अध्यक्ष तथा उस सभा में सभापति द्वारा दिये गये विनिर्णय के विरुद्ध अब भी आग्रह और तर्क कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे व्यवधान न डालें क्योंकि मैं कभी व्यवधान नहीं डालता हूं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अत: मैं माननीय सदस्यों से इस नम्रता की याचना करता हूं जो मैंने सदैव उनके प्रति दिखाई है। संभवतया मेरे मित्र श्री जेठ मलानी यह करने की कोशिश करते थे कि ट्रस्ट के उद्देश्य सभी के सभी अनैतिक हैं। मुझे इस कथन पर आश्चर्य हुआ। हठधर्मिता की भी कोई सीमा होती है। ट्रस्ट के दस्तावेज में जो उद्देश्य दिए गए है क्या मैं उनको पढ़कर सुनाऊं।

> "महाराष्ट्र राज्य में साहित्य, ललितकला के क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ग अधिकाधिक प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहन, मान्यता, उन्नति और सहायता देना, राज्य के प्रतिभावान व्यक्तियों की सहायता करना, उदीयमान प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता देना, कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करना तथा उनकी प्रतिभा को प्रकाश में लाना एवं सोसाइटी को मान्यता देना, राज्य के प्रतिभावान व्यक्तियों में से रुग्ण तथा अपंग व्यक्तियों को चिकित्सा प्रदान करते हुए समारोहों, कार्यक्रमों का आयोजन करना।"

और मैं उनके ध्यान में वह बात भी लाना चाहता हूं जो महाराष्ट्र जनतापार्टी के प्रेसीडेन्ट श्री राजाराम बापू पाटिल ने कही है। उनका कहना है :

> 'इन्दिरा गान्धी प्रतिष्ठान ट्रस्ट ऐसे कलाकारों, लेखकों और अन्य लोगों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और इस प्रकार के ट्रस्ट के लिए चन्दा देने या लेने में कोई बुराई नहीं है।'
> यह बात जनता पार्टी के प्रेसीडेन्ट ने कही है। (व्यवधान) मेरे मित्र···

**एक माननीय सदस्य** : अब आपका कोई प्रतिष्ठान नहीं है।]

**श्री जगन्नाथ कौशल** : मैं फिर इस बात का उल्लेख करता हूं कि सदस्यों—इस सभा के किसी सदस्य को यह छूट नहीं हैं कि वे अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती दें। अध्यक्ष ने कल निर्णय दिया है कि श्रीमती गांधी ने इस प्रतिष्ठान में अपना नाम जोड़ने की अनुमति कभी नहीं दी थी।

यह माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था है और यह व्यवस्था सब पर लागू होती है। अब मेरे दोस्त···(व्यवधान) अब मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं, खासकर एक दस्तावेज जिसके आधार पर विपक्ष के लोगों ने यह सारा मुद्दा उठाया है और उस दस्तावेज के बारे में अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति ने यह व्यवस्था दी है कि 'सम्बन्ध' शब्द का मतलब यह नहीं होता कि 'मैंने अपना नाम उपयोग करने की अनुमति दी है' इसलिए यह जानना चाहता हूं कि वे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। वे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं ? क्या मैं फिर पूछ सकता हूं कि एक बार पीठासीन अधिकारी द्वारा इस सदन में व्यवस्था दे देने के बाद वह व्यवस्था सब पर लागू होती है ?

मैं अपने दोस्त की इस बात पर फिर से आता हूं, वे श्री अन्तुले के बारे में कह रहे थे, 1973 में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बम्बई के मेरे एक मित्र ने, जिस घटना के बारे में श्री जेठ मलानी कह रहे थे, मुझे बताया कि एक समिति गठित की गयी थी जिसने इसकी जांच की थी और यह घटना बिल्कुल झूठी थी।

**श्री राम जेठमलानी :** आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, यह अभी मेरे पास है।

**श्री जगन्नाथ कौशल :** मैं इस मामले में कोई विवाद नही उठाना चाहता (व्यवधान) माननीय वित्तमंत्री ने बार-बार कहा है कि इस प्रतिष्ठानों के लिए जमा किए गए धन का उपयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है जो व्यक्ति यहां पर अपना बचाव करने के लिए हाजिर नहीं है उस पर हर प्रकार के आरोप लगाना बहुत आसान है। संसदीय लोक तंत्र का यह सामान्य सिद्धान्त है कि हम यहां किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगायेंगे जो स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकता।

**श्री राम जेठमलानी :** वह आप में से हर एक के रूप में यहां पर उपस्थित है।

**श्री जगन्नाथ कौशल :** किसी के चरित्र की हत्या और उस पर कीचड़ उछालने व आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा; मेरे विचार की असफलताओं पर बहस कर रहे थे। इस सरकार की असफलताओं और खामियों के बारे में न श्री जार्जफर्नाडीज और न श्री जेठ मलानी ही कुछ प्रकाश डाल सके। मेरे विचार से एक निर्वाचित सरकार के विरुद्ध रखे गए अविश्वास प्रस्ताव का एक उद्देश्य होता है। दुर्भाग्य से, इस मामले में इस प्रस्ताव को पेश करने वाले प्रस्तावक का उद्देश्य ऐसा था, इसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होने कहा कि हमने यह प्रस्ताव इसलिए रखा कि इस सदन में विपक्ष के लोगों को अपनी बात कहने से रोका जा रहा था। मैं अभी भी इसे नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी तरफ मैं ऐसा कुछ नही कह सकता और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि—विपक्ष इस सदन की सही व्यवस्था को भंग करने पर तुला है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रतिदिन उनसे कहते रहते हैं "मैंने सदन को उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलाना है जो हमने बनायी हैं। क्या आप व्यवस्था पर नजर नही रखना चाहते ?" जब भी अध्यक्ष विपक्ष से व्यवस्था देखने के लिए कहते हैं, विपक्ष ऐसा महसूस करता है कि उन्हें वंचित रखा जा रहा है वंचित किस बात से ? क्या इस सदन की व्यवस्था भंग करने से वंचित रखा जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो इस सदन को व्यवस्था को भंग करने से उन्हें अवश्य ही वंचित रखा जायेगा। हम सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और चर्चा में अपनी गरिमा के अनुकूल ही भाग लेना चाहिए। विपक्ष अपने को केवल इसलिए अपमानित महसूस करता है कि अध्यक्ष अनुशासन बनाये रखना चाहते हैं और सदन में नियम लागू करना चाहते हैं वे सोचते हैं" क्यो न हम इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखें। इसी कैवेलियर ढंग से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अविश्वास प्रस्ताव भी नियमों के अन्तर्गत ही आता है।

**श्री जगन्नाथ कौशल :** महोदय, मैं यह बता दूं कि एक महज उद्देश्य के लिए मिले विशेषाधिकार का यहां पर दुरुपयोग किया गया है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार ने जो वादे किये थे वह पूरे नही कर सकी। लेकिन विपक्ष का क्या दायित्व है ? विपक्ष जल्दी से जल्दी देश में वर्तमान वातावरण को दूषित करना चाहता है, वह साम्प्रदायिकता भड़काना चाहता है, कानून और व्यवस्था भंग करना चाहता है और विकास कार्यों को नही लडने देना चाहता है।

क्या मैं इस सरकार की उपलब्धियों की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं इस कांग्रेस सरकार सत्ता से हटी थी उसने उनके लिए सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था छोड़ी थी। जहां

तक औद्योगिक वृद्धि का सम्बन्ध है उस समय वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत थी और जब उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला उनके शासन में वृद्धि दर 1.04 प्रतिशत हो गयी । उन्होंने वृद्धि दर को केवल कम ही नही किया अपितु उनके शासन में वृद्धि पर ऋणात्मक हो गयी, इसका क्या अर्थ होता है ? मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन एक साधारण आदमी के रूप में मैं एक बात जानता हूं यदि आप किसी इमारत को पूरा तोड़ते है और उस इमारत को मलबे में मिला देते हैं तो उस इमारत को पुनः बनाने में कितना समय लगेगा ? क्या इस सरकार को बधाई नही मिलनी चाहिए क्योंकि अब वृद्धि दर 12 प्रतिशत हो गयी है । हमने जो योजना बनायी थी उससे वृद्धि दर में प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । मैं विनम्रता से पुनः अनुरोध करता हूं की विपक्ष को सहयोग देना चाहिए; और उन्हें प्रगति के बीच में रोडा अटकाने के कोई प्रयास नही करने चाहिए ।

जब मेरे विद्वान मित्र श्री जार्ज फर्नाडीज चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र की बातें करते हैं तो इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है ? क्या हम एक दूसरे को नहीं जानते ? श्री फर्नाडीज उद्योग मंत्री थे, क्या उन्होंने किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचा ? नही उनका उद्देश्य समाजवाद की तरफ जाना नहीं था । लोग भी ऐसा कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि उनका उद्देश्य लोगों को ब्लेकमेल करना था, हमें कम से कम ऐसी बातों के बारे में व्याख्यान नही देने चाहिए जिनके बारे में हमारी कोई श्रद्धा नहीं ।

क्या मैं इस बात को फिर दुहराऊ कि विपक्ष में बैठे मेरे दोस्त ऐसी स्थिति के लाने के जिम्मेदार हैं जहां कामगार राष्ट्रीय हितों के प्रति उदासीन हो गया; जब कोई कामगार उदासीन रूख अपनाने के लिए मजबूत हो जाता है तो उससे कितना नुकसान हो सकता हैं इसका मैं अन्दाजा लगा सकता हूं, यदि मुहानों पर कोयला पड़ा है कामगार इसे उठाने से इन्कार कर देते हैं । यदि कोयला रेलवे स्टेशन पर पड़ा है, कामगार उसे चढ़ाने से इन्कार कर देते हैं, ऐसे में हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम को ला रहे हैं । किसी भी सरकार को जिसे पांच साल तक इस देश में शासन करना है, लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाना होगा । उनका सबसे पहिला दायित्व यह देखना है कि उत्पादन में कमी न आये । (व्यवधान)

मेरे कहने का यह मतलब है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं उस पर उनका विश्वास नही है, उनको ऐसा कहने का अधिकार है । लेकिन क्या उन्हें यह मालूम है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं ? हम किसी मामले में उन्हें गम्भीरता से नहीं लेते···(व्यवधान) और इसका कारण यह है । एक आलोचक बिना पांवों का ऐसा आदमी है जो बहुत तेज दौड़ना चाहता है । उन्हें मालूम है उनका सत्ता में फिर से आना असम्भव है । उन्हे यह मालूम है कि वे सत्ता में नही आ सकते हैं इसलिए उनको इस देश में शासन करने की बहुत कम उम्मीद है, अब उनके पास एक ही विकल्प है कि वे लोकतांत्रिक पद्धति को कम आंके । दूसरी तरफ वे शोर मचाते हैं कि हम लोक तंत्र को समाप्त करने का यन्त्र कर रहे हैं । वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्रीमती गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी आस्था के कारण ही चुनावों के लिए आदेश दिये थे ।... (व्यवधान) क्या हम इस बात को भूल सकते हैं जब मतदाताओं ने हमें अस्वीकार कर

[श्री जगन्नाथ कौशल]

दिया था, उस समय हम सत्ता में थे । हमने सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं किया, जब हम सता में थे हमने लोक सभा की बढायी गयी अवधि से 1 साल पहिले चुनाव करवाये । मतदाता हमसे नाराज़ थे इसलिए उसने हमें मत नहीं दिया, हम सत्ता से अलग हो गये । और बाद में उसी लोकतांत्रिक पतिद्ध ने इस देश की बागडोर को हमारी पार्टी को शासन करने के लिए सौंपा । इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष का शोर शराबा व्यर्थ है उनके किसी तर्क में कोई दम नहीं है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा इस सदन में रखे गये अविश्वास प्रस्ताव का सारा श्रेय इस महान सरकार को है जो हर क्षेत्र में असफल रही है; इसका सारा श्रेय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति उनका तटस्थ और उदासीन रहना है ।

पिछले कुछ महिनों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण और ज्वलत समस्याएं आयी; इस उम्मीद से इस सदन में उन समस्याओं के बारे में चर्चा करने के प्रयास किये कि हम सभी उसमें भाग लेंगे । क्योंकि श्रीमती गाँधी केवल प्रधान मंत्री ही नहीं है बल्कि वे इस सदन की नेता भी है इसलिए हमें उम्मीद थी कि वे सदन की इन महत्वपूर्ण चर्चाओं और बैठकों में भाग लेगी, वे विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के प्रति सरकार और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का यत्न करेगी । लेकिन दुर्भाग्य से पिछले एक साल के दौरान हमें वह दुखद अनुभव हुआ है कि इस सदन की नेता, और प्रधान मंत्री कदाचित ही हमारे बीच रही हो ।.....(व्यवधान) मैं अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले एक साल के बीच ही इस प्रकार का रवैया बढ़ा है । मैंने इस काल का उल्लेख जान बूझ कर किया है क्योंकि मैं इससे पहिले की अवधि को भूला नहीं हूं ।

महोदय मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू इस सदन के नेता थे, वे इस बात का हमेशा खयाल रखते थे कि वे प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे तक सदन में हाजिर रहे, एक पत्रकार ने पंडित जी से एक प्रश्न पूछा— "आप प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे के बीच क्यों सदन में बैठे रहते हैं ?" पंडित जी ने अपने निराले अन्दाज में अपने विशेष ढंग से उत्तर दिया 'मैं इस प्रभुता सम्पन्न संसद में इतना समय इसलिए बिताता हूं क्योंकि मैं संसद की नब्ज टटोलना चाहता हूं और इस प्रकार इस देश के लोगों की नब्ज टटोलना चाहता हूं" यह था पंडित जवाहर लाल नेहरू का उत्तर, जो उन्होंने दिया । इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी कृपया मेरी बात भी सुनें । (व्यवधान)

महोदय, तब इस सदन के नेता पंडित जवाहार लाल नेहरू थे । पिता से पुत्री तक आते-आते दृष्टिकोण और पहुंच में कितना आश्चर्यजनक बदलाव आ गया है ।

कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ पैदा हो रही है, आज अनेक ऐसे मामले है जिनके बारे में मत-भेद है, जिनको लेकर तूफान मचा हुआ है, यदि ऐसे मामलों के बारे में प्रधान मंत्री सदन में उपस्थित होकर स्पष्टी करण देती है तो मुझे विश्वास है तभी इन समस्याओं का इस सदन में समाधान हो सकता है । लेकिन सदन के नेता से बहस करने का और वार्ता में भाग लेने का हमें मौका नहीं मिलता । दुर्भाग्य से यदि आप सदन के कार्यवाही वृतान्त को देखें तो आप पायेंगे कि

इस सदन की नेता प्रश्न काल के दौरान केवल उस दिन उपस्थित हुयी जब इस सदन में रक्षा के मामलों पर चर्चा हुयी या उस दिन शोक प्रकट करने के लिए इस सदन की नेता सदन में उपस्थित हुयी जब कोई मर गया।

जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो निधन सूचना देने के लिए, संसद का नेता उसी दिन अथवा दूसरे दिन मौजूद होता है। कभी-कभी, श्रीमती प्रधान मंत्री महोदया, जब आप सदन में प्रवेश करती हैं, मुझे ऐसा डर लगता है कि अवश्य ही किसी का निधन हो गया है और यही कारण है कि आप सभा में उपस्थित हुई हैं।

सदन की स्थिति ही यही है। अधिकांश समय में सदन का नेता अनुपस्थित होता है और परिणाम स्वरूप माननीया प्रधान मंत्री सदन की भावना को नहीं समझ पाती हैं और न यह जान पाती है कि सदन में वास्तव में क्या हो रहा है।

महोदय, सरकार की असफलतायें अनेक हैं किन्तु सरकार की प्रमुख असफलता यह है कि वह भ्रष्टाचार दूर करने में असफल रही है। दुर्भाग्यवश उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक व्याप्त हो गया। अन्तुले के मामले को लीजिए। उसे केवल व्यक्तिगत विपयन के दृष्टि कोण से न देखें और मैं किसी पर व्यक्तिगत चरित्र हनन के आधार पर राजनीति में रहना पड़े! हमारी इसमें तनिक भी रुचि नहीं है। किन्तु प्रश्न है कि अन्तुले का मामला प्रतिनिधित्व करता है..... (व्यवधान)। श्री टाइटलर महोदय, कृपया थोड़ा शांत रहें। (व्यवधान)

**श्री जगदीश टाइटलर** : ठीक है, यदि आप ऐसी बात कहना चाहते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो भी आप चाहते हैं कि हम उसे शांति पूर्वक सुनें ? आप हर प्रकार का दोषारोपण कर रहे हैं। आपने कोई उच्च आदर्श स्थापित नहीं किये हैं। ध्यान रहे, आपने सोना बेच और आप भी उसमें शामिल थे। इसीलिए तो मैं कहता हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** : स्वस्थ्य संसदीय परम्परा के अनुरूप मैंने आशा की थी कि-वह मुझ से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। किन्तु उन्हें कुछ नहीं पूछना है, अतः महोदय मैं आगे बढ़ता हूं।

महोदय, जिसकी ओर मुझे ध्यान दिलाना है, वह यह है कि अन्तुले का सम्पूर्ण प्रकरण ही संस्थांगत भ्रष्ठाचार का परिणाम है। यह इस देश का दुर्भाग्य है और दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार के समग्र प्रकरण में, देश में भ्रष्टाचार की पूर्ण इमारत खड़ी करने के लिए ईंट पत्थर का समान प्रधान मंत्री के नाम का इस्तेमाल किया गया है और कुछ व्यक्तिगत विपणन की ओर ध्यान न दिला कर, यही वह प्रमुख पहलू है जिसकी ओर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। हम लोग इस देश के स्वच्छ राजनैतिक जीवन से सम्बन्द्ध है और इसी लिये उसी दृष्टिकोण से और उसी उद्देश्य से हम इस प्रकरण को उठाना चाहते हैं।

महोदय, यह कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो उस समय बाजा बजा रहा था, किन्तु हमारी नीरो, देश की प्रधान मंत्री कोई बाजा नही बजाती हैं। वह तो मूक दर्शक बनी रहतीं हैं और सम्भवतः जब भ्रष्टाचार की ज्वाला चारों ओर व्याप्त होती है और जब समग्र देश का राजनैतिक जीवन उसमें झुलस रहा होता है तब पर पीड़ा का आनन्द लेने के समान

[प्रो० मधु दण्डवते]

सम्भवतः वह देश में हो रहे भ्रष्टाचार का आनन्द उठाती हैं। इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है। यही तो सबसे बड़ा रोना है।

इस बहुत ही गम्भीर मामले का विकास अनेकों पहलुओं और श्रेणियों से गुजर कर हुआ है जिसके बारे में विपक्ष के हमारे अनेकों साथियों ने चर्चा की है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि सारे इस दुखान्त नाटक में, जिसे अन्तुले प्रकरण कहा जाता है, इस देश की प्रधान मंत्री को ही कुछ मसलों को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के साथ उनका नाम जोड़ा गया है। मुझे इस बात का विश्वास है कि इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की श्रीमती इन्दिरा गाँधी वही इन्दिरा गांधी हैं जो सदन में, सदन की नेता के रूप में यहां विराजमान हैं। इसीलिए मैं यहां कुछ मसले उठाना चाहूंगा।

11 अक्तूबर, 1980 को बम्बई के राजभवन में एक छोटा सा समारोह था।

**एक माननीय सदस्य** : यह सदन पुनः महाराष्ट्र विधान सभा बन रहा है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : इससे कुछ नहीं होता जाता। यदि भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में होता है तो वे महाराष्ट्र से आयेंगे और यदि भ्रष्टाचार बिहार में होता है तो वे बिहार से आते हैं।

11 अक्तूबर, 1980 को जब यह समारोह हुआ तो फोटो खींचे गये थे। मैं यहां यह प्रकरण उठा रहा हूं तो देश के प्रधान मंत्री परिषद् का अंग नही होता है? मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री के बिना भी मंत्री परिषद् का भी कोई अस्तित्व है। ऐसा नहीं होता है।

जहां तक प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है, वह उस छोटे से समारोह में उपस्थित थी। दूसरे दिन, न केवल बम्बई के समाचार पत्रों अथवा देश के विभिन्न भागों के समाचार पत्रों में अपितु महाराष्ट्र सरकार के सरकारी प्रकाशन लोक राज्य में यह समाचार कुछ फोटो के साथ प्रकाशित हुआ था। उस फोटो का कोई शीर्षक था और विभिन्न समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने उस शीर्षक को नही बदला था। महाराष्ट्र सरकार के सूचना निदेशालय ने भी एक फोटो भेजा था और उसका शीर्षक भी दिया था। सरकारी पाठान्तर दिया गया था और सरकारी पाठान्तर में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के निर्माण के प्रति अपनी सहमति प्रदान कर रही हैं और उत्सुकतापूर्वक देखने वाले उनके बराबर में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले हैं। महाराष्ट्र के सूचना निदेशालय द्वारा सरकारी शीर्षक के अन्तर्गत फोटो के साथ यह सूचना 12 अक्तूबर को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त मुझे इससे कोई मतलब जो सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ—16 अक्तूबर, 1980 को यही सूचना महाराष्ट्र सरकार के सरकारी प्रकाशन लोक राज्य में प्रकाशित हुई। अब विवाद के बाद अब लोक राज्य का मूर्ख राज्य के रूप में वर्णन महाराष्ट्र के वित्त मंत्री द्वारा किया जा रहा है। यह मेरा कथन नहीं है। यह महाराष्ट्र सरकार का कथन है।

मैंने इस बारे में प्रधान मंत्री जी से ही जानना चाहूंगा क्योंकि वास्तविक पाठान्तर वही दे सकती है। मुझे पता लगा है कि 11 अक्तूबर को कांग्रेस (आई) के विधान सभा के सदस्यों की एक बैठक हुई थी ? इस बैठक में देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उपस्थित थी, मुख्य मंत्री उपस्थित थे और उस बैठक में कांग्रेस (आई) के विधान सभा सदस्यों की बैठक में 11 अक्तूबर को मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भारत की प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की स्थापना के प्रति अपनी सहमति दे दी है और इसका हार्दिक स्वागत किया गया। यह सब 11 अक्तूबर, 1980 को हुआ। किन्तु वह कुछ नहीं जानती। यदि वह जानती भी है तो उन्हें याद नहीं है और यदि उन्हें याद भी है तो वह उसकी पुष्टि नहीं करेंगी। प्रथम स्थिति यह थी।

**एक माननीय सदस्य** : आप उसे दोहरा रहे हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : यह कुछ और है। कांग्रेस (आई) के विधान सभा सदस्यों की बैठक की सूचना प्रकाशित नहीं हुई थी। वे सभी प्रतिभा सम्पन्न युवक हैं। मैं उन जैसा विद्वान नहीं हूं। मैं अपनी योग्यता के अनुरूप बोलूंगा।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

यह एक दूसरा पहलू है और यह एक प्रमुख पहलू है। मेरे मित्र और मेरे साथी जार्ज फर्नान्डीस ने उसका उल्लेख किया है।

**सभापति महोदय** : तब क्यों आप उसे दोहराना चाहते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : क्योंकि उस आधार पर मैं कुछ और कहना चाहूंगा। मैं उसे कहना चाहूंगा। बम्बई के दान आयोग में इस न्यास का पंजीकरण किया गया था और यदि आप अब बम्बई के दान आयोग के अभिलेख की जांच करें तो महाराष्ट्र के प्रतिभा प्रतिष्ठान का पंजीकरण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। केवल एक ही प्रतिष्ठान है और वह है इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान। इसी का पंजीकरण बम्बई में दान आयोग द्वारा किया गया है। इसका पंजीकरण कब किया गया ? (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : इन तथ्यों की चर्चा नियमों में की गई थी।

**प्रो० मधु दंडवते** : बिल्कुल नहीं। अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व इस बारे मैं मैंने अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा की थी और उन्होंने कहा था "बशर्ते कि आप अध्यक्ष की व्यवस्था का विरोध न करें तो आप सम्पूर्ण समस्या पर विचार विमर्श करने के लिये पूर्णत: हकदार हैं।" अध्यक्ष महोदय ने यही कहा था और अध्यक्ष के निदेशानुसार तथा अध्यक्ष द्वारा सदन में की गई व्यवस्था के अनुरूप मैं ये सभी मुद्दे उठा रहा हूं। मैं सीमा का अतिक्रम नहीं करूंगा।... (व्यवधान)

[प्रो० मधु दण्डवते]

मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। विशेषाधिकार का मामला वित्त मंत्री के व्यवहार से संबंद्ध है कि क्या उन्होंने जान बूझकर और समझ सोचकर सभा को गुमराह किया है, क्या इससे सभा की मानहानि हुई है और इस सीमा तक, क्या इससे विशेषाधिकार का उलंघन हुआ है।

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)**: महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था की थी। माननीय सदस्य उस व्यवस्था को दूसरा रूप दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि सभी सदस्यों के हित के लिए उस व्यवस्था को पढ़ें और यदि माननीय का कथन असत्य हो तो उसे निकाल दें। तब उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाय क्योंकि जैसा कि व्यवस्था के बारे में हमने सुना था, उस व्यवस्था में वे सभी मुद्दे निपटाये गये थे जिनके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं जिसके बारे में वित्त मंत्री ने इनकार किया था और अध्यक्ष महोदय ने आपत्ति की थी कि जहां तक इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का संबंध है, उन्होंने (श्रीमती इन्दिरा गांधी) ने इस बारे में अपनी कोई सहमती नहीं दी थी। यदि यह सच है तो माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**सभापति महोदय** : क्या आपको भी व्यवस्था के बारे में कुछ कहना है।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैंने इस बारे में अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श किया था। मैं व्यवस्था का विरोध नहीं करता हूं किन्तु मुझे देश के प्रधान मंत्री जो सदन की नेता हैं, के बारे में प्रश्न करने का अधिकार है और ठीक हूं तथा मैं ऐसा करता रहूंगा।

**डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** (सीतापुर) : सभापति जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि यहां महाराष्ट्र के चीफ-मिनिस्टर के ऊपर बहस हो रही है या नो-कान्फिडेंस पर··· (व्यवधान)

**श्री सी० एम० स्टीफन** : व्यवस्था के प्रश्न पर। मेरे माननीय मित्र इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि प्रधान मंत्री इसमें सम्बद्ध है, कुछ प्रलेखों का हवाला दे रहे हैं। यही तरीका है। *(व्यवधान)*

जो कुछ श्री महाजन ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था की है :—जहां तक इन्दिरा गांधी प्रतिभा संस्थान के बारे में कहने का प्रश्न है—जिन प्रलेखों का उन्होंने हवाला दिया है उनका हवाला अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जा चुका है—जहां तक इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का सम्बन्ध है और जो भी पाठान्तर समाचार पत्रों अथवा महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ है अथवा महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों अथवा न्यास के पदाधिकारियों द्वारा लिखे गए कुछ प्रश्नों का अथवा बैंकों द्वारा रखे गए खातों या जारी किए गए चैकों अथवा प्राधिकारियों के साथ हुई बाद की बैठकों आदि का सम्बन्ध है, उन्हें इस आरोप के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता कि प्रधान मंत्री ने उस न्यास के प्रति अपनी सहमति दी थी जिसे इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान कहा जा रहा है। किसी ऐसे प्रलेख के सीधे साक्ष्य के अभाव में, जिस पर प्रधान मंत्री ने हस्ताक्षर किए हों और प्रेक्षण के समय जिसके बारे में वित्त मंत्री को जानकारी हो, आरोप नहीं ठहराया जा सकता। जिन प्रलेखों

की ओर ध्यान दिलाया गया है उन सभी का उल्लेख इस व्यवस्था में हो चुका है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इन कागजात के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करने का अर्थ अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था से इनकार करना है।

"अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था, अथवा दी गई राय अथवा विवरण के प्रति कोई भी सदस्य सदन के अन्दर या बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं कर सकता है।" और यह भी कहा गया है—

"उनकी व्यवस्था पहले की गई व्यवस्था के अनुरूप होती है। मूल प्रस्ताव के अलावा अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था का विरोध इनके तरीके से नहीं किया जा सकता।

"अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन की मर्यादा, सदन की स्वतन्त्रता का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि सदन एक विशेष ढंग से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और अध्यक्ष राष्ट्रीय आजादी और स्वतंत्रता का प्रतीत होता है।"

यह व्याख्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की है—जिसका उन्होंने उल्लेख किया है—और तत्कालीन पीठासीद अध्यक्ष द्वारा उसका पालन किया गया था।

इसीलिए, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस स्थिति पर विचार किया जा चुका है। जो बात उठायी गयी, उस पर बहस सुनी गई थी। उन्होंने कहा है—"मैंने उन्हें सुना है, मैंने कागजात देख लिये हैं।" और वह निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। उठाये गये विरोध पर सब कुछ सुनने के बाद अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन सबके आधार पर, यह आशय बिल्कुल नहीं निकलता। इस स्थिति के विरुद्ध कोई अन्य स्थिति लेने का प्रयत्न करने का अर्थ है अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई व्यवस्था को, अध्यक्ष द्वारा दिये गये विवरण को चुनौती देने की, संसदीय कार्यप्रणाली में अनुमति नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई प्रयत्न किया जाता है तो वह सदन की मान हानि होगी और सदन के अध्यक्ष की राय का विरोध होगा।

**श्री एच० के० एल० भगत :** महोदय, में भी व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ बोलना चाहता हूं। श्री स्टीफन ने जो कुछ कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस प्रकार की व्यवस्था पर स्पष्ट समर्थन किया गया है। मैं नियम 352 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियम 352 (iv) में लिखा है—

"सदस्य का भाषण करते समय—

(iv) सदन के किसी निर्णय की आलोचना नहीं करेगा केवल उस स्थिति को छोड़कर जब वह निर्णय मंसूख किया जाना हो।

[श्री एच० के० एल० भगत]

विशेषाधिकार के मामले में अध्यक्ष का निर्णय दिया गया है। अध्यक्ष सदन की शक्तियों का परिरक्षक है। विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उन्हें प्राप्त है और उन्होंने निर्णय ले लिया है। इसलिये माननीय सदस्य महोदय जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं वह अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर सीधा प्रहार है, नियमानुसार वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। अन्य था सारा मामला ही नितांत हास्यास्पद हो जाएगा। इन सभी तर्कों पर अध्यक्ष महोदय ने विचार कर लिया और उन्हें निपटा दिया है, चाहे वह प्रतिभा प्रतिष्ठान या किसी अन्य से संबंधित था। प्रो० मधुदंडवते खुले आम नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन कर रहे हैं वह उस विषय पर बहस कर रहे हैं जिसके बारे में अध्यक्ष ने निर्धारण ले लिया है और जिसके बारे में वह निर्णय दे चुके हैं। श्री स्टीफन ने जो कुछ कहा वह इस व्यवस्था के स्पष्टतः समर्थन में है। इसलिए प्रो० दण्डवते को यह सब कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह नियमों के नितांत विरुद्ध है। (**व्यवधान**)। इसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिये। यह अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था के एकदम प्रतिकूल है। यह बहुत ही प्रमुख विषय है। मैं इस विषय पर आपकी ओर व्यवस्था चाहता हूँ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** क्या आपका आशय यह है कि प्रधान मंत्री का नाम असंसदीय है और इसलिये इसे निकाल दिया जाना चाहिये।

**श्री एच० के० एल० भगत :** मेरा आशय यह है कि आप उस मामले को उठा रहे हैं जिसके बारे में अध्यक्ष पहले ही निर्णय दे चुके हैं।

**सभापति महोदय :** प्रो० मधु दण्डवते। आप केवल व्यवस्था के अनुरूप बोलें।

**प्रो० मधुदण्डवते :** मैं व्यवस्था के बारे में कहूंगा। मामला स्पष्ट है। अपने विचार के समर्थन में और श्री स्टीफन द्वारा उठाये गये व्यवस्था के मुद्दे के विपरीत मैं पीठसन हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को ही टिप्पणी का हवाला देना चाहता हूँ। कई अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी दी है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाने के अवसर बहुत ही सीमित होते हैं। "मेरे हाथ बधे हुए हैं। मुझसे यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि मैं इस समस्या पर ध्यान दूँ कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की स्थापना के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दी गई सहमति के बारे में क्या महराष्ट्र सरकार ने गलत मत दिया है अथवा किसी अन्य ने गलत मत दिया है। मेरा आशय केवल इतना ही है कि क्या वित्त मंत्री ने जान बूझ कर और समझ सोचकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।" यद्यपि गलती को उन्होंने "द्वेषपूर्ण" कहा। मैंने कहा "वह मेरा आरोप है।" तब उन्होंने कहा—"मैं इसे वापस ले रहा हूँ।"..... (**व्यवधान**) माननीय विधि मंत्री महोदय, कृपया थोड़ा धैर्य धारण करें। उन्होंने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में है ; इस पर आप कहें कि सहमति दी गई थी, "मेरा संबंध तो केवल इस बात से है कि क्या वित्त मंत्री महोदय ने जान बूझ कर और सोच समझकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की और इस सीमा तक क्या उन्होंने सदन की मान हानि की है और इसलिये क्या

यह विशषाधिकार का उलंघन है ? पुनः जब उन्होंने हमें सदन में सम्बोधित किया था। तब भो उन्होंने इसबात को दोहराया था उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ कर कहा "यह सब आपके राजनीतिज्ञ झगड़े हैं। आप चला सकते हैं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं इस मामले में बिल्कुल ही नहीं आता हूँ। केवल विशेषाधिकार के मामले से मेरा संबंध है कि क्या वित्त मंत्री ने जान बूझकर गुमराह किया" 'इसलिये, मध्याह्न पूर्व अध्यक्ष महोदय ने श्री जार्ज फर्नान्डीस सहित सभी सदस्यों को विभिन्न प्रलोखों का हवाला देने की अनुमति दी थी. श्री जार्ज फर्नान्डीस ने इसी सदन में इस बात का हवाला दिया था कि यह फोटो है जो वास्तव में प्रेस को भेजा गया था। उन्होंने वह दिखाया था। इन्होंने उसे अध्यक्ष महोदयको भी दिखाया था। उन्होंने उसे सदन को भी दिखाया था किन्तु अध्यक्ष महोदय ने कोई आपत्ति नहीं की थी। इन सभी प्रलेखों का हवाला देने की अनुमति दी गई थी। श्री जार्ज फर्नान्डीज कोप्रलेखों का हवाला देने की अनुमति दी गई थी। अध्यक्ष महोदय को उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। अध्यक्ष महोदय ने कोई बंदिश नहीं लगाई थी। जो कुछ मैंने कहा है, वह यथातथ्य भाषान्तर है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं भी व्यवस्था के अनुरुप, मुझे यह सिद्ध करने के लिये कोई भी वस्तु प्रस्तुत करने तथा प्रधान मंत्री जी से प्रश्न करने का पूर्ण अधिकार है कि क्या यह सच है कि उन्होंने सहमति दी थी और क्या वह बोर्ड की उस बैठक में उपस्थित थी जिसमें यह सहमति दी गई थी···

**श्री एच० के० एल० भगत** : उन्होंने हवालों और व्यवस्था लागू करना का विरोध नहीं किया है।

**सभापति महोदय** : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ ? क्या सभी प्रलेखों को ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया गया था अथवा नहीं ? कृपया उत्तर दें।

**प्रो० मधु दंडवते** : कृपया मेरी बात सुनें। जब हमने ये सब प्रलेख प्रस्तुत किये थे तब अध्यक्ष महोदय ने उन्हें रिकार्ड में रखा था और उन्होंने इस बारे में हम लोगों की अपने कक्ष में तथा सदन में भी बताया था। (व्यवधान)

अनेकों प्रलेख प्रस्तुत किये गये थे और जब मैंने आग्रह किया तब उन्होंने कहा कि इन प्रलेखों को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाये ·····(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुने। जब मैंने इस बात का आग्रह किया कि मैं अभिप्रमाणिक किये जाने के बाद उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत करूँगा—तब, उन्होंने यह टिप्णी की थी-उन्होंने कहा था, "चूंकि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं है, यदि आपको बोलने का मौका मिले, तो जाँच के बाद आपको बोलने की अनुमति दी जा सकती है। उनकी व्यवस्था थी·····(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

**प्रो० मधु दंडवते** : उन्होंने स्पष्ट कहा था—"जो प्रलेख मेरे विचार से तथा मेरी व्यवस्था के विचार से तत्संबंधित नहीं हैं—वे विशेषाधिकार मामले से जरा भी संबंधित नहीं हैं—आप जिस तरह चाहें, उनका उपयोग कर सकते हैं। वे मेरी व्यवस्था का आधार जरा भी नहीं हैं।" उन्होंने यह बात स्पष्ट की थी क्योंकि वे केवल सहमति देने से संबंधित नहीं हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न यह था

[प्रो० मधु दण्डवते]

कि क्या वित्त मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। वे मामले अलग-अलग हैं। इसी लिये, उन्होंने कहा था कि हम लोग उनका प्रयोग कर सकते हैं···

महोदय, व्यवस्था करने से पूर्व कृपया अध्यक्ष से परामर्श कर लें। मैं आपके भाषान्तर और अध्यक्ष महोदय के भाषान्तर के बीच कोई झगड़ा नहीं डालना चाहता··· (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : श्री नीरेन घोष, मैं आपको एक मौका दूंगा। श्री गुलशेर अहमद, मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इसके बारे में क्यों परेशान हैं।

**श्री सी. एम. स्टीफन** : मुझे केवल एक ही बात कहनी है। सदन अध्यक्ष की व्यवस्था का पालन करने को बाध्य है···(व्यवधान)

**श्री नीरेन घोष** (दमदम) : मैं व्यवस्था के अनुकूल हूँ। मुझे 12 बजे बुलाया गया था।

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

**श्री नीरेन घोष** : महोदय, मेरी बात अवश्य सुनी जाय। आज प्रातः काल मैं अध्यक्ष के पास गया था। श्री उन्नीकृष्णन् तथा कोई और व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। इस बारे में वहाँ चर्चा हुई थी। प्रो० मधुदंडवते ने जो कुछ कहा था, उसका सारांश मैंने बतलाया था। मैं उसकी परिपुष्टि करता हूँ। वे लोग झूठ और असत्य बोल रहे हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : प्रो० मधु दंडवते ने जो कुछ कहा है, उसे मैं झुठला रहा हूँ। इस सदन का संबंध केवल पीठासीन अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था से है। तो वह व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है अन्यथा नहीं। यदि वह कहीं और कोई बात कहता है तो सदन उसके लिये बाध्य नहीं है और वह सदन के लिये व्यर्थ है।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

महोदय, मुझे आपको पृष्ठ भूमि बतानी है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या समस्या है ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : प्रो०मधुदंडवते यहाँ अनेकों प्रलेखों के आधार पर बोल रहे थे और उसके आधार पर वह हवाला दे रहे थे और बहस कर रहे थे। और इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे थे कि प्रधान मंत्री ने अपने नाम के प्रति अपनी सहमति दी थी। मैं व्यवस्था का एक मुद्दा उठाया था कि अध्यक्ष की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कहने की अनुमति नहीं हैं। मैंने आपके द्वारा की गई व्यवस्था के इस अंश को पढ़ा और कहा कि इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार पत्र या महाराष्ट्र सरकार के प्रकाशन या महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों अथवा न्यास के पदाधिकारियों द्वारा लिखे गये पत्रों या बैंक द्वारा रखे गये खातों में या जारी किये गये चैकों में अथवा संबंधित न्याय के प्राधिकारियों द्वारा दिये गये अन्य नामों में उल्लेख होने मात्र से और उन सब के यह साक्ष्य निष्कर्ष नहीं निकलता कि इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान कहे जाने वाले न्यास के साथ अपना नाम जोड़ने के प्रति प्रधान मंत्री ने अपनी अनुमति दे दी थी।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह निष्कर्ष निकला है ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : यही निष्कर्ष है। मेरा तर्क यही थी। आपके समक्ष यह प्रश्न था कि

क्या वित्त मंत्री ने जान बूझ कर विवरण दिया था। आप दो आधार पर निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। या तो निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि उन्होंने अपनी सहमति बिल्कुल नहीं दी थी और इसलिये यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था अथवा आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मामला असम्बद्ध है।

हम सभी यह चाहते हैं कि आप इस बात पर विचार करें कि क्या वित्त मंत्री को इसके बारे में पता था और उन्होंने जान-बूझ कर ऐसा कहा। आप प्रश्न का पहला क्रम लें कि क्या इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई साक्ष्य है कि उन्होंने अपने नाम के प्रति अपनी सहमति दी थी। इसका पता लगाने के बाद, दूसरे विवरण की ओर ध्यान दें। यह बहुत ही स्पष्ट है। वह यह है कि इस सीधे साक्ष्य के अभाव में कि वित्त मंत्री को इस बारे में ज्ञात था कि प्रधान मंत्री ने प्रलेख पर हस्ताक्षर किये थे, 2 अक्तूबर 1981 को जब उन्होंने वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाया कि वित्त मंत्री जान बूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये नहीं माना जा सकता कि प्रधान मंत्री ने इसके प्रति अपनी सहमति दी थी।

इसीलिए श्रीमन, यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि सहमति देने की बात उनकी जानकारी में थी और सम्भवतः ही उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि यह सत्य नहीं था। एक बार यह कहा गया है—मैं विनिर्णयों के बाध्य होने के स्वरूप के बारे में विनिर्णय पढ़ रहा हूं—कि अध्यक्ष के विनिर्णय को बिना किसी मूल आधार के चुनौती नहीं दी जा सकती।

"सदस्य गण, अध्यक्ष द्वारा दिये गये किसी विनिर्णय, व्यक्त किये गए किसी विचार अथवा वक्तव्य की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, सभा के भीतर या बाहर, आलोचना नहीं कर सकते।"

**अध्यक्ष महोदय :** आपकी आपत्ति किस बात पर है ?

**श्री सी० एम० स्टीफन :** अतः मैं यह आपत्ति कर रहा हूं कि वह इस पर तर्क नहीं दे सकते तथा यह कह सकते कि प्रधान मंत्री ने इस दस्तावेज पर अपनी सहमति प्रदान की थी ; इस प्रयोजन के लिए वह नहीं कह सकते कि .....

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** यही तो वह कह रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए वह सभा में वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते जो आप को दिए गए हैं और उनके आधार पर बहस नहीं कर सकते। ऐसा करना इस विनिर्णय की अवहेलना करना'''(व्यवधान)।

**प्रो० मधुदंडवते :** महोदय, आपकी अनुपस्थिति में मैंने आपके ही शब्दों में आपके विनिर्णय की व्याख्या करने का प्रयास किया था और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने शब्दों पर दृढ़ रहें।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे कभी नहीं हटता हूं।

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं तो इतना ही कहता हूं कि मैंने आपके ही शब्दों में आपके विनिर्णय की व्याख्या करने का प्रयास किया था। उस दिन आपने कहा था—"मेरा अन्य राजनैतिक मसलों से कतई

[ प्रो० मधु दण्डवते ]

कोई सरोकार नहीं है। मेरी अन्य किसी दस्तावेज में राय मेरी है जिससे यह सिद्ध हो कि सहमति दी गई थी अथवा नहीं दी गई थी। प्रश्न यह है कि क्या वित्तमंत्री ने सोच समझकर अथवा जान बूझकर सभा को गुमराह करने का प्रयत्न किया था। मेरे सामने तो बस इतना ही प्रश्न है।" जब मैं आपको याद दिलाने के लिए कक्षमें आपसे मिला तो आपने यह भी कहा था—जहां तक अन्य मसलों का संबंध है, उन पर आप अन्य कई तरीकों से भी वाद विवाद या चर्चा कर सकते हैं। मैं मार्ग में नहीं आऊंगा। मेरी राय तो बस इस प्रश्न में है कि क्या वित्तमंत्री ने सभा को गुमराह करने की कोशिश की।" इसीलिए आपने ठीक ही श्री जार्ज फर्नान्डीज से कतिपय दस्तावेजों का संदर्भ देने तथा सहमति का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी। अत: मैंने—बिना कोई आक्षेप किए—प्रधानमंत्री का हवाला दिया और मेरे विचार से ऐसा मैंने पूर्णतया अपने में रहकर किया।

**श्री एच० के० एल० भगत** : महोदय, अपनी अनुपस्थिति में, जब श्री स्टीफन ने यह मामला उठाया था तो मैंने विनिर्णय के समर्थन में एक नियम का उद्धरण दिया था—यह नियम 352 (चार) में है। मैं इसे पढ़ता हूं :

352 (चार) कोई सदस्य बोलते समय सभा के किसी निर्णय पर, सिवाय उसे रद्द करने के प्रस्ताव पर बोलते हुए, आक्षेपन हीं करेगा।"

अब महोदय अध्यक्ष ही मामले में अन्तिम रूप से निर्णय करते हैं। आपने निष्कर्ष निकाला और आपके निष्कर्ष के दो भाग हैं। कुछ तथ्य उठाए गए हैं और विशेषाधिकार प्रस्ताव का आधार वे तथ्य हैं। फिर आपने इन तथ्यों पर विचार किया और तब यह पाया कि वे तथ्य सही अथवा नहीं, इसके पश्चात् आपने एक निष्कर्ष निकाला। महोदय, मैं यह कहता हूं कि विशेषाधिकार का इसे मामले पर और वे तथ्य जिन पर यह आधारित था, आपने विचार किया था और अपना विनिर्णय दिया था। अब श्री मधुदंडवते उन तथ्यों को चुनौती दे रहे हैं और इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि मैं आपके विनिर्णय का समर्थन करता हूं। कृपया रिकार्ड देखिए।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं इस बात को सभा में पहले ही कई बार काफी स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरा मुद्दा तो मामले की जानकारी प्राप्त करना था और एक विशिष्ट प्रश्न पर अपना निर्णय देना था अर्थात क्या वित्त मंत्री ने सोच समझकर, जानते हुए और स्वेच्छा से सभा को गुमराह किया। यही साधारण सी बात थी। मैं ने हर बात के गुणो दोषों पर विचार किया। मैंने मूल दस्तावेज प्राप्त किए और उनसे मैं निस्सन्देह आश्वस्त हो गया और मैंने उसके बारे में बिलकुल साफ-साफ कहा कि श्रीमती गांधी ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह कितनी साधारण सी बात है।

**श्री एच० के० एल भगत** : वह आपके विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा कहने का अभिप्राय यह है। केवल इसी बात का इससे संबंध है। मैंने जो भी अन्य विनिर्णय दिया है—कि जैसे कि साक्ष्य अपना किसी सरकार अथवा अन्य किसी का भुगतान—वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है। मैं तो बस यह विचार करता हूं कि वित्त मंत्री ने क्या किया। मैं वे केवल उसी मुद्दे पर अपनी जानकारी हासिल की और वह बहुत ही स्पष्ट थी। मैं उस बात से एक इंच भी नहीं हटूंगा। कितनी सीधी सी बात है।

अब मैं आप से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग संगत बात करें तथा भाषण समाप्त करने का प्रमाण दें।

**प्रो० मधुदंडवते :** मैं कभी असंगत बातें नहीं करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई गलत बात कही जायेगी तो मुझे उसकी कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना पड़ेगा।

**प्रो० मधुदंडवते :** यदि कोई गलत बात होगी तो आप उसे सही कर दीजिए। परन्तु यदि सरकार गलत काम करती है तो भी कृपया उसे ठीक कर दीजिये। महोदय, आपकी जानकारी के लिये बतादूं कि मैंने तो अभी-अभी बोलना शुरू किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया आगे बढ़िये।

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने विनिर्णय की सही-सही व्याख्या कर दी।

मैं प्रधान मंत्री से उत्तर पाने के लिए एक विशिष्ट प्रश्न करना चाहता हूं। 11 अक्टूबर को ये समाचार छपे थे कि राजभवन में एक बैठक हुई। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है।

**प्रो० मधु दंडवते :** यहां केवल एक आफिशरी का ही हुक्म चलता है वह है सभाध्यक्ष। कोई अन्य संविधानिक आफिशरी नहीं है यहां।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया आगे कहिये।

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं प्रधान मन्त्री से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह प्रश्न इस प्रकार है :

मैं जानना चाहता हूं कि क्या 11 अक्टूबर को हुई उस बैठक में मौजूद थी जहां मुख्य मंत्री ने विशिष्ट रूप से यह कहा था कि भारत की प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस भाषा विशेष की स्थापना के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है, और फिर तालियों की भारी गड़गड़ाहट हुई थी ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह हर बात की पुष्टि करेंगी अथवा नहीं। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि यह बात स्पष्ट है। मेरा विनर्णय स्पष्ट है। कृपया बैठ जाइए।

**श्री के० लकप्पा :** आप हमें बैठ जाने को क्यों रह रहे हैं ? (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया व्यवस्था रखिये।

**प्रो० मधु दंडवते :** अब मैं चिन्ह तथा नाम (दुरुपयोग निरोधक) अधिनियम, 1950 का संदर्भ देता हूं। 1950 का अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई सम्मानीय व्यक्ति···

**अध्यक्ष महोदय** : आप दो बार कह चुके हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : आखिर हम सब जो कुछ बोल रहे हैं वह असंगत तो नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : पुनरावृत्ति है।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं साफ साफ यह जानना चाहता हूं कि इसकी वैधानिक व्याख्या क्या है। क्या यह अधिनियम सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह यह देखें कि ...

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात रिकार्ड में आ चुकी है।

**प्रो० मधु दंडवते** : इसीलिए प्रधान मंत्री के द्वारा अथवा उनकी तरफ से किसी आफिसरी द्वारा सहमति दी गई थी।

**अध्यक्षम होदय** : यह बात इस संदर्भ में नहीं आती है इसकी अनुमति नहीं है। नहीं-नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

**प्रो० मधु दंडवते** : एक बात और है जिसका जिक्र अन्य सदस्यों ने अब तक नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि लोक राज्य प्रकाशन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परन्तु हमारे लोकतंत्र ढांचे में विधायिका के सामने रखा गया बजट अपनी कोई पवित्रता रखता है। 9 अक्टूबर, 1981 को महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की नामक एक संस्थान है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात रिकार्ड पर है। इसमें क्या कहना है।

**प्रो० मधु दंडवते** : और इसे एक करोड़ 90 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य के वित्त मंत्री को उपरोक्त अधिनियम 1950 का उल्लंघन करके प्रधान मंत्री के नाम का दुरुपयोग करने की हिम्मत हो सकती है। मैं इस बारे सभा में सरकार की व्याख्या जानना चाहता हूं। मैं क्यों ये सब बातें उठा रहा हूं।...

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया भाषण समाप्त करें।

**प्रो० मधु दंडवते** : बस एक मिनट। मैंने तो अभी शुरू किया है।

आधी चर्चा तो व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में थी। मैं तो जो प्रश्न पूछना चाहूंगा और जोकि बहुत ही संगत है वह यह है :

मैंने इस विषय में लम्बी अवधि तक प्रधान मन्त्री की चुप्पी का प्रश्न उठाया था। कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में तो मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहूंगा। क्या वह इस मामले में अपनी चुप्पी खत्म करना चाहेंगी और इस चर्चा के माध्यम से सभा को विश्वास में लेना चाहेंगी ? मैंने उन्हें एक खुले पत्र में कहा है कि झूठ बोलने पर ही सच्चाई सामने आती हो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, परन्तु प्रायः ऐसा होता है कि षडयंत्रबद्ध चुप्पी सच्चाई को

जरूर उजागर कर देती है और मैं उनसे अर्थात् सभा के नेता और देश की प्रधान मंत्री से, यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस षडयंत्रबद्ध चुप्पी से समाप्त करने को तैयार हैं और अधिकृत रूप से यह बताने को राजी हैं कि इस विशिष्ट मामले में क्या होगा।

श्रीमन् देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। जब यहां कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया तो गृह मंत्री ने कहा—जहां तक कानून का मामला है कानून मंत्री इस मामले को देखेंगे और जहां तक व्यवस्था का मामला है वह हमेशा प्रधानमंत्री महोदया ही हमेशा करवाती हैं। मेरा संबंध तो केवल गृह-कार्यों से है।" गृहमंत्री ने यही सब यहां कहा था। गृह मंत्री ने अपने उक्त अविद्वतापूर्ण रवैये के कारण कानून और व्यवस्था को दो लोगों में बांट दिया है और कहा है कि 'गृह' के लिये कुछ नहीं नया है और इसी कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से आप विकेन्द्रीयकरण को प्रचार करने का प्रयास करते रहे हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : यह विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया नहीं है। यह तो केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया है जिसमें प्रधान मन्त्री के हाथों में अधिकाधिक शक्तियां दी जा रही हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा यहां अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का एक रास्ता देश में, विशेषतया राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति का पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाना है। देश की राजधानी दिल्ली अपराधियों की राजधानी बन गई है और अपराधों का गढ़ बन गई है। मैं चाहता हूं कि यह स्थिति समाप्त हो।

अब देखिये कि सरकार ने क्या आंकड़े दिए हैं। महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार—

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन लाल सुखाडिया।

**प्रो० मधु दंडवते** : कृपया इस तरह बाधा मत डालिये। आपने प्रत्येक को पर्याप्त समय दिया है। आधा समय तो व्यवस्था के प्रश्नों पर ही निकल गया। इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। कई बातें उठाई गई हैं। मैं श्री अन्तुले संबंधी मामलों से दूसरे मामलों पर आया हूं। मुझे इन मामलों पर बात पूरी करने दें।

मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां कब तक मुरादाबाद काण्ड, बिहारशरीफ हैदराबाद तथा इन्दौर जैसी घटनायें होती रहेंगी। जो घटनायें जमशेदपुर में हुई घटनाओं जैसी मैं और हम नहीं चाहते कि साम्प्रदायिक स्थिति उग्र हो। यह स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है और हम चाहेंगे कि हममें कोई सुधार हो। (व्यवधान)

महोदय, 1952 में पहली दो लोकसभा में, राष्ट्रपति के अधिभाषण पर बोलते हुए कामरेड ए० के० गोपालन ने कहा था : यह देश में लोगों पर घोषित किया गया युद्ध है और हमें इस युद्ध का मुकाबला करना होगा।"

[प्रो० मधु दण्डवते]

हमारे देश में एक लोकतान्त्रिक युद्ध घोषित हुआ है। इस तथ्य के बावजूद भी अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम पारित किया गया है कि वर्ष में 1979 में 408.5 करोड़ जन दिवस नष्ट हुए थे जब कि 1980 में यह संख्या घटकर 219.3 करोड़ रह गई थी। हमारे पास आवश्यक सेवा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हैं। न्यायपालिका को दबाया जा रहा है ताकि केन्द्रीय वित्त मंत्री को मुख्य मंत्रियों के पास इस आशय का एक परिपत्र भेजने का साहस हो जाये कि देश में एक वचन-बद्ध न्यायपालिका है। तब न्यायालय को वचनबद्ध होना तथा तदुपरान्त समाप्त हो जाना होगा। यह तो रवैया है। वे चुनाव आयोग को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं और एक केबिनेट मंत्री ने कहा था कि यदि गढ़वाल में चुनाव कराने के आदेश दिये गये हैं तो हम यह प्रयास करेंगे कि क्या हम तुम्हें चुनाव आयोग की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार दे दें। वे यहां राष्ट्रपति शासन की विचारधारा बनाते जा रहे हैं। यह लोकतंत्र को चुनौती देना है और इस अविश्वास प्रस्ताव में हम अपना संकल्प घोषित करते हैं। यह इस दरबार में अत्याचारपूर्ण नीतियों से लोहा लेने का चार्टर है ताकि हम इस सरकार को समूल रूप से निकाल बाहर फेंकें।

**श्री मोहन लाल सुखाड़िया** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर दण्डवते जी को बहुत अरसे के बाद प्रधान मन्त्री के सामने बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सोचा कि सभी बात अपनी कह लूं तो अच्छा है। इसलिए उन्होंने सारी बातें चाहे रेलीवेंट थी या नहीं थीं कहना इस मौके पर अच्छा समझा। मैं समझता हूं कि शायद यह पार्लियामेंट के इतिहास के अंदर पहला मौका होगा कि जब एक विषय को लेकर के, इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के नाम को लेकर के लगातार किसी न किसी रूप में इस सदन के अंदर चर्चा करने की कोशिश की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल नाम का प्रश्न नहीं है जिसकी वजह से विरोधी पक्ष या कुछ दूसरे लोग इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखने लग गए हैं कि आया प्रधान मन्त्री जी का नाम इसके अंदर था या नहीं था। सच बात तो यह है कि पिछले करीब पौने दो वर्ष के अंदर जो हालात देश के अंदर खराब हुए थे उनके ऊपर काबू पाया जा रहा था, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी तो लोगों का ध्यान को इस तरफ से हटाकर किसी तरह से हमारे देश की प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी की इमेज को धक्का पहुंचाया जा सके इस ख्याल से इन सारी चीजों को किया जा रहा है। इसके पीछे कोई नाम वाला प्रश्न उतना नहीं है।

मैं निवेदन करूं कि जिस प्रतिष्ठान को कायम किया गया जो उसके उद्देश्य हैं, अगर प्रधान मन्त्री जी यह कह भी देतीं कि मैंने अपने नाम के लिए स्वीकृति दी तो प्रतिष्ठान के अंदर क्या बुराई थी कि जिसकी बजह से यह कहने का मौका होता कि क्यों नाम दे दिया ? कहा जा सकता है, कोई भी देने के लिए नाम दे सकता था। जो कुछ उसके आबजेक्टिव हैं उनके साथ कोई दो राय नहीं रखकर चल सकता कि आबजेक्टिव ठीक नहीं थे। इसलिए कहने के लिए प्रधानमंत्री अगर कह देतीं कि हां, मैंने नाम दिया था तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि 23 जून को प्रधान मंत्री ने लिखकर के भेजा जिसका जिक्र राज्य सभा के सभापति महोदय ने अपने प्रिविलेज मोशन के जवाब के अंदर किया है कि प्रधान मन्त्री के असिस्टेंस सेक्रेटरी श्री धवन ने लिखकर के भेजा कि उनके नाम को इस लेट स्टेज के ऊपर भी इससे अलग कर दिया जाय। जेठमलानी जी ने अभी कहा कि मैंने 25 जुलाई को लिखकर के भेजा। अखबारों के अंदर चर्चा

अगस्त से चली । इसलिए कोई अगर यह कहे कि अखबारों में चर्चा चलने लगी इसलिए प्रधान-मन्त्री ने ऐसा कह दिया तो यह समझना गलत है क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था और मैंने जैसा कहा अगर उद्देश्यों को देखते हुए वह हां भी कह देतीं तो उसे नां कहने का प्रश्न नहीं उठता था । हमें इस बात के लिए कम से कम इतना शिष्टाचार तो लेकर चलना होगा कि जब प्रधान मंत्री यह कहें कि मैंने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी, केवल एसोशिएट करने वाली बात पर हस्ताक्षर किए हैं तो फिर उसके ऊपर इतना तूफान क्यों ? निश्चित तौर से इसके पीछे जो कुछ दिखता है वह बात नहीं है । उसके पीछे छिपी हुई कुछ और बड़ी बातें मालूम होती हैं कि जिनको लेकर लगातार एक पत्र के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है, विरोध पक्ष के द्वारा किया जा रहा है और खास तौर से विरोध पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा इन चीजों को उठाया जा रहा है ।

अभी यहां पर कहा गया कि कुछ जरूरी चीजों पर क्यों कि सदन में बहस नहीं की जा सकी इसलिए यह प्रस्ताव आया लेकिन अभी इस सदन में जो बहस चली उसमें सिवाय समर मुखर्जी के और दूसरे जो माननीय सदस्य बोले वे अन्तुले की बात बोलने लगे । हम कोई यहां पर अन्तुले के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बैठे । मैं निश्चित तौर से यह मानकर चलता हूं और कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति गहराई से सोचेगा तो मानेगा कि अन्तुले के अन्दर अति उत्साह हो सकता है, गलत-फहमी में हो सकता है या और किसी कारण से हो सकता है लेकिन प्रधान मन्त्री जी ने निश्चित तौर से स्वीकृति नहीं दी, यह बात साफ तौर से जाहिर होती है । जो 11 अक्टूबर के कागज को पेश किया गया है वही तो एक डाक्यूमेंट है, बाकी किसी अखबार में क्या निकला, कहां क्या भाषण दिया, क्या दूसरी चीजें हुई उसका कोई महत्त्व नहीं है । फिर उसके बाद 23 जून वाली बात का जिक्र क्यों नहीं करते ? 23 जून को किसने लिखकर भेजा था ? 23 जून को क्या लिखकर भेजा गया और किसने लिखकर भेजा ? क्यों लिखकर भेजा ? कि यह नाम काम में लाया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर भी मेरे नाम को अलग कर दीजिए । मैं और अधिक इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि यह महाराष्ट्र की विधानसभा का क्षेत्र है जिसके अन्दर इन चीजों पर चर्चा की जानी चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** सुखाड़िया जी, मैं आपका एक मिनट लूंगा । मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो बड़ी बातें थीं वह आ गई हैं, अब रेपिटीशन करने की आवश्यकता नहीं है । अब मैं हर एक मेम्बर को हिसाब से ही टाइम दूंगा और 8 बजे इसको खत्म करूंगा । (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री और अन्तुले जी के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसको सभा-पटल पर रख दिया जाए । (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल सुखाडिया :** इस सदन में प्राइसेज के सवाल पर डिक्शन हो चुका है, दूसरी चीजों पर भी डिस्क्शन हो चुका है । अक्सर देश में जो साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं उनके बारे में गहराई के साथ विचार करने की जरूरत है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि जो रिपोर्ट जमशेदपुर के बारे में आई है उसमें साफ तौर पर जो लिखा गया है उसमें थोड़ा सा पढ़कर यहां पर सुनाना चाहूंगा :

"घटनाक्रम का वर्णन करते हुए आयोग कहता है कि 21 मार्च, 1 अप्रैल, 1979 को

[श्री मोहन लाल सुखाडिया]

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा, रामनवमी के त्यौहार से केवल पांच दिन पहले शिखर तथा शाखाओं का आयोजन किया जाना तथा 1 अप्रैल को सायं 4-30 बजे श्री बालासाहब देवरस द्वारा भाषण दिया जाना इस इस्पात नगर में दुखपूर्ण एवं क्षोभजनक साम्प्रदायिक सदस्यता का प्रारंभ था।" इस में इसके आगे इस बारे में और भी बहुत कुछ कहा गया है। क्या आज कहीं पर कोई नाम कैसे आ गया, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे या जहां पर एक इंक्वायरी कमीशन ने निश्चित तौर इस्टैबलिश किया है कि आर एस एस का साम्प्रदायिक वर्गों में हाथ था, उस पर भी यहां चर्चा होगी? (व्यवधान)

**श्री आर० के० मदालगी**: कृपया पूरे प्रतिवेदन को पढ़िये और फिर बोलिए।

**श्री मोहन लाल सुखाडिया**: इस सिलसिले में एक एम० एल० ए० को सस्पेन्ड करके लोगों की आंख में धूल डालने का काम किया गया है जिससे कि लोग यह समझें कि आर० एस० एस० और देवरस का नाम नहीं आया। यह रिपोर्ट जो मेरे सामने है, इस तरह की घटनाएं इस देश को जला सकती हैं, इस देश के टुकड़े कर सकती हैं और देश को बरबाद कर सकती हैं। अगर यहां पर इन चीजों पर चर्चा की जाती तो देश का कुछ भला हो सकता था। नाम कब लिखा गया और कब हटाया गया—इस बात को लेकर एक महीने से जमीन और आसमान को एक किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, आपने एक बार सदन में कहा था कि किसानों से चुनकर सभी आते हैं। मैं निवेदन करूं कि इस सदन में जब सूखे के ऊपर चर्चा हुई तब केवल 8 आदमी यहां मौजूद थे। इस प्रकार के प्रश्न जिनका इस देश के करोड़ों लोगों से सम्बन्ध हो या कहीं कम्युनल रायट्स का प्रश्न हो—उन प्रश्नों पर अगर चर्चा नहीं करेंगे तब किस बात पर चर्चा करेंगे?

कहा गया कि इस देश में जुडीशियरी खतरे में हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब जनता पार्टी का राज आया और जार्ज फर्नान्डीस के खिलाफ बड़ौदा डायनामाइट केस चल रहा था, उसके सिलसिले मे क्यों कोर्ट की स्पेशल बैठक बुलाई गई और सरकार की ओर से शपथ दिलाकर केस को विद्ड्रा किया गया? उस वक्त जुडीशियरी कहां चली गई थी? आज कहा जा रहा है कि जुडीशियरी खतरे में है, लोकतन्त्र खतरे में है। लेकिन एक बात मानकर आप चलिए कि कांग्रेस के रहते देश में लोकतन्त्र खतरे में पड़ने वाला नहीं है।

दुनिया में कई जगह लोकतंत्र चला गया, लेकिन इस देश में आज लोकतन्त्र कायम है। दुनिया यह समझती थी कि इमरजेंसी लागू करने के बाद चुनाव नहीं होंगे' लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने देश में चुनाव कराये और लोकतन्त्र को स्थापित किया, इस बात से आप इन्कार करके नहीं चल सकते हैं। लोकतन्त्र की बात पर आप कहते हैं कि हम लोकतन्त्र नहीं मानते। कौन लोकतन्त्र को नहीं मानता, ऊपर से लोकतन्त्र के लिए दुहाई देना आसान बात है, लेकिन लोकतन्त्र को मानने वाले कितने हैं, यह आप जानते हैं। कांग्रेस (आई) को कहा जाता है कि फासिस्ट है और आर० एस० एस० डैमोक्रेटिक है—(व्यवधान)—कहा जाता है कि हम डैमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं ...

**अध्यक्ष महोदय**: काले बाल वाले तो करते हैं, लेकिन सफेद बाल वाले भी।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** इस बात को लेकर एक बार प्रधान मंत्री जी ने कह दिया, तो मैं समझता हूं कि उसको समाप्त कर देना चाहिए था। एक माननीय सदस्य ने कह दिया सदन में कि कोई चीज गलत है, तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से फाईनेंस मिनिस्टर ने कह दिया, स्पष्टीकरण हो गया, तब भी लगातार उसकी चर्चा की जा रही है । जैसा मैंने कहा कि उसके पीछे कोई गहरी साजिश है, उस साजिश को ससझने की जरूरत है। यह कहते हुए मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** (पोलाच्ची) : अध्यक्ष महोदय मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसे हमारे इन मित्रों ने रखा है तीन महीने के भीतर उनका यह दूसरा प्रयास है। मैं समझता हूं यह उनका अंतिम प्रयास ही होना चाहिये। पिछले सत्र के अन्तिम चरणों में विभिन्न राजनैतिक दलों के कुछ संसद सदस्यों ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा था अब, हमारे उन मित्रकों के तत्त्वों से मुझे सरकार के विरुद्ध कोई नये मुद्दे नहीं मिलें हैं सिवाय इसके कि उन्होंने श्री अन्तुले का मामला लिया है। हमने आदान-प्रदान के बारे में कुछ न कुछ कहा है। मेरे जिन बहुत से मित्रों ने यह तमिलनाडू की अनाकद्र प्रमुख सरकार के बारे में कुछ कहा है, मैं नहीं जानता कि वही लोग किस मुंह से श्री अन्तुले से संबंधित मामलों के बारे में कुछ भी कह सकते हैं।

जहां तक राजनैतिक व्यक्तियों का संबंध है देश का कोई भी राजनैतिक इस प्रकार के अरोपों से बच नहीं सका है । हमने एक अन्य आयोग के बारे में भी सुना है जिसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस सभा में हमने कई बार इसकी चर्चा का अनुरोध किया है। इस आयोग ने तत्कालीन प्रधान मंत्री के पुत्र कान्ति देसाई के बारे में निम्नलिखित कहा है :

"अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने और इसे निरन्तर बढ़ाते रहने के लिये सरकारी तंत्र पर अपने विशाल संविधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए"

सरकार ने एक अन्य टिप्पणी भी दी है। वह निम्न प्रकार है :

"एक व्यापार-गृह को लाभ पहुंचाने हेतु पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न के आयात संबंधी नीति में छूट दिलाने के लिए तथा डा० धर्म तेजा को पासपोर्ट दिलाने तथा देश छोड़ने में सहायता देने हेतु जबकि उसे राजकोष का अदा न किये गये करों की 6 करोड़ रुपये की अदायगी करनी थी.....।"

ये वे नैतिकता वादी और गांधीवादी है जो राजनीति में अपने ही ढंग का व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं।

श्रीमती गायत्री देवी और श्रीचरण के पुत्र श्री विक्रमसिंह के बारे में भी एक अन्य टिप्पणी है। यह वैद्यलिंगम् आयोग के प्रतिवेदन में की गई है। मैं उसी प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं :

"उन्हें (श्रीमती गायत्री देवी को) उत्तर प्रदेश में आपराधिक कार्यवाहियों तथा प्रशासनिक स्थानान्तरणों में हस्तक्षेप करने और शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां दिलाने का वायदा करके उनसे काफी बड़ी-बड़ी राशियों वसूल करने के अपराध का दोषी पाया गया है।"

**एक माननीय सदस्य** : क्या उक्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है ?

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : मे बातें मैंने वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन से ही ली हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं इन्हें सभा पटल पर भी रख दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी है यह वैद्यलिंगम् समिति के प्रतिवेदन से आया है जिसे सभा पटल पर रखा जा चुका है।

**श्रीमती गायत्री देवी** (कैराना) : मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं उसकी सफाई देना चाहती हूं।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : यह वैद्यलिंगम समिति का प्रतिवेदन है।

**एक माननीय सदस्य** : ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना जो कि सभा में उपस्थित नहीं है : (**व्यवधान**)

**श्री रशीद मसूद** (सहारनपुर) : लोकदल इस पक्ष में है कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा हो।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : मैं आपको बता रहा हूं कि यह बातें वैद्यलिंगम प्रतिवेदन में हैं।

अब महोदय, कुछ तर्क दिये गए थे कि आजादी पाने के बाद से इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। आरंभ में पहली योजना हेतु स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया गया था और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों को पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सुविधायें दी गई थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार विदेशी मुद्रा के संकट का सामना कर रही थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान—और हम जानते हैं कि चीनी आक्रमण ने स्थिति को और भी अधिक खराब कर दिया था—सरकार को तीन वर्ष के लिए योजना-व्यवधान रखना पड़ा था। जहां तक चौथी योजना का संबंध है हालांकि इसका प्रारंभ 1969-70 में हुआ था, तेल संकट के कारण वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी और पाकिस्तान के साथ संघर्ष ने जलते में घी का कार्य किया था। पांचवी योजना शुरु की गई थी परन्तु चुनावों के कारण उसे पूरा नहीं किया जा सका था। अब हम अपनी स्थिति में सुधार करते आ रहे हैं। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल में हम बहुत से उद्योग देखते हैं; मेरे अपने राज्य में भी सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में बहुत से उद्योग हैं। मुझे कहना ही चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने देश में विराम की नींव रखी है। बेशक, देशों में 1967 के बाद के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों का शासन रहा है, परन्तु कांग्रेस दल ने ही आय के प्रगति का दायित्व निभाया है। अतः ये लोग यह नहीं कह सकते कि सरकार ने देश में कुछ नहीं किया है।

अगली बात यह कही गई कि यद्यपि इस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है परन्तु यहां केवल तानाशाही चल रही है। मैं इस बात से सर्वथा असहमत हूं। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। यह एक यंत्र है। हम अनेक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने की अनुमति दी गई है। समय-समय पर चुनाव हुए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि देश में तानाशाही है। तानाशाही व्यवस्था

में चुनाव तो नही होते। बोलने के लिये मंच नहीं होते। कोई व्यक्ति खुले रूप में बोल नहीं सकता। सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। यह देश लोकतांत्रिक है और यहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ही अनुदाय होता है। अत: मैं इस बात से पूरी तरह इंकार करता हूं। दूसरी बात यह है... व्यवधान

**एक माननीय सदस्य :** यह आपका दायित्व तो नहीं है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि :** फिर यह कहा गया है कि लोग इस सरकार का और इस मंत्री परिषद् एवम् श्रीमती गांधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

हमने हाल में हुए उपचुनावों को देखा है। लोगों ने इस सरकार का समर्थन किया है और अनेक क्षेत्रों में कांग्रेस दल का समर्थन किया है। अत: हम यह नहीं कह सकते कि लोगों ने इस सरकार या कांग्रेस दल पर से अपना विश्वास उठा लिया है। इसके विपरीत, लोग सरकार और कांग्रेस दल के साथ हैं। अत: यह तर्क भी निरर्थक है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है, मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे अपने देश की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें। यह ऋण सदस्य-देशों को दिया जा रहा है। भारत को धन की अत्याधिक आवश्यकता है क्योंकि बाहर से तेल आयात करने पर हमारा खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1977-78 में यह 1560 करोड़ रुपये था जोकि 1980-81 में बढ़कर 5500 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है अर्थात तिगुना बढ़ गया है। इसलिए सरकार को विदेशों से सहायता मांगनी पड़ती है या अपने ही देश में कुछ संसाधन जुटाने पड़े हैं। हर हालत में सहायता तो लेनी ही पड़ेगी।

सम्पूर्ण देश को इस सरकार को मुबारक बाद देना चाहिए। क्योंकि यह असम के मामले में बड़ी सावधानी से कार्यवाही कर रही है। असम की स्थिति हमारे राजकोष पर भी दुष्प्रभाव डाल रही है। इस दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेना जरूरी है।

जहां तक राज्यपालों का प्रश्न है, राज्यपाल जनता शासन काल में नियुक्त किए गए थे। जब एक नया दल सत्ता में आता है तब क्या राज्यपालों का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि वे राज्यपाल के रूप में काम करें न कि दल विशेष के समर्थकों के रूप में। चूंकि मद्रास में श्री पटवारी ने दल विशेष के समर्थक के रूप में काम किया, इसलिए उसे इस्तीफा देना पड़ा। जनता शासन काल में नियुक्त किये गये राज्यपालों ने दलीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। अत: मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वह उन राज्यपालों को पद पर क्यों बने रहने दे रही है जोकि जनता शासन काल में नियुक्त किए गए थे।

**प्रो० मधु दण्डवते :** क्योंकि वे रानी से भी अधिक स्वामि भक्त हैं।

**श्री सी०टी० दण्डपाणि :** राज्यपाल केन्द्र और राज्यों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। वे केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता होते हैं। और केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं।

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

मैं इस संबंध में अनेक उदाहरण दे सकता हूं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जनता शासन काल में नियुक्त किए गए शेष राज्यपालों को भी वह उनके पद से हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री समर मुखर्जी ने अलकोहल वितरण के संबंध में बात कही है। यह उनकी एक सच्ची शिकायत है। पश्चिम बंगाल सरकार को महाराष्ट्र से औद्योगिक प्रयोजन के लिए अल्कोहल नहीं मिल सका है। तमिलनाडु में भी वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। 1979-80 में केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को निदेश दिया था कि वह पश्चिम बंगाल को 10 लाख लिटर औद्योगिक अल्कोहल दे किन्तु यह उन्हें न दिया गया। वह केरल को भेज दिया गया। और यही वह कांड है जिसे "स्प्रिट कांड" के नाम से जाना जाता है। बात यह नहीं है कि मैं श्री मुखर्जी के तर्क का खंडन कर रहा हूं परन्तु मैंने यह बात सिर्फ उनकी जानकारी के लिए कही है।

अब मैं जो तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या है और ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि तमिलनाडु और दिल्ली में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और दोनों ही जगह कांग्रेस आई, सत्ता में है। मैं यह कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी, जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में बहुत से लोग मारे गये। कल ही श्री करुणानिधि के गिरफ्तारी के मामले को लेकर किसी ने आत्म हत्या की है। एक दूसरा व्यक्ति हृदय रोग से मर गया है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) अन्ना द्रमुक दल से सांठगांठ किए हुए है। वे दोनों ही दल तमिलनाडु में किए जा रहे अत्याचारों के प्रति मौन हैं परन्तु जब यहां कुछ हो जाता है तो वे जोर-जोर से चिल्लाते हैं क्या यह उनकी दुतरफा नीति नहीं है ? वे ऐसी नीति क्यों अपना रहे हैं ? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

यह अविश्वास का प्रस्ताव कुछ नहीं है केवल राजनैतिक उत्तेजना मात्र है और मैं इसका पूरे जोर-शोर से विरोध करता हूं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट)** : अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि एक बात को बार-बार न कहा जाए और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि पुनरावृति न हो।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं जो कहने जा रहा हूं वह कानून की पुस्तकों या कानूनी दास्तावेजों अथवा प्रक्रिया नियमों के बारे में नहीं है। मैं पहले अवसरों पर भी यह कह चुका हूं कि मुझे इनके बारे में बहुत अधिक चिन्ता नहीं होती है। मुझे चिन्ता इस बारे में है कि संसद में जो स्तर होना चाहिए या वहां जो परम्पराएं और सिद्धांत अपनाये जाने चाहिए उनमें दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है। मैं इन बातों को बहुत महत्त्व देता हूं और मैं उनकी कद्र करता हूं क्योंकि संसदीय परम्पराएं किसी दस्तावेज में लिखी हुई नहीं हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो वर्षों में विकसित हुई हैं। और जो संसद की तरह से आत्मा बन गई हैं। आप उन्हें कहीं नियम पुस्तिका में नहीं खोज

सकते। इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण झमेला जो पिछले 10 या 15 दिन से चल रहा है—और मैं नहीं जानता कि और कितने दिन यह चलेगा—संसद के दोनों सदनों में जो बार-बार उठाया जा रहा है वह यह है कि क्या प्रधान मंत्री ने अपने नाम के उपयोग की अनुमति दी थी या नहीं दी थी। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने जो इस लोक सभा की नेता भी हैं, इतने लम्बे समय तक दोनों सदनों में यह चर्चा इतने लम्बे समय तक क्यों चलने दी और सभा में अपना दायित्व निभाने में वह असफल क्यों रही हैं? मुझे दुख है कि बेचारा श्री वेंकटरामन किसी दूसरे के मामले में फंस गया है।

मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि कौल और शकधर द्वारा लिखित "प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामेंट" नामक पुस्तक का इस सभा में बार-बार उल्लेख किया गया है। हालांकि मैं उदाहरण देने का आदि नहीं हूं जबकि श्री स्टीफन ने इस पुस्तक से बार-बार उदाहरण दिए हैं। इस पुस्तक के अध्याय सात में संसदीय कृत्यों के बारे में उल्लेख है। उसके पृष्ठ 112 पर अनुच्छेद 6 है जिसमें सभा के नेता के बारे में कहा गया है। मैं उसी से उदाहरण दे रहा हूं:

"सामान्यतः प्रधान मंत्री लोक सभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। सभा का नेता एक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता है और वह सभा के कार्य पर अपना सीधा प्रभाव डालता है। सरकार की सम्पूर्ण नीति, जहां तक यह है सभा के आन्तरिक जीवन और सभा में कार्य संचालन सम्बन्धी मामलों में परिलक्षित होती है, प्रधान मंत्री में सन्निहित होती है।"

—चाहे प्रधान मंत्री पुरुष हो या महिला, यथा स्थिति—

"सदन का नेता सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रक्रिया संबंधी मामलों को भी देखता है और आवश्यकता पड़ने पर या कठिनाई उत्पन्न होने पर सभा को सलाह देता है।"

सचमुच अब एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : हमें मालूम नहीं कठिनाई क्या है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपको मालूम क्यों होगी? आपकी दृष्टि से तो हम पिछले 10 दिनों से सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

आगे पृष्ठ 114 पर निम्नलिखित लिखा है :

"सदन का नेता न केवल सरकार और सभा में उसके समर्थकों के प्रति उत्तरदायी होता है बल्कि वह प्रतिपक्ष और पूरी सभा के लिए उत्तरदायी होता है। वह सत्ताधारी दल तथा प्रतिपक्ष सभी के उचित अधिकारों का संरक्षक होता है। अतः यह सम्पूर्ण सभा के अधिकारों के हिमायतियों में सबसे आगे होता है और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी ओर से दबाव के बावजूद सभा को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सभा के नेता में ऐसा अन्तर्ज्ञान होना चाहिए कि दोनों पक्षों के सदस्यों के मनों में क्या है और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसके स्वरूप और आयाम का अनुमान लगाने में भी वह समर्थ होना चाहिए।"

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

यदि आप चाहते हैं तो मैं इस संबंध में और आगे उद्धरण दे सकता हूं परन्तु मैं सभा का समय बरबाद नहीं करना चाहता। यदि आप में कोई "पार्लियामेंटरी प्रेक्टीस" नामक पुस्तक को अधिक पसन्द करते हैं तो मैं उससे एक वाक्य का उद्धरण देना चाहूंगा उसके पृष्ठ 244 पर अर्कसींनमे ने कहा है :

"सभा का नेता सभा के प्रति समग्र रूप से जिम्मेदार होने के नाते प्रत्येक कठिनाई के समय, जब भी वह सभा के सामने आये, सभा को सलाह देता है।"

गत कुछ दिनों की चर्चा से जो तथ्य सामने आए हैं वे बहुत ही चिन्ता जनक हैं, मैं अन्तुले के मामले के बारे में चिन्तित नहीं हूं। ऐसे अनेक अन्तुले प्रकाश में आएंगे। बात यह नहीं है कि आप अन्तुले के साथ क्या करते हैं या क्या नहीं करते। बात यह है कि सम्पूर्ण देश इस ओर आंखे लगाए बैठा है। इससे भी अधिक चिन्ताजानक बात मेरे मन में यह उठ रही है कि इन पुस्तकों में प्रधान मंत्री के जिन दायित्वों और कर्त्तव्यों का उल्लेख सभा के नेता के रूप में स्पष्ट रूप से किया गया है और जिनसे उद्धरण मेरे मित्र श्री स्टीफन ने बार-बार दिया है...

**एक माननीय सदस्य** : जब विषय उनके अनुकूल होता है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अब वे सिद्धांत और मूल्य छोड़े जा चुके हैं।

प्रधान मंत्री को अन्तुले कांड के बारे में हुए शोर-शराबे को शांत करने का प्रयास करना चाहिए था। सभा का नेता ही ऐसा करने की स्थिति में होता है। सभा से अनुपस्थित रहने की बजाय प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिए था और उन्हें केवल दो चार वाक्य बोलकर ही इस मामले को स्पष्ट कर देना चाहिए था जिससे यह मामला भी निपट जाता और आप भी कष्ट उठाने से बच जाते और आपको अपना विनिर्णय देने के लिए अध्ययन करने में जो इतने दिन लगाने पड़े वे न लगाने पड़ते। प्रधान मंत्री को सिर्फ यह करना था कि वह सभा में आतीं और स्थिति स्पष्ट कर देती क्यों कि वह ही इस मामले को जानती थी और किसी अन्य को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह इतना कह सकती थीं कि मैंने अपने नाम का उपयोग किए जाने के लिए अनुमति नहीं दी" और इसके साथ ही यह मामला समाप्त हो जाता तथा 10-12 दिन का हो हल्ला हुआ, वह न होता अथवा वह यह कह सकती थीं कि " मैंने अपने नाम के उपयोग के लिए अनुमति दे दी थी और दुबारा विचार करने पर मैंने यह सोचा था कि यह उचित नहीं है और इसलिए अपनी अनुमति वापस ले ली थी" इन दोनों बातों में वह जो चाहे कह सकती थीं परन्तु उन्होंने तो इतना भी करने का कष्ट नहीं किया।

मुझे यह कहते हुए खेद और आश्चर्य हो रहा है कि प्रधान मंत्री ने संसदीय परम्पराओं को नहीं निभाया है जिनका आदर उनके पिताजी भी करते थे। थोड़े समय के लिए उनके साथ काम करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है परन्तु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वह हमेशा सभा की परम्पराओं को बनाये रखना चाहते थे। मैं सोच यह रहा हूं कि हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया ? प्रधान मंत्री एक शब्द से ही उस सारे शोर गुल को समाप्त कर सकती थी जो कि इतने दिन तक सभा में चलता रहा।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मेरे विचार से सभा में शांति ही थी ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अच्छा तो वह दुविधा में थीं, मैं यह समझता हूं ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : दुविधा बिलकुल नहीं थी ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं इस दुविधा को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं दुविधा में बिल्कुल नहीं हूं क्या आप दुविधा में हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने दूसरे के मन का अध्ययन करना सीखा है ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जी, नहीं ।

**प्रो० मधु दंडवते** : इस मामले में उन्होंने पहली बार कुछ कहा है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इसके लिए में आभारी हूं । यदि उन्हें दुविधा (डिलैमा) शब्द पसन्द नहीं है तो मैं इसे वापस ले लेता हूं । परन्तु मैं आपको यह बताऊंगा कि वह क्या होता है ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मुझे इस शब्द पर आपत्ति नहीं है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दो विकल्प हैं । मेरा मतलब है; यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में क्या हुआ था और इस बात के बारे में उसको वही कहना चाहिए जो वास्तव में हुआ था । परन्तु यदि प्रधान मंत्री ने कहा है कि "मैंने अनुमति नहीं दी थी तो श्री अन्तुले को क्या हुआ था ? उनकी स्थिति ऐसी बन गई जिसके लिये कोई बचाव नहीं है, क्योंकि प्रधान मंत्री का नाम उपयोग में लाया गया । यदि प्रधान मंत्री की अनुमति के बिना उसके नाम का उपयोग किया गया है तो श्री अन्तुले किस स्थिति में हैं । दूसरा विकल्प यह है । यदि प्रधान मंत्री कहती हैं कि प्रारम्भ में कभी या थोड़े से समय के लिए उन्होंने अनुमति दी थी तो यह पहाड़ श्री वेंकटरामन पर टूट पड़ा है । ऐसी स्थिति में उस बेचारे का क्या बनेगा ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि वह उन्हें "बेचारे वेंकटरामन" के नाम से पुकारते आ रहे हैं । उन्हें 5000 करोड़ रुपया मिला है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह राशि उन्हें अपने लिए नहीं मिली है बल्कि यह आपके लिए भी है । इसलिए मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : कम से कम इन्हें सहानुभूति तो है । यह तो स्पष्ट हो गया है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : महोदय, इसकी और भी उदार व्याख्या की जा सकती है । (व्यवधान)

इसका उदार निष्कर्ष यह होगा कि सत्ताधारी दल ने यह सलाह दी है कि प्रधान मंत्री बीच में कुछ भी न कहें और इस स्थिति को शांत न करें । शायद इस पागलपन में भी कोई रहस्य छिपा है । यदि यह शोर शराबा कुछ और दिन चलता रहे तो कुछ लोग यह कहने लगेंगे कि संसद इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती और यह संसदीय लोकतंत्र संसद में केवल अराजकता पैदा करता है ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इसलिए यह अच्छा होगा कि इस पद्धति को ही बदल दिया जाये (व्यवधान) आपका यह कहना तो आपकी कल्पना मात्र है (व्यवधान)

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : प्रधान मंत्री को लोगों की विचार धारा के अनुरूप काम करना पड़ता है, क्या आपकी यह विचार धारा है। और आप ऐसा किसके लिए सोच रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्री सिंह, आपने मेरी बात ठीक से नहीं समझी है। मैंने यह नहीं कहा था कि उनके मन में यह अन्तिम बात थी। यह आपके मन में भी हो सकता है (व्यवधान)

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : इस बारे में कोई दुविधा नहीं है और हम इस बारे में स्पष्ट हैं।

**श्री नीरेन घोष** : जो वह कहने का प्रयास कर रहे हैं आप उसे कैसे समझ सकते हैं?

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : क्या केवल आप अकेले ही समझने वाले व्यक्ति हैं। (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं एक दो बातें और कहना चाहूंता हूं। जहां तक इस अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध है। गत सत्र और इस सत्र के बीच दो महत्त्वपूर्ण और अभूतपूर्व घटनाएं घटी हैं। मैं उन पर कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि उन पर अलग से चर्चा की जा चुकी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं नया क्या है। श्री भगत ने कहा है कि 'उसमें कुछ भी नया नहीं है। वह बार-बार एक ही बात क्यों दोहराते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता कि सत्ताधारी दल उन कार्यों का आदी हो गया है जो वह कर रहा है और वे वह समझ रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु पुरानी ही है।"

दो अभूतपूर्व घटनाएं घटी हैं। एक यह है कि आपने हड़ताल पर पूर्ण रोक लगाने की शक्ति अपने हाथों में ले ली है। यह पहले नहीं थी, आपात काल की स्थिति के दौरान भी नहीं थी।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : 1968 का अधिनियम है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतनी बड़ी राशि का ऋण जितना कि किसी भी देश ने कभी भी नहीं लिया है, ऐसी शर्तों पर लेकर आपने इस देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को भयंकर रूप से खतरे में डाल दिया है, जिन्हें आप देश और इस सभा को बताने से इनकार कर रहे हैं। ये बातें ही अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त हैं और अन्य मुद्दों को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह एक ऐसी सरकार है जिसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है, जिसके द्वारा किये गये वायदों और कार्यों में बड़ा विरोधाभास है। परन्तु मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बातें तो हर रोज ही होती रहती हैं।

गत वर्ष निर्वाचन अभियान में लोगो को दो मुख्य आश्वासन दिये गये थे। एक ओर काले धन की विपुल राशि है जिसे छल कपट पूर्ण और सट्टेबाजी के कार्यों से एकत्र करने दिया जा रहा है और उसे नगरीय सम्पत्ति या मकान बनाने आदि में लगाने दिया जा रहा है—इसे समाप्त करने के

लिए छोटे-मोटे विधेयक लाने से काम नहीं बनेगा— दूसरी ओर दिल्ली में हाल ही में अर्थात 25 अगस्त को निर्धन लोगों की लगभग 499 झुग्गियां गिरा दी गई जो उन्होने स्वयं जैसे-तैसे बना रखी थीं। यह है विरोधाभास। एक ओर बम्बई में गगन चुम्बी इमारतें बनायी जा रही हैं और उनमें काला धन लगाया जा रहा है दूसरी ओर गरीब लोगों की झुग्गियां गिराई जा रही हैं।

**श्री जगदीश टाइटलर** : मैं आपको ठीक जानकरी देना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं दबने वाला नहीं हूं ? आप अपनी बात मनवा सकते हैं। परन्तु मैं झुकने वाला नहीं हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह उचित नहीं है। यह लम्बा वाद-विवाद नहीं है। उसके लिए अनुमति नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : ये ही लोग प्रति दिन उपदेश देते हैं कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों का नाम सभा में न लिया जाये और उन पर आरोप न लगाये जायें। आज भी 2-3 घंटे पहले श्री ज्योति बसु का नाम कई बार लिया गया। वे ही लोग अपने ही उपदेश की परवाह नहीं करते। यहां मेरे माननीय मित्र ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि के बारे में चर्चा की थी। इस प्रश्न पर हमारी विचारधारा से अवगत हैं। परन्तु गत वर्ष केरल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ निर्वाचन समझौता किसने किया था ? (व्यवधान) बम्बई में विधान सभा और नगर निगम के चुनावों के दौरान विभाजनकारी शिव सेना के साथ किसने चुनाव करार किया था ? (व्यवधान) जमशेदपुर में जांच आयोग के सामने हमारे लोगों ने जो साक्ष्य दिया था मुझे उस पर गर्व है जिसके परिणामस्वरूप जांच आयोग ने यह निष्कर्ष दिया है (व्यवधान)

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : आपके दल ने उस जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया था जिसका एक अंग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किसने समर्थन दिया ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : आप लोगों ने।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप इसे अच्छी प्रकार जानती हैं। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले लोक सभा के चुनाव में हार गया था। आप यह भली भांति जानती हैं।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं आपके दल के बारे में बात कर रही हूं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विरोधाभास का एक और उदाहरण देता हूं। आज अखबारों में यह समाचार आया है कि भारतीय पटसन निगम जो एक केन्द्रीय उपक्रम है, के चेयरमैन ने यह बात मानी है कि कपास उत्पादकों के लिए कपास के मूल्य में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है और उसका मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम हो गया है। दूसरी ओर दो दिन पहले ही उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे पटसन मिल मालिकों को हेसियन और कपड़े के निर्यात पर साढ़े सात प्रतिशत की नकद राजसहायता देंगे। यह रवैया है एक ओर पटसन उत्पादकों के प्रति और दूसरी ओर पटसन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मिल मालिकों के प्रति (व्यवधान) यदि आप मुझे यह सब नहीं कहने देंगे तो मैं केवल विरोध प्रकट कर सकता हूं इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि सभा में ठीक सन्तुलन नहीं है । इन 25 मिनटों के दौरान अनेक बार टोका-टोकी की गई है । अब मुझे अपना भाषण समाप्त कर लेने दीजिए ॥ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं यहां उपस्थित हूं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरे भाषण के दौरान अनेक बार टोका टोकी की गई है । श्री टाइटलर ने यह कहा कि ** । वह लड़का जो पहली बार संसद में आया है वह यह कह रहा है कि **।

(व्यवधान)

**श्री जगदीश टाइटलर :** आप**हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाएं ।

**श्री चन्द्रजीत यादव :** मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह बार-बार कहा है; "हां, यह है** "

**अध्यक्ष महोदय :** मेरी अनुमति के बिना किसी भी बात का उल्लेख कार्यवाही वृत्तांत में नहीं कियाजायेगा ।

**श्री चन्द्रजीत यादव :** तब तो ठीक है । कुछ भी यह सभा के गरिमा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** एक बात और कहना चाहूंगा । यदि मैं अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होता तो भी निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेंट मुझे छुरा घोंप दे । मैं यह भी नहीं चाहता कि पुलिस मेरे ऊपर गोली चलाये जैसा कि मुरादाबाद में हुआ । इन दोनों बातों को याद रखा जाना चाहिए । साम्प्रदायिक दंगा करने वालों और पुलिस के बीच टकराव का शिकार अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं बनाया जा सकता । जमशेदपुर जांच में पुलिस, बिहार पुलिस या बड़े अधिकारयों के बारे में यह कहा गया है कि उनकी सांठ-गांठ के बिना ऐसा नहीं हो सकता । जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का संबंध है, इस बारे में हमें अलग से उचित चर्चा करनी चाहिए । अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें कहने को हैं जो पुरानी नहीं पड़ी हैं । यह उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं हैं, जिनके आधार पर आप इस सरकार में विश्वास नहीं रख सकते । यही कारण है कि मैं इस संकल्प का समर्थन कर रहा हूं । मुझे खेद है कि आपने मुझे और अधिक समय नहीं दिया ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने आपको आवश्यकता से अधिक समय दिया है । यह मैं साक्ष्य के आधार पर सिद्ध कर सकता हूं ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

**एक माननीय सदस्य** : श्री गुप्त यह भूल गये हैं कि जमशेदपुर का मामला जनता शासन के दौरान हुआ था ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : महोदय, जब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलने के लिए खड़े हुए थे तो मेरे सहयोगी श्री शिव शंकर ने मुझे बताया कि मैं प्रस्ताव से संगत बातों को अब अवश्य सुनूं । किन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि उन्होंने विशेषकर प्रस्ताव से संगत रखने वाली कोई बात नहीं कही । श्री गुप्त ने जो मुख्य बात कही वह यह है कि सभा का नेता सभा में नहीं आया तथा संसदीय प्रणाली के अनुसरण नहीं किया गया ।

एक मुख्य बात जिसे मेरे मित्र भूलते हैं वह यह है कि जो मुद्दा वे यहां उठाना चाहते हैं वह ऐसा है जिसे नहीं उठाना चाहिए था । यदि इस ओर से कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल, अथवा केरल या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री के बारे में कोई मामला उठाना चाहे- यह बात नहीं है कि वहां समस्यायें नहीं हैं—तो उस पर वे अवश्य ही आपत्ति उठाते और कहते कि इस सभा का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई होती । उन्होंने आपत्ति उठाई थी । वे जानते थे कि इस बात को यहां नहीं उठाया जा सकता। नियमों के अधीन यह निषेध है जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व कहा था । यह केवल मूल प्रस्ताव पर ही उठाया जा सकता है । इस चर्चा में वे क्या मामला उठाना चाहते हैं ? उन्होंने वित्त मंत्री के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह प्रस्ताव वित्त मंत्री को सम्बोधित किया गया था तथा वित्त मंत्री इस सभा तथा राज्य सभा के समक्ष उपस्थित थे । उत्तर दे दिया गया । यदि विपक्ष मामला उठाना चाहता है तो मेरा अनुरोध है कि वे कम से कम मुझ से कुछ परामर्श अवश्य कर लें । (**व्यवधान**)

मान लीजिए प्रधान मंत्री के नाम पर न्यास का नाम रखने के बारे में प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता । सम्भवतः इस प्रकार मामला उठाया जा सकता था तथा तब उनको यहां आना पड़ता । किन्तु इन्होंने आयकर के बारे में प्रश्न उठाया है । उस पर इन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न बना लिया जिसका इससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है और इसलिए सारी बात बेकार हो गई । अब उनका कहना है कि प्रधान मंत्री को ये बातें सुनने के लिए यहां अवश्य आना चाहिए । विपक्ष वास्तविक स्थिति जानने के लिये प्रधान मंत्री से सम्पर्क स्थापित कर सकता था । क्या कोई ऐसा प्रयत्न किया गया ? यहाँ उन्होंने साधारण रूप से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । वे इससे कुछ निकालना चाहते थे । उन्होंने दिनों दिन इस सभा की कार्यवाही को रोके रखा तथा सभा का मूल्यवान समय नष्ट किया । उन्होंने विवेक सहित विशेषाधिकार का मामला उठाया जो बिल्कुल निराधार था । किन्तु आपने और भी उदारता बरती जो बरती नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि विनिर्णय देने के पश्चात् उस मामले पर जिसका कि निपटान किया जा चुका है सदस्यों की आगे जांच करने के बारे में नियमों में निषेध है । किन्तु आप विपक्ष के साथ सहानुभूति रखना चाहते थे तथा आपने इसीलिये यह कह दिया कि हम इसकी जांच करेंगे तथा आपने विस्तृत विनिर्णय दिया । वे इसे भी स्वीकार नहीं करना चाहते ।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : महोदय, क्या आपके विनिर्णय दिये जाने के पश्चात् कोई माननीय सदस्य आपके विनिर्णय को चुनौती दे सकता है ? (**व्यवधान**)

**श्री सी० एम० स्टीफन** : आपने उनका अनुरोध मान लिया। आपका निर्णय स्वीकार कर लिया गया है। हम उसे स्वीकार करते हैं। उस बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। विपक्ष के साथ मिलने के लिये यदि हमें अधिक भी त्याग करना पड़े तो हमको उसमें भी कोई बुराई नहीं है और आपने भी यही किया है। आपको किसी प्रकार सभा तो चलानी ही है। हमने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं केवल उनकी इस बात का खंडन कर रहा हूं कि सभा का नेता इस सभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रहा है। यह एक बहुत छोटा मामला था, कोई इसे तूल देना चाहता था तथा जिस मामले का यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये था उसे घुमा फिरा कर लाया गया तथा जब उसे घुमाफिरा कर लाया ही गया तो सम्बद्ध मंत्री उत्तर देने के लिए उपस्थित हो गया। उनकी समझ में यह तो आ जाना चाहिए था कि जब भारत सरकार का वित्त मंत्री आकर यह कहता है कि "अधिक विश्वसनीय जानकारी के आधार पर मैं इस सभा को यह बता सकता हूं कि यह नाम रखने के लिये प्रधान मंत्री ने अनुमति नहीं दी थी तथा उन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया।" तो उन्होंने प्रधान मंत्री से पूछे बिना ऐसा वक्तव्य नहीं दिया होगा तथा उनको इसे इसी सूत्र में स्वीकार कर लेना चाहिए था। किन्तु वे इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। उस अत्यधिक बदनाम किए गए मुख्य मंत्री ने वहां एक वक्तव्य दिया और कहा कि मैंने केवल यही गलती की कि मैंने प्रधान मंत्री की सहमति के बिना यह नाम रखा तथा आपत्ति किए जाने पर भी यह नाम रखा गया। महाराष्ट्र विधान सभा में यह हुआ था। वित्त मंत्री, जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वह झांसेबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जो कभी झूठ नहीं बोलते तथा जो केवल सच ही बोलते हैं और जो केवल अत्यन्त जिम्मेदार मंत्री हैं जब वह कोई वक्तव्य देते हैं तो भी आप उसे मानने को तैयार नहीं हैं। क्यों? सचाई जिसे आप नहीं चाहते थे। आपका निशाना श्री अंतुले पर नहीं था वरन् कहीं और था किन्तु आपकी गोली नहीं चली और वह वापस आपको ही आ लगी। यह सीधी सी बात है।

जहां तक मुख्य प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैंने कई अविश्वास प्रस्तावों में भाग लिया है। सरकार को उत्तर देने के लिए कुछ मुद्दे उठाये जाते हैं। किन्तु मैं बड़ी दयनीय स्थिति में हूं क्योंकि यहां कोई प्रश्न नहीं है जिसका मैं उत्तर दूं।

श्री समर मुखर्जी को इस कमजोरी का पता था। इसलिए उन्होंने खेदपूर्ण स्वर में यह कहा कि यद्यपि पिछले सत्र में यह अस्वीकृत किया गया था किन्तु कुछ विशेष कारणों से हम इसे पुनः लाना चाहते है। क्या कारण है? उन्होंने केवल यही कारण बताया कि 'हम कुछ प्रश्न उठाना चाहते थे किन्तु उन प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं दी गई।' वे प्रश्न क्या थे? सत्र आरंभ होने से पूर्व दूरदर्शन पर इंटरव्यू था जिसमें मैंने अन्य दलों के नेताओं के साथ भाग लिया था। श्री इन्द्रजीत गुप्त उसमें थे। उन्होंने वहां कुछ मामले उठाये जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें सभा में उठाया जायेगा। प्रश्न थे: मूल्य वृद्धि, आवश्यक सेवा बनाये रखना अध्यादेश, रेल दुर्घटना, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, हरिजन तथा अन्य। वे इन्हीं मुख्य प्रश्नों को उठाना चाहते थे।

महोदय इस सदन को इस बात की जानकारी है कि इस सदन में मूल्य वृद्धि पर चर्चा हुई थी। हमने आवश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा में 14 घंटे से अधिक समय लिया था। पूरी चर्चा हुई थी तथा हम बहुत रात तक बैठे थे। रेल-दुर्घटना—यह मामला भी उठाया गया था तथा उस पर यहां चर्चा हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर आज चर्चा होती, किन्तु इस अनुचित प्रस्ताव के कारण उस पर चर्चा नहीं हो सकी। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई रुचि नहीं रखते। वे तो बम्बई में बैठे हुए किसी व्यक्ति पर दोषारोपण तथा कीचड़ उछालना चाहते थे। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा नहीं हो पाई।

हरिजन और अल्प संख्यकों के प्रश्न हैं यह प्रश्न जमशेदपुर जांच प्रतिवेदन में निहित है तथा हमारे सदस्य उस पर चर्चा कराने के लिए बेचैन हैं तथा हमें यह आशा थी कि आज तथा कल उस पर चर्चा होती किन्तु इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण सब कुछ रह गया और उन पर सभा में विचार-विमर्श आरंभ नहीं किया जा सका।

अतः महोदय यदि इन समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी तो इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? उन चर्चित समस्याओं में से प्रत्येक पर यहां चर्चा की गई। यह चर्चा का अवसर न देने का प्रश्न नहीं है। चर्चायें वास्तव में होती हैं।

महोदय, अविश्वास प्रस्ताव को सामान्य सा मामला बताया जा रहा है, यह दुःख की बात है। संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक ऐसी घटना है जो राष्ट्र को हिला देती है जो सदन को हिला देती है तथा जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है तथा उसे सामान्य नहीं मानना चाहिए। इसीलिए मेरे माननीय सहयोगी श्री कौलाश ने यह कहा है कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया गया है। हम भी विपक्ष में रहे थे किन्तु हमने इतनी लापरवाही के साथ अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं प्रस्तुत किया। हमने केवल तभी ऐसा किया जब उसका औचित्य था। महोदय यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जाये। राजनीतिक उद्देश्य क्या था ? मैं अभी यह अपने मित्र से पूछ रहा हूं। क्या उसके लिये इस समय कोई अवसर है ? मई में हमने अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया था। तीन महीने बीते हैं। अब क्या हो गया है ? श्री मुखर्जी ने बिल्कुल सही कहा है कि देश की भावनाओं का सभा में प्रदर्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। किन्तु भावनायें क्या हैं ? क्या संकेत हैं। एक महत्त्वपूर्ण बात जो लोगों की भावनाओं का संकेत देती है उप चुनाव हैं जो विभिन्न राज्यों में हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों में हुए। परिणाम आये तथा इससे संकेत प्राप्त हो गये। मूल्य वृद्धि के बावजूद, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद लोग बढ़ते जा रहे हैं। कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद लोगों ने यह देखा कि देश को चलाने के लिए तथा देश को आगे ले जाने के लिये कांग्रेस को, श्रीमती इन्दिरा गांधी को वोट देना आवश्यक है। उन्होंने इस सरकार में अपना विश्वास व्यक्त कर दिया।

दूसरे, हुआ क्या ? धारक बोण्ड मामले के मुद्दे पर हमारी आलोचना की गई है। उस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है और बोण्ड को सही बताया है और कहा है कि संविधान के अधीन यह वैध है। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने हमारा समर्थन किया है।

तीसरा मुद्दा क्या है ? हरिजन समस्या को लीजिए। जब हमारे ये मित्र यहां थे, तब बेलची काण्ड हुआ था। हमने यह आरोप लगाया था कि अपराधियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया

[श्री सी० एम० स्टीफन]

गया''' (व्यवधान) । उसके बाद पिम्परी काण्ड हुआ । वहां कत्ले आम हुआ और हमने उसकी जाँच की । क्या हुआ ? उस दौरान पिम्परी काण्ड में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 60 को अपराधी पाया गया तथा उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड मिला और जेल भेजा गया। अत: इससे सिद्ध हो गया कि यह सरकार हरिजनों के साथ है तथा हम उनके हितों की रक्षा कर रहें हैं। उसके पश्चात् अन्त में क्या हुआ ? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बीच में एन्टरप्ट क्यों कर रहे हैं ? आपके मेम्बर बोलेंगे तो जवाब दे देंगे । कृपया बैठ जाइये ।* * (व्यवधान)

रिकार्ड मत कीजिए । मेरी अनुमति के बिना कुछ रिकार्ड मत कीजिए ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : महोदय जब जमशेदपुर कांड हुआ तब मैं उनमें से एक था जिनका रिकार्ड है मेरे दल का रिकार्ड है तथा हमने राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ तत्त्वों की ओर इशारा किया था और आर० एस० एस० के उन व्यक्तियों की ओर इशारा किया था जिनका जमशेदपुर कांड में हाथ था तथा मैंने कहा था कि उसमें जिस व्यक्ति का हाथ था वह जनता पार्टी का गृह मंत्री था जिसकी उनके साथ सांठ-गांठ थी । जमशेदपुर में इस विशेष कांड के लिए वह व्यक्ति अत्यधिक दोषी है। मैंने यह आरोप लगाया था । हमारी पार्टी द्वारा लगाये गए आरोप अब सही सिद्ध हो गए हैं । क्या ये सारी बातें हमारे विरुद्ध हैं। इन सब बातों के आधार पर हमने विश्वास की घोषणा की । ये घटनाएं घटी थीं ।

आर्थिक स्थिति के बारे में श्री ए० के० सेन ने विस्तार में भाषण दिया है । मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता । जून से अगस्त तक की अवधि, आर्थिक स्थिति में सुधार की अवधि है तथा यह अब और भी सुधरती जा रही है । मेरे माननीय मित्र इस बात को नहीं देख सकते। वे केवल अधिकार को ही देख सकते हैं । लोग केवल वही देख सकते हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता भी है । मैं इस बारे में आपको कुछ आंकड़े दूंगा । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप उनके बीच में व्यवधान क्यों डालते हैं ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : महोदय, मैं केवल यह बता रहा हूं कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ । यह दावा नहीं है कि आर्थिक स्थिति अच्छी है ; यह दावा नहीं है कि इस अवधि के दौरान हर चीज पूर्णत: हमारे नियंत्रण में रही । पिछली चर्चा में मैंने यह कहा था कि हम सबसे ऊपर आ गये थे । किन्तु मैंने कहा था कि हमने आगे बढ़ना आरम्भ कर दिया है । यह हमने कहा था; उस अवधि के दौरान, उत्पादन की दशा में, आप इसे देख सकते हैं । गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में कोयले के उत्पादन में 7-8 प्रतिशत वृद्धि हुई, विद्युत उत्पादन वृद्धि 16.9 प्रतिशत स्पन बिजली और इस समय यह 20 प्रतिशत है । रेलवे की आय में 15.9 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात में 24 प्रतिशत, सीमेंट में 20 प्रतिशत, और उर्वरक में 65 प्रतिशत (नाइट्रोजन

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उर्वरक) चीनी में 62 प्रतिशत, अशोधित तेल 61 प्रतिशत और पेट्रोलियम उत्पादों में 25 प्रतिशत की वृद्धि है। टैलीफोन की दिशा में इन चार महीनों के दौरान 20,000 टैलीफोन लाइनें दी गई हैं।

कृपया सुनिये।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से बीच-बीच में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इससे मैं कोई नियंत्रण नहीं कर सकता।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** जो वस्तु हमारे देश को दी जाती है वह हमारी है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। उस ओर यह समझा जा रहा है कि सभी चीज में घाटा है। आप धैर्य से सुनिये। जो कहा जा रहा है वह सच है। यदि यह गलत है तो आप इसका खण्डन कर सकते हैं। गतवर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में हमें 161 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ था। इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में जो अब पूरा हो गया है, हमने घाटे को समाप्त कर दिया है। 16 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ है। लगाई गई पूंजी पर गत वर्ष 4 प्रतिशत लाभ हुआ था। अब यह 8.3 प्रतिशत हो गया है। लगाई गई पूंजी की प्रतिशतता 13.73 है।

मुद्रास्फीति के बारे में बहुतों ने भाषण दिया है। यह राष्ट्रीय गौरव की बात है कि हमारे देश की अन्य देशों के साथ तुलना की जाये। हमारी ओर से इस बात का कोई दावा नहीं है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा उसका गलत हवाला दिया गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा था :

"मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस देश में मूल्यों को एक उचित स्तर से आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा।"

विश्व की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसमें वृद्धि अपहार्य है। अतः हमने स्वीकार किया है कि मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि होगी किन्तु हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। मेरे मित्र श्री समर मुखर्जी तो यह कहेंगे ही कि समाजवादी देशों की क्या स्थिति है। महोदय हमारा देश समाजवादी देश नहीं है। हमारा देश पूंजीवादी है। हमें मिश्र अर्थव्यवस्था में रहना होगा। (व्यवधान)

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** महोदय, प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा समाजवादी देश है और उनका कहना है कि हमारा पूंजीवादी देश है। वास्तविक स्थिति क्या है ? (व्यवधान)

**श्री सी० एम० स्टीफन :** महोदय हमारे देश ने समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य का मार्ग चुना है। हमारा देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। महोदय, मैं मुद्रास्फीति के मामले में कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। पिछली दशाब्दी में जब हम सत्ता में थे (1) बर्मा में मुद्रास्फीति की औसत दर 12 प्रतिशत, (2) श्री लंका में 12 प्रतिशत (3) पाकिस्तान में 14 प्रतिशत (4) बंगला देश में 16 प्रतिशत (5) जापान में 8 प्रतिशत (6) यू. के. में 13 प्रतिशत और (7) भारत में 7 प्रति

(श्री सी० एम० स्टीफन)

शत थी। अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति यह है। 1979 की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा न करिए, मेरी अनुमति के बिना कुछ रिकार्ड नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

**श्री सी० एस० स्टीफन :** ये ब्यौरे किसी भी माप में दिये जा सकते हैं। महोदय यहां रुपये के मूल्य ह्रास का उल्लेख किया गया था। अन्य देशों की तुलना में क्या तथ्य हैं ? भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में रुपये का अधिमूल्यन निम्न प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| पाउंड स्टर्लिंग | अधिमूल्यन | 11 प्रतिशत |
| डच मार्क | अधिमूल्यन | 20 प्रतिशत |
| फ्रांस का फ्रेंक | अधिमूल्यन | 24 प्रतिशत |
| जापान का येन | मूल्य ह्रास | 10 प्रतिशन |
| यू. एस. डालर | मूल्य ह्रास | 16 प्रतिशत |

महोदय अन्य मुद्राओं की तुलना में डालर का मूल्य निम्न प्रकार था।

| | | |
|---|---|---|
| पाउंड स्टर्लिंग | अधिमूल्यन | 30 प्रतिशत |
| डच मार्क | अधिमूल्यन | 40 प्रतिशत |
| फ्रांस का फ्रेंक | अधिमूल्यन | 4 प्रतिशत |
| जापान का येन | अधिमूल्यन | 4 प्रतिशत |
| रुपया | अधिमूल्यन | 16 प्रतिशत |

यहाँ भी आपको ज्ञात होगा कि रुपये के मूल्य की स्थिति कई देशों की मुद्रा की तुलना में बड़ी मजबूत है। अन्य मुद्राओं की तुलना में हमारी यह स्थिति है तथा मुद्रा स्थिति में काफी सुधार हुआ है यह कहना सच नहीं है कि हमारी मुद्रा कमजोर हो गई है। मैं यही सब कुछ कह रहा हूं। चार महीनों की अवधि में जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है हर चीज में सुधार हो रहा है।

अतः इन सभी बातों को देखते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करना होगा। श्री समर मुखर्जी और श्री जार्ज फर्नान्डीज हंसी उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे तथा उन्होंने कहा कि आपके पास केवल आपका नेता ही है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि हर बात आपके नेता पर निर्भर करती है। हमें इसका कोई खेद नहीं है। हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमें अपने नेता के ऊपर गर्व है। इसमें कोई संदेह नही है। आपने पिछले चुनाव में क्या किया ? क्या आप बिना नेता के चुनाव लड़ने गये थे।

क्या आपने नेता का उल्लेख नहीं किया था ? जनता पार्टी ने श्री जगजीवन राम को अपना नेता बताया था तथा चुनाव लड़ा था। मतदाओं ने प्रधान मंत्री के रूप में किसे चुना ? (व्यवधान) हम इस राष्ट्र के स्वरूप को याद करें। यह एक विशाल राष्ट्र है तथा हमें इस विशाल

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देखरेख करनी है तथा उसे आगे बढ़ाना है। इस विशाल देश को हर समय एक राष्ट्रीय नेता मिलने का लाभ मिला है। हमारे माननीय पण्डित जवाहर लाल नेहरु थे। हमारे यहां महात्मा गांधी थे। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के मिलने का भी बड़ा गर्व है जो इस देश को आगे बढ़ाये ले जा रही है। महत्त्व की बात यह है कि लोगों का विश्वास अपने नेता में है। हम इस सभा में इसलिये आ सके हैं क्योंकि उन्हें जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक समझा गया और जनता किसी को तभी अपना नेता स्वीकार करती है जब उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। इसी आधार पर नेता का चुनाव किया जाता है। आज-कल हम देखते हैं। कि अचानक लोग नेता बन जाते हैं। पांच व्यक्ति मिल जाते हैं, नेता का चुनाव करते हैं और उनकी तस्वीर बना देते हैं। किन्तु नेता इस प्रकार नहीं बन सकते। (व्यवधान) नेता इस प्रकार कभी नहीं बन सकता, जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के द्वारा ही नेता बनाया जा सकता है। इस बारे में खेदजनक कुछ भी नहीं है और इसी के कारण हम लोग बने हुये हैं।

इसीलिये मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा था कि क्या वे हमारी कोई रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं। वे हर समय बस अन्तुले-अन्तुले की रट लगाये रहे। यह तो इस प्रकार हुआ जैसे यदि प्रतिदिन नारायण का हजार बार याद किया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाये। केवल अन्तुले और इसके सिवाय कुछ नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ ? उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नीति के बारे में कुछ नहीं कहना है। उन्हें मूल्य स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहना है। उन्हें औद्योगिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहना है उन्हें कानून और व्यवस्था के बारे में भी कुछ नहीं कहना है। उन्हें इन सभी बातों के बारे में कुछ भी सरोकार नहीं है। उन्हें तो वह अन्तुले ही सूझता है। मैं अभी बता रहा हूं। क्या इस सरकार की उपलब्धि के बारे में अधिक विश्वास होगा। चूंकि वे इसके सिवाय और कोई मामला नहीं उठा सके। महोदय, मतदान की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे बड़ा विश्वास यही है कि उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव लाकर हमारी किस प्रकार की आलोचना की है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उल्लेख किया गया था। आई० एम० एफ० के बारे में उनके अज्ञान को देखकर मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है। यह ऋणदाता संगठन है। यह दान नहीं देता। हम उसके बड़े भागीदार हैं। उसमें हमारा अंशदान पर्याप्त है। हमें ऋण लेने का हक है। हम ऋण ले रहे हैं। वे शर्तों के बारे में कह रहे थे (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। प्रतीक्षा कीजिये और आपको वास्तविकता का पता लग जायेगा। हम आपके समक्ष दस्तावेज रखेंगे और आपको चुनौती देंगे कि आप यह सिद्ध कीजिये कि यह इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा के विरुद्ध किस प्रकार है। अतः मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। अन्तुले के बारे में कहा गया है तथा मैं उस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। इसमें एक मुख्य बात यह है कि एक न्यास गठित किया गया था। प्रथम दृष्टि तथा इस न्यास का उद्देश्य अच्छा है, चन्दा इकट्ठा किया गया तथा चन्दा प्राधिकार का उपयोग करके एकत्र किया गया। क्या आप यह मानेंगे कि यह सिद्धांत रूप से स्वीकार्य नहीं है और जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है इसकी जांच करेगी और हमारा दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण जैसा नहीं हो सकता। हम इसकी जांच करेंगे। क्या आप यह सिद्धांत

[श्री सी० एम० स्टीफन]

मानने के लिये तैयार हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्ता में हो वह न्यास नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति जो सत्ता में है वह चन्दा एकत्र नहीं कर सकता ? क्या आप यह दृष्टिकोण मानने के लिये तैयार हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : यह एक निजी न्यास है।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : आप अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, यही प्रश्न है। हमारे समक्ष भी बातें हैं। यहां कोई आदमी हमें यह बताने के लिए तैयार नहीं होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में एक कहावत आती है कि "जिसने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया पहले वही पत्थर मारे।" मैं यह श्री चरणसिंह से पूछता हूं और मैं आपमें से प्रत्येक से पूछूंगा कि क्या न्यास नहीं बनाया गया था, हमारे सामने यह सर्वविदित रहस्य है, हमारे समक्ष वैद्यालिंगम आयोग रिपोर्ट है, हमारे पास पुरी आयोग का प्रतिवेदन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पुरी आयोग प्रतिवेदन में अन्तिम रूप से क्या कहा गया है ? यह इस प्रकार है :

> "भारत की जनता द्वारा किए गए स्वर्ण सहित स्वर्ण की बिक्री के बारे में श्री मोरारजी देसाई और श्री एच० एम० पटेल का निर्णय, जबकि बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। सरकार के प्रति भारत की जनता के विश्वास का उल्लंघन करना था।"

अब आप ही बताइये। आपके हाथ साफ होने चाहिए। आपके हाथ न केवल खराब हैं वरन् ये रक्त और गंदगी से भरे हुये हैं। आपके हाथों में है। यदि आप हमारी भर्तस्ना करते हैं तो पहले आपको अपने पूर्व कर्मों के लिये पश्चाताप करना होगा। (**व्यवधान**)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीर हाट) : वह भूल गये हैं कि वह माइक्रोफ़ोन के सामने बोल रहे हैं, (**व्यवधान**) मिस्टर स्टीफ़न आपके सामने माइक्रोफ़ोन है। आप उसके सामने बोल रहे हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : धन्यवाद। अतः महोदय, मैं न्यास की अच्छाई अथवा औचित्य के बारे में कुछ नहीं कह रहा। हम अपने दल के भीतर इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और हमारा अपना एक तरीका और स्तर है और हम कांग्रेस (आई) के स्तर के हिसाब से ही इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। उसके हाथ उठाने से पहले हम उनको बता देंगे कि उनके हाथ भी रंगे हुए हैं और यदि वह समझते हैं कि यह काम गलत था तो फिर उनको उन सभी बातों के लिए राष्ट्र से क्षमा याचना करनी होगी जो उन्होंने अपने शासनकाल में की थी और तभी वे हमारे विरुद्ध यह मामला उठा सकते हैं।

न्यास के मामले में प्रधान मंत्री के अन्तर्गत होने का भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपनी सहमति दी है। अब जिन्होंने भी ऐसा कहा है वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं जो न्याय और न्यायपालिका के पुजारी हैं। हाल ही में श्री हिदायतुल्ला ने अपना विनिर्णय दिया है। उन्होंने इस संबंध में राज्य सभा में कहा है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने सभा में दोनों पक्षों के विचार सुने और व्यौरेवार निर्णय दिया कि किसी भी बात से यह सिद्ध नहीं होता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सहमति दी है

और उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक बात से यही सिद्ध होता है कि उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी और आपने अपना विनिर्णय भी दिया जिसे वे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे इस मामले को दुबारा उठाना चाहते हैं। वे समझते हैं कि वे इस प्रकार की गतिविधियों से इन्दिरा गांधी की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं। यह सम्भव नहीं हैं। हमने सबसे बुरा समय देखा है। हमने शाह आयोग, माथुर आयोग व हर प्रकार के आयोग का सामना किया है। हमें कंठघरे में खड़ा किया गया। वे फार्म हाऊस में भी गये और खजाना खोद निकालने का प्रयत्न किया जो उनके विचार में इंदिरा गांधी ने दबा रखा था। सब कुछ किया गया था और विश्वसनीयता पर हर प्रकार के आक्षेप लगाये गए थे। उन्होंने उसे संसद से निकाल दिया और अब हमें लोकतन्त्र की बात समझाते हैं। उन्होंने उसे अपने घर से भी निकाल दिया। यह उनका आचरण है। यदि कोई चीज़ उसको सत्ता में वापस लाई है तो वह था जनता का उस पर विश्वास। मेरे मित्रों, आप इन्दिरा गांधी की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता के बारे में हमें बतायें जो आपको गत चुनाव में प्राप्त हुई। (व्यवधान)

मुझे आपको एक सलाह देनी है। आप कहीं भी चोट करें यह आपकी मर्जी है परन्तु लोहे की ठोस दीवार पर चोट न करें। आपका हाथ या टांग टूट जायेगी। इन्दिरा गांधी की विश्वसनीयता पर सन्देह व्यक्त करने का प्रयत्न न करें। यदि आप ऐसा करोगे तो आप अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगे।

अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कोई दलील नहीं दी गई है मैंने उनसे केवल एक अपील करनी है। जनता संसद की कार्यवाही को देख रही है। उन्होंने हम दोनों पक्षों के बारे में अपने विचार बनाये हुए हैं। वे आपके बारे में विचार करेंगे कि क्या आपके पास जनता के सम्मुख रखने के लिए कोई कार्यक्रम है। वे हमें इस दृष्टि से देखेंगे कि क्या हम समस्याओं से निपटने और कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा जनता की प्रगति के सम्बन्ध में विश्वास के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। जनता हमें इसी दृष्टि से देखेगी। आपके पास कोई वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं है सिवाय इसके कि जो श्री समर मुखर्जी के विचार हैं। उनका कहना है कि प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ठीक है आप उसके लिए प्रयत्न करें। परन्तु आपके पास जहां तक आय का सम्बन्ध है आपका अपना कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारा राष्ट्र एक महान् यात्रा पर है। वह वर्ष 1948 से प्रगति कर रहा है और इसी पवित्र भावना से देश का निर्माण हो रहा है। हम कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : महोदय आपने इनको अधिक समय दे दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने दल की सदस्य संख्या के अनुसार और उनके समय में से ही समय दिया है। उन्होंने 38 मिनट का समय ले लिया है।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : महोदय मैं केवल दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। देश के सामने समस्या यह है कि जनसंख्या में वृद्धि और विकास सम्बन्धी प्रयासों के बीच होड़ लगी है। इस अवधि में जनसंख्या दुगुनी हो गई है ; प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2000 करोड़ रुपये से अब हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं कि अब हम एक सौ हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश कर सकते हैं और इसी लिये यह बर्दाश्त होता जा रहा है। इसकी कुछ अपनी समस्यायें और कठिनाइयां होंगी।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

भारी पूंजी निवेश किया जा रहा है और देश खतरे में है। ये सब बातें इकट्ठी हो रही हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सबको संयुक्त प्रयास करने चाहिए कि देश आगे बढ़े। हमने देश को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाने का हौंसला और दिलेरी है। जनता को विश्वास है और इस लिए मेरा आग्रह है कि जनता की इच्छा के प्रतिपादन स्वरुप इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री जयपाल सिंह द्वारा आरम्भ किये जाने से पूर्व मुझे यह कहना है। श्री स्टीफन, मुझे आपको एक बात बतानी है। आवश्यक सेवा रखरखाव विधेयक पर 22.05 घंटे समय खर्च किया गया। आपने 13 घंटे बताया था।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** (आंवल) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी ही उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि विरोधी दल के अन्य लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। आज तो यह मालूम होता है कि स्वयं इंद्र भगवान भी इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आसमान पर आ गए हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ हैं।

आपने इस दौरान में इस देश में प्रजातंत्र को उस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर देश के लोगों को आज संदेह हो गया है कि इस देश में प्रजातंत्र रह पाएगा या नहीं रह पाएगा।

गढ़वाल में जो कुछ आपने किया, आप अपने मन पर हाथ रख कर देखिए कि गढ़वाल में आपकी पुलिस ने, आपके कर्मचारियों ने और स्वयं प्रधान मंत्री ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो कुछ किया है, वह इस देश के प्रजातंत्र में एक काले पन्ने के रूप में है। इसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप अभी थोड़े समय के लिए अपनी कुर्सी और सत्ता को बनाए रखने के लिए यह सोच रहे हैं कि हम गढ़वाल के चुनाव को टाल कर बहुगुणा जी को संसद में प्रवेश करने से रोक कर हम इस देश के प्रजातंत्र में इस तरह से लोगों के लिए घुट-घुट कर जीने की व्यवस्था बना देंगे। इस चीज को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपकी चाटुकारिता की आवाज़ इंदिरा जी के मन को बहला सकती है, लेकिन देश के लोगों का मन नहीं बहला सकती।

इस देश में आज हमें जहां आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलतीं वहीं हमने अमेठी, गढ़वाल और रायबरेली में देखा है कि ट्रकें भर कर जाती थीं और लोग एक-एक बोरी चीनी ले जाते थे। आज वही लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बिजली चौबिसों घंटे इलाहबाद से लेकर अमेठी और गढ़वाल तक दी जाती थी, खाद, मिट्टी का तेल, सीमेंट आपने बांटा था और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, क्या इससे देश के प्रजातंत्र को कुछ मिलेगा या इससे प्रजातंत्र को भ्रष्ट तरीके से, तानाशाही तरीके से चलाने का प्रयास चल रहा है। देश के लोग आज इसके लिए सजग हो रहे हैं।

एशियल सर्सेविसेस एक्ट बना कर मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को कुचलने की आपने कोशिश की है। आप ऐसे तरीके अपना रहे हैं, जिससे लोगों को जुबान बंद हो जाए।

आज इस देश में तीन कानून चल रहे हैं। एक चंबल घाटी वाला कानून है। जिनको लाइसेंस नहीं मिला है,। फूलन देवी का कानून चल रहा है। गढ़वाल के अन्दर वह कानून चल रहा है और महाराष्ट्र में चल रहा है। इसके लिए देश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की डकैती की चर्चा क्यों हो रही है, क्यों उस पर दुनियां की और हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की निगाहें लगी हुई हैं ? आप कहते हैं कि अंतुले काण्ड का कोई महत्त्व नहीं है। फिर अंतुले का इस्तीफा क्यों रखा है। आपके पास-क्यों लिखा लिया है इतीफा ? आप उनको क्यों हटाने की बात सोच रहे हैं।

ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, डकैतियों का डर है। ट्रेन में एक्सीडेंट का डर है और ट्रेनें सही समय पर नहीं चलती हैं। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं बस का एक्सीडेंट, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट। कहीं सहारनपुर में एक्सीडेंट, कहीं कानपुर में एक्सीडेंट। ट्रेनों में एक्सीडेंट को आप नहीं रोक पाए। आज लोगों का जीवन किस तरह से असुरक्षित है, आप आज देहातों में जाकर देखिए क्या हालत है ?

रात को वे सो नहीं पाते। रात-रात भर उनको पहरा देना पड़ता है। डकैतों से ज्यादा पुलिस उनको तंग कर रही है, परेशान करती है। नौजवानों को ले जाकर हजारों हजार फर्जी एनकाउंटर दिखा कर उनकी हत्या कर दी जाती है। अकेले रायबरेली में नौजवानों की हत्या पुलिस ने झूठी मुठ भेड़ें दिखा कर दी हैं। बदायू में ऐसा हुआ है, एटा तथा दूसरी जगहों पर ऐसा किया है। कोइ क्षेत्र नहीं है जो छूट गया हो और जहां पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर दिखा कर···लोगों की, नौजवानों की हत्या न की हो और कर न रही हो। इससे ज्यादा इस सरकार के लिए शर्म की और क्या बात हो सकती है। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा प्रदान करने की है, लोगों के जीवन को महफूज रखने की है, सम्पत्ति की सुरक्षा करने की है लेकिन इस काम में वह सर्वथा असफल साबित हुई है। एटा में माताओं और बहनों के साथ आपकी पुलिस ने, बी एस एफ के लोगों ने बलात्कार किए हैं। कफालटा में किस तरह से चौदह हरिजनों को मार दिया गया था और किस तरह से अतताइयों ने हरिजनों की हत्या की, उनके साथ अत्याचार किए, उनको जिन्दा जला दिया यह भी आप जानते हैं। अब वे जो दोषी थे छूट गए है। कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए। कौन सी कांस्टीट्यूशनल आथोरिटी जिम्मेदार है इस सब के लिए। आज हरिजनों का क्या जीवन रह गया है ? माननीय सदस्य श्री हीरा लाल पारमार कल या परसों यही कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार की हत्या कर दी गई हैं क्योंकि वह हरिजनों की बात किया करता था। उनको यहां बोलने तक नहीं दिया गया, उनकी बात यहां सुनी तक नहीं गई। यह है आपका ढंग डेमोक्रेसी को चलाने का। कोई अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकता है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि बदायूं जिले में लोक दल के एक माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह को डाकुओं की श्रेणी में रखा गया है। उनको जिस तरह से पुलिस ने मारा, चोटें पहुंचाई उसको भी आप जानते हैं। जब संसद सदस्य तक सुरक्षित न हो तो दूसरा कौन है जो भारत में सुरक्षित रह सकता है ?

लोगों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहें हैं। आज गांवों में बिजली नहीं है। आप कहते हैं कि कारखानों की बिजली काट कर हम गांवों में भेज देंगे, किसानों को दी जाएगी लेकिन किसान की फसल सूख रही है उसको बिजली नहीं दी जा रही है। आगे चल कर देश की क्या हालत होगी, यह सोचने की बात है।

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

पिछड़े वर्ग के साथ आप जो खेल=खेल रहे हैं इसको आपको बन्द करना चाहिए। उनको आप धोखा न दें। आप कहते हैं कि आप क्राइटीरिया बदल देंगे। कांस्टीट्यूशन में इकोनोमिकली और सोशियली बैक्वर्डनेंस की बात है। लेकिन आज भ्रम पैदा किया जाता है। बैक्वर्ड क्लासिस कमिशन जिसके अध्यक्ष श्री मंडल थे···इसकी जो रिपोर्ट है उस पर आपको अमल करना चाहिए। अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बिल बार-बार सैशन में रखा जाता है लेकिन उस को पास नहीं कराया जाता है। लाइम जूस की गोली की तरह उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। क्या उसको इसी तरह से रखा जाता रहेगा या उसको पास भी करवाया जाएगा? देश में 50-55 प्रतिशत बैक्वर्ड क्लासिस के लोग हैं। उनके जो हक हैं वे उनको मिलने चाहिये औ मंडल कमिशन की रिपोर्ट इम्प्लेमेंट होनी चाहिये। इसके साथ जो आपका व्यवहार है उसको और अधिक बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। इसको आप कान खोल कर सुन लें। देश में पांच छः करोड़ मोची भी हैं। आपने किसनों को जमीन का मालिकाना हक दिया है लेकिन मछुआ का जो पानी पर हक था उसको आप पूरे भारत में छीन रहे हैं। खेत पर जो खेती करते हैं उनको तो आप मालिकाना अधिकार दे रहे हैं लेकिन जो इनके घाट हैं उनको इन से छीन कर उनकी आपने नीलामी करनी शुरू कर दी है, जमींदारी व्यवस्था वहां आपने कायम कर दी है। लाखो करोड़ों लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है। वे किस तरह से परेशान हैं क्या इसके बारे में भी आपने सोचा है। जो बाल बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो ऊन का काम करते हैं, जो कम्बल बनाने का काम करते हैं, तेली जो तेल निकाला करते हैं, बढ़ई, लोहार, खाति आदि जो हैं क्या कभी आपने उनके बारे में भी सोचा है? आप सत्ता में आने के लिए उनको धोखा दे कर वोट तो उनका ले लेते हैं लेकिन उनके बारे में सोचने की आपको फुरसत तक नहीं है। अगर आपने उनके बारे में सोचा होता तो आज देश का नक्शा ही दूसरा होता।

मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं और न ही उस दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन पुलिस की हालत को आप देखें। श्रीमती इंदिरा गांधी सर्वोच्च सत्ता पर हैं। मैं चाहता हूं कि वह देश में पुलिस को सुधारें। खुले शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि आज देशमें नौकरशाही और पुलिस का सम्मान संसद सदस्यों से भी ज्यादा है। संसद सदस्यों का उतना सम्मान नहीं होता है जितना इनका होता है। जिस तरह से संसद सदस्यों के साथ व्यवहार होता है उसको आपको देखना चाहिये। उनको सम्मान मिलना चाहिये।

इनकी बात भी सुननी चाहिये। लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। देश के मुसलमानों के साथ क्या हुआ? क्या मीनक्षीपुरम और रामनाथपुरम में धर्म परिवर्तन हुआ? क्यों लोग बौद्ध होते जा रहे हैं? मुरादाबाद में पुलिस पी० ए० सी० और सरकार आपकी थी, बिहार शरीफ़ में लोग जिस तरह से मारे गये उनकी जो हाय निकल रही है, जो मुमलमान मरे हैं जिनके घर जलाये गये, इन सब के लिए क्या खुले रूप से कोई इनक्वायरी संसद के सामने लाने को आप तैयार हैं? गुजरात में जो हरिजनों की हत्या हुई, अभी मध्य प्रदेश में 3 हरिजनों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह शिव मूर्ति पर पानी चढ़ाना चाहते थे। आन्ध्र में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। आज माताओं और बहिनों की अस्मत सुरक्षित नहीं है। थाने बलात्कार के अड्डे हो गये हैं। जब ऐसा राज्य है तो आप सरकार नहीं चला सकते। और आपने गढ़वाल में जो कुछ किया है, जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र

में और देश के अन्य हिस्सों में उसके प्रायश्चित के रूप में आपको अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय से पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिये। हम आपके इस्तीफे की मांग करते हैं।

**श्रीमती मोहसिना किदवई** (मेरठ) : स्पीकर साहब, इस वक्त जो नोकान्फसीडेंस मोशन सदन के सामने जैरे गौर है, अदम एतमाद की तहरीक इस सदन के सामने है उसकी मैं सख्ती के साथ मुखालिफ़त करने के लिये खड़ी हुई हूं। इसी सदन में पिछले सेशन के दौरान करीब ढाई महीने पहले भी अपोज़ीशन पार्टीज़ अदम ऐतमात की तहरीक लायी थीं जब कि प्रधान मंत्री बाहर के दौर पर गयी हुई थीं। आज भी बहुत अहम सवाल सदन के सामने आने वाले थे जिन पर चर्चा होने वाली थी। कुछ मसायल सामने आते उन पर रोशनी डाली जाती। छठी पंचसाला योजना पर डिस्कशन नहीं कर सके, फ़ोरेन ऐफ़यर्स के मामलात को डिस्कस नहीं कर सके, और आज सारा हिन्दुस्तान जहां मुख्तलिफ सूबों में फ़िरकेवारियत सर उठा रही है और जहां-जहां कि कौमी फ़सादात हुए हैं, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे बड़ी उम्मीद थी, इन्द्रजीत गुप्त जी बैठे हुए हैं, सी० पी० आई० के बाबू जी बैठे हुए हैं इनसे उम्मीद थी यह लोग मांग करेंगे, हमारे मांग करने से पपले, कि जमशेदपुर की रिपोर्ट को सदन में डिस्कस किया जाय। लेकिन अफ़सोस की बात है आज माइनारिटीज़ की मसीहाई करने वाले, सियासी तौर पर उनके जज्बात से खेलने वाले जमशेदपुर की रिपोर्ट पर सब खामोश हैं। माननीय सुखाड़िया जी ने जमशेदपुर की रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़ कर सुनाये। अभी एक भाई मुरादाबाद की दुहाई दे रहे थे, बिहार शरीफ़ की दुहाई दे रहे थे, बिहार शरीफ़ में जो झगड़े हुए हैं उनके पीछे किसका हाथ था, कौन लोग थे जिन्होंने औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया, लोगों के घर जलाये और लोगों को मारा ? बिहार शरीफ़ में अध्यक्ष जी, श्री राज किशोर प्रसाद, जो जिला संचालक हैं आर० एस० एस० के उनके खिलाफ औरतों ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में उनका नाम लिया। और जिन लोगों ने घर जलाये, लोगों की बरबादी की, उनका नाम लिया। हमारे अपोज़ीशन में माननीय चन्द्रशेखर साहब बैठे हुए हैं वह अपनी बगल में बैठे हुए लोगों को पहचानें कि किस के साथ आप बैठे हुए हैं।

जमशेदपुर रायट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, वह अपनी जगह एक बड़ी अहम रिपोर्ट है। पहली दफा किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए इतने साफ अलफाजों में कहा है कि उसने कौमुनल रायट्स को भड़काया, उभाड़ा। उस वक्त की जो जनता पार्टी के मिनिस्टर्स थे, जिन्होंने बाकायदा उस तमाम फ़िसादात में हाथ लिया, ...

एक एम० एल० ए० थे, उनको वाजपेयी जी ने निकालकर बड़ा भारी अपना.....

**व्यवधान**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, वह सदन में नहीं हैं, अब नियम ताक पर रख दिये गये हैं। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी बात सुनिए। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी के भी विरुद्ध कोई अभियोगी बात कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं, जानी चाहिए, कानून सभी के लिए हैं।

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : मैं जमशेदपुर की कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रही हूं। एक एक्स-एम० एल ए० को सस्पेंड किया जाना.....

अब तो खुश हैं वाजपेयी जी आप ?

**एक माननीय सदस्य** : वह आर० एस० एस० का मेम्बर था।

**श्रीमती मोहसिन किदवई** : आर० एस० एस० का मेम्बर था नहीं, है। मैं इसके पीछे आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि जिस पार्टी के जो सिद्धान्त होते हैं, उसके पीछे जो अप्रोच करने का ढंग होता है, उसको देखना चाहिए, उसकी फिलासफी को देखना चाहिए।

आर० एस० एस० की जो शाखाएं लगती हैं, उन शाखाओं में क्या सिखाया जाता है ? उसमें सिखाया जाता है—चाकू चलाना, लाठी चलाना। (व्यवधान)

शिशु-मंदिर की बात करते हैं, वहां उन छोटे-छोटे बच्चों के दिमागों को किस तरह परिवर्तित किया जाता है ..... (व्यवधान)

उसी ढंग से सोचते हैं आप। (व्यवधान)

**श्री चतुर्भुज** : अध्यक्ष महोदय, मुसलमान मरता है तो आर० एस० एस० सामने आ जाता है और जब हिन्दू मरता है तो कौन आता है ? जवाब दिया जाये। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान)

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : आर० एस० एस० की शाखाएं और उसकी जो जमात है, वह ट्रेनिंग सेंटर है और वहां से जो ट्रेनिंग पाकर निकलते हैं, वह जनसंघ का ठप्पा लगाकर पोलिटिकल पार्टी में आ जाते हैं। दिमाग उनका वही रहता है। वही बी० जे० पी० कहिये, भारतीय जनता पार्टी कहिये।

मुझे अपनी सरकार से शिकायत है, अच्छी बात है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठी हैं, यह जो एक नया फंड है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, मैं जानती हूं, यह गुरु दक्षिणा के जरिये इकट्ठे किये जाते हैं, वह किस फंड में जाते हैं ?

मुझे अच्छी तरह से मालूम है, हमारी सरकार चाहती तो मैं उसके सारे आंकड़े पेश कर सकती हूं कि जो संचालक हैं आर० एस० एस० के और जो जिलों और प्रदेशों में काम करते हैं,

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

करोड़ों रुपया उन्होंने गुरु दक्षिणा के नाम पर इकट्ठा किया है। यह मैं बहुत भरोसे से कह सकती हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूं। कोई इनकम टैक्स, नहीं, कोई फंड का पता नहीं कि कहां जाता है, क्या होता है और क्या नहीं होता है ?

दूसरी बात मैं अपनी सरकार से यह कहूंगी कि इस किस्म के जो फंडज है, उनकी पूरी जानकारी हमें भी होनी चाहिये। वह कहां जाते हैं, किस पार्टी के पास जाते हैं, पोलिटिकल काम में खर्च होते हैं या शाखाओं में खर्च होते हैं या शिशु-मंदिरों में खर्च होते हैं ? इसका हिसाब हमें मालूम होना चाहिये, एवाम के सामने आना चाहिये।

इसके अलावा और बहुत से ट्रस्ट हैं, उनमें एक दीन दयाल उपाध्याय ट्रस्ट भी है। वह क्या है, उसका पैसा कहां जाता है ? उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है ?

इसी तरह से हमारा किसान ट्रस्ट है, उसमें करोड़ो लाखों रुपये जमा हुये। यह ट्रस्ट क्या है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने कह दिया, मैं नहीं कहना चाहूंगी।

इस वक्त आपोजीशन का रोल सिर्फ इतना है कि मुल्क के वकार को घटाए, मुल्क की अजमत को कम करे और दुनिया के नक्शे पर मुल्क की तस्वीर को बिगाड़े एक तरफ मुल्क में आपोजीशन का यह रोल है और दूसरी तरफ बाहरी खतरे हमारे सिरों पर मंडरा रहे हैं। दुनिया के कई मुल्क हमारी तरफ कड़ी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि हिन्दुस्तान एक आगे बढता हुआ, चमकता हुआ, मजबूत मुल्क बनने जा रहा है। जिस वक्त प्राइममिनिस्टर दौरे पर मुल्क से बाहर जा रही हैं, उस वक्त आपोजीशन की तरफ से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि मुल्क में कितना करप्शन है।

आज मुल्क की बड़ी भारी समस्या है आबादी में इजाफा। हम चाहे जितने प्लान्ज बना लें और चाहे जितनी पैदावार कर लें, लेकिन अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या आपोजीशन ने कभी इस मसले की तरफ ध्यान दिलाया है ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह रनिंग कमेंटरी ठीक नहीं है। आप चुप रहिए।

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : 1971 की सेन्सस के मुताबिक मुल्क की आबादी 68 करोड़ से ऊपर हो चुकी है और अन्दाजा है कि 1996 तक वह 80 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। क्या आपोजीशन ने कभी सरकार और मुल्क का ध्यान इस मसले की तरफ दिलाया है ? क्या उसने कभी यह बताया है कि हम इस मसले को किस तरह से हल करें ? वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तो फैमिली प्लानिंग को एक सियासी हथियार बनाया है। अगर इन लोगों ने फैमिली प्लानिंग को एक सियासी हथियार न बनाया होता, तो तीन साल पहले वे इस सदन में दिखाई न देते। (व्यवधान) आपोजीशन ने नेशनल इन्ट्रेस्ट का खयाल न किया और वह ट्रेजरी बैंचिज पर बैठने के लालच को

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

दबा न सकी। उसने फैमिली प्लानिंग को एक सियासी हथियार बनाया। नतीजा यह हुआ कि उसने मुल्क को इस मामले में पंद्रह साल पीछे फेंक दिया।

ये लोग नैशनल इन्ट्रेस्ट की बात करते हैं। इनकी निगाह में नैशनल इन्ट्रेस्ट है क्या ? क्या इन्होंने इस पूरे सेशन में कोई भी मुल्की मसला यहां पर उठाया ? किसी बात पर तवज्जुह दिलाई ? ये सिर्फ "अन्तुले, अन्तुले" की रट लगाते रहे। (व्यवधान)

खास तौर से आर० एस० एस० और जनसंघ के लोग फैमिली प्लानिंग के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते रहे, इसके लिए वे रात रात गांवों में घूमते रहे और इन्होंने फैमिली प्लानिंग की एक गलत तस्वीर पेश की। उसी वजह से ये लोग यहां आने में कामयाब हुए थे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि खुदा के लिए वे मुल्क के इन्ट्रेस्ट को देखें।

जब कभी ये नो-कान्फिडेंस मोशन यहां पर लाते हैं, तो यह देख कर कुछ तसल्ली होती है कि नो-कान्फिडेंस मोशन के बहाने आपोजीशन के चेहरों पर जरा सी मुस्कराहट और हंसी तो आई, समझते हैं कि हमने नो-कान्फिडेंस मोशन लाकर कोई बड़ा भारी मार्का सर कर लिया है। इन तरीकों से वे अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। मुल्क के अवाम ने श्रीमती इन्दिरा गांधी, उनकी पार्टी और उनके प्रोग्राम को बड़ा भारी एतमाद दिया है, वे उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको गलत ढंग से पेश करना चाहते हैं। मैं श्री वाजपेयी को बताना चाहती हूं कि इस मुल्क के अवाम के भरोसे और एतमाद को हिलाना उनके बस की बात नहीं है।

हमारे स्टीफन साहब ने गोल्ड आक्शन का जिक्र किया है। मैं कहना चाहती हूं कि यह एक एन्टी-नेशनल काम था और जनता पार्टी की हुकुमत को कोई हक नहीं था कि वह इस कौमी दौलत को बेच कर हिन्दुस्तान को गरीब बनाए और दुनिया की नजरों में उसके वकार को गिराए। जब इस बारे में रिपोर्ट सामने आएगी, तो मालूम होगा कि इन लोगों ने क्या किया था।

जिस वक्त श्री वाजपेयी की सरकार स्टील को इमपोर्ट कर रही थी, तब उन्होंने उसके खिलाफ मुजाहिरा नहीं किया था। अब जबकि हम कुछ अनाज इम्पोर्ट करने लगे हैं, ताकि मुल्क के अवाम को भूखा न रहना पड़े, तब उन्होंने मुजाहिरा करने की बात कही है, क्योंकि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ उनकी सांठ-गांठ है और उससे ही उनकी पार्टी चलती है।

एक साथी ने गढ़वाल इलैक्शन की बात कही। जब वहां इलैक्शन होगा, तो सही हालत मालूम हो जायेंगी। वहां के अवाम बता देंगे कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं।

इस ऐलान में हमारे नौजवान साथी हरिकेश बहादुर बैठे हैं, अगर अपने लीडर की बात उन्होंने अपनायी होती और पद छोड़ छाड़ कर चले गए होते, फिर से एलेक्शन लड़कर आते तो हम जानते ..... (व्यवधान) ..... और जो उन के लीडर हैं जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वह तो हरफन मौला हैं। वह तो रिगिंग के भी मास्टर हैं, वह अपनी बात कहने के भी मास्टर हैं और वह जनसंघ और आर० एस० एस०, इन लोगों की जब नहीं जरूरत हो तो मासेज में आ कर मासेज का मसीहा बनने के लिए जनसंघ से दूर हो जाते हैं और जब अपने वोट की जरूरत हो तो जनसंघ

के सामने हाथ भी जोड़ लेते हैं .....(व्यवधान)..... तो गढ़वाल के लिए वहां का अवाम काफी है।

इस प्रस्ताव का मैं पुरजोर विरोध करती हूं और मैं समझती हूं कि उसकी अकलमंदी के लिए इशारा ही काफी है, अगर समझ में आ जाय तो इस को वापस ले लें।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** (बडागरा) अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारे मित्र श्री स्टीफन हमारे अविश्वास प्रस्ताव से प्रसन्न न हों, देवता प्रसन्न हैं क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद वर्षा हुई है और जनता को काफी राहत मिली है।

एक प्रश्न पूछा गया है : यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों ? यह भी पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या है ? शासक दल की ओर से बोलते हुए श्री ए० के० सेन ने कहा है कि यह एक उत्साह रहित प्रयास है। मैं इसको कोई शक्तिशाली प्रयत्न नहीं मानता, परन्तु विरोधी पक्ष का यह काम है कि वह जनता की राय का प्रतिनिधित्व करे, हो सकता है कि वह गलत ही हो परन्तु यह हमारा अधिकार है और हम उस अधिकार की रक्षा करेंगे।

एक प्रश्न पूछा गया है, जब हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा है व धमकियां दी जा रही हैं। जब हमारे देश की सुरक्षा और पर्यावरण की अस्तव्यस्त करने की प्रवृत्तियां चल रही हैं, जब विश्व में युद्ध और तनाव के बादल छा रहे हैं, जब उनकी इतनी भारी सदस्य संख्या है, तो क्या ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना उचित है ? संघर्ष को समाप्त करना और मतैक्य स्थापित करना हमारा कर्तव्य नहीं है। यदि जनता के प्रति किसी का ऐसा कर्त्तव्य है तो वह उनका है जिनकी इतनी भारी संख्या है और उनके नेता का है। मैं आज इस समय किसी प्रकार की गंवारू भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता परन्तु मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा, जिन पर यह प्रस्ताव आधारित है। 20 महीने पूर्व इस देश के राजनैतिक इतिहास ने एक नया मोड़ लिया था और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी पुनः सत्ता में आई थी निःसंदेह भारी बहुमत से, मेरा इससे कोई विरोध नहीं—उन्होंने उस समय कहा था कि जनता शासन काल में राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्रयोजनों को आघात पहुंचा था और राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत नीतियों को समाप्त कर दिया गया था और मैं उन व्यक्तियों में से एक था जो जनता सरकार की इस प्रकार की आलोचना से सहमत थे। उस समय मुझे आशा थी कि कांग्रेस ढांचे और नीतियों को पुनः सक्रिय किया जायेगा और पुनरुत्थान होगा। यह भी वचन दिया गया था कि एक क्रियाशील सरकार बनेगी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी, उत्पादन के नये स्रोत निकालेगी, उत्पादन बढायेगी, जनता में सबको समान रुप से न्याय मिलने की नई चेतना का संचार होगा। अब पूरे 20 महीने बीत जाने के बाद जबकि सरकार का एक तिहाई शासन काल बीत गया है यह भी यदि वह पूर्ण अवधि तक सत्ता में रहे, कोई अन्य बात भी हो सकती अथवा नहीं भी हो सकती, जब 33॥ प्रतिशत समय बीत चुका है, हमारे लिये राष्ट्रीय स्थिति पर दृष्टिपात करना और यह पता लगाना आवश्यक है कि इस देश में क्या हो रहा है। क्या यह एक महान आशा अथवा सम्भावना या भ्रम निवृति है ? वे आशा को कहां तक पूरा कर पाये हैं ? मेरे विचार में निराशा और उदासी का वातावरण बना हुआ है। यह क्षेत्रों में अवसर खो देने और हमारे संस्थागत ढांचे के भविष्य के बारे में गहरी चिन्ता की कहानी है। यह सम्भव है कि आप इस बात से सहमत न हों। केन्द्र और राज्यो में गत 20

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

महीनों में किस राजनीतिक इच्छा का प्रदर्शन किया गया है ? आज राष्ट्रीय प्रयोजन की भावना कहां है जिसका आपने देश को बचन दिया था कि आप उस काम को करोगे जिसे जनता सरकार नहीं कर सकी ? वैसी सक्रिय सरकार कहां है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** यहां पर इतना ठीक है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** वह ऐसे गायब हो गया जैसे वह एक हौडजिक चाल थी। सक्रिय सरकार की बात भी समाप्त हो गई जैसे कि प्रधान मंत्रि ने कहा है कि यहा तक ठीक है। महोदय यह अविश्वास प्रस्ताव इन महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अवसर उपलब्ध कराना है और निस्संदेह यस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिये आपकी पर्याप्त सदस्य संख्या हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आप का आधार अस्थिर होता जा रहा है। आज गम्भीर राष्ट्रीय संकट है। प्रधान मंत्री ने देश में मनोबल घटाने की दिशा में विरोधी पक्ष की भूमिका का प्रायः उल्लेख किया है। परन्तु, महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि — दूसरे पक्ष के अनके सदस्यों ने इस बात को दोहराया है, आप यह मत सोचो कि आप एक लेवल लगाकर भाग जाओगे। य दि इस विरोधो पक्ष अथवा किसी अन्य विरोधी पक्ष मिले जुले अथवा अन्यथा, संमक अथवा एक के पास वह शक्ति होती, जो मैं स्वीकार करता हूं आज उनके पास नहीं है, तो यह सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती थी।

कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है जिसका उन्होंने वचन दिया था, मैं इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता कि दिल्ली अथवा राज्यों में क्या हाल है। क्योंकि इस ओर के लोगों की ही नहीं बल्कि उस ओर के लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी है, वह 20 सूत्री कार्यक्रम कहां है जिसे क्रियान्वित करने का उन्होंने वचन दिया था। वे भूमि सुधार कहां हैं जिनको राज्यो में क्रियान्वित करने का उन्होंने वचन दिया था ? क्या इनके बारे में कोई व्यक्ति कहीं पर बात भी करता है

**(व्यवधान)**

महोदय, श्री स्टीफन ने आर्थिक दृष्टि से की गई प्रगति का उल्लेख किया है और उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाले दावे किये हैं जो वित्त मंत्री ने भी इस सभा में नहीं किये थे क्योंकि वित्त मंत्री को पता है कि वह सम्भावना की बात कर रहे हैं। श्री स्टीफन ने अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिये कुछ आंकड़े इधर उधर से ले लिये हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर हो गये हैं और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पर लिया गया है शासक दल के एक परम मित्र हैं श्री फ्रेंक एंथनी जो कल इस सभा में बोल रहे थे। सभा को पता है कि उन्होंने क्या कहा था। महोदय प्रत्येक व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिये। प्रधान मंत्री प्रायः हम से कहती हैं उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि का विरोध करना चाहिये। मैं उनसे पूर्ण रुप से सहमत हूं, एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाना चाहिये जिससे हम व्यापारियों का विरोध कर सके परन्तु महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं : जब सरकार के अपने कार्य ऐसे हों चाहे वे आयात अथवा वितरण से फलीभूत हुए हों और जब भ्रष्टाचार के अन्तर्निहित तत्व हो, तो आपके विचार में मूल्यों में कैसे गिरावट आयेगी ? आप कैसे सोचते हैं कि नियामक ढांचा काम करेगा ? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। बड़े पैमाने

पर खाद्य तेलों के आयात का प्रश्न है जो अगले दिन इस सभा में उठाया गया था। मुझे पता है और मैं इस को पूरी जिम्मेदारी की भावना से कहता हूं कि वह 100/- रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से किया गया था और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री का एक निकट सम्बन्धी का इसमें हाथ है। यदि प्रधान मंत्री इस आरोप की चर्चा करेंगी तो हम उनके आभारी होंगे। यही स्थिति अन्य मामलों की है, उदाहरण के लिये सीमेंट का आयात। एक पार्टी को, जिसने आयात के कार्यक्रम को पूरा नहीं किया था, जिसने गत वर्ष कोरिया से दस लाख टन का आयत करने की अनुमति दी थी, पुनः ठेका दिया गया है और गत वर्ष उनके ठेके को रद्द किया गया था और यह लिखा गया था।

> "5 लाख टन के लिये ठेका रद्द किया गया भारी मात्रा में सीमेंट की निकासी, सप्लाई-कर्ताओं द्वारा भाड़े का भुगतान न किये जाने और निस्सारण अनेक बार रोके जाने के कारण भारी क्षति।"

प्रधान मंत्री फाइल को मंगवाकर देख सकती हैं। मैं कहता हूं कि एक डालर प्रति टन के लिये किया गया था और प्रत्येक बोरे में 50 किलो के बजाय 48 किलो के हिसाब से समायोजना किया गया था। यदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के काम को इसी तरीके से किया जाता है—वित्त मंत्री सप्लाई प्रबन्ध की बात करते हैं-यदि सप्लाई प्रबन्ध का यही तरीका है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

आपको पता है कि इस वर्ष देश में खाद्यान्न की वसूली किस प्रकार की गई थी, उन्होंने किस प्रकार 90 लाख टन के लक्ष्य को कम करके 50 लाख टन, किया। 45 लाख टन, 30 लाख टन, 25 लाख टन किया। क्या इतने बड़े बहुमत से जीत जाने के परिणाम स्वरूप राजनीतिक इरादे का यही प्रदर्शन है।

श्री स्टीफन ने सरकारी क्षेत्र का बहुत गुणगान किया है। मैं सरकारी क्षेत्र का पूरा हिमायती हूं। आज सरकारी क्षेत्र की क्या स्थिति है। वे बिना किसी प्रबन्धक अध्यक्ष के हैं और उनमें मंत्रियों द्वारा अनवरत हस्तक्षेप किया जाता है। मैं अनेक नामों का उल्लेख नहीं करता। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की स्थिति कहा हैं और क्षमता के उपयोग की क्या स्थिति है? उसे कहां तक किया गया है? कम से कम प्रधान मंत्री को इसका पता लगाना चाहिए।

फिर श्री स्टीफन ने रेलवे के बारे में बात की थी। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। हमने रेलवे मांगों पर चर्चा के दौरान दुर्घटनाओं से लेकर अन्य सभी बातों पर चर्चा की थी। दुर्घटनाओं के अतिरिक्त—मुझे प्रसन्नता है कि श्री केदार पांडे यहां पर उपस्थित हैं—प्रसाशन की समूची स्थिति खराब है। क्या वह मेरे आंकड़ों का खंडन कर सकते हैं। इस वर्ष की प्रथम तिमाही और व्यस्ततम काल में रेलवे द्वारा कोयला, सीमेंट और इस्पात की ढलाई में 10 प्रतिशत तक कमी हुई है।

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : वह इसका खंडन कर सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो यह

(श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)

बहुत चिन्ता की बात है। उन्होंने कोयले की बात की। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोयले की स्थिति क्या है।

उन्होंने इस्पात के उत्पादन की बात की है। इस्पात के उत्पादन के अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने बिक्री योग्य इस्पात की परिभाषा बदल दी है ताकि इस्पात उत्पादन में वृद्धि दिखाई जा सके। इस प्रकार हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जब स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड बोर्ड में चर्चा की जाती है तो इस पर आपत्ति की जाती है। जब निदेशक लेखों की हेरा फेरी पर आपत्ति करते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। इस्पात विकास निधि की राशि को लाभ की राशि के रूप में दिखाया जाता है। मैं चाहता हूं कि श्री वेंकटरामन इस सब की जांच करें।

मैं टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं उसको छोड़ता हूं। मैं इस सम्बन्ध में काफी कुछ कह सकता हूं। परन्तु मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री वेंकटरामन फिर भी तर्क दे सकते हैं, यद्यपि प्रभावहीन हो, और मैं जानता हूं कि ऐसा करने की उनमें काफी क्षमता है। मैं वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस अर्थव्यवस्था का सप्लाई अथवा मांग पर क्या प्रभाव रहेगा ? वह परिभाषा मात्र कर देने से अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते। आप अपने संसाधनों को कैसे जुटा रहे हैं ? उनका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।

वह देश के भीतर और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लेने के सरल तरीके अपना रहे हैं। मैं धारक बांडों का उल्लेख नहीं करना चाहता—काले धन के पेकेज। जब व्यापार में चलचित्र वित्त में और तस्करी में भी समानान्तर अर्थव्यवस्था, काले धन का बोलबाला है, आप उनके साथ कैसे निपटेंगे। एक समय था जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तस्करों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा था। उन्होंने 1 जुलाई 1975 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए अपने प्रस्ताव में कहा था :

"तस्करों के विरुद्ध हमारा अभियान तेज किया जाएगा।"

तकनीकी फाइलों के रिलीज से यह पता चलता है। कुछ मामलों में पेशगी जमानत ले ली गई। तस्करों की सम्पत्ति को जब्त कर लिया जायेगा चाहे उनके नाम में हो या बेनामी हो। उस समय उन्होंने ऐसा निश्चय दिखाया था। परन्तु आज मुझे यह कहते हुए खेद है कि वित्त मंत्रालय में वे इस "रिटर्न आफ दॉ रेड रोज" कहते हैं। गुलधारी जिनके बारे में मिसले बनी हुई हैं गुप्तचर विभाग, सीमा शुल्क विभाग और तस्करी निदेशालय द्वारा प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन दिये गये हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब निर्णय करने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भी समझौता किया जाये तब उनके अच्छे इरादे किस प्रकार क्रियान्वित होंगे। वे अपने वचन को कैसे पूरा करेंगे ?

प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टालीरेंड कहा करते थे कि "जब वित्त पोषक समान नियंत्रण करने लगें तब समझ लेना चाहिये कि समाज का नाश होने वाला है। वही स्थिति है। मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक अथवा बिहार—किसी के द्वारे में नहीं जाना चाहता। इस सभा में और बाहर आरोप

लगाये जा रहे हैं और आप निश्चल बैठे हैं। आप कम से कम जांच आयोग क्यों नहीं नियुक्त कर देते ? यह अधिकार का उल्लंघन है जो प्रत्यक्ष है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाये।

यह खंड 9 और 5 में उल्लिखित कानून के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।

**अतः मैं इतना कहना चाहूंगा कि अन्तुले मामले की जांच करने के लिए जाँच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।** जांच आयोग मुकद्दमा चलाने के लिए नियुक्त नहीं किये जाते यदि पर्याप्त सामग्री हो, उसमें कोई कमी न हो, तो सरकार को मुकद्दमा चलाने से कोई रोक नहीं सकता। परन्तु जनता की उत्सुकता को शान्त करने के लिए हैं और लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरा मत नहीं है। श्री ए० आर० अंतुले का अपना भी यही विचार है।..... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** अगले दिन बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा था "भ्रष्टाचार में क्या गलत बात है ? पूरे राष्ट्र में ऐसा ही वातावरण है।" **(व्यवधान)**

बिहार में यह कहा जा रहा है जो रिकार्ड में है कि भ्रष्टाचार राष्ट्रव्यापी है। **(व्यवधान)**

एक समय था जब वर्ष 1968 में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थी, बिहार में जाँच आयोग स्थापित किया था, चार अत्यन्त सम्मानीय कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने तक की अनुमति नहीं दी गई थी, प्रधान मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री बनाया जाना तो अलग रहा। 4 महत्त्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को, पंडित जी का स्मरण होगा—चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया था। अतः यहां विश्वसनीय नैतिक प्रयोजन और वचनवद्धता का संकट है। इसीलिए हमने यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम से उसके साथ निपटा नहीं जा सकता।

मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि लोग यह न कहें कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी को दिया गया एक और अवसर बेकार हो गया।

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विरोधी पक्ष ने गप्पों और झूठी बातों का उत्तर देने का हमें अवसर दिया जिस काम को वे काफी समय से करते चले आ रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि यह अविश्वास प्रस्ताव निरर्थक कार्य है ; न ही यह कोई रस्मी चीज है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। इस पागलपन के पीछे भी एक आधार है। जैसे कि मैंने पहले बताया है—मैं अब भी उसी बात को कहता हूं कि अस्थिरता की स्थिति लाने हेतु कार्यवाही आरम्भ करने के लिए ही विरोधी पक्ष का यह संयुक्त प्रयास है। यह बात इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नामों से स्पष्ट हो जाती है।

[प्रो० के० के० तिवारी]

वर्ष 1967 में चली गई पुरानी/चाल फिर चली आ रही है। श्री समर मुखर्जी अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मित्रता का हाथ मिला रहे हैं। एक ओर लोकतन्त्र की रक्षा करने वाले अपने आपको क्रान्तिकारी कहने वाले हैं दूसरे ओर दक्षिण पंथी हैं जो संस्थान ढांचे और राजनीतिक आदर्श की बातें करते हैं जिसको उन्होंने संजोये रखा है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रीय मतैक्य के बारे में बोलते हैं जो उस समय था। यदि आप इसके पीछे विरोधी दलों के उद्देश्य पर ध्यान दें तो आपको यह पता लगाने में देर नहीं होगी विरोधी दलों का यह अभियान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर धब्बा लगाने के लिए चलाया गया है।

मैं विरोधी पक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे इन घटनाओं पर विचार करें। पंडित जवाहर लाल नेहरू के शासन काल के समय कांग्रेस विचारधारा के ढांचे की आलोचना करना ही लक्ष्य होता था ; पंडित जवाहर लाल नेहरू को बदनाम करना उनका कभी लक्ष्य नहीं रहा। यह काम पंडित जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के बाद और श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री का कार्यभार सम्भालने के साथ शुरू हुआ है। मैं फिर दोहराता हूं कि जैसा कि वर्ष 1967 में हुआ था, सभी विरोधी दल एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि उनमें शक्ति या एकता की कमी नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा सम्बन्धी असामंजस की कमी है—प्रणाली के प्रति विचारधारा सम्बन्धी वचनबद्धता का अभाव।

इस देश में विरोधी पक्ष को इकट्ठा करने वाली केवल एक बात है और वह है एक व्यक्ति के विरुद्ध विकृतिपूर्ण नफरत। अतः विचारधारा सम्बन्धी सँघर्ष, जिसका हम प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते, छोड़ दिया गया और सभी प्रकार के विरोधी पक्ष के नेताकों ने इकट्ठे होकर और इस देश की जनता को धोखा देकर व झांसा देकर, उनकी आंखों में धूल झोंककर वर्ष 1967 में सत्ता सम्भाल ली थी।

**एक माननीय सदस्य : 1977**

**प्रो० के० के० तिवारी :** मैं वर्ष 1977 से ही मानता हूं, उन्होंने वर्ष 1967 में सत्ता सम्भाल ली थी और जिसके परिणाम हम सब लोग जानते हैं। यह काम कई बार किया गया। मैंने गलती से 1967 नहीं कहा, मैंने जानबूजकर कहा है, यह तथ्य है। वर्ष 1967 के बाद, आपको याद होगा कि क्या हुआ—वर्ष 1971 से पुनः उसी प्रकार के लोग, वही तर्क लेकर, उस कार्यक्रम के साथ इकट्ठे हुए, आम जनता की कांग्रेस विचारधारा को अस्वीकार करने की कोई मांग नहीं थी। विरोधी पक्ष के नेताओं की मांग श्रीमती गांधी को अस्वीकार करने की थी। हम ने कहा – जिसे हम आज भी कहते हैं—कि हमारा नारा इस देश से एरीबी दूर करने का है। विरोधी पक्ष का राजनीतिक कार्यक्रम श्रीमती गांधी को हटाना था। अतः उसी समय से यह चल रहा है। विरोधी पक्ष के हमारे बहुत से मित्र जैसे जार्ज फर्नान्डीस और प्रो० मधु दण्डवते, जो पहले बोल चुके हैं, देवदूत सदृश भोले बने हुए हैं, और उनमें से कुछ सचमुच भोले हैं।

इस सदन के सामने जो भी मामले लाये गए हैं उन पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए और हमेशा के लिए उन्हें हल किया जाना चाहिए। उन्होंने जो भी मामले उठाये है हमें उन पर विचार करना चाहिए।

उन्होंने लोकतन्त्र का मामला उठाया है। हम दिन रात इस झूठी बात को सुनते रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी जिस पार्टी के पीछे 100 वर्षों की परम्परा है, जिस पार्टी के बलिदानों का इतिहास है, जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई, जिस पार्टी ने इस देश के लोगों को आजादी दिलवाई उस पार्टी पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया जाता है। आप में से बहुत से लोग विपक्ष के भी कुछ सदस्य स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। श्री शास्त्री जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आप मेरी बात पर सिर हिला रहे हैं। आप मुझे बतायें और इस सदन को भी पता लगाना चाहिए और इस सदन के माध्यम से हम इस देश को बताना चाहते हैं। देश स्वाधीनता आन्दोलन में उनकी भूमिका के बारे में जानता है। जब जनता का उद्देश्य स्वाधीनता था, जब हजारों लोग अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे। वे गिरफ्तारियां दे रहे थे और जेल जा रहे थे आपने ब्रिटिश सरकार के साथ गठजोड़ किया···। (व्यवधान) आप आजादी के पक्ष में नहीं थे।···

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया शांति बनाए रखें। वे आप के बलिदान की सराहना कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपको याद दिलाया जाये ?···शास्त्री जी, वे केवल आपकी सराहना कर रहे हैं·····(व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी :** मैं उनको उनके योगदान की याद दिलाना चाहता हूं। हमारे इतिहास के निर्णायक समय पर···(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनें·····(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया शांति रखें।

**प्रो० के० के० तिवारी :** कृपया मेरी बात सुनें। यह कहा जाता है कि राजनीति में विपरीत विचार रखने वाले भी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आज की सबसे बड़ी दोस्त, एक जिस के बारे में कहा जाता है कि सबसे अधिक ही विख्यात है और जिसे बहुत ही संगठित कहा जाता है वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उनकी भूमिका को याद करें। मैं चुनौती देता हूं और आरोप लगाता हूं। मैं श्री बाजपेयी से अथवा विपक्ष में बैठे उनके किसी मित्र से पूछूंगा कि इस देश को बचायें और इस सदन को बतायें कि स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्या थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जन संघ उस समय स्थापित नहीं हुआ था परन्तु उसका पितामह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो विद्यमान अस्तित्व में था। आप मुझे बताये कि उनमें से कितने लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लाठीधारी कितने स्वयं सेवक जेलों में गये। और वही लोग आजादी की बात करते हैं और वही लोग लोकतन्त्र की बात करते हैं। आपकी अनुमति के साथ में शेक्सपीयर की बात को इस प्रकार से कहूंगा "धूर्तता, तेरा नाम है।" इस मामले पर आय का कोई समर्थन नहीं करता।

तब एक अन्य मामला हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले पर भी···(व्यवधान)। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पर आता हूं। मैं अपने मित्रों को निराश नहीं करूंगा। परन्तु उससे पूर्व मैं अपने मित्र, प्रो० दंडवते की बात करूंगा। उन्होंने जनता सरकार को गिराने में श्रीमती इन्दिरा गांधी की भूमिका का उल्लेख किया। परन्तु श्रीमती गाँधी के संस्थागत ढाँचे के प्रति निष्ठा तथा राजनैतिक विचारधारा तथा लोकतन्त्रात्मक प्रक्रियाओं के प्रति अडिग निष्ठा को तथा इस

[प्रो० के० के० तिवारी]

बात को याद करें कि उन्होंने उनके जीतने पर किस शिष्टतापूर्ण ढंग से सत्ता उन्हें सौंपी····· और जब 1977 में वे सत्ता में आए, उसके बाद क्या हुआ ? हम लोकतन्त्र को अभी नहीं भूल सकते । मैं इस सदन में आया करता था । और दीर्घा में बैठा करता था । जब उन्होंने सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा लगाया तो उनमें बहुत से लोगों की तथा श्री फर्नान्डीज की भी उनकी वाक्पटुता के लिए प्रशंसा की गई । मेरे पास एक जानकारी है । उन्होंने स्नातक होने के बाद उपदेशक तथा छुटपुट आन्दोलन करने वाले के रूप में जीवन आरंभ किया और बाद में एक क्रांतिकारी बन गए । इस सदन को सभी प्रकार के तिरस्कारों का सामना करना पड़ा । ऐसे लोग जनता सरकार में थे । कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने और तब अपनी बात कहें (व्यवधान)

इस सदन को अभूतपूर्व और निन्दनीय घटनाएं देखनी पड़ीं । तत्कालीन जनता सरकार द्वारा पैदा की गई अनेक दिक्कतों के बावजूद श्रीमती गाँधी चिमगलूर से भारी बहुमत से जीत कर आईं । जब वह इस सदन में आईं, तब हम विपक्ष में थे । हम जनता सरकार को उखाड़ फेंकने की स्थिति में थे । जनता सरकार जब शासन में थी तो वह एक व्यक्ति, को सहन न कर सकी । मैं यह बता देना चाहता हूं कि सारा आक्रमण का केन्द्र श्रीमती गाँधी थीं । कोई संघर्ष नहीं था । अतः देश में राजनैतिक प्रणाली को कोई खतरा नहीं था । आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप इस बात पर विचार करें । राष्ट्रीय मतैक्य विलुप्त हो गया है । इतनी तेजी से विलुप्त हो गया है । इसका कारण यह है आप सभी विचारधाराओं की सीमाएं छोड़ चुके हैं । वे साथ मिल गए । इस देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसी या किसी पार्टी की अथवा शासन करने वाली पार्टी की चाटुकार बनी रहती है । जनता पार्टी के शासन काल में, प्रो० दंडवते सहित, जो जब बोलते हैं तो देवता दिखते हैं इन सभी लोगों की उपस्थिति में इस सभा से श्रीमती गांधी को निष्कासित कर दिया गया और वह पूछना* मैं कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूं और यह जानबूझकर कर रहा हूं···* न्यायधीश शाह, जिनके दिल में श्रीमती गांधी के प्रति नफरत भरी थी···(व्यवधान)

**श्री बापूसाहेब पारूलेकर** (रत्नगिरी) : इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जाना चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा कि क्या उन्होंने कोई·····

**प्रो० के० के० तिवारी** : वे आयोग के अध्यक्ष थे । दूसरी रिपोर्ट का क्या हुआ उसे सारा विश्व जानता है···(व्यवधान)

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : शब्दों के बारे में आप क्या कर रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब श्री पारुलेकर ने आपत्ति उटाई थी तो मैंने कहा था । आप एक अच्छे मित्र हैं । (व्यवधान)

अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : शब्दों के बारे में आपने क्या किया है ?

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं पहले ही कह चुका हूं। आपको मेरी बात सुननी चाहिये थी, कृपया बैठ जायें। मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। कृपया बैठ जायें। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये। (**व्यवधान**)*

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** नियमों के अनुसार तथा इस सभा में आप जिस प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं उस प्रथा के अनुसार मानहानिकर वक्तव्यों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक न्यायाधीश को **कहा गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री पारूलेकर ने यह मामला उठाया था। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा।

**श्री चन्द्रशेखर :** उपाध्यक्ष महोदय जब भाषण दिया जा रहा था तो क्या आप ध्यान से सुन रहे थे। क्या आपने माननीय सदस्य का भाषण सुना था।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। मैं उतना ध्यान दे रहा था जितने सदन में आप दे रहे हैं। आप क्या बात उठाना चाहते हैं।

**श्री चन्द्रशेखर :** यदि आपका ध्यान था तो उन्होंने कहा···**यदि यह संसदीय है तो क्या मैं वही शब्द श्रीमती गांधी के बारे में उपयोग कर सकता हूं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** जब यह कहा गया था मैं ध्यान से सुन रहा था और श्री पारूलेकर ने इसे उठाया था। मैंने तत्काल कहा कि मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा। यदि कोई असंसदीय अवमानजनक तथा मानहानिकर बात है तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

**श्री चन्द्रशेखर :** उपाध्यक्ष महोदय, हम इन बातों को नहीं होने देंगे। आपको नियमों के अनुसार चलना होगा। आप अपनी मनमानी के अनुसार नहीं चल सकते।

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

**श्री सी० टी० दंडपाणि :** **एक असंसदीय अभिव्यक्ति है। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह बिल्कुल ठीक है। मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। श्री दंडपाणि मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा। आप सब लोग बैठ जायें।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**प्रो० के० के० तिवारी** : दुर्भाग्य से श्री शाह के नाम के उल्लेख मात्र से इस सदन में यह बावेला उठ खड़ा हुआ है। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शांति बनाये रखें ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : इसी सदन में यह सब कुछ हुआ । मैं श्री चन्द्र शेखर को चुनौती देता हूं। कृपया सुने और उत्तर दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चन्द्रशेखर को यह कहना चाहिये ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : आप इस सदन के पुराने कार्यवाही वृतान्त को देखें। उनके मित्र, श्री जार्ज फर्नान्डीज, ने श्री शाह पर अभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। (**व्यवधान**) उस प्रस्ताव को उठाने की इस सदन में अनुमति दी गई थी। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शांत रहें, शांत रहें ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : मेरी दूसरी बात भ्रष्टाचार के संबंध में है।

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शांति बनाए रखें।

**प्रो० के० के० तिवारी** : मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था रखें ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : मैं भी इस बारे में चिन्तित हूं। मेरे विचार से इस सदन का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक जीवन के किसी भी अंग में भ्रष्टाचार के बारे में चिन्तित है। हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए, स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के लिये चाहते हैं। श्री दंडवते किन्हीं बातों का उल्लेख कर रहे थे। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में भ्रष्टाचार को संस्था का रूप दे दिया गया है। जब भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जायें तो वे पूर्ण अधिकार के साथ तथा पूरे उत्तरदायित्व के साथ लगाये जाने चाहिये। श्री अन्तुले के नाम को इस विवाद में खींचा गया है। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय**: वह जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए । आप उन्हें अपना उत्तर बाद में दें।

**प्रो० के० के० तिवारी** : श्री अन्तुले ने स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दिया है। भारत सरकार के तत्कालीन प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के बारे में मेरे पास वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट है।

जब वे सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि उनका प्रथम उद्देश्य सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त करना है। परन्तु भ्रष्टाचार समाप्त करने के क्षेत्र में उनकी महानतम उपलब्धि यह थी कि उस सरकार के उच्चतम कार्यकर्त्ता एक दूसरे को दोष दे रहे थे। भारत का प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार के लिए गृह मंत्री की आलोचना कर रहा था और गृह मंत्री प्रधान मंत्री की आलोचना कर रहा था ऐसा आपको विश्व के किसी अन्य सभ्य देश में नहीं मिलेगा। प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार के लिए गृह मंत्री तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आलोचना करे और गृह मंत्री प्रत्योत्तर में प्रधान मंत्री पर आरोप लगा रहा था। (व्यवधान) जनता पार्टी के महान नेता सदन में उपस्थित हैं। क्या उन्हें राजनारायण की गतिविधियाँ याद नहीं है ? बाबू जगजीवन राम भी सदन में उपस्थित हैं। वे उनके कारनामों का शिकार बनें हैं। बाबू जगजीवन राम, जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, श्री राज नारायण जो इस देश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे के विरुद्ध सभी प्रकार के घिनौने, सभी प्रकार की अश्लील बातें, फोटोग्राफ और आरोप लगाए गए। अब वे जनता में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हमारे युवा दोस्त जो हमारी पार्टी टिकट पर चुनाव जीतें हैं वे नए मैदान की तलाश में विरोधी दल में चले गए हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** श्री तिवारी, कृपया उस नीति के नाम का उल्लेख न करें जो इस सदन का सदस्य नहीं है। यदि आप चाहें, तो आप भूतपूर्व मन्त्री कह कर सम्बोधित कर सकते हैं। (व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी :** मैं अपने दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे तंग न करें। परन्तु मैं कहूंगा कि कुछ व्यक्ति किन्हीं राजनैतिक समूहों से सांठ-गांठ किए हुए हैं। अब श्री शिब्बन लाल सक्सेना, जो इस सदन के बहुत ही पुराने सदस्य हैं, जो इस सदन के पुराने भूतपूर्व सदस्य थे, जिनसे आप सभी परिचित हैं, वे उस व्यक्ति के खिलाफ 108 आरोप लगाए। (व्यवधान) और उसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति का पुत्र जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील था, न्यायालय की शरण में गया और उसने श्री शिब्बन लाल सक्सेना के खिलाफ मान हानि का केस दाखिल किया। अब वही व्यक्ति भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। परन्तु दूसरों के प्रति आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने दिल में झांक लेना चाहिए। न्याय के बारे में, मैं उनसे एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। श्री चन्द्रशेखर आप सभी मुझे बताएं···(व्यवधान) आपका एक न्यास है। मेरे पास कागजात हैं। उनका एक न्यास है जो अब भी चल रहा है। इसका नाम 'दीनदयाल उपाध्याय न्यास' है। यह न्यास भारतीय जनता पार्टी के अधीन चल रहा है। यह न्यास कुछ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। यह बहुत ही तुच्छ राशि से स्थापित किया गया। वर्ष 1976-77 में न्यास के नाम पर बैंक में कुल केवल 56,000 थे और जब जनता के शासन के दौरान श्री वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे, जब उनकी 'मंडली' (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** महोदय, मैं इस बारे में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे बाद में दे सकते हैं । आप कल इसे लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को दे सकते हैं ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : 1976-77 के दौरान, न्यास के नाम पर बैंक में केवल 56,000 रुपये थे । फिर ये एक दम इतना अधिक हो गया । ये 10,73,860 रुपए तक जा पहुंचा । फिर महोदय, 1978-79 में यह संख्या 10 लाख से बढ़कर 16,76,900/-रुपए हो गई । और एक दूसरा न्यास जो महाराष्ट्र में चल रहा है और जिसका पूरा कार्यकरण श्री शरद पवार के हाथ में है..... (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया नाम का उल्लेख न करें ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : ठीक है, महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा । परन्तु इस न्यास ने, न्यास को बार-बार पत्र लिखे जाने के बावजूद भी गत तीन अथवा चार वर्षों का लेखा परीक्षित लेखा सरकार के पास नहीं भेजा है । महोदय, उन्होंने लेखा नहीं भेजा है । (व्यवधान) कल तक वह सी.पी.एम और सी. पी. आई. का नया नाम मसीहा था, ग्रामीण सामान्त कौन था, श्री चरणसिंह । चौधरी चरणसिंह ने किसान संगठन न्यास स्थापित किया था । जब श्री चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनके जन्म दिन पर उन्हें देने के लिए लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र किया गया ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले उन्हें कहने दें आप अपना स्पष्टीकरण कल दे सकते हैं । अथवा श्री चरणसिंह कल आकर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं । स्पष्टीकरण कल दीजिएगा ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं इस आरोप को बिना चुनौती दिए नहीं जाने दूंगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है । उन्होंने यह कहा है । आप इसे कल करें ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : कल नहीं । जब मैं विदेश मंत्री था मैंने एक पाई भी एकत्र नहीं की ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री वाजपेयी जी, यह ठीक है । आप अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कल दें । श्री चरणसिंह भी ऐसा कल कर सकते हैं ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : कल क्यों ?

**पाध्यक्ष महोदय** : चरणसिंह भी ऐसा कर सकते हैं । वे मुझे पत्र लिख सकते हैं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं खुली जांच का सामना करने को तैयार हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री वाजपेयी आप कल अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं और श्री चरण सिंह भी ।

**प्रो० के० के० तिवारी :** श्री चन्द्रशेखर स्वयं भी कई न्यास चला रहे हैं—मैं उन पर किसी दुर्पयोग का आरोप नहीं लगा रहा हूं । वे भी न्यास चला रहे हैं । इसलिए, यदि सार्वजनिक न्यास चलाए जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है ।

तब महोदय, एक दूसरा प्वांईट श्री चन्द्रशेखर मेरी बात की पुष्टि करेंगे जिसका श्री जेठमलानी ने उल्लेख किया है । श्री जेठमलानी किस्मत की एक अनोखी चाल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बने । पहले मेरे दिमाग में यह सन्देह था कि भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्ति पूर्ण पार्टी है । परन्तु जब से श्री जेठमलानी पार्टी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए और बनाए गए, देश भक्ति की डींग, सार्वजनिक जीवन के मूल्यों की डींग, स्वच्छ चित्र, मेरे दिमाग में उस पार्टी के लिए जो थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, वह भी समाप्त हो गई । महोदय, श्री जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि न्यास के धन को दल बदल में लिए उपयोग में लाया जाएगा । जब भारत में वे जनता पार्टी की सरकार के रूप में कार्य करने लगे, तो उनका एक प्रशंसनीय उद्देश्य इस देश में दल बदल समाप्त करने लिए एक विधेयक लाना, एक कानून बनाना था । मुझे गलत मत समझें । (**व्यवधान**) दुर्भाग्य से, चौधरी चरणसिंह जी सभा में उपस्थित नहीं हैं । जनता पार्टी की सरकार में चौधरी चरणसिंह गृह मंत्री थे । वे इसका समर्थन करेंगे, और विरोधी पक्ष के मेरे दोस्त भी इस बात का समर्थन करेंगे कि 1967 में चौधरी चरणसिंह कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित हुए थे । श्री वाजपेयी सदैव ही कुछ न कुछ करते रहे हैं । उन्होंने एक फूट नीति बनाई । चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने के उद्देश्य से वे उनके पास गए । उन्होंने उन्हें मुख्य मंत्री पद से सुशोभित किया । (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक दल को समय आवंटित किया गया है । वे अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं । (**व्यवधान**)

**प्रो० के० के० तिवारी :** इस देश में चौधरी चरणसिंह दल बदलुओं के नेता बने ।

पुनः मैं बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे गलत न समझें । बाबूजी सदैव ही स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रणी रहे हैं । (**व्यवधान**) 1977 में जब आपातकाल समाप्त किया गया और चुनावों की घोषणा की गई, तब विरोधी पक्ष जिसका नेतृत्व ये विविध प्रकार का समूह जिसकी सहायता और अवप्रेरणा अपने आप नियुक्त लोगों द्वारा किया जा रहा था, कि 'प्राईज कैच' की तलाश में थे, और वह 'प्राईज कैच' बाबू जगजीवन राम स्वयं थे । उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा । 1977 के चुनावों में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त दल बदलू बाबू जी स्वयं थे । उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया आप समाप्त करें ।

**प्रो० के० के० तिवारी :** अब मैं कुछ उन प्रापर्टी के मामलों की ओर आता हूं जिन्हें प्रो०

[प्रो० के० के० तिवारी]

मधु दण्डवते जैसे मेरे कुछ अन्य माननीय दोस्तों ने उठाया है, आपको याद होगा, यह यहां मेरा आरोप नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। 1977 से पूर्व श्री फर्नांडीस अपने आपको एक अपराधी एक मुंलजिम मानते थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे गाड़ियों को उड़ाने में संलग्न थे; और उनका वक्तव्य कई विदेशी दैनिकों में छपा था। जब जनता पार्टी जीती, फिर क्या हुआ? उनके विरुद्ध मामलों को वापिस लेना पड़ा। उस दिन जब, उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जाती थी। एक छुट्टी का दिन था। उस न्यायाधीश को जिसने न्यायालय की अध्यक्षता की, को उसके घर से बुलाया गया। उसे आदेश दिया गया कि वह न्यायालय को खोले और मामलों को वापिस लेने की कार्यवाही को शुरू करे। (व्यवधान) उनके मामले को न्यायालय से वापिस लिया गया; और अगले दिन—यह लो और पकड़ो महान समाजवादी लोहिया के उत्तराधिकारी ने उद्योग मंत्री के रुप में कार्य भार ग्रहण किया (व्यवधान) मैं उन पर यह आरोप लगाता हूँ। वे इसका उत्तर दें। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें तब उत्तर दे सकते हैं जब आपको अवसर मिले। अब बाबूजी बोलेंगे।

**प्रो० के० के० तिवारी** : वे गढ़वाल की बात कर रहे थे। आप अपने मित्र फर्नांडीस से पूछें वे मुज्जफरपुर से निर्वाचित हुए हैं? 1980 के बाद वह निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गये। हैं मैंने अपने पहले के भाषण में उनके चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाया था और मैं अपने आरोप पर दृढ़ हूं वह देश में काले धन के मालिक के नाम से जाने जाते हैं। उनको गलत तरीकों से धन प्राप्त हुआ है जोउन्हों ने अपने मंत्रित्व काल में एकत्र किया है। उन्होंने साइकिलों तथा मोटर-साइकिलों के वितरण के लिये मुजफ्फरपुर में करीब एक करोड़ रुपये खर्च किये तथा लोगों को धोखा देकर चुनाव जीता है, वही व्यक्ति सिद्धान्तों की बात करता है वही व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपने स्टैंडर्ड की बात करता है और वही व्यक्ति लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करता है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी** : मैं जानता हूँ कि सत्य कटु होता है और इससे आघात पहुंचाता है जब हमने उनकी बात शांति तथा सम्मानपूर्वक सुनी तो उनको भी वैसा ही करने के लिये तैयार रहना चाहिये। मैं अब एक महान् क्रांतिकारी दल के बारे में बोल रहा हूँ जो अन्तर्राष्ट्रीय भाई-चारे के सिद्धान्त से जिसका क्षेत्रीय दल बनकर रह गया है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह किसी पर आपोप नहीं लगा रहे हैं, वह सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी** : गत सप्ताह ही मैं कलकत्ता गया था। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री तिवारी कलकत्ता क्यों न जायें ? क्या उनको कलकत्ता जाने के लिये किसी पासपोर्ट की आवश्यकता है ? (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री तिवारी कलकत्ता जा सकते हैं और भारत के किसी भी भाग में जा सकते हैं। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कलकत्ता जा सकते हैं। आप उनको कलकत्ता नहीं जाने देंगे। आपको उनका स्वागत करना चाहिये।

**प्रो० के० के० तिवारी** : आप लोगों में से बहुत से मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा उन्होंने पहले के स्वाधीनता संग्राम को भी बल प्रदान किया था। इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिसे राजा राम मोहन राय से विवेकानन्द तक के महान विचारकों द्वारा जारी रखा गया और बल प्रदान किया गया, द्वारा बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया गया। भारत ने सदैव पश्चिम बंगाल से विचार सूत्र लिया है। सुभाषचन्द्र बोस जैसे उन क्रांतिकारी जिन्होंने देश को ललकारा था, जो हमारी संस्कृति, इस देश में हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीक थे, वहां की धरती अब सी. पी. आई. (एम.) के जैक-बूटों तले चली गई है। (**व्यवधान**) मैंने वहां कुछ कालेज, स्कूल तथा विश्वविद्यालय देखें (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनको इन बातों का उल्लेख करने दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि वह इनका उल्लेख करें। (**व्यवधान**)

कृपया बैठ जाइये। श्री चौबे, कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**)

आप इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं ? मुझे खेद है। इन्हें उनका इन बातों का उल्लेख करने का पूरा-पूरा अधिकार है। क्या नुकसान है। (**व्यवधान**)

**प्रो० के० के० तिवारी** : मुझे दो वाक्य पढ़ने की अनुमति दीजिए। यह न्यू डेल्ही पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित हुई है इसे बंद कर दिया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें गलत मत समझिए।

**प्रो० के० के० तिवारी** : इस सभा के एक सदस्य, साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के एक महान् नेता हैं, श्री ज्योतिर्मय बसु जो लोकतंत्र के रक्षक, लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता के पक्षपोषक हैं— इस गरिमायुक्त सभा के बारे में, जिसे विभिन्न शब्दों में वर्णित किया गया है। उनका यह कहना है उन्होंने आरोप लगाया है कि हम इसकी गरिमा को उसके बने रहने को ख़तरे में डाल रहे हैं। न्यू डेल्ही को दी गई भेंट में श्री ज्योतिर्मय वसु कहते हैं, "क्या उपाय है ?"

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री तिवारी, आप संक्षेप में बोलिए। मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता कृपया संक्षेप में बोलिए। (**व्यवधान**)

**प्रो० के० के० तिवारी :** श्री ज्योतिर्मय बसु कहते हैं: 'हम साम्यवादी लोगों का यह विश्वास नहीं है कि वर्तमान संसदीय प्रणाली से कोई भला होगा।" (**व्यवधान**)

अगले वाक्य में कहा गया है, "हम संसद में लोगों को इस बात के लिये आश्वस्त करने के लिये आये कि संसद उनके लिये कुछ नही कर सकती।"

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। अब आप कृपया संक्षेप में बोलिये।

**प्रो० के० के० तिवारी :** "···· आपने हमारी सरकार के इस दृश्य को देखा है···मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी सरकार विधिपूर्वक चुनी हुई सरकार है।" (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया संक्षेप में बोलिये।

**प्रो० के० के० तिवारी :** महोदय, दो मिनट और। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** आप जारी नहीं रख सकते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। (**व्यवधान**)

**प्रो० के० के० तिवारी :** ····· जब तक आप सत्ता में हैं, आप पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उस अधिकार पर कोई द्वेष नहीं करता हूं क्या आपने सुना है .....

**अध्यक्ष महोदय :** वह ठीक है।

**प्रो० के० के० तिवारी :** "क्या आपने विश्व में कहीं ऐ सी किसी सरकार के बारे में सुना है जिसे संविधान के उन उपबन्धों के अन्तर्गत काम करना होता है जिनकी आप दिन-रात शपथ लेते हैं ....."

**अध्यक्ष महोदय :** वह ठीक है। अब आप संक्षेप में बोलिए।

**प्रो० के० के० तिवारी :** अब मैं देश में आर्थिक स्थिति के बारे में बोलता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

**प्रो० के० के० तिवारी :** अतः मैं कहता हूं ··· (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं ; कुछ नहीं। कृपया बैठ जाइये।

**प्रो० के० के० तिवारी :** एक प्रयास हो रहा है ..... (**व्यवधान**) हम इस सभा के माध्यम

से इस देश को आगाह कर दें। ऐसा लगता है कि यह अविश्वास-प्रस्ताव प्रतिक्रियावादी शक्तियों के एक जगह जुट जाने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, श्री तिवारी ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा कि···

**अध्यक्ष महोदय** : क्या पर्सनल हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : जी हां उन्होंने कहा कि मैं जब विदेश मंत्री बना तो दीन-दयाल स्मारक ट्रस्ट का कोष बढ़ गया।

**अध्यक्ष महोदय** : आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के इस प्रश्न के बारे में मेरे पास आइये। (व्यवधान) कृपया शांत रहें। मुझे पता लगाने दीजिए। शांति, शांति। मुझे पता लगाने दीजिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : यह चीज आज रिकार्ड में रहेगी और आज अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो कल अखबारों में छपेगा। मैंने विदेश मंत्री के रूप में एक पैसा इकट्ठा नहीं किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने खंडन कर दिया है। आप बोलने दें। तो मैं करूं।

आपने खंडन कर दिया है। वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित कर लिया गया। अब बाबू जगजीवन राम।

**श्री जगजीवन राम** (सासाराम) : अध्यक्ष जी, अविश्वास का प्रस्ताव इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के स्रोत से शुरू हुआ, लेकिन मैं उसका केन्द्र बिन्दु नहीं बनाना चाहूंगा। चाहे अन्तुले हो या इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान हो, केन्द्र में उन्हें रख कर बहस होना उचित नहीं है। मैं तो प्रधान मंत्री के ऊपर छोड़ दूंगा, इस प्रश्न पर सदन में क्या स्थिति है और लोगों की भावना बाहर क्या है, उसको देखकर, वे स्वयं प्रधान मंत्री हैं, कांग्रेस की नेता हैं, अन्तुले चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, जो मुनासिब समझे राजनीतिक या कानूनी कार्यवाही अन्तुले के विरुद्ध करने के लिए स्वतन्त्र हैं। हम जानते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर पास नहीं हो सकेगा।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सवाल सदन में अविश्वास के प्रस्ताव का नहीं है, अविश्वास का सवाल नहीं है, सवाल है देश में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह गलत बात है, शन्ति से सुनिये।

**श्री जगजीवन राम** : आज सरकार को मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि सरकार पर बाहर के लोगों का विश्वास नहीं है, ऐसा कहूंगा तो ये लोग बहुत हल्ला करेंगे, मैं तो यह कहने जा रहा हूं कि

[श्री जगजीवन राम]

सरकार को लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है ...

**एक माननीय सदस्य** : आप यह कैसे कह सकते हैं ?

**श्री जगजीवन राम** : मैं इसके बाद में बोलने जा रहा हूं ।

**एक माननीय सदस्य** : हमेशा उल्टी बात करते हैं ।

**श्री जगजीवन राम** : दिकक्त यह है कि सीधी बात समझने वाले ये लोग नहीं हैं इसलिए इन्हें उल्टी बात लग रही है ।

मैं कह रहा था कि इस देश के श्रमिक देशभक्त रहे हैं । इस देश की वर्किंग क्लास देशभक्त रही है । जब कभी देश का तकाजा हुआ है वर्किंग क्लास ने देश को कभी फेल नहीं किया । जब उन से त्याग की आशा की गई, उन्होंने देश के लिये त्याग किया (**व्यवधान**)

मैं कोई समालोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जो इन बेंचों पर बैठे हुए सभी समझदार व्यक्ति कुबूल करेंगे । इस देश के श्रमिक देशभक्त हैं, जब कभी देश का तकाजा हुआ उस ने कभी त्याग करने से मुंह नहीं मोड़ा । लेकिन इस सरकार को उस श्रमिक की सेवा पर भरोसा नहीं रह गया है । इसीलिये तो एसेन्शल सर्विसिज आर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी । आप उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हैं (**व्यवधान**)

**श्री सी० एम० स्टीफन** : 1968 में जब आप मंत्री थे तो यही विधेयक पारित किया गया था (**व्यवधान**)

**श्री जगजीवन राम** : मैंने सरकारी बेंचों से थोड़ी गरिमा की आशा की थी ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मैंने केवल एक प्रश्न किया था । (**व्यवधान**)

**श्री जगजीवन राम** : मैं बोलना बंद नहीं कर रहा हूं ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : जब आपने प्रश्न किया...

**श्री जगजीवन राम** : मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं । मैं आपके नेता से प्रश्न कर रहा हूं न कि आप से । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : उनको बोलने दीजिये, उसका जवाब आप दे सकते हैं ।

**श्री जगजीवन राम** : मैं स्टीफन साहब की कद्र करता हूं । मैंने यह बात इसलिये कही कि नो-कान्फिडेन्स मोशन कान्सिल आफ मिनिस्टर्ज के खिलाफ है, कान्सिल आफ मिनिस्टर्ज के लीडर स्टीफन साहब नहीं हैं, वरना मैं उन्हीं से करता ।

इसलिए मैं कह रहा था कि आज सरकार देश के श्रमिक वर्ग में विश्वास खो गई है। इस की कोई वजह नहीं है। अगर श्रमिक वर्ग में आप विश्वास खो देंगे, तो काम कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, आज इनका विश्वास देश के किसानों में भी नहीं रह गया है। मैं अतिरंगित नहीं करना चाहता, स्पीकर महोदय, ऐसा है जो मैं बता रहा हूं और ये ठंडे दिल से सोचेंगे, तो शायद इन को लाभ होगा। (व्यवधान) मुझे तो जरूर लाभ होगा। आप को मालूम है कि किसानों से गेहूँ लेने का एक तरुमीना तैयार किया गया था लेकिन किसानों ने सरकार को गेहूँ न देकर व्यापारियों को गेहूँ दिया। या तो किसानों का विश्वास सरकार में नहीं था या सरकार का किसानों में विश्वास नहीं था। गेहूँ देश में नहीं था, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और यह भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सरकार के आंकड़े सही हैं। ये अमेरिका से गेहूँ मंगा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसानों से गेहूँ लेकर...

**एक माननीय सदस्य** : आप के जमाने में भी बाहर से गेहूँ आया था ?

**श्री जगजीवन राम** : मेरे जमाने में भी था मगर मैंने ही बाहर से मंगाना बन्द किया था। आप अपनी स्मरण शक्ति को ताजा करना चाहते हैं, तो कर लीजिए। हमारे वक्त में ऐसा हुआ था और देश को सेल्फसफीशियेन्ट भी कर दिया था। यह तो इतिहास का जानने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति कबूल करता है। यह सत्य है लेकिन मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा कि मैंने देश को इस मामले सेल्फ-सफीशियेन्ट किया।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : तब आप प्रधान मंत्री थे।

**श्री जगजीवन राम** : उसका श्रेय मैं प्रधान मंत्रीजी को दे देता हूँ, आप घबड़ाइए मत। उसका श्रेय मैं प्रधान मंत्री जी को देता हूँ लेकिन आज जो फेल्योर हुआ, उसका श्रेय भी प्रधान मंत्री जी को ही देता हूँ।

मैं यह कह रहा था कि श्रमिकों का विश्वास आप खो बैठे हैं। किसानों का विश्वास आप खो बैठे हैं। विश्वास किस पर रह गया है। देश में अविश्वास का वातावरण बन गया है, इस से आप को चिन्ता नहीं ? देश के लिए यह चिन्ता का विषय है और इस को दल का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। यह देश के लिए चिन्ता की बात है, अविश्वास, अविश्वास। प्रधान मन्त्री जी कहती हैं कि देश को बाहर से खतरा है। जब बाहर से खतरा हो, तो देश के सभी लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और देश ने यह दिखाया भी है कि जब कभी बाहर से खतरा हुआ, तब हम अपने सभी भेदों को भूल जाते हैं और हमारे सामने एक ही लक्ष्य होता है कि हम देश की स्वतन्त्रता को कैसे बचावें लेकिन आज क्या हो रहा है ? पंजाब हमारे देश का एक स्ट्रांग आर्म समझा जाता है। पंजाब सरहद पर है, काश्मीर सरहद पर है और उधर पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है ? दोनों सरहदों की हमारी स्थिति क्या है ? वहां क्या आपने पूरा विश्वास जमा कर रखा है ? अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब की बात कहूंगा, वह आप का सूबा है। सिख कौम एक बहादुर कौम है, पंजाब के लोग बहादुर हैं। आज सिखों में यह बात क्यों आयी कि वे खालिस्तान की बात सोचने लगे हैं ? सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि खालिस्तान के आन्दोलन में कोई दम नहीं है। मैं सरकार की

[श्री जगजीवन राम

बात को मान लेता हूं कि खालिस्तान के आन्दोलन में दम नहीं है लेकिन प्रश्न यह होता है कि आज खालिस्तान का नाम उठता क्यों हैं ? क्या यह सरकार के सोचने का विषय नहीं है ? क्या इससे यह मालूम नहीं होता कि सिखों में कुछ अविश्वास आ गया है ? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहती हैं कि बाहर से खतरा है। बाहर से जो खतरा है वह इसी तरफ से है। आप कहते हैं कि आप सारे बैठे हैं, मैं उनके लिए फिक्र नहीं करूं। आपके सहारे से बैठे रहने के बावजूद भी खालिस्तान की आवज उठ रही है, तेज हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, सुरक्षा के वक्त, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न पर इस तरह के नारे लगा कर राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। यह मैं गंभीरता से कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैंने तो अभी कोई आलोचना वाली बात शुरू नहीं की है। मैं तो स्थिति का विश्लेषण मात्र कर रहा हूं। इसमें घबराहट की बात क्या है ? आज पंजाब की हालत है कि एक मुजरिम छिप गया है और मुख्यमंत्री उनसे अपील कर रहे हैं। वह कहता है कि मेरी मर्जी में जब आवेगा तब बाहर जाऊंगा (व्यवधान) यह हँसने की बात है क्या ? यह सोचने की बात है। क्या यह शर्म की बात नहीं है ?

**श्री जगदीश टाईटलर :** क्या आप जाओगे गुरुद्वारे के अन्दर ?

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** जब वह हिसार आया था तब आहने क्यों नहीं पकड़ा ? (व्यवधान)

**श्री जगजीवन राम :** अध्यक्ष जी, बात यह नहीं है कि वह वहां छिप गया है। प्रश्न यह होता है कि हम इस समस्या को सुलझाने की स्थिति में हैं या नहीं। आज पंजाब की यह हालत है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को इस तरफ से खतरा है।

इससे आगे चलिए। जम्मू कश्मीर हमारा बहुत नाजुक इलाका है। यह जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें कश्मीर एक मोहरा रहा है। आज आपने कश्मीर में क्या स्थिति पैदा की है ? ऐसे नाजुक इलाकों में इन्सटेब्लिटी करना कहां तक ठीक है ? यह सोचने का प्रश्न है। मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं क्योंकि जब देश पर खतरा आता है तो सभी देशवासियों को चिंता होती है। उस खतरे को रोकने में कहां पर रुकावट आती है यह भी प्रत्येक देशवासी को सोचना है। तो आपको भी अपने दिमाग को बंद कर के नहीं रखना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सरहदों पर क्यों अविश्वास पैदा हो गया ? सिखों के दिल में, कश्मीर के लोगों के दिल में अविश्वास पैदा हो, यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए कोई अच्छी बात नहीं हैं। इस बात को आप सोचें और इसके बाद चलें।

पूर्वोत्तर की तरफ दखिए मिजोरम में आज क्या हो रहा है। मणिपुर में आपने अपना शासन बना लिया, लेकिन वहां की हालत क्या है ? दुर्भाग्य हमारे देश का है कि देश के बहुत पढ़े-लिखे भी नहीं जानते कि पूर्वोत्तर क्या है ? जब वहां के ट्राइबल की बात होती है तो दुर्भाग्य है कि हमारे

देश के बहुत पढ़े-लिखे लोग भी यही समझते हैं कि वहां के ट्राइबल भी वैसे ही हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा के ट्राइबल हैं। यह बात नहीं है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, यहां के ट्राइबल का जीवन-स्तर बहुत ऊँचा है, शिक्षा उनकी बहुत ऊंची है और उनको हमारे देश की जितनी हवा लगती है। उससे ज्यादा बाहर की हवा लगती है। ऐसी जीआग्राफि है वहां की। ऐसा मौका नहीं आया कि देश उनको जान सके यावे देश को जान सकें। इसमें हमारी कमजोरी रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उस समस्याो को जल्दी सुलझाया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या को हथियार से नहीं सुलझाया जा सकता, हालांकि वैसा प्रयत्न किया गया है सुलझाने का, लेकिन सफलता नहीं मिली।

आज मिजोरम की समस्या वैसी ही लटकी हुई है। नागालैण्ड स्टेबलाइज हो गया है, ऐसा आप दावा नहीं कर सकते और और आसाम ? आसाम के मामले को आप कितना घसीटते चलेंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि वहां के नव-युवक जो इस आन्दोलन में पडे, उनको संतुष्ट किए बगैर आप इस समस्या को सुलझा सकेंगे ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। इस समस्या को जल्दी सुलझाना चाहिए। जितना आप इसमें देर कर रहे हैं, उतना देश के लिए नुकसान-देह है।

मैं इसके बारे मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और इसलिए इस आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इसलिए आपको यत्न करना चाहिए उन लोगों का विश्वास हासिल करने का।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस सदन का आसानी से विश्वास हासिल कर लेंगे, लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि वहां-वहां विश्वास हासिल कीजिए, जहां-जहां नाजुक प्वाइन्ट हैं और उन नाजुक प्वाइन्टों पर विश्वास हासिल करने के लिए प्रयत्न कीजिए नहीं तो खतरे की घंटी है। इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो मैं जानता हूं और सब लोग जानते हैं कि आपका इतना बड़ा बहुमत है, लेकिन मैं तो यह कहना चाहता था कि आप इन बातों को सोचिए।

अंतुले के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत छोग कह चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, आप प्रधानमंत्री जी पर छोड़ देता हूं। लेकिन महंगाई के बारे में क्या आंकड़े देकर आप लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं ? आंकड़े दिए जा सकते हैं, स्टीफन साहब ने आंकडे दिए हैं, लेकिन आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी दिल्ली में हूं, क्या हालत है दिल्ली की ? क्या इन आंकडों से संतोष मिलने वाला है-आप खुद सोचिए। उन आंकड़ों से संतोष मिलने वाला नहीं है।

बाजार में किस कीमत पर चीजें मिल रही हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कीमतें प्लेटों पर पहुंच गई हैं, एक दफा वेंकटरमन जी ने कहा था कि हम प्लेटों पर आ गए हैं, लेकिन इन प्लैटों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और इसके साथ-साथ लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो आप समझते हैं कि जो लोग खाने के लिए परेशान हैं, वे बराबर आपकी माला जपा करेंगे—उनमें असंतोष आएगा।

ला एंड आर्डर के बारे में जब कहा जाएगा तो आप आंकडें दे देंगे। लेकिन मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि आपके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में क्या स्थिति है क्या इस को आपने स्वयं देखा है ? स्वयं आप देखें। आलोचना करने की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ। देश की बिगड़ती हुई स्थिति को समझने की कोशिश होनी चाहिए।

मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। यही कहना चाहता हूं कि चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बन गया है जो किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप समझते हैं नहीं बना है तो आप लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर देखें कि बना है या नहीं बना है। फिर ईमानदारी के साथ अपने दिल पर हाथ रख कर आप कहें कि बना है या नहीं बना है। उसका .....इलाज आपको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा।

मैं हुकम उदूली करना नहीं चाहता हूं। घंटी बज गई है। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता। एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। के० के० तिवारी बहुत जोर से बोले हैं। मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि डिफेक्टर के माने फिर से एक बार वे डिक्शनरी में देख लें।

मैं जानता हूं कि सरकार को इस सदन में विश्वास प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सदन के बाहर भी विश्वास हासिल करने का यत्न उन्हें करना चाहिए।

**श्री एस० एम० कृष्ण** (मांडया) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की बेंचों की ओर वरिष्ठतम नेता बाबू जगजीवनराम अभी बोल चुके हैं और सभा ने उनका भाषण सदा की अपेक्षा अन्य किसी नेता के भाषण की तुलना में अधिक ध्यान से सुना है।

मुझे भी बाबू जगजीवन राम के भाषण की मात्र इसीलिये सराहना करनी चाहिये कि उन्होंने सत्तारूढ दल से कुछ प्रश्न किये उन्होंने समूची सभा को अत्यधिक नाजुक मसलों और अत्याधिक नाजुक समस्याओं जिनका आज हम सामना कर रहे हैं, के बारे में बताया। बाबू जगजीवन राम का यह रचनात्मक दृष्टि कोण रहा है।

उन्होंने खालिस्तान आन्दोलन के बारे में बताया।

बाबू जगजीवन राम जब इस गरिमायुक्त सभा के सदस्य बने तब उन्होंने जो शपथ ली थी और जिनको उन्होंने माना है, मुझे भी इस शपथ को मानना चाहिये। हमने इस आशय की शपथ ली थी कि इस देश की अखंडता बनाये रखी जायेगी। क्या यह उत्तरदायित्व केवल श्रीमती गांधी और उनकी पार्टी का ही है या क्या आप भी इस राष्ट्रीय उत्तर दायित्व में हिस्सा बटाते हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूंगा। हम सभी को समस्या का सामना करना है। निःसंदेह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभाजक प्रवृत्तियाँ और दवाव कार्य कर रहे हैं। वे विनाशलीला रचा रहे हैं। वे न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही अपितु देश के प्रत्येक नाजुक क्षेत्र में विनाश कर रही हैं। क्या आपका यह कहना है कि सी० आई० ए० चुप बैठा हुआ है ? ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में समाज के ढांचे को ही नष्ट करने पर तुली हुई हैं वे इस क्षेत्र में सुदृढ़, सशक्त भारत का उदय नहीं देखना चाहती। बाबू जगजीवन राम ने जोप्रश्न किया वह प्रो० दंडवते, श्री वाजपेयी और मुझ पर इस गरिमायुक्त सभा के सदस्य के नाते समान शक्तिपूर्वक लागू होता है।

उन्होंने यह भी सलाह दी है कि हम इन गंभीर प्रश्नों पर ठंडे दिमाग से विचार करें । मैं यही कर रहा हूं । आपने इस गरिमायुक्त सभा के समक्ष जो समस्याएं रखी हैं मैं उन पर ठंडे दिमाग से और निष्पक्ष भाव से विचार कर रहा हूं और स्पष्ट विचार से तथा इस देश की दूरगामी दृष्टि के साथ विचार कर रहा हूं ।

क्या सभी समस्याएं श्रीमती गांधी द्वारा उत्पन्न की गई हैं ? बाबू जगजीवन राम, जब खाद्य तथा कृषि मंत्री थे और बाद में रक्षा मंत्री थे तब आंकड़े दिया करते थे, आज मुझे उनपर आश्चर्य हो रहा है । मैं जानता हूं कि बाबू जगजीवन राम आंकड़े दिया करते थे आज वही मशीनरी जो कार्य कर रही है, सरकार के लिये उत्पादन करती है । मैं यह नहीं समझ पाता कि श्री जगजीवन राम श्री स्टीफन द्वारा दिये आंकड़ों पर आपत्ति क्यों करते हैं ? (व्यवधान)

जी, नहीं । आपने आपत्ति की थी । कृपया अपना भाषण पढ़कर देखिए आपने इस पर आपत्ति की थी । यदि आपने आपत्ति नहीं की थी तो कोई योगदान नहीं है । आपने आंकड़ों पर आपत्ति की थी । मैं समझता हूं कि बाबू जगजीवन राम अपने मन में कटुता भर कर नहीं बोले थे उनको बहुत से लोगों ने बहुत बार गलत बना दिया । 1977-78 और 1979 में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनमें हमारे इस महान देश के प्रधान मंत्री बनने की आकांक्षा रूपी कमजोरी थी और हम सभी जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम उस लक्ष्य से चूक गये । इस देश के लोगों का इस सरकार में जो विश्वास है उसका संकट नहीं है मैं बाबू जगजीवन राम से नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मामले की सच्चाई तो यह है । कि यह विश्वास का वह संकट है जिसका बाबू जगजीवन राम गत कुछ वर्षों से सामना कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते, जिनके साथ कार्य करने का मुझे विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, ने न्यास तथा अन्य बहुत सी बातों का उल्लेख किया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सरकारी संचार का उल्लेख किया है ।

मैं इस बात का गवाह हूं कि अनेकों बार सरकारी भूल हो जाती है । 1970 में जब श्री अन्नादुराई जीवित थे आकाशवाणी से यह घोषणा की गई कि उनकी मृत्यु हो गइ है और बाद में उस गलती को सुधारा गया । हम लोग इसके गवाह हैं । मैं उस समय इस सदन का सदस्य था । (व्यवधान)

और फिर बाद में लोक नायक जय प्रकाश नारायण के बारे में । आपके सरकारी संचार को क्या ? इसी प्रकार प्रतिभा प्रतिष्ठान या न्यास कथानक के साथ भी यही दुखद घटना घटी है जिसका आपने इतना बड़ा अफसाना बना दिया ।

जार्जफर्नान्डीस, जिनके साथ कार्य करने मुझे का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ने इसे नाटक मंडल बताया है । नाटक मंडल का आरम्भ 1977 में हुआ था । श्री जार्ज फर्नान्डीज क्या मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप मंत्री के पद पर नियुक्त किये गये, तब आपने शपथ लेने के लिये राष्ट्रपति भवन में जाने से इनकार कर दिया था और तब युवा जनता का भारी प्रदर्शन हुआ था :

[श्री एस० गम० कृष्ण]

नाटक खतम करो, शपथ लो। यह बात श्री राज नारायण तथा श्री जार्ज फर्नान्डीस दोनों पर ही लागू होती है। तत्पश्चात् संचार मंत्रालय का जो पद उन्हें प्राप्त हुआ था, उससे भी वह प्रसन्न नहीं थे। वह उद्योग मंत्री बनना चाहते थे और वह उद्योग मंत्री बने। श्री जार्ज फर्नान्डीस मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्माननीय मित्र हैं। जब श्री यशवन्त राव चह्वाण, जो इस समय यहां उपस्थित हैं, ने जब अविश्वास का प्रस्ताव उठाया, और जब उस पर वाद विवाद हुआ तब मैंने यह बात आकाशवाणी से सुनी थी। तब हममें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि उस वार्ता का अन्त यह होगा जो कुछ हुआ था। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने लम्बा चौड़ा भाषण दिया था और सदन में और सदन से बाहर उनका बड़ा भारी प्रभाव था। किन्तु मुझे नहीं मालूम कि वह किस प्रकार का नाटक था कि 48 या 52 घंटे के अन्दर वह बदल गये। भारत की राजनीति में कोई भी फरिश्ता नहीं है। किसी समय में आप सभी फरिश्ते थे, आज आपमें से कोई भी फरिश्ते नहीं हैं आपके अन्दर का फरिश्ता मर गया है।

**प्रो० मधु दंडवते** : आपने भी वही किया, आपने भी दल बदल लिया।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : अति नम्र निवेदन है, मैंने अभी कहा है कि भारत में आज कोई फरिश्ता नहीं बचा है क्योंकि आपने उन सभी फरिश्तों को नष्ट कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया भाषण समाप्त करने की चेष्टा करें।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : चूंकि इस वाद विवाद का अंतिम चरण है, अतः सारे भाव एक साथ रचना बहुत ही कठिन है। किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि हमारा दल एक सक्रिय दल है, हमारा दल एक बढ़ता हुआ दल है, हमारा दल बढ़ रहा है, अनेकों लोग हैं जो हमारे दल में शामिल होना चाहते हैं, कितने ही लोग हैं। इसलिये, लोक सभा के चुनाव में जिस दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, उस दल के बारे में यह नहीं कहना चाहिये कि लोक सभा के बाहर उसमें आपसी सद्भाव नहीं है। नापने का पैमाना क्या है। बैरोमीटर क्या है। अभी हाल के उप-चुनाव से उस शक्ति का अंकन नहीं हो पाया ?

एक सांस में आप संसदीय प्रजातन्त्र की बात करते हैं और उसी सांस में आप लोक प्रिय विधि संमत गठित सरकार को नष्ट करने के लिये असंवैधानिक तरीके अपनाने की बात कहते हैं, मानो कि आप ऐसा कर ही नहीं रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिये। 8.30 रात्रि में प्रधान मंत्री आने वाली हैं और इससे पूर्व एक माननीय सदस्य को भी बोलना है।

**श्री एस० एम० कृष्ण** : यह मेरा अंतिम वाक्य है। जब इस देश का इतिहास लिखा गया तब 1970 के अंतिम दशक में क्या हुआ, इतिहास इसका साक्षी है कि 1977 और 1980 के बीच भारत में वे पेंदी के छिछोरे व्यक्तियों ने राज्य किया और इस देश की जनता अब अपने भाग्य का निर्णय करने के लिये उन्हीं वे पेंदी के छिछोरे व्यक्तियों को नहीं करने देगी जिन्होंने 1977 और 1980 के बीच भारत में राज्य किया क्योंकि तथ्यों के आधार पर और इतिहास के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि वे लोग वे पेंदी वे थे, वे छिछोरे थे और वे मुकाबला करने के योग्य नहीं थे।

**श्री चित्त बसु** : (बारासात) : न तो मैं उस मामले को उठाने में रुचि रखता हूं जो पहले ही उठाया जा चुका है और न मैं कीचड़ उछालने में रुचि रखता हूं। इस अवसर पर मैं एक या दो—कुछ मौलिक मामले उठाना चाहता हूं।

अविश्वास प्रस्ताव उठाने का एक कारण यह भी है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चल रही सरकार उन वायदों को नहीं पूरा कर सकी है जो उन्होंने और उनके दल ने देश की जनता को दिये थे। उनमें से एक वायदा यह भी था कि उनका दल और उनकी सरकार हमारे देश में आर्थिक आल्प निर्भरता लायेगी। मुझे अत्यधिक खेद है कि अभी हाल की उनकी सरकार देश को साम्राज्यवादी आर्थिक शक्ति के हाथों बेच रही है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं। सरकार द्वारा दिये गये अभी हाल के आंकड़ों का यदि आप निरीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि मार्च 1980 तक भारत को 24,769 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। और उपयोग की गई सहायता में संयुक्त राज्य अमरीका ने सबसे अधिक सहायता प्रदान की है जिसकी राशि 5577 करोड़ रु० है। उसका परिणाम विनाशकारी हो चुका है और दिन प्रति दिन और विनाशकारी होता जा रहा है।

इस संबंध में मैं एक संगठन द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कोई अच्छा आदर्श नहीं छोड़ती है। मैं विरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का अध्ययन रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसने अभी हाल में इसे प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है—

"पिछले तीन दशकों में भारत को जो 25,000 करोड़ रु० की विदेशी सहायता मिली है उससे देश की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई और उससे देश की आत्मनिर्भरता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।"

**एक माननीय सदस्य** : क्या आप बाइबिल का उद्धरण दे रहे हैं?

**श्री चित्त बसु** : मैं विरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किये अध्ययन का उद्धरण दे रहा हूं यह मेरे लिये बाइबिल नहीं है, आपके लिये हो सकती है। किन्तु यह आपकी बाइबिल है और मैं आपके लिये उद्धरण दे रहा हूं। इसमें कहा गया है—

"इससे उत्पादन को उत्प्रेरणा नहीं मिलाहै अपितु इससे आर्थिक ह्रास बढा है, निर्यात क्षमता उत्तरोत्तर" घटी है और अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी के आयात को बढावा मिला है।"

मैं अंतिम शब्द भी उद्धरित करना चाहूंगा क्योंकि यह कुछ बड़ा है।

"रख-रखाव के लिये और अधिक विदेशी सहायता का उपयोग करने तथा आयत की गई वस्तुओं की खपत करने और ऋण लेना की ओर भारत प्रवृत हो गया है।"

अन्त में यह कहा गया है—

"सहायता पर आश्रित रहना किसी देश के लिये हितकर नहीं है, विशेषकर भारत जैसे देश के लिये जो एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना चाहता है।"

विरला वैज्ञानिक अनुसधान संस्थान की अध्ययन रिपोर्ट यह है।

(श्री चित्त बसु)

इसके बावजूद सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की इच्छुक है जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया है। यहां तक कि छठी पंचवर्षीय योजना 10,000 करोड़ रु० की विदेशी सहायता पर आश्रित है और विदेशी सहायता की राशि लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ रु० हो जायेगी और इसके विनाशकारी प्रभाव का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिये अपनी आरम्भिक टिप्पणी में मैंने कहा था कि इस सरकार ने देश को साम्राज्यवाद को बेचने की ओर अग्रसर कर दिया है।

एक और मौलिक दोष है। वह है बेरोजगारी का प्रश्न जिसके बारे में आपकी बहुत बड़ी रूचि है और आपने अपना जीवन दाव पर लगा दिया है। बेरोजगारी की समस्या का वास्तविक परिमाण क्या है ? और सरकार इसे सुलझाने में असफल रही है और न ही इस समस्या से लड़ने के लिये इस सकार के पास कोई रणनीति ही है।

महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख के आंकड़ों के अनुसार 1985 तक पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10118 करोड़ हो जाएगी। कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 5.41 करोड़ हो जाएगी। छठी योजना के दौरान 3 करोड़ रोजगार मुहैया होने की संभावना है।

महोदय, बकाया बेरोजगारों की संख्या 2.44 करोड़ रह जाएगी। महोदय, यदि पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास उठाकर देखें तो आप पायेंगे कि योजना के बढ़ने के साथ-साथ बकाया बेरीजगारों की संख्या भी बढ़ी थी। आंकड़ों की ओर ध्यान दें। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगारों की संख्या .53 करोड़ थी, द्वितीय योजना के अन्त में यह बढ़कर .71 करोड़ हो गई थी और इसके बाद तृतीय योजना के अंत में यह बढ़कर 9.6 करोड़ हो गई थी। चौथी योजना के बाद यह बढ़कर 1.71 करोड़ हो गई थी। इसका मतलब है कि पंचवर्षीय योजना के बाद यह संख्या 2.24 करोड़ थी और छठी योजना के बाद यह बढ़कर 2.41 करोड़ हो जायेगी।

20.26 (अध्यक्ष महोदय पीठासीना होते हैं) इसलिए, महोदय, बेरोजगारी के गंभीर समस्या को सुलझाने में यह सरकार असफल रही है। बेरोजगारी की विभीषिका से लड़ने के लिए कोई नीति बनाने में असफल रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका धन्यवाद।

**श्री चित्त बसु** : महोदय, अंतिम भाग के संदर्भ में, मेरा विचार है कि यह सदन, अपने विवेक से, इस सरकार के प्रति विश्वास की कमी अभिव्यक्त करता है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रधान मंत्री बोलें।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद का उत्तर देना वास्तव में कठिन है। कोई नया विषय नहीं उठाया गया है। अधिकांश विषयों को पहले उठाया जा चुका है। इस वाद-विवाद के अंत में श्री अन्तुले से संबंधित प्रश्न उठाया गया था। इसे अन्तुले वाद-विवाद कहा जा सकता है, अविश्वास पर चर्चा नहीं। विपक्ष के माननीय सदस्य उसी पुरानीब ातों के विवाद को जामा पहनाने के लिए नए कारण ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं कोई वकील नहीं हूं किन्तु मुझे कानून के बारे में कुछ पढ़ने का अवसर मिला था और मिला है—पिछले वर्षों में मुझे कानून पढ़ने

को विवश होना पड़ा था। मैं देखती हूं कि वह मामले के पक्ष में बोल रहे थे उनके तर्कों से उसी मामले का बहुत बड़ा विरोध हो रहा था। जो कुछ हमने सुना वह यह है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात करती हूं। इससे पहले जो लोग सत्ता में थे वे हमारी आलोचना नहीं कर सकते। यह उनकी खुश किस्मती है कि हम बदले की भावना से प्रेरित नहीं हैं। हम इन मामलों पर समय नष्ट करना नहीं चाहते। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके विरुद्ध उसके अपने ही साथियों ने गम्भीर और अकाट्य आरोप न लगाए हों। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कीर्ति चर्चा का विषय भारत में ही नहीं सुदूर के कोने-कोने में न रही हो। उदाहरण के तौर 1978 में जब मैं लंदन में थी, मुझसे कहा गया। अब निर्दोषिता का जामा पहनना न तो उचित है और न सही बल्कि हास्यापद है।

गंभीर विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव उठाए जाते हैं।

यहां पर क्या-क्या मामले उठाए गए हैं? क्या इन मामलों पर पिछले कुछ दिनों तक घण्टों-घण्टों चर्चा नहीं हुई है? क्या आवश्यक सेवा रख रखाव विधेयक अगले दिन की प्रातः तक नहीं चला। महोदय, आपने स्वयं ही स्थिति को स्पष्ट किया था। श्री स्टीफन ने उन्हें बताया था कि यह बहस 22 घण्टों अथवा इतने समय तक चली थी। क्या यह एक ऐसा मामला है जिसको इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के रूप में उठाया जाए? और यह ऐसा ही मामला है जैसे कि अन्य प्रश्न उठाए जाते हैं। आप अंतुले प्रकरण को ही लीजिए। जब से यह पैदा हुआ है क्या इस पर दिन प्रतिदिन चर्चा नहीं की गई है।

**एक माननीय सदस्य** : बेरोजगारी के बारे में आपने क्या किया?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : बेरोजगारी की पहले से ही चर्चा की गई है। शायद एक मानयीय सदस्य ने यह कहते हुए बेरोजगारी का उल्लेख किया था कि बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया गया है। पूरे सम्मान के साथ मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि केवल उन देशों को छोड़कर, यहां जन-संख्या बहुत ही कम है और जिनको बाहर से श्रमिक मंगाने पड़ते हैं, अन्य किस देश ने बेरोजगारी की समस्या को हल कर लिया है। यदि हमारी जनसंख्या छः मिलियन अथवा इसके आस-पास होती तो हम निश्चय ही इस समस्या को हल कर लेते। किंतु हमारी जनसंख्या की जानकारी किसे नहीं है। जैसा कि मेरी मित्र मोहसीना किदवई ने बताया है कि जब कि हम लोगों को यह समझाने के लिए कि जनसंख्या की समस्या भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, और जब हम कार्यक्रमों को तेज करने के प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग को, विरोधी दल इस कार्यक्रम के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं।

दो या तीन लोगों ने यह कहकर अपनी नीति का समर्थन किया कि हमने अपनी पुरानी नीति को छोड़ दिया है, और हमारी अब इच्छा नहीं है। महोदय, यहां एक ऐसा दल है---मैं उसका नाम नहीं ले रही क्योंकि इससे केवल शोर मचेगा और मैं जानती हूं, कि सभी लोग थके हुए हैं और घरों जाना चाहते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आप नाम लीजिए।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास घण्टों का काम पड़ा है। (**व्यवधान**) मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती। किन्तु ऐसे कुछ दल हैं, जिन्होंने झूठा प्रचार करना अपना मुख्य ध्येय समझा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ झूठा प्रचार नहीं किया गया ? ऐसे कितने लोगों का पता लगाया गया जिनकी जबरन नसबंदी की गई थी ? उनमें से कितने लोगों की मदद की गई ? ऐसे कितने लोग सामने आए ? जब वे लोग सत्ता में आ गए तो इनके बारे में इसके बाद कुछ भी नहीं सुना गया।

तत्कालीन सरकार ने हमारे उद्योगों के बारे में क्या किया ? इस बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बातें की गई हैं कि हमारा औद्योगिक श्रमिकों पर, औद्योगिक श्रम पर कोई विश्वास नहीं रहा है। जनता शासन के दौरान क्या हुआ था ? क्या औद्योगिक श्रमिकों का उनमें विश्वास था। जब औद्योगिक श्रमिकों का उनमें विश्वास था तो उन्होंने हमें मत क्यों दिया ? मैं अपने माननीय मित्र से, जिन्होंने यह बहस प्रारम्भ की है यह पूछना चाहूंगी कि उन्होंने जतता पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बहस में कितनी बार भाग लिया। मैंने रिकार्ड देखा है। मुझे खेद है कि मुझे इसका एक भी सबूत नहीं मिला।

मैंने वर्ष 1978 में ऐसे दो उदाहरण देखे हैं। आपने जनता पार्टी की बात न की होती, किन्तु आपने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। वास्तव में···

**श्री समर मुखर्जी** : अध्यक्ष महोदय, श्री स्टीफन को···

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मेरी दृष्टि में यह नहीं आया। यदि आपने समर्थन किया है तो मैं आपकी बात को मानती हूं। किन्तु अभी थोड़ी ही देर पहले रिकार्ड दिखाया गया था·····

**श्री समर मुखर्जी** : आप इसे ठीक कर लें। मैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोला था और मत दिया था। उन्हें मेरा भाषण याद है। अगले दिन उन्होंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था।

**अध्यक्ष महोदय** : हम इसका पता लगा लेंगे।

**श्री समर मुखर्जी** : उन्हें यह याद है, क्योंकि उन्होंने इसका उल्लेख किया था।

**श्री सी० एम० स्टीफन**: आपने वर्ष 1978 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था। आपने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था ; आपकी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव होगा। हम इसका मत लगा लेंगे। (**व्यवधान**)

आप क्यों खड़े हैं ? क्या आपने उनसे ज्यादा प्रभाशील हैं ?

**श्री समर मुखर्जी** : यह बिल्कुल मिथ्या है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : आपकी बात को स्वीकार किया जाता है। यह एक ऐसी बात है, जिसकी आसानी से जांच की जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा है कि कि मैंने तो केवल यहां

उपलब्ध रिकार्ड ही देखा है। मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या हुआ था। किन्तु मैंने जो कुछ पढ़ा है, इससे मुझे स्पष्ट होता है कि अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया था। विश्वभर में तथा भारतवासियों में यह धारणा थी कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने, चाहे उन्होंने मत दिया हो अथवा नहीं दिया हो, इस बात का कोई महत्व नहीं है, कभी-कभी वे जनता पार्टी के विरुद्ध बोले, किन्तु मुख्य रूप से उन्होंने उनकी नीतियों का समर्थन किया·····(व्यवधान)। नहीं-नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता पार्टी का कभी समर्थन नहीं किया·····

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** :·····और आज भी वे दक्षिणपंथियों का पक्ष ले रहे हैं और उस समय भी आप उनका पक्ष ले रहे थे और अब भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हो और यह मानते हुए कि आपके आन्दोलन से दक्षिणपंथियों को मत मिलेगा आप हमारे प्रयासों को कमजोर बनाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास कर रहे हैं। आप दक्षिण पंथी न बनना चाहें; मैं इस बात से चिन्तित नहीं हूं कि आप चाहते हैं अथवा नहीं किन्तु आपके क्रियाकलापों से पहले और आज भी दक्षिणपंथी सामने आए हैं और आज भी आप उन्हें सुदृढ़ बना रहे हैं। और आपको बता देना चाहती हूं कि एक माननीय सदस्य ने मुझे बताया है। मैंने पूछा क्या आप समझते है कि दक्षिणपंथी विचारधारा से देश का भला हो जाएगा? उन्होंने कहा : नहीं, हमसे देश खण्डित हो जाएगा; इससे देश नष्ट हो जाएगा। किन्तु वे हमें स्पर्श करने में समर्थ नहीं होंगे।"

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह सदस्य कौन है?

**प्रो० एन० जी० रंगा** : नाम बताने की आवश्यकता नहीं है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं कर रही। (व्यवधान)। किन्तु मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या कुछ सोचते हैं। आपने न केवल मुझ पर बल्कि मेरे पिता पर भी, जब वे जीवित थे, जहर उंडेला था। आप यह न समझिए कि मैं उन सब बातों को अथवा जो लोग कहते हैं उन्हें भूल गई हूं·····मुझे अब यह न बताइए कि उस समय आपने क्या कुछ कहा था और अब आप क्या कह रहे हैं। मैंने उन बातों को पढ़ा है, मेरे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं और यदि किसी को अपना ही इतिहास नहीं मालूम हो तो मुझे खेद हैं। मैं अपने पिता के साथ थी। मुझे मालूम है कि उन्हें किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। (व्यवधान) मुझे इतिहास में जाने के लिए आप बाध्य न कीजिए, क्योंकि इससे आपको दुःख होगा। मैंने एक बार पहले भी यह बात कही थी किंतु आप ऐसे मामलों में मेरी आलोचना करते रहे। उन्हें ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कहा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कहा था। (व्यवधान), अब सिर झुकाने का कोई लाभ नहीं है। यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप चुप रहिए। मैं गलत तथ्यों को नहीं कर रही हूं। मैं गलत तथ्य की आदि नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में कभी जानबूझकर गलतबयानी नहीं की है। यदि मैं नहीं मानती, तो मैं गलती कर सकती हूं, किन्तु यह एक ऐसी बात है, जिससे मुझे जानकारी है, क्योंकि उस समय मैं इस कार्यवाही के काफी नजदीक थी। (व्यवधान) मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमें इन गुटबन्दियों, एक दल से दूसरे दल में लोगों के

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

जाने के बारे में, न केवल 1977 में बल्कि आगे का भी, काफी अनुभव हो चुका है। विभिन्न राज्यों में यह बात घटित हुई है किंतु न केवल भारतीय लोगों को अपितु विश्व के लोगों को यह देखने का अवसर मिला है कि ये विभिन्न दल अपने नामों, अपनी विचारधाराओं और अपनी नीतियों के प्रति कहां तक सत्यनिष्ठ थे ? केवल एक इच्छा के पीछे उन्होंने इन सब को तिलांजलि दे दी और वह इच्छा यह थी कि 'हम सब मिलकर इन्दिरा गांधी को सत्ता से हटा दें'। हम किसी प्रकार सत्ता को हथिया लें। यह केवल हमारा दल ही था कि उसने इस सब जहर और कठिनाइयों को झेला और ऐसा हम अपने आदर्शों और कारगर कार्यक्रमों के कारण ही कर पाए हैं।(व्यवधान)

हम कुछ मूलभूत नीतियों के प्रति कटिबद्ध हैं। यदि हम यह समझते हैं कि ये नीतियां उदीयमान भारत के लिए असंगत हैं, तो हमें उनमें परिवर्तन करना पड़ सकता है परन्तु मैं नहीं समझती कि ऐसा करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये वे मूलभूत सिद्धांत हैं, जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं। परन्तु इन नीतियों के साथ-साथ हमें कुछ नए कदम भी उठाने पड़ते हैं। यदि कोई गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करना पड़ता है। यह वह काम है जिसे हमें अब पूरा करना है। जनता शासन के दौरान कोई छोटी-मोटी विकृति उत्पन्न नहीं की गई थी। समूचा ढांचा ही पूर्णतयः विकृत कर दिया गया था, चाहे वह रेलवे हो, चाहे उद्योग हो या कोई अन्य कार्यक्रम। मैं इन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहती थी। किंतु मुझे तो मात्र स्थिति को स्पष्ट करना है। मुझ पर व्यंग्य किया गया है कि मैंने आश्वासन दिया था कि वे लोग जो सरकार चला सकें। क्या आप समझते है कि हम काम नहीं कर रहे। यदि हमने कुछ न किया होता तो विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रगति सम्भव न होती।

जो भारत का नाम विदेशों में बदनाम करते थे, आज वे देखते हैं कि भारत का नाम फिर से उज्ज्वल हो गया है और आज वे ही लोग यह कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति सही नहीं है। (व्यवधान) मेरे पास यहां पर आंकड़े मौजूद हैं। मैं उन्हें पढ़कर सुना सकती हूं।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : भ्रष्टाचार में वृद्धि के बारे में स्थिति क्या है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : यहां पर भ्रष्टाचार किसने बढ़ाया ? आप किसकी बात कर रहे हैं ? यह जनता पार्टी थी जिसने भ्रष्टाचार को प्रसार किया। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था रखिए। कृपया बैठ जाइए। बैठ जाइए। ठीक ढंग में व्यवहार कीजिए। (व्यवधान)

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : यह दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान) मैं नहीं झुक रही। (व्यवधान)

**श्री राम जेठमलानी** : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जेठमलानी, कृपया बैठ जाइए, क्या आप आपने स्थान पर बैठेंगे ? (व्यवधान)

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री जेठमलानी, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए। अब आप हस्तक्षेप नहीं करं सकते।

**श्री राम जेठमलानी :** यदि आप विशेषरूप से अनुरोध कर रहे हैं, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। किंतु मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप स्पीकर हैं या मैं स्पीकर हूं, मुझे बता दीजिए। मेरा काम मुझे करने दीजिए।

**श्री के० लकप्पा (टुमकुर) :** महोदय, यहां एक परम्परा है कि जब सदन का नेता बोल रहा होता है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इन्हें यह बात स्पष्ट कर दूंगा।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** सोते हुए लोगों को आप जगा सकते हैं। आप उन्हें बताने का प्रयास कर सकते हैं किंतु अब वे जानबूझकर अपनी आंखें बन्द कर लें, तो उन्हें किसी बात के लिए आश्वस्त करना सम्भव नहीं होता। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति हो या देश की आन्तरिक स्थिति हो, सरकार निश्चय और उत्साह से काम करती रही है। विश्व के लोग जानते हैं कि आज भारत में कोई सरकार है, भानुमति का कुनबा नहीं। ऐसे ग्रुपों का मेल नहीं है, एक दल से दूसरे दल में जाने वाले वालों का मेल नहीं हैं, जहाँ अन्ततोगत्वा वे आज पहुंच गए हैं। 1980 में हमें विरासत में··· (व्यवधान)।

**श्री पी० शिव शंकर :** म होदय, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। आपको मुझे इस परम्परा के बारे में अवश्य बताना चाहिए कि जब सदन का नेता बोल रहा हो, तो कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** 1980 में हमें जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी वह बिल्कुल जर्जर कर दी गई थी। वर्ष 1979-80 में कुल उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई और थोक मूल्य सूचकांक 23 प्रतिशत बढ़ गया था। आज विश्व बैंक के निष्पक्ष आंकलन के अनुसार हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 7 से 8 प्रतिशत बढ़ा है। थोक मूल्य सूचकांक में जनवरी, 1980 में 23 प्रतिशत वृद्धि जनवरी, 1981 में घटकर 15 प्रतिशत रह गई और आज यह 9 प्रतिशत से भी कम रह गई है। मैं इस बात से पूर्णत : सहमत हूं कि जबतक इसका असर मूल्यों पर नहीं होता जनसाधारण को इन आँकड़ों से कोई फायदा नहीं हो सकता। परन्तु मूल्यों को नीचे लाने के लिए यह पहला कदम है। जनता शासन के दौरान मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही थी। हम इसको नीचे लाने में सफल हुए हैं।

**प्रो० मधु दंडवते :** यहां तक कि हमारे आलोचकों ने यह स्वीकार किया है कि हमने मूल्यों को स्थिर रखा।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** जैसा कि मैंने बताया है कि, जब मूल्य आकाश को छूने लगे तो विरोधी दलों की ओर से मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब जनता पार्टी टूट रही थी तब कुछ लोगों ने इसके लिए आवाज उठाने का साहस जुटाया और जब पार्टी टूट गई तो उन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध शोर मचाना शुरू कर दिया। किंतु इससे पहले किसी ने इन बातों को कोई उल्लेख नहीं किया, यद्यपि उनके सत्ता में आने के तुरन्त बाद मूल्यों में वृद्धि शुरू हो गई थी।

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

भारत में मुद्रा स्फीति के बारे में लगातार लोगों को गुमराह किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदाराना ढंग से यह दावा नहीं कर सकता कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में मुद्रा स्फीति में शून्य की दर से वृद्धि हो सकती है। इन आंकड़ों में मुद्रा स्फीति की विश्व की औसत दर को दर्शाया गया है, किंतु मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रही कि वर्ष 1980 में विश्व में मुद्रा स्फीति की औसतन दर 15% थी। लैटिन अमरीका में यह और 56.6% थी, पश्चिम एशिया के लिए यह 57.6% थी और अफ्रीका के लिए यह 17.6% थी। यहां तक कि औद्योगीकरण वाले देशों में भी मुद्रास्फीति की औसतन दर लगभग 11.3 थी। यदि हम लगातार उचित कदम उठाकर मुद्रा स्फीति की दर 9% से कम लाने में सफल हुए हैं तो निश्चित ही यह एक उपलब्धि है, जिसका श्रेय हम प्राप्त कर सकते हैं।

अब मैं अपने आर्थिक आधारभूत ढांचे का उल्लेख करती हूं। 1980 में हमें विरासत में जर्जर अर्थव्यवस्था मिली थी। अब हमने महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बिजली, कोयला और रेलों को फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया है। (व्यवधान) एक्सीडेंटस, सेबोटेज किसने किया था ?

यदि आप उन लोगों को, जिन्होंने तोड़-फोड़ की थी, जिन्हें पर्याप्त आधार पर बर्खास्त किया गया था, पुनः काम पर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे ठीक ढंग से काम होगा ?

**प्रो० मधु दंडवते** : जब उन लोगों को भी, जिन्हें 1974 की हड़ताल में बर्खास्त किया गया था पहले वर्ष में नौकरी पर ले लिया गया था, मैंने 65 करोड़ रु० का मुनाफा दिया था, और यह राशि 124 करोड़ रु० हो गई थी। कृपया आप इस बात को देखिए।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : नहीं आपने शुरू में प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की थी। यह वो क्षण था जिसे हमें छोड़ दिया था, जैसा कि आपके बाद उन्हें शुरू करने में हमें कठिनाई थी। यदि देश ने इन्हें नहीं स्वीकारा होता, तो हम और तेजी से प्रगति करते।

रेलवे बजट में कानून पिछले वर्ष की 195 मिलियन टन ढुलाई क्षमता की तुलना में पिछले वर्ष 20 मिलियन टन की वृद्धि अर्थात् 216 मिलियन टन कर दिया गया है। इस अतिरिक्त 20 मिलियन टन में से लगभग 12.5 मिलियन टन अतिरिक्त यातायात की ढुलाई चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में पहले ही कर दी गई है। अतः हमें विश्वास है कि हम 215 मिलियन टन के बजट प्राक्कलन से ज्यादा प्रगति करेंगे और भारतीय रेलों में यह वर्ष राजस्व की दृष्टि से सबसे आगे होगा।

कोयले के उत्पादन के क्षेत्र में हमने पिछले वर्ष की समान अवधि में 9% से ज्यादा वृद्धि हासिल की है।

रेलवे के बारे में, मैं समझती हूं कि मैंने पहले ये आंकड़े नहीं बताए हैं, रेलवे ने पिछले की पहली तिमाही की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 15% अधिक माल की ढुलाई की और पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में विद्युत के उत्पाद में 17% की वृद्धि हुई है।

यह निर्णय करने का काम जनता का है कि क्या यह सरकार काम कर रही है या नहीं।

अब औद्योगिक उत्पादन की बात करती हूं। औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए हैं। इस बात का प्रमाण उत्पादन के तथ्यों से मिल जाएगा। चालू वर्ष की पहली तिमाही में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पाद में 26 प्रतिशत, उर्वरक के उत्पादन में 40 प्रतिशत और सीमेंट के उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1979-80 की —1.4 प्रतिशत से आज औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की दर +11.1 प्रतिशत हो गई है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनता को पुनः निर्णय करना है। हम सार्वजनिक क्षेत्र को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमने देश में तेल का अधिक उत्पादन करने पर पूरा जोर दिया है। हम तेल के आयात के समय में 1000 करोड़ रुपये की कमी करने में सफल हुए हैं। यह कोई साधारण सफलता नहीं है।

अनेक लोगों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इस वर्ष जन घण्टों की कम क्षति हुई है, यह भी एक उपलब्धि है।

यह कोई बुरी बात नहीं है कि हमें आवश्यक सेवा (रख रखाव) विधेयक लाना पड़ा है क्योंकि उन लोगों ने यह कह कर श्रमिकों को भड़काया है कि हमारा उनमें कोई विश्वास नहीं है..... (व्यवधान) हो सकता है यह आपका दृष्टिकोण हो। मैं अपना दृष्णिकोण बता रही हूं। यह प्रयास काफी जानबूझकर किया गया है। इसका कारण यह था कि कुछ लोगों की धारणा यह थी कि वे लोगों में इस बात को फैलाएं कि हमारी श्रमिकों में, किसानों में, और सिक्ख सुमुदाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन पर उद्योगों तथा कृषि का काफी भार रहता है। और हमें उनकी सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता पर कोई सन्देह नहीं है। हमें अपने श्रमिकों की देश भक्ति पर कोई सन्देह नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि संकट के समय वे हमारे साथ रहे हैं। तब हमें किस बात का भय है ? हमें डर यह है कि ऐसे लोगों की संख्या इस देश में कम नहीं है जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन्हें गुमराह करते हैं, जिससे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होता। और यदि आप धैर्य से करें, तो मैं इस बात का उत्तर देने का प्रयास कर रही हूं।

रक्षा उत्पादन संस्थानों में जबकि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए थी, इनमें हाल की हड़ताल से न केवल हमारे उत्पाद में कमी आई अपितु हमें 137 करोड़ रु० की हानि हुई। यही समस्या है। अन्य कुछ क्षेत्रों में जन घण्टों की क्षति कम हो सकती है, किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे हमें भारी हानि हो सकती थी और इससे अन्य प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते थे, यह मानते हुए कि हमारे देश के लिए रक्षा सम्बन्धी कार्य कितने महत्त्वपूर्ण हैं हमारे रक्षा उत्पादन में 36·20 लाख टन के जन घण्टों की हानि हुई।

वर्ष 1980-81 में इण्डियन एअर लाइन्स को 2.48 करोड़ रु० का लाभ हुआ। एअर इण्डिया ने केवल अपना घाटा पूरा किया है, अपितु वर्ष 1981-82 की पहली तिमाही के दौरान इसने 1·98 करोड़ रु० का मुनाफा कमाया है।

वर्ष की अनिश्चितता के बावजूद हमें इस वर्ष अच्छी फसल होने की आशा है, हमें यह सन्तोषजनक वर्ष लगता है, वर्षा की अनिश्चितता के कारण जोखिम से बचने के लिए हमने ऐसे

**(श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

समय में गेहूं का आयात करना उचित समझा जबकि यह आसानी से उपलब्ध हो ताकि बाद में बेईमान लोग स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सकें।

यह बात काफी दिलचस्प लगी कि कोई अन्य वैध मुद्दा नहीं मिला तो विरोधी पक्ष में अनेक सदस्यों ने भारीव र्षा की बात कहकर व्यर्थ तर्कों पर जोर डाला। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वे जिन क्षेत्रों में गये हैं, वहां वे कितनी वर्षा कराने में समर्थ हुए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पूर्णतय : तहस नहस कर दिया गया था, का विस्तार किया गया है, किन्तु मैं पहली शक्स हूं जो यह स्वीकार करती हूं कि यह कदम किसी भी रूप में कारगर नहीं होंगा जब तक इसे सुदृढ़ बनाकर सभी वर्गों के लोगों को समान नहीं पहुँच सकेगा, जैसा कि पहुँचना चाहिए। इसीलिए हम इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारा जोर आधारभूत ढांचे में सुधार करने पर है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि इनके बिना हम किसी अन्य समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

यह कहना गलत है कि बेरोजगारी के बारे में हम चिन्तित नहीं हैं, हस चिन्तित हैं, किन्तु आप ऐसा कहकर बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते। हमने इस पर विचार किया है और इसके आधार पर भी विचार किया है। बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हुआ है, सुधार हो रहा और सुधार होगा। यदि सभी बातें ठीक ढंग से चलती हैं और जो प्रयास हम कर रहे हैं तथा एक बार जैसे ही आधारभूत ढांचा स्थापित होता है, जैसा कि किया जा रहा है, तो अन्य कार्यक्रमों के के लिए यह लाभदायक होगा। उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि करने से ही रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक गतिविधि किसी है किसी गतिविधि से जुड़ी हुई है, उद्योग कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि औद्योगिक उत्पादन से जुड़ा हुआ है।

अनेक लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का प्रश्न उठाया है और इस पर बोले हैं। उन्होंने वित्त मन्त्री के साथ पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। बिरला संस्थान से लिए गए कुछ उद्धरणों तथा दिए गए कुछ तर्कों को सुनकर मुझे आश्चर्य ही हुआ। कोई भी देश आज एक दूसरे पर निर्भर किए बिना नहीं रह सकता, किंतु यह पारस्परिक निर्भरता अपनी स्वाधीनता पर आश्रित होना चाहिए। भारत इसी संदेश को विश्वभर में ले जाने की कोशिश कर रहा है और अपने देश में भी हम इसको लागू करने की कोशिश कर रहें हैं। परन्तु अब अपनी अर्थ व्यवस्था को बर्तमान स्थिति में जबकि हम इसे भारी घाटे की स्थिति में पाते हैं, जैसाकि पहले कभी नहीं हुआ जनता पार्टी ने हमें यह उपहार दिया था, अतः हमें धन की आवश्यकता होती है। तो उसमें सुधार करने के लिए ऋण लेना नितान्त आवश्यक है। पहले हमारे यहाँ कुछ भी नही किया गया और यदि हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए धन की आवश्यकता होगी ही। जैसा कि वित्तमंत्री ने बताया है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शर्त का सवाल नही है जो हमारी नीति, जिसे संसद ने स्वीकार किया है अथवा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो। अतः इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)। हमने यह बात अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पक्के तौर पर कह दी है। अब हम महसूस करते हैं कि ये शर्तें यदि हम प्रारम्भिक सहायता लेते हैं, तो हमारे हित में होनी चाहिए। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण से एक बड़ी योजना तैयार की है।

कुछ लोगों ने व्यंग्य किया है, किन्तु उनमें से अधिकांश लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर से पहली बार ही ऋण ले रहे हैं। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से इतनी मजबूत नहीं थी अथवा हमारी बातचीत करने की स्थिति हमसे पहले इतनी अच्छी कभी नहीं थी, जितनी कि अब है।

विश्व के प्रत्येक देश को पता है कि मेरी सरकार ऐसी सरकार नहीं है जिस पर राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक रूप से कोई दबाव डाला जा सके जहां तक घरेलू स्थिति का सम्बन्ध है कोई भी मुझ पर आत्मतुष्टि का आरोप नहीं लगा सकता। हम स्थिति के खतरों को देख रहे हैं और हमने अपनी चौकसी कम नहीं की है। कमजोरी तथा खतरा तो है और हमें उससे लड़ना होगा। परन्तु इसी के साथ-साथ हमें अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। साम्प्रदायिकता का तो खतरा बराबर बना हुआ है। जब तक देश में अग्रवादीतथा धर्मोन्वादी व्यक्ति चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई अथवा कोई अन्य हों, हैं तब तक हम सांस नहीं ले सके, हमें देश में इस वातावरण को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

यह केवल कानून और व्यवस्था अथवा लोगों को दण्ड देने का प्रश्न नहीं है बल्कि हमें भाई-चारे के वातावरण की जरूरत है। लोगों में सहिष्णुता होनी चाहिए, बिहार शरीफ में एक बात की तरफ मेरा ध्यान दिलाया गया, वहां लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दंगे राजनैतिक थे, जो लोग मुझसे मिले, वे हमारी पार्टी के आदमी नहीं थे, मैं बिना पूर्व सूचना के वहां गयी थी और सभी वर्गों के लोग मुझसे मिलने के लिए आये थे, लोग लाशें उठाने और दूसरे कामों में लगे थे, इसलिए यह यह मेरा स्व प्रेरित वक्तव्य है। (व्यवधान)

मेहरबानी करके अब आप चुप कीजिए, बहुत कर चुके हैं। जमशेदपुर के घटनाओं की जांच और जमशेदपुर की रिपोर्ट से जाहिर है किस प्रकार के तत्त्व इन कामों को कर रहे हैं। आप जानते हैं। मैं केवल आज ही उनका विरोध नहीं कर रही हूं बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले से ही जिन्दगी भर मैं ऐसे तत्त्वों से लड़ती रही हूं, इन लोगों ने और दूसरे लोगों के साथ स्वतन्त्रता को लड़ाई के दौरान और उसके बाद मेरे बारे में बहुत विष उगला मैं इसे जनसंघ ही कहूंगी। आप हजार बार नाम बदल लें पर यह जनसंघ ही रहेगा। हमारे महान नेता महात्मा गांधी के लिए इससे अधिक अशोभनीय और क्या हो सकता है जब कहा जाता है कि जनसंघ उनके सिद्धान्तों का अनुकरण कर रहा है, महात्मा गांधी या इस देश के लिए इससे अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। क्या वे हमें मूर्ख समझते हैं ? लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गोलवरलक जैसे उनके पूर्ववर्ती नेताओं के भाषणों को पढ़े, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के विचारों तथा नीतियों के बारे में उनके भाषण क्या कहते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेई** : मैं चाहता हूं कि आप उनके भाषणों को पढ़ें।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैंने पढे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : यदि आप अपनी याददाश्त ताजा कर लें तो अच्छा रहेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेई** : आपने पढ़े नहीं हैं। आप सदन में इस तरह न बोलें।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** श्री बाजपेई मैं दृढ़ विश्वास से और बहुत दुख से बात कर रही हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत अच्छा नही लग रहा है कि माहत्मा गांधी सरीखे आदमी के प्रति इस देश में किसी के ऐसे विचार हैं लेकिन आप ऐसा सोचते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेई :** जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी (व्यवधान) यह गांधी वादी दृष्टिकोण नहीं है। यह इन्दिरा गांधी दृष्टिकोण है यदि आप गांधीवादी समाजवाद अंगीकार करना चाहते, तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। (व्यवधान)

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** वे सोचते हैं कि केवल हम लोगों को ही सहिष्णु होना चाहिए और हमें हर प्रकार की गालियाँ चरित्र हत्या और इस प्रकार की सभी अन्य बातें चुपचाप सुन लेनी ए। वे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। चरित्र हत्या के सिलसिले में·····मुझे याद नहीं है ौन थे, मेरे ख्याल से विपक्ष के एक एक माननीय सदस्य श्री दण्डवते ने कहा था कि ऐसे मलों में वे रुचि नहीं लेते। लेकिन विपक्ष में बैठें हुए सभी लोग जब उन दिनों इन्ही बातों में मशगूल थे, वे चुपचाप देखते रहे। अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहती लेकिन मैं एक मामले का उल्लेख करती हूं। आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ था जब मुझे गैर जमानती वारन्ट में मणिपुर और इम्फाल जाना पड़ा मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने एक आदमी को 2 मुर्गियां और 6 अण्डे चुराने के लिए उकसाया। जनता पार्टी के दौरान चरित्र और लोकतन्त्र के इतने ऊंचे मानक थे। और इस मामले के अधिकारी एक न्यायाधीश थे, वे ही अभियोजक थे तो वे ही उत्पीड़क थे। वे मणिपुर के सरकारी महाधिवक्ता थे और वे ही आयोग के अध्यक्ष भी थे।

मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि हमारे देश को साम्प्रदायिक तत्त्वों औ जातिवादी तत्वों से सबसे खतरा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और राष्ट्र विरोधी तत्वों में सबसे ज्यादा घृणित यही है। हम बाहरी खतरों से आसानी से निपट सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है साम्प्रदायिक तत्त्व उस दीमक की तरह है जो लकड़ी या अनाज को भीतर से खा जाते हैं। और इसमें केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक ही शामिल नहीं है। साम्प्रदायिक तत्वों के अनेक रूपों में बड़े बड़े संगठन हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि केवल एक ही धर्म के लोग साम्प्रदायिक हैं। ऐसे लोग हर धर्म में हैं और धर्म के बारे में जो भी आदमी अतिवादी हैं। वह दूसरे अतिवादी लोगों के बीच आग भड़कते है। इसलिये हमें इन सब से चौकस रहना है।

जब से वर्तमान सरकार ने कार्य भार संभाला है, उसने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जोकि समुदाय के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिये अनिवार्य है। हमने प्राथमिक कार्य के प्रति पूरी आस्था के साथ कार्य किया है और दूसरे निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप, कतिपय तत्त्वों, कतिपय राजनैतिक दलों द्वारा हर महत्त्वपूर्ण अथवा महत्त्वहीन मामलों पर आन्दोलन चलाये जाने के बावजूद, स्थिति में सुधार हुआ है। विगत कुछ महीनों में हिंसा हत्याओं और डराने धमकाने की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आयी है यद्यपि अपराध होना बंद नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में नियोजित रूप में चोरियों तथा डकैतियों की घटनायें हुई हैं। परन्तु मेरे विचार से हम यह कह सकते हैं कि समूचे तौर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाला तंत्र समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को अंकुश रखने में सफल हुआ है (व्यवधान) जब जनता पार्टी शासन में आई थी—ये लोग भी—तब समान विरोधी तत्व, तस्कर और ऐसे ही लोगों को

रिहा कर दिया गया था। हमने तो उन्हें रिहा नहीं किया था। कुछ समाज विरोधी तत्वों को स्वागत समारोहों में सम्मनित किया गया था। इन्हें पुष्पहार पहनाये गये थे उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे। अब अयानक ही यह कह देना कि, जबकि इन तत्वों को छोड़ दिया गया है। उन्हें पकड़ लो, यथार्थवादिता नहीं है। किसी ने गलाधारियों का नाम लिया। माननीय सदस्य को यह जानने में होगी कि इन लोगों के नाम सन्देह प्रद व्यक्तियों की सूची से वर्ष 1977 में ही हटाये गये थे।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** अब क्या हुआ ?

**श्री जेठमलानी :** यह एक गलत वक्तव्य है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** यह गलत वक्तव्य नहीं है।

**श्री जेठमलानी :** महोदया, कृपया अपने रिकार्ड देख कर जांच कीजिए।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** मुझे यह जानकारी रिकार्ड में ही दी गई है। मैं मन से क्यों गढ़ूं। मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या क्या मामले थे उनके विरुद्ध (**व्यवधान**)।

महिलाओं के प्रति अपराध होना हम सबके लिए निश्चय ही शर्म की बात है। मुझे बताया गया है कि ऐसी घटनाओं में अब कमी आती जा रही है और कानून तथा तंत्र इस बारे में सतर्क है। परन्तु दुर्भाग्य से ये घटनाएं फिर भी हो रही रही हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के पश्चात् आशा है कि ऐसी घटनाओं पर और अधिक नियंत्रण हो सकेगा। यहां तक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जनता तथा पड़ौसियों के मत का बहुत महत्व है।

हमारे विरोधी मित्र बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। वे चाहे जिस राज्य की बात कर बैठते हैं। परन्तु यदि हम पश्चिम बंगाल, और केरल का जिक्र करें तो वे उठ खड़े होते हैं। मैं इसके सिवाय कौर कुछ नहीं कहूंगी कि क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमारे लोगों को वहां मारा जा रहा है पहन्तु अन्य दलों के लोगों को नहीं।

**श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) :** वर्ष 1959 से अब तक हम जानते हैं क्या कुछ हुआ है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मुझे खुशी है कि आप को इतनी जरूर जानकारी है परन्तु सौभाग्य या दुर्भाग्य से, वह सारी की सारी सही नहीं है। क्यों कि आपके नेता जनता में कोई बात बार-बार दोहराते हैं, इसीलिए तो वह सब सच नहीं हो जाता। परन्तु कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि केरल में यदि भारतीय हो अथावा विदेशी वहां बड़ी संख्या में राजनैतिक हत्याएं हुई हैं। भारत के किसी भी भाग में, इतने बड़े पैमाने पर तो राजनेतिक हत्यायें कभी नहीं हुई (**व्यवधान**)

इस आरोप में कोई सत्य नहीं है कि मैं वहां की सरकार को उलटना चाहती हूं ऐसा सोचना या तो अपनी दोषी भावना को प्रकट करना है या फिर वे स्वयं ऐसा चाहते हैं। मैं किसी सरकार को पलटना नहीं चाहती हूं और राज्यों में मेरे जाने का मुख्य मंत्रियों द्वारा स्वागत किया गया है

**(श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

जहां कहीं भी मैं अब तक गई हूं—क्योंकि इससे हमें विभिन्न स्वीकृत कार्यक्रमों, की क्रियान्विति से, विशेषतया उन कार्यक्रमों की जो हमारी योजना में जुड़े हैं, इसकी बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मैं केन्द्रीय अधिकारियों के साथ जाती हूं या वे मुझसे पहले जाते हैं और बाद तक वहाँ रहते हैं, और फिर मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं तथा उन राज्यों की मदद करने की कोशिश करते हैं जहां जहां हम कर सकते हैं।

नैतिक मूल्यों तथा आचर संहिता को लेकर काफी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या श्री अन्तुले के न्यास के मामले में मेरे नाम का प्रयोग किया गया था। जब यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछा गया था तब मेरे सभा में रहने का कोई प्रश्न नहीं था। जब एक प्रश्न मुझसे भुवनेश्वर में पूछा गया था तब मैंने कोई संकोच नहीं किया था और इसका तुरन्त उत्तर दे दिया था। अगर वे अन्य प्रश्न पूछते तो मैं उनका भी उत्तर देती। मैंने तो सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। जब श्री अन्तुले ने इस न्यास के बारे में मुझे बताया—श्री कौशल ने इसके उद्देश्य पढ़कर सुनाए थे। मैंने सोचा कि अच्छे उद्देश्य थे। मैंने माना था कि कलाकारों की सहायता करना एक अच्छा विचार है। जब 1965 में मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री थी, बहुत से कलाकार कुछ मांग लेकर मेरे पास आये थे। अतः जब श्री अन्तुले ने मुझे बताया कि यह ट्रस्ट युवा कलाकारों की सहायता करेगा। मैंने इसे एक अच्छा विचार समझा। इस दृष्टि से मैंने अपना आशीर्वाद जरूर दिया। जब उन्होंने मेरे नाम के लिए पूछा तो मैंने उसे सलाह दी थी कि वह इसका उपयोग न करें इसलिग नहीं कि उद्देश्य बुरे थे या कि न्यास बनाना बुरा था, बल्कि में अपने नाम को अनुमान देना पसन्द नहीं करती चाहे वह न्यास हो था अस्पताल हो या कोई अन्य संस्थान हो। मुख्य मन्त्री तथा अन्य लोगों से ऐसे कितने ही अनुरोध मुझे मिलते हैं·····

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपने यह बात पहले क्यों नहीं कही ? आप यह बात बहुत पहले भी कह सकती थीं।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी शायद आप रुक गए होते परन्तु इस बारे में मुझे शक है कि अन्य शायद न रुके होते।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपका क्या नुकसान होता ?

**श्रीमती इन्दिरा गाँधी** : मुझे लाभ अथवा हानि की चिंता नहीं है। मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है और मैं उस तरफ चलती रहूंगी। अपने अन्तिम सांस तक मैं उस ओर चती रहूंगी, अन्य लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। मेरी इस बारे में कोई रुचि नहीं कि इसकी सरकार है अथवा उसकी सरकार है अथवा कौन गद्दी पर है। मैं जब सत्ता में नहीं थी तब भी मैंने अपना काम जारी रखा। मैं अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटी। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं जीतती हूँ अथवा हारती हूं। काँग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने गांधीवादी अनुशासन देखा है वे गांधीवादी सिद्धांतों को नए अपनाने वालों से नैतिकता तथा आधार संहिता के बारे में कोई भाषण सुनना नहीं चाहते। मैं बाइबिल की एक उक्ति का उदाहरण देती हूं जिसमें कहा गया है, "चिकित्सक, अपना ईलाज करो।" तथापि, मैं चाहती हूं कि सभा तथा राष्ट्र यह जान ले कि मेरी सरकार तथा मेरी पार्टी सार्वजनिक जीवन में आचार के उच्चमत सिद्धांतों की समर्थक है और यह सुनिश्चित करना

चाहती है कि उन सिद्धांतों और ईमानदारी की बातों का न केवल उद सभी के द्वारा पालन किया जाए जो शक्तियों का उपयोग करते हैं परन्तु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा लगे कि उनका पालन किया जा रहा है। (व्यवधान)

मैंने गढ़वाल में स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कौन किस को पीट रहा है, कौन वादों को तोड़ रहा है जैसा कि मैंने पहले कहा स्वयं मेरे कर्मचारियों को धमकी दी गई।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : किस के द्वारा।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मैं आपके प्रश्न के बारे में रुचि नहीं रखती। यहाँ पर मेरे एक मित्र ने कहा, यदि आप में हिम्मत थी तो आपको उस समय त्यागपत्र देना चाहिए था। (व्यवधान)

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** : आपके कर्मचारियों को धमकी देने की हिम्मत कौन दिखा सकता है ? वहां पर स्वयं आप की सरकार है।

**श्रीमती इन्दिरा गाँधी** : आप को हैरानी होगी कि जहाँ पर गुन्डे हों वे हिम्मत करते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : जब वहां पर पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस तैनात थी।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : पंजाब की पुलिस वहाँ पर नहीं थी। मैं वहाँ पर कुछ बाद में गई थी।

आपके लोगों द्वारा मुझे अनेक बार पीटा गया है। वे लोग कौन थे, मैं नहीं जानती। परन्तु उन तीन वर्षों में देश के विभन्न भागों में मेरे ऊपर आक्रमण किए गए थे ; मेरे जीवन पर आक्रमण किए गए थे। (व्यवधान)। हमने ऐसे आक्रमण नहीं किए हैं। (व्यवधान)

दुर्भाग्य से प्रांतीयता को भी बढ़ावा दिया गया था। अब केन्द्र-राज्य तनाव को उभारने की कोशिशें की जा रही हैं। एक अत्यन्त असाधारण स्थिति पैदा हो गई है जिसमें एक राज्य सरकार कह रही है हम आलोचना को स्वीकार नहीं करते परन्तु हम उसकी सहायता लेंगे।

मेरे द्वारा राज्यों का दौरा करने के जानबूझकर गलत अर्थ लगाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा उनका उद्देश्य उन विकास कार्यक्रमों के बारे में अच्छी सद्भावना पैदा करना और समन्वय स्थापित करना था जिनमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें अर्न्तग्रस्त हों। वे निरीक्षण दौरे नहीं थे। हम यह देखने नहीं गए थे कि राज्य सरकार अपना काम किस ढंग से कर रही है। उनका उद्देश्य समस्याओं का हल खोजना था और अनेक स्थानों पर समस्याओं को हल भी किया गया और स्थिति में तत्काल सुधार हुआ। वह दिन बहुत बुरा होगा जिस दिन भारत के प्रधान मन्त्री ने देश भर में विकास कार्यों में रुचि लेना समाप्त कर दिया।

शांति को खतरा केवल जातीयता और साम्प्रदायिकता से ही नहीं आता परन्तु कुण्ठित लोगों से तथा ऐसे तत्वों से आता है जो किसी प्रकार से अशांति फैलाना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा जो दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं उनको उस समय हैरानी

**(श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

नहीं होनी चाहिए । जब उन पर पत्थर फेंके ,जायें । जिन पार्टियों का रिकार्ड शासन काल के दौरान तथा शासन के पूर्व, पश्चात अथवा दौरान में जिनका आचरण सराहनीय रहा है वे हमारे काम में दोष निकाल रही हैं । मैं यह नहीं कहती कि हममें से सब लोग देवता हैं। किसी भी दल में केवल देवता ही हैं। जहां पर भी हमने गलत देखा उसे हमने निरन्तर कोशिश की है, ठीक करने की। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि हमारा दल अन्यों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है..... (**व्यवधान**) । परन्तु यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं ।

जहां तक विदेश नीति का संबंध है यह विशेषरूप से दिक्कत का समय है। मुझे बहुत ही दुख है कि आप विदेश नीति पर आज चर्चा के पक्ष में नहीं । इससे पता चलता है कि आप इस बारे में रुचि नहीं रखते ।

**एक माननीय सदस्य** : कल हम उस पर चर्चा करेंगे ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : कल आए अथवा न आए । कोई नहीं जानता कि उससे पहले क्या हो जाये ।

श्री वाजपेयी तथा उनके कुछ सहायक यह कहते हैं कि मैं यहां की बातों से दिखाने के लिए विदेश नीति का मामला उठा रही हूं । मेरे पिता ने मेरे बचपन में मुझे यह शिक्षा दी थी कि हर बात खुली होनी चाहिये और मैं हमेशा इसी ढंग से जिन्दा रही हूं । अतः जब मैं किन्ही हालत को देखती हूं मैं उनके बारे में बोलती हूं और यही कारण है कि हम किसी समय दिक्कतों में फंस जाते हैं क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो लोग ढंग की स्पष्टवादिता को पसन्द नहीं करते ।

इस में कोई शक नहीं कि खतरे बढ़ गये हैं । विश्व भर के नेताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाता है । हमारे निकट पड़ौस में तो ऐसा और भी स्पष्ट रूप से है । हालांकि हमारा कोई दोष नहीं है, परन्तु फिर भी खतरा है और हमें अपने आपको उसके लिये तैयार करना है ।

शायद आपने आज के अखबारों में यह प्रकाशित हुआ देखा है कि हमारे पड़ौसी को एफ-16 विमानों की तेजी से सप्लाई करने का अन्तिम निर्णय किया गया है । जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रश्न यह नहीं है कि क्या किसी विशिष्ट देश के पास अधिक अथवा कम होना चाहिये परन्तु इसके पीछे सारी मनोवृत्ति की बात है और इसके कारण उत्पन्न असन्तुलन के द्वारा जो तनाव पैदा होगा उसकी बात है, जो इसके कारण पैदा हो चुका है और जिसके कारण हमें बहुत सावधान होना होगा और यह देखना होगा कि हमारे क्षेत्र की शांति, जो कि अशांत है, किसी प्रकार से पुनः स्थापित हो ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारे पड़ौसी ने अत्यन्त आधुनिक हथियार प्राप्त करने जोकि हमारे पास के हथियारों से एक पीढ़ी आगे है, का औचित्य सिद्ध करते हुए हमारे ऊपर हथियार जमा करने के अनुचित आरोप लगाये हैं । उसी वक्तव्य में उन्होंने शिमला समझौते का उल्लेख किया है । हम शिमला समझौते की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं और हम पाकिस्तान द्वारा भी उसी प्रकार की नीति के अनुसरण का स्वागत करेंगे । परन्तु उनकी कार्यवाहियां शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत तथा समस्याओं के सैनिक हल के विचारों अथवा नीतियों को छोडने के अनुरूप नहीं हैं । हम यह नहीं समझते कि आधुनिक हथियार जो वे प्राप्त कर रहे हैं शिमला समझौते की भावना

के अनुरूप हैं। वे द्विपक्षीय मामलों को उठाने के किसी अवसर को नहीं छोडते। शिमला समझौते की शर्तों में से यह पहली एक शर्त थी कि ऐसे मामलों पर आपस में बातचीत की जानी चाहिये। यह विदेशी स्थिति के पुनरीक्षण में गहरे जाने का अवसर नहीं है, मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया है क्यों कि शीघ्र ही संसद के सत्र का समापन हो जायेगा और मैंने सोचा कि मैं अपने विचार आपके सामने रखूं।

हम सब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की अत्यन्त गम्भीरता या नाजुकता को जानते हैं। मैं नहीं जानती कि क्या विपक्ष इसको नहीं समझता अथवा क्या इसका केवल यह विचार है कि परेशानियां पैदा करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। मैं इस सभा के बारे में नहीं कह रही, जो कुछ प्रायः बाहर होता है उसकी बात कर रही हूं। यदि आप यह समझते हैं कि आप इससे सरकार को कमजोर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा परन्तु आप असन्तोष का वातावरण पैदा करते हैं। किसी समुदाय अथवा किसी देश के लिए यह सबसे बड़ी कमजोरी की बात है। यदि आप किसी व्यक्ति से आशा हीन लेंगे—किसी समय भी मैंने यह नहीं कहा कि मैं व्यक्तिगत रुप से अधिक उत्पादन का कारण बनी हूं। हर एक भाषण में मैंने इस बात पर बल दिया है कि भारत के किसानों ने, जो नए विचारों तरीकों को स्वीकार करने को तत्पर थे, अपने उत्पादन में वृद्धि की और हमें आत्मनिर्भर बनाया। यह भारत का औद्योगिक श्रमिक है जिसने पसीने और मेहनत के द्वारा उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है और हमें अपने उद्योगों में विविधता लाने में सहायता दी है। हमने कभी भी यह नहीं कहा कि हमने यह किया है। परन्तु हमने अपनी नीति से उनकी सहायता की है, हमने निदेश देकर उनकी सहायता की है और सबसे ऊपर हमने उनको आशाएं दिखाकर सहायता दी है। आप उनसे यह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर हमारा झगड़ा है और झगड़े होने स्वाभाविक हैं, चाहे लोकतन्त्र हो अथवा लोकतन्त्र की प्रणाली न हो। जहां पर भी मनुष्य हैं वहां पर झगड़े स्वाभाविक हैं। परन्तु ऐसे भी अवसर हैं जब किन्हीं मामलों पर हमें एक जुट होकर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। यह ठीक है कि युद्ध के समय हर कोई कहता है। "हम आपके साथ हैं और इस प्रकार की बातें···।" परन्तु शांति के काल में भी हमें इस आशय को बनाए रखना है, लोगों को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि इस देश का कोई भविष्य नहीं है। इसका भविष्य उज्जवल है और कदम कदम बढ़ाकर उस ओर जाना है। गुस्से में, ईर्ष्या में अथवा निराशा में कुछ विपक्षी लोग केवल देश के विरोधियों को बल दे रहे हैं जो अपने अखबारों और अन्य रूप से छापते हैं कि भारत टुकडे-टुकडे होकर गिर रहा है। परन्तु मैं जानती हूं कि सभा तथा देश का बड़ा भाग हमारे साथ होगा।

अब मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूं जोकि नेतृत्व के सम्बन्ध में है। मुझे बहुत ही निराशा है कि हमारे पक्ष के लोग इस मामले को उठाते रहते हैं, लोगों द्वारा इसे उठाने का केवल यही कारण है कि विपक्ष के द्वारा हमारे ऊपर आक्षेप लगाये जाते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके नेता पर आक्रमण किया जा रहा है वे सभी यह सोचते हैं कि उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिये परन्तु उनको अच्छी तरह से यह पता होना चाहिये कि मैं अपने को बचाने के लिये पूरी तरह से समर्थ हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** : वे केवल आपको बचाने के लिये आते हैं।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : और कभी कभी आपको बचाने के लिए भी (**व्यवधान**) मैं यह कहने की कोशिश कर रहीं हूं कि यद्यपि कांग्रेस पार्टी में हमशा एक मान्य नेता रहा है इसका अर्थ यह

**(श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

नहीं है कि उस नेता के बिना पार्टी टूट जाती है। जब एक नेता हट जाता है तो शांतिपूर्ण लोकतान्त्रिक ढंग से उसका स्थानलेने के लिए दूसरा आगे आता है। यह महत्त्व की बात है कि नेता मजबूत है अथवा नहीं। परन्तु इससे भी महवत्पूर्ण बात यह है कि हमारे झगडों के बावजूज पार्टी को सुदृढ़ होना चाहिए। हमारी पार्टी में उतना कठोर अनुशासन नहीं है जितना कुछ पार्टियों में है। हम अपने लोगों को बोलने की अनुमति देते हैं। यह हमारी कमजोरी है और यह हमारी शक्ति है। परन्तु इन्दरा गाँधी हो अथवा न हो हमारी पार्टी मजबूत रहेगी। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऐसा कार्यक्रम अथवा नीतियां दे रही है जिनके कार्यान्वयन के द्वारा देश आगे बढेगा।

हमारा विचार यह है कि हम सभी समस्याओं को एक या दो पीढ़ी काल में हल नहीं कर सकती और हम क्या कोई भी नहीं कर सकता। हम यह आशा कर सकते हैं कि देश आगे ठीक दिशा में बढ़ता रहे और साथ ही हम यह सुनिश्चित करें कि देश की बागडोर ठीक हाथों में रहे जो आगे बढा सकें।

अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि सभी माननीय सदस्य इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार करें, कि सभी क्षेत्रों में आगे विषम स्थिति है कि हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उचित कार्य करें। तथा इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने देश के या विदेशी ऐसे तत्त्वों का शिकार न बन जायें जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। धन्यवाद।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री समर मुखर्जी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री तथा दूसरे पक्ष के सभी मित्रों के भाषण ध्यानपूर्वक सुने हैं।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सम्पूर्ण स्थिति का उन्होंने जो मूल्याकंन किया है वह बिल्कुल अलग ढंग से किया है। दूसरे पक्ष के वक्ताओं और प्रधानमंत्री ने बढ़े ही सब्जबाग दिखायें हैं और कहा है कि हम अब विपत्ति से उबर गये हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ होती जा रही और भविष्य उज्जवल हैं। मेरे विचार से देश का भविष्य तो तभी उज्जवल होगा जबकि वर्तमान शासन पद्धति को उखाड़ फेंका जाये और उसके स्थान पर नयी शासन पद्धति लायी जाये।

उस दिन जबकि वर्तमान मूल्यों पर बहस चल रही थी तो मैंने वित्तमंत्रीको इस बात के लिए धन्यवाद दिया था कि उन्होंने तह बात स्वीकार कर ली है कि जब भी आप भारत और तिब्बत जायेंगे तो आप मूल्यों को बढ़ते हुए पायेंगे। उन्होंने कहा था :—

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से नियन्त्रित अर्थव्यवस्था में जहां पूर्ति और उत्पादन को नियन्त्रण करना संभव होता है केवल वहीं मूल्यों पर नियन्त्रण करना सम्भव होता है।

यह उनकी स्वीकरोक्ति है। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमन्त्री तथा अन्य सभी यह बात स्वीकार करेंगे उन्होंने यह भी कहा था :

"हमने उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया है इसलिए हमारे यहां मूल्य नियंत्रण संभव नहीं हैं ।"

यह उद्धरण मैंने वित्तमंत्री के भाषण से लिया है। इस स्वीकारोक्ति का मतलब यह है कि आप एक ऐसी शासन पद्धति का समर्थन कर रहे हैं जो नियंत्रण वाली पद्धति अर्थात समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध है। अपने संविधान की प्रस्तावना में आपने घोषणा की है कि भारत एक समाजवादी देश है। परन्तु आप ठीक उसके विपरीत कार्य कर कर रहे हैं और समाजवाद का विरोध कर कर रहे हैं।

मैं 9 सितम्बर, 1981 के 'सोवियत अफेयर्स' से पढ़ रहा हूँ। शीर्षक यह है : "सोवियत रूस में मुद्रा स्फीति नहीं । (यू. एस. एस. आर विदआऊट इनफ्लेशन) उद्धरण इस प्रकार है :

"मास्को, 9 सितम्बर। सोवियत रूस में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्थिर चले आ रहे हैं। शायद ही कोई अन्य देश है जहां मूल्य इतने स्थिर हैं जैसा कि सोवियत रूस में है। मूल्यों में यह स्थिरता रूसी जीवन पद्धति की एक विशेषता है ब्रैड तथा अन्य बेकरी उत्पादन, मिठाइयां (चाकलेट छोड़ कर) चाय, चीनी, पनीर, रुई, ऊनी, तथा लिलन कपड़ों के, तथा इन वस्तुओं से बनने वाले अन्य उत्पादों के मूल्य वहां पर आज भी उतने ही हैं जितने की 25 वर्ष पूर्व थे। वहां गोश्त और गोश्त से बने अन्य उत्पाद, मक्खन, डेयरी उत्पादों, अण्डों के मूल्य 1962 से नहीं बढे हैं।"

किराय की दरों में भी। 1928 के बाद में कोई वृद्धि नहीं हुई है और यह दरें विश्व में न्यूनतम हैं। औसतन एक श्रमिक के परिवार का बजट उस आय का, जो उस परिवार को मिलता है 3 से 4 प्रतिशत होता है। सोवियत रूस में उपभोक्ता खुदरा मूल्य सूचकांक में 1955 के बाद बहुत ही कम अर्थात् 3 अंक की वृद्धि हुई है। जबकि उनके मासिक वेतन और मजूरी में औसत 2·3 गुणा वृद्धि हो चुकी है ।

यदि वास्तविकता यह है तो हमारे देश के गरीब लोगों को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वे वह शासन पद्धति अपनाना चाहते हैं जो सोवियत रूस में या उस शासन पद्धति को बनाया है जिसे आप पिछले 34 सालों से पोषते हुए चले आ रहे हैं। यहां तक कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी भुवनेश्वर में कहा था कि अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे है, और गरीब है और गरीब होते जा रहे रहे हैं। आपने इस बात का उल्लेख नहीं किया है।

राष्ट्रपति ने भी कहा है—हर व्यक्ति इस बात को मानता है—कि धनी लोग और अधिक धनी बनते जा रहे हैं। निर्धन और अधिक निर्धन बनते जा रहे हैं। आपके शासन की उपलब्धता है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : शांत, शांत।

**श्री समर मुखर्जी** : हमारे प्रधान मंत्री ने यह सिद्ध करने के लिए आंकड़ें दिए हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है। उपभोक्ता सूचकांक में मूल्यों की स्थिति क्या है? 1980 में यह 382 था। 1981 के आरम्भ में 433 था। और अब यह 447 है, क्या लोग आपको इस बात पर विश्वास करेंगें कि मूल्य गिरते जा रहे हैं। लोगों में बदती हुई परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है और उन्हें धोखा दिया जा सकता है।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है हमें बताया गया है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। रोजगार कार्यालय, श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 1,43,00,000 लोग बेरोजगार थे और अब यह संख्या 1,63,00,000 है। बेरोजगार लोगों का भविष्य क्या है? आप इसका उत्तर दें।

**एक माननीय सदस्य** : जनसंख्या की समस्या के बारे में आपके क्या विचार हैं?

**श्री समर मुखर्जी** : जनसंख्या के बारे में बात न कीजिए। आप कहते हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 34 वर्ष बीत जाने पर योजना आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार देश की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे रह रही है। क्या इसे ही हम सरकार की उपलब्धि माने। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि पांच वर्ष की अवधि में इन आंकडों में कमी हो जायेगी। परन्तु ऐसा उन्होंने किस आधार पर किया था: उन्होंने ऐसा कैलोरी की उपलब्धता के आधार पर किया था परन्तु वास्तव में प्रति व्यक्ति की कैलोरी उपलब्धता घटती जा रही है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु यह सच है कि आप निर्धन को और अधिक निर्धन बनाकर तथा धनवान को अधिक धनवान होने का मौका देकर आर्थिक क्षेत्र में धन के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। परिणामत: निर्धनता बढ़ती जा रही है। आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का यह स्पष्ट परिणाण है। यह पूंजीवादी योजना है। आंकडों से यह सिद्ध हो जाता है। जब भी आर्थिक सत्ता का कुछ हाथों में एकत्रित हो जाती है तब निर्धन और निर्धन होता चला जाता है और एक दिन ऐसा आयेगा जबकि यह केन्द्रीयकरण राजनैतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डालेगा तथा गरीब लोग मिलकर आपकी नीतियों और सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। (व्यवधान)

यही कारण है कि गरीब लोगों को संगठित होना चाहिए। आप कहते हैं कि आप लोगों को उनके मत मिलते हैं परन्तु यह कैसे होता है? ये गरीब लोग आपकी ओर इसलिए आकर्षित हो जाते हैं और आप उनके मत प्राप्त करने में इसलिए सफल हो जाते हैं कि आप चुनावों के दौरान धन का प्रयोग करते हैं और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं; आप बड़े-बड़े वायदे करते हैं आपको उनके मत इसलिए मिल जाते हैं कि अधिकांश जनसाधारण आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अभी तक पिछड़े हुए हैं। अब तो आपने उप-चुनावों के परिणामों को देख ही लिया होगा। उत्तर

प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में उप-चुनाव हुए हैं। उनके परिणाम क्या रहे हैं ? इलाहाबाद में मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं की प्रतिशतता केवल 25 थी और उस 25 प्रतिशत मतदाताओं में से आपको बहुमत मिला है। (व्यवधान) यह आंकड़े सभी समाचार पत्रों में दिए हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोग आपको राय डालने के इच्छुक नहीं था। और यही कारण है कि वे मत डालने नहीं आये। आपको 25 प्रतिशत में से बहुमत इसलिए मिल गया कि सम्पूर्ण विपक्ष विभाजित था और इसका आपको लाभ मिल गया। आपको जो मत मिले वह विपक्ष की कमजोरी और फूट के कारण मिले।

श्री नरसिंह राव, आपके अपने राज्य में विजयवाड़ा ओर वालटेयर में हाल ही में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं वहां क्या परिणाम रहे ? उसके लिए मुख्य मंत्री ने क्या स्पष्टीकरण दिया है। मुख्य मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि केन्द्र ने खादयान्नों की सप्लाई नहीं की। आपने खाद्य की मात्रा में कमी पश्चिम बंगाल के लिए की थी। आपने पश्चिम बंगाल के लिए चीनी और मिट्टी के तेल की मात्रा भी कम कर दी थी और आपने पश्चिम बंगाल को औद्योगिक प्रयोजना के लिए अलकोहल भी नहीं दिया था। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में हमें न केवल विधान सभा और संसद् के लिए हुए उप-चुनावों में भारी बहुमत मिला है बल्कि वहां हुए नगर पालिकाओं के चुनावों में भी हमें बहुमत मिला है। वहां 87 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए जिनमें से हमें 68 में बहुमत मिला तथा विधान सभा और संसद के लिए हुए उप-चुनाव में हमें 65 प्रतिशत मतदाता मत डालने आये। यह बडे पैमाने पर प्रचार किया गया था कि मध्य वर्ग के लोग हमारे खिलाफ हो जायेंगे परन्तु पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने कुछ और ही करके दिखाया ; उन्होंने मत हमारे पक्ष में ही डाले। भूमिहीन लोगों, निर्धन किसानों, मध्य वर्ग के लोगों और बुद्धिजीवी लोगों सभी ने हमारे पक्ष में मत डाले। वास्तविक्ताको ध्यान में अवश्य ही रखा जाना चाहिए।

आपने सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्ग को चुनौती दी है। आप आंकडे देकर बताएं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु उत्पादन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है ? ये श्रमिक ही हैं। परन्तु उन्हें इसके बदले में क्या मिल रहा है ? उन्हें आवश्यक सेवा अधिनियम के रूप में डंडा मिला है इसलिए उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की है। श्रमिक 23 नवम्बर को वोट क्लब पर आ रहें हैं। मैं आप सब को आमंत्रित करता हूं कि आप उस दिन वहां आकर उन्हे देखें। यह चुनौती है जो आपने दी है। श्रमिकों को मजबूर कर, उन पर अत्यधिक काम थोप कर, आपने उत्पादन बढाया है। और अब आप उन्हें बाहर निकालें। इतना अधिक लाभ हुआ है, परन्तु श्रमिकों के लिए आपने वेतन स्थिर कर दिया है। नियोक्ता के लिए, अधिक बोनस और अधिक लाभांश।यह वर्ग नीति है जो आप लागू कर रहे हैं। पूंजीवाद ऐतिहासिक रूप से पुराना पड़ गया है। परन्तु आप हठपूर्वक उस व्यवस्था का पक्षपोषण कर रहे हैं। इसलिए, आपका भविष्य उस व्यवस्था के भविष्य के साथ जुड़ गया है। यदि

**(श्री समर मुखर्जी)**

वह व्यवस्था समाप्तहो जाती है, तो आप को भी जाना होगा। दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं। और लोगों में इतनी एकता नहीं है। इसीलिए आप को विरोधी पक्ष में मतभेद का लाभ मिला है। उन्होंने पूछा है कि किस प्रकार वामपंथी पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी का समर्थन कर सकती है। फिर भी कल रात आपने हमें एकता के सूत्र में पिरो दिया है। इस आवश्यक सेवा अधिनियम ने हमें एकता के सूत्र में पिरो दिया है। यह इतिहास का एक तर्क है। इतिहास सीधा नहीं चलता है। 1977 में कांग्रेस पार्टी आपकी कार्यवाही के कारण सत्ताच्युत हुई न कि हमारी शक्ति से। आप हम सब को जेल में बन्द कर दें। इसलिए वाजपेयी जी, मधु दण्डवते जी और मेरे दल के लोग सभी एक जेल में थे और वे साथ-साथ थे। अत्याचार से बचने के लिए हम क्या करते ? हमें एकता के सूत्र में बन्धना पड़ा। आप हमें फिर जेल में बन्द कर देगें। हम उसके लिए तैयार हैं। हम सभी तैयार हैं : परन्तु यह ध्यान में रखिएगा। मैं प्रधान मंत्री से कह रहा हूँ कि वे ध्यान में रखें कि व्यक्ति अपने अनुभवों से ही अच्छी प्रकार सीखते हैं। हमें आपात काल का अनुभव है। हमें आंसुका का भी अनुभव है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का भी अनुभव है। अब हमें आवश्यक सेवा अधिनियम का एक और अनुभव हो रहा है। यह सभी लक्षण आने वाले आपातकाल के हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम उससे बहुत ही आशंकित हैं—भारत में पुनः प्राधिकारवाद लाया जा रहा है। संसदीय लोकतन्त्र की रक्षा के लिये, वे सभी बातें जो लोकतन्त्र के पक्ष में हैं और जो प्राधिकारवाद के खिलाफ हैं एक जुट हो जाएंगें। यही हमारा दृष्टिकोण है।

मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। यह चर्चा आपको आश्वस्त करने के लिये नहीं है। यह चर्चा केवल आप जनता में व्याप्त रोष और उनके विचारों को संसद में प्रकट करने के लिये है। अतः अविश्वास प्रस्ताव बार-बार आयेंगे क्योंकि लोग संसद के बाहर आप में विश्वास खो रहे हैं। इसीलिये हम उस भावना को संसद के भीतर प्रकट करने के लिये बाध्य हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चेतावनी देता हूँ कि जो नीति सरकार अपना रही है यदि उसे मूल रूप से नहीं बदल गया तो इस पूरे दौर से देश में और अधिक संकट तथा गंभीर विप्लव होगा। अतः हम सरकार की नीतियों का पूरी तरह विरोध करते हैं तथा इस मंत्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

**लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :**

मत विभाजन संख्या 38 21.49 बजे

पक्ष में

आचार्य श्री बसुदेव
आर्य, श्री कुम्भा राम
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
बिश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रशेखर, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री मोतीभाई, आर०
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौबे, श्री नारायण
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
गगवार, श्री हरीश कुमार
घोष, श्री नीरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जगजीवन राम, श्री
जेठमलानी, श्री राम
झा, श्री भोगेन्द्र
झारखण्डे राय, श्री
खां, श्री गयूर अली
खां, श्री महमूद हसन
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री धनिक लाल
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री रामायण

राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद ममूद, श्री
रियान, श्री बाजू वेन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय, प्रधान श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
सैनी, श्री मनोहर लाल
सारण, श्री दौलत राम
षाडंगी, श्री रूद्र प्रताप
शाक्य, श्री दया राम
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिंह, श्री धर्मवीर
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतललाल प्रसाद
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री
अब्दुल समद, श्री
अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह, श्री

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

आजाद, श्री भगवत झा

आजाद, श्री गुलाम नवी

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगन भाई

बरवे, श्री जे० सी०

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोई, डा० कृपा सिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

वृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री के० वी०

चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

घोटे, श्री जाम्बुवंत

डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनावरासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव
गामित, श्री छीतू भाई
गांधी, श्रीमती इन्दिरा
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह
गांमांगो, श्री गिरिधर
गोजगिन, श्री, एन०
गोडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गोडा, श्री एच० एन० नन्जे
गुलशेर अहमद, श्री
हाकम सिंह, श्री
हेमब्रम, श्री सेत
जदेदा, श्री दौलतसिंहजी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जय नारायण रौत, श्री
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणी

झा, श्री कमलनाथ

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुंवर राम, श्री

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाजन, श्री विक्रम

महाला, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मायातेवर, श्री के०

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री वृज मोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुरुगेयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडु, श्री पी० राजगोपाल

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
नीखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पानिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर०
पार्थसारथी, श्री पी०
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री अमृत
पटेल, श्री सी० डी०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकर राव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वसंतराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पत्तस्वामी, श्री डी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रभु, श्री आर०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम, श्री
रहीम, श्री ए० ए०
राजामल्लू, श्री के०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति श्री, के०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री जलगम कोन्डाला
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वायपा
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
रेड्डी, श्री टी० दामोदर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
साहू, श्री शिव प्रसाद
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सज्जन कुमार, श्री
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
संखवार, श्री आशकरन
साठे, श्री वसंत
सतियेन्द्र, श्री एन० एस० के०
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दौराई
सेलवाराजू, श्री एन०
सेन, श्री ए० के०
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी० सी०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिगड़ा, श्री डी० बी०
शिव शंकर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह, श्री सी० पी० एन०
सिंह, देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
शिव प्रकाशम, श्री डी० एस० ए०
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुब्बा, श्री पी० एम०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह
स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

टण्डन, श्री प्रभु नारायण
तारिक अनवर, श्री
तेईयेंग, श्री सोवेंग
तैयब हुसन, श्री
तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाउसाहिब
थुगोन, श्री पी० के०
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि
तिवारी, श्री नारायण दत्त
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
ट्रडु, श्री मनमोहन
टाईटलर, श्री जगदीश
उइके, श्री छोटे लाल
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेलू, श्री ए० एम०
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण राम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
यूसफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 83; विपक्ष में : 294.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

---

## सदस्यों की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के अध्यक्ष के नाम दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के निम्नलिखित संदेश आज प्राप्त हुए हैं :—

(एक) जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली, बिहार का तेतार संदेश

"आज दिनांक 16-9-1981 को 11.00 बजे लोक दल के राज्य-व्यापी आन्दोलन-कार्यक्रमों के अनुसरण में श्री राम विलास पासवान, संसद् सदस्य के नेतृत्व में लोक दल के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय कक्ष के सामने प्रदर्शन किया। बाद में श्री राम विलास पासवान, ससद सदस्य ने 114 कार्य कर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी उन्हें भारतीय दण्ड सहिता की धारा 448/342/143 के अधीन हिरासत में लिया गया और केन्द्रीय जेल मुजफ्फरपुर में रखा गया।"

(दो) फतेहगढ़ स्थित सिटी मजिस्ट्रेट, फरूखाबाद का संदेश

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि श्री छोटे सिंह यादव लोक सभा सदस्य को शांति भग करने की आशंका के कारण गिरफ्तार किया जाये।"

श्री छोटे सिंह यादव संसद सदस्य को तदनुसार 16.9.1981 को 5 बजे फतेहगढ़ में गिरफ्तार किया गया ओर इस समय वे फतेहगढ़ के जिला जेल मे हैं।

---

## दर्शक दीर्घा में कुछ व्यक्तियों द्वारा सभा का अवमान किये जाने के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को विदित है आज लगभग 16.15 बजे दो दर्शकों ने, जो अपना नाम प्रताप सिंह चौधरी पुत्र श्री राम सिंह सोरेन और नफे सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया :—

पक्ष में— सर्वश्री छांगुर राम, सुधीर गिरि तथा अजीत बाग।

विपक्ष में— सर्वश्री एम॰ राजशेखर मूर्ति, बाला साहिब विखे पाटिल तथा रामायण राय।

बताते हैं, दर्शक दीर्घा से नारे लगाये। वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की उन्होंने बयान दिये लेकिन अपने इस कार्य के लिए कोई खेद व्यक्त नहीं किया।

मैंने इस मामले से, सभा को ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो वह उचित समझे, अवगत कर दिया है।"

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या)** : महोदय आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम प्रताप सिंह चौधरी पुत्र श्री राम सिंह सोरेन और नफे सिंह बताने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से आज लगभग 16.15 बजे नारे लगाये तथा जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है और वे इस सभा का अवमान करने के दोषी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उन्हें कड़ी चेतावनी दे कर आज सभा उठाने के पश्चात रिहा किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम प्रताप सिंह चौधरी पुत्र श्री राम सिंह सोरेन और नफे सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह बताने वाले व्यक्तियों ने जिन्होंने दर्शक दीर्घा से आज लगभग 16.15 बजे नारे लगाए तथा जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गंभीर अपराध किया है और वे इस सभा का अवमान करने के दोषी हैं। यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उन्हें कड़ी चेतावनी देकर आज सभा उठने के पश्चात् रिहा कर दिया जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## राज्य सभा से संदेश

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 16, सितम्बर, 198। की अपनी बैठक में बर्मा आयल कम्पनी [आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और बर्मा-आयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1981] से, जो लोक सभा द्वारा 7 सितम्बर, 198 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

[सचिव]

(दो) " राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 16 सितम्बर 1981 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 सितम्बर, 1981 को पास किए गए भारत के सामूहिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) विधेयक, 1981 के बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण मे मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1981 को पास किए गए वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई हैं।

2. महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मुम्बई उच्च न्यायालय(गोआ, दमन और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1981

(2) सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981

---

## असम राज्य बिजली बोर्ड के लिए अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी द्वारा 16 सितम्बर, 1981 को प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी।

कुछ माननीय सदस्य : इस पर कल चर्चा की जाये।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, इस बात पर सहमति हुई थी कि इन दो मदों को आज पूरा किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा। आप नहीं बोलना चाहते। श्री ई० बालानन्दन, आप भी नहीं बोलना चाहते। श्री के० ए० राजन, आप भी नहीं बोलना चाहते। जब कोई भी सदस्य नहीं बोलना चाहता तब मेरे विचार से मन्त्री को भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न यह है कि : —

"कि यह सभा असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 30 जून, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित विद्युत (पूर्ति) अधिनियम 1948 (1948 का 54) की धारा 6ऽ की उपधारा (3) के अनुसरण में

उक्त उपधारा (3) के अधीन अधिकतम राशि, जिसे असम राज्य बिजली बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय ऋण के रूप में ले सकता है' 150 करोड़ रुपये निर्धारित करने के लिए अनुमति प्रदान करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

## असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा में विधाई कार्य आरम्भ किया जाएगा। कार्य सूची की क्रम संख्या 12.

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :** महोदय मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"कानून बनाने के लिए असम राज्य विधान मंडल की शक्तियों को राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक का, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

महोदय, सभा को ज्ञात है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 जून, 1981 को असम राज्य के बारे में की गई घोषणा से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान मंडल की शक्तियों का निष्पादन संसद द्वारा अथवा उसके अधिकार के द्वारा किया जायेगा। अत: इस विधेयक में उस राज्य के लिए विधि बनाने के लिए राज्य विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपे जाने की मांग की गई है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के संबंध में ऐसे कानून बनाने के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती रही है और यह विधेयक भी उसी प्रकार का है। इस विधेयक में सलाहकार समिति को गठन का उपबल है जिसमें 45 संसद सदस्य होंगे (30 सदस्य लोक सभा से और 15 सदस्य राज्य सभा से) । यह भी उपबन्ध किया गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति द्वारा निर्मित कानूनों में संशोधन करें ।

मैं माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि उसके समक्ष विचार प्रस्ताव को स्वीकार करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :—

"कानून बनाने के लिए असम राज्य विधान मण्डल की शक्तियों को राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पर्याप्त रूप में, विचार किया जाये ।"

[उपाध्यक्ष महोदय]

किसी ने अपना नाम नहीं दिया है। सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

9.56 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1981/27 भाद्र, 1903 (शक) 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : आकाश दीप प्रिन्टर्स, 20 दरिया गंज, नई दिल्ली-2.